श माला, खंड 8, अंक 13

बुधवार, 16 मार्च, 2005
25 फाल्गुन, 1926 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 15/12/05

(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

**गुरदीप चन्द मलहोत्रा**
महासचिव
लोक सभा

**आनन्द बी. कुलकर्णी**
संयुक्त सचिव

**किरण साहनी**
प्रधान मुख्य सम्पादक

**प्र. ना. भारद्वाज**
मुख्य सम्पादक

**वन्दना त्रिवेदी**
वरिष्ठ सम्पादक

**पीयूष चन्द दत्त**
सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएंगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय सूची

*चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)*

**अंक 13, बुधवार 16 मार्च, 2005/25 फाल्गुन, 1926 (शक)**

**विषय** — **कॉलम**

**निधन संबंधी उल्लेख** . 1

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर** . . 2-31

* तारांकित प्रश्न संख्या 181 और 183 – 185

**प्रश्नों के लिखित उत्तर** . . 31-358

तारांकित प्रश्न संख्या 182 और 186 – 200 31-61

अतारांकित प्रश्न संख्या 1954 – 2183 . . 61-358

**'काली सूची में दर्ज आपूतिकर्ता' के बारे में दिनांक 25 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण** . 358

**अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ . 359

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . 359-363

**लोक लेखा समिति**

सातवां और आठवां प्रतिवेदन 363-364

**सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति**

दूसरा प्रतिवेदन 364

**सदस्य द्वारा निवेदन**

**महु छावनी बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासियों को जगह खाली करने के लिए दिए गए आदेश के संबंध में जारी किए गए कथित नोटिस के बारे में** . . 367-368

**नियम 377 के अधीन मामले** 394-401

(एक) तटवर्ती क्षेत्रों में जेट्टी के निर्माण के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ 394-395

(दो) महाराष्ट्र के मालेगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण . . . . . 395-396

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

कॉलम

(तीन) राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाए जाने के लिए इसकी पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. एच. विजयशंकर . . . 396

(चार) भागलपुर–नई दिल्ली के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में पेंट्री कार सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार मोदी . 396-397

(पांच) राज्य के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए केरल सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 397

(छह) छत्तीसगढ राज्य के कानून के अंतर्गत स्थापित उन विश्वविद्यालयों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह . . 397-398

(सात) पटना शहर में विकासात्मक कार्य शुरू किए जाने संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव . 398-399

(आठ) सेतु–समुद्रम परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल . 399

(नौ) दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़ के दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर को 150 मीटर ऊंचा किए जाने तथा उक्त केन्द्र में अपलिंकिंग सुविधा वाला पूर्ण समाचार विभाग शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल . . . . 399-400

(दस) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति को निजी क्षेत्र में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले . . . . 400

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मथुरा में यमुना नदी के सफाई कार्य के लिए पर्याप्त निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह . 401

(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 401

**विषय** **कॉलम**

**सामान्य बजट, 2005-2006 — सामान्य चर्चा**
**लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) 2005-2006**
**और**
**अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2004-2005** 402-520

श्री बिक्रम केशरी देव 407-413
श्री मधुसूदन मिस्त्री 413-419
श्री पी. करूणाकरन 419-426
श्री रामजीलाल सुमन 426-431
मोहम्मद शाहिद 431-433
श्रीमती करूणा शुक्ला 433-438
श्री अजय माकन 439-443
कुमारी ममता बैनर्जी 443-451
श्रीमती वी. राधिका सेलवी 451-453
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 453-460
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 460-462
श्री अधीर चौधरी 462-466
प्रो. महादेवराव शिवनकर 467-470
श्री शैलेन्द्र कुमार 470-474
श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार 474-478
श्री निखिल कुमार 478-484
श्री लक्ष्मण सिंह 484-490
प्रो. एम. रामदास 490-495
श्री मुन्शीराम 496-498
श्री किरिप चालिहा 498-501
श्री मानवेन्द्र सिंह 502-505
श्रीमती जयाप्रदा 505-508
श्री सीताराम सिंह 508-511

विषय कॉलम

श्री मनोरंजन भक्त . . . . 511-514

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी . . . . . 514-516

श्री पारसनाथ यादव 516-518

श्री सन्दीप दीक्षित 518-520

श्री पी. एस. गढ़वी 520

अनुबंध-I . 520-528

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका . . 521

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका . . . . 522-528

अनुबंध-II . . . 529-532

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका . . 529-530

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 530-532

# लोकसभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

# लोक सभा वाद-विवाद

## लोक सभा

बुधवार, 16 मार्च, 2005/25 फाल्गुन, 1926 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई*

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

*[अनुवाद]*

### निधन संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री लक्ष्मण ककाड्या दुमडा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री लक्ष्मण ककाड्या दुमडा 1971 से 1977 तक पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के दहानु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री दुमडा 1975 से 1976 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य थे।

श्री दुमडा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने अनेक कल्याणकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह 1959 से 1971 तक पोशेरी ग्राम पंचायत के सरपंच थे। श्री दुमडा को 1977 में 'दलित समाज सेवक सम्मान' और 1986 में 'आदिवासी समाज सेवा सम्मान' से सुशोभित किया गया था।

श्री लक्ष्मण ककाड्या दुमडा का निधन 19 फरवरी 2005 को 80 वर्ष की आयु में पाली, महाराष्ट्र में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

**पूर्वाह्न 11.02 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : अध्यक्ष जी, आज तक यह परम्परा रही है कि लोक सभा के आखिरी दिन मैम्बर्स के फोटोग्राफ लिए जाते हैं, लेकिन इस बार ये कल लिए जाने वाले हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न काल के पश्चात् इसकी अनुमति दूंगा। मैं आपके नोटिस की जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : क्या हमारी पार्लियामेंट के दिन पूरे हो गए और सरकार के भी दिन पूरे हो गए। यह कौन सी परम्परा है कि फोटोग्राफ कल लिए जाने हैं? ...*(व्यवधान)* सरकार नहीं चलेगी या आपको सदन के ऊपर विश्वास नहीं है? ...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह कह कर सारे देश में सनसनी फैला दी है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रश्न काल के पश्चात्। यदि आपने नोटिस प्रश्न काल के पश्चात् दिया होता तो मैं आपको अनुमति दे देता। मैं प्रतिदिन मुद्दे उठाने की अनुमति दे रहा हूं। मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

**पूर्वाह्न 11.03 बजे**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

#### डाक्टर-मरीज अनुपात

***181. श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित देशों में डाक्टर–मरीज अनुपात की तुलना में इस समय भारत में डाक्टर–मरीज अनुपात कितना है;

(ख) स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान डाक्टरों और पैरा–चिकित्सकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणी रामदास):**

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

### *विवरण*

डाक्टर–रोगी अनुपात मामला दर मामले पर भिन्न–भिन्न होता है जो रोग की प्रकृति, विशेषज्ञता की प्रकृति, अपेक्षित रोगी परिचर्या की प्रकृति अर्थात अतरंग/बहिरंग जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। डाक्टर–रोगी अनुपात के बारे में आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त आकडों के अनुसार वर्तमान मे एलोपैथिक डाक्टर–जनसंख्या अनुपात 1:1722 है।

दिनांक 28.2.2005 तक 6,39,729 पंजीकृत एलौपैथिक डाक्टरों के अलावा, दिनांक 1.1.2003 तक भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लगभग 6,94,712 मेडिकल प्रेक्टिशनर पंजीकृत थे। इन दोनों को इकट्ठा मिलाएं तो डाक्टर–जनसंख्या अनुपात प्रति एक लाख जनसंख्या पर 128 से ज्यादा (1:781) बनता है। इसके अलावा, 25,682 छात्रों की वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ 229 मेडिकल कालेज हैं। डाक्टर जनसंख्या अनुपात विकसित देशों के साथ तुलनीय नहीं है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में सेवाओं की प्रदानगी के लिए डाक्टरों की पर्याप्त संख्या है।

अन्य बातो के साथ–साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कमी वाले क्षेत्रो में नई अवसरचना संस्थापित करके और बढ़े हुए निवेश के माध्यम से मौजूदा संस्थाओं में अवसंरचना के उन्नयन द्वारा विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली तक बढ़ी हुई पहुंच पर विचार किया गया है। इसका उद्देश्य 2010 तक स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय को जी डी पी के 5.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करना है जिसमें सरकार का अंशदान वर्तमान 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो जाएगा। साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सी एम पी) में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश पर विचार किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़े हुए निवेश के परिणामस्वरूप निस्सन्देह चिकित्सा, परा–चिकित्सा और तकनीकी कार्मिकों के लिए नौकरी के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।

**श्री प्रबोध पाण्डा** : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्ट नहीं है क्योंकि ग्रामीण भारत और शहरी भारत में डाक्टर जनसंख्या अनुपात का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हू कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डाक्टर जनसंख्या अनुपात के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। कुछ देशों में यह अनुपात बढ़ा है। इसलिए मैं जानना चाहता हू कि क्या माननीय मंत्री की डाक्टर रोगी अनुपात को बढ़ाने की कोई योजना है और सरकार की इस संबंध में क्या सोच है।

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, जैसाकि उत्तर में दिया गया है, 1732 लोगों के लिए लगभग एक डाक्टर है।

यह संख्या आधुनिक एलोपैथिक डाक्टरों के लिए है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों की बात करें तो यह अनुपात 1:781 है। आज लगभग 630,000 आधुनिक चिकित्सा डाक्टर हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग 690,000 डाक्टर हैं। दन्त चिकित्सकों की बात करें तो विकासशील देश के रूप में हमारे पास पर्याप्त डाक्टर हैं। किन्तु महोदय, समस्या यह है कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं। हमारे देश में पर्याप्त डाक्टर हैं। हम प्रतिवर्ष आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के लगभग 26000 डाक्टर और भारतीय चिकित्सा पद्धति के 27000 डाक्टर और 13000 दन्त चिकित्सक तैयार कर रहे हैं। इसलिए इन सभी चिकित्सा कालेजों और दन्त कालेजों से प्रतिवर्ष बहुत डाक्टर उत्तीर्ण हो कर निकल रहे हैं। किंतु यहां यह मुद्दा है। सदस्य ठीक कह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। हम एक ऐसा तंत्र तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि डाक्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकें। यहां इस विषय का संबंध राज्य सरकार से है। केन्द्र सरकार के विचार से हम आगामी वर्षों अथवा आगामी महीनों में कुछ निर्णय ले सकते हैं जिससे कि हम डाक्टरों के लिए यह अनिवार्य कर दें कि वे अपना स्नातक प्रमाणपत्र अथवा हो सकता है स्नातरोत्तर प्रमाणपत्र लेने से पूर्व वहां काम कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना हम डाक्टरों के लिए अनिवार्य कर सकते हैं जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं।

**श्री प्रबोध पाण्डा** : महोदय, मैं जानना चाहता हू कि क्या देश में डाक्टर यथापेक्षित संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल कालेजों में विशेषकर नए मंजूरशुदा मेडिकल कालेजों — एस एस के मेडिकल कालेज, कोलकाता अथवा मिदनापुर मेडिकल कालेज और अन्य मेडिकल कालेजों में छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई योजना है। दूसरे, अनेक डाक्टरों के पास कोई डिग्री नहीं है; जिनके पास कोई चिकित्सीय अर्हता नहीं है, उसके बावजूद वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेक्टिस कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें चिकित्सीय प्रेक्टिशनरों की प्रणाली में लाने पर विचार कर रही है अथवा नहीं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, भारत में 229 मेडिकल कालेज हैं और 189 दन्त चिकित्सा कालेज हैं। इन 229 मेडिकल कालेजों में से 125 कालेज सरकारी क्षेत्र के हैं, और 104 कालेज निजी क्षेत्र के हैं। इन 229 मेडिकल कालेजों में से छह राज्य – तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 143 मेडिकल कालेज हैं। अन्य राज्यों को आगे आना है; अन्य राज्यों विशेषकर ई एडी राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को अपने संसाधन तैयार करने हैं और अपने मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ानी है और अधिक डाक्टर तैयार करने हैं। केन्द्र सरकार इस मामले में भी उनकी सहायता करेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु आप का कहना है कि अधिक डाक्टरों का यह मतलब नहीं है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। यही समस्या है।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया कि इसकी रेश्यो 1:1722 है। मेडिकल कालेजेज़ से जो डाक्टर्स निकल रहे हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं हैं और उतनी बड़ी संख्या में डाक्टर्स तैयार करना भी कठिन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से चीन में माओ के समय में बेयर फूट डाक्टर्स का प्रयोग हुआ था, उस समय 3-4 महीने की ट्रेनिंग देकर पंचायतों के अन्दर ही कुछ लोगों को ट्रेण्ड किया गया और वे लोग विलेज लेविल की जो सारी आवश्यकता थीं, गरीब लोगों की या सामान्य लोगों की, उनकी पूर्ति वे कर सकें तो क्या बेयर फूट डाक्टर्स के कन्सैप्ट जैसा कोई कन्सैप्ट आप इस देश में लागू करेंगे? इस तरह से लाखों लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो डाक्टर्स मेडिकल कालेजेज़ से निकल रहे हैं, वे कभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो उसका विकल्प क्या होगा?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इन 'बेअरफुट डाक्टर' के बारे में सोच रहे हैं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, भारत सरकार तथाकथित 'बेअरफुट डाक्टर' अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को छोड़कर किसी डिग्री को मान्यता नहीं देती है। असम जैसे कुछ राज्यों ने चिकित्सा पाठ्यचर्या में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है। किन्तु हम उसे भी मान्यता नहीं देते।

महोदय, माननीय सदस्य तीन अथवा छह माह के लिए डाक्टरों के लिए प्रशिक्षण की अवधारणा की बात कर रहे हैं। हमारे पास उपकेन्द्रों में सहायक नर्स धात्रियां हैं जो एक वर्ष अथवा दो वर्ष का प्रशिक्षण लेती हैं। डाक्टरों को तीन से छह माह अथवा एक अथवा दो वर्ष का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे जीवन की रक्षा करते हैं और रोगियों के जीवन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण लेना होता है।

साठ और सत्तर के दशक में 'बेअरफुट डाक्टर' की अवधारणा थी किन्तु अन्य अनेक मुद्दे थे। इन डाक्टरों ने नियमित चिकित्सा की प्रेक्टिस करना शुरू कर दिया और तब नीम हकीम का मुद्दा आया। कदाचित पिछले प्रश्न के बारे में मैं कहूंगा कि हमारे पास कानून – ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडीज एक्ट है – जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों से नीम हकीमों के विरूद्ध कदम उठाने के लिए कहा गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान के उत्तरी राज्यों में मेडिकल कालेजों की कमी है। हम अपने निजी अनुभव से कह सकते हैं कि विगत कई वर्षों से सरकारी अस्पताल किनारे के इलाके में खोलने की जो प्रक्रिया थी, उसमें काफी कमी आ गयी है। मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2010 तक, सकल घरेलू उत्पाद की पांच फीसदी हिस्सेदारी कर दी जायेगी, लेकिन अभी तक जो हिस्सेदारी है, वह एक फीसदी से भी कम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस हिस्सेदारी को बढ़ाने और जो पिछडे हुए राज्य हैं, वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से नये मेडिकल कालेज खोलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? भारत सरकार की जो घोषणा थी कि पीजीआई की तर्ज पर पिछड़े राज्यों में, खासकर उत्तरांचल और बिहार में, मेडिकल कालेज खोले जायेंगे, उस योजना पर सरकार कान बंद करके बैठी हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इन पिछड़े राज्यों में केन्द्रीय मेडिकल कालेज खोलने पर विचार कर रही है?

*[अनुवाद]*

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, हम पहले ही इन अल्प सेवा वाले राज्यों में छह नए एम्स जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और वित्त मंत्री ने इस प्रावधान के लिए बजट का एक भाग आबंटित किया है जिससे इन छह नए एम्स जैसे संस्थानों में स्नातक स्नातकोत्तर और उच्च विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम होने जा रहे हैं। सरकार अगले पांच वर्षों में चालू 0.9 प्रतिशत से न्यूनतम दो प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा स्वास्थ्य विभाग के लिए इस वर्ष के आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में इकत्तीस प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो पहले कभी नहीं किया गया है। इससे लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की अल्पसेवित क्षेत्रों में सरकार और माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी कहा है कि गांव में डाक्टर

जाने के लिए तैयार नहीं हैं, मैं इस बात के लिए मुत्तफिल नहीं हूं। हमने अपनी रियासत में देखा है कि वहां जो डाक्टर ट्रेंड हुए हैं, वे रोजगार के लिए कांट्रेक्ट बेसिस पर नौकरी करने के लिए दूर–दराज के एरियाज में जाने के लिए तैयार हैं तथा उनको वहां भेजा भी गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि डाक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गॉयनोकोलोजिस्ट बहुत कम हैं, खासकर डिस्ट्रिक्टस हास्पिटल में गॉयनोकोलोजिस्ट की प्रौब्लम्स बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, यह राज्य का मुद्दा है कि राज्य सरकार को डाक्टर नियुक्त करने होते हैं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना होता है, फिर भी भारत सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने और वहां कार्य करने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रयास कर रही है जैसा कि मैंने पहले अनिवार्य प्रशिक्षण के बारे में बताया। इस पहलु के लिए विभिन्न मुद्दे भी हैं जैसे डाक्टरों से उनकी अवसंरचना और उनके बच्चों की शिक्षा और अन्य बातों के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहने और कार्य करने के लिए कहा जाता है। इन कानूनों को बनाते समय इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। अब हम ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर कार्य कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इस आदत को छोड़ना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, प्रधानमंत्री शीघ्र ही ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंगे। मैं समझता हूं कि उससे संबंधित मुद्दे तीसरे प्रश्न में आ रहे हैं। उसमें, हम ठेके के आधार पर डाक्टरों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और हम एम बी बी एस डाक्टरों के लिए अल्पकालिक संज्ञाहरण पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास करेंगे जिससे कि अधिक संज्ञाहरणकर्ता डाक्टर उपलब्ध होंगे। हम इन चीजों पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं।

**डा. के. एस. मनोज** : धन्यवाद, महोदय। माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और यह वांछनीय है कि स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के लिए ग्रामीण सेवा अनिवार्य कर दी जायेगी। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और सरकारी सेवा में हैं उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

**डा. के. एस. मनोज** : अधिकांश राज्यों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में सेवारत डाक्टरों के लिए विशेष कोटा है। किंतु उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा बनाए गए कतिपय विनियमों के कारण प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने और 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह मामला हमारे सामने नहीं है।

**डा. के. एस. मनोज** : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न का विस्तार नहीं कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

**डा. के.एस. मनोज** : महोदय, एक डाक्टर जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, को इस तरह की प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करके अर्हता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है। क्या सरकार उन डाक्टरों जो सरकारी सेवा में है और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं के लिए विशेष प्रावधानों पर विचार करेगी? क्या उन्हें लिखित प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी जायेगी? क्या उन डाक्टरों जो सरकारी सेवा में हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं को विशेष 'कृपांक' अंक दिये जाएंगे?

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

**डा. के. एस. मनोज** : क्या माननीय मंत्री 'फैमिली डाक्टर' की धारणा पर विचार करेंगे जो कि ई एस आई योजना में पहले ही कार्यान्वित किया गया है।

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, सरकारी सेवा में नियुक्त डाक्टरों के संबंध में अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग विधान हैं। कुछ राज्यों में इस तरह के प्रावधान हैं कि सरकारी सेवा में जाने के बाद एक डाक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्षों तक काम करना अनिवार्य है और उसके बाद ही वह स्नातकोत्तर के लिए आवेदन कर सकता है अथवा उसके लिए योग्य हो सकता है। कतिपय राज्यों में ग्रामीण प्रशिक्षित सरकारी सेवारत डाक्टरों के लिए कुछ स्नातकोत्तर संस्थाएं आरक्षित हैं। इसलिए, सरकारी सेवारत डाक्टरों के लिए कोटा के संबंध में विधान बनाना राज्यों पर निर्भर है।

**डा. के. एस. मनोज** : महोदय, मुझे फैमिली मेडिसीन के मुद्दे के संबंध में उत्तर नहीं मिला।

**डा अंबुमणि रामदास** : महोदय, फैमिली मेडिसीन एक अवधारणा है जो पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है। भारत में 'नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन' के माध्यम से हम फैमिली मेडिसीन पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे डाक्टर अपने विषयों के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं और यह

अवधारणा सामुदायित स्तर की सुविधाओं के अधिक निकट है। यह एक अवधारणा है जिसे हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री ब्रह्मानन्द पंडा** : महोदय, हम गरीब लोगों के कल्याण का प्रयास कर रहे हैं और इस महान सभा के पटल पर अनेक लुभावनी घोषणाएं की गई हैं अपितु, गरीब ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, इत्यादि। किंतु जहां तक मेरे राज्य का संबंध है अधिकांश जनस्वास्थ्य केंद्र और औषधालयों में चिकित्सक नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वे राज्य संचालित संस्थाएं हैं। आप यहां इसके बारे में माननीय मंत्री से क्यों पूछ रहे हैं?

**श्री ब्रह्मानन्द पंडा** : नहीं महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया पूछिए।

**श्री ब्रह्मानन्द पंडा** : महोदय, मुझे माफ किया जाए मैं अपना प्रश्न पर आ रहा हूं। क्या सरकार इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों अर्थात् एस सी बी मेडिकल कॉलेज, एम के सी पी मेडिकल कॉलेज और वीर सुरेन्द्र साईं मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने जा रही है। क्या सरकार मेरे राज्य में नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य संगठन को अनुमति देने जा रही है? क्या भारत सरकार ग्रामीण जनता को मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने जा रही है?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पंडा, आप वास्तविक प्रश्न, जो कि मरीज–डाक्टर अनुपात के संबंध में था, से काफी भटक गए हैं।

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, उड़ीसा राज्य देश में स्वास्थ्य सूचकांकों की दृष्टि से नीचे है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उड़ीसा में जन्म और मृत्यु दर अत्याधिक है। उड़ीसा राज्य में इससे निपटने के लिए अधिक आधारभूत संरचना नहीं है। वहां सिर्फ तीन मेडिकल कॉलेज और एक डेन्टल कॉलेज है। वहां अधिकांश संख्या में ऐसे कॉलेजों की आवश्यकता है और उन्हें अधिक डाक्टर बनाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार यदि अपेक्षित मानदंड पूरा करने पर चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में, कॉलेज को स्वीकृति देती है। यदि वे वहां हैं तो हम उड़ीसा में इनमें से और अधिक कॉलेजों को स्वीकृति देंगे।

**श्री ब्रह्मानन्द पंडा** : महोदय, मेरे राज्य उड़ीसा में स्थिति अत्यन्त भयावह है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया ऐसा नहीं कीजिए। तीस माननीय सदस्य हैं जो इस प्रश्न पर अपना पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसलिए कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

**श्री सी. कुप्पुसामी** : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय। भारत में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी इत्यादि जैसी अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुर्वेद विभाग है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री चिकित्सा की भारतीय पद्धति को प्रोत्साहन देने पर विचार करेंगें और ग्रामीण क्षेत्रों में एम बी बी एस डाक्टरों द्वारा सेवा करने में रूचि नहीं दिखलाने के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की यह वैकल्पिक पद्धति उपलब्ध कराएंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : यह वही प्रश्न है जिसका यह उत्तर दे चुके हैं।

**डा अंबुमणि रामदास** : महोदय, माननीय सदस्य श्री सी. कुप्पुसामी ने अत्यन्त ही वैध प्रश्न उठाया है। चिकित्सा की भारतीय पद्धति. हमारी अपनी पद्धति है और इसके प्रचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार न सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्व में यह सक्रिय रूप से कर रही है। आने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्तर पर आधुनिक मेडिकल डाक्टर के अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक डाक्टर रखने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक समय में दो डाक्टर होंगे – एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति का दूसरा भारतीय चिकित्सा पद्धति का। हम इसकी योजना बना रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : महोदय, हमारे नए डाक्टर्स जो कालेजों से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, वे सामान्यतः गांवों में नहीं जाना चाहते, इसलिए मेरा प्रश्न है कि जब हमारे पास बड़ी तादाद में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टर्स उपलब्ध हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर क्या उनका उपयोग किया जाएगा?

महोदय, वर्ष 1977 में जन स्वास्थ्य रक्षा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक योजना शुरू की गयी थी। वह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर आम लोगों की स्वास्थ्य सेवा करती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस योजना को पुनर्जीवित किए जाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वे फिर उसी प्रश्न पर आ गए हैं।

**डा. अंबुमणि रामदास** : मैं पिछले प्रश्न में इसका उत्तर दे चुका हूं। माननीय सदस्य ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में

*पूछा है। देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लगभग 431 कॉलेज हैं। इनसे प्रतिवर्ष 27,000 डाक्टर शिक्षा प्राप्त कर* निकल रहे हैं। कुल मिलाकर 6.9 लाख भारतीय और परम्परागत चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर हैं। इनमें से अधिकांश डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। हमें उन्हें और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। वास्तव में सीजीएचएस में भी हम इस भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार के लिए इन औषधालयों को खोल रहे हैं।

**श्री एन. जनार्दन रेड्डी** : इन उत्तरों से हमें यह लगता है कि देश में अदक्ष और अपर्याप्त डाक्टरों की समस्या है। हम हर रोज समाचार पत्रों में रिपोर्टें देखते हैं कि नए मेडिकल कॉलेज चलाये जा रहे हैं। मरीजों की संख्या अपर्याप्त है। जब मेडिकल काउंसिल के लोग उनका निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो वह कुलियों को ले आते हैं, उन्हें कपड़े पहना देते हैं और नकली मरीजों के रूप में बिठा देते हैं। परिणामस्वरूप मेडिकल कालेजों से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हमें पता चला था कि मेडिकल काउंसिल सशक्त हो गई है और यह एक स्वशासित निकाय है। क्या मंत्रालय में यह राय है कि मेडिकल काउंसिल से शक्ति स्वशासित स्थिति को छीन लिया जाए? क्या यह किसी प्रकार से मदद करेगा?

**अध्यक्ष महोदय** : उनसे शक्ति वापस ले लेना एक अत्यंत आम मांग है। मैं नहीं जानता कि क्या वह उसे स्वीकार करेंगे।

**डा. अंबुमणि रामदास** : वैयक्तिक रूप से मैं माननीय सदस्य का विरोध करना चाहूंगा जब उन्होंने कहा कि, अदक्ष और अपर्याप्त डाक्टर हैं। मैं, डाक्टर होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस देश में सभी डाक्टर दक्ष हैं। वह साढ़े–पाँच वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से सभी डाक्टर दक्ष हैं। वस्तुतः हमारे पास देश में पर्याप्त संख्या में डाक्टर हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम पहले ही एक प्रश्न पर लगभग 25 मिनट ले चुके हैं। अब और प्रश्न नहीं।

**डा. अंबुमणि रामदास** : अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर आते हैं। हम मैडिकल काउंसिल विधेयक में, जो शीघ्र ही संसद में लाया जायेगा, एक संशोधन का प्रस्ताव रख रहे हैं। यह प्रक्रिया से निकल चुका है और इसे संसद ने अनुमति दे दी है। हम उसे संसद में लायेंगे और तब उस पर चर्चा कर सकेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 182 – श्री शिवराज सिंह चौहान – उपस्थित नहीं।

### तंबाकू नियंत्रण पर अभिसमय

***183. श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने तंबाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किए गए अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका 40 अन्य सदस्य देशों ने भी समर्थन किया है और जो 25 फरवरी, 2005 से लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस अभिसमय के अंतर्गत तंबाकू उत्पाद के पैकेट और बिक्री स्थल, दोनों पर वैधानिक चेतावनी को प्रमुख रूप में प्रदर्शित करने और तंबाकू रोधी खपत उपायों को और कठोर बनाने के लिए बाध्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):** (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

### *विवरण*

विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में जिस तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत अभिसमय (कन्वेंशन) के संबंध में समझौता हुआ, वह 27 फरवरी, 2005 से प्रभावी हो गया है। इस अभिसमय में भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है और उसने मई, 2003 में "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा प्रदाय का विनियमन) अधिनियम, 2003" नामक विधान बना कर तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत अभिसमय के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपने घरेलू कानून में पहले ही बदल लिया है।

उक्त विधान में सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध; खेल और सांस्कृतिक आयोजनों, जो तम्बाकू के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं, को प्रायोजित करने पर प्रतिबंध; सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध; नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध; शैक्षिक संस्थाओं के आस–पास 100 गज के घेरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध; निरक्षर व्यक्तियों के लाभ के लिए खोपड़ी और क्रास बोन्स और अन्य जैसी निर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों और अनिवार्य चित्रात्मक चेतावनियों की व्यवस्था; तथा सभी उत्पादों के पैकेटों और कार्टूनों पर निकोटीन और टार की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख करना शामिल है। इस कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों ने तम्बाकू उत्पादों के बिक्री स्थल पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जिससे या तो "तम्बाकू से कैंसर होता है" अथवा "तम्बाकू मारता है" अन्तर्विष्ट हो, प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इस चेतावनी को एक निर्धारित आकार के सूचना पट्ट और कवरेज के क्षेत्र के भीतर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, सभा में व्यवस्था बनी रहने दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण घंटा है।

**श्रीमती मनोरमा माधवराज** : सरकार ने स्वीकार किया था कि वह तंबाकू पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व की तुलना में स्वास्थ्य पर, तंबाकू–संबंधी रोगों पर ज्यादा व्यय कर रही है। यदि हां, तो क्या सरकार चरणबद्ध ढंग से सिगरेटों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ताकि तंबाकू उत्पादक धीरे–धीरे अन्य फसलों की तरफ ध्यान दें?

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अनुसार भारत में तंबाकू उपभोग का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निष्कर्षों के अनुसार, आने वाले दिनों में सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से लगभग 40 प्रतिशत तंबाकू से संबंधित होंगी। अब मैं सिर्फ इस उद्योग और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच के अनुपात को दर्शाने के लिए अनुमानित आंकड़े दूंगा। आज देश में तम्बाकू उद्योग, जिसमें विपणन, उत्पादन, विक्रय और विज्ञापन है और सरकार द्वारा अर्जित राजस्व, अनुमानित रूप से 30,000 करोड़ रुपये से लेकर 35,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। यह धनराशि जो सरकार, निजी क्षेत्र और आम आदमी तंबाकू–संबंधित मामलों पर व्यय कर रहे हैं जिसमें लगभग 35000 करोड़ रुपये बैठता है। इन मुद्दों में स्वास्थ्य मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, इलाज, रोकथाम, उत्पादक वर्षों की हानि, सक्रिय धूम्रपान, निष्क्रिय धूम्रपान यह सब शामिल हैं।

अतः हमें इस पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। मैंने स्वयं एक पर्यावरणवादी होने के नाते, मैंने धूम्रपान–विरोधी अभियानों में भाग लिया था। मैंने यह पिछले 10 वर्षों से किया है। यह कार्य मैंने एक पर्यावरणवादी होने के नाते किया है। उस मुद्दे में व्यापक उलझनें और सामाजिक जटिलताएं शामिल हैं जिनमें किसान और अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं। आज, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में किन्हीं तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने का कोई उपबंध नहीं है। हमें एक संशोधन लाना होगा और केंद्र सरकार ऐसा संशोधन संसद के समक्ष लाने का प्रयत्न कर रही है।

**श्रीमती मनोरमा माधवराज** : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय सिगरेट कंपनियां खेल प्रतियोगिताओं, पोलो और गोल्फ को प्रायोजित करने के लिए छद्म विज्ञापनों का प्रयोग करती है और अपने सिगरेट ब्रांड पर खेल पोशाकों और डिजाइनर वस्त्रों को भी प्रोत्साहन देती है।

**डा. अंबुमणि रामदास** : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात, जिसे पिछले वर्ष मई में अप्रवृत्त किया गया था, सरकार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध करते हुए बहुत सारे विधान लेकर आयी थी। उसने अवयस्कों को तंबाकू उत्पादों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिक्री पर प्रतिबंध लगाया और किसी भी शिक्षा संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।

उसके विज्ञापन भाग के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति है जो उन छद्म विज्ञापनों की जांच करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय भी छद्म विज्ञापनों की जांच करने के लिये संचालन समिति के गठन पर विचार कर रही है, जोकि हो रहा है उदाहरणार्थ फार्मूला एक रेसिंग।

अन्य छद्म विज्ञापनों के संबंध में जब भी हमारी जानकारी में कोई मामला लाया जाता है, हम कार्रवाई करते हैं। यदि कोई मामला समाचारपत्रों में भी छपता है तो सरकार कार्रवाई करती है और राज्यों के पास कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन अधिकारी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती मेनका गांधी यदि आप अपनी सीट पर जायें तो आपको पूरक प्रश्न करने की अनुमति दी जायेगी। आपको अपनी सीट पर बैठना होगा। आपको अपने पूरक प्रश्न और सीट में से एक चुनना होगा।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** : गुटखे में तम्बाकू का समावेश बड़े पैमाने पर हमारे देश में किया जाता है। अभी कुछ गुटखा किंग्स को अरेस्ट किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश में इस तरह के कितने गुटखा किंग्स हैं और किस–किसको गिरफ्तार किया गया है? आज हर पान ठेले पर तम्बाकू युक्त गुटखा नए–नए नामों से उपलब्ध है। उसे पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?

*[अनुवाद]*

**डा. अंबुमणि रामदास** : गुटखे से संबंधित मुद्दा आज के सबसे अहम मुद्दों में से एक है।

महोदय, शुरू में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें पी एफ ए अधिनियम के अंतर्गत तंबाकू के उत्पादन और बिक्री को अल्प अवधि के लिए निषिद्ध कर सकती हैं। तदुपरांत उसने कहा कि केवल केन्द्र सरकार ही गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधान बना सकती है। राज्य पी एफ ए अधिनियम के अंतर्गत विधान नहीं बना सकते। वह केवल अल्प अवधि के लिए ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। आनुषंगिक रूप से, जब तंबाकू अधिनियम बनाया गया था तो बहुत सारे तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी और गुटखा को तंबाकू अधिनियम की अनुसूचित सूची

में लाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गुटखा सहित तंबाकू उत्पादों को पी एफ ए अधिनियम से अलग करना चाहिए। केवल मैग्नेशियम कार्बोनेट को ही पी एफ ए अधिनियम के अंतर्गत लाना चाहिए। उन्हें इस पदार्थ को हटाने के लिए कहा जा सकता है। अतः उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस समय गुटखा उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू अधिनियम में संशोधन करना होगा। मंत्रालय से विधिक परामर्श मांगा जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती मेनका गांधी।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** : मैंने नाम बताने के लिए कहा था, आप कृपया नाम बताएं।

*[अनुवाद]*

**डा. अंबुमणि रामदास** : वह मेरे मंत्रालय के अधिकार–क्षेत्र में नहीं आता है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

**श्रीमती मेनका गांधी** : महोदय, जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए ही खराब नहीं है बल्कि इसका अर्थशास्त्र भी अलाभप्रद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना आप करों, या रोजगार या किसानों के लाभ के रूप में हासिल करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप खो देते हैं। यह देश की सर्वोत्तम भूमि का भी उपयोग करता है। यह बहुत अधिक जल का उपभोग करता है। तंबाकू उत्पादन चोरी–छिपे रूप से भारी मात्रा में लकड़ी को काटने के लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि तंबाकू को भट्टी में जलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। श्रीमती माधवराज ने एक अत्यंत दिलचस्प प्रश्न किया है, जिसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहती हूं। यदि हम विश्वास करते हैं कि यह उन सभी पहलूओं के लिहाज से बुरा है और जैसा कि आपने कहा, इसके सामाजिक निहितार्थ हैं, इसमें किसानों के लिए गूढ़ अभिप्राय हैं तो क्या अभी इसे क्रमिक रूप से या मान लें, शायद चार या पांच वर्षों में समाप्त करने की सूचना जारी नहीं की जा सकती?

यूरोप के सभी देश और अमेरिका औषधियों और रसायनों के साथ ऐसा करते हैं जहाँ वह चार या पाँच वर्षों में उसे क्रमिक रूप से समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इससे लोगों को बदलने के लिए समय मिल जाता है। क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है?

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, वैयक्तिक रूप से मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। किंतु, जैसा कि मैंने कहा है, उसमें व्यापक उलझनें हैं। महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, आज तंबाकू उद्योग 30000 करोड़ रूपए से 35000 करोड़ रुपए तक का है। इसमें से एक छोटी सी राशि ही किसानों को जाती है; लाभ का एक बड़ा हिस्सा चुनी हुई कंपनियां ले जाती हैं। महोदय, यदि आज हम तंबाकू को प्रतिबंधित कर देते हैं तो भारतीय किसानों के लिए एक सामाजिक मुद्दा बन जायेगा। किंतु किसानों के लिए वैकल्पिक फसलें हैं जैसे कि औषधीय पौधे।

आज भारतीय औषधीय पादप उद्योग तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। वर्तमान में यह विश्व बाजार का मात्र 2 प्रतिशत है जबकि चीन का बाजार 16 प्रतिशत है। किंतु हमारे पास औषधीय पादपों को उगाने के लिए ठीक जलवायविक और पर्यावरणिक स्थितियाँ हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 40 से 50 वर्षों में औषधीय पादप उद्योग खरबों डालर का उद्योग बनने वाला है। इसमें बहुत संभावना है। किसानों को औषधीय पौधे लगाने को कहा जा सकता है जिसे ज्यादा पानी या कीटनाशकों की भी जरूरत नहीं पड़ती। सरकार इन औषधीय पौधों को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास अपने निर्वाचन–क्षेत्र के लिए कुछ प्रस्ताव हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे?

**डा. अंबुमणि रामदास** : मैं उसका समर्थन करूँगा।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**श्री तथागत सत्पथी** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहूँगा। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या मंत्रालय ने केन्दु पत्तों के बारे में कोई अनुसंधान कराया है और क्या केन्दु पत्ते मानव शरीर को उसी तरह से नुकसान पहुँचाते हैं जिस तरह से तंबाकू पहुँचाता है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि केन्दु पत्तों का मेरा राज्य उड़ीसा में अत्याधिक आर्थिक महत्व है और इसमें भारी श्रम क्षमता है तथा यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिमी उड़ीसा के कई बड़े भागों में जनजातीय और गैर–जनजातीय आबादी के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। अतः, मैं इस बारे में उत्तर चाहूंगा।

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, यह भारत में तंबाकू नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट है। मैंने इसे पिछली बार भी दिखाया था। तंबाकू के पत्तों के उत्पादन से कई तरह के स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दे जुड़े हुए हैं जहाँ हाथों पर प्रभाव पड़ता है, उन्हें स्वास्थ्य के साथ–साथ हर तरह की समस्याएं होती हैं। मैं इसे माननीय सदस्य को बाद में दे दूँगा।

**श्री तथागत सत्पथी** : महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका। मेरा प्रश्न यह है। क्या मंत्रालय ने केन्दु पत्तों से होने वाले नुकसानों के बारे में कोई अनुसंधान कराया है। इसे तोड़ने वालों या किसानों पर इसके प्रभावों के बारे में नहीं है। यह कोई खेतों में उगाने वाली चीज नहीं है। यह एक जंगली पौधा है।

**डा. अंबुमणि रामदास** : मैं इसे माननीय सदस्य को दे दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसे आपको दे देंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप उनसे पूछ सकते हैं।

**श्री पी. सी. थामस** : महोदय, सिगरेट के पैकेटों में मुद्रित और विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली वैधानिक चेतावनी पूरी तरह से असंगत हो गई है। इस संबंध में क्या किया जा सका है? वैधानिक चेतावनी, जिसमें लिखा होता है 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है', को इतने छोटे अक्षरों में मुद्रित कराया जाता है कि कभी–कभी तो यह दिखता भी नहीं है। क्या धूम्रपान के कुप्रभावों का विज्ञापन बेहतर तरीके से किया जा सकता है ताकि उसमें कही गई असली बात उन लोगों के दिमागों में आ सके जो धूम्रपान करते हैं। वैधानिक चेतावनी जिसे अभी मुद्रित किया जाता है, वह वास्तविक गुणागुण रहित है। क्या इस बारे में कुछ विचार किया जा सकता है? मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार क्या कर सकती है?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप विज्ञापनों पर अंकुश लगा सकते हैं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, जी हाँ। छह विधानों में से चार विधान पहले ही अधिनियमित किए जा चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, उनमें से अधिकतर सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों में विज्ञापनों से संबंधित हैं। पांचवा अधिनियमन सिगरेट के पैकेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा और बीड़ियों पर सचित्र चेतावनी के बारे में है। हम तंबाकू उत्पादों पर सचित्र विज्ञापनों के संबंध में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिगरेट धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान करने से रोकने के लिए विश्व में सबसे बेहतर सचित्र विज्ञापनों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अलग–अलग चित्रों जैसे धूम्रपान करने वालों को होनेवाले कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, आदि के बारे में सचित्र विज्ञापन लाने की सोच रहे हैं। आनेवाले कुछ महीनों में हम इस अधिनियमन को लाएंगे जिसके द्वारा तंबाकू उत्पादकों के लिए तंबाकू उत्पाद के पैकेट के न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थान को कवर करते हुए एक सचित्र चेतावनी देना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : 'एक खोपड़ी और क्रास रूप में रखी दो हड्डियों की तरह।

### राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

+

***184. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

**श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए समेकित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के रूप में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, उपचार और दवाएं प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए अब तक निर्धारित/जारी की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार मिशन को शुरू करने के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):** (क) से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

### *विवरण*

(क) जी, हां। सरकार ने लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण निर्धन लोगों को एकीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को स्वीकृति दी है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधिदेश को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी में सुधार करने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में देश भर में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करना है। 8 ई ए जी राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़), 8 पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा), हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर सहित 18 राज्यों को ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए कवर किया जाएगा।

(ख) मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य पद्धति की संरचनात्मक शुद्धि करना था जिससे कि यह बढ़े हुए आबंटनों को प्रभावी ढंग से

हैंडल कर सके जैसा कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधीन वचन दिया गया है। इस में विशेष रूप से उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले 18 राज्यों में जन स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों सहित अन्तराज्यीय और अन्तः जिला असंगति पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य एक विकेन्द्रीकृत जिला स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण और सुरक्षित पेय जल जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी विषयों का प्रभावी एकीकरण करना है। इससे भी अधिक, इसमें ग्रामीण लोगों विशेष रूप से गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए समान, वहनीय, उत्तरदायी और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास किया गया है।

(ग) मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक गांव में एक महिला प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की व्यवस्था; पंचायत के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्थानीय दल के माध्यम से तैयार की गई ग्राम स्वास्थ्य योजना; भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के जरिए मूल्यांकित और समुदाय के प्रति उत्तरदायी प्रभावी उपचारात्मक परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पताल का सुदृढ़ीकरण और निधियों तथा आधारभूत ढांचे के इष्टतम उपयोग के लिए उर्ध्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा निधियों का एकीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की प्रदानगी को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

(घ) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्य अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन ध्यान केन्द्रित किए जाने हेतु चुने गए 18 राज्यों में शामिल हैं।

(ङ) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन वित्त पोषण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की पूरी न हुई जरूरतें प्रतिबिम्बित की गई हों। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या के प्रस्तावों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाएगा जैसे कि इसे राज्य कार्य योजनाओं में प्रतिबिम्बित किया गया है।

(च) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियां जारी नहीं की गई हैं चूंकि यह एक नया कार्यकलाप है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है। राज्यवार आबंटनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(छ) जी, हां।

(ज) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए संसाधनों को पूरक बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक से 1575 करोड़ रुपए की ऋण सहायता और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (2005–10) के लिए अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग से 2125 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान सहयोग के लिए बातचीत जारी है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, सरकार ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है। आदरणीय राष्ट्रपतिजी ने भी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र को आश्वस्त किया है कि लोक स्वास्थ्य पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के 0.9 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर कम से कम 2 प्रतिशत तक किया जाएगा। तथापि, यह वर्तमान बजट में परिलक्षित होता है। यह बढ़ोत्तरी मात्र करीब 1800 करोड़ की है। अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है कि इस मिशन पर कितनी राशि व्यय की जाएगी। मेरा मानना है कि इसके लिए हजारों करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी और इसे अभी वर्तमान बजट में परिलक्षित किया जाना है।

यदि हम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय को माने तो पूरा व्यय विश्व बैंक से ऋण सहायता से किया जाएगा जो करीब 1,575 करोड़ रुपए का है और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों जैसे डी एफ आई डी द्वारा जो करीब 2,125 करोड़ रुपए का है, किया जाएगा। सरकार अधिकांशतः ऋण सहायता पर निर्भर रहेगी। यह क्या है कि बिना किसी भी प्रकार का वित्तीय आबंटन किए या अधिकांशतः ऋण सहायता के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों पर निर्भर रहते हुए सरकार ने घोषणा कर दी है कि मिशन 1 अप्रैल, 2005 से शुरू हो जाएगा? माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के बारे में ईमानदार है। यदि हाँ, तो इस पर कुल व्यय कितना है और सरकार इस व्यय को कैसे पूरा करेगी?

**डा. अंबुमणि रामदास** : पहले, मैं माननीय सदस्य से उल्लेख करना चाहूंगा कि संप्रग सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध है। हम इस ओर बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और हमने अपने आपको इस ओर प्रतिबद्ध किया है। हमने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कई चीजों के बारे में घोषणाएं की हैं और वे कार्यक्रम जारी हैं।

जहाँ तक स्वास्थ्य पर व्यय करने की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ऐसा अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। इस संप्रग सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह किया है। यह हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता है। हमारी अगली प्रतिबद्धता यह है कि अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लोक स्वास्थ्य पर आबंटन का अनुपात न्यूनतम दो प्रतिशत हो। हम उस लक्ष्य को भी अवश्य प्राप्त कर लेंगे और इस बारे में आपको पता चल जाएगा।

जहाँ तक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संबंध है, इस वर्ष इस पर हम अनुमानतः 6500 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस योजना में पैसा लगाएं और उसके बारे में भूल जाएं। हमें जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और हमें इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम 10वें और 11वें वित्तीय वर्षों को कवर करते हुए या उसके बाद भी सात वर्षों की अवधि में पूरा हो पाएगा। अतः हमें एक मंच की आवश्यकता है। इससे पहले, कई कार्यक्रमों में पैसा व्यय किया गया था परन्तु हमें यह पता नहीं है कि वह पैसा कहाँ गया, उसके लिए कौन जवाबदेह था और यह किसके पास पहुँचा।

हमें एक मंच की आवश्यकता है जहां से इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। आरंभिक कार्य इसी वर्ष किए जाएंगे, और अनुवर्त्ती वर्षों में, हम अवसंरचना पर बहुत ज्यादा निवेश करेंगे। असल में, हमनें सभी प्राथमिक स्तर के उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अवसंरचना निर्माण पर 15000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है। इसे हम आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मंत्रालय ने इस बारे में आश्वासन नहीं दिया है कि उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। मेरा प्रश्न बहुत आसान था। वे इस उत्साहवर्धक मिशन की शुरूआत कब कर रहे हैं, और उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या मंत्री जी इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा करेंगें?

**अध्यक्ष महोदय** : आप वित्त मंत्री जी से आज ही पूछिए!

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मंत्रालय का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में दृष्टिकोण संबंधी सुधार करना है। पूरी तरह से प्राथमिक स्तर से लेकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, और जन स्वास्थ्य केन्द्रों तक, पूरी तरह से पहले अवसंरचना पर जोर देंगे और उसके बाद वे ग्राम स्तर पर भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की नियुक्ति करेंगे। परन्तु यहाँ प्रशिक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी? 1 अप्रैल से, मंत्रालय इस मिशन की घोषणा और शुरूआत करने जा रहा है। वास्तविक कार्यक्रम क्या है? क्या यह मात्र सरकार द्वारा की गई एक घोषणा है या क्या सरकार इस बारे में गंभीर है?

**डा. अंबुमणि रामदास** : जहाँ तक पैसा कहाँ से आएगा, प्रश्न का संबंध है, इसका उत्तर वित्त मंत्री जी देंगे। आप कृपया इस प्रश्न को माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष उठाएं।

जहाँ तक स्वास्थ्य मिशन की बात है, तो उसी प्रकार की अवसंरचना के निर्माण से कोई संबंध नहीं है। आज भी, राज्य सरकारों ने डाक्टरों, अर्ध–चिकित्सा कर्मियों, आदि के पदों को नहीं भरा है। मात्र अवसंरचना के निर्माण से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके अपनाने की आवश्यकता है। ग्राम स्वास्थ्य मिशन में जिले को मुख्य इकाई माना गया है और तत्पश्चात् यह पंचायत और ग्राम स्तर तक जाता है। प्रत्येक ग्राम में, हम एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए एस एच ए) को रखने के बारे में सोच रहे हैं। वह ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का केन्द्र बनने जा रही है और हम सभी गाँवों में अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता रखने जा रहे हैं। इनमें से मुख्यतः 18 राज्यों में अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रारंभ में प्रशिक्षित किया जाएगा, मैं बताना चाहूंगा कि उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहाँ सभी मानक होंगे, नामतः कि उसे कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, उनके प्रशिक्षण पर कितनी राशि खर्च की जाएगी, उसकी प्रशिक्षण क्षमता कितनी होगी; और उसे किससे जोड़ा जाएगा। उसे इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाने वाला है कि वह बच्चों के रोग प्रतिरक्षण, प्रसव–पूर्व जांच, प्रसव और प्रसव पश्चात् जांच, का ध्यान रखेगी। असल में, वह गाँव के लोगों को शिक्षित करेगी और उन्हें सामुदायिक शौचालय या घरों के शौचालय कैसे बनाए जा सकते हैं, के बारे में बताएगी। वह कंडोमों के प्रयोग को गाँव की औरतों के माध्यम से बढ़ावा देगा। वह बहुत कुछ करने जा रही है। उसे गाँव के मुखिया, स्व–सहायता समूहों, उप–केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों के ए एन एम के साथ संबद्ध किया जाने वाला है। इससे संबंधित कई कार्यक्रम हैं।

**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री जी को इस मिशन को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं। इस मिशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों सहित 18 जिले शामिल हैं। मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि मैं विदर्भ क्षेत्र से आता हूँ जो महाराष्ट्र राज्य में है और यहाँ जनजातीय और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। इस मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्या आप इस क्षेत्र को शामिल करने जा रहे हैं या नहीं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरे देश को शामिल करता है। हम अठारह राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं क्योंकि वे इ ए वी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें जम्मू और कश्मीर शामिल है, को लेकर स्वास्थ्य उद्योग के निचले परमिटों के अंतर्गत आता है। अतः हम इन राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। किंतु ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पूरे देश को शामिल किया गया है।

**श्री सन्दीप दीक्षित** : सबसे पहले मैं सरकार को इस मिशन के बारे में सोचने के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैंने उन कार्यक्रमों

को पढ लिया है जिनका उल्लेख ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। क्या इस मिशन को पंचायती राज संस्थाओं में मिलाया जा रहा है? हमने ऐसे अनेक कार्यक्रम देखे हैं जो पंचायती राज प्रणाली के समानान्तर थे। बहुधा हमें पंचायती राज प्रणाली के बाहर धनराशि के अन्यत्र उपयोग की समस्या आती है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नियोजन में क्या हम देश भर में पंचायती राज प्रणाली के साथ इस मिशन को शामिल कर रहे हैं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : इस कार्यक्रम का एकीकरण विभिन्न मंत्रालयों के अनेक कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज के साथ किया जाता है। आशा की इस अवधारणा के अंतर्गत भी उसका चयन ग्रामों में पंचायत के लोगों द्वारा किया जाएगा। पंचायत के मुखिया तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उपकेन्द्रों के मध्य सीधा संबंध होगा। हम प्रत्येक उप केन्द्र को लगभग दस हजार रुपए देने की योजना बना रहे हैं जिसकी देखभाल सहायक नर्स धात्रियों और पंचायत के मुख्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। यह पूर्ण रूप से एक बुनियादी कार्यक्रम है जिसे पंचायती राज प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रदीप गांधी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के 'ग' भाग के उत्तर में उल्लेख किया है कि प्रत्येक पंचायत में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की नियुक्ति की जायेगी। इसके पूर्व भी केन्द्रीय सरकार की ओर से अनेक योजनायें ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए संचालित की गई हैं। उनमें एक जन स्वास्थ्य रक्षक नामक कार्यकर्त्ता की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी जिन्हें प्रतिमाह 50 रुपये मानदेय दिया जाता था। उनकी ट्रेनिंग पर सरकार द्वारा लाखों–करोड़ों रुपये खर्च किये गये। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या उन पुराने व्यक्तियों का इस ग्रामीण स्वास्थ्य योजना मिशन में उपयोग किया जायेगा या नहीं? अभी विदेशों से सहायता प्राप्त कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को 'मिड–वाइफ' के रूप में प्रशिक्षण देकर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की गई थी, क्या उन सब का उपयोग भी इस कार्यक्रम में किया जायेगा क्योंकि उनके प्रशिक्षण में करोड़ों रुपये सरकार द्वारा व्यय किये गए थे। जब कोई नया कार्यक्रम लिया जाता है, तो उस नये कार्यक्रम में नये व्यक्तियों को तैयार करने की पहल की जाती है, जिन पर करोड़ों–अरबों रुपया व्यय किया जाता है। क्या इस कार्यक्रम में उन तमाम पूर्व प्रशिक्षित व्यक्तियों की क्षमताओं का उपयोग किया जायेगा या नहीं?

*[अनुवाद]*

**डा. अंबुमणि रामदास** : महोदय, बुनियादी 'आशा' अवधारणा यह है कि उसे कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। कुछ मामलों में इसमें भी छूट दी जा सकती है। उसकी नियुक्ति गांव के मुखिया ग्राम पंचायत जिसमें स्वसहायता समूह और सहायक नर्स धात्रियां शामिल होंगी। वह गांव की बहू होनी चाहिए और उसे गांव में रहना चाहिए। किन्हीं मौजूदा प्रशिक्षित महिलाओं को भी इसमें लगाया जाएगा। यदि वे पात्र पाई गईं तो उन्हें कार्यक्रम में लिया जाएगा। हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। इसलिए जो इसका पात्र है तो हम उसे निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे जिसमें सहायक नर्स धात्रियां शामिल होंगी। महोदय, आज हमारे पास मोटे तौर पर देश में 500,000 सहायक नर्स धात्रियां हैं। वे पहले से इस कार्यक्रम में हैं। हम निश्चित रूप से उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रदीप गांधी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर नये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के नाम पर करोड़ों रुपये व्यय नहीं करने चाहिए। जब सरकार इस पर स्पैसिफिक आदेश निकाले तो उस आदेश में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फलां–फलां केटेगरी के लोग पूर्व में प्रशिक्षित मौजूद हैं, आज उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं होता है ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रधानमंत्री ही उन्हें आदेश दे सकते हैं, मैं नहीं।

**डा. अंबुमणि रामदास** : इस कार्यक्रम में 'आशा' को सरकार द्वारा तनख्वाह नहीं दी जायेगी। प्रारम्भ में हम उसे मात्र एक सौ रुपये का पारिश्रमिक दे रहे थे। काम के अनुसार और जो काम वह करती है, उसे उसका भुगतान किया जाएगा। यदि वह महिलाओं की गैर प्रसव जांच करती है तो उसे थोड़ी धनराशि दी जाएगी। वह अपने काम के अनुसार धनराशि अर्जित करेगी। हम उसे ऐसे ही किसी धनराशि का भुगतान नहीं करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री आलोक कुमार मेहता** : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से मिलता–जुलता प्रश्न है। मैं जितना समझ सका हूं, उस हिसाब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वौलैंटरी एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ मिशन है। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यों में ग्राम स्तर पर गैर–सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा स्वास्थ्य रक्षकों को भी रोजगारोन्मुखी जिम्मेदारी दिये जाने की योजना है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। आपने प्रश्न पूछ लिया है। क्या आप गैर सरकारी संगठनों पर विचार कर रहे हैं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : गैर सरकारी संगठन ही नहीं, गैर–सरकारी क्षेत्र का इस कार्यक्रम में सह चयन किया जाएगा। हमारे पास गैर–सरकारी संगठनों के लिए अनेक योजनाएं हैं। हमने गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, और गैर–सरकारी क्षेत्र के साथ उच्चस्तरीय बातचीत की है।

**डा. रामचन्द्र डोम** : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद! समस्या धनराशि की नहीं है। यद्यपि धनराशि एक महत्वपूर्ण घटक है फिर भी ग्रामीण अवसंरचना और श्रमिक शक्ति वास्तव में आज भी एक समस्या है। विशेष रूप से पिछड़े, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में उपकेन्द्रों की कमी है। महोदय, पुरूष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की कमी है। ये लोग प्रशिक्षित होते हैं। आप बहुतेरे लोगों को नहीं लगा सकते। तथापि यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप का प्रश्न क्या है?

**डा. रामचन्द्र डोम** : महोदय, मैं जानता हूं कि एक नई प्रणाली शुरू होने जा रही है। किन्तु मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आजतक इस अन्तराल को भरने के लिए प्रशिक्षित पुरूष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की व्यवस्था करके पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उपकेन्द्रों के अंतराल को भरने के लिए मंत्रालय के साथ कोई ठोस और व्यापक प्रस्ताव है।

**डा. अंबुमणि रामदास** : आज हमारे पास देश भर में मोटे तौर पर लगभग 145000 उपकेन्द्र हैं। इससे 3000 से 5000 लोगों – पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 लोगों और विभिन्न क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में 5000 लोगों की व्यवस्था होती है। कुछ क्षेत्रों में हमें कुछ और उपकेन्द्रों की आवश्यकता है। किन्तु हम राज्य स्तर पर मौजूदा उपकेन्द्रों के साथ अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

सहायक नर्स धात्रियों के संबंध में केन्द्र सरकार उनके वेतन का भुगतान कर रही है जबकि पुरूष स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं के मामले में राज्य सरकार उनके वेतन का भुगतान करती है। आज देश भर में चालीस प्रतिशत से कम पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता हैं क्योंकि राज्य सरकार उनके वेतन का भुगतान नहीं करती और न नए पुरूष स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं की भर्ती करती है। हमें इस पर व्यापक ध्यान देना होगा। वास्तव में हम अपने आप से यह चर्चा कर रहे हैं कि हम इसके लिए कैसे अतिरिक्त बजटीय आबंटन कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**डा. रामचन्द्र डोम** : वास्तविक समस्या तो पुरूष स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं की है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें आपकी समस्या की जानकारी है और वह इस पर चर्चा करेंगे।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : महोदय, प्रश्न का भाग 'घ' पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपने स्थान पर बैठे हैं? क्षमा करें, आप अपने स्थान पर नहीं हैं। आप अपने स्थान पर जाइए और प्रश्न पूछिए।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : ठीक है, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : मुझे अतिरिक्त समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कुछ असाधारण नहीं किया है। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं। यह तो नियमों में है, दिशानिर्देशों में है, और हैंडबुक में है जिसका उल्लंघन किया गया।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : मैं अपने स्थान पर न होने के लिए माफी मांगता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं, हम सीख रहे हैं।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : प्रश्न का भाग 'घ' पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। इस तथ्य को छोड़कर कि देश भर में और कदाचित ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में डाक्टरों और दवाईयों की अत्याधिक कमी है। विशेषकर महिला डाक्टरों के मामले में तो यह स्थिति दयनीय है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह अवगत हैं कि जनसंख्या और दूरी का यह मानदंड पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग पूर्णरूप से अप्रासंगिक है। आपने एक उपकेन्द्र के लिए 3000 लोगों के आंकड़े का उल्लेख किया है। उत्तरांचल में जनसंख्या मानदंड के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जा सकते। कोटा इस परिणाम के साथ पूरा है कि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचने में लगभग पूरा दिन चलना पड़ता है। इसलिए जब तक इन सभी कार्यक्रमों में आप इस पहलु पर ध्यान नहीं देते तब तक कुछ नहीं होगा। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि वे ऐसे प्रतिबंध से विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। यदि उन्हें इसकी जानकारी है तो वह इसके बारे में क्या कर रहे हैं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य से सहमत हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में और वास्तव में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी हमारे अनेक भूगोलीय स्थल हैं जहां व्यक्तिगत भूभाग में लोग फैले हुए हैं और हमारे पास उपकेन्द्र नहीं हैं। सरकार अगले कुछ वर्षों में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। वास्तव में जनगणना 2001 में जनसंख्या के अनुसार देश भर में उपकेन्द्रों की संख्या 21983 से अधिक करने की योजना बनाई है। हम सर्वेक्षण के अनुसार काम कर रहे हैं। वास्तव में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा, सहायक नर्स धात्रियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की जाएगी। आज राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत मलेरिया, क्षयरोग और ऐसे ही रोगों के लिए औषधियां उपलब्ध हैं ..*(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जनसंख्या मानदण्ड और दूरी मानदण्ड बदलने पर विचार कर रहे हैं?

**डा. अंबुमणि रामदास** : जनसंख्या मानदण्ड बदलने का कोई प्रश्न औचित्य नहीं है। हम लोग सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं और वही हम लोग कर रहे हैं।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : यदि मैं निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पात्र नहीं हूं तो आप उसे कैसे बढाएंगे?

*[हिन्दी]*

### बी.एस.एन.एल. मोबाइल फोन उपभोक्ता

***185. श्री संतोष गंगवार** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल फोन के कितने उपभोक्ता हैं;

(ख) क्या सभी आवेदकों को मांग के अनुसार तत्काल मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

*[अनुवाद]*

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन)** : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### *विवरण*

(क) 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार, देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 88,46,477 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) व्यापक कवरेज, प्रचालन में पारदर्शिता और बेहतर सेवा के कारण बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं का जनता ने अच्छा स्वागत किया है। परिणामस्वरूप, अधिकांश राज्यों में क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया गया है। 2005 के दौरान, बीएसएनएल, अपने सेल्युलर नेटवर्क की क्षमता का 12 मिलियन लाइनों से विस्तार कर रहा है। आशा है कि निकट भविष्य में तकनीकी औचित्य के अध्यधीन कनेक्शन मांग पर उपलब्ध कराएं जा सकेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** : माननीय अध्यक्ष जी, सूचना के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, उसके परिणामस्वरूप हम सबकी जानकारी में है और देश के अंदर प्रति माह इतने अधिक मोबाइल कनैक्शंस लिये जा रहे हैं, हम सब उससे परिचित हैं। मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता, परंतु मैंने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मोबाइल सेवा का लोग स्वागत करते हैं और नये कनैक्शंस ले रहे हैं। इसके बावजूद वे मोबाइल कनैक्शंस की प्रतीक्षा सूची में हैं।

पहली बात मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रत्येक राज्य के अनुसार वेटिंग लिस्ट क्या है? दूसरी बात कि उस वेट लिस्ट को पूरा करने के लिए क्या कोई पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं? मुझे जानकारी है कि प्रत्येक राज्य में वेटिंग लिस्ट है, उसे कैसे क्लीयर किया जाएगा? आपके मंत्रालय ने इस संबंध में शायद कोई नीति नहीं बनाई है। मैं जानना चाहूंगा कि राज्यवार वेटिंग लिस्ट को क्लीयर करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात कह दी है। अब अधिक समय नहीं है।

**श्री संतोष गंगवार** : मैं जानता हूं। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। आप बहुत ही सहयोगी सदस्य हैं।

**श्री तथागत सत्पथी** : महोदय, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बी.एस.

एन.एल. के कर्मचारियों का है। मंत्री महोदय को उनके बारे में हमें बताना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बहुत अनुशासित सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह प्रस्ताव किया था। थोड़ी गड़बड़ हुई है। इस बारे में बातचीत करके सोचना है।

*[अनुवाद]*

बिना परामर्श किए कुछ भी नहीं किया जाएगा। प्रश्न का जवाब दीजिए।

**श्री दयानिधि मारन** : यह सच है कि भारत की जनता के बीच बी.एस.एन.एल. की सेवा की सर्वाधिक मांग है। इसके प्रति भारत के लोगों में आदर और भरोसा है। महोदय, हम लोगों ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों से हमें शिकायत मिली है कि सिम कार्ड ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं और इसकी सेवाएं सहजता से नहीं मिल रही हैं।

महोदय, विभाग को यह जानकारी है और हम लोग 12 मिलियन नई लाइनें शुरू करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया मई माह में शुरू हो जाएगी। महोदय, मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि छह महीने की समयावधि में बी.एस.एन.एल. मोबाईल फोन मांग के अनुरूप उपलब्ध होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आज से छः महीने की समयावधि में?

**श्री हरिन पाठक** : सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको उचित जवाब मिल गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** : मैं चाहता हूं कि इसकी प्रतीक्षा सूची को क्लीयर करने हेतु कोई नीति बनाई जाए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि लैंडलाइन टेलीफोन लेने वालों की संख्या में कमी आ रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

*[अनुवाद]*

**श्री दयानिधि मारन** : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लैंडलाइन फोन की मांग में गिरावट आ रही है। महोदय इसका कारण यह है कि लोगों का झुकाव मोबाईल फोन की ओर है क्योंकि उन्हें वह अधिक सुविधाजनक लगता है।

**श्री संतोष गंगवार** : उनकी सेवाएं ठीक नहीं हैं।

**श्री दयानिधि मारन** : माननीय सदस्य मुझे मेरा जवाब पूरा कर लेने दीजिए। महोदय, हमें लगता है कि लोगों को लैन्डलाईन फोन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महोदय हम लोगों ने ब्रॉडबैंड सेवा की शुरूआत की है जिसके माध्यम से ग्राहक लैंडलाईन फोन का प्रयोग करने के साथ–साथ इन्टरनेट सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। महोदय, हम लोग लैंडलाइन सेवा को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : कुंवर जितिन प्रसाद – उपस्थित नहीं।

**श्री उमर अब्दुल्लाह** : जम्मू और कश्मीर राज्य को कई वर्षों तक मोबाईल सेवा से वंचित रखा गया। हाल ही में जम्मू और कश्मीर को मोबाईल सेवा प्रदान की गई है। आज भी, वहां मांगों की एक लम्बी फिहरिस्त है, और सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रिपेड सिम कार्ड उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और भी निवेश किया जाने वाला है, क्या प्रिपेड सिम कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे, और क्या प्रतीक्षा सूची को समाप्त किया जाएगा।

**श्री दयानिधि मारन** : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैं इसके बारे में और बता सकता हूं। महोदय, अगले तीन वर्षों में 160 मिलियन टेलिफोन लाइनें प्रदान करने की हमारी योजना है और उसमें से लगभग पचास प्रतिशत बी.एस.एन.एल. लेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : जम्मू और कश्मीर शामिल है? मुझे आपका उत्तर मिल गया है। श्रीमती नीता पटैरिया। क्या आप उपस्थित हैं? अपना प्रश्न पूछिए।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती नीता पटैरिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष कितने प्रीपेड और पोस्टपेड सिम प्रदान किए गए हैं, इसकी जिलेवार जानकारी दी जाए। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि हमारे जिले में क्या केवल दो सौ सिम प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उपभोक्ताओं को सिम प्रदान कराने हेतु क्या सांसदों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का विचार है? यदि हां, तो वह कोटा कितना है?

*[अनुवाद]*

**श्री दयानिधि मारन : महोदय,** किसी सदस्य को कोई कोटा देने की हमारी कोई योजना नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि मई माह से हम लोग लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। छह महीने की समयावधि में मांग से संबंधित सभी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### ग्रामीण टेलीफोन की दरों में वृद्धि

***182. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन शुल्क में हाल में की गई वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन दरें और जमानत प्रभार अब शहरी क्षेत्रों के बराबर हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रस्तावों पर पुनर्विचार करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण शुल्क, टेलीफोन कॉल प्रभार और टेलीफोन के किराए में कमी करके पूर्व स्थिति को बहाल करना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) :** (क) जी, नहीं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की टेलीफोन दरों का संबंध है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में वहां मासिक किराया कम तथा मुफ्त कॉलों की संख्या अधिक है।

17.5.2004 से, नये कनेक्शनों हेतु प्रतिभूति जमा प्रणाली अब सरल बनायी जा चुकी है। इस संबंध में एक तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ये दरें 31.3.2005 तक लागू रहेंगी। मौजूदा उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकरण शुल्क, टेलीफोन कॉल प्रभार एवं टेलीफोन किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः इन प्रभारों पर पुनर्विचार करने तथा इन्हें कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार/बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं में सुधार लाने हेतु चरणबद्ध रूप से कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

*विवरण-I*

*प्रतिभूति जमा-राशि संबंधी तुलना*

| एक्सचेंज क्षमता | 16.05.2004 तक प्रतिभूति जमा-राशि |  |  |  | 17.05.2004 तक प्रतिभूति जमा-राशि |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ग्रामीण |  | शहरी |  | ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए |  |  |
|  | मासिक किराया | प्रतिभूति जमा | मासिक किराया | प्रतिभूति जमा | स्थानीय+95 | स्थानीय+ एसटीडी | स्थानीय+ एसटीडी+ आईएसडी |
| <1000 लाइन | 50 | 600 | 120 | 1440 | 1000 | 2000 | 3000 |
| >1000 लाइन < 30000 लाइन | 110 | 1320 | 120 | 1440 | 1000 | 2000 | 3000 |
| >30000 लाइन <100000 लाइन | 150 | 1800 | 180 | 2160 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 100000 लाइन एवं इससे अधिक | 210 | 2520 | 250 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |

संशोधित प्रतिभूति जमा की प्रमुख विशेषताएं:—

1. मौजूदा उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की प्रतिभूति की जमा–राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

2. संशोधन, 17.5.2004 से 31.3.2005 के दौरान लिए गए नये कनेक्शनों के लिए ही लागू है।

3. संपूर्ण सर्किल/राज्य में, 95 स्तरों पर स्थानीय कॉलों व सभी कॉलों के लिए 1000/– रु. प्रतिभूति जमा–राशि निर्धारित की गई है।

4. अधिकांश ग्रामीण उपभोक्ताओं को एसटीडी एवं आईएसडी कॉलों हेतु मान्य 2000/– रु. या 3000 रु. की प्रतिभूति जमा–राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

### *विवरण-II*

*सरकार/बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं में सुधार लाने हेतु चरणबद्ध रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—*

**(क) सरकार द्वारा उठाए गए कदम :**

(i) वायरलेस लोकल लूप प्रौद्योगिकी के माध्यम से अल्प दूरी प्रभारण (एसडीसीए) क्षेत्र के लिए "अम्ब्रेला कवरेज" योजना तैयार की गई है।

(ii) देश के सुदूर दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपग्रह–आधारित–ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना तैयार की गई है।

(iii) 2.5 कि.मी. के घेरे में 75 से अधिक पंजीकृत मांग वाले क्षेत्र में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना तैयार की गई है।

(iv) 5 कि.मी. के घेरे वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का कवरेज बढ़ाने की योजना तैयार की गई है।

(v) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने भविष्य में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोन उपलब्ध कराने की एक और योजना तैयार की है।

(vi) सरकार सभी लोगों को वहनीय एवं उचित कीमतों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं की अभिगम्यता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

(vii) सरकार "वॉयस एवं लो स्पीड डाटा सेवाएं" प्रदान करने संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत है।

(viii) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणाली पर आधारित सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को विश्वस्त प्रौद्योगिकी से बदले जाने की योजना बनाई गई है।

(ix) सभी 256 पोर्ट एक्सचेंजों को "सिंगल–बेस्ड–मोड्यूल (एसबीएम)" में परिवर्तित किया जाना है।

(x) मौजूदा एसबीएम एक्सचेंजों को रिमोट स्विचिंग यूनिटों (आरएसयू) में बदला जाएगा।

(xi) वित्तीय वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के बजटीय प्रावधान के तहत आबंटित क्रमशः 300 करोड़ रु. तथा 200 करोड़ रु. की राशि का वितरण कर दिया गया है।

(xii) इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए आबंटित 1200 करोड़ रु. की राशि का वितरण किया जा चुका है।

(xiii) इस समय देश के 66822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं, जिनमें आबादी रहित, नक्सल/उपद्रव प्रभावित, 100 से कम की आबादी वाले और घने जंगलों में अवस्थित गांव शामिल नहीं हैं। इन शेष गांवों में उपग्रह प्रणाली पर आधारित अथवा अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का कार्य प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के कार्यालय द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। इस कार्य को चरणबद्ध रूप से तीन वर्ष के भीतर अर्थात् नवम्बर, 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(xiv) बीएसएनएल ने सभी गांवों को उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों एवं डब्ल्यूएलएल उपस्कर उपलब्ध कराने हेतु निविदा को अंतिम रूप दे दिया है। बीएसएनएल द्वारा पहाड़ी राज्यों के अधिकांश गांवों में, सार्वभौमिक सेवा निधि की सहायता से, उपग्रह पर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन व डब्ल्यूएलएल उपस्कर की आपूर्ति हेतु आर्थिक अग्रिम क्रयादेश जारी कर दिए गए हैं।

**(ख) बीएसएनएल के द्वारा उठाए गए कदम :**

(i) विश्वस्त डिजीटल माध्यमों से सभी एक्सचेंजों को जोड़ना।

(ii) भूमिगत पेपर कोर केबलों को चरणबद्ध रूप से अन्य प्रणालियों से बदलना।

(iii) इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) पर आधारित केन्द्रीकृत दोष बुकिंग अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी) में करना।

(iv) दैनिक आधार पर टेलीफोन एक्सचेंजों/माध्यमों को निगरानी निष्पादन।

(v) सी–डॉट की 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एन–आरएएक्स (अभिगम नेटवर्क–ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज) में बदलना।

(vi) बैकअप पावर सप्लाई हेतु अनुरक्षण मुक्त बैटरी सेटों एवं इंजिन अल्टनेटरों की व्यवस्था।

(vii) फिक्सड वायरलेस टेलीफोन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डब्ल्यूएलएल उपस्करों हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) तथा नई आपूर्तियों के संबंध में वार्षिक अनुरक्षण संविदा की व्यवस्था।

(viii) अधिक "टॉक टाइम" और "स्टैंडबाई टाइम" के लिए एफडब्ल्यूटी के साथ उच्च क्षमता वाली बाह्य अनुरक्षण मुक्त बैटरी की व्यवस्था।

(ix) एफडब्ल्यूटी के बैटरी चार्जर के 90–300 वी के वोल्टेज रेंज में चलाना।

*[हिन्दी]*

### मलेरिया और हैजे की रोकथाम

***186. श्री सुनिल कुमार महतो :**
**श्री बीर सिंह महतो :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों का बना रहना इन बीमारियों की रोकथाम में जन स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की विफलता और सरकारी तत्परता में कमी का द्योतक है;

(ख) क्या हैजा और मलेरिया के मरीजों को मुआवजा दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य देखरेख की विफलता के परिणामस्वरूप जानलेवा बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):** (क) से (ग) हैजा और मलेरिया जैसे रोग पर्यावरणिक स्वास्थ्य के अनुरक्षण, सफाई व्यवस्था, निरापद पदार्थ के उपभोग तथा पेयजल से जुड़े हुए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो तथा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़ों से निर्दिष्ट होता है कि हैजा रोगियों की संख्या घटती–बढ़ती रही है जो 2002 में 3455, 2003 में 2893 तथा 2004 में 4695 थी जबकि मलेरिया रोगियों की घटना 1996 में 3.04 मिलियन रोगी से घटकर 2003 में 1.87 मिलियन हो गई है।

स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से हैजा इत्यादि जैसे जल जनित रोगों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। असुरक्षित पेय जल, खराब सफाई–व्यवस्था और पर्यावरणिक स्वास्थ्य जल जनित रोगों के कुछ कारण हैं। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवारक उपायों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था, वैयक्तिक और सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार, मानव मल–मूत्रों का सुरक्षित निपटान, उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा निगरानी तथा मानिटरिंग शुरू करना, क्लोरीन गोलियों और ओ आर एस पैकेटों का वितरण इत्यादि शामिल है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो मलेरिया सहित प्रमुख वेक्टर जनित रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं वस्तुगत सहायता देती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। सहायता वस्तुगत तथा नकद रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना जो आन्ध्रप्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उडीसा जैसे आठ समस्याग्रस्त राज्यों में शुरू की गई, के अंतर्गत भी 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मलेरिया नियंत्रण कार्यनीतियों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सामुदायिक स्वयंसेवकों के माध्यम से शीघ्र उपचार के लिए मलेरिया–रोधी औषधें देना और समेकित वेक्टर नियंत्रण जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च जोखिम वाले पाकेटों में इनडोर अवशिष्ट छिड़काव तथा शहरी क्षेत्रों में लार्वानाशी छिड़काव शामिल हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग, पर्यावरणिक उपाए, क्षमता निर्माण, सूचना शिक्षा एवं संचार शामिल हैं।

भारत सरकार ग्रामीण तथा शहरी पेयजल आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण सफाई अभियान, स्कूल सफाई तथा स्वास्थ्य शिक्षा और निम्न लागत सफाई योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान कर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा हैजा सहित संचारी रोगों के प्रकोपों की निगरानी, शीघ्र पहचान तथा निवारण और नियंत्रण भी करता है। पेय जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा तकनीकी सहायता दिए जाने की भी परिकल्पना है। सरकार ने रोगों की शीघ्र पहचान तथा इनके फैलाव को रोकने हेतु तीव्र

अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रोग निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए एक समेकित रोग निगरानी परियोजना शुरू की है। इस तरीके से रोगियों की घटना को नियंत्रित करने की आशा है।

### सेलफोनों से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव

***187. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्रीमती अनुराधा चौधरी :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सेलफोन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है, जैसाकि 24 जनवरी, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" अखबार में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में सभी सेलफोन विनिर्माताओं को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सेलफोन के अत्याधिक उपयोग से उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) :** (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन मोबाइल फोन के प्रयोग और इसके प्रभावों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए अनुसंधान कर रहा है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेंसियों के प्रकाशित साहित्य के अनुसार मानव स्वास्थ्य पर मोबाइल फोनों के प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई निश्चायक सबूत नहीं है।

(ग) से (ङ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

### रक्त का आयात

***188. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
**श्री श्रीपाद येसो नाईक :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्त का आयात करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान रक्त की मात्रा सहित उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे रक्त का आयात किया गया है;

(ग) क्या कुछ देशों से आयात किया गया रक्त संक्रमित था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में रक्त की वार्षिक आवश्यकता कितनी है, तथा घरेलू आपूर्ति और आयात से इसे कितना पूरा किया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):** (क) से (च) देश में रक्त का आयात नहीं किया जाता है। तथापि, मानव प्लाज्मा से उत्पन्न रक्त उत्पाद संयुक्त राष्ट्र अमरीका, इंग्लैंड, फिनलैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी, कोरिया, स्विटजरलैंड, चीन, हंगरी, इजरायल, इटली आदि देशों से आयात किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयात किए गए रक्त उत्पादों का विवरण संलग्न है। वर्तमान में देश में रक्त उत्पादों का कोई विनिर्माता नहीं है इसलिए देश में मुख्यतया इम्यूनोग्लोबीन, मानव एल्ब्यूमीन और एण्टी हीमोफिलिक फेक्टर नामक रक्त उत्पाद आयात किया जाता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा कराई गई जांचों से पता चला है कि मेसर्स बायो प्रोडेक्ट लेबोरेटरी, यू.के. द्वारा विनिर्मित विगम एस 5 ग्रा. (ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबीन) बैच न. वीजीसी 085 के 22 वाइल का भारत में यू.के. के एक रक्तदाता द्वारा आयात किया गया था जिसके कारण बाद में विविध किरियुटजफेलटड-जैकब डीजिज (वीसीजेडी) पैदा हुई। मैसर्स बायो प्रोडेक्ट लेबोरेटरी, यू.के. ने इसकी खेप 1997 में मैसर्स जेनेक्स कैमिकल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को निर्यात किया था। उक्त खेप के विनिर्माण की तारीख जुलाई, 1997 थी और उसकी मियाद समाप्ति की तारीख अगस्त, 1999 थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार रक्त उत्पादों के माध्यम से वीसीजेडी के संचरण का कोई प्रामाणिक उदाहरण नहीं है। सरकार को देश में अभी तक रक्त उत्पादों के माध्यम से वीसीजेडी होने की काई घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, आयातित रक्त उत्पादों के कारण होने वाले किसी प्रकार के संक्रमण की रोकथाम के लिए औषध एवं प्रसाधन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रावधान बनाए गए हैं। जिनमें आयात से पहले विनिर्माण स्थल और उत्पादों का

पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई है। पंजीकरण से पहले विशेषज्ञों द्वारा उत्पाद संबंधी दस्तावेजों (डोजियर्स) की जांच की जाती है। खेप जारी करने से पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा में प्रत्येक बैच के नमूनों की एचआईवी 1 और 2, एचबीएसएजी और एचसीवी से मुक्त होने संबंधी जांच की जाती है। औषध का आयात करने से पहले प्रत्येक खेप की आंशिक रूप से (समरी प्रोटोकोल्स) की पत्तन अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

देश में रक्त की वार्षिक आवश्यकता लगभग 6 मिलियन यूनिट है जो देश में समग्र रूप से स्वैच्छिक अथवा प्रतिस्थापन रक्तदाताओं से पूरी की जाती है और रक्त का आयात नहीं किया जाता है।

### *विवरण*

*पिछले तीन वर्षों में आयात किए गए रक्त उत्पाद*

| क्र.सं. | देश | उत्पाद का नाम | मात्रा | मूल्य (रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आस्ट्रिया | ह्यूमन सीरम अल्बूमिन | 282239 शीशियां | 422331300 |
| | | ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन | 10038 शीशियां | 1859494 |
| | | टिसल किट | 4493 शीशियां | 1797200 |
| | | ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबुलिन | 7600 शीशियां | 24440624 |
| | | ह्यूमन एन्टी–डी इम्यूनोग्लोबुलिन | 31010 शीशियां | 62020004 |
| | | एन्टी हेमोफिलिक फैक्ट्स VII और IX | 50195 शीशियां | 65117076 |
| 2. | चीन | ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबुलिन | 31000 शीशियां | 34897586 |
| 3. | फिनलैंड | ह्यूमन सीरम अल्बूमिन | 49286 शीशियां | 46303078 |
| 4. | जर्मनी | ह्यूमन सीरम अल्बूमिन | 17385 शीशियां | 23893137 |
| | | ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबुलिन | 3773 शीशियां | 30942669 |
| | | एन्टी हेमोफिलिक फैक्ट्स VIII | 723 शीशियां | 771967 |
| | | ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन | 1000 शीशियां | 1380099 |
| 5. | हंगरी | ह्यूमन सीरम ग्लोबलिन बल्क प्रोडक्ट्स | 1200 किग्रा. | 49345148 |
| 6. | इटली | ह्यूमन सीरम अल्बूमिन | 8300 शीशियां | 6732256 |
| | | टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन बल्क | 184.68 किग्रा. | 133607148 |
| | | एन्टी–डी पोलीक्लोनल | 26.96 किग्रा. | 51718234 |
| 7. | इस्राइल | ह्यूमन सीरम अल्बूमिन | 6000 शीशियां | 5607060 |
| | | ह्यूमन एन्टी–डी इम्यूनोग्लोबुलिन | 30600 शीशियां | 21577197 |
| 8. | कोरिया | ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबुलिन | 8124 शीशियां | 10572086 |
| 9. | रूस | ह्यूमन नार्मल इम्यूनोग्लोबुलिन मोनोक्लोनल | 76000000 एमसीजी | 65071908 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | यू.के. | ह्यूमन नार्मल अल्बूमिन | 99407 शीशियां | 122696268 |
| | | ह्यूमन नार्मल इम्यूनोगोबुलिन | 1920 शीशियां | 8454953 |
| | | एन्टी हेमोफिलिक फैक्ट्स VIII | 3820 शीशियां | 6586460 |
| 11. | अमरीका | ह्यूमन सीरम अल्बूमिन | 36386 शीशियां | 3882326 |
| | | ह्यूमन एन्टी–डी इम्यूनोग्लोबुलिन | 77335 शीशियां | 76559597 |

*[अनुवाद]*

## सेल्यूलर आपरेटरों द्वारा शुल्क लौटाया जाना

***189. श्री गणेश प्रसाद सिंह :**

**श्री आलोक कुमार मेहता :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्यागिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में सभी सेल्यूलर आपरेटरों को प्रयोक्ताओं से अन्य सेल्यूलर सेवा में स्थानांतरित होने पर वसूले गए शुल्क को लौटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी निदेश का सेल्यूलर आपरेटरों द्वारा पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) :** (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 28.7.1999 को दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में चौथा संशोधन अधिसूचित किया था, जिसमें उपभोक्ता द्वारा एक प्रशुल्क पैकेज से दूसरे प्रशुल्क पैकेज को अपनाने पर सेवा प्रदाताओं को उस पर कोई शुल्क लगाने से मना किया था। इस संशोधन आदेश के उपबंधों के अनुसार "किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा संस्थापन प्रभार तभी लगाया जाएगा जब कोई उपभोक्ता शुरू में सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क पैकेजों में अंशदान करता है। उपभोक्ता पर कोई संस्थापन प्रभार नहीं लगाया जाएगा जब वह किसी विशेष सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित उसके किसी एक पैकेज को छोड़कर दूसरे पैकेज को अपनाता है।" तथापि, यह उल्लेखनीय है कि ये आदेश लागू नहीं होंगे जब कोई उपभोक्ता एक सेवा प्रदाता को छोड़कर किसी दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं लेता है।

ट्राई को इन आदेशों की अनुपालना सेवा प्रदाताओं से कराए जाने की शक्तियां प्राप्त हैं और वह इसकी निगरानी प्रशुल्क रिपोर्टों और उपभोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से करता है। जब कभी उपभोक्ता द्वारा किसी एक सेवा को छोड़कर दूसरी सेवा को अपनाने पर सेवा प्रदाता द्वारा स्थानांतरण शुल्क लगाए जाने की कोई घटना ट्राई की निगाह में आई है, तो उसने इस संबंध में आदेश/निदेश जारी किए हैं। अब तक प्राधिकरण ने 6 मामलों में स्थानांतरण शुल्क वापसी के आदेश जारी किए हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) सभी सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए दिनांक 15.3.2001 के निदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं से स्थानांतरण शुल्क और डब्ल्यू पी सी प्रभारों को वसूलने के प्रावधान से संबंधित विवरण को सभी दस्तावेजों से हटाया जाए तथा दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (चौथा संशोधन) लागू होने की तारीख अर्थात् 1.5.1999 के बाद से उपभोक्ताओं से वसूली गई ऐसी कोई रकम उन्हें वापस कर दी जाए।

(ii) आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड को जारी दिनांक 1.1.2004 का आदेश।

(iii) भारती सेल्यूलर लिमिटेड को जारी दिनांक 1.1.2004 का आदेश।

(iv) रिलायंस इन्फोकॉम को जारी दिनांक 1.1.2004 का आदेश।

(v) आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड को जारी दिनांक 26.10.2004 का आदेश।

(vi) भारती सेल्यूलर लिमिटेड को जारी दिनांक 26.10.2004 का आदेश।

(ग) और (घ) सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण द्वारा जारी वसूले गए शुल्क की वापसी संबंधी आदेशों/निदेशों का पालन किया है तथा उपर्युक्त (i) से (v) तक में उल्लिखित मामलों में शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उपर्युक्त (vi) में उल्लिखित मामले में

भारती सेल्यूलर लिमिटेड ने 98% उपभोक्ताओं को लगाया गया स्थानांतरण शुल्क वापस कर दिया है तथा शेष 2% प्रभावित उपभोक्ताओं, जिन्होंने एयरटेल नेटवर्क छोड़ दिया था, को स्थानांतरण शुल्क लौटाने संबंधी कार्रवाई कर रहा है। इन उपभोक्ताओं के मामले में प्राधिकरण ने 18.2.2005 को मै. भारती सेल्यूलर लिमिटेड को आगे और यह निदेश दिए हैं कि वे ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानांतरण शुल्क लौटाने की पेशकश करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन दें और शुल्क वापसी का दावा करने के लिए विज्ञापन जारी होने की तारीख से एक माह तक का समय दें। इस सेवा प्रदाता ने 24.2.2005 को अनेक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर शेष उपभोक्ताओं को शुल्क वापसी का दावा करने के लिए कहा है।

सामान्यतः सेवा प्रदाताओं ने शुल्क वापसी के लिए निम्नलिखित कार्य-प्रणाली अपनाई है:

(i) सक्रिय उपभोक्ताओं के मामले में शुल्क की वापसी आवश्यक समायोजन द्वारा अर्थात प्रीपेड उपभोक्ताओं के मामले में टॉक टाइम के रूप में और पोस्टपेड उपभोक्ताओं के मामले में अगले बिलिंग चक्र के बिल में समायोजन के रूप में शुल्क वापसी की धनराशि ग्राहक के खाते में जमा करके की गई।

(ii) जिन उपभोक्ताओं ने संबंधित सेवा प्रदाता की सेवा का उपयोग बंद कर दिया है उनके मामले में प्रत्येक ग्राहक को अलग-अलग चेक जारी करके स्थानांतरण शुल्क की राशि लौटा दी गई।

### सेवा विस्तार

***190. श्री एन.एन. कृष्णदास :**
**श्री एस. अजय कुमार :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत सरकार के कुछ खास सचिव पदों के कार्यकाल की अवधि निश्चित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सचिव भी 62 वर्ष तथा उसके बाद 64 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के पात्र हैं;

(घ) यदि हाँ, तो आज तक इस प्रकार सेवा विस्तार दिए गए व्यक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार के सेवा विस्तार में की गई किसी कथित अनियमितता का मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास लंबित है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आयोग द्वारा प्रख्यापित निर्णय क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) से (घ) सरकार को, भारत सरकार के सचिवों के कुछ पदों के संबंध में एक निश्चित कार्यकाल नियत करने के बारे में सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मूल नियम के नियम 56 (घ) के अंतर्गत, चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ 62 वर्ष की आयु तक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात वैज्ञानिक 64 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार के पात्र होते हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले किसी सचिव के नाम पर भी उपयुक्त सेवा विस्तार हेतु विचार किया जा सकता है।

मूल नियम 56 (घ) के अंतर्गत, पिछले तीन वर्ष के दौरान, सचिव स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को 62 से 64 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार दिया गया था:

डॉ. मंजु शर्मा, तत्कालीन सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, प्रो. वी.एस. राममूर्ति, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. आर.ए. माशेलकर, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, डॉ. के कस्तूरीरंगन, तत्कालीन सचिव, अंतरिक्ष विभाग, डॉ अनिल काकोडकर, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री जी. माधवन नायर, सचिव, अंतरिक्ष विभाग और डॉ. एच.के. गुप्ता, सचिव, महासागर विकास विभाग।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

### पारम्परिक औषधीय पौधों का पेटेंट करवाना

***191. श्री पी. मोहन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पीलिया की दवाई के रूप में प्रयुक्त होने वाले "कीझा नेल्ली" औषधीय रस जैसे हमारे पारम्परित औषधीय पौधों का भी विकसित देशों की भेषज कंपनियां पेटेंट करवा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हमारे पारम्परिक अधिकार की सुरक्षा हेतु कोई उपचारात्मक कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पारम्परिक औषधियों को बढ़ावा देने का है क्योंकि पेटेंट के दौर में जीवन–रक्षक औषधियों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) क्या आयुर्वेद और सिद्ध जैसी पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेन्ट और ट्रेड मार्क कार्यालय (यू एस पी टी ओ), यूरोपीय कार्यालय (ई पी ओ), जापान पेटेन्ट कार्यालय (जे पी ओ) और विश्व भर के डाटा बेसों की छानबीन के बाद प्राप्त सूचना के अनुसार पीलिया के लिए "कीझा नेल्ली" पादप जिसे भूमि आमलकी भी कहते हैं, के औषधीय प्रयोग को पेटेन्ट कर दिया गया है।

(ख) औषधीय पादपों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के दुर्विनियोजन के रोकने के प्रयोजनार्थ सरकार एक "पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टी के डी एल)" नाम की एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्राचीन साहित्य में किए गए उल्लेख के अनुसार औषधीय पादपों के पारंपरिक ज्ञान का अंकीय रूप में 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं यथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी और स्पेनी में लिप्यांतरण किया जा रहा है ताकि अप्रकटन अनुबंध के साथ पारंपरिक ज्ञान को, पेटेन्ट आवेदन पत्रों की संवीक्षा और उन्हें निरस्त करने के समय अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों के द्वारा उनकी प्राप्ति और सत्यापन किया जा सके।

(ग) सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की लोकप्रियता, समय की कसौटी पर परखी गई प्रभावोत्पादकता और प्राकृतिक/पादप आधारित औषधियों के प्रयोग में उनके प्रति वैश्विक आधार पर बढ़ती हुई रुचि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में संवर्धित एवं प्रचारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की समृद्ध जैव–विविधता और उसके विशाल प्रलेखित वैज्ञानिक साहित्य पर विचार करते हुए भारत पेटेन्ट के क्षेत्र में शेष विश्व के साथ कार्य करने हेतु अपनी सापेक्ष क्षमता और लाभ का दावा कर सकता है। इससे पेटेन्टीकृत औषधियों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।

(घ) और (ङ) केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रयोजित कई स्कीमों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। वे स्कीमें जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है उनमें शैक्षिक संस्थाओं का विकास, आंतरिक और बाह्यमूलक अनुसंधान, औषधीय पादपों की कृषि, भेषज संहिता प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, भेषजसंहिताओं और औषध योग संग्रह के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के लिए प्रोत्साहन, पाठ्यपुस्तकों और पांडुलिपियों का प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों में सहभागिता, अस्पताल और औषधालय, औषध गुणवत्ता नियंत्रण आदि शामिल हैं।

## अवैध भर्ती एजेंसियां

***192. श्री ए. वी. बेल्लारमिन :**
**श्री प्रहलाद जोशी :**

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रवासी श्रमिकों की कार्य दशाओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय अधिकारियों को अन्य देशों में भेजने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या प्रवासी श्रमिकों से विदेशों में दुर्व्यवहार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का मानव संसाधन विकास निर्यात परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा अनुमानित समयावधि क्या है;

(छ) क्या सरकार को अवैध भर्ती एजेंसियों के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(झ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (घ) प्रवासी भारतीय श्रमिकों की कार्य स्थितियों पर लगातार नजर रखी जाती है। खाड़ी क्षेत्र में शीघ्र ही आयोजित होने वाले कल्याण अधिकारियों और राजदूतों के सम्मेलन में उसकी आगे समीक्षा की जाएगी। सरकार प्रवासी श्रमिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के कई मामलों से अवगत है। उठाए गए तथा विचाराधीन कदमों में शामिल है:

1 हमारे दूतावासों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों के जरिए व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप;

2. अत्याधिक कष्टकारी मामलों में हस्तक्षेप हेतु दोनों पक्षों के सरकारी प्राधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए संबद्ध देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3. प्रवासी कामगारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव।

(ङ) और (च) उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2002 में केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना का प्रावधान था। 13वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक व्यपगत हो गया। अन्य विकल्प अभी विचाराधीन हैं।

(छ) से (झ) सरकार को अवैध भर्ती एजेंसियों के खिलाफ भी शिकायतें मिलती रहती हैं। 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (11.3.2005 तक) के दौरान क्रमशः 49, 25, 39 तथा 7 शिकायतें राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज कराई गई हैं। क्रमशः 40, 11, 9 तथा 4 मामलों में अभियोजन की अनुमति दी गई है।

## नेशनल डेडीकेटेड फ्रेट रेल कॉरीडोर

***193. श्री बसुदेव आचार्य :**
**श्री बी. विनोद कुमार :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 'नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी' के अंतर्गत 'नेशनल डेडीकेटेड फ्रेट रेल कॉरीडोर' का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी ऑपरेटरों द्वारा कॉरीडोर का निर्माण एवं संचालन किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) और (ख) समुद्री क्षेत्री (पत्तन, वाणिज्यिक पोत-परिवहन और अंतर्देशीय जल-परिवहन) के बारे में नीति के प्रारूप में, उत्तरी भारतीय पश्चभूमि से दक्षिणी भारत तक राष्ट्र को समर्पित किया जाने वाला मालगाड़ी-रेल-पथ (नेशनल डेडिकेटिड फ्रेट रेल कॉरिडोर) कायम किया जाना परिकल्पित है। राष्ट्र को समर्पित किए जाने वाले उपर्युक्त मालगाड़ी रेल-पथ को विभिन्न पत्तनों से जोड़ा जाएगा। उपर्युक्त नीति के प्रारूप में आगे यह परिकल्पना भी की गई है कि उपर्युक्त कॉरिडोर, गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाएगा और उसकी अपनी ही माल गाड़ियाँ होंगी, उसके अपने ही डिब्बे होंगे, उसका अपना ही संपूर्ण चल-स्टॉक होगा, उसके अपने ही इंजन होंगे, उसकी अपनी ही सिग्नल प्रणाली होगी, उसके अपने ही स्टेशन इत्यादि होंगे, किन्तु उसे रेलवे द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाना होगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपर्युक्त नीति, अभी प्रारूप के रूप में ही है और उपर्युक्त कॉरिडोर को कार्य करने लगने देने लायक बनाने से पहले उपर्युक्त नीति के प्रति सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिए जाने की आवश्यकता होगी।

## नई दूरसंचार नीति

***194. श्री उदय सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग वर्ष 2007 तक 250 मिलियन टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु एक नई दूरसंचार नीति पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार "यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड" में सेल्यूलर ऑपरेटरों को ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हिस्सेदार बनाने हेतु अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन)** : (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति, 1999 की घोषणा के बाद, भारत के दूरसंचार क्षेत्र में टेलीघनत्व की गति में तेजी से वृद्धि और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन देखने में आए हैं। टेलीघनत्व के 7.0 के लक्ष्य को निर्धारित समय से एक वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2007 तक 200-250 मिलियन टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएं। सरकार ने अक्तूबर, 2004 में अपनी ब्राडबैंड नीति घोषित कर दी है।

विभाग ने वर्ष 2007 तक 250 मिलियन टेलीफोन प्रदान करने के लक्ष्य के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सभी प्रचालकों को अपनी-अपनी कंपनियों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए भी कह दिया है।

(ग) और (घ) फिलहाल सेल्युलर प्रचालकों को अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में हिस्सेदारी की अनुमति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*[हिन्दी]*

### केन्द्रीय ऋण को माफ करने की मांग

***195. श्री भंवर सिंह डांगावास :**

**श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने योजना आयोग के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा के दौरान केन्द्रीय ऋण को माफ करने हेतु सर्वसम्मति से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य पर बकाया केन्द्रीय ऋण और ब्याज का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य योजना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 हेतु स्वीकृत किए गए वार्षिक योजना आबंटन से संतुष्ट नहीं हैं तथा उन्होंने योजना आबंटन को बढ़ाने की पुरजोर मांग की है;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना की तुलना में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि कितनी है तथा तत्संबंधी राज्यवार और वार्षिक योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों ने लोकलुभावन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु निधियों का आबंटन करने की मांग की थी जिसे योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अनेक राज्यों ने अत्युत्तम आर्थिक प्रबंधन और उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के आधार पर वार्षिक योजना आवंटन बढ़ाने की मांग की थी;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या कुछ राज्यों ने विशेष सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) :** (क) जी, हाँ। अनेक राज्यों ने केन्द्रीय ऋण को माफ करने के संबंध में योजना आयोग को अभ्यावेदन किया था और योजना आयोग ने बारहवें वित्त आयोग के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श करते हुए ऋण राहत की पहलों का समर्थन किया था। ब्याज दरों को कम करने और राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रीय ऋणों के लिए समय सीमा बदलने के संबंध में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और संबंधित उपायों को क्रियान्वित किया जायेगा और यह अनुमान है कि उन्हें 2005 से 2010 तक की अवधि में 33204.56 करोड़ रुपये की सीमा तक राहत प्रदान करेगा।

(ख) ऋण राशि-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। ब्याज राशि-बार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ज) योजना आयोग द्वारा राज्यों और केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों और राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-05 के लिए राज्यों ने वार्षिक योजना परिव्यय अनुमोदित कर दिए गए हैं। अनुमोदित योजना परिव्यय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(झ) और (ञ) राज्यों के लिए स्वीकृत की गई विशेष योजना सहायता संलग्न विवरण-III में दी गई है।

### *विवरण-I*

(रुपये करोड़ में)

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार ऋण का बकाया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 15842.08 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 461.12 |
| 3. | असम | 2441.11 |
| 4.. | बिहार | 9361.18 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2217.44 |
| 6. | गोवा | 717.94 |
| 7. | गुजरात | 11102.64 |
| 8. | हरियाणा | 2215.96 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1061.00 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 2340.79 |
| 11. | झारखंड | 2766.34 |
| 12. | कर्नाटक | 8615.26 |
| 13. | केरल | 4756.53 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 8546.50 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8415.37 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | मणिपुर | 1436.42 |
| 17. | मेघालय | 366.61 |
| 18. | मिजोरम | 323.93 |
| 19. | नागालैंड | 375.12 |
| 20. | उड़ीसा | 8914.16 |
| 21. | पंजाब | 7350.57 |
| 22. | राजस्थान | 7258.42 |
| 23. | सिक्किम | 221.10 |
| 24. | तमिलनाडु | 6416.51 |
| 25. | त्रिपुरा | 515.59 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 24259.98 |
| 27. | उत्तरांचल | 365.94 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 15673.63 |
|  | कुल | 154339.25 |

### विवरण-II

*वार्षिक योजना 2004–05 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय*

(करोड़ रुपये)

| राज्य | अनुमोदित परिव्यय |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **क. विशेष श्रेणी राज्य** |  |
| 1. अरुणाचल प्रदेश | 760.35 |
| 2. असम | 2101.55 |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 1400.38 |
| 4. जम्मू–कश्मीर | 3008.03 |
| 5. मणिपुर | 787.72 |
| 6. मेघालय | 716.34 |
| 7. मिजोरम | 616.52 |
| 8. नागालैंड | 538.79 |
| 9. सिक्किम | 491.07 |
| 10. त्रिपुरा | 700.27 |
| 11. उत्तरांचल | 1810.40 |
| कुल (क) | 12920.02 |
| **ख. गैर-विशेष श्रेणी राज्य** |  |
| 12. आन्ध्र प्रदेश | 12790.42 |
| 13. बिहार | 4000.00 |
| 14. छत्तीसगढ़ | 3322.46 |
| 15. गोवा | 883.33 |
| 16. गुजरात | 8518.21 |
| 17. हरियाणा | 2305.71 |
| 18. झारखंड | 4110.19 |
| 19. कर्नाटक | 12322.91 |
| 20. केरल | 4852.03 |
| 21. मध्य प्रदेश | 6709.96 |
| 22. महाराष्ट्र | 9446.73 |
| 23. उड़ीसा | 2500.00 |
| 24. पंजाब | 3479.80 |
| 25. राजस्थान | 6797.50 |
| 26. तमिलनाडु | 8001.00 |
| 27. उत्तर प्रदेश | 9661.51 |
| 28. पश्चिम बंगाल | 5019.61 |
| कुल (ख) | 104721.37 |
| कुल (क) + (ख) | 117726.27 |

### विवरण-III

*राज्यों को स्वीकृत विशेष योजना सहायता*

(करोड़ रुपये)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1. | असम | 240.00 |
| 2. | जम्मू–कश्मीर | 645.77 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 578.76 |
| 4. | मणिपुर | 250.00 |
| 5. | उत्तरांचल | 750.49 |

## जड़ी-बूटियों से औषधियों का विनिर्माण

***196. श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
**श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के वनों में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों से औषधियों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से कोई व्यापक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में वे राज्य कौन से हैं जहां इन जड़ी-बूटियों से औषधियों का विनिर्माण करने के लिए लघु और वृहत एकक स्थापित किए गए है; और

(ग) सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए एककों का ब्यौरा क्या है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) वनों में पाए जाने वाले औषधीय पादपों की एक बड़ी संख्या औषधियों के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। अनुसंधान, योजना और कार्य केन्द्र (सीईआरपीए), नई दिल्ली के माध्यम से सरकार द्वारा "चयनित औषधीय पादपों की मांग का अध्ययन" प्रारंभ किया गया जिसमें वर्ष 1999-2000 के लिए 1099.18 करोड़ रुपये की लागत वाली औषधीय पादप आधारित 198054.71 टन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन किया गया।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्रक में स्थित 40 फार्मेसियों सहित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की लगभग 9257 लाईसेंसशुदा फार्मेसियां हैं जो औषधियों के विनिर्माण में लगी हुई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे 1.4.2003 के अनुसार निम्नवत् है –

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 694 |
| असम | 40 |
| बिहार | 262 |
| छत्तीसगढ़ | 49 |
| दिल्ली | 89 |
| गोवा | 6 |
| गुजरात | 699 |
| हरियाणा | 375 |
| हिमाचल प्रदेश | 72 |
| जम्मू-कश्मीर | 9 |
| कर्नाटक | 260 |
| केरल | 800 |
| मध्य प्रदेश | 452 |
| महाराष्ट्र | 718 |
| मेघालय | 1 |
| उड़ीसा | 233 |
| पंजाब | 149 |
| राजस्थान | 366 |
| सिक्किम | 2 |
| तमिलनाडु | 854 |
| उत्तर प्रदेश | 2268 |
| उत्तरांचल | 79 |
| पश्चिम बंगाल | 693 |
| चंडीगढ़ | 3 |
| दादर और नागर हवेली | 16 |
| दमन और दीव | 18 |
| पांडिचेरी | 58 |
| योग | 9257 |

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग एक केंद्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रक की आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी फार्मेसियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना अंतःप्रतिष्ठान गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग/औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और अच्छी विनिर्माण पद्धतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी विनिर्माण एकांशों को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है।

## दसवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की कमी

***197. श्री मोहन सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राक्कलन तैयार करते समय संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कोई सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने हेतु घरेलू और विदेशी पूंजी जुटाने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू और विदेशी पूंजी से अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत व्यय पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए प्राक्कलन को पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर कोई वार्षिक समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व के वर्षों के दौरान कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया गया और दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए कितना प्राक्कलन किया गया?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) :** (क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में योजना आयोग संसाधनों के प्रवाह की जांच करता है और प्राक्कलित योजना आकार को वित्त पोषित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूर्वानुमान करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी इसी प्रकार का पालन किया गया था। दसवीं योजना दस्तावेज में संसाधन जुटाने में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। जिस दस्तावेज को संसद में प्रस्तुत किया गया है, उसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन्नत कर प्रवर्तन, छूट समाप्त करने, सेवा कर क्षेत्र में वृद्धि करने, वैट लागू करने, सब्सिडी नियंत्रित करने और उपभोक्ता प्रभार बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ख) संसद द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजटों में घरेलू और बाह्य स्रोतों से संसाधन बढ़ाने के लिए किए गए सरकार के प्रयासों का ब्यौरा दिया जाता है। ये संसाधन योजना के गैर-योजना व्यय और सकल बजटीय सहायता दोनो को कवर करते हैं।

(ग) योजना के लिए केन्द्र द्वारा सकल बजटीय सहायता में घरेलू स्रोतों से बजटीय सहायता और विदेशों से बाह्य सहायता को निवल प्रवाह (अर्थात कर्ज और अनुदान) शामिल होता है। दसवीं योजना के लिए केन्द्र द्वारा सकल बजटीय सहायता का अनुमान वर्ष 2001-02 की कीमतों पर 706000 करोड़ रुपये लगाया गया था। इसमें से 27200 करोड़ रुपये (3.9%) बाह्य सहायता से प्राप्त होने की आशा थी। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विदेशों से (तुलनात्मक कीमतों पर) निवल बाह्य सहायता (-)9678 करोड़ रुपये रही है जो योजना के लिए केन्द्र द्वारा सकल बजटीय सहायता का (-)2.8% है। नियल बाह्य सहायता में तीव्र गिरावट मुख्य रूप से वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान सरकार द्वारा उच्च लागत वाले बाह्य ऋणों का समयपूर्व भुगतान करने के निर्णय के कारण आई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय बजट तैयार करते समय वार्षिक योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए बढ़ाए गए संसाधनों का आकलन किया जाता है और तदनुसार उन्हें परिव्ययों के साथ-साथ दर्शाया जाता है। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सकल बजटीय सहायता और दसवीं योजना प्राक्कलनों के संबंध में वर्ष 2005-06 के लिए अनुमानित सहायता को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु घरेलू और विदेशी विनिमय संसाधनों को जुटाने के लिए वर्ष 2005-06 के लिए 10,000 करोड़ रुपये की उधार लेने की सीमा सहित एक विशेष उद्देश्य उपाय की भी घोषणा की गई है।

### *विवरण*

*दसवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा सकल बजटीय सहायता*
*(प्राक्कलित, बजट अनमुान और वसूल किया गया)*
*(वर्तमान कीमतों पर करोड़ रुपयों में आंकड़े)*

| | वर्ष | प्राक्कलित | बजट अनुमान | वास्तविक/ संशोधित अनुमान | प्राक्कलित के लिए ब. अ. प्रतिशत | प्राक्कलित के लिए वास्तविक सं. अ. का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-03 | 113500 | 113500 | 111470 | 100.0 | 98.2 |
| 2 | 2003-04 | 134985 | 120974 | 122280 | 89.6 | 90.6 |
| 3 | 2004-05 | 159993 | 145590 | 137387 (सं.अ.) | 91.0 | 85.9 |
| 4 | 2005-06 | 189892 | 172500* | | 90.8 | |
| 5 | 2006-07 | 231073 | | | | |

* इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक योजना के वित्तपोषण हेतु उनके द्वारा सीधे तौर पर उगाहे जाने वाले 29003.22 करोड़ रुपये की सीमा तक कर्ज शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

### औषधों की अनुपलब्धता

***198. श्री गुरूदास दासगुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नींद की गोलियों तथा विभिन्न प्रकार के मरीजों हेतु अनिवार्य औषधों सहित अनेक औषधों की अनुपलब्धता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) से (ग) देश में सइकोट्रोपिक औषधों की आंशिक कमी के बारे में हाल ही में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। औषधों की कमी मुख्यतः एन.डी.पी.एस. अधिनियम और नियम, 1985 के नियम 67 के अंतर्गत अपेक्षित फार्म–6 में कन्साइमेंट नोट बनाए रखने में औषधों के थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की अनिच्छा के कारण थी।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के नियम 67 के अंतर्गत प्रेषक और परेषिती के लिए स्वायक और साइकोट्रोपिक औषधों के परिवहन के लिए फार्म–6 में एक परेषिती नोट बनाए रखना अपेक्षित था। तथापि, दिनांक 29.5.1986 के परिपत्र सं. 664/39/86/ओपियम से स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श लेते हुए वित्त मंत्रालय ने इस स्थिति को आस्थगित रखा है। तदनुसार औषध थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा इस परेषिती नोट को नहीं रखा जा रहा था। तथापि, हाल ही में, स्वापक औषध नियंत्रण ब्यूरो ने थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा ऐसे नोट को रखने पर जोर देना शुरू कर दिया है। फलस्वरूप, व्यापारियों ने एन.डी.पी.एस. औषधों के भंडारण का बहिष्कार कर दिया है जिसके कारण इन औषधों की बाजार में अस्थाई कमी हुई।

क्योंकि सारे देश से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे इसलिए वित्त मंत्रालय ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से मंत्रणा करके अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 25.2.2005 जारी की है जिसमें एन.डी.पी.एस. अधिनियम तथा नियम के नियम–67 के अंतर्गत वांछित फार्म 6 में प्रेषक (कनसाइनमेंट) नोट की व्यवस्था करने का प्रावधान था और उसमें यथा पठित संशोधन किया गया है जिसे "बशर्ते फार्म 6 में प्रेषक नोट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां साइक्रोट्रोपिक पदार्थ की बिक्री के साथ बिक्री बिल अथवा इनवाइस अथवा कैश मेमो अथवा प्रेषक द्वारा अथवा उसके किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कोई अन्य दस्तावेज हो, जिसके अन्तर्गत प्रेषक के संबंध में निम्मलिखित सूचना शामिल होगी –

(क) प्रेषक और परेषिती का नाम, पता और लाइसेंस नम्बर,

(ख) विवरण, बैच नम्बर और मात्रा,

(ग) परिवहन का माध्यम और ब्योरा,

बशर्ते और कि ऐसा दस्तावेज प्रेषक और परेषिती द्वारा उपर्युक्त उपनियम (4) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए दो वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा।

स्पष्टीकरणः जहां परेषिती अनुसंधान संस्था, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल अथवा औषधालय है, परेषिती के लाइसेंस नम्बर को शामिल करने की शर्त लागू नहीं होगी"। पढ़ा जाएगा।

उपरोक्त अधिसूचना को देखते हुए, व्यापारियों की मुख्य शिकायत को दूर कर दिया गया है और औषधें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी तथा निकट भविष्य में इन औषधियों की कोई कमी नहीं होगी।

*[हिन्दी]*

### औषध आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा हड़ताल करना

***199. श्री जयप्रकाश (मोहन लाल गंज) :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.जी.एच.एस. औषधालयों के औषध आपूर्तिकर्त्ता सरकार द्वारा उन्हें औषधों की आपूर्ति का समय पर भुगतान न करने के कारण हड़ताल करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने इस शीर्ष के अंतर्गत वर्षवार कितनी राशि आबंटित की थी;

(घ) क्या सरकार का विचार औषधों के मूल्यों में वृद्धि, सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों/औषधालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि आदि को देखते हुए इस आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा औषध आपूर्तिकर्त्ताओं की हड़ताल के कारण लाभार्थियों को होने वाली असुविधा को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :**

(क) से (च) केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। तथापि, विशेषज्ञों द्वारा नुस्खा में लिखी गई दवा औषधालय में उपलब्ध नहीं रहती है तो इसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लाभार्थियों (पेंशनभोगी लाभार्थी सहित) को खुले बाजार से दवाएं खरीदने की अनुमति प्रदान की जाती है जिनसे कोई अधिकृत स्थीनय केमिस्ट संबद्ध नहीं होते हैं तथा सरकार द्वारा इनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य, योजना दिल्ली के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय केमिस्टों ने दिनांक 17.2.2005 से 28.2.2005 तक की अवधि के दौरान इन्डेंट की गई दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी थी। इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अधिकृत स्थानीय केमिस्टों ने दिनांक 1.3.2005 से स्थानीय खरीद के लिए इन्डेंट की गई दवाओं की आपूर्ति शुरू कर दी है। अधिकृत स्थानीय केमिस्टों द्वारा दवाओं की आपूर्ति बंद करने की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वे लाभार्थियों को औषधालय में अनुपलब्ध दवाओं की खरीद खुले बाजार से करने और सेवारत कर्मचारियों के मामले में उनके संबंधित कार्यालयों से पेंशनभोगी कार्डधारकों के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय से इस राशि की प्रतिपूर्ति करवाने की अनुमति दें।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधिकृत स्थानीय केमिस्ट पिछले दो वर्षों के दौरान चार बार हड़ताल पर गए थे जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(i) 1.11.2002 से 15.1.2003

(ii) 1.3.2003 से 5.3.2003

(iii) 8.3.2004 से 4.4.2004

(iv) 17.2.2005 से 28.2.2005

अधिकृत स्थानीय केमिस्टों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय द्वारा बिलों के विलम्ब से भुगतान किए जाने को हड़ताल का कारण बताया। कभी–कभी वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अधिकृत स्थानीय केमिस्टों के बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियां मांगी जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए आपूर्ति एवं सामग्री उपशीर्ष के तहत, जिससे अधिकृत स्थानीय केमिस्टों को भुगतान किया जाता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन निम्न प्रकार से किया गया है :

| वित्तीय वर्ष | गैर–योजना | | योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | बजट अनुमान चरण | संशोधित अनुमान चरण | बजट अनुमान चरण | संशोधित अनुमान चरण |
| 2001–2002 | 117.50 | 160.88 | 4.15 | 5.80 |
| 2002–2003 | 118.50 | 178.25 | 6.18 | 6.86 |
| 2003–2004 | 126.50 | 212.77 | 7.34 | 10.68 |

उपर्युक्त आंकड़ों में यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय केमिस्टों के लिए स्थानीय खरीद के वास्ते इन्डेंट की कई दवाओं की आपूर्ति हेतु बजट आबंटन में वृद्धि की जाती रही है।

## पड़ोसी देशों द्वारा भूमि पर कब्जा

***200. श्री रामदास आठवले** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र के कतिपय भागों पर कब्जा किया हुआ है और ये क्षेत्र कब से उनके कब्जे में हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारत की भूमि के कुछ भागों पर कब्जा करने के बाद उसे चीन को दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार पड़ोसी देशों के कब्जे से कितना भूमि क्षेत्र खाली कराया गया है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) से (च) भारत के पास चीन तथा पाकिस्तान के साथ सीमा संबंधी मामले निपटान हेतु लम्बित हैं। पाकिस्तान ने लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. भारतीय क्षे.त्र पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है।

चीन का भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर अवैध कब्जा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, "चीन–पाकिस्तान सीमा संधि, 1963" के तहत पाकिस्तान ने अवैध ढंग से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय क्षेत्र का 5180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र चीन को सौंप दिया है।

चीन भी अरुणाचल प्रदेश में भारत–चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में

लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. भारतीय क्षेत्र पर अवैध दावा कर रहा है।

भारत और पाकिस्तान, शिमला समझौता के अंतर्गत और जैसा लाहौर घोषणा में फिर से दोहराया गया है, द्विपक्षीय वार्त्ता के माध्यम से शांतिपूर्वक लम्बित मामलों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध हैं।

भारत और चीन शांतिपूर्ण विचार–विमर्श के माध्यम से सीमा मसले का निष्पक्ष, संगतपूर्ण और आपसी रूप से स्वीकार्य हल ढूंढना चाहते हैं। 23 जून, 2003 को जारी संबंधों एवं व्यापक सहयोग संबंधी सिद्धान्तों की घोषणा में, भारत और चीन, समग्र द्विपक्षीय संबंध के दृष्टिकोण से, सीमा निपटान की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रत्येक द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

### एड्स का उन्मूलन

**1954. श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनो से एड्स के उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार कराने तथा एड्स उन्मूलन जागरूकता तथा उपचार केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त उक्त प्रस्तावों का राज्य–वार तथा गैर–सरकारी संगठन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यदि कोई प्रस्ताव लंबित हैं तो उनकी स्थिति क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को मुख्यतः उच्च जोखिम समूहों के लिए लक्षित कार्यकलाप कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एच आई वी/एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण को अप्रैल, 2001 से संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाटियों तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। परिणामतः, गैर सरकारी संगठनों को एच आई वी/एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए अपने प्रस्ताव संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी को भेजना अपेक्षित है। यदि वित्त पोषण के लिए किसी गैर सरकारी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस प्रस्ताव को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य नियंत्रण सोसायटी को भेज दिया जाता है।

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

**1955. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ सरकार ने जनवरी, 2004 से आज की तारीख तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) उपर्युक्त समझौतों सहित उक्त अवधि के दौरान भारतीय मुद्रा के रूप में प्राप्त संस्थागत सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले छह माह के दौरान विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां क्या रहीं?

**विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

### भूकंपी क्षेत्रों के संबंध में भारत - फ्रांस कृतिक बल

**1956. श्री अधीर चौधरी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत – फ्रांस कृतिक बल द्वारा भूकम्पी क्षेत्रों की पहचान करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस समय पहचान किए जा चुके भूकम्पी–क्षेत्रों से यह किस प्रकार से भिन्न होगा; और

(ग) इस नए प्रयोग से हमारे आपदा प्रबंधन को किस प्रकार से सहायता मिलेगी?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## कर्नाटक में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना

**1957. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों ने सरकार से बंगलौर में बेहतर अवसंरचना प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों द्वारा किए गए आग्रहानुसार कनार्टक में सभी प्रकार की सहायता तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है तथा सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को अपना कार्य आरम्भ करने के लिए कब तक आवश्यक अवसंरचना प्रदान कर दी जाएगी?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

## सीमा मुद्दों पर भारत-पाक वार्ता

**1958. श्री पी. करूणाकरन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा मुद्दों के संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू–कश्मीर सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) से (घ) सरकार संयुक्त वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत सीमा मसलों, सहित अन्य मसलों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। सरकार विभिन्न प्राधिकरणों के सुझावों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखती है। सीमा मसलों पर बातचीत के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित रहीं :

(i) सर क्रीक मसले पर महा सर्वेक्षकों की बैठकें हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षैतिज भाग में सीमा स्तंभों का संयुक्त सर्वेक्षण जनवरी 2005 में किया गया है।

(ii) प्रतिरक्षा निर्माण, अवैध सीमा प्रवेश और स्तंभों के अनुरक्षण जैसे सीमा से जुड़े मसलों पर 2004 में सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजरों के बीच द्विवार्षिक बैठकें हुईं।

(iii) तटरक्षकों और पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच हुई बैठकों में दोनों पक्षों ने दोनों एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न किये जाने के लिए कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है।

सरकार संयुक्त वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत सीमा से जुड़े मसलों पर प्रगति करने के लिए वचनबद्ध है।

## अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए होवरक्राफ्ट सेवाएँ

**1959. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए होवरक्राफ्ट सेवाएँ आरंभ करने तथा मुम्बई में इस उद्देश्य के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर एक होवरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म की स्थापना करने की व्यवहार्यता तथा वांछनीयता का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर.बालू) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

## मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान

**1960. श्री बालेश्वर यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अपने प्रत्येक योग तथा प्राणायाम पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण तथा प्रवेश शुल्क लेना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्तमान शुल्क ढांचा क्या है;

(ग) —राजस्थान द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ करने के बाद से प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितने योग साधकों में समय–वार प्रवेश

लिया तथा पिछले 3 माह के दौरान प्रतिमाह औसत उपस्थिति कितनी रही;

(घ) क्या पंजीकरण 6 माह तक वैध है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार संस्थान की वर्तमान संसाधन–उपलब्धता, पिछले तीन माह के दौरान पंजीकृत संख्या के हिसाब से औसत उपस्थिति तथा योग साधनाओं के प्रति योग साधकों के समर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त शर्त को हटाने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, हां।

(ख) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली प्रत्येक अल्पावधि योग कार्यक्रमों के लिए 10 रु. प्रवेश प्रपत्र शुल्क और 100 रु. प्रतिमाह प्रवेश शुल्क ले रहा है। तथापि, निम्न आय श्रेणी के लोगों के लिए 5 निशुल्क सीटें दिए जाने की व्यवस्था है।

(ग) 1 नवंबर, 2004 से पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने और विभिन्न चरणों में विभिन्न अल्पावधि कार्यक्रमों के शुरू होने के बाद गत 4 महीनों में 994 योग साधकों को नामांकित किया गया। समयवार विवरण संलग्न है।

***विवरण***

*प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले योग साधकों की संख्या*

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रम | 6–7 पूर्वाह्न (मासिक) | 208 |
| सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रम | 7–8 पूर्वाह्न (मासिक) | 299 |
| ध्यान और स्वास्थ्य कक्षाएं | 8–9 पूर्वाह्न (मासिक) | 128 |
| स्वास्थ्य वृद्ध कार्यक्रम | 10–11.30 पर्वूाह्न (त्रैमामिक) | 30 |
| महिला विशिष्ट कार्यक्रम | 11 पूर्वा. से 12 दोपहर (मासिक) | 102 |
| सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रम | 4–5 अपराह्न (मासिक) | 128 |
| ध्यान और स्वास्थ्य कक्षाएं | 5–6 अपराह्न (मासिक) | 99 |
| | कुल | 994 |

गत तीन महीनों के दौरान प्रति माह औसत उपस्थिति

| दिसंबर, 2004 | जनवरी, 2005 | फरवरी, 2005 |
|---|---|---|
| 102 | 109 | 164 |

(घ) प्रवेश शुरू में तीन माह के लिए वैध हैं और अगले तीन माह के लिए उसका नवीकरण किया जा सकता है।

(ङ) पहले कक्षाएं निशुल्क आयोजित की जा रही थीं और प्रवेश की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं था। फलस्वरूप संस्थान के आसपास के निवासी इन सुविधाओं का प्रायः अपनी सुविधाओं के अनुसार लंबे समय प्रयोग कर रहे थे। संस्थान पड़ोस में एक स्वास्थ्य क्लब बनकर रह गया था और योग में गहरी रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए अवरोधक बन गया था। वहां अनुशासन की भी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं।

(च) जी, नहीं।

(छ) शुल्क प्रारंभ करने और कार्यक्रमों में प्रवेश की अवधि पर प्रतिबंध लगाने के बाद अनुशासन, समय की पाबंदी, उपस्थिति और गंभीरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है और योग के बेहतर पहलुओं को समझने के प्रति रूचि रखने वाले व्यक्ति इस परिवर्तन की प्रशंसा कर रहे हैं।

## दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक बनाना

**1961. श्री वी. के. ठुम्मर :**
**श्री काशीराम राणा :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में ऐसे कितने दूरभाष केन्द्र हैं, जिन्हें अब तक इलैक्ट्रॉनिक केन्द्रों में परिवर्तित नहीं किया गया है;

(ख) इन केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक केन्द्रों के रूप में कब तक परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) 31.12.2004 तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) गुजरात सर्किल में मार्च, 2002 से पूर्व सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिए गए थे।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। क्योंकि मार्च, 2002 से पूर्व सभी एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया था।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### डेंगू के लिए नई तकनीक

**1962. श्री सुरेश कलमाडी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डेंगू पर काबू पाने की कोई नई तकनीक मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई पद्धति के प्रयोग के कारण डेंगू के मामलों में बहुत कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने डेंगू को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(क) रोग तथा वेक्टर निगरानी।

(ख) रोगी प्रबंधन।

(ग) रोगियों की शीघ्र सूचना देना।

(घ) मुख्यतया सामुदायिक भागीदारी से स्रोत में कमी लाकर वेक्टर नियंत्रण।

(ङ) सामुदायिक जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान तथा स्रोत में कमी लाने एवं वैयक्तिक संरक्षण संबंधी उपायों में उनकी सक्रिय सहभागिता।

वर्ष 2003 एवं 2004 के लिए डेगू की जानपदिक रोग विज्ञानी स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

### *विवरण*

*वर्ष 2003 तथा 2004 के दौरान डेंगू की जानपदिक रोग विज्ञानी स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य | 2003 | | 2004 (31.12.2004 तक) (अनंतिम) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रोगी | मौतें | रोगी | मौतें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 95 | 5 | 230 | 1 |
| 2. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | दिल्ली | 2882 | 35 | 606 | 3 |
| 5. | गोवा | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | गुजरात | 249 | 9 | 117 | 4 |
| 7. | हरियाणा | 95 | 4 | 25 | 0 |
| 8. | कर्नाटक | 1226 | 7 | 281 | 2 |
| 9. | केरल | 3546 | 68 | 686 | 8 |
| 10. | महाराष्ट्र | 772 | 45 | 856 | 22 |
| 11. | सिक्किम | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 12. | पंजाब | 848 | 13 | 52 | 0 |
| 13. | राजस्थान | 685 | 11 | 207 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | तमिलनाडु | 1600 | 8 | 831 | 0 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 738 | 8 | 4 | 0 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 17. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | पांडिचेरी | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | कुल | 12754 | 215 | 3943 | 45 |

### टेलीफोन सलाहकार समितियां

**1963. श्री अशोक अर्गल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में टेलीफोन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के गठन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या टी ए सी का एक सदस्य एक सर्किल से दूसरे सर्किल के लिए टेलीफोन सुविधा प्राप्त कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियों के सदस्यों के नामांकन, सामान्यतः माननीय संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### बिहार में दूरसंचार सुविधाओं का विकास/विस्तार

**1964. श्री गिरिधारी यादव :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास, विस्तार तथा उन्नयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त कार्य धीमी गति से चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे कदम उठाए जाने के पश्चात् कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) गत तीन वर्षों के दौरान, बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए गए कार्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

| क्र.सं. | किए गए कार्य का नाम | शहरी | ग्रामीण |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्थापित किए गए एक्सचेंजों की संख्या | 33 | 173 |
| 2. | वर्द्धित लैण्ड लाइन स्विचिंग क्षमता | 2,36,638 | 1,94,214 |
| 3. | वर्द्धित डब्ल्यूएलएल क्षमता | 13,000 | 1,30,000 |
| 4. | प्रदान किए गए लैण्ड लाईन कनेक्शन | 1,35,636 | 1,42,089 |
| 5. | प्रदान किए गए डब्ल्यूएलएल कनेक्शन | 6,918 | 81,647 |
| 6. | प्रदान किए गए सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन | 1,52,246 | – |
| 7. | प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन | – | 24,673 |
| 8. | मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलना | – | 4,724 |

उपरोक्त के अलावा 365 सी–डॉट आरएएक्स को वी 5.2 एएनआरएएक्स में बदला गया था तथा 146 एसबीएम को आरएसयू में बदला गया।

(ख) जी, नहीं। भारत संचार निगम लि. की योजनानुसार कार्य किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

### हिमाचल प्रदेश में टॉवर

**1965. श्री सुरेश चन्देल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने तथा सुचारू सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं चलाने के लिए कितने टॉवर स्थापित किए गए हैं;

(ख) कितने और टॉवरों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या को अपने दायरे में लिए जाने की संभावना है;

(ग) लैंडलाइन के माध्यम से जहां टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं, वहां नई योजना के अंतर्गत एमसीपीसी के माध्यम से कब तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है तथा अब तक राज्य की कितनी जनसंख्या को दूरसंचार सुविधाओं के दायरे में लाया जा चुका है; और

(घ) शेष जनसंख्या को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) भारत संचार निगम लिमिटिड (बीएसएनएल) ने हिमाचल प्रदेश में सेल्युलर मोबाइल और वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) चलाने के लिए अब तक 143 टॉवर प्रदान किए हैं।

(ख) बीएसएनएल ने हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय स्तर तक के लोगों को वायरलैस पर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 300 अतिरिक्त टॉवर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) राज्य में अतिरिक्त एमसीपीसी प्रणालियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बीएसएनएल ने दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है, जो प्राथमिक रूप से डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी), डब्ल्यूएलएल सेल्युलर मोबाइल सेवा सहित बेतार प्रणालियों के माध्यम से और जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, लैंड लाइन के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

*[अनुवाद]*

### असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

**1966. श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के राष्ट्रीय राजमार्गों पर परंपरागत लकड़ी के पुलों को मानक लागत प्रभावी दोहरी लेन वाले आर सी सी पुलों के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परिवर्तित किए जाने वाले ऐसे पुलों की संख्या कितनी है, इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा इसकी स्वीकृति के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चौकीघाट पुल के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) जी हां।

(ख) असम में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर लकड़ी के पुलों सहित 43 अस्थायी पुल हैं जिनके स्थान पर लगभग 106 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2 लेन के आर सी सी पुलों का निर्माण किया जाना है। इन पुलों का निर्माण धनराशि की उपलबधता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर 34 अस्थायी पुलों के स्थान पर दिसंबर, 2007 तक 2/4 लेन के आर सी सी पुलों का निर्माण किए जाने की उम्मीद है।

(ग) जी नहीं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी को असम में रा रा 52 पर चौकीघाट पर स्थायी आर सी सी पुल के निर्माण के लिए साध्यता सुनिश्चित करने हेतु मॉडल अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। यह अध्ययन दिसंबर, 2004 में शुरू हो चुका है और इसके प्रारंभ होने की तारीख से 19 महीने की अवधि में पूरे हो जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त पुलों का निर्माण उक्त अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

### कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

**1967. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण तकनीकों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :** (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कॅयर सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए दसवीं योजना अवधि (2004–05 तक) के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को 11.44 करोड़ रु. और कॅयर बोर्ड को 13.50 करोड़ रु. का अनुदान दिया है।

(ग) तेरह ग्रामोद्योग क्षेत्रों में नई ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास एवं विद्यमान ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए, केवीआईसी ने राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), आदि से तकनीकी समझौते में किए हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी से पंजीकृत एक संस्थान, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद खादी संस्थानों और शिल्पकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए औजारों का विकास करता है और प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करता है तथा उनमें सुधार करता है। इसी भांति, कॅयर बोर्ड, अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के भाग के रूप में, फाईबर एक्सट्रैक्शन, स्पिनिंग, उत्पाद विनिर्माण, आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। कॅयर क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पारंपरिक रैट को मोटरीकृत किया गया है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है, गुणवत्ता में सुधार आया है और कॅयर बुनकरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। कॅयर बोर्ड ने महिलाओं हेतु मैटिंग/जियोटैक्सटाईल्स की बुनाई के लिए 'अनुग्रह' नाम से एक हल्के स्टील कॉम्पैक्ट हैंडलूम का भी विकास किया है। 'पिथ प्लस' का प्रयोग करते हुए कॅयर पिथ को जैव खाद में बदलना एक अन्य प्रौद्योगिकी है, जो फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बन गई है।

### डाकघरों को वित्त बाजारों में परिवर्तित करना

**1968. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों को वित्त बाजारों के रूप में परिवर्तित करने हेतु योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) 300 डाकघरों को पोस्टल वित्तीय बाजार के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

### भूतल परिवहन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

**1969. श्री राजनरायन बुधौलिया :**
**श्री वाई. जी. महाजन :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भू–तल परिवहन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी और प्रगति हुई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) से (घ) परिवहन क्षेत्र (इसमें सड़क अथवा जलमार्ग द्वारा यात्रियों का परिवहन शामिल है) का वित्त पोषण, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत है। अतः इसे पहले से ही उद्योग का दर्जा प्राप्त है।

*[अनुवाद]*

### पिप्पल्यादि योग के संबंध में अनुसंधान

**1970. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध (सी सी आर ए एस) के

वैज्ञानिकों ने प्राचीन चिकित्सा पुस्तकों से 2005 वर्ष पुराने नुस्खे पिप्पल्यादि योग की फिर से खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नैदानिक परीक्षणों में 99 प्रतिशत सफलता दर दिखाई गई है तथा इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) ने पिप्पल्यादि योगएक जड़ी-बूटीय खनिज महिला मुखीय गर्भ निरोधक पर नैदानिक परीक्षण किया था। इस औषध योग का उल्लेख ईसा की 16वीं शताब्दी में लिखे गए आयुर्वेदिक प्राचीन ग्रंथ "भावप्रकाश" में किया गया है।

औषध योग पिप्पल्यादि योग में निम्नलिखित औषधियों के बराबर भाग शामिल हैं :-

1. पिप्पली (पाइपर लोंगम लिन्न) फल।
2. विडंग (इंबिलिया राइब्स बर्म.एफ.) फल।
3. टंकण (शुद्धिकृत प्राकृतिक सुहागा)।

इन औषधियों के महीन चूर्ण को समानुपात में मिलाकर प्रत्येक कैप्सूल 500 मि.ग्रा. का बनाया जाता है।

(ग) और (घ) परिषद् ने 722 महिला स्वयंसेविकाओं पर नैदानिक परीक्षण किए और औषधि के बेअसर होने के कारण गर्भ धारण की कोई सूचना नहीं है। इससे कोई अनुषंगी प्रभाव ज्ञात नहीं है।

औषध योग के प्रभावी पाए जाने पर परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने इसकी प्रभावोत्पादकता का और अधिक अध्ययन करने के लिए परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। चरण-I का नैदानिक परीक्षण पी जी आई, चंडीगढ़, जिपमेर, पांडिचेरी और केम एंड एच, मुंबई में किया गया। औषधि को सुरक्षित पाया गया। अब चरण-II का नैदानिक परीक्षण भारत के चार सर्वोच्च संस्थानों अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जिपमेर, पांडिचेरी, पी जी आई, चंडीगढ़ और केम एंड एच मुंबई में प्रगति पर है। निपेर (राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान), मोहाली औषध कार्यक्रम की बैच-दर-बैच गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद मानकीकृत औषधियों की आपूर्ति कर रहा है।

### सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग

**1971. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने संबंधी संयुक्त कार्य हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करने के लिए जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, नहीं, भारत और जापान ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन, आपसी विचार-विमर्श के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन करना आवश्यक समझा गया है।

(ख) और (ग) संयुक्त कार्यदल की बैठक आयोजित करने के बाद भारत को प्राप्त होने वाले संभावित लाभों का आकलन किया जा सकेगा, जब दो देशों के बीच इन क्षेत्रो में सहक्रियाओं का पता लगाए जाने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

### टेलीफोन अदालतें

**1972. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी टेलीफोन अदालतें लगाई गईं;

(ख) इन अदालतों को पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने मामले प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अदालतों द्वारा राज्यवार कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) उपभोक्ताओं को प्रदान की गई राहतों तथा उक्त अदालतें लगाने के लिए निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (घ) संलग्न विवरण के अनुसार। तथापि, अदालतों का आयोजन तीन से छः महीने के बीच किया जाता है।

### *विवरण*

*1.1.2003 से 31.12.2004 की अवधि के दौरान टेलीफोन अदालतों का ब्योरा*

| सर्किल का नाम | वर्ष | आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या | प्राप्त मामलों की संख्या | निपटाए गए मामलों की संख्या | प्रदान की गई राहत का ब्यौरा (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.1.03 से 31.12.03 | 1 | 14 | 13 | 5116 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 2 | 15 | 14 | 107441 |
| आंध्र प्रदेश | 1.1.03 से 31.12.03 | 136 | 195 | 195 | 32622 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 135 | 133 | 133 | 12267 |
| असम | 1.1.03 से 31.12.03 | 28 | 304 | 282 | 49760 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 19 | 129 | 113 | 47291 |
| बिहार | 1.1.03 से 31.12.03 | 62 | 2575 | 2499 | 2710685 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 64 | 3123 | 3076 | 2959979 |
| छत्तीसगढ़ | 1.1.03 से 31.12.03 | 22 | 173 | 173 | 7569 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 32 | 144 | 144 | 38,780 |
| एमटीएनएल दिल्ली | 1.1.03 से 31.12.03 | 18 | 425 | 416 (9 मामले स्थगित) | 708278 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | | | | |
| गुजरात | 1.1.03 से 31.12.03 | 99 | 1094 | 1082 | 288155+3400 कॉलें+ 7 दिनों का किराया |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 99 | 860 | 852 | 174300+9250 |
| हरियाणा | 1.1.03 से 31.12.03 | 39 | 328 | 323 | 200283 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 48 | 400 | 378 | 700765 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.1.03 से 31.12.03 | 27 | 72 | 72 | 127797 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 34 | 175 | 175 | 143741 |
| जम्मू-कश्मीर | 1.1.03 से 31.12.03 | 11 | 171 | 161 | 100355 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 12 | 153 | 114 | 87708 |
| झारखण्ड | 1.1.03 से 31.12.03 | 9 | 357 | 357 | 69837 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 26 | 444 | 416 | 99880 |
| कर्नाटक | 1.1.03 से 31.12.03 | 82 | 228 | 228 | 578559 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 88 | 200 | 200 | 1124526 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| केरल | 1.1.03 से 31.12.03 | 67 | 1117 | 952 | 83349 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 65 | 1153 | 1074 | 111133 |
| मध्य प्रदेश | 1.1.03 से 31.12.03 | 170 | 570 | 570 | 314402 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 174 | 708 | 708 | 422160 |
| महाराष्ट्र (गोवा सहित) | 1.1.03 से 31.12.03 | 138 | 1232 | 1186 | 1,51,201 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 148 | 1195 | 1127 | 72,295 |
| पूर्वोत्तर–I | 1.1.03 से 31.12.03 | 4 | 296 | 279 | 149531 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 7 | 88 | 80 | 256975 |
| पूर्वोत्तर–II | 1.1.03 से 31.12.03 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 2 | 5 | 5 | 3592 |
| उड़ीसा | 1.1.03 से 31.12.03 | 20 | 280 | 262 | 2,55,800 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 58 | 868 | 825 | 5,04,890 |
| पंजाब (चंडीगढ़ सहित) | 1.1.03 से 31.12.03 | 60 | 251 | 251 | 252786 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 68 | 211 | 211 | 81877 |
| राजस्थान | 1.1.03 से 31.12.03 | 81 | 842 | 842 | 459236 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 87 | 856 | 851 | 220311 |
| तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित) | 1.1.03 से 31.12.03 | 72 | 876 | 876 | 32,405 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 76 | 807 | 807 | 24,260 |
| उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 1.1.03 से 31.12.03 | 169 | 3930 | 3930 | 4358428 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 163 | 4693 | 4677 | 5744402 |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 1.1.03 से 31.12.03 | 65 | 1754 | 1716 | 1813132 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 67 | 1155 | 1147 | 1062372 |
| उत्तरांचल | 1.1.03 से 31.12.03 | 19 | 256 | 254 | 304273 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 25 | 285 | 283 | 185700+200 कॉलें |
| पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित) | 1.1.03 से 31.12.03 | 40 | 388 | 388 | 92339 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 34 | 468 | 468 | 146849 |
| कोलकाता टेलीफोन | 1.1.03 से 31.12.03 | 10 | 133 | 133 | 300+450 कॉलें+161 दिनों का किराया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 6. | 51 | 46 | 2624+2306 कॉलें+ 424 दिनों का किराया |
| चेन्नई टेलीफोन | 1.1.03 से 31.12.03 | 28 | 446 | 446 | 187473 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | 27 | 69 | 69 | 47213 |
| एमटीएनएल मुम्बई | 1.1.03 से 31.12.03 | 87 | 1258 | 1258 | 40212 |
| | 1.1.04 से 31.12.04 | | | | |

*[अनुवाद]*

### वर्ग 'ग' तथा 'घ' के आशुलिपिकों की रिक्तियाँ

**1973. श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में वर्ग 'ग' तथा 'घ' के आशुलिपिकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2004 में वर्ग 'घ' आशुलिपिकों की परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या लिखित परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) यह सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) से (ङ) कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रेड 'घ' आशुलिपिकों की परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जो 10 अक्तूबर, 2004 को होनी प्रस्तावित थी। तथापि, यह रद्द कर दी गई क्योंकि यह सरकार द्वारा अनुमोदित संयुक्त मैट्रिक स्तर-परीक्षा की योजना के अनुरूप नहीं थी।

*[हिन्दी]*

### मानव क्लोनिंग पर प्रतिबंध

**1974. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में भारत सहित कई देशों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इस संबंध में एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए जाने की स्थिति में नैदानिक क्लोनिंग के क्षेत्र में भारत के अनुसंधान कार्य पर संभावित प्रभाव पड़ेंगे?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2005 को एक गैर-बाध्यता संकल्प अनुमोदित किया जिसमें सभी सदस्य देशों से "मानव क्लोनिंग के सभी रूपों जहां तक वे मानव मर्यादा और मानव जीवन के संरक्षण के विरूद्ध हैं, को प्रतिषेद करने के लिए" विधान अंगीकार करने हेतु आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव 34 के मुकाबले 84 मतों से पारित किया गया और इसमें 37 सदस्य तटस्थ रहे। चूंकि यह एक गैर-बाध्यता घोषणा है, इसलिए चिकित्सीय क्लोनिंग पर भारत की स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी और इससे देश में स्टेम कोशिका अनुसंधान कार्यकलापों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*[अनुवाद]*

### आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

**1975. श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल को पहले संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव था, बाद में स्नातकोत्तर अध्यापन और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं के साथ पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव में संशोधन किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से आबंटित भूमि अपर्याप्त थी और अतिरिक्त भूमि के लिए अनुरोध किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिरिक्त भूमि आबंटित की और पट्टे के मूल्य का भुगतान फरवरी, 2005 में किया गया। व्यय वित्त समिति के लिए विस्तृत ज्ञापन बनाया गया है। योजना आयोग से सिद्धांत रूप में अनुमोदन लेने के लिए कार्रवाई की गई है।

*[हिन्दी]*

## डाकघर भवनों का पुररूद्धार

**1976. श्री अतीक अहमद** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद स्थित नैनी डाकघर भवन की जीर्ण–शीर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो काफी लंबे समय से उक्त डाकघर की उपेक्षा के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा डाकघर भवन का पुनरुद्धार करने और उसमें कार्यकरण की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अन्य डाकघरों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति की जानकारी भी सरकार को है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं/आरक्षण संबंधी ज्ञापन

**1977. डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए प्रदत्त सुविधाओं एवं आरक्षण को प्रभावित करने वाले पांच कार्यालय आदेशों से संबंधित कार्यालय ज्ञापन और उक्त प्रत्येक आदेशों को निरस्त करने वाले ऐसे ज्ञापन संबंधी सूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त ज्ञापन की कार्यान्वयन संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 1997 में 5 कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए थे। निम्नलिखित तीन कार्यालय ज्ञापनों को क्रमशः दिनांक 21.01.2002 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001–स्थापना (घ), दिनांक 03.10.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्थापना (आरक्षण)–खंड–II तथा दिनांक 20.07.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्थापना (आरक्षण)–खंड–II के माध्यम से वापस ले लिया गया है।

(1) दिनांक 30.01.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/96–स्थापना (घ) क्योंकि इस कार्यालय ज्ञापन से आरक्षण द्वारा पदोन्नति प्राप्त अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वरीष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। (2) दिनांक 22.07.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्थापना (आरक्षण) क्योंकि इसके माध्यम से, पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अर्हक अंकों/मूल्यांकन के मानदंडों में उपलब्ध छूट वापस ली गई थी। (3) दिनांक 29.08.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्थापना (आरक्षण)। इस कार्यालय ज्ञापन में किसी एक वर्ष में पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों पर भी 50% आरक्षण की सीमा लागू किए जाने का प्रावधान था।

बकाया दो कार्यालय ज्ञापन अर्थात् (1) दिनांक 02.07.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थापना(आरक्षण) जिसमें पद आधारित आरक्षण लागू किया गया था तथा (2) दिनांक 13.08.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/18/95–स्थापना (आरक्षण)–भाग–II जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के संबंध में था, अभी भी लागू हैं।

*[अनुवाद]*

## चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय

**1978. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल** :
**श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी और सरकारी क्षेत्र में कुल कितने चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय हैं और चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा में क्रमशः दोनों क्षेत्रों में राज्य–वार कितनी सीट उपलब्ध हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) सूचना संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ख) भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा नए चिकित्सा कालेज खोलने के विनियमों, मौजूदा पाठ्यक्रम में सीट बढ़ाने और अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के रूप में एक नई स्कीम प्रकाशित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमनों के अधीन पात्र हैं और उनमें निर्धारित अपेक्षताओं को पूरा करता है वह इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। दंत चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भी ऐसी ही स्कीमें मौजूद हैं।

### *विवरण-I*

*14.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | मेडिकल कालेज़ों की संख्या | | कुल | सीटों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी | निजी | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध प्रदेश | 10 | 17 | 27 | 3375 |
| 2. | असम | 3 | – | 3 | 391 |
| 3. | बिहार | 6 | 2 | 8 | 510 |
| 4. | चंडीगढ़ | 1 | – | 1 | 50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2 | – | 2 | 200 |
| 6. | दिल्ली | 5 | – | 5 | 560 |
| 7. | गोवा | 1 | – | 1 | 100 |
| 8. | गुजरात | 8 | 5 | 13 | 1625 |
| 9. | हरियाणा | 1 | 2 | 3 | 350 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 2 | – | 2 | 115 |
| 11. | जम्मू–कश्मीर | 3 | 1 | 4 | 350 |
| 12. | झारखंड | 3 | – | 3 | 190 |
| 13. | कर्नाटक | 4 | 27 | 31 | 3905 |
| 14. | केरल | 6 | 8 | 14 | 1600 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 5 | 2 | 7 | 820 |
| 16. | महाराष्ट्र | 19 | 19 | 38 | 4260 |
| 17. | मणिपुर | 1 | – | 1 | 100 |
| 18. | उड़ीसा | 3 | – | 3 | 364 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | पांडिचेरी | 1 | 4 | 5 | 475 |
| 20. | पंजाब | 3 | 3 | 6 | 520 |
| 21. | राजस्थान | 6 | 2 | 8 | 800 |
| 22. | सिक्किम | 1 | – | 1 | 50 |
| 23. | तमिलनाडु | 13 | 8 | 21 | 2415 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 9 | 3 | 12 | 1262 |
| 25. | उत्तरांचल | – | 2 | 2 | 200 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 9 | – | 9 | 1105 |
|  | कुल | 125 | 105 | 230 | 25,742 |

***विवरण-II***

*14.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में दंत चिकित्सा कालेजों की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | दंत चिकित्सा कालेज की संख्या |  | कुल | सीटों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | सरकारी | निजी |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 14 | 16 | 1340 |
| 2. | असम | 1 | – | 1 | 40. |
| 3. | बिहार | 1 | 6 | 7 | 320 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | – | 2 | 2 | 200 |
| 5. | दिल्ली | 1 | – | 1 | 20 |
| 6. | गोवा | 1 | – | 1 | 40 |
| 7. | गुजरात | 2 | 3 | 5 | 320 |
| 8. | हरियाणा | 1 | 7 | 8 | 620 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 4 | 5 | 340 |
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 1 | – | 1 | 20 |
| 11. | कर्नाटक | 1 | 41 | 42 | 2700 |
| 12. | केरल | – | 7 | 10 | 520 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1 | 5 | 6 | 500 |
| 14. | महाराष्ट्र | 4 | 19 | 23 | 1830 |
| 15. | उड़ीसा | 1 | 1 | 2 | 80 |
| 16. | पांडिचेरी | 1 | – | 1 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | पंजाब | 2 | 9 | 11 | 640 |
| 18. | राजस्थान | 1 | 7 | 8 | 700 |
| 19. | तमिलनाडु | 1 | 14 | 15 | 1180 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 2 | 18 | 20 | 1640 |
| 21. | उत्तरांचल | – | 1 | 1 | 100 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 2 | 1 | 3 | 170 |
| | कुल | 30 | 159 | 189 | 13,260 |

### पोलियो नियंत्रण हेतु आबंटित/जारी की गई धनराशि

**1979. श्री जोवाकिम बखला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आंबटित एवं जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) पोलियो टीकाकरण अभियानों के कार्यान्वयन संबंधी प्रचालन लागत के लिए राज्यों को धनराशि दी जाती है। विगत 5 वर्षों के दौरान राज्यों को स्वीकृत और जारी धनराशि तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को यथावश्यक ओरल पोलियो वैक्सीन की भी आपूर्ति की जाती है। राज्यों को आपूर्त की गईं वैक्सीनों का ब्यौरा भी संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

### *विवरण-I*

*पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए राज्यों को स्वीकृत/जारी राशि और प्रचालन व्यय की मद में सूचित व्यय*

रुपये लाख में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1999–2000 | | 2000–2001 | | 2001–2002 | | 2002–2003 | | 2003–2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 25.85 | 25.28 | 2.09 | 2.09 | 7.45 | 7.09 | 7.36 | 7.35 | 15.18 | 10.97 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 945.84 | 941.33 | 457.09 | 429.56 | 707.86 | 695.08 | 720.91 | 720.91 | 802.72 | 802.72 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 146.65 | 146.65 | 38.58 | 38.58 | 46.43 | 46.41 | 34.04 | 34.04 | 38.36 | 38.36 |
| 4. | असम | 527.61 | 527.61 | 393.18 | 393.18 | 309.25 | 309.25 | 312.89 | 312.56 | 482.31 | 467.06 |
| 5. | बिहार | 1160.05 | 1013.78 | 2206.53 | 1754.78 | 1585.33 | 1130.75 | 2388.11 | 1477.54 | 3707.93 | 2117.19 |
| 6. | चंडीगढ़ | 28.00 | 17.43 | 5.42 | 4.39 | 8.00 | 7.75 | 8.59 | 8.51 | 9.97 | 9.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | दादरा और नागर हवेली | 23.86 | 13.86 | 1.56 | 1.15 | 2.54 | 2.15 | 2.64 | 2.18 | 3.04 | 2.97 |
| 8. | दमन और दीव | 31.13 | 12.02 | 0.98 | 0.94 | 2.04 | 1.89 | 2.09 | 2.02 | 2.22 | 2.16 |
| 9. | दिल्ली | 102.90 | 100.04 | 275.02 | 263.85 | 226.55 | 209.16 | 338.97 | 318.29 | 516.23 | 480.35 |
| 10. | गुजरात | 678.90 | 549.77 | 5.99 | 5.99 | 542.72 | 468.96 | 500.35 | 446.22 | 1586.78 | 1503.44 |
| 11. | गोवा | 32.02 | 28.00 | 590.06 | 454.55 | 9.26 | 10.00 | 9.26 | 9.26 | 10.37 | 10.10 |
| 12. | हरियाणा | 270.96 | 242.89 | 343.79 | 286.92 | 246.33 | 201.87 | 496.73 | 304.17 | 852.53 | 658.91 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 228.38 | 166.54 | 66.07 | 65.77 | 100.44 | 95.41 | 71.33 | 70.81 | 108.30 | 100.46 |
| 14. | जम्मू–कश्मीर | 240.86 | 176.83 | 96.06 | 70.15 | 152.59 | 128.00 | 164.04 | 139.95 | 180.57 | 132.06 |
| 15. | कर्नाटक | 476.17 | 458.05 | 437.20 | 352.15 | 539.07 | 472.49 | 488.05 | 465.19 | 531.65 | 511.82 |
| 16. | केरल | 452.41 | 432.30 | 130.25 | 125.67 | 196.24 | 189.82 | 201.27 | 193.92 | 220.07 | 209.48 |
| 17. | लक्षद्वीप | 22.43 | 11.12 | 0.06 | 0.00 | 1.52 | 1.14 | 1.55 | 1.55 | 2.95 | 2.88 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 1725.43 | 1668.29 | 1334.82 | 1242.43 | 736.02 | 707.43 | 702.07 | 696.31 | 1811.35 | 1841.48 |
| 19. | महाराष्ट्र | 1064.78 | 703.49 | 516.61 | 511.15 | 903.66 | 886.65 | 926.14 | 870.97 | 885.33 | 792.27 |
| 20. | मणिपुर | 89.58 | 89.58 | 9.52 | 9.52 | 58.17 | 58.17 | 59.70 | 59.70 | 66.13 | 64.76 |
| 21. | मेघालय | 72.68 | 67.71 | 13.45 | 12.41 | 73.10 | 48.89 | 64.40 | 54.97 | 74.27 | 0.00 |
| 22. | मिजोरम | 40.04 | 40.04 | 3.59 | 3.59 | 21.50 | 21.50 | 22.23 | 22.23 | 24.35 | 24.11 |
| 23. | नागालैंड | 70.14 | 70.14 | 7.59 | 7.59 | 42.33 | 42.33 | 41.60 | 41.60 | 50.01 | 50.01 |
| 24. | उड़ीसा | 683.04 | 646.65 | 411.89 | 403.60 | 318.00 | 313.65 | 327.76 | 323.30 | 356.34 | 272.64 |
| 25. | पांडिचेरी | 44.42 | 35.71 | 4.91 | 5.65 | 8.46 | 8.46 | 8.54 | 8.54 | 9.17 | 9.17 |
| 26. | पंजाब | 292.10 | 276.37 | 312.18 | 301.37 | 243.46 | 232.64 | 249.77 | 234.64 | 271.76 | 247.84 |
| 27. | राजस्थान | 890.45 | 679.23 | 939.58 | 741.23 | 720.77 | 637.57 | 757.09 | 640.22 | 2439.91 | 2002.19 |
| 28. | सिक्किम | 37.01 | 36.17 | 2.45 | 2.45 | 13.85 | 13.52 | 13.68 | 13.31 | 14.39 | 14.39 |
| 29. | तमिलनाडु | 723.46 | 706.64 | 329.70 | 314.79 | 492.88 | 478.14 | 515.70 | 504.92 | 561.29 | 535.66 |
| 30. | त्रिपुरा | 60.64 | 52.14 | 12.80 | 12.80 | 68.48 | 68.48 | 70.35 | 67.74 | 76.58 | 88.04 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1834.19 | 1697.58 | 3544.13 | 2929.98 | 3186.89 | 2706.32 | 4871.18 | 4584.92 | 10675.69 | 8768.32 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 740.90 | 725.93 | 1104.74 | 993.05 | 884.50 | 848.61 | 749.09 | 734.32 | 1985.97 | 1902.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.11 | 114.24 | 132.80 | 129.30 | 301.63 | 276.95 |
| 34. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.63 | 176.25 | 223.99 | 214.03 | 244.38 | 232.09 |
| 35. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.64 | 266.33 | 431.33 | 252.70 | 1026.87 | 914.27 |
| | कुल | 13762.84 | 12359.15 | 13598.42 | 11741.34 | 13105.09 | 11606.39 | 15915.61 | 13968.18 | 29946.61 | 25096.72 |

### *विवरण-II*

### *राज्यों को दी गई ओरल पोलियो वैक्सीन और उनके मूल्यों का ब्यौरा*

| | | आईपीपीआई आपूर्ति और मूल्य | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य का नाम | वर्ष 2004–2005 | | वर्ष 2003–2004 | | वर्ष 2002–2003 | | वर्ष 2001–2002 | | वर्ष 2000–2001 | |
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 655.34 | 3,092.61 | 385.44 | 1,883.52 | 271.95 | 1,038.31 | 296.98 | 976.77 | 339.67 | 1,117.17 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.02 | 33.96 | 4.54 | 23.79 | 5.06 | 19.32 | 5.24 | 17.23 | 5.77 | 18.98 |
| 3. | असम | 229.44 | 1,031.25 | 148.91 | 740.34 | 121.22 | 462.82 | 121.00 | 397.97 | 219.03 | 720.39 |
| 4. | बिहार | 2,050.79 | 9,488.61 | 1,010.05 | 4,324.09 | 1235.06 | 4,715.46 | 1,220.47 | 4,014.13 | 1,289.77 | 4,242.05 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 127.64 | 616.09 | 97.45 | 470.95 | 133.27 | 508.82 | 85.99 | 282.82 | | |
| 6. | गोवा | 5.10 | 24.64 | 3.28 | 16.81 | 3.39 | 12.94 | 3.50 | 11.51 | 3.40 | 11.18 |
| 7. | गुजरात | 415.19 | 1,992.25 | 367.59 | 1,606.91 | 281.89 | 1,076.26 | 236.27 | 777.09 | 376.08 | 1,236.93 |
| 8. | हरियाणा | 242.55 | 1,084.48 | 192.47 | 825.68 | 170.44 | 650.74 | 124.21 | 408.53 | 181.69 | 597.58 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 27.54 | 130.02 | 17.84 | 85.15 | 20.03 | 76.47 | 14.34 | 47.16 | 21.83 | 71.80 |
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 68.54 | 322.03 | 43.97 | 211.08 | 57.64 | 220.07 | 41.49 | 136.46 | 55.26 | 181.75 |
| 11. | झारखंड | 349.76 | 1,647.57 | 273.06 | 1,152.64 | 234.68 | 896.01 | 142.14 | 467.50 | | |
| 12. | कर्नाटक | 384.93 | 1,812.54 | 281.00 | 1,312.78 | 174.69 | 666.97 | 257.53 | 847.02 | 211.13 | 694.41 |
| 13. | केरल | 118.17 | 548.35 | 76.18 | 403.05 | 90.65 | 346.10 | 94.35 | 310.32 | 105.12 | 345.74 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 555.89 | 2,611.51 | 519.89 | 2,247.26 | 351.42 | 1,341.72 | 295.95 | 973.38 | 637.18 | 2,095.69 |
| 15. | महाराष्ट्र | 641.47 | 3,046.94 | 303.84 | 1,650.12 | 468.72 | 1,789.57 | 483.16 | 1,589.11 | 494.56 | 1,626.61 |
| 16. | मणिपुर | 13.22 | 63.85 | 9.23 | 48.59 | 9.27 | 35.39 | 8.90 | 29.27 | 8.76 | 28.81 |
| 17. | मेघालय | 15.80 | 75.99 | 15.79 | 75.17 | 10.75 | 41.04 | 11.34 | 37.30 | 13.02 | 42.82 |
| 18. | मिजोरम | 4.42 | 21.20 | 3.69 | 19.35 | 3.47 | 13.25 | 3.30 | 10.85 | 2.96 | 9.74 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 10.33 | 49.44 | 7.00 | 34.72 | 5.72 | 21.84 | 6.31 | 20.75 | 6.76 | 22.23 |
| 20. | उड़ीसा | 230.21 | 1,133.27 | 117.49 | 580.91 | 157.94 | 603.01 | 123.40 | 405.86 | 207.01 | 680.86 |
| 21. | पंजाब | 141.02 | 630.96 | 228.65 | 435.35 | 107.60 | 410.82 | 106.53 | 350.38 | 152.24 | 500.72 |
| 22. | राजस्थान | 604.44 | 2,747.84 | 408.79 | 2,333.40 | 312.99 | 1,195.00 | 289.06 | 950.72 | 481.69 | 1,584.24 |
| 23. | सिक्किम | 2.68 | 12.98 | 2.45 | 9.52 | 2.80 | 10.69 | 2.01 | 6.61 | 2.23 | 7.33 |
| 24. | तमिलनाडु | 276.98 | 1,294.66 | 183.20 | 975.41 | 208.56 | 796.28 | 201.02 | 661.15 | 228.05 | 750.06 |
| 25. | त्रिपुरा | 17.07 | 82.50 | 10.95 | 57.41 | 8.31 | 31.73 | 12.00 | 39.47 | 14.05 | 46.21 |
| 26. | उत्तरांचल | 114.33 | 522.27 | 950.95 | 6,088.92 | 66.91 | 255.46 | 58.32 | 191.81 | | |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3,618.47 | 16,059.44 | 864.86 | 1,769.44 | 2,649.28 | 10,114.95 | 2,376.60 | 7,816.64 | 2,098.08 | 6,900.59 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 823.77 | 3,973.50 | 471.26 | 2,048.74 | 312.50 | 1,193.13 | 453.17 | 1,490.48 | 558.33 | 1,836.35 |
| | कुल | 11,752.41 | 54,150.75 | 6,999.81 | 31,431.12 | 7,476.21 | 28,544.17 | 7,074.58 | 23,268.29 | 7,713.67 | 25,370.26 |
| **गैर-विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेश** | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.83 | 8.83 | 1.07 | 5.62 | 1.14 | 4.35 | 1.79 | 5.89 | 1.09 | 3.59 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 5.06 | 23.88 | 3.43 | 16.47 | 6.40 | 24.44 | 5.09 | 16.74 | 3.92 | 12.89 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 1.44 | 6.91 | 0.93 | 4.78 | 0.73 | 2.79 | 0.86 | 2.83 | 1.47 | 4.43 |
| 32. | दमन और दीव | 0.87 | 4.14 | 0.48 | 2.48 | 0.73 | 2.79 | 0.49 | 1.61 | 0.49 | 1.61 |
| 33. | लक्षद्वीप | 0.25 | 1.21 | 0.08 | 0.43 | 0.19 | 0.73 | 0.18 | 0.59 | 0.09 | 0.30 |
| | कुल | 9.45 | 44.98 | 5.99 | 29.78 | 9.19 | 35.09 | 8.41 | 27.66 | 7.06 | 23.22 |
| **विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेश** | | | | | | | | | | | |
| 34. | दिल्ली | 223.88 | 1,054.19 | 133.07 | 569.66 | 183.7 | 701.37 | 154.00 | 506.51 | 128.16 | 421.52 |
| 35. | पांडिचेरी | 3.39 | 16.05 | 2.64 | 13.92 | 3.18 | 12.14 | 2.76 | 9.08 | 2.94 | 9.67 |
| | कुल | 227.27 | 1,070.24 | 135.71 | 583.58 | 186.88 | 713.51 | 156.76 | 515.58 | 131.10 | 431.19 |
| | कुल योग | 11,979.68 | 55,220.98 | 7,135.52 | 32,014.70 | 7,663.09 | 29,257.68 | 7,231.34 | 23,783.88 | 7,844.77 | 25,801.45 |

## सी.जी.एच.एस. औषधालयों के लिए मानदंड

**1980. श्री सुब्रत बोस :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में सी.जी.एच.एस. औषधालयों/भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी (आई.एस.एम.एंड एच.) की ईकाइयां प्रदान करने हेतु किस नीति और मानदंड का अनुपालन किया गया है;

(ख) क्या एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सी.जी.एच.एस.

औषधालयों और आई.एस.एम.एंड एच. के सी.जी.एच.एस. इकाइयां खोलने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में अब तक कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पद्धति–वार, स्थान–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) एसआईयू मानदण्डों के अनुसार मौजूदा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहर में नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालय खोलने का मानदण्ड 2000 कार्डधारी (सेवारत/पेंशनर) है जिनसे लगभग 10,000 लाभार्थी हो जाते हैं। नए शहर को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा प्रदान करने हेतु इस के लिए कम–से–कम 6000 कार्डधारी (सेवारत/पेंशनर) अपेक्षित हैं जिनसे लगभग 30000 लाभार्थी हो जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी/आयुष औषधालय/यूनिटें खोलने के लिए नियत मानदण्ड नहीं हैं। ये यूनिटें औचित्य के आधार पर और कार्मिक शक्ति तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की अपेक्षाओं/मांगों के अनुसार खोली जाती हैं।

(घ) से (च) नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना कार्मिक शक्ति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। विभिन्न पद्धतियों के अधीन नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए अनुरोध देश के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौराल संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय मंजूर किए गए हैं।

*विवरण*

| क्र.सं. | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले शहर का नाम | आयुष की किस्म | मंजूर किए गए आयुष औषधालयों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | त्रिवेन्द्रम | आयुर्वेदिक | एक |
| 2. | त्रिवेन्द्रम | होम्योपैथिक | एक |
| 3. | गुवाहाटी | आयुर्वेदिक | एक |
| 4. | गुवाहाटी | होम्योपैथिक | एक |
| 5. | दिल्ली | यूनानी | एक |
| 6. | दिल्ली | सिद्ध | एक |
| 7. | दिल्ली | योग केन्द्र | एक |

| क्र.सं. | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले शहर का नाम | मंजूर किए गए एलोपैथी औषधालयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | देहरादून | एक |
| 2. | रांची | एक |
| 3. | भुवनेश्वर | एक |

## जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क

**1981. श्री गिरिधर गमांग** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सर्किल के जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए पृथक योजना और कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) जनजातीय और सुदूर गांवों को जोड़ने हेतु उक्त नेटवर्क योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(घ) तटीय एवं चिल्का द्वीपसमूह के लिए अब तक कौन–सी नेटवर्क योजना तैयार की गई और इन क्षेत्रों में स्थिर प्रणाली प्रदान करने हेतु कौन–सी प्रौद्योगिकी अपनाई गई?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2004–2005 तथा 2005–06 के लिए उड़ीसा के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास हेतु विभिन्न स्कीमें प्रदान करने के वास्ते कार्यक्रम तैयार किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004–05 के लिए जनजातीय और दूरस्थ गांवों को जोड़ने के लिए नेटवर्क योजना हेतु 23.61 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई है।

2004–05 के दौरान उपलब्धियां (फरवरी, 05 तक)

(i) जोड़ी गई स्विचन क्षमता = 6,672 लाइनें

(ii) जोडी गई सीधी
एक्सचेंज लाइनें = 9,574
(तारशुदा + वायरलैस इन लोकल लूप)

(iii) ऑप्टिकल फाइबर केबल = 62.5 रूट किलोमीटर

(iv) सेल्युलर मोबाइल = 29,951

(घ) अब तक तटवर्ती तथा चिल्का द्वीप समूहों के लिए तैयार की गई नेटवर्क योजना और वर्ष 2004–05 के लिए इन क्षेत्रों में स्थायी प्रणालियां प्रदान करने हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

### *विवरण-I*

*वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के लिए उड़ीसा के जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा :*

| क्र.सं. | पैरामीटर | 2004–05 | 2005–06 |
|---|---|---|---|
| 1. | स्थानीय स्विचन क्षमता विस्तार/उन्नयन (लाइनों में) | 5,000 | 3,000 |
| 2. | टैक्स नया/विस्तार (लाइनों में) | 12,000 | शून्य |
| 3. | वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) (लाइनों में) | 14,500 | 4,000 |
| 4. | सेल्युलर मोबाइल (लाइनों में) | 1,08,000 | 1,95,500 |
| 5. | डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) | 3,918 | 1,000 |
| 6. | एक्सेस नोड ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (एएन आरएएक्स) चालू (संख्या) | 141 | शून्य |

### *विवरण-II*

*तटवर्ती और चिल्का द्वीप समूहों के लिए नेटवर्क योजना तथा वर्ष 2004–05 के लिए स्थायी प्रणालियां प्रदान करने हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा :*

| क्र.सं. | पैरामीटर | तटवर्ती तथा चिल्का |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | स्थानीय स्विचन क्षमता विस्तार/उन्नयन (लाइनों में) | 8,320 |
| 2. | टैक्स नया/विस्तार (लाइनों में) | 8,000 |
| 3. | वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) (लाइनों में) | 54,500 |
| 4. | सेल्युलर मोबाइल (लाइनों में) | 2,82,500 |
| 5. | डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) | 390 |
| 6. | एक्सेस नोड ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (एएन आरएएक्स) चालू (संख्या) | 239 |

### अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केन्द्र

**1982. श्री एम. अप्पादुरई :** क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) इस समय अनुसंधान केन्द्रों में कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ग) क्या वर्ष 1981 से आज तक अत्यधिक खराब मौसम के कारण मौतें हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केन्द्र के लिए कितनी धनराशि का वार्षिक बजट है;

(च) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के लिए बजट एवं वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी हां। विभाग ने 69° दक्षिण अक्षांश तथा 76° पूर्वी देशांतर के निकट एक स्थल का चयन कर लिया है। अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के तहत अधिदेशित तथा संभारतंत्र और वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार भी पर्यावरणीय पैरामीटरों पर विस्तृत सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) इस समय अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान स्टेशन 'मैत्री' में उन्नासी वैज्ञानिक और संभार तंत्र कार्मिक काम कर रहे

हैं। इसमें मलयेशिया से 24 वें अभियान (29 ग्रीष्मकालीन सदस्य + 25 शीतकालीन सदस्य) के तीन वैज्ञानिक तथा 23वें अभियान के शीतकालीन दल के पच्चीस व्यक्तियों सहित चौवन वैज्ञानिक शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) अनुसंधान केन्द्र के रखरखाव के लिए वर्तमान वास्तविक खर्च लगभग 4.00 करोड़ रुपये है।

(च) और (छ) जी हां। वर्ष 2005–06 के ध्रुवीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए बजट आबंटन, चालू वर्ष के 24.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में 41.00 करोड़ रुपए है। इससे मैत्री स्टेशन में अनुसंधान तथा संभारतंत्र सुविधाए सुदृढ़ की जाएगी ताकि इन कार्यों में और अधिक वैज्ञानिकों को शामिल किया जा सके।

*[हिन्दी]*

### राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 'बी'

1983. **श्री कैलाश बैठा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में छपवा से उत्तर प्रदेश सीमा तक 130 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28'बी' के रूप में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस सड़क के उन्नयन के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक पहल किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) सरकार ने 25 फरवरी, 2004 को बिहार में छपवा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक 112 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –28 बी के रूप में घोषित किया है।

(ख) बिहार राज्य सरकार से इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य धनराशि की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –28 बी सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के यातायात योग्य स्थिति में अनुरक्षण के लिए बिहार सरकार को धनराशि आबंटित की है।

*[अनुवाद]*

### लघु भेषज इकाइयों के लिए विशेष मार्गनिर्देश

1984. **श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जी.एस.आर. 894 (ई) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में नमूना दस्तावेज प्रारूप (स्पेसीमेन डाक्यूमेंटेशन प्रोफार्मा) को आवश्यक रूप से बनाए रखे जाने का उपबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विशेष मार्गनिर्देशों के अभाव में संबंधित कर्मचारियों द्वारा लघु भेषज विनिर्माण इकाइयों के शोषण और उत्पीड़न को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) जी, हां।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की संशोधित अनुसूची एम (उत्तम विनिर्माण प्रैक्टिस) तथा अनुसूची यू के अनुसार विनिर्माताओं द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों का रख–रखाव किया जाता है :

(i) मास्टर फार्मूला रिकार्ड

(ii) बैच विनिर्माण रिकार्ड

(iii) कच्चे माल संबंधी रिकार्ड

(iv) बैच पैकिंग रिकार्ड

(v) विश्लेषण संबंधी रिकार्ड

(vi) साइट मास्टर फाइल

(vii) स्टेराइल उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित विनिर्माण रिकार्ड

(viii) प्रक्रियाधीन (इन–प्रोसेस) संबंधी रिकार्ड

(ix) वितरण संबंधी रिकार्ड

(x) विभिन्न कार्यकलापों के लिए मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाएं।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत, औषधियों के विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को होता है। आज की तारीख तक संबंधित स्टाफ द्वारा लघु फार्मा विनिर्माण संबंधी एककों के शोषण करने और परेशान करने की ऐसी कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

## चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सहायता

**1985. श्री पी. राजेन्दन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य में एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने के लिए 15.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई है। तथापि, इस मंत्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अधीन इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती हो। तदनुसार, केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है।

## एच.आई.वी./एड्स में अधिक जोखिम वाले समूह

**1986. प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेसहारा बच्चों, आदिवासियों, ट्रक चालकों और नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वालों को एच.आई.वी./एड्स के अत्यधिक जोखिम वाले समूह के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर उनकी अत्यधिक जोखिम वाले समूह ("हाइ रिस्क ग्रुप") के रूप में पहचान की गई है;

(ग) देश में एच.आई.वी. ग्रस्त ऐसे बेसहारा बच्चों, आदिवासियों, ट्रक चालकों और नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वालों की पृथक-पृथक राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) प्रत्येक समूह में अलग-अलग राज्य-वार कितने लोग एच.आई.वी. से ग्रस्त हैं; और

(ङ) इस महामारी की शुरूआत से अब तक प्रत्येक समूह में अलग-अलग राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी मौतें हुई?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) जी, हां। अति जोखिमपूर्ण वर्ग की सूची में यौन कार्यकर्ताओं और समलैंगिक पुरूषों के अलावा केवल आवारा बच्चों, ट्रकचालकों और इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधों का सेवन करने वालों को ही शामिल किया गया है। इन वर्गों की एचआईवी/एड्स के सम्भावित संचरण के लिए जिम्मेदार उनके अति जोखिमपूर्ण व्यवहार के आधार पर पहचान की गई है।

(ग) से (ङ) इन वर्गों की एचआईवी/एड्स की निगरानी के अंतर्गत पहचान नहीं की गई है। तथापि मानचित्रीय अध्ययन के माध्यम से किए गए राष्ट्रीय आकलन के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या इस प्रकार है – इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधों का सेवन करने वाले – 96,463, ट्रकचालक-21,96,591, आवारा बच्चे-1,02,425.

कार्यक्रम के अंतर्गत इन वर्गों में रोगियों और मौतों से संबंधित अन्य सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली में शामिल नहीं की गई है।

## एड्स के मामले

**1987. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारत में इस महामारी की शुरूआत से एड्स के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो एड्स के कारण वर्ष-वार एवं राज्य-वार अब तक कुल कितने लोगों की मौतें हुई; और

(ग) देश में एड्स ग्रस्त लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में एड्स से मरने वाले लोगों की कुल संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण तथा एड्सग्रस्त लोगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

### *विवरण-I*

### *एड्स के कारण हुई मौतों की सूचित संख्या*
### *(शुरूआत से 31 दिसम्बर, 2004)*

| क्र.सं. | राज्य | 1999 तक के संचयी आंकड़े | 2000 में सूचित | 2001 में सूचित | 2002 में सूचित | 2003 में सूचित | 2004 में सूचित | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 31 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 45 | 0 | 53 | 36 | 185 | 230 | 549 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | असम | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 5. | बिहार | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 6. | चंडीगढ़ | 8 | 13 | 29 | 22 | 19 | 19 | 110 |
| 7. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 118 | 24 | 27 | 32 | 29 | 6 | 236 |
| 10. | गोवा | 11 | 3 | 15 | 14 | 20 | 22 | 85 |
| 11. | गुजरात | 43 | 0 | 20 | 60 | 48 | 27 | 198 |
| 12. | हरियाणा | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 13 | 43 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | कर्नाटक | 97 | 19 | 27 | 40 | 27 | 28 | 238 |
| 16. | केरल | 78 | 74 | 120 | 139 | 120 | 0 | 531 |
| 17. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 45 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 70 |
| 19. | महाराष्ट्र | 410 | 77 | 176 | 202 | 182 | 151 | 1198 |
| 20. | मणिपुर | 129 | 18 | 51 | 73 | 133 | 0 | 404 |
| 21. | मेघालय | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22. | मिजोरम | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 | 21 | 44 |
| 23. | नागालैंड | 29 | 25 | 28 | 35 | 51 | 82 | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | उड़ीसा | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 25. | पांडिचेरी | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 26. | पंजाब | 69 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 27. | राजस्थान | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 28. | सिक्किम | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 29. | तमिलनाडु | 403 | 119 | 249 | 285 | 351 | 319 | 1726 |
| 30. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 31 | 6 | 15 | 4 | 23 | 7 | 86 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 21 | 18 | 27 | 48 | 62 | 0 | 176 |
| 33. | अहमदाबाद नगर निगम | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3 | 40 |
| 34. | मुम्बई एमसी | 163 | 31 | 178 | 202 | 233 | 175 | 982 |
| | कुल | 1875 | 471 | 1039 | 1247 | 1541 | 1117 | 7290 |

## *विवरण-II*

*भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम*

*भारत में एड्स के मामले (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को यथा सूचित)*

*(28 फरवरी, 2005 तक)*

| क्रम संख्या | राज्य/संघशासित क्षेत्र | एड्स के मामले |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10819 |
| 2. | असम | 225 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 |
| 4. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 33 |
| 5. | बिहार | 155 |
| 6. | चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) | 1099 |
| 7. | दिल्ली | 949 |
| 8. | दमन और दीव | 1 |
| 9. | दादरा और नगर हवेली | 0 |
| 10. | गोवा | 495 |
| 11. | गुजरात | 5098 |
| 12. | हरियाणा | 400 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 223 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 2 |
| 15. | कर्नाटक | 2126 |
| 16. | केरल | 1769 |
| 17. | लक्षद्वीप | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 1305 |
| 19. | महाराष्ट्र | 12963 |
| 20. | उड़ीसा | 128 |
| 21. | नागालैंड | 718 |
| 22. | मणिपुर | 2866 |
| 23. | मिजोरम | 106 |
| 24. | मेघालय | 8 |
| 25. | पांडिचेरी | 302 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | पंजाब | 292 |
| 27. | राजस्थान | 1153 |
| 28. | सिक्किम | 8 |
| 29. | तमिलनाडु | 48180 |
| 30. | त्रिपुरा | 5 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1383 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 2397 |
| 33. | अहमदाबाद नगर निगम | 520 |
| 34. | मुम्बई नगर निगम | 7005 |
| | कुल | 102733 |

### वैश्विक एच.आई.वी./एड्स महामारी संबंधी संयुक्त राष्ट्र की एड्स रिपोर्ट

**1988. श्री राजेन गोहेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वैश्विक एच.आई.वी./एड्स महामारी (एड्स एपीडेमिक अपडेट्स–1999) संबंधी संयुक्त राष्ट्र की एड्स रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एड्स के कारण हुई मौतों का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो इस महामारी की शुरूआत से वर्ष 1999 के अंत तक कितने बच्चों (15 वर्ष से कम) की मौत होने का अनुमान है;

(ग) इस महामारी की शुरूआत से वर्ष 1999 के अंत तक वयस्क एवं बच्चों के मरने की प्राक्कलित संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1999 के अंत तक बच्चों (15 वर्ष से कम) की कितनी संचयी संख्या के अनाथ होने का प्राक्कलन किया गया है;

(ङ) वर्ष 1999 में वयस्कों और बच्चों की हुई मौतों की प्राक्कलित संख्या कितनी है;

(च) वर्ष 1999 में बच्चों की हुई मौतों की प्राक्कलित संख्या कितनी है; और

(छ) ए.बी.सी.डी. एवं ई. हेतु तत्संबंधी पृथक–पृथक अवधि के लिए भारत के आंकड़े क्या हैं जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की एड्स रिपोर्ट प्रकाशित है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) एक विवरण संलग्न है।

### *विवरण*

*दक्षिण और दक्षिण–पूर्वी एशिया के आंकड़ों और भारत के संगत आंकड़ों को दर्शाने वाली वैश्विक एचआईवी/एड्स महामारी संबंधी यूएन एआईडी रिपोर्ट–1999*

| पैरा | | दक्षिण और दक्षिण–पूर्वी एशिया के आंकड़े | भारत के आंकड़े (भाग छ देखें) |
|---|---|---|---|
| (ख) | महामारी के शुरू होने से वर्ष 1999 के अन्त तक बच्चों (15 वर्ष से कम आयु के) की अनुमानित मौतें | 2,42,000 | रिपोर्ट में नहीं बताया गया |
| (ग) | महामारी के शुरू होने से वर्ष 1999 के अन्त तक अनुमानित वयस्क और बच्चों की मौतें . | 11,00,000 | –तदैव– |
| (घ) | जिन बच्चों (15 वर्ष से कम आयु के) का वर्ष 1999 के अन्त तक अनाथ होने का अनुमान लगाया गया है, उनकी संचित संख्या | 8,50,000 | –तदैव– |
| (ङ) | वर्ष 1999 में अनुमानित वयस्क और बच्चों की मौतें | 4,60,000 | 3,10,000 |
| (च) | वर्ष 1999 में बच्चों की अनुमानित मौतें | 29,000 से 54,000 | 16,000 से 33,000 |
| (छ) | कृपया कालम 3 देखें | – | – |

### 'नाको' द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी

**1989. श्री रामदास आठवले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाको (नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन) ने एच.आई.वी./एड्स के निवारण, देखभाल और उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों (डाक्टरों, नर्सों आदि) को प्रशिक्षण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 से अब तक ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की वर्ष–वार, राज्य–वार एवं जिला–वार संख्या कितनी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) जी, हां। नाको एचआईवी/एड्स की निवारण परिचर्या और उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। 1992–93 से 1998–99 तक शुरू होने वाले राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) चरण–I के दौरान कुल 60,000 स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें डाक्टर, नर्सें, और पराचिकित्सीय कार्मिक शामिल थे। प्रशिक्षित स्टाफ की मानीटरिंग राज्य स्तर पर की गई और इसके आंकड़े केन्द्र स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। एनएसीपी–II (अप्रैल,99) के शुरू होने के बाद 5,82,781 स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों को संपूर्ण देश में प्रशिक्षित किया गया है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिला–वार ब्यौरे का विश्लेषण राज्य स्तर पर किया जाता है।

### *विवरण*

*जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार, एनएसीपी–II के दौरान एचआईवी/एड्स के संबंध में राज्य–वार प्रशिक्षण की स्थिति*

| राज्य | अवधि | डाक्टर | नर्सें | प्रयोगशाला तकनीशियन | फील्ड कर्मी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **उच्च व्याप्तता वाले राज्य** | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | अप्रैल, 99–मार्च, 04 | 8704 | 2020 | 499 | 18927 | 30150 |
| | स्वीकृत संख्या | 9192 | 7284 | 1098 | 40359 | 57933 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक* | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| कर्नाटक | अप्रैल, 99–जून, 04 | 6457 | 1304 | 587 | 9340 | 17688 |
| | स्वीकृत संख्या | 8500 | 4717 | 2000 | 14988 | 30205 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 8.6 |
| महाराष्ट्र | अप्रैल, 99–जून, 04 | 25,859 | 11759 | 185 | 171280 | 209056 |
| | स्वीकृत संख्या | 7528 | 15097 | 1124 | 37380 | 61129 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 4.6 | 3.4 |
| मणिपुर | अप्रैल, 99–मार्च, 04 | 3218 | 3359 | 6638 | 21937 | 35152 |
| | स्वीकृत संख्या | 875 | 700 | 4260 | 600 | 6435 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 3.7 | 4.8 | 1.6 | 36.6 | 5.5 |
| नागालैंड | अप्रैल, 99–जून, 04 | 1345 | 2211 | 169 | 3980 | 7705 |
| | स्वीकृत संख्या | 790 | 1750 | 104 | 4022 | 6666 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | अप्रैल, 99–दिसम्बर, 03 | 7930 | 3267 | 2174 | 7588 | 20959 |
| | स्वीकृत संख्या | 7370 | 12500 | 2150 | 7500 | 29520 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| मुम्बई जिला एम.सी. | अप्रैल, 99–जून, 04 | 4718 | 4802 | 352 | 7141 | 17013 |
| | स्वीकृत संख्या | 9225 | 5560 | 731 | 13200 | 28716 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| **औसत व्याप्तता वाले राज्य** | | | | | | |
| गोवा | अप्रैल, 99–मार्च, 04 | 673 | 498 | 45 | 690 | 1906 |
| | स्वीकृत संख्या | 615 | 952 | 92 | 645 | 2304 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| गुजरात | अप्रैल, 99–जून, 04 | 3730 | 6251 | 205 | 23330 | 33516 |
| | स्वीकृत संख्या | 6733 | 5268 | 507 | 12649 | 25157 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.3 |
| पांडिचेरी | अप्रैल, 99–मार्च, 04 | 277 | 897 | 69 | 363 | 1606 |
| | स्वीकृत संख्या | 393 | 994 | 84 | 488 | 1959 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| **निम्न व्याप्तता वाले राज्य** | | | | | | |
| बिहार | अप्रैल, 99–जून, 04 | 2326 | 2312 | 388 | 9112 | 14138 |
| | स्वीकृत संख्या | 5303 | 2165 | – | 13813 | 21281 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक* | 0.4 | 1.1 | – | 0.7 | 0.7 |
| चंडीगढ़ | अप्रैल, 99-जून, 04 | 1016 | 1321 | 336 | 561 | 3234 |
| | स्वीकृत संख्या | 760 | 1746 | 516 | 222 | 3244 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक* | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 1.0 |
| दिल्ली | अप्रैल, 99 से मार्च, 03 | 4206 | | 4850 | 19429 | 28485 |
| | स्वीकृत संख्या | 3700 | | 13000 | 33200 | 49900 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक* | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| दादरा और नागर हवेली | अप्रैल, 99 से मार्च, 03 | 32 | 9 | 5 | 77 | 123 |
| | स्वीकृत संख्या | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दमन और द्वीव | अप्रैल, 99 से मार्च, 03 | 64 | 14 | 17 | 48 | 143 |
| | स्वीकृत संख्या | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| हरियाणा | अप्रैल, 99 से मार्च, 04 | 1454 | 945 | 1219 | 11942 | 15560 |
| | स्वीकृत संख्या | 1703 | 1512 | 1267 | 16240 | 20722 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.9 | 0.6 | 1.01 | 0.7 | 0.8 |
| हिमाचल प्रदेश | अप्रैल, 99 से मार्च, 04 | 3518 | 2272 | 521 | 4612 | 10923 |
| | स्वीकृत संख्या | 2797 | 1171 | 556 | 3984 | 9048 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| जम्मू–कश्मीर | अप्रैल, 99 से मार्च, 03 | 2054 | 1826 | | 5961 | 9841 |
| | स्वीकृत संख्या | 4788 | 1680 | | 13600 | 20068 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.4 | 1.1 | 0.4 | | 0.5 |
| केरल | अप्रैल, 00 से जून, 03 | 3284 | 5887 | 672 | 11111 | 20954 |
| | स्वीकृत संख्या | 5326 | 8024 | 674 | 1463 | 15487 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 7.6 | 1.4 |
| लक्षद्वीप | | कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है | | | | |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मध्य प्रदेश | अप्रैल, 99 से जून, 03 | 3627 | 6266 | 688 | 5889 | 16470 |
| | स्वीकृत संख्या | 3547 | 11,182 | 1028 | 10958 | 26715 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| मेघालय | अप्रैल, 99 से दिस., 03 | 237 | 397 | – | – | 634 |
| | स्वीकृत संख्या | 462 | 799 | 89 | 1089 | 2439 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.5 | 0.5 | | | 0.3 |
| मिजोरम | अप्रैल, 99 से मार्च, 04 | 752 | 826 | 107 | 1042 | 2727 |
| | स्वीकृत संख्या | 268 | 617 | 33 | 1283 | 2201 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 2.8 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | 1.2 |
| उड़ीसा | अप्रैल, 99 से जून, 03 | 3148 | 991 | 655 | 429 | 5223 |
| | स्वीकृत संख्या | 4421 | 1450 | 817 | 9446 | 16134 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| पंजाब | अप्रैल, 99 से जून, 04 | 2025 | 424 | | 835 | 3284 |
| | स्वीकृत संख्या | 4431 | 3055 | 1061 | 11872 | 20419 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.5 | 0.1 | | 0.1 | 0.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | अप्रैल, 99 से मार्च, 03 | 3841 | 6424 | 690 | 2911 | 13866 |
| | स्वीकृत संख्या | 6533 | 11088 | 2536 | 16530 | 36687 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 06 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| सिक्किम | अप्रैल, 00 से जून, 04 | 239 | 341 | 72 | 203 | 855 |
| | स्वीकृत संख्या | 318 | 752 | 78 | 214 | 1362 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| त्रिपुरा | अप्रैल, 99 से मार्च, 04 | 445 | 156 | 6 | 164 | 771 |
| | स्वीकृत संख्या | 700 | 1000 | 170 | 2118 | 3988 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| उत्तर प्रदेश | अप्रैल, 00 से जून, 03 | 7442 | 2459 | 677 | 1529 | 12107 |
| | स्वीकृत संख्या | 10428 | 5426 | 1872 | – | 17726 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.7 | 0.5 | 0.4 | | 0.7 |
| पश्चिम बंगाल | अप्रैल, 99 से मार्च, 04 | 8581 | 17292 | 1544 | 13256 | 40673 |
| | स्वीकृत संख्या | 9500 | 16,528 | 1470 | 24000 | 51498 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| अहमदाबाद एमसी | अप्रैल, 99 से मार्च, 04 | 664 | 863 | 23 | 1408 | 2958 |
| | स्वीकृत संख्या | 500 | | | 500 | 1000 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.3 | | | | 3.0 |
| चेन्नई एमसी | अप्रैल, 99 से दिस., 03 | 712 | 2698 | 9 | 28 | 3447 |
| | स्वीकृत संख्या | 1225 | 2040 | 35 | उ.न. | 3300 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.6 | 1,3 | 0.3 | | 1.0 |
| छत्तीसगढ़ एसएसीएस | | कोई सूचना उपलब्ध नहीं | | | | |
| झारखंड एसएसीएस | अप्रैल, 03 से मार्च, 04 | 268 | 255 | 22 | 417 | 962 |
| | स्वीकृत संख्या | 935 | | | 1250 | 2185 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 0.3 | 0.2 | | | 0.4 |
| उत्तरांचल एसएसीएस | अप्रैल, 03 से मार्च, 04 | 644 | 0 | 8 | 0 | 652 |
| | स्वीकृत संख्या | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| कुल | प्रशिक्षित | 113,490 | 95,196 | 24,516 | 349,579 | 582,781 |
| | स्वीकृत संख्या | 118515 | 139395 | 37952 | 277817 | 575428 |
| | प्रशिक्षण सूचकांक | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |

*प्रशिक्षण सूचकांक–प्रशिक्षित संख्या/उपलब्ध कार्मिक–शक्ति

## राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पौधारोपण

1990. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ भिन्न-भिन्न आयुर्वेदिक वृक्षों के रोपण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) सरकार की नीति राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की है जिसमें आयुर्वेदिक औषधीय गुणों वाले वृक्ष भी शामिल हैं। वृक्षारोपण की व्यवस्था को राष्ट्रीय राजमार्गों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वीथि वृक्षारोपण पर विचार किया जा रहा है। वीथि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का सौंदर्य बढ़ाना है। वीथि वृक्षारोपण के लिए प्रजातियों का चयन कृषि – जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किया जा रहा है जिसमें औषधीय गुण वाली कुछ प्रजातियां भी शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हेतु भूमि का अर्जन

1991. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 22 मई, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक स्वर्णिम चतुर्भुज (जी. क्यू.), उत्तर-दक्षिण (एन.एस.) और पूर्व पश्चिम (ई. डब्ल्यू) गलियारों के लिए इनमें से प्रत्येक हेतु अलग-अलग राज्यवार और तिथिवार अर्जित भूमि की लंबाई क्या है और कितनी शेष भूमि अर्जित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) 22 मई, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक कितने ठेके दिए गए और प्रत्येक ठेके को दिए जाने की तिथि, पूरा होने की तिथि, ठेके की लंबाई एवं स्थान तथा राशि का तिथि-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अब तक कितनी लबाई का चार लेन होना बाकी है और पूरा होने की समय सीमा, स्थान और लंबाई-वार समय सीमा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज को 4 लेन बनाने की मार्गवार स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है। आशा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज काफी हद तक दिसंबर, 2005 तक पूरा हो जाएगा।

### *विवरण-I*

*स्वर्णिम चतुर्भुज भूमि अधिग्रहण प्रगति*

| क्र.सं. | राज्य | अधिग्रहण के लिए कुल क्षेत्र (हेक्टे.) | मई, 04 तक अधिग्रहीत कुल भूमि (हेक्टे.) | 22 मई, 2004 से 28 फरवरी, 2005 के दौरान अधिग्रहीत भूमि (हेक्टे.) | | | | | | | | | अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | जून, 04 | जुला. 04 | अग. 04 | सित. 04 | अक्तू. 04 | नव. 04 | दिस. 04 | जन. 05 | फर. 05 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | तमिलनाडु | 896.00 | 33400 | 2.00 | 21.00 | 54.00 | 31.00 | 13.00 | 8.80 | 2.67 | 0.00 | 2.06 | 427.79 |
| 2. | गुजरात | 210.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00* |
| 3. | महाराष्ट्र | 661.00 | 377.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 65.00 | 0.00 | 190.00** |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 585.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 5. | कर्नाटक | 1607.00*** | 1456.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 87.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 51.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | झारखंड | 52.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | 1730.00 | 1711.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 8. | राजस्थान | 1512.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 471.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 10. | बिहार | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | उड़ीसा | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | जोड़ | 8362.00 | 7180.50 | 13.50 | 25.40 | 141.00 | 33.00 | 15.00 | 108.80 | 19.67 | 66.00 | 6.06 | 524.09 |

* 39 हेक्टेयर मार्गाधिकार क्षेत्र को भविष्य में 45 मीटर से चौड़ा करके 60 मीटर करने के लिए है।

** 190 हेक्टेयर में से 134 हेक्टेयर मार्गाधिकार क्षेत्र को भविष्य में 45 मीटर से चौडा करके 60 मीटर करने के लिए है।

*** सेवा के लिए वास्तविक निर्धारण के कारण अधिग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

### *उत्तर–दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग – भूमि अधिग्रहण प्रगति*

उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के विभिन्न खंडों पर भूमि अधिग्रहण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है। 22 मई, 2004 से 28 फरवरी, 2005 के दौरान अधिग्रहीत भूमि (हेक्टे.) के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

| क्रम सं. | राज्य | 22 मई, 2004 से 28 फरवरी, 2005 के दौरान अधिग्रहीत भूमि (हेक्टे.) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सित.04 | अक्तू.04 | नव.04 | दिस.04 | जन.05 | फर.05 |
| 1. | गुजरात | 5.26 | 61 | – | 143.31 | – | – |
| 2. | उत्तर प्रदेश | – | – | – | – | – | 1.08 |
| 3. | बिहार | – | – | – | – | – | 23.97 |

नोट : उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के कुछ खंडों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं इसलिए अधिग्रहण किए जाने वाले कुल क्षेत्र और अधिग्रहण के लिए शेष क्षेत्र के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

### *विवरण-II*

| क्र.सं. | खंड | रा रा सं. | लंबाई (कि.मी.) | पूरा होने की अनुमानित तारीख | सिविल ठेकेदारों को सौंपी गई लागत (करोड़ रु.) | सौंपने की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | इलाहाबाद बाइपास ठेका II,<br>158 से 198 किमी. | 2 | 38.987 | दिस. 2006 | 446.99 | 9.6.2004 |
| 2. | इलाहाबाद बाइपास ठेका III,<br>198 से 242.708 किमी. | 2 | 44.708 | दिस. 2006 | 505.27 | 4.11.2004 |
| 3. | सिल्चर–उदरबंद<br>309 से 275.00 किमी. | 54 | 34 | सित. 2007 | 115.86 | 22.6.2004 |
| 4. | डीसा से राधनपुर<br>372.60 से 458.0 किमी. | 14 | 85.4 | नव. 2007 | 326.03 | 2.11.2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | राधनपुर से गागोधर 138.80 से 245.00 किमी. | 15 | 106.2 | नव. 2007 | 288.54 | 22.11.2004 |
| 6. | गागोधर से गारामोड़ 245.0 से 281.3 किमी और 308.00 से 254.00 किमी | 15 व 8ए | 90.3 | नव. 2007 | 339.29 | 22.11.2004 |
| 7. | रा रा 8बी (बीओटी) पर जैतपुर से गोंदल और राजकोट बाइपास (117 से 143 और 175 से 185 किमी) | 8बी | 36 | दिस. 2007 | 265.00 | 18.1.2005 |
| 8. | गारा मोड़ से बामनबोरे 254.00 से 182.60 किमी | 8ए | 71.4 | नव. 2007 | 289.92 | 22.11.2004 |
| 9. | जैतपुर से भिलादी 117 से 52.50 किमी | 8बी | 64.5 | नव. 2007 | 299.84 | 22.11.2004 |
| 10. | भिलादी से पोरबंदर 52.50 से 2.00 किमी | 8बी | 50.5 | नव. 2007 | 193.23 | 22.11.2004 |
| 11. | ओमालुर से थुंपीपाड़ी 163.40 से 180.00 किमी | 7 | 16.6 | अक्तू. 2007 | 49.70 | 8.2.2005 |
| 12. | जवाहरलाल नेहरू पत्तन चरण II राज्यीय राजमार्ग = 54 + आमरामार्ग + पनवेल क्रीक पुल | राज्यीय राजमार्ग–54 | 14.35 | मई 2007 | 127.10 | 2.7.2004 |
| 13. | गढ़मुक्तेश्वर – मुरादाबाद 93 से 149.23 किमी | 24 | 56.25 | सित. 2007 | 221.42 | 22.11.2004 |
| 14. | हापुड़ – गढ़मुक्तेश्वर 58 से 93 किमी | 24 | 35 | सित. 2007 | 195.51 | 22.7.2004 |
| 15. | चैन्ने बाइपास चरण II | 4 व 45 | 12.5 | अगस्त 2007 | 404.98 | 25.1.2005 |
| 16. | चैन्ने शहर में रा रा 4, 45 और 205 पर निर्बाध सुविधाओं का निर्माण करके स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए पहुंच में सुधार | 4, 45 व 205 | 4 | मार्च 2007 | 196 | 28.1.2005 |
| 17. | महाराष्ट्र में रेलवे लेवल क्रासिंग 113 (बुतीबोरी आर ओ बी) पर नागपुर अदीलाबाद खंड के 22.865 से 24.650 किमी. में आर ओ बी और उसके पहुंचमार्गों का निर्माण | 7 | 1.785 | अक्तू. 2006 | 24.268 | 10.2.2005 |
| 18. | बोरखेड़ी से जाम खंड 36.6 से 64.0 किमी. | 7 | 27.4 | अक्तू. 2007 | 89.387 | 10.2.2005 |

### *विवरण-III*

### *स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग वार ब्यौरे*

| मार्ग (रा रा) | कुल लंबाई (कि.मी.) | चार लेन की लंबाई (कि.मी.) | कार्यान्वयन के अधीन (कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली–मुंबई (रा.रा. 8, 76 व 79) | 1419 | 1383 | 36 |
| मुंबई–चैन्ने (रा.रा. 4, 7 व 46) | 1290 | 1015 | 275 |
| कोलकाता–चैन्ने (रा.रा. 5,6 व 60) | 1684 | 1358 | 326 |
| दिल्ली–कोलकाता (रा.रा 2) | 1453 | 855 | 598 |
| जोड़ | 5846 | 4611 | 1235 |

*[हिन्दी]*

## ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर डाक वितरण सेवा

**1992. मो. मुकीम :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण "पोस्ट मेन" द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर जाकर डाक वितरण सेवा–प्रदान करने वाली डाक विभाग की इकाई की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो घर–घर जाकर डाक वितरण सेवा प्रदान करने वाले इन व्यक्तियों को कब तक विभागीय कर्मचारी बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के घर–घर तक वितरण की सेवा प्रमुख रूप से ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा प्रदान की जाती है जिन्हें अतिरिक्त विभागीय डाकघरों से संबद्ध किया गया है।

(ख) इन व्यक्तियों को विभागीय कर्मचारी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ग्रामीण डाक सेवकों को तीन से पांच घण्टों की कार्य अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उनके कार्यभार के अनुसार उनकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। हालांकि, वे विभाग में समूह 'ग' और 'घ' के कुछ वर्गों के पदों पर भर्ती हेतु पात्र हैं। इन पदों पर उनकी भर्ती संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के पूरा करने एवं रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

*[अनुवाद]*

## जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पताल

**1993. श्री के. एस. राव :**
**श्री मधु गौड यास्खी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) के अस्पताल कबाड़ियों को रोगाणुमुक्त किए बिना अपशिष्ट पदार्थों की बिक्री कर रहें जैसा कि दिनांक 16 फरवरी, 2005 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रोगाणुमुक्त किए बिना ऐसे अस्पताल अपशिष्ट की बिक्री जैव–चिकित्सा अपशिष्ट नियमों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी अस्पतालों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में ऐसे प्राधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## एम.टी.एन.एल. सेवाओं का "हैंग" हो जाना

**1994. श्री किसनभाई वी. पटेल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली की एम.टी.एन.एल. प्रणाली "हैंग" हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कारवाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली की एमटीएनएल प्रणाली में हाल ही में, निम्नलिखित खराबियां उत्पन्न हो गई थीं :–

(i) ईदगाह एक्सचेंज 12.2.2005 को लगभग 5 घंटे के लिए बंद रहा।

(ii) एमटीएनएल, दिल्ली की जीएसएम सेवाएं तीस हजारी (टीएच), नेहरू प्लेस (एनपी), हौज खास (एचके) एवं किदवई भवन (केबीएन) जोनों में दिनांक 04.03.

2005 को लगभग 2–3 घंटे के लिए आंशिक रूप से प्रभावित रहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। एमटीएनएल ने खराबी के कारणों की जांच की तथा निम्नलिखित कारण पाए गए :

(i) ईदगाह एक्सचेंज में दोनों बैटरियों के खराब हो जाने से खराबी आ गई थी।

(ii) तीस हजारी एमएससी में ओएफ प्रणालियों को डायरेक्ट करेंट आपूर्ति न होने से जीएसएम सेवा ठप्प हो गयी। एमएससीबी के जल जाने से डी.सी. आपूर्ति बंद हो गई। मोबाइल प्रणाली कार्य कर रही थी, लेकिन ओएफ सिस्टम के खराब होने से सेवा ठप्प हो गई थी।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) ईदगाह एक्सचेंज के लिए नई बैटरी सैटों के प्रापण हेतु कार्रवाई की गई है।

(ii) डॉलफिन के लिए भविष्य में पूर्णरूपेण सेवा को ठप्प न होने देने के लिए पूर्तिकारी (बैकअप) उपाय के रूप में "स्टैण्ड बाई" डी सी वितरण बॉक्स तथा पृथक विद्युत संयंत्र से पृथक विद्युत तार (पावर केबल) लगाने हेतु कदम उठाए गए हैं।

### मंत्रालयों/विभागों का नेतृत्व करने वाले सचिव

**1995. श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों का नेतृत्व करने वाले कुल कितने सचिव हैं; और

(ख) भारत सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किए जाने के पूर्व अतिरिक्त सचिव श्रेणी में उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितने वर्ष की सेवा प्रदान की गई?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) 11.03.2005 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों का नेतृत्व करने वाले सचियों की कुल संख्या 73 है।

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत सचिव के पद पर कार्य करने के लिए अधिकारियों की निर्धारित पात्रता निम्नानुसार है:–

मूल वेतन 22400/– रुपए अथवा इससे अधिक वेतनमान वाले पद में दो वर्ष की न्यूनतम सेवा। (टिप्पणी : अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मामले में, जिन्हें विभिन्न संवर्गों में आबंटित किया जाता है, पात्रता मानदंड, सम्पूर्ण बैच पर लागू होंगे, जैसे ही बैच के किसी एक अधिकारी ने 22400/– रुपए प्रति माह के मूल वेतन वाले पद पर अपेक्षित 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो) चयन के कठोर मानदंड, सभी सेवाओं के सदस्यों पर लागू होंगे।

### डाक्टरों, नर्सों आदि का अनुपात

**1996. श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990 और 2004 की अवधि के दौरान प्रति एक लाख जनसंख्या पर सरकारी डाक्टरों, नर्सों, अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और औषधालयों का अनुपात क्या है; और

(ख) राज्य–वार वृद्धि/गिरावट दर की प्रवृत्ति क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा संकलित अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में सरकारी एजेन्सियों में प्रति डाक्टर सेवित औसत जनसंख्या 661 से 64182 तक के आसपास है जैसा कि संलग्न विवरण–I में ब्यौरा दिया गया है। इसी प्रकार, 1990 के बाद की अवधि के दौरान प्रति एक लाख जनसंख्या पर नर्सों की संख्या तथा प्रति एक मिलियन जनसंख्या पर अस्पतालों की संख्या संलग्न विवरण–II तथा III में दी गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा औसतन 32129 ग्रामीण जनसंख्या कवर की जाती है। प्रति एक लाख जनसंख्या पर औषधालयों की संख्या से संबंधित आंकड़ें केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

### *विवरण-I*

सरकारी एजेन्सियों में प्रति डाक्टर सेवित औसत जनसंख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | प्रति डाक्टर सेवित जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 64182 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3532 |
| 3. | असम | 12128 |
| 4. | बिहार | * |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | * |
| 6. | गोवा | 7507 |
| 7. | गुजरात | * |
| 8. | हरियाणा | उ.न. |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | उ.न. |
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 3956 |
| 11. | झारखंड | * |
| 12. | कर्नाटक | 11714 |
| 13. | केरल (क) | 8057 |
| 14. | मध्य प्रदेश | * |
| 15. | महाराष्ट्र | उ.न. |
| 16. | मणिपुर | 2820 |
| 17. | मेघालय | 6665 |
| 18. | मिजोरम | 3427 |
| 19. | नागालैण्ड | 5014 |
| 20. | उड़ीसा | 7312 |
| 21. | पंजाब | 6642 |
| 22. | राजस्थान (4) | 11252 |
| 23. | सिक्किम | 3335 |
| 24. | तमिलनाडु (ख) | 21637 |
| 25. | त्रिपुरा | 4004 |
| 26. | उत्तर प्रदेश (5) | 25153 |
| 27. | उत्तरांचल | * |
| 28. | पश्चिम बंगाल | * |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3043 |
| 30. | चंडीगढ़ | 661 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 6250 |
| 32. | दमन और दीव | 5097 |
| 33. | दिल्ली (6) | 16158 |
| 34. | लक्षद्वीप | 2179 |
| 35. | पांडिचेरी (ग) | 1607 |

* आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए।

### *विवरण-II*

*प्रति एक लाख जनसंख्या पर नर्सों की संख्या*

| वर्ष | प्रति एक लाख जनसंख्या पर नर्सों की संख्या |
|---|---|
| 1990 | 37 |
| 1991 | 40 |
| 1992 | 45 |
| 1993 | 52 |
| 1994 | 58 |
| 1995 | 63 |
| 1996 | 61 |
| 1997 | 64 |
| 1998 | 70 |
| 1999 | 75 |
| 2000 | 78 |
| 2001 | 78 |
| 2002 | 82 |
| 2003 | उ.न. |

स्रोत : भारतीय नर्सिंग परिषद

### *विवरण-III*

*प्रति एक मिलियन जनसंख्या पर अस्पतालों की संख्या*

| वर्ष (1 जनवरी की स्थिति के अनुसार) | प्रति एक मिलियन जनसंख्या पर अस्पतालों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1990 | 13 |
| 1991 | 13 |
| 1992 | 13 |
| 1993 | 16 |
| 1994 | 17 |
| 1995 | 17 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1996 | 16 |
| 1997 | 16 |
| 1998 | 16 |
| 1999 | 16 |
| 2000 | 16 |
| 2001 | 15 |
| 2002 | 15 |

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार)

### गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों की पदोन्नति

**1997. श्री एन.एस. वी. चित्तन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार गैर–चिकित्सा वैज्ञानिकों को स्व–स्थाने पदोन्नति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसी कितनी पदोन्नतियां दी गई हैं;

(ग) क्या स्व–स्थाने पदोन्नति के साथ पदनाम भी दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप 'ए' राजपत्रित गैर–चिकित्सीय वैज्ञानिक और तकनीकी पद) इन सीटू पदोन्नति नियमावली, 1990 के अनुसार वैज्ञानिक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत ग्रुप 'ए' राजपत्रित गैर चिकित्सीय तकनीकी अधिकारियों को इन सीटू (स्व–स्थाने) पदोन्नति दी जाती है।

(ख) 377

(ग) और (घ) स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप 'ए' राजपत्रित गैर–चिकित्सीय वैज्ञानिक और तकनीकी पद) इन सीटू पदोन्नति नियमावली–1990 में यह उल्लेख है कि 'इन सीटू पदोन्नति' का आशय किसी अभ्यर्थी को वर्तमान वैज्ञानिक स्तर से उच्चतर वैज्ञानिक स्तर पर पद अथवा पदनाम में कोई परिवर्तन किए बिना, प्रोन्नत करने से है। इन सीटू प्रोन्नति मिलने पर सम्बन्धित इन सीटू आदेशों में नए पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

### सेलफोनों का उपयोग

**1998. डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में अश्लील सामग्री की बढ़ोतरी में आधुनिक कैमरा सेलफोनों की सबसे बड़ी भूमिका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सेलफोनों के उपयोग अथवा विपणन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) सरकार को भी प्रचार तंत्र (मीडिया) की रिपोर्टों से सैल फोनों में प्रदान किए गए कैमरे के दुरूपयोग के बारे में पता लगा है। कैमरा सैल फोन प्रौद्योगिकीय उन्नति की देन हैं तथा ऐसे उत्पादों का उपयोग पूर्णतया उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। चूंकि सैल फोन में 'इन–बिल्ट' कैमरे के इस्तेमाल का संबंध सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा से न हो कर केवल लघु कैमरे के उपयोग से है, अतः संचार मंत्रालय कैमरा सैल फोनों जैसे उन्नत प्रौद्योगिकीय उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

### इराक में अनाज के बदले तेल कार्यक्रम

**1999. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक में अनाज के बदले तेल कार्यक्रम की जांच करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतरिम रिपोर्ट में इस कार्यक्रम को त्रुटिपूर्ण बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के अनाज के बदले तेल कार्यक्रम में भारत किस सीमा तक भाग ले रहा है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)** : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र अनाज के बदले तेल कार्यक्रम की स्वतंत्र जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के बड़े संविदाकारों की चयन प्रक्रिया बोली लगाने की सुस्थापित वित्तीय और प्रतियोगी नियमों के अनुरूप नहीं थी और यह स्वच्छता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मानदण्डों पर खरा नहीं उतरते हैं।

कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक रिपोर्ट में त्रुटियाँ पायी गयी हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के अनाज के बदले तेल कार्यक्रम में अनेक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। निर्यात की महत्वपूर्ण मदों में शामिल हैं चाय, चीनी, गेहूँ, सोयाबीन, आहार, यार्न, बिजली के सामान, मशीनरी एवं उपकरण, भेषज उत्पाद, तेल उद्योग के पुर्जे, तम्बाकू इत्यादि। तेल आयात की एक महत्वपूर्ण मद थी। नवम्बर, 2003 तक उपलब्ध संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार अनाज के बदले तेल कार्यक्रम के अंतर्गत इराक को किया गया कुल निर्यात लगभग 1.3 बिलियन अमरीकी डालर का था।

### संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या

**2000. श्री अनन्त नायक :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र में इस समय आई.ए.एस., आई.आर.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस. (सी. एंड सी.ई.) आई.एफ.एस., आई.एफ.एस. (फॉरेस्ट) के सेवा–वार संयुक्त सचिव स्तर के कितने अधिकारी हैं;

(ख) क्या केन्द्र में केन्द्रीय सेवाओं के एक विशेष बैच के अधिकारियों को आई.ए.एस. अधिकारियों की तुलना में संयुक्त सचिव की पदोन्नति पाने के लिए दो वर्ष अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्र में तैनात संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की सेवा–वार संख्या नीचे दशाई जा रही है :–

| सेवा | संयुक्त सचिव और उनके समकक्ष अधिकारियों की संख्या |
|---|---|
| भारतीय प्रशासनिक सेवा | 311 |
| भारतीय पुलिस सेवा | 60 |
| भारतीय वन सेवा | शून्य |
| भारतीय विदेश सेवा | 7 |
| भारतीय राजस्व सेवा<br>(सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क) | 1 |
| भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) | 11 |

(ख) और (ग) संयुक्त सचिव के स्तर के पदों की रिक्तियाँ, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य प्रतिभागी समूह 'क' सेवाओं से अधिकारी उधार लेकर भरी जाती हैं। जो अधिकारी उपर्युक्त योजना के अंतर्गत उधार लिए जाते हैं वे निर्धारित कार्य–काल तक प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में सेवा करते हैं तथा उसके पश्चात् अपने मूल संवर्ग में वापस चले जाते हैं। इन अधिकारियों को उन्नयन, विकास और कॅरिअर से जुड़ी संभावनाएँ मुख्यतः उनकी अपनी सेवा में ही सुलभ होती है। इन अधिकारियों की पदोन्नति उनके अपने संवर्गों में ही होती हैं। ये पद किसी सेवा विशेष हेतु निर्धारित नहीं किए जाते।

*[हिन्दी]*

### भूटान के साथ विद्युत उत्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम

**2001. श्रीमती किरण माहेश्वरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और भूटान का विचार जलविद्युत परियोजनाओं को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) से (ग) पन–बिजली उत्पादन क्षेत्र में सहयोग भारत–भूटान आर्थिक सहयोग के स्तंभों में से एक है। भारतीय सहायता से निर्मित 336 मेगावाट की चुखा परियोजना और 60 मेगावाट की कुरिचु परियोजना पहले ही चालू हो चुकी है और इनसे भारत को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 1020 मेगावाट की ताला परियोजना, जिसका क्रियान्वयन अभी किया जा रहा है, एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से उत्पन्न अधिकांश बिजली भारत को दी जाएगी।

भारत सरकार पुनातसांगचु (चरण–I) परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का वित्त–पोषण भी कर रही है जिसकी अनुमानित क्षमता 900 मेगावाट है। पुनातसांगचु (चरण–II) और मंगदेचू परियोजना की, जिसकी अनुमानित संयुक्त क्षमता 1500 मेगावाट होगी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 25 जनवरी, 2005 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया।

*[अनुवाद]*

### ई-चौपालें

**2002. श्री सुशील कुमार मोदी :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ई–चौपालों के माध्यम से गांवों में विपणन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान लगभग कुल कितनी बिक्री हुई है;

(ग) क्या इससे ग्राम उद्योगों को किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने गांवों और ग्रामीण उद्योगों की सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाई है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ई–चौपाल एक भारतीय कंपनी, आईटीसी लिमिटेड की एक परियोजना है, जो किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं पेश करती है;

(i) इंटरनेट के द्वारा सूचना प्रसार, जैसे, बेहतरीन कृषि व्यवहार, जलवायु अवस्थाएं, विभिन्न फसलों की कीमतें आदि;

(ii) संबंधित राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति के नियमों के तहत मान्यताप्राप्त आईटीसी खरीदारी केंद्रों पर किसानों के उत्पादों को खरीदना; और

(iii) किसानों को गुणवत्ता कृषि इनपुट्स और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री।

(ख) 2004 के दौरान ई–चौपालों के माध्यम से कुल 12 करोड़ रुपये की बिक्री का आकलन किया गया है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और केवीआईसी तथा केवीआईबी में पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से सरकारी सहायता से संवर्धित इकाइयों की ग्रामीण उद्योग उत्पादों की बिक्री के आंकड़े (2003–04 के दौरान लगभग 10988.17 करोड़ रुपये) यह संकेत नहीं देते कि ये उत्पाद ई–चौपालों के द्वारा कृषि उत्पादों के विपणन के कारण विपणन चुनौतियों का सामना करते हैं।

(घ) सरकार, ग्रामीण उद्योग इकाइयों को प्रदर्शनियों में भागीदारी करने, ब्रांड प्रमोशन, गुणवत्ता आश्वासन और प्रौद्योगिकी उन्नयन में मदद करती है तथा पंजीकृत ग्रामीण उद्योग संस्थानों के बिक्री आउटलेटों के आधुनिकीकरण आदि में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, खादी तथा ग्रामीण उद्योग उत्पादों के विपणन तंत्र तो सशक्त करने के लिए 2003 में खादी तथा ग्रामोद्योग संवर्धन संघ की स्थापना की गई है। 2003 के दौरान खादी तथा ग्रामीण उद्योग उत्पादों के डिजाइन तथा पैकेजिंग सुधार में मदद के लिए केवीआईसी की प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) स्कीम आरंभ की गई है।

## पांचवी आर्थिक जनगणना

**2003. श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री विजय कृष्ण :**

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पांचवी आर्थिक जनगणना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी जनगणना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) चालू योजना के दौरान जनगणना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पांचवी आर्थिक जनगणना केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाने वाली है जिसमें राज्यों/संघशासित प्रदेशों को केन्द्र से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आर्थिक जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था (फसल उत्पादन एवं बागान को छोड़कर) के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए उद्यमों/प्रतिष्ठानों का नवीनतम ढांचा बनाना है जिसका उपयोग अनुवर्ती सर्वेक्षणों के लिए किया जाएगा। जनगणना संपूर्ण भारतीय संघ में की जाएगी। सिर्फ कुछ उन जगहों को छोड़ दिया जाएगा जो सालों भर अगम्य होती हैं तथा जहां राज्य/संघ–शासित सरकारें सूचना इकट्ठी करना असंभव समझती हों। क्षेत्र कार्य संबंधित राज्य/संघशासित प्रदेशों में अप्रैल–जून 2005 के दौरान किया जाएगा।

(घ) जनगणना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में 46.52 करोड़ रु. सहित 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2004–05 से 2006–07 के लिए 99.20 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

## प्रवेश के लिए समान दिशा-निर्देश

**2004. श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राज्य निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाने और इन महाविद्यालयों में प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए केन्द्रीय कानून बनाने हेतु सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में समान दिशा–निर्देशों हेतु कानून बनाने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों से निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश और शुल्क ढांचे से सम्बन्धित मामलों के समाधान के लिए केन्द्रीय कानून अधिनियमित किए जाने सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त हुआ है। सरकार ने इस क्रम में ही राज्य सरकारों सहित स्टेकहोल्डरों और सम्बद्ध विभागों से विचार–विमर्श करने के बाद, इस सम्बन्ध में समुचित विधान तैयार करने का निर्णय लिया है।

*[हिन्दी]*

### म्यांमार और बांग्लादेश में आतंकवादी शिविर

**2005. श्रीमती करूणा शुक्ला :**
**श्री के. एस. राव :**
**श्री मधु गौड यास्खी :**
**श्री हंसराज जी. अहीर :**
**श्रीमती अनुराधा चौधरी :**
**श्री राकेश सिंह :**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार और बांग्लादेश में विद्यमान आंतकवादी प्रशिक्षण शिविर सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक इन शिविरों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन शिविरों को नष्ट करने के लिए पड़ौसी सरकारों से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)** : (क) से (ङ) **म्यामांरः** सूचना है कि कुछ भारतीय विद्रोही गुट म्यामांर क्षेत्र का उपयोग अपने आश्रय और अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। इस मामले को अक्टूबर 2004 में म्यामांर के राज्याध्यक्ष की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान और अन्य अवसरों पर नियमित रूप से म्यामांर की सरकार के साथ उठाया गया है जिनमें स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि म्यामांर सरकार भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों के लिए अपने भूक्षेत्र को उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगी। गैर–पारंपरिक सुरक्षा मसलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 25 अक्टूबर 2004 को दोनों देशों के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्ष आतंकवाद सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले अन्य अपराधों की रोकथाम में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए गठित परामर्शी समूह की पहली बैठक फरवरी 2005 में हुई। इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों सरकारें सहयोग संवर्द्धित करने के उपाय कर रही हैं।

**बांग्लादेश** : ऐसी अनेक रिपोर्टें आयी हैं कि भारतीय उग्रवादी गुट अपने आश्रय, प्रशिक्षण शिविरों, हथियारों के परिवहन, आवाजाही इत्यादि के लिए बांग्लादेश के भूक्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। सूचना है कि भारतीय उग्रवादी गुटों के शिविर चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों, सिलहट प्रभाग और चटगांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ऐसे शिविरों के संबंध में जानकारी नियमित रूप से बांग्लादेशी प्राधिकारियों को दी जाती है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। इस मामले को जुलाई 2004 में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के साथ और अन्य उच्च स्तरों पर बार–बार उठाया गया है जिनमें आश्वासन दिया गया कि बांग्लादेश यह नहीं चाहता है कि कोई उसके भूक्षेत्र का उपयोग आंतकवाद के प्रयोजनार्थ करे। साथ ही बांग्लादेशी प्राधिकारी इस बात से इंकार करते रहे हैं कि उनके भूक्षेत्र में ऐसे शिविर विद्यमान हैं। यह मामला बांग्लादेश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय है।

*[अनुवाद]*

### लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों के लिए दिशा-निर्देश

**2006. श्री सुग्रीव सिंह :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लघु उद्योगों के उद्यमियों की सहायता हेतु एक परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)**: (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों के संबंध में एकमात्र वैश्विक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके मूल में विश्व व्यापार संगठन करार हैं, जो विश्व के व्यापार करने वाले अधिकांश राष्ट्रों द्वारा वार्तालाप द्वारा तय एवं हस्ताक्षरित किए गए हैं और उनकी संसदों में अनुसमर्थित हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। अतः भारत में लघु क्षेत्र और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। संघ सरकार, देशभर में लघु उद्यमियों को विश्व व्यापार करारों से अवगत कराने और लघु उद्यमों के लिए उनके निहितार्थ तथा इन करारों से मिलने वाले लाभ किस प्रकार प्राप्त किए जाएं तथा इनकी चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जाए, के संबंध में मार्गनिर्देश पेश करने के लिए कार्यशालाएं और संगोष्ठियों आयोजित करती रही हैं।

(ग) विश्व व्यापार करारों के प्रावधानों के भीतर लघु क्षेत्र के वैध हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल है – प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता, कलस्टर विकास की योजनाओं के माध्यम से सामान्य आधारभूत संरचना विकास और विपणन, संस्थानिक क्रेडिट की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना, आधुनिक प्रबन्ध व्यवहार्यों को अपनाने के लिए सहायता एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आदि। इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संगठन करारों के फ्रेमवर्क के भीतर लघु क्षेत्र को सुरक्षा, बाउंड स्तरों तक उत्पाद शुल्क को बढ़ाने, पाटनरोधी शुल्क लगाने, आयातों में उछाल के मामले में सुरक्षा उपाय करने आदि के रूप में उपलब्ध है।

### विद्यालयों में उपग्रह उन्मुख शिक्षा

2007. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जनवरी 2005 के आखिरी सप्ताह के दौरान उपग्रह उन्मुख शिक्षा प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक विद्यालयों का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अधिकारियों के एक दल ने कर्नाटक राज्य में चामराजनगर जिले में उपग्रह–आधारित दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य से स्थापित उपकरणों के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए लगभग 108 विद्यालयों का दौरा किया है।

### सुनामी से बचने के लिए पूर्व सावधानियां

2008. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख तक हिन्द महासागर में कितनी बार सुनामी लहरें आई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा भारत के पश्चिमी तट को भविष्य के सुनामी के खतरे के बचाने के लिए सावधानी स्वरूप क्या पूर्वोपाय किए गए हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हिन्द महासागर में आई सुनामी लहरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| दिनांक | विवरण |
|---|---|
| 326 बी.सी | एलेक्जेन्डर महान |
| 1 अप्रैल और 9 मई 1008 के बीच | स्थानीय भूकंप के कारण ईरानी तट पर सुनामी |
| 27 अगस्त 1883 | क्रेकेटोआ<br>मद्रास में 1.5 मी.,<br>नागापट्टनम में 0.6 मी., अरडेन में 0.2 मी. ऊंची सुनामी |
| 1884 | बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में भूकम्प<br>पोर्ट ब्लेयर, डबलेट (हुगली नदीमुख में) में सुनामी |
| 26 जून 1941 | 12.9° उत्तर, 92.5° पूर्व में अंडमान में 8.1 परिणाम वाला भूकंप<br>भारत के पूर्वी तट पर 0.75 से 1.25 मी. तक के आयाम वाली सुनामी |
| 27 नवंबर 1945 | 24.5° उत्तर, 63° पूर्व में कराची के 70 किमी. दक्षिण के 8.25 परिणाम का भूकंप,<br>कच्छ में 11.0 से 11.5 मी. आयाम वाली सुनामी। |

हालांकि 27 अगस्त 1883 को आई सिर्फ एक सुनामी की घटना की ही पुष्टि हो पायी है।

(ख) जहां तक पश्चिमी तट का संबंध है भूंकप से उत्पन्न होने वाली सुनामी का प्रमुख स्रोत माकरन तट है और भुज (2001) तथा कच्छ (1819) भूंपक के भ्रंशों का विस्तार अरब सागर में है। सुनामी चेतावनी संवेदकों के साथ उपयुक्त ज्वारमणि और डाटा ब्वॉय नेटवर्क स्थापित करके, मौजूदा भूकंप-वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाकर, आप्लावन परिदृश्यों के मॉडल तैयार करके तथा सूचना विश्लेषण के संग्रहण तथा स्थिति संबंधी परामर्शी सूचनाएं देने वाले केन्द्र की स्थापना करके इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

### केबलों की चोरी

**2009. श्री राकेश सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनी एमटीएनएल ने मंत्रालय से टेलीफोन केबल को काटने/चोरी की शिकायत दर्ज कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) पिछले कुछ माह के दौरान, एमटीएनएल, दिल्ली की भूमिगत केबल की चोरी बहुत बढ़ गई है। दिल्ली में केबल चोरी के 50 मामले दर्ज हुए हैं। एमटीएनएल, दिल्ली में इस मामले को दिल्ली के पुलिस आयुक्त, उपराज्यपाल दिल्ली और इस मंत्रालय के साथ उठाया है।

(ग) और (घ) इस मामले को यथावश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

*[अनुवाद]*

### अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा

**2010. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकतर अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) राज्यों में विभिन्न अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानदण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों तथा जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में उपकरणों/उपस्करों संबंधी अग्नि सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार समुचित उपकरण/उपस्कर उपलब्ध हैं। अग्नि सुरक्षा मानदण्डों की उपर्युक्त अस्पतालों में से प्रत्येक में गहन मानीटरिंग की जाती है।

### पश्चिम बंगाल में मोबाइल सेवा

**2011. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर पश्चिम बंगाल के कितने जिले और ब्लॉक बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवा से जुड़े हुए हैं और कितने जिले और ब्लॉक भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा से वंचित है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में मोबाइल सेवाओं के विस्तार का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) भारत संचार निगम लि. ने पश्चिम बंगाल में अभी तक सभी जिला मुख्यालयों और 116 ब्लॉक मुख्यालयों में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान की है। पश्चिम बंगाल में भारत सचार निगम लिमिटेड द्वारा 226 ब्लॉक मुख्यालयों को सेल्युलर मोबाइल सेवा अभी प्रदान की जानी है।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कलकत्ता टेलीफोन जिला सहित पश्चिम बंगाल में 585700 सेल्युलर कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### नशे के लिए अंग्रेजी दवाइयों का उपभोग

**2012. श्री महेश कनोडीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ अंग्रेजी दवाइयों का उपभोग नशे के उद्देश्य से किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) रिपोर्टें विशेषतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त हुई है कि कफ सिरप जिसमें कोडीन एवं ब्युप्रेनोर्फिन होते हैं, डेक्सड्रोपाक्सीफीन फार्मूलेशनों जैसी कुछ नुस्खे वाली औषधों का इस्तेमाल नशे के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इन औषधों के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) **कोडीन :**

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में कोडीन अनुसूची 'एच' की औषधि है। कोडीन अन्तर्निहित फार्मूलेशनों के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुए फेन्सेडिल कफ लिन्कट्स, कोरेक्स सिरफ तथा अन्य आदत लगने वाली औषधों की बिक्री पर प्रतिबंध है और फार्मेसियों में उपलब्ध इन औषधों को पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेचा जाता है।

इन आदत लगने वाले फार्मूलेशन के दुरूपयोग को रोकने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों ने इन प्रिपरेशनों की आपूर्ति के संबंध में आदेश जारी किए हैं जिनके अंतर्गत थोक व्यापारी तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी समय अपनी दुकानों में इन औषधों की केवल सीमित मात्रा रखने की अनुमति है।

इसके अतिरिक्त, भारत में कोडीन फार्मूलेशनों वाले कफ लिंक्टस के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए विनिमार्ताओं को संघटन को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। भारत में अब विपणन किए जा रहे कफ लिंक्टस प्रिपरेशनों में निम्नलिखित संशोधित संघटक हैं:–

**प्रत्येक 5 मि.ली. में शामिल हैं:**

कोडीन फास्फेट आई.पी.
10 मि.ग्रा.

क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट आई.पी.
4 मि.ग्रा.

(ii) **ब्युप्रेनोर्फिन :**

ब्युप्रेनोर्फिन एक ऑपियड पीड़ाहारी है और इस औषध वाले प्रिपरेशनों को पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेचा जाना अपेक्षित है।

ब्युप्रेनोर्फिन के बढ़ते हुए दुरूपयोग को देखते हुए इन औषधों के दुरूपयोग को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) इस औषध के विनिर्माताओं से कहा गया है कि ब्युप्रेनार्फिन फार्मुलेशनों की बिक्री के लिए न्यूनतम स्टाकिस्ट आउटलेट रखें।

(ख) विनिर्माताओं से फार्मुलेशन के लेबल और डिब्बे पर लाल रंग से यह चेतावनी लिखने के लिए कहा गया है "इस औषध का दुरूपयोग किया जा सकता है और इसे कड़े चिकित्सीय पर्यवेक्षण में ही बेचा और प्रयोग किया जाना चाहिए।"

(ग) विनिर्माताओं से यह भी कहा गया है कि ब्यूप्रेनोर्फिन के दुरूपयोग की संभावना को कम करने के लिए ब्यूप्रेनोर्फिन के साथ नालाक्सोन को संयुक्त करके विपणन करने का विचार करें।

(घ) डी सी जी (आई) ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को उपयुक्त अनुदेश जारी किए हैं जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फुटकर आउटलेटों के माध्यम से ब्यूप्रेनोर्फिन औषध की सहज उपलब्धता को रोकने के लिए निरीक्षण संबंधी स्टाफ को अनुदेश जारी करें और यह भी सुनिश्चित करें कि विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत विपणित औषध की आपूर्ति केवल पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे (प्रेस्क्रिप्शिन) पर ही हो।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब तथा दिल्ली राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक 11 नवम्बर, 2003 को आयोजित की गई जिसमें नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक औषधें रखने वाले कुछ औषध फार्मूलेशनों के सूचित दुरूपयोग, विशेषतौर पर पूर्वोत्तर और पंजाब तथा दिल्ली में, से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई और इन औषधों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया।

*[अनुवाद]*

### राज्यों को विशेष योजना सहायता

**2013. श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विचार वर्ष 2004–05 के दौरान विशेष योजना सहायता जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक योजना 2004–05 हेतु विशेष योजना सहायता (एसपीए) के राज्य–वार आबंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2004–05 हेतु विशेष योजना सहायता का आबंटन (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1. | असम | 22.00 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 578.76 |
| 3. | जम्मू–कश्मीर | 613.77 |
| 4. | मणिपुर | 40.00 |
| 5. | उत्तरांचल | 750.49 |
| | कुल | 2005.02 |

### विजिलेंस टेलीकॉम मॉनीटरिंग सैल

**2014. श्री उदय सिंह :**
**श्री अधीर चौधरी :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाने वाली अवैध आई.एल.डी. टेलीफोनी की बुराई को रोकने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में "विजिलेंस टेलीकॉम मॉनिटरिंग सैल" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार अन्य शहरों में इस बुराई को किस प्रकार मानीटर करने का है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में सतर्कता दूरसंचार निगरानी (वीटीएम) कक्षों की स्थापना की है ताकि अवैध आईएलडी टेलीफोनी की बुराई को रोका जा सके जिसके कारण सरकार को कई करोड़ रुपयों की नोशनल हानि हुई है।

(ख) इन चार वीटीएम कक्षों ने अक्टूबर, 2004 में इसके गठन से लेकर अब तक 69 मामलों का भण्डाफोड़ किया है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन मामलों के कारण सरकार को कुल 37.98 करोड़ रुपये की नोशनल हानि हुई है।

(ग) ये चार वीटीएम कक्ष अस्थायी रूप से अन्य शहरों में भी इस बुराई पर निगरानी रख रहे हैं। देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के कक्षों के गठन के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

### परम्परागत उद्योगों के लिए पुनरूद्धार पैकेज

**2015. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**
**श्री पी. के. वासुदेवन नायर :**

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल ने काजू और कॉयर जैसे परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) और (ख) केरल सरकार ने काजू, कॅयर, हैंडलूम, हस्तशिल्प इत्यादि पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज तैयार करने और एक पारंपरिक उद्योग निधि के गठन के लिए कुछ समय पहले एक ज्ञापन के साथ भारत सरकार से संपर्क किया था ताकि प्रौद्योगिकी विकास, डिजाइन सुधार, बाजार सर्वेक्षण, कौशल विकास और उत्कृष्ट सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके।

### महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

**2016. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2004–2005 के दौरान महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता बढ़ाने संबंधी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता का विस्तार किया जाता है। एमटीएनएल ने मुम्बई में वर्ष 2004–05 के दौरान 106.21 के सकल क्षमता वाला टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही चालू कर दिया है। जहां तक बीएसएनएल का संबंध है, विस्तार से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

#### *विवरण*

*वर्ष 2004–05 के दौरान महाराष्ट्र में लैण्डलाइन स्विचिंग क्षमता विस्तार संबंधी ब्यौरे*

| क्र.सं. | गौण स्विचन क्षेत्र का नाम | क्षमता विस्तार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अहमदनगर | 780 |
| 2. | अकोला | 1140 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | अमरावती | 792 |
| 4. | औरंगाबाद | 1684 |
| 5. | बीड़ | 784 |
| 6. | भांडरा | 2356 |
| 7. | बुलधाना | 1576 |
| 8. | चंद्रपुर | 1200 |
| 9. | धुले | 1928 |
| 10. | गःडेहरॉल | 424 |
| 11. | जलगांव | 4148 |
| 12. | जालना | 0 |
| 13. | कल्याणी | 4400 |
| 14. | कोल्हापुर | 1256 |
| 15. | लातुर | 624 |
| 16. | नागपुर | −18700 |
| 17. | नांदेड़ | −728 |
| 18. | नासिक | −76 |
| 19. | ओसमानाबाद | 1452 |
| 20. | प्रभावती | 0 |
| 21. | पुणे | 848 |
| 22. | रायगढ़ | 168 |
| 23. | रत्नागिरि | 3180 |
| 24. | सांगली | 1992 |
| 25. | सतारा | −292 |
| 26. | सिंधुदुर्ग | 914 |
| 27. | सोलापुर | 4464 |
| 28. | वर्धा | 1608 |
| 29. | यावतमाल | 136 |
|  | जोड़ | 18058 |

*[हिन्दी]*

### ऋण गारंटी योजना

**2017. श्री धनसिंह रावत :**

**श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत लघु और मझोले उद्योगों की स्थापना के उत्सुक उद्यमियों को ऋण और गारंटी प्रदान करने वाली ऋण गारंटी योजना चल रही है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उद्यमियों को ब्याज इत्यादि में कोई छूट दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में उद्यमी–वार और उद्योग–वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इन्हें कितनी ऋण धनराशि स्वीकृत की गई है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) जी, हां। तथापि, योजना अपने में ऋण प्रदान करने के लिए नहीं है।

(ख) सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारण्टी फंड योजना आरंभ की जो 1 जनवरी, 2001 से प्रचालन में आई। लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई) द्वारा परिचालित की जाने वाली यह योजना, सीजीटीएसआई के मेंबर लेंडिंग संस्थानों (अर्थात् सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आदि) द्वारा, नए और विद्यमान लघु औद्योगिक, सेवा एवं व्यवसाय उद्यमों को कोलेट्रल और/अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी के बगैर संस्वीकृत 25 लाख रु. तक के ऋणों के 75% की मात्रा तक गारण्टी कवर प्रदान करती है।

(ग) और (घ) योजना के प्रावधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों सहित लेनदारों की सभी श्रेणियों के लिए एक समान है।

(ङ) योजना के तहत 28 फरवरी, 2005 तक राजस्थान में लाभार्थी उद्यमियों/उद्यमों की संख्या और ऋणों की राशि, जिसके लिए गारण्टी कवर संस्वीकृत किए गए हैं क्रमशः 430 और 716.36 लाख रु. हैं।

*[अनुवाद]*

### पोत-परिवहन उद्योग के विकास संबंधी समिति

**2018. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से पोत–परिवहन उद्योग हेतु अवसंरचना के विकास की जाँच करने हेतु एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति की संरचना और विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

### गलगण्ड का उपचार

**2019. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
**श्री निखिल कुमार चौधरी :**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में किए गए अध्ययनों में गलगण्ड के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा गलगण्ड का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा हाल ही में 2003 के दौरान राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चला है कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में घेंघा (गोइटर) तथा अन्य आयोडीन अल्पता विकारों की व्याप्तता में आयोडीनकृत नमक के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप कमी आई है। कमी का परिमाण पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में अपेक्षाकृत अधिक है जहां अध्ययन के दौरान आयोडीनकृत नमक के बारे में उच्च स्तर की जागरूकता तथा इसका अधिक इस्तेमाल देखा गया। तथापि, त्रिपुरा राज्य में कोई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) आयोडीन अल्पता विकारों की समस्या का निवारण एवं नियंत्रण करने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई डी डी नियंत्रण सैल तथा आई डी डी अनुवीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप भी चलाए जाते हैं।

केरल, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य गैर–आयोडीनकृत नमक की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। नमक आयुक्त का कार्यालय, जो भारत सरकार में औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के अधीन कार्यरत है, देश में अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए आयोडीनकृत नमक के उत्पादन तथा वितरण के नियोजन कार्य में लगा हुआ है।

### निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव

**2020. श्री आलोक कुमार मेहता :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों के संबंध में 250 अथवा इससे अधिक किलोमीटर लंबाई के लिए 5 अथवा अधिक वर्ष की रियायत अवधि हेतु प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण आधार पर कार्य सौंप कर निजी क्षेत्र की भागीदारी के विस्तार का प्रस्ताव है। न्यूनतम तकनीकी अर्हता और अधिकतम निविदा राशि का प्रस्ताव करने वाले निविदादाताओं का चयन प्रतियोगी निविदा प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। रियायतग्राही रियायत अवधि के लिए खंड का अनुरक्षण करेगा और इस अवधि में एकत्रित पथकर अपने पास रखेगा।

### कॉल प्रभार में वृद्धि

**2021. श्री रामजी लाल सुमन :**

**श्रीमती जयाप्रदा :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने राजधानी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में टेलीफोन कॉल करने के प्रभारों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और टेलीफोन प्रभारों में यह वृद्धि कब की गई है;

(ग) क्या यह वृद्धि करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की मंजूरी ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) जी, हां। पल्स दर को संलग्न विवरण के अनुसार संशोधित करके दिनांक 18.02.2005 से लागू किया गया है।

(ग) तय सीमा से अधिक दरों का परिहार किया जा रहा है तथा ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है। अतः केवल ट्राई को सूचित किया गया है।

(घ) यह संशोधन इंटरकनैक्शन व्यवस्था में एमटीएनएल को हुई हानि को पूरा करने के लिए आवश्यक हो गया था।

#### *विवरण*

**पल्स दर सैकंडों में**

| दूरी स्लैब कि.मी. में | बुनियादी से बुनियादी | | बुनियादी से डब्ल्यूएलएल (मोबाइल) | | बुनियादी से सेल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यस्त/अव्यस्त घंटे | मौजूदा | संशोधित | मौजूदा | संशोधित | मौजूदा | संशोधित |
| निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए कॉल | 180 | 120 | 90 | 60 | 90 | 60 |

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्टेशन (कोड सहित)**

| दूरी | स्टेशन | कोड |
|---|---|---|
| 0–50 | गाजियाबाद | 95–120 |
| 0–50 | नौएडा | 95–120 |
| 0–50 | फरीदाबाद | 95–129 |
| 0–50 | सोनीपत | 95–130 |
| 0–50 | बहादुरगढ़ | 95–1276 |
| 0–50 | गुड़गांव | 95–124 |
| 0–50 | मोदी नगर | 95–1232 |
| 0–50 | सिकंदराबाद | 95–5735 |

*[अनुवाद]*

### मधुमेह और एथरोक्लेरोसिस के मामलों में वृद्धि

**2022. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**

**श्री निखिल कुमार :**

**श्री सुरेश कलमाडी :**

**डा. करण सिंह यादव :**

**श्री अधीर चौधरी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह आशंका व्यक्त की है कि वर्ष 2025 तक भारत वैश्विक मधुमेह रोगों के मामले में पहले स्थान पर होगा और देश में मधुमेह के लगभग 60 मिलियन मामले होंगे;

(ख) यदि हां, तो मधुमेह के मामलों में इतनी भारी वृद्धि होने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि एथरोक्लोरोसिस और परिणामी हृदयधमनी रोग, हृदयाघात और मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मधुमेह और एथरोक्लोरोसिस का मुकाबला करने हेतु राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

### औषधीय पौधों का पेटेन्ट कराना

**2023. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
**श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से संबंधित औषधीय यूनानी पौधों के संरक्षण हेतु कोई कार्य–योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय औषधीय पौधों का बड़े पैमाने पर पेटेन्ट कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने औषधीय पौधों का पेटेन्ट कराया गया है; और

(ङ) विदेशी कंपनियों द्वारा कितने भारतीय यूनानी औषधीय पौधों का पेटेन्ट कराया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्रक को सुरक्षित, संपोषित और विकसित करने के लिए उनके संरक्षण उचित फसल कटाई, लागत प्रभावी कृषि, अनुसंधान व विकास, संसाधन आदि के लिए नीतियां और रणनीतियां बनाने सहित औषधीय पादपों से संबद्ध मामलों का समन्वय करने के लिए एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों में यूनानी पद्धति सहित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत औषधीय के निर्माण में प्रयुक्त औषधीय पादपों के प्रोत्साहक क्रियाकलापों और अनुबद्ध कृषि के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

(ग) से (ङ) यद्यपि पादपों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र में औषधीय प्रयोग से संबद्ध ज्ञान को पेटेन्ट नहीं किया जा सकता है तथापि यह देखा गया है कि विदेशों में कुछ कंपनियों को कई भारतीय औषधीय पादपों के औषधीय उपयोगार्थ पेटेन्ट दिए गए हैं। चूंकि अन्य देशों के पेटेन्ट कार्यालयों में पेटेन्ट के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्रों के बारे में जानने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है इसलिए विदेशों में यूनानी में प्रयुक्त पादपों सहित पादपों के औषधीय प्रयोगार्थ दिए गए पेटेन्टों की संख्या को बताना संभव नहीं है।

*[अनुवाद]*

### विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वीज़ा जारी न करना

**2024. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :**
**डा. रतन सिंह अजनाला :**
**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों को विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीय राष्ट्रिकों अथवा 1984 के बाद अन्य देशों में शरण लेने वाले राष्ट्रिकों को वीज़ा जारी न करने का कोई अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई काली सूची बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस सूची को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) से (घ) विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को भारत में यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। जिन लोगों ने दूसरे देशों में शरण ले रखी है, उन्हें ऐसे देशों द्वारा भारत आने से रोका गया है। जहाँ तक काली सूची के रखरखाव और समीक्षा का प्रश्न है, यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

### जैव-प्रौद्योगिकी जागरूकता पार्क

**2025. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में "जैव प्रौद्योगिकी जागरूकता पार्क" स्थापित करने की कोई विशेष योजना अथवा प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

## अमेरिका स्थित सी.एस.जी. प्रणाली हेतु बिलिंग कंट्रेक्ट आर्डर

**2026. श्री तूफानी सरोज :**
**श्री जुएल ओराम :**
**श्री दुष्यंत सिंह :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने अमेरिका की सी. एस.जी. प्रणाली हेतु बिलिंग कंट्रेक्ट आर्डर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कंट्रेक्ट की लागत कितनी है;

(ग) कंट्रेक्ट देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) कंट्रेक्ट देने के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (ङ) भारत संचार निगम लि. ने वर्ष 2002 में सम्पूर्ण देश में अपनी मोबाइल सेवाएं शुरू कीं। बिल संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए मै. सीएसजी इन्टरनेशनल से अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लिया गया था। इस समय, मुख्य नेटवर्क अवयवों के विस्तार के अलावा, मोबाइल सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार-कार्य चल रहा है, तथा इससे यह आवश्यक हो गया है कि बिलिंग सिस्टम के लिए हार्डवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का विस्तार भी किया गया। बिक्री हेतु विनिर्मित माल के नाते सॉफ्टवेयर संघटक का विस्तार मै. सीएसजी इन्टरनेशनल के जरिए किया जा रहा है जिसने 10 वर्ष की लम्बी अवधि का निगमित लाइसेंस प्राप्त किया है। निगमित लाइसेंस प्राप्त करके, भारत संचार निगम लि., असंख्य उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने में समर्थ है और वह वर्तमान तथा भावी सेवाओं हेतु अपनी बिलिंग संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। असंख्य उपभोक्ताओं हेतु लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत पर विस्तार कार्य करने के लिए दस वर्षीय निगमित लाइसेंस करार को बातचीत के द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और इसका भुगतान लगभग 12-12 करोड़ रुपये की 10 बराबर किस्तों में किया जाएगा।

## स्क्रैप की नीलामी से अर्जित राजस्व

**2027. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :**
**श्री राजाराम पाल :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में अपने द्वारा स्थापित किए गए पोताश्रयों में जीर्ण-शीर्ण पोतों के स्क्रैप की बिक्री/नीलामी करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पोताश्रय-वार कितने मीट्रिक टन स्क्रैप की नीलामी की गई और उससे कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न पोताश्रयों में स्क्रैप की नीलामी में घोर अनियमितता होने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने समस्त मामले की जांच हेतु कोई समिति गठित की है/गठित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) से (च) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और उपर्युक्त सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## डाकघरों से राजस्व टिकटों की बिक्री

**2028. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित डाकघरों ने राजस्व टिकटों की बिक्री रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टिकटों की बिक्री को पुनः चालू करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, नहीं। स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य सचिवों की स्थाई समिति की छठी बैठक के निर्णय अक्तूबर, 2003 में परिचालित कर दिए गए थे। बहरहाल, ऐसी जगहों पर जहां राज्य सरकारें डाक विभाग को उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित कमीशन का भुगतान नहीं करती हैं तो वहां स्टॉक खत्म हो जाने पर राजस्व टिकटों की भरपाई करना संभव नहीं है।

दिनांक 31.10.2003 को आयोजित स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य सचिवों की स्थाई समिति की छठी बैठक की कार्यवाही संबंधी मुख्य बिन्दुओं का संबद्ध भाग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) डाक विभाग ने राजस्व टिकटों की बिक्री को रोका नहीं है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे "डाक

विभाग द्वारा प्रदान किए गए चैनल का इस्तेमाल करने या न करने के अपने अधिकार का प्रयोग करें।"

### *विवरण*

*31 अक्तूबर, 2003 को आयोजित स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्य सचिवों की स्थाई समिति की छठी बैठक की कार्यवाही संबंधी मुख्य बिंदुओं का संबद्ध भाग*

**मद 4 डाक विभाग को राज्य सरकार द्वारा स्टैम्पों और स्टैम्प पेपरों की बिक्री पर कमीशन की दर**

स्थाई समिति द्वारा डाक विभाग के दिनांक 20 जून, 2003 के उनके अ.शा. पत्र सं. 7–1/92– पीओ में निहित स्थिति पर विचार किया गया जिसमें विभाग की छूट की दर को (जैसाकि पांचवी बैठक में निर्णय हुआ था पांच वर्षों के स्थान पर) तीन वर्षों के भीतर 10% तक बढ़ाया जाना अपेक्षित था और तदनुसार आगामी वर्षों में 3%, 6%, और 10% की दर पर नियत होना था। इस पर गौर करते हुए कि 10% की छूट स्टैम्पों की बिक्री पर विभाग द्वारा वहन की गई लागत का मात्र 50% ही पूरा कर पाई है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा यह पाया गया कि ये दरें बहुत अधिक थीं और यदि इन्हें लागू किया जाता है तो राज्य सरकारों को अन्य स्रोतों का प्रयोग करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस संबंध में समिति द्वारा मौजूदा भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत उस प्रावधान पर ध्यान दिया गया जिसमें राज्य सरकारों को स्टैम्प और स्टैम्प पेपरों की बिक्री के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने की अनुमति दी गई थी।

डाक विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप उत्पन्न विवक्षाओं पर समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरांत यह विचार प्रकट किया गया था कि डाक विभाग (नरम रुख अपनाते हुए तीन वर्षों के अन्त में दरों पर विचार करें) 3%, 6%, और 10% की दर पर छूट की दरें निर्धारित कर सकता है परन्तु उन दरों पर नहीं जो 3%, 6%, और 10% से अधिक हैं और जिन्हें उन राज्यों ने अधिक छूट देने के लिए मान लिया है। राज्य सरकारें भी डाक विभाग द्वारा प्रदान किए गए चैनल का इस्तेमाल करने और न करने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार इस बारे में सुविचारित मत बना सके अतः डाक विभाग एनआईपीएफपी को इस सुविधा को प्रदान करने में आने वाली लागतों की एक प्रति उपलब्ध कराएगा और जिसे सभी राज्यों में भी परिचालित किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

### मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना

**2029. श्री लोनाप्पन नम्बाडन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यू.एन.डी.पी. ने राज्यों को मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करने हेतु वित्त पोषण और सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों को ऐसी सहायता प्राप्त हुई है और किन–किन राज्यों ने आज की तारीख तक मानव संसाधन रिपोर्ट जारी कर दी है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) :** (क) जी, हाँ।

(ख) वे राज्य, जिन्हें मानव विकास रिपोर्टें तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी) से इस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है – अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

वे राज्य, जिन्हें यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी मानव विकास रिपोर्टें जारी कर दी हैं, ये हैं – असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसके अतिरिक्त, यू.एन.डी.पी. से सहायता लिए बिना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने भी अपनी मानव विकास रिपोर्टें जारी कर दी हैं।

### मासिक बीमा बचत योजना

**2030. श्री मदन लाल शर्मा :**
**श्री अनंत गुढ़े :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डाकघरों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे एम.आई.एस. आदि का केवल डाकघरों के एजेंटों के माध्यम से ही लाभ उठाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ एजेंटों द्वारा हाल ही में किए गए घोटालों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन योजनाओं को एजेंट मुक्त और चूकरहित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) मासिक बीमा बचत स्कीम नामक कोई स्कीम नहीं है। हालांकि, निवेशकों द्वारा मासिक आय स्कीम

खाता डाकघरों में सीधे खोला जा सकता है, इसके अलावा, इसे डाकघर एजेंटों के माध्यम से भी खोला जा सकता है।

(ग) एजेंटों द्वारा जमाकर्ताओं को धोखा दिए जाने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

### पाँचवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें

2031. **श्री रघुनाथ झा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आज तक पाँचवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक स्वीकार न की गई सिफ़ारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) से (ग) पाँचवें वेतन आयोग की सभी प्रमुख सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वित कर दी गई हैं। सरकार द्वारा जिन सिफ़ारिशों की जाँच–पड़ताल कर ली गई तथा वित्तीय प्रभावों और अन्य संगत कारकों के कारण स्वीकार नहीं की गई हैं उनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सिफ़ारिशें शामिल हैं:–

(i) मौजूदा 15 वर्ष की अवधि के बजाय पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली, 12 वर्ष के उपरांत की जानी।

(ii) विवाचन बोर्ड के निर्देशन सहित निर्णय कार्यान्वित करने के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की स्थायी समिति का वैसा ही तंत्र हो जैसा कि परामर्शदायी तंत्र के मामले में होता है।

(iii) 33 वर्ष की सेवा से अधिक की गई सेवा की प्रत्येक छः माही अवधि के लिए परिलब्धियों के 0.5% की दर से अतिरिक्त पेंशन का प्रदान किया जाना।

(iv) छः माह की औसत परिलब्धियों के आधार पर पेंशन का परिकलन किया जाना।

(v) पेंशन के दर से भुगतान पर ब्याज दिया जाना।

(vi) छठे वेतन आयोग का गठन किया जाना।

### पश्चिम बंगाल से दूरसंचार सर्किलों में प्रतीक्षा सूची

2032. **श्री हितेन बर्मन :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के सभी दूरसंचार सर्किलों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन और पी.सी.ओ. बूथों से संबंधित लंबित आवेदनों की सर्किल–वार संख्या कितनी है;

(ख) उन सर्किलों का नाम क्या है जिनमें उक्त बूथों को उपलब्ध कराने हेतु टेलीफोन एडवायजरी कमेटियों का गठन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में पी.सी.ओ. बूथ हेतु कितने लोगों ने आवेदन किया है; और

(घ) इस संबंध में लंबित आवेदनों को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) पश्चिम बंगाल में एसटीडी/आईएसडी एवं स्थानीय सार्वजनिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) बूथों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या निम्नवत् है:–

| सर्किल का नाम | | 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार एसटीडी/आईएसडी एवं स्थानीय पीसीओ हेतु लंबित आवेदन |
|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल सर्किल | पश्चिम बंगाल सर्किल (सिक्किम को छोड़कर) | 531 |
| | सिक्किम | शून्य |
| कोलकाता टेलीफोन जिला | | शून्य |

(ख) 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति पीसीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए पीसीओ उपलब्ध कराये जाते हैं। अतः पीसीओ बूथों के आबंटन हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया जाता है।

(ग) पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में पीसीओ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् है।

| सर्किल का नाम | | प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एसटीडी/आईएसडी पीसीओ | | | स्थानीय पीसीओ | | |
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 से 28.02.2005 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 से 28.02.2005 |
| पश्चिम बंगाल सर्किल | पश्चिम बंगाल सर्किल (सिक्किम को छोड़कर) | 3796 | 3547 | 5153 | 886 | 703 | 762 |
| | सिक्किम | 12 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| कोलकाता टेलीफोन जिला | | 4893 | 4912 | 2106 | 4726 | 4212 | 1978 |

(घ) लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) उन क्षेत्रों में केबल बिछाने जहां कनेक्शन देना व्यवहार्य नहीं है।

(ii) पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए लगभग 72700 स्थिर बेतार टाइप (एफडब्ल्यूटी) सेटों का ऑर्डर दिया गया है। भूमिगत केबल के लिए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में भी पीसीओ उपलब्ध कराने के लिए इन सेटों का उपयोग किया जाएगा।

(iii) पीसीओ के लिए एक्सचेंज कार्डों का प्रापण।

## बंगलादेश के साथ आर्थिक संबंध

**2033. श्री राम कृपाल यादव :** क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगलादेश कुछ नए व्यापार निवेश और आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक जिन-जिन परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) से (ग) जी, हां। भारत और बंगलादेश कई नए व्यापार, निवेश और आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श करते रहे हैं। द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक आयोग, जिसकी बैठक 14-15 जुलाई, 2003 तक ढाका में हुई थी, का केन्द्रीकरण दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक प्रस्तावों की मेजबानी पर था जिसमें रेल-जनित कन्टेनर सेवाएं, एक नई डालर मूल्यवर्गी क्रेडिट लाईन, एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण एंव संवर्द्धन संधि तथा एक मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है।

संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुवर्त्तन में, भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल की व्यापार संबंधी दो बैठकें 2003 में तथा मार्च, 2004 में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता संबंधी वार्त्ताओं तथा पैरा-टैरिफ एवं नॉन-टैरिफ सीमाओं को हटाने के लिए हुई थी। संयुक्त कार्य दल ने एक संशोधित द्विपक्षीय व्यापार समझौता की विषय-वस्तु को भी अंतिम रूप प्रदान किया है, जिस पर इस वर्ष के अंत तक माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बांगलादेश के प्रस्तावित दौरे के दौरान हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत-बांगलादेश संयुक्त सीमाशुल्क दल की बैठक भी मार्च, 2004 में नई दिल्ली में हुई और दोनों पक्षों के बीच की विभिन्न क्षेत्र-स्तरीय समस्याओं को इसमें निपटाया गया। भारत और बांगलादेश के अधिकारियों की बैठक अगस्त 2004 में बांगलादेश हेतु एक नई डालर मूल्यवर्गी क्रेडिट लाईन के नियमों एवं शर्तों पर चर्चा करने के लिए ढाका में हुई। उनके निकट भविष्य में फिर से नई दिल्ली में मिलने की संभावना है जिसमें प्रस्तावित क्रेडिट लाईन के अंतर्गत शामिल की जाने वाली रेलवे क्षेत्र की कई नई परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। एक संबद्ध प्रगति, जो दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में हुई थी, में दोनों रेलवे के बीच संबंधों को मजबूत बनाने वाले कई उपायों पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कन्टेनर वाले कार्गो के संचालन संबंधी एक नया प्रस्ताव भी शामिल था।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर पुल

**2034. श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर बदरपुर में बनने वाले एक पुल का डिजाइन सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो बनाए गए डिजाइन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और इस परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भारी यातायात को देखते हुए परियोजना का काम निर्धारित समय के भीतर पूरा करने हेतु क्या अपेक्षित प्रबंध किए जा रहे हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (16.700 से 19.700 कि.मी.) पर बदरपुर के समीप 6 लेन के उत्थापित राजमार्ग के निर्माण के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसमें राजमार्ग के दोनों ओर 2 लेन की सर्विस सड़क का निर्माण, चौराहों का सुधार तथा यातायात सुरक्षा के लिए अन्य विविध प्रावधान आदि भी शामिल हैं।

(ग) इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा होने वाला है। यह परियोजना निविदा दस्तावेज तैयार होने, निविदादाताओं की पूर्व अर्हता, विशेष प्रयोजन तंत्र तैयार होने और वित्तीय समापन आदि के बाद 15 महीनों में शुरू होगी। इस परियोजना के पूरा होने का निर्धारित समय 36 माह है।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना को समय से पूरा करने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है।

### धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र

**2035. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय धनराशि के "उपयोग प्रमाण पत्र" संबंधी सूचना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में अभिघात केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये के आबंटन के मुकाबले 1,49,88,216.00 रुपये की रकम का एक उपयोग प्रमाण पत्र भेजा है।

*[अनुवाद]*

### अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या-3 में सुधार

**2036. श्री वरकला राधाकृष्णन :**
**डा. के. एस. मनोज :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 में केरल स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या-3 के सुधार हेतु प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावित कार्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई और व्यपगत हो गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकार से राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-3 का कोल्लम से कोवलम तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) महत्वपूर्ण निर्माण-कार्यों में, सुजलमार्ग (फेयरवे) के वार्षिक रख-रखाव के क्रम में, प्रमुख निकर्षण, टर्मिनलों का निर्माण, पश्च खंड से जुड़े निर्माण-कार्य, जलपाश का रख-रखाव और चौबीस घंटे-हर समय नौचालन की दृष्टि से अपेक्षित सुविधाओं-संसाधनों की व्यवस्था शामिल है।

(ख) और (ग) प्रमुख निकर्षण से संबंधिन कार्य के सिवाय, प्रस्तावित निर्माण-कार्यों में से अधिकांश निर्माण-कार्य, पूरे कर लिए गए हैं। 13.7 करोड़ रु. के मूल बजट प्रावधान में से वास्तविक व्यय, लगभग 8.70 करोड़ रु. का होगा।

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-3 का कोल्लम से कोवलम तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। फिर भी, मौजूदा जलमार्ग को पूरी तरह कार्य-संचालनात्मक बनाने में हो रही समस्याओं के मद्देनजर, इसे आस्थगित कर दिया गया है।

### एड्स के मरीजों का समुचित उपचार

**2037. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एड्स

के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में समुचित उपचार नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने का है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उपयुक्त एच.आई.वी. नैदानिक किट सहित एड्स के उपचार के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या एड्स के मरीजों को निःशुल्क दवा की आपूर्ति करने हेतु कोई प्रबंध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) समय-समय पर एड्स रोगियों के विरूद्ध गुमराह करने वाली कुछ घटनाएं हुई हैं। तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के माध्यम से अस्पतालों को न केवल दिशानिर्देश जारी करता है कि एचआईवी/एड्स रोगियों का उपचार बिना किसी कलंक और भेदभाव के किया जाना चाहिए। बल्कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों से होने वाले अवसरवादी संक्रमणों का उपचार करने के लिए संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से प्रत्येक मेडिकल कालेज और जिला अस्पताल को 1.00 लाख रुपये की धनराशि भी प्रदान करता है। इसके अलावा, किसी भी चिकित्सा/परा-चिकित्सा स्टाफ जिसको नुकीलें उपकरणों और सिरिंज सुइयों से होने वाली चोट के कारण अनजाने में एचआईवी के प्रभाव में आ जाते हैं, के प्रभावोत्तर रोगनिदान के लिए सभी अस्पतालों को धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) और (ग) केवल एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए विशेष अस्पताल और विशेष वार्ड बनाने को हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था से एचआईवी/एड्स के प्रति कलंक और भेदभाव बढ़ेगा। देश में ज्यादातर मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में उपयुक्त नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह सुविधा बाकी के मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों तक बढ़ायी जानी प्रस्तावित है।

(घ) से (च) देश के 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैण्ड, दिल्ली, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और चण्डीगढ़ में 25 चुनिंदा चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से एड्स रोगियों को एंटी रिट्रोवायरल थिरेपी (एआरटी) की निःशुल्क आपूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है। नाको ने निःशुल्क एआरटी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक बड़े राज्य में कम से कम एक अस्पताल खोलने के लिए एआरटी सेवाएं बढ़ाने (स्केल अप) की योजना बनाई है। छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पांच वर्षों की अवधि के लिए ग्लोबल फंड राउंड IV 140.878 मिलियन यूएस डालर की राशि जो 648.039 करोड़ रुपये के बराबर है, प्रदान करने पर सहमत हो गया है। ईएफसी अनुमोदन और जीएफएटीएम के साथ समझौता करने के बाद उक्त को कार्यान्वित किया जायेगा।

## जाँच आयोग की रिपोर्ट

2038. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानून में यह अपेक्षित है कि जाँच आयोग की रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के छह महीनों के भीतर संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'फूकन आयोग' की अन्तिम रिपोर्ट को, जिसे आयोग को भंग करने से पहले प्रस्तुत किया गया था, संसद के समक्ष सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

## मेडिकल कालेजों की सुविधाओं संबंधी रिपोर्ट

2039. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत देश में मेडिकल कालेजों में मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया के मानदण्डों के अनुसार सुविधाओं की जांच करने के लिए गठित निगरानी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के काम–काज की मानीटरिंग करने के लिए नियुक्त की गई तदर्थ समिति के सदस्यों ने माननीय न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्र सरकार को भी प्रस्तुत की गई है। इसमें की गई सिफारिशें सम्पूर्ण तंत्र के उन्नयन के दृष्टिकोण से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कामकाज सहित चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र संबंधी विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

### राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

2040. **श्री बापू हरी चौरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत ग्रामीण अनुसूचित जाति समुदाय हेतु कोई विशेष व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों सहित पूरे राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति – 2002 में देश में समाज के सभी वर्गों को एक समान स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या कराने पर अत्यधिक बल दिया गया है। निर्धन वर्ग के लोगों के मध्य असमानता और असन्तुलन को कम करने और समाज के शोषित वर्ग के लोगों को बेहतर जन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्रीय परिव्यय में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि राज्य सरकारों को आवश्यकता होने पर अलग योजनाएं बनानी होंगी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में निहित मैक्रो–नीति से जुड़े तथ्यों के अन्तर्गत सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अनुरूप हों। तथापि, भारत सरकार मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसे प्रमुख संचारी और गैर–संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरे देश के शहरी और ग्रामीण, अनुसूचित जाति की आबादी सहित, दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रही है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 की स्थिति

2041. **श्री श्यामा चरण गुप्त** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्रकूट और बांदा होकर इलाहाबाद से झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 पर आवाजाही सुगम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह राजमार्ग प्रत्येक वर्ष बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाता है;

(ग) अन्य राजमार्गों की तुलना में इस राजमार्ग की खराब स्थिति के क्या कारण हैं; और

(घ) इस राजमार्ग पर फुटपाथ निर्माण और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण हेतु सरकार की योजनाएं क्या हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) मंत्रालय ने चित्रकूट और बांदा होकर इलाहाबाद से झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के विकास और अनुरक्षण के लिए उपाय किए हैं। विकास और अनुरक्षण के लिए अब तक 4711 लाख रु. के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा खंड ऐसे भूभाग से गुजरता है जहां कपास उत्पादक काली मिट्टी है। इससे यह अपेक्षाकृत जल्दी क्षतिग्रस्त होता है।

(घ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और अनुरक्षण कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। धनराशि की उपलब्धता, क्षेत्रवार यातायात सघनता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इसे यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

### मोबाइल टेलीफोन क्षेत्र में रोजगार

2042. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर देश में वर्तमान में मोबाइल टेलीफोन क्षेत्र में 3.6 मिलियन लोग कार्यरत हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की वार्षिक प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) दिसम्बर, 2004 तक इस उद्योग में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोशिएसन ऑफ

इंडिया ने "भारत में मोबाइल सेवाओं के आर्थिक लाभ" पर अध्ययन करने और तत्संबंधी रिपोर्ट तैयार करनें के लिए एक प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ओवीयूएम की नियुक्ति की। यह रिपोर्ट जनवरी, 2005 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल टेलीफोन के क्षेत्र में, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों में 3.6 मिलियन लोगों को रोजगार दिए जाने का अनुमान है।

(ख) और (ग) सरकार मोबाइल टेलीफोन सेवा क्षेत्र में रोजगार संबंधी स्थिति की अलग से निगरानी नहीं करती है। इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए लोगों की संख्या और रोजगार प्राप्त लोगों की वार्षिक प्रतिशतता का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार, अकेले मोबाइल के क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश का रखरखाव नहीं करती। तथापि, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोशियसन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के अनुमानों के अनुसार, मार्च, 2004 तक मोबाइल क्षेत्र में किया गया कुल निवेश लगभग 50,000 करोड़ रुपये का है।

*[अनुवाद]*

## जिला स्तरीय योजना

2043. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विचार स्थानीय सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला स्तरीय योजना/जिला स्तरीय बजटिंग को शुरू करने और इसे प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) और (ख) योजना कालक्रम की शुरूआत से ही विकेन्द्रीकृत योजना का समर्थन किया जाता रहा है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के पश्चात् आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायती/शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। जिला स्तर योजना और बजटिंग को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय योजना समितियाँ (डीपीसीज़) गठित किया जाना अपेक्षित है।

## ब्रॉड बैंड इनिसिएटिव

2424. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** :
**श्री कीर्तिवर्धन सिंह** :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल के पास ब्रॉडबैंड इनिसिएटिव हेतु कितने प्रयोक्ता पंजीकृत हैं;

(ख) इस क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धी कौन–कौन हैं;

(ग) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल इसके इनिसिएटिव की मांग को पूरा कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो निजी उद्यमों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) में पंजीकृत प्रयोक्ताओं की कुल संख्या क्रमशः लगभग 1,50,000 और 22,765 है।

भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. में कार्यरत ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की कुल संख्या क्रमशः 15,873 और 3,611 है।

(ख) भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. के अलावा अन्य अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निजी उद्यमों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(i) जनवरी, 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा कई शहरों में शुरू की गई और इसे देश के 200 शहरों में उत्तरोत्तर रूप से "रोल आउट" करने की योजना है।

(ii) ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना का सृजन।

(iii) वहनीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ।

(iv) आवासीय तथा वाणिज्यिक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए व्यापक टैरिफ योजना।

(v) सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(vi) स्टाफ की कार्य–कुशलता का उन्नयन।

## चैनलों को गहरा करना

2045. **श्री जुएल ओराम** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ पत्तनों के चैनलों को गहरा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक चैनल को गहरा करने संबंधी परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) यह गहराई का कार्य कितने चरणों में पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या गहराई संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) से (ङ) महापत्तनों पर आने वाले जलयानों की डुबाव से संबंधित अपेक्षाओं से ताल-मेल बनाए रखने की दृष्टि से महापत्तन, इनसे जुड़े जलमार्गों को समय-समय पर और गहरा किए जाने का कार्य करते हैं। यह कार्य, पत्तन-अवसंरचना को बेहतर बनाए जाने की लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया का एक भाग है।

वर्ष, 2005-06 की वार्षिक योजना की अवधि के दौरान महापत्तनों में जलमार्गों को और गहरा किए जाने की निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है:-

(i) **कोलकाता-पत्तन** -- हुगली मुहाने में डुबाव में सुधार लाने के लिए 385.03 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर नदी विनियामक उपाय।

(ii) **कोचीन-पत्तन** — 422 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर वल्लारपद्म में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल परियोजनाओं से संबंधित निकर्षण।

(iii) **जवाहरलाल नेहरू-पत्तन** — मुख्य बंदरगाह-जलमार्ग और जवाहरलाल नेहरू-पहुंच-जलमार्ग को 640 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर और गहरा तथा और चौड़ा किया जाना।

(iv) **विशाखापट्टणम-पत्तन** — ढलान के संरक्षण सहित, पत्तन-जलमार्गों का 29 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर और गहरा किया जाना।

(v) **कांडला-पत्तन** — 98.50 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत पर, सोगल-जलमार्ग के पहुंच-मार्गों और कांडला-क्रीक के नौगम्य जलमार्ग को गहरा बनाया जाना तथा कांडला-क्रीक के पहुंच-मार्गों का और गहरा तथा और चौड़ा बनाया जाना।

(vi) **पाराद्वीप-पत्तन** — 148.59 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर, जलमार्ग का और गहरा किया जाना।

(vii) **नव मंगलूर-पत्तन** — 10 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग तथा लेगून का और गहरा किया जाना।

*[हिन्दी]*

### टैरिफ योजनाओं में परिवर्तन

2046. **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यूएलएल मोबाइल संचालकों को किसी टैरिफ योजना को लागू करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो मोबाइल कंपनियों द्वारा टैरिफ योजनाओं में नियमित परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को अवगत कराए बिना टैरिफ योजनाएं बदल दी जाती हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कंदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) दिनांक 16.01.2004 के दूरसंचार टैरिफ आदेश के 30वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार सेवा प्रदाताओं को, स्वतः जांच करने के बाद, टैरिफ योजनाओं को कार्यान्वित करने की छूट है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टैरिफ, संगत विनियामक सिद्धान्तों के अनुरूप हों। ऐसी कार्यान्वित योजनाएं, कार्यान्वयन की तिथि से सात दिनों के भीतर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सूचित कर दी जाती है।

(ख) सेवा प्रदाता, विभिन्न उपभोक्ता समूहों के अनुकूल, अलग-अलग टैरिफ योजनाएं शुरू करते हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित योजना का चयन करने और/अथवा अपनी पसंद की किसी भी टैरिफ योजना को अपनाने का अधिकार है। लगातार परिवर्तनों/टैरिफ में बढ़ोत्तरी से उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह अधिदेश जारी किया है कि उपभोक्ता द्वारा चुनी गई टैरिफ योजना में उसके नामांकन की तारीख से कम-से-कम छः माह की अवधि के लिए उस योजना के अन्तर्गत संबंधित उपभोक्ता को सेवाएं मिलनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

### पारादीप पत्तन

**2047. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पर अत्याधिक दबाव है जिसके परिणामस्वरूप भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच समन्वय के अभाव के कारण पत्तन में ढुलाई प्रभावित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से यह सुनिश्चित करेगी कि पत्तन में ढुलाई का कार्य शीघ्रता से हो?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पत्तनों पर संभाला जाने वाला सामान, रेल और सड़क दोनों से ही आता है। सड़क से सामान आने से कुछ स्थानाभाव (भीड़-भाड़) की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उपर्युक्त पत्तन-न्यास ने यातायात का प्रवाह विनियमित (नियंत्रित) करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्मिक लगाकर, उपर्युक्त स्थानाभाव (भीड़-भाड़) की स्थिति से निबटने के तत्काल उपाय करने आरंभ कर दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण ने लगभग 420 करोड़ रु. की लागत पर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क को चार लेनों का बनाने से संबंधित कार्य आरंभ कर दिया है। पारादीप-पत्तन ने उपर्युक्त प्रयोजन से बनाए गए एक विशेष प्रयोजनीय वाहन से संबंधित परियोजना की कुल लागत की लगभग 10% धनराशि का योगदान कर दिया है। उपर्युक्त निर्माण-कार्य, पहले ही, फरवरी, 2004 से शुरू हो गया है। उपर्युक्त निर्माण-कार्य, तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उपर्युक्त पत्तन पर आने वाले और वहां से जाने वाले सामान की अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता और तेज़ी से निकासी और उसके संबंध में अनापत्ति दे दिए जाने के मुद्दे का समाधान करने के लिए परिवाहकों (ट्रांसपोर्टरों), काँटा (तुलासेतु) प्रचालकों और पोत-वणिकों से नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

### प्रतिनियुक्ति पर जाने की प्रवृत्ति

**2048. डा. टोकचोम मैन्या : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की प्रवृत्ति अपने कैडर जोन से या तो प्रतिनियुक्ति अथवा प्रशिक्षण या किसी अन्य आधार पर अन्यत्र जाने की है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कोई आई.ए.एस. अथवा आई.पी.एस. अधिकारी अपने कैडर राज्य या जोन से कितनी अवधि तक बाहर प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है;

(ङ) क्या प्रतिनियुक्ति की कोई समय सीमा है;

(च) यदि हां, तो क्या इस नियम का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं की शर्तों को शासित करने वाले नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर जाने और प्रशिक्षण पाने के पात्र होते हैं।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को राज्य/संयुक्त संवर्ग के प्राधिकारी की सहमति से, प्रतिनियुक्ति अथवा प्रशिक्षण पर जाने की अनुमति होती है।

(घ) और (ङ) अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 वर्ष होती है। इसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना/केन्द्रीय स्टाफिंग पदों से इतर पदों पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि अधिकतम 7 वर्ष होती है।

(च) और (छ) प्रतिनियुक्ति की अवधि, नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है और केवल सुपात्र मामलों में मूल संवर्ग की सहमति से छूट प्रदान की जाती है।

### चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियां

**2049. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय चिकित्सा पद्धति को आधुनिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परम्परागत चिकित्सा पद्धति में विकास के विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) सरकार ने एम.बी.बी.एस. छात्रों के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और योग के मूल सिद्धांतों और धारणाओं को शामिल करने पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा परिषद् को भेजा है। चिकित्सा की इन पद्धतियों के दर्शनशास्त्र और सिद्धान्तों के बारे में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के छात्रों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। आयुष विभाग ने आयुष को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के लिए चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

*[हिन्दी]*

### उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति

2050. **श्री मुनव्वर हसन :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार के सामने उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना के संबंध में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर ली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) :** (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है –

| क्रम सं. | परियोजना | पूर्ण (कि.मी.) | कार्यान्वयन के अधीन (कि.मी.) | सौंपे जाने के लिए (कि.मी.) | कुल लंबाई (कि.मी.) | काफी हद तक पूरा होने की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वर्णिम चतुर्भुज | 375 | 380 | कुछ नहीं | 755 | दिस. 2005 |
| 2. | उत्तर–दक्षिण महामार्ग | 23 | – | 179 | 202 | दिस. 2007 |
| 3. | पूर्व–पश्चिम महामार्ग | 10 | 77 | 560 | 647 | दिस. 2007 |

(ख) से (च) उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पेश आ रही समस्याओं में सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, वन प्राधिकारियों से स्वीकृति मिलने में विलंब और कुछ ठेकेदारों का घटिया कार्य निष्पादन शामिल है।

*[अनुवाद]*

### अव्यपगत पूल कोष का हस्तांतरण

2051. **श्री किरिप चालिहा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने सरकार से अव्यपगत पूल कोष को पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग को इन राज्यों के लाभार्थ हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने पूल की वित्तपोषण प्रणाली में 10 प्रतिशत ऋण घटक को समाप्त करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) :** (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को अव्यपगत पूल कोष का हस्तांतरण करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से कोई भी विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) त्रिपुरा और मेघालय की सरकारों ने अपने द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में एनएलसीपीआर की वित्तपोषण प्रणाली में 10 प्रतिशत ऋण घटक को समाप्त करने की मांग की है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*[हिन्दी]*

### महिला मृत्यु पर विश्व बैंक रिपोर्ट

2052. **श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक ने देश में तीस वर्ष की उम्र की महिलाओं की मृत्यु की बढ़ती संख्या पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कोरिया, थाइलैण्ड और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यय अधिक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में महिला मृत्यु दर ऊँची है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) "बैटर हैल्थ सिस्टम फॉर इंडियाज पुअर" – वर्ष 2004, शीर्षक वाली विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 35 वर्ष की उम्र से पहले पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मरती हैं। इसका कारण यह है कि गर्भ और शिशु जन्म से संबंधित कारणों की वजह से 15–49 वर्ष की प्रजनक आयु–समूह की महिलाएं रूग्णता और मृत्युदर के प्रति ज्यादा सुभेद्दय होती हैं। ये कारण रक्तस्राव प्रासविक जटिलताएं, बाधित प्रसव, गर्भपात, गर्भ विषाक्तता और रक्ताल्पता हैं। कुपोषण, महिलाओं की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शिक्षा का निम्न स्तर, आर्थिक निर्भरता, सेवाओं तक पहुंच की कमी, गरीबी और सांस्कृतिक भ्रान्तियां इसके महत्वपूर्ण कारक हैं।

(ग) वर्तमान कार्यनीतियों और कार्यक्रमों के प्रमुख अनुपूरक के रूप में, प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो मुख्यतय मातृ मृत्युदर अनुपात को नीचे लाने के लिए प्रजनक आयु समूह की महिलाओं पर ध्यान देता है, को 1997 से देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन, मातृ स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कार्यकलापों में अनिवार्य प्रसूति, परिचर्या, आपात प्रसूति परिचर्या, पंचायत के माध्यम से गर्भ की जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रैफरल परिवहन, प्रथम रैफरल यूनिटों पर औषधियों और उपकरणों की व्यवस्था, सहायक नर्स धात्री, स्टाफ नर्स जैसे कंट्रेक्च्यूल स्टाफ की व्यवस्था और संवेदनाहारकों की सेवाएं अदायगी पर लेना है। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण में, प्रथम रैफरल यूनिटों के संचालक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घन्टे की प्रसव और नवजात परिचर्या की प्रदानगी तथा एनएनएम एवं एलएचवी की दक्ष जन्म परिचर बनाने के लिए प्रशिक्षण जैसे नए कार्यकलाप शुरू करके मातृ मृत्युदर और रूग्णता दर की अवनति को तेज किया जायेगा।

भारत सरकार ने पोषंण की समस्या से बड़े पैमाने पर विशेषकर जोखिमपूर्ण लोगों जैसे प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं और किशोरियों की पोषंण से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति वर्ष 1993 में अपनायी थी। विभिन्न वर्ग के लोगों के आहार और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से नीति के तहत कई कार्यक्रम को, जैसे आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण का प्रावधान और विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2001 के दौरान कुछ एशियाई देशों में स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति कुल व्यय की अन्तर्राष्ट्रीय डालर दर निम्न प्रकार थीं:–

| देश | स्वास्थ्य के लिए प्रति व्यक्ति कुल व्यय की अन्तर्राष्ट्रीय डालर दर |
|---|---|
| अफगानिस्तान | 34 |
| बंग्लादेश | 58 |
| भूटान | 64 |
| मालदीव | 263 |
| नेपाल | 63 |
| म्यांमार | 26 |
| भारत | 80 |
| कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य | 44 |
| कोरिया गणतंत्र | 948 |
| पाकिस्तान | 85 |
| श्रीलंका | 122 |
| थाईलैण्ड | 244 |

स्वास्थ्य पर हुए व्यय का लिंग आधारित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) मातृ–मृत्यु दर की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के महापंजियक द्वारा प्रमुख राज्यों की वर्ष 1998 की अनुमानित मातृ–मृत्यु दर का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

### *विवरण*

*मातृ–मृत्युदर भारत और वृहत्तर राज्य*
*(स्रोत : आरजीआई, एसआरएस, 1998)*

| प्रमुख राज्य | एम एम आर (1998) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| भारत | 407 |
| आन्ध्र प्रदेश | 150 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| असम | 409 |
| बिहार | 452 |
| गुजरात | 28 |
| हरियाणा | 103 |
| कर्नाटक | 195 |
| केरल | 198 |
| मध्य प्रदेश | 498 |
| महाराष्ट्र | 135 |
| उड़ीसा | 367 |
| पंजाब | 199 |
| राजस्थान | 670 |
| तमिलनाडु | 79 |
| उत्तर प्रदेश | 707 |
| पश्चिम बंगाल | 266 |

*[अनुवाद]*

### अनुसंधान और विकास पर निवेश

**2053. श्री सुबोध मोहिते :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 86 प्रतिशत भारतीय कंपनियां अनुसंधान और विकास पर कुछ भी निवेश नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनियों के लिए अनुसंधान और विकास पर कम्पनियों के लाभ का कुछ भाग व्यय किया जाना अनिवार्य करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) और (ख) सरकार ने कम्पनियों का, उनके अनुसंधान और विकास निवेशों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, 20 मार्च, 2003 के हिन्दू समूह के एक दैनिक फाईनेंशियल समाचार-पत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह उल्लेख है कि 8334 भारतीय कम्पनियों में से लगभग 86 प्रतिशत कम्पनियों ने वर्ष 2001-02 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनुसंधान और विकास पर कोई व्यय नहीं दर्शाया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### क्षयरोग कार्यक्रम हेतु गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

**2054. श्री एस. के. खारवेनथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में क्षयरोग उन्मूलन हेतु जिलावार कितने क्षयरोग केन्द्र और गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या धनराशि के आबंटन को बढ़ाने के लिए कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आबंटित निधियों का उचित उपयोग न करने और लाभार्थियों तक बहुत अल्प धनराशि पहुंचने से संबंधित अनियमितताओं की बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा धनराशि की चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में क्षयरोग केन्द्रों और कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की जिला-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी, तमिलनाडु को आबंटित धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | आबंटित निधियां |
|---|---|
| 2001-2002 | 6.79 करोड़ रुपये |
| 2002-2003 | 3.50 करोड़ रुपये |
| 2003-2004 | 9.82 करोड़ रुपये |

(ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

### *विवरण*

*क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में क्षयरोग केन्द्रों और सहभागी गैर-सरकारी संगठनों की जिलावार संख्या के ब्यौरे*

| क्रम सं. | जिला का नाम | क्षयरोग केन्द्रों की संख्या | गैर-सरकारी संगठनों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | चेन्नई | 10 | 2 |
| 2. | कोयम्बटूर | 9 | 4 |
| 3 | कोड्डालोर | 5 | 0 |
| 4. | धर्मपुरी | 6 | 9 |
| 5. | डिण्डीगुल | 5 | 6 |
| 6. | इरोड़ | 6 | 0 |
| 7. | कांचीपुरम | 6 | 2 |
| 8. | कन्याकुमारी | 4 | 8 |
| 9. | करूर | 2 | 12 |
| 10. | मदुरै | 5 | 2 |
| 11. | नागपट्टनम | 3 | 8 |
| 12. | नमक्कल | 3 | 4 |
| 13. | पेरंबूलर | 3 | 3 |
| 14. | पुदुकोट्टी | 3 | 18 |
| 15. | रामथपुरम | 3 | 0 |
| 16. | सेलम | 6 | 2 |
| 17. | सिवगंगा | 3 | 7 |
| 18. | तंजावूर | 5 | 1 |
| 19. | तेनी | 3 | 5 |
| 20. | दी नीलगिरि | 2 | 5 |
| 21. | तिरूचिरापल्ली | 6 | 2 |
| 22. | तिरूनेलवेली | 6 | 2 |
| 23. | तिरूवल्लूर | 6 | 1 |
| 24. | तिरूवरूर | 3 | 3 |
| 25. | तिरूवन्नामलाई | 5 | 9 |
| 26. | तूतूकोडी | 3 | 3 |
| 27. | वेल्लौर | 7 | 6 |
| 28. | विल्लूपुरम | 6 | 12 |
| 29. | विरूद्धनगर | 4 | 8 |
|  | कुल | 138 | 144 |

## टैरिफ में वृद्धि

**2055. श्री निखिल कुमार :**

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों के बीच फिक्सड कॉल लाइन हेतु टैरिफ बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टैरिफ बढ़ाने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. का विचार अन्य निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने टैरिफ ढांचे की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) टैरिफ का संशोधन 18.2.2005 को कार्यान्वित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महानगर टेलीफोन निगम लि. की हानि का समायोजन करने हेतु संशोधन आवश्यक हो गया ताकि इंटरकनेक्शन व्यवस्था का अनुपालन किया जा सके।

(ग) और (घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड समय-समय पर प्रतिस्पर्धा आदि को ध्यान में रखते हुए टैरिफ संशोधित करता है।

*विवरण*

**सैकण्ड में पल्स :**

| किलो मीटर में दूरी–स्लैब | बेसिक से बेसिक | | बेसिक से डब्ल्यूएलएल (एम) | | बेसिक से सेल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यस्त/अव्यस्त घंटे | मौजूदा | संशोधित | मौजूदा | संशोधित | मौजूदा | संशोधित |
| संलग्न क्षेत्रों को कॉल | 180 | 120 | 90 | 60 | 90 | 60 |

**कोड सहित एनसीआर स्टेशन :**

| दूरी | स्टेशन | कोड |
|---|---|---|
| 0–50 | गाज़ियाबाद | 95–120 |
| 0–50 | नोएडा | 95–120 |
| 0–50 | फरीदाबाद | 95–129 |
| 0–50 | सोनीपत | 95–130 |
| 0–50 | बहादुरगढ़ | 95–1276 |
| 0–50 | गुड़गांव | 95–124 |
| 0–50 | मोदी नगर | 95–1232 |
| 0–50 | सिकन्दराबाद | 95–5735 |

## जी.टी. रोड पर अतिक्रमण

**2056. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में से व्यस्त जी.टी. रोड़ और अन्य राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) पंजाब और हरियाणा में जी.टी. रोड (रा.रा. 1) और अन्य राजमार्गों पर कुछ अस्थायी अतिक्रमण हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थानीय प्रशासन की मदद से समय–समय पर यह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और कुछ मामलों में राज्य लोक निर्माण विभागों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियमित, 2002 अधिनियमित किया गया है।

## विदेशी सहायता से लघु उद्योगों को बढ़ावा

**2057. श्री जसुभाई धानाभाई बारड :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में विदेशी सहायता से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन–किन देशों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए किस सीमा तक सहायक होगा?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :** (क) और (ख) देश में लघु उद्योगों (एसएसआई) की वृद्धि एवं विकास की सुविधा के लिए संघ सरकार समय–समय पर नीतियां अपनाती हैं और योजनाएं आदि लागू करती हैं। इन नीतियों के भाग के रूप में, व्यक्तिगत उद्यमी, जो लघु उद्योग इकाई की स्थापना करने का विचार कर रहे हैं अथवा वास्तविक रूप से ऐसी इकाई का परिचालन कर रहे हैं, को विदेशी हस्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें उनकी इक्विटी भागीदारी संबंधित लघु उद्योग इकाइयों की चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत तक सीमित होती है। लघु उद्योग इकाइयां निजी स्वामित्व की होती हैं और इसलिए ऐसी भागीदारी का निर्णय एवं उत्तरदायित्व व्यक्तिगत इकाइयों का होता है। तथापि, लघु उद्योग मंत्रालय में संघ सरकार तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने

ऐसी भागीदारी की सुविधा के लिए दक्षिण कोरिया, इटली, ताइवान, जर्मनी आदि जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन दिया है।

(ग) ऐसी भागीदारी करने से लघु उद्योग इकाइयों को निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी के अनुप्रेरण, प्रबन्धकीय पद्धतियों को शेयर करने अथवा अन्तरण करने तथा विपणन संबंधों के माध्यम से लाभ पहुंचता है।

## राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना

**2058. श्री खीरेन रिजीजू :**
**श्री सुग्रीव सिंह :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुछ राज्यमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) देश में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 65,569 कि.मी. है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित राज्यीय सड़कों के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राज्यीय सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के बाद सड़कों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन राज्यवार किए जाते हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

### *विवरण-I*

*देश में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई*

(लंबाई कि.मी.)

| क्र. सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | 10 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कुल लंबाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4472 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 392 |
| 3. | असम | 2836 |
| 4. | बिहार | 3537 |
| 5. | चंडीगढ़ | 24 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 2184 |
| 7. | दिल्ली | 72 |
| 8. | गोवा | 269 |
| 9. | गुजरात | 2871 |
| 10. | हरियाणा | 1468 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 1208 |
| 12. | जम्मू-कश्मीर | 823 |
| 13. | झारखंड | 1805 |
| 14. | कर्नाटक | 3843 |
| 15. | केरल | 1440 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 5200 |
| 17. | महाराष्ट्र | 4176 |
| 18. | मणिपुर | 959 |
| 19. | मेघालय | 810 |
| 20. | मिजोरम | 927 |
| 21. | नागालैंड | 494 |
| 22. | उड़ीसा | 3704 |
| 23. | पांडिचेरी | 53 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24. | पंजाब | 1557 |
| 25. | राजस्थान | 5585 |
| 26. | सिक्किम | 62 |
| 27. | तमिलनाडु | 4183 |
| 28. | त्रिपुरा | 400 |
| 29. | उत्तरांचल | 1991 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 5599 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 2325 |
| 32. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 300 |
| | जोड़ | 65569 |

## विवरण-II

### गत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित राज्यीय सड़कों के राज्यवार ब्यौरे

(लंबाई कि.मी.)

| क्र. सं. | राज्य | राज्यीय सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 470 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 225 |
| 5. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 374 |
| 7. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 |
| 8. | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 9. | गुजरात | 0 | 0 | 410 |
| 10. | हरियाणा | 0 | 0 | 111 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 20 |
| 12. | जम्मू–कश्मीर | 0 | 0 | 0 |
| 13. | झारखंड | 0 | 0 | 202 |
| 14. | कर्नाटक | 0 | 0 | 273 |
| 15. | केरल | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 536 |
| 17. | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | मणिपुर | 0 | 0 | 5 |
| 19. | मेघालय | 0 | 0 | 93 |
| 20. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 |
| 21. | नागालैंड | 0 | 0 | 125 |
| 22. | उड़ीसा | 0 | 04 | 03 |
| 23. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 |
| 24. | पंजाब | 0 | 0 | 0 |
| 25. | राजस्थान | 116 | 0 | 988 |
| 26. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |
| 27. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 425 |
| 28. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 |
| 29. | उत्तरांचल | 218 | 0 | 916 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 41 | 0 | 657 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 374 |
| 32. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 300 |
| | जोड़ | 375 | 0 | 7457 |

### *विवरण-III*

*गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे*

(करोड़ रु.)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001–02 | | 2002–03 | | 2003–04 | | 2004–05 | |
| | | विकास | अनुरक्षण | विकास | अनुरक्षण | विकास | अनुरक्षण | विकास | अनुरक्षण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 103.80 | 43.00 | 118.46 | 35.44 | 110.51 | 37.42 | 96.74 | 33.64 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 4.10 | 0.31 | 6.00 | 0.60 |
| 3. | असम | 76.05 | 40.82 | 73.75 | 26.92 | 108.00 | 23.27 | 71.01 | 28.98 |
| 4. | बिहार | 65.32 | 44.90 | 76.53 | 30.46 | 83.07 | 29.48 | 79.51 | 49.14 |
| 5. | चंडीगढ़ | 1.50 | 0.46 | 2.70 | 0.74 | 1.50 | 0.28 | 2.00 | 0.56 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 32.28 | 24.20 | 61.20 | 25.60 | 46.00 | 15.35 | 51.26 | 26.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | दिल्ली | 6.00 | 1.02 | 6.00 | 0.12 | 10.00 | 0.42 | 6.00 | 0.73 |
| 8. | गोवा | 20.00 | 3.70 | 8.00 | 4.15 | 24.00 | 5.03 | 5.00 | 2.67 |
| 9. | गुजरात | 68.30 | 25.75 | 90.00 | 10.51 | 72.00 | 22.47 | 84.35 | 34.69 |
| 10. | हरियाणा | 103.88 | 18.57 | 59.00 | 10.30 | 52.50 | 11.19 | 53.00 | 11.26 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 55.00 | 19.69 | 30.00 | 12.51 | 32.00 | 13.45 | 45.00 | 17.15 |
| 12. | जम्मू-कश्मीर | 2.30 | 1.06 | 4.00 | 0.88 | 4.00 | 0.54 | 0.00 | 0.43 |
| 13. | झारखंड | 35.00 | 20.00 | 32.00 | 16.97 | 36.70 | 15.46 | 35.00 | 19.78 |
| 14. | कर्नाटक | 107.36 | 39.97 | 89.66 | 45.82 | 150.35 | 38.73 | 80.60 | 35.82 |
| 15. | केरल | 90.26 | 35.72 | 75.95 | 23.74 | 99.86 | 20.81 | 75.69 | 18.16 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 90.55 | 66.01 | 96.10 | 48.03 | 81.00 | 57.50 | 91.90 | 62.37 |
| 17. | महाराष्ट्र | 192.82 | 59.51 | 124.78 | 47.39 | 127.80 | 49.85 | 122.98 | 46.53 |
| 18. | मणिपुर | 14.51 | 9.36 | 14.02 | 6.01 | 16.01 | 6.96 | 11.57 | 8.33 |
| 19. | मेघालय | 22.58 | 11.35 | 22.20 | 8.70 | 40.00 | 9.41 | 25.93 | 12.46 |
| 20. | मिजोरम | 26.00 | 4.99 | 22.00 | 6.20 | 31.00 | 5.55 | 22.00 | 5.43 |
| 21. | नागालैंड | 15.00 | 5.74 | 12.00 | 1.86 | 11.50 | 1.98 | 14.00 | 3.77 |
| 22. | उड़ीसा | 78.69 | 47.31 | 56.32 | 42.37 | 69.97 | 42.51 | 78.80 | 40.12 |
| 23. | पांडिचेरी | 2.12 | 0.85 | 2.00 | 0.76 | 2.20 | 0.83 | 3.00 | 0.79 |
| 24. | पंजाब | 62.21 | 24.06 | 51.6 | 17.59 | 51.00 | 20.09 | 46.79 | 19.39 |
| 25. | राजस्थान | 87.20 | 49.37 | 93.89 | 33.86 | 48.00 | 27.93 | 92.72 | 50.97 |
| 26. | तमिलनाडु | 96.42 | 44.75 | 102.48 | 41.62 | 89.04 | 41.36 | 91.55 | 34.01 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 139.76 | 66.19 | 137.31 | 39.85 | 104.00 | 55.68 | 152.43 | 51.73 |
| 28. | उत्तरांचल | 25.00 | 11.10 | 20.69 | 5.84 | 20.10 | 3.66 | 25.44 | 13.34 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 84.22 | 39.07 | 114.50 | 20.69 | 98.00 | 23.57 | 101.60 | 22.31 |

### उत्तर प्रदेश में मेडिकल सीटों का रद्द किया जाना

**2059. श्री अशोक कुमार रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने हाल में उत्तर प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कालेजों में काफी मेडिकल और डेंटल सीटों को रद्द किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

### भारतीय विज्ञान कांग्रेस

**2060. श्री डी. विट्टल राव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में अहमदाबाद में 92वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी जैसा कि दिनांक 4 जनवरी, 2005 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए एक विज्ञान परामर्शदात्री परिषद बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 92वां सत्र 3 से 7 जनवरी, 2005 तक अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। निरमा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (समतुल्य विश्वविद्यालय) और राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) द्वारा इस सत्र का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था। इस सत्र का मुख्य विषय था *"राष्ट्र के आधार के रूप में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी"*। प्रोफेसर एन.के. गांगुली, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 92वें सत्र की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। इस सत्र का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री ने किया।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने प्रधान मंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस परिषद में शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्रकों से लिए गये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् सदस्यों के रूप में शामिल हैं। नीति स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों की देखभाल करना और भविष्य में भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणालियां स्थापित करना इस परिषद का दायित्व है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कार्य योजना तैयार करने का दायित्व भी इस परिषद को सौंपा गया है।

### जनसंख्या वृद्धि-दर में कमी

**2061. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान दशक के प्रथम चार वर्षों 2001 से 2004 के दौरान किन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि-दर में कमी आई है;

(ख) विभिन्न परिवार नियोजन उपायों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में क्या विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ग) इस पर राज्य-वार कुल कितना व्यय किया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार वर्ष 2000 से 2002 में जन्म दर, मृत्यु दर और सहज वृद्धि दर के बारे में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जिन राज्यों में जनसंख्या की सहज वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, वे हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

(ख) अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर और परिवार नियोजन तरीकों के अनुसार उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से VI में दिया गया है।

(ग) परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-VII में दिया गया है।

*विवरण-I*

| | | अशोधित जन्मदर | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य | 2000 | 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21.3 | 20.7 |
| 2. | असम | 26.9 | 26.6 |
| 3. | बिहार | 31.9 | 30.9 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 26.7 | 25.0 |
| 5. | गुजरात | 25.2 | 24.7 |
| 6. | हरियाणा | 26.9 | 26.6 |
| 7. | झारखंड | 26.5 | 26.4 |
| 8. | कर्नाटक | 22.0 | 22.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | केरल | 17.9 | 16.9 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 31.4 | 30.4 |
| 11. | महाराष्ट्र | 21.0 | 20.3 |
| 12. | उड़ीसा | 24.3 | 23.2 |
| 13. | पंजाब | 21.6 | 20.8 |
| 14. | राजस्थान | 31.4 | 30.6 |
| 15. | तमिलनाडु | 19.3 | 18.5 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 32.8 | 31.6 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 20.7 | 20.5 |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 22.1 | 20.7 |
| 19. | जम्मू-कश्मीर | 19.7 | 19.2 |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश | 22.3 | 20.2 |
| 21. | दिल्ली | 20.3 | 17.2 |
| 22. | गोवा | 14.3 | 14.0 |
| 23. | मणिपुर | 18.3 | 16.8 |
| 24. | मेघालय | 28.5 | 25.8 |
| 25. | मिजोरम | 16.0 | 16.9 |
| 26. | नागालैण्ड | उ.न. | उ.न. |
| 27. | सिक्किम | 21.8 | 21.9 |
| 28. | त्रिपुरा | 16.5 | 14.9 |
| 29. | उत्तरांचल | 20.2 | 17.0 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 19.1 | 16.8 |
| 31. | चंडीगढ़ | 17.5 | 14.6 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 34.9 | 30.4 |
| 33. | दमन और दीव | 23.7 | 22.4 |
| 34. | लक्षद्वीप | 26.1 | 19.3 |
| 35. | पांडिचेरी | 17.8 | 17.9 |
| | कुल | 25.8 | 25.0 |

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली, भारत के महारजिस्ट्रार

उ.न. : उपलब्ध नहीं

### विवरण-II

| क्र.सं. | राज्य | कुल प्रजनन दर | |
|---|---|---|---|
| | | 1997 | 2000 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2.5 | 2.3 |
| 2. | असम | 3.2 | 3.1 |
| 3. | बिहार | 4.4 | 4.5 |
| 4. | चण्डीगढ़ | उ.न. | उ.न. |
| 5. | गुजरात | 3.0 | 2.9 |
| 6. | हरियाणा | 3.4 | 3.2 |
| 7. | झारखंड | उ.न. | उ.न. |
| 8. | कर्नाटक | 2.5 | 2.4 |
| 9. | केरल | 1.8 | 1.9 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 4.0 | 4.0 |
| 11. | महाराष्ट्र | 2.7 | 2.5 |
| 12. | उड़ीसा | 3.0 | 2.8 |
| 13. | पंजाब | 2.7 | 2.4 |
| 14. | राजस्थान | 4.2 | 4.1 |
| 15. | तमिलनाडु | 2.0 | 2.1 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 4.8 | 4.7 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 2.6 | 2.4 |
| | भारत | 3.3 | 3.2 |

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली, भारत के महारजिस्ट्रार

उ.न. : उपलब्ध नहीं

### विवरण-III

*नसबन्दी की राज्यवार उपलब्धियां*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2000-01 | 2003-04* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. बड़े राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से अधिक)** | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 814,335 | 830,503 |
| 2. | असम | 13,865 | 45,134 |
| 3. | बिहार | 130,550 | 109,625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | छत्तीसगढ़ | 81,156 | 115,848 |
| 5. | गुजरात | 253,906 | 262,896 |
| 6. | हरियाणा | 96,348 | 91,280 |
| 7. | झारखंड | 68,417 | 48,960 |
| 8. | कर्नाटक | 412,950 | 377,091 |
| 9. | केरल | 151,043 | 151,586 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 325,588 | 352,000 |
| 11. | महाराष्ट्र | 677,071 | 689,000 |
| 12. | उड़ीसा | 87,186 | 89,021 |
| 13. | पंजाब | 114,198 | 97,598 |
| 14. | राजस्थान | 267,390 | 300,068 |
| 15. | तमिलनाडु | 375,654 | 429,450 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 365,200 | 487,517 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 313,817 | 216,524 |
| **II. छोटे राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से कम)** | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 1,755 | 1,632 |
| 2. | दिल्ली | 36,194 | 39,269 |
| 3. | गोवा | 5,031 | 5,090 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 34,398 | 32,337 |
| 5. | जम्मू-कश्मीर | 14,863 | 19,663 |
| 6. | मणिपुर | 1,605 | 1,265 |
| 7. | मेघालय | 2,213 | 2,642 |
| 8. | मिजोरम | 4,586 | 2,560 |
| 9. | नागालैण्ड | 2,575 | 1,086 |
| 10. | सिक्किम | 965 | 1,355 |
| 11. | त्रिपुरा | 7,476 | 3,010 |
| 12. | उत्तरांचल | 26,484 | 31,200 |
| **III. संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1,936 | 1,304 |
| 2. | चंडीगढ़ | 2,747 | 2,908 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 710 | 785 |
| 4. | दमण और दीव | 550 | 560 |
| 5. | लक्षद्वीप | 52 | 19 |
| 6. | पांडिचेरी | 11,379 | 12,545 |
| **IV. अन्य अभिकरण** | | | |
| 1. | रक्षा मंत्रालय | 16,147 | 14,756 |
| 2. | रेल मंत्रालय | 14,809 | 7,375 |
| | अखिल भारत | 4,735,149 | 4,875,462 |

* आंकड़े अनन्तिम
स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्ट

### *विवरण-IV*

### *आईयूडी निवेशन की राज्यवार उपलब्धियां*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2000-01 | 2003-04* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. बड़े राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से अधिक)** | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 282,257 | 326,222 |
| 2. | असम | 39,275 | 42,128 |
| 3. | बिहार | 110,949 | 122,322 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 89,191 | 99,136 |
| 5. | गुजरात | 410,900 | 413,632 |
| 6. | हरियाणा | 162,862 | 152,157 |
| 7. | झारखंड | 51,209 | 52,175 |
| 8. | कर्नाटक | 350,505 | 296,830 |
| 9. | केरल | 79,650 | 77,853 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 443,764 | 455,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | महाराष्ट्र | 433,808 | 447,000 |
| 12. | उड़ीसा | 192,176 | 142,108 |
| 13. | पंजाब | 374,569 | 318,946 |
| 14. | राजस्थान | 245,697 | 265,778 |
| 15. | तमिलनाडु | 397,130 | 437,573 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 2,037,302 | 2,082,764 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 87,736 | 68,084 |
| **II. छोटे राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से कम)** | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 2,396 | 2,281 |
| 2. | दिल्ली | 64,863 | 62,528 |
| 3. | गोवा | 2,882 | 2,767 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 35,088 | 32,265 |
| 5. | जम्मू–कश्मीर | 12,990 | 27,001 |
| 6. | मणिपुर | 4,334 | 5,687 |
| 7. | मेघालय | 2,808 | 3,226 |
| 8. | मिजोरम | 2,480 | 2,232 |
| 9. | नागालैण्ड | 1,660 | 3,664 |
| 10. | सिक्किम | 1,091 | 835 |
| 11. | त्रिपुरा | 4,407 | 3,114 |
| 12. | उत्तरांचल | 93,031 | 108,873 |
| **III.** | **संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1,139 | 1,615 |
| 2. | चंडीगढ़ | 5,340 | 5,601 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 347 | 290 |
| 4. | दमन और दीव | 297 | 276 |
| 5. | लक्षद्वीप | 33 | 33 |
| 6. | पांडिचेरी | 4,553 | 3,737 |
| **IV. अन्य अभिकरण** | | | |
| 1. | रक्षा मंत्रालय | 7,685 | 7,425 |
| 2. | रेल मंत्रालय | 9,237 | 6,170 |
| | अखिल भारत | 6,045,641 | 6,079,328 |

* आंकड़े अनन्तिम

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्ट

## विवरण-V

### कण्डोम उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्यवार उपलब्धियां

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2000–01 | 2003–04* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. बड़े राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से अधिक)** | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 602,018 | 727,597 |
| 2. | असम | 33,310 | 31,779 |
| 3. | बिहार | 36,570 | 34,085 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 205,445 | 341,566 |
| 5. | गुजरात | 903,717 | 1,125,196 |
| 6. | हरियाणा | 334,311 | 349,389 |
| 7. | झारखंड | 3,016 | 49,888 |
| 8. | कर्नाटक | 279,685 | 286,809 |
| 9. | केरल | 127,281 | 153,203 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1,320,399 | 1,423,833 |
| 11. | महाराष्ट्र | 455,040 | 462,611 |
| 12. | उड़ीसा | 289,297 | 284,718 |
| 13. | पंजाब | 397,158 | 368,171 |
| 14. | राजस्थान | 1,035,234 | 1,422,736 |
| 15. | तमिलनाडु | 246,263 | 223,242 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 1,780,676 | 1,760,064 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 393,941 | 412,049 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **II. छोटे राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से कम)** | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 1,270 | 1,076 |
| 2. | दिल्ली | 174,308 | 185,608 |
| 3. | गोवा | 786 | 634 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 69,127 | 79,218 |
| 5. | जम्मू–कश्मीर | 11,804 | 18,109 |
| 6. | मणिपुर | 3,723 | 4,622 |
| 7. | मेघालय | 578 | 2,031 |
| 8. | मिजोरम | 1,633 | 1,570 |
| 9. | नागालैण्ड | 42 | 294 |
| 10. | सिक्किम | 629 | 1,297 |
| 11. | त्रिपुरा | 10,800 | 21,353 |
| 12. | उत्तरांचल | 96,329 | 103,840 |
| **III. संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1,611 | 2,516 |
| 2. | चंडीगढ़ | 11,286 | 10,416 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 2 | 46 |
| 4. | दमन और दीव | 1,154 | 1,437 |
| 5. | लक्षद्वीप | 462 | 171 |
| 6. | पांडिचेरी | 9,758 | 10,519 |
| **IV. अन्य अभिकरण** | | | |
| 1. | रक्षा मंत्रालय | 26,944 | 9,027 |
| 2. | रेल मंत्रालय | 38,404 | 32,492 |
| 3. | वाणिज्यिक वितरण | 9,298,472 | 15,042,917 |
| | अखिल भारत | 18,202,483 | 24,986,129 |

* आंकड़े अनन्तिम

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्ट

### विवरण-VI

*खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोगकार्ताओं के बारे में राज्यवार उपलब्धियां*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2000–01 | 2003–04* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. बड़े राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से अधिक)** | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 256,325 | 300,774 |
| 2. | असम | 28,093 | 31,926 |
| 3. | बिहार | 58,997 | 41,241 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 104,184 | 205,274 |
| 5. | गुजरात | 178,837 | 228,710 |
| 6. | हरियाणा | 68,198 | 67,209 |
| 7. | झारखंड | 15,701 | 35,291 |
| 8. | कर्नाटक | 151,883 | 157,250 |
| 9. | केरल | 30,795 | 29,638 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 488,840 | 564,000 |
| 11. | महाराष्ट्र | 332,128 | 351,923 |
| 12. | उड़ीसा | 130,833 | 137,725 |
| 13. | पंजाब | 120,997 | 104,205 |
| 14. | राजस्थान | 479,310 | 711,788 |
| 15. | तमिलनाडु | 200,516 | 171,813 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 848,786 | 852,620 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 386,724 | 397,605 |
| **II. छोटे राज्य (20 मिलियन जनसंख्या से कम)** | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 1,900 | 1,362 |
| 2. | दिल्ली | 13,772 | 12,096 |
| 3. | गोवा | 1,987 | 3,596 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 26,505 | 24,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | जम्मू–कश्मीर | 4,696 | 9,401 |
| 6. | मणिपुर | 2,648 | 1,278 |
| 7. | मेघालय | 2,780 | 3,361 |
| 8. | मिजोरम | 1,624 | 4,441 |
| 9. | नागालैण्ड | 256 | 1,159 |
| 10. | सिक्किम | 2,543 | 5,393 |
| 11. | त्रिपुरा | 18,336 | 16,857 |
| 12. | उत्तरांचल | 38,295 | 43,189 |
| **III.** | **संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1,092 | 1,548 |
| 2. | चंडीगढ़ | 413 | 617 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 41 | 322 |
| 4. | दमन और दीव | 238 | 467 |
| 5. | लक्षद्वीप | 92 | 109 |
| 6. | पांडिचेरी | 1,340 | 1,758 |
| **IV.** | **अन्य अभिकरण** | | |
| 1. | रक्षा मंत्रालय | 3,972 | 4,555 |
| 2. | रेल मंत्रालय | 4,531 | 3,854 |
| 3. | वाणिज्यिक वितरण | 3,631,749 | 4.222,186 |
| | अखिल भारत | 7,639,957 | 8,751,291 |

* आंकड़े अनन्तिम

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्ट

### *विवरण-VII*

*जारी की गई धनराशि का राज्य वार ब्यौरा*

(लाख रुपये)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य का नाम | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 19780.29 | 19821.17 | 23987.95 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 728.83 | 823.36 | 444.21 |
| 3. | असम | 14285.54 | 14406.50 | 10894.23 |
| 4. | बिहार | 16446.85 | 22752.90 | 24618.92 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6287.78 | 7103.73 | 8724.34 |
| 6. | गोवा | 398.69 | 184.46 | 337.24 |
| 7. | गुजरात | 19402.60 | 14441.69 | 17352.43 |
| 8. | हरियाणा | 5637.09 | 5682.25 | 8065.68 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3095.19 | 3666.73 | 3958.41 |
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 3287.08 | 3292.74 | 3138.65 |
| 11. | झारखंड | 7867.65 | 8412.91 | 9555.72 |
| 12. | कर्नाटक | 18747.65 | 18713.31 | 14214.52 |
| 13. | केरल | 8609.33 | 8387.82 | 8335.16 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 16028.18 | 14494.26 | 19817.30 |
| 15. | महाराष्ट्र | 22321.37 | 24526.30 | 24670.81 |
| 16. | मणिपुर | 2556.62 | 1735.60 | 1172.37 |
| 17. | मेघालय | 1420.82 | 1296.31 | 797.13 |
| 18. | मिजोरम | 1684.95 | 1651.72 | 908.77 |
| 19. | नागालैण्ड | 1053.79 | 1239.35 | 835.65 |
| 20. | उड़ीसा | 12702.81 | 10085.03 | 10913.87 |
| 21. | पंजाब | 5463.04 | 2857.36 | 5635.24 |
| 22. | राजस्थान | 20068.23 | 19507.77 | 25618.03 |
| 23. | सिक्किम | 841.89 | 662.30 | 693.26 |
| 24. | तमिलनाडु | 16156.90 | 17078.49 | 15817.87 |
| 25. | त्रिपुरा | 2238.87 | 1713.02 | 968.35 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 43222.66 | 50900.28 | 60457.61 |
| 27. | उत्तरांचल | 4408.13 | 3378.77 | 3933.24 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 17595.66 | 15949.00 | 19476.64 |
| | कुल – सभी राज्य | 292338.49 | 294765.13 | 325343.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र** | | | | |
| 1. | दिल्ली* | 3252.10 | 1874.48 | 4042.23 |
| 2. | पांडिचेरी | 504.31 | 447.02 | 832.16 |
| **बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र** | | | | |
| 1 | अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह | 394.96 | 347.46 | 380.85 |
| 2. | चण्डीगढ़ | 270.74 | 246.52 | 224.82 |
| 3. | दादरा नगर हवेली | 93.77 | 81.53 | 118.63 |
| 4. | दमन और दीव | 112.04 | 134.02 | 115.05 |
| 5. | लक्षद्वीप | 75.90 | 73.61 | 81.77 |
| कुल (संघ राज्य क्षेत्र) | | 4703.82 | 3204.64 | 5795.51 |
| महायोग | | 297042.31 | 297969.77 | 331139.11 |

### टॉल टैक्स

**2062. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों के रखरखाव के लिए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूला गया टॉल टैक्स की राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के पास अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के पास अप्रयुक्त शेष के मद्देनजर टॉल टैक्स में कमी की जाएगी;

(घ) क्या टॉल टैक्स का अधिक आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर एकत्रित प्रयोक्ता शुल्क का उपयोग, अनुरक्षण तथा विदेशी ऋण के एक भाग की अदायगी के लिए किया जाना होता है। अनुमान के अनुसार समग्र एकत्रित प्रयोक्ता शुल्क अनुरक्षण, व्यय और विदेशी ऋण की अदायगी के लिए ही पर्याप्त होगा। प्रारंभिक वर्षों में केवल नेमी अनुरक्षण पर व्यय किया जाता है जबकि प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार आवधिक नवीकरण किया जाता है। इसलिए एकत्रित प्रयोक्ता शुल्क के मुकाबले में वर्षवार अधिशेष घाटा हो सकता है क्योंकि अनुरक्षण की आवश्यकता सभी वर्षों में समान नहीं होती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### अधिकारियों पर अभियोजन चलाने हेतु स्वीकृति

**2063. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने हेतु प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग (ए वी डी) स्वीकृति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 31, मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग (ए वी डी) के पास भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के क्रमशः सत्रह और ग्यारह मामले लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) और (ख) प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (ग्रेड–I और इससे उच्चतर) अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी प्रदान करता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग, केन्द्रीय सरकार से संबद्ध कार्यों में सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I तथा इससे उच्चतर अधिकारियों के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी हैं। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग (ए वी डी)

के पास विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (ग्रेड–I और इससे उच्चतर) अधिकारियों के विरूद्ध, क्रमशः अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 के अन्तर्गत भारी शास्ति की कार्यवाही के सत्रह प्रस्ताव और केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत ग्यारह प्रस्ताव लम्बित थे। वर्ष, 2004–2005 के दौरान (आज तक) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए ग्यारह प्रस्ताव और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (ग्रेड–I और इससे उच्चतर) अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पाँच प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए हैं।

### सिंगल-चिप मोबाइल फोन

**2064. श्री जी. वी. हर्ष कुमार :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक वर्ष के अंदर विश्व का प्रथम सिंगल चिप मोबाइल फोन लाने का है जैसा कि दिंनाक 23 जनवरी, 2005 के "दी हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा शकील अहमद) :** (क) और (ख) सरकार प्रचालकों को मोबाइल टेलीफोन सेवा सहित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। लाइसेंस प्रदान करने में प्रौद्योगिकीय तटस्थता अपनाई जाती है और इसलिए लाइसेंसधारी प्रचालक अनुमोदित तकनीकी मानकों के अनुसार किसी भी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

### सरकारी अस्पतालों में जीवन-रक्षक दवाएं

**2065. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में कुत्तों, सांपों इत्यादि द्वारा काटे गए लोगों के लिए कोई जीवन–रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पतालों में इन जीवन–रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता के कारण कुत्तों और सांपों द्वारा काटे गए लोगों का समय पर उपचार नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) सर्प–रोधी विष दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध है। रेबीज–रोधी सीरम और रेबीज–रोधी वैक्सीन डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध हैं जो रेबीज–रोधी क्लिनिक चलाने के लिए अधिकृत (डिजिगनेटेड) हैं।

### स्वास्थ्य बीमा योजना

**2066. श्री विनोद खन्ना :**

**श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वंचित/आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या और रोगनिरोधी और रोग–हर सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने हेतु कोई स्वास्थ्य बीमा योजना अथवा कोई स्वास्थ्य वित्तपोषण योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### जाली डाक-टिकटों/पोस्टल आर्डरों का परिचालन

**2067. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक सरकार के ध्यान में जाली डाक–टिकटों के परिचालन और जाली पोस्टल आर्डरों, राष्ट्रीय बचत किसान विकास पत्रों के परिचालन/भुनाने का कोई मामला आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इसकी रोक–थाम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) 1999 से देश के विभिन्न हिस्सों में जाली डाक–टिकटों के परिचालन के कुछ मामले विभाग के सामने आए

हैं। जाली पोस्टल-आर्डर, राष्ट्रीय बचत पत्रों, किसान विकास पत्रों और अन्य लघु बचत लिखतों का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) आज तक 6,00,00,000 (छह करोड़ रुपए मात्र) से अधिक मूल्य के जाली डाक-टिकट पकड़े/जब्त किए गए हैं। जाली डाक-टिकटों से संबंधित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

(i) सभी डाक-सर्किलों के अध्यक्षों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे डाक-टिकट विक्रेताओं/डाकघर कोषागारों, सर्किल डाक-टिकट डिपो (सीएसडी) का औचक निरीक्षण/दौरा करें।

(ii) सर्किल अध्यक्षों को सर्किल/क्षेत्रीय जांच दस्तों को सक्रिय रूप से कार्य करने और लाइसेंसधारी डाक-टिकट विक्रेताओं/लाइसेंसधारी डाक एजेंटों/पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की जांच के अनुदेश दे दिए गए हैं।

(iii) कर्मचारियों को असली डाक-टिकटों की विशेषताओं जैसे कागज की गुणवत्ता और छपाई के रंग, छिद्रण, वाटरमार्क और गमिंग के रंग और गुणवत्ता से अवगत करा दिया गया है ताकि वे असली डाक-टिकटों में से नकली डाक-टिकटों की पहचान कर सकें और उन्हें पकड़ सकें।

(iv) सर्किल अध्यक्षों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे इस तरह का प्रचार करें जिससे जनता से अनुरोध किया जाए कि वे केवल डाकघरों या प्राधिकृत एजेंटों से ही डाक-टिकट खरीदें और किसी अन्य स्रोत से नहीं।

(v) फील्ड इकाइयों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे डाक-टिकटों की जरूरत को कम करने के लिए जहां भी उपलब्ध हो वहां बहु उद्देशीय मशीनों (एमपीसीएम) के माध्यम से ही डाक वस्तुओं की बुकिंग करें।

(vi) संस्थागत ग्राहकों को फ्रैंकिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vii) फरवरी, 2004 से स्मारक डाक-टिकटों के तकनीकी आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं।

## *विवरण*

*सर्किलों द्वारा संदिग्ध जाली डाक-टिकट पकड़े जाने के रिपोर्ट किए गए मामले*

| क्र. सं. | सर्किल का नाम | स्थान | पकड़े जाने की तारीख | पकड़े गए/ज़ब्त किए गए जाली डाक-टिकटों का ब्यौरा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मूल्य वर्ग | संख्या | मूल्य (रुपयों में) | कुल मूल्य (रुपयों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | असम | नहरबाड़ी प्रधान डाकघर | अप्रैल 1999 | 5/- | 13 | 65 | 73 |
| | | | | 1/- | 8 | 8 | |
| 2. | दिल्ली | एनडीआरएस टीएमओ | फरवरी 1999 | 10/- | 3 | 30 | 180 |
| | | जनकपुरी एवं डेसू कॉलोनी डाकघर | जनवरी 2000 | 10/- | 15 | 150 | |
| 3. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता जीपीओ | दिसम्बर 1999 | 50/- | 15 | 750 | 750 |
| 4. | राजस्थान | जयपुर | जनवरी 1999 | 2/- | 894 | 1788 | 5599 |
| | | | | 1/- | 3811 | 3811 | |
| 5. | बिहार | अशोक नगर (रांची) | मार्च 1999 | 5/- | 7 | 35 | 1215 |
| | | | | 10/- | 2 | 20 | |
| | | बाढ़ (नालंदा) | सितम्बर 1999 | 2/- | 41 | 82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जमालपुर | अक्तूबर 1999 | 2/– | 12 | 24 | |
| | | पटना | मार्च 1999 | 5/– | 198 | 990 | |
| | | | | 5/– | 12 | 60 | |
| | | बांकीपुर प्रधान डाकघर | मार्च 1999 | 2/– | 2 | 4 | |
| 6. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | जून 1999 | 20/– | 2 | 40 | 33109800 |
| | | ठाणे (मुंबई) | नवंबर 1999 | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 और 1/– राजस्व | – | 33048530 | |
| | | शिवाजी नगर प्रधान डाकघर, पुणे सिटी प्रधान डाकघर | जनवरी 2003 | 10/– | 6123 | 61230 | |
| 7. | उत्तर प्रदेश | नोएडा और मेरठ | मई 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | | 32100 | 13648869 |
| | | तेतरी बाजार बस्ती | जुलाई 2000 | 5/– | 86 | 430 | |
| | | मेरठ | मई 2003 | 10/– | 50 | 500 | |
| | | गाज़ियाबाद | जुलाई 2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 10 15, 20, 50, .05 से .75 | | 5154839 | |
| | | इलाहाबाद | जुलाई 2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, .05 से .75 | | 8461000 | |
| 8. | उत्तर पूर्व | दीमापुर | सितम्बर 1999 | 5/– | 72 | 360 | 360 |
| 9. | कर्नाटक | कल्लमबल्ला उप–डाकघर | मार्च 2003 | 20/– | 133 | 2660 | 2660 |
| 10. | गुजरात | अहमदाबाद | मई 2003 | | | 2300000 | 2300000 |
| 11. | छत्तीसगढ़ | रायपुर प्रधान डाकघर | जून 2003 | 2/– | 200 | 400 | 400 |
| 12. | स्टैम्पिट कर्नाटक | केएनके/दिल्ली एवं मुम्बई | 1999 | 25 पै. 1, 2, 3, 4, 5 10, 20, 50 | | 12730910 | 14327330 |
| | | माडीवाला | 2002 | 1, 2, 3, 5, 10 एवं 20 | | 1596420 | |
| 13. | पंजाब | चण्डीगढ़ | जुलाई 2002 | 1, 2, 3, 5, 10, 20,<br>50 राजस्व 1/– | 50584<br>43520 | 117564<br>43520 | 161084 |
| | | | | कुल | | | 63558320 रु. |

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों का गुणवत्तायुक्त उपचार

**2068. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय महत्व का विशेषज्ञता प्राप्त रेफरल अस्पताल होने के बावजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने में विफल रहा है;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों को बेहतर नैदानिक सुविधा, समय पर उपचार एवं चिकित्सा परिचर्या से वंचित रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उपचार हेतु अपने यहां आने वाले आपातकालीन एवं सामान्य वार्ड के मरीजों को हर प्रकार की चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहा है। इस अस्पताल में हर समय आपातकालीन सेवाएं मौजूद हैं तथा यहां सीनियर रेजीडेंट तथा परामर्शदाता के स्तर के विशिष्ट चिकित्सक नियुक्त हैं। इन आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की नैदानिक एवं थेरेपी संबंधी सुविधाएं हैं। यहां संक्रमण

नियंत्रण, मौतों के मामलों की पुनरीक्षा तथा शिकायत निवारण की आंतरिक पद्धति हेतु इसकी अपनी कार्यपद्धति है जो एम्स अस्पताल में आने वाले मरीजों को गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के बड़े कदम हैं। रोगी परिचर्या सेवाओं के इष्टम स्तर को बनाए रखने के लिए यह संस्थान चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य स्टाफ की पर्याप्त संख्या रखता है। कार्यभार को ध्यान में रखते हुए यह संस्थान आधारभूत ढांचे के विकास हेतु भी प्रयास कर रहा है।

### पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट मैच देखने हेतु वीज़ा

**2069. श्री एन. जर्नादन रेड्डी : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत–पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को देखने हेतु पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को उदारतापूर्वक वीज़ा जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने वीज़ा जारी किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) भारत में समस्या को बढ़ाने वाले संदिग्ध और संदेहजनक चरित्रवाले लोगों को वीज़ा नहीं जारी करने हेतु क्या कार्यविधि बनाई गई है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीज़ा निर्गत करने का निर्णय लिया है जो क्रिकेट मैचों के लिए भारत आना चाहते हैं बशर्ते कि उनके पास वैध टिकट हो।

(ख) मोहाली में क्रिकेट देखने के लिए भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद ने 3223 वीज़ा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी किए।

(ग) प्रक्रियाओं के अनुपालन और आवश्यक जांच करने के बाद ही वीज़ा जारी किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

### ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं

**2070. श्री अजीत जोगी :**

**श्रीमती प्रतिभा सिंह :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट, ई–मेल और कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पर्वतीय, दूरदराज के तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रयास आरम्भ किया जिससे इन क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जनता को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाए जा सकें। इस प्रयास के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के ब्लॉक स्तर पर 487 सामुदायिक सूचना केन्द्रों; जम्मू तथा कश्मीर राज्य के ब्लॉक स्तर पर 135 सामुदायिक सूचना केन्द्रों; अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 41 विद्या वाहिनी सामुदायिक सूचना केन्द्रों तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 30 विद्या वाहिनी सामुदायिक सूचना केन्द्रों को समर्थन प्रदान किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देशों का एक मसौदा तैयार किया है। इन केन्द्रों को सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड अपनाकर ग्रामीण स्तर के उद्यमकर्ताओं के माध्यम से बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएँ (सरकारी तथा गैर सरकारी एवं स्थानीय सेवाएँ) प्रदान कर सकेंगे।

*[अनुवाद]*

### रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल में जनजातीय वर्ग के चिकित्सक

**2071. श्री मणि चारेनामै : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रीम्स) इम्फाल, मणिपुर में नियुक्त 300 चिकित्सकों में जनजातीय वर्ग के केवल 7 चिकित्सक हैं;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सकों की भर्ती में आरक्षण संबंधी क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या रीम्स में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में जनजातीय वर्ग के लिए 31 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मानदण्ड का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रीम्स में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन के मामले में मणिपुर के जनजातीय लोगों पर भी वही मानदण्ड लागू होते हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया है कि क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर में कार्यरत 300 चिकित्सकों में से जनजातीय वर्ग के केवल 7 चिकित्सक हैं।

(ख) चिकित्सकों की नियुक्ति पहले पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर की गई थी तथा संस्थान ने किसी भी प्रकार के आरक्षण मानदण्डों का अनुसरण नहीं किया था। तथापि वर्ष 2004–05 से आरक्षण मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस कोर्सों में जनजातीय वर्ग के लिए सुनिश्चित 31 प्रतिशत आरक्षण का अनुसरण नहीं किया जाता है क्योंकि क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला 7 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार होता है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय मानदण्ड 7.5 (साढ़े सात प्रतिशत) प्रतिशत है।

(घ) राज्य सरकार उपर्युक्त कोर्स के लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करते हुए/समर्थन देते हुए मानदण्डों का पालन कर रही है।

(ङ) यह लागू नहीं होता है। एमबीबीएस के लिए प्रवेश परीक्षा पूर्वोत्तर के केवल लाभार्थी राज्यों द्वारा ही आयोजित की जाती है।

(च) मणिपुर सरकार ने वर्ष 2005 के दौरान पीजी कोर्स के दाखिले में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण मानदण्डों का अनुपालन किया है।

(छ) उपयुक्त (च) को देखते हुए लागू नहीं होता।

## फ्लाई ऐश की उपयोगिता

**2072. श्री अधीर चौधरी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्स्टीटयूट ने मृदा–सुधार, बंजर भूमि प्रबंधन एवं इसके विशाल ढेरों को कृषि योग्य बनाने हेतु फ्लाई ऐश के वृहत उपयोग का तरीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे पेटेंट के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ग) क्या इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके आविष्कारकों को किस प्रकार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। ये विकास पेटेंट द्वारा संरक्षित हैं। सीएसआईआर ने एक भारतीय पेटेंट (031 एनएफ 2002) फाइल किया है जिसमें मृदा–सुधार तथा बंजर भूमि प्रबंधन के लिए उड़न राख का वृहत उपयोग शामिल है। विशाल ढेरों को कृषि योग्य बनाने के लिए उड़न राख के वृहत उपयोग विषयक एक अन्य पेटेंट की परिकल्पना की गई है।

(ग) इन विकासों का व्यापक स्तर पर प्रायोगिक परीक्षणों, जिनमें देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के आस–पास स्थित किसानों के खेत शामिल हैं, के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है।

(घ) इस जानकारी के आविष्कारक सीएसआईआर के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बौद्धिक शुल्क का हिस्सा प्राप्त करते हैं।

*[हिन्दी]*

## उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को विश्व बैंक द्वारा धन

**2073. श्री हरिकेवल प्रसाद** :

**श्री इलियास आजमी** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना करने हेतु धन उपलब्ध करा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान की धनराशि कितनी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) विश्व बैंक की 98.5

मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता से एक राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास योजना उत्तर प्रदेश में 26.7.2000 से कार्यान्वित है तथा यह 31.12.2005 को समाप्त हो जायेगी। इस परियोजना का लक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों का नवीकरण करना भी है।

*[अनुवाद]*

### ग्लोबल कॉरपोरेट रीसर्च सेन्टर

2074. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में ग्लोबल कॉरपोरेट रीसर्च सेन्टर स्थापित करने हेतु सीमेन्स कॉरपोरेशन को आमंत्रित किया है;

(ख) क्या सीमेन्स इंडिया आरम्भ में चिकित्सा सूचना प्रौद्योगिकी और सुरक्षा स्वचालनों से संबंधित क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर में कब तक रीसर्च सेन्टर स्थापित होगा और यह कब तक कार्य करना शुरू करेगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) भारत में उपलब्ध कुशलताओं तथा सक्षमताओं पर विचार करते हुए सीमेन्स कॉर्पोरेट अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ख) जी, हां। आरम्भ में यह केन्द्र चिकित्सा सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा स्वचालन से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान पर ध्यान देगा।

(ग) अनुसंधान केन्द्र का उद्‌घाटन बंगलौर में 25 अक्तूबर, 2004 को किया गया और यह इस समय कार्य कर रहा है।

### चिकित्सा निगरानी प्रणाली

2075. **श्री दुष्यंत सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में कुछ बड़े अस्पतालों ने चिकित्सा निगरानी प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य स्तर पर इसी प्रकार की निगरानी प्रणाली को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[हिन्दी]*

### सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु राज्यों को प्रोत्साहन

2076. **श्री बालेश्वर यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सॉफ्टवेयर और संचार व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई जानी है;

(ग) क्या सरकार ने देश के कुछ चुने हुए शहरों को ए-वन दर्जा प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (घ) सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान किए हैं, जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू हैं। इन प्रोत्साहनों की प्रयोज्यता के संबंध में सरकार ने देश के चुनिन्दा शहरों को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया है।

### *विवरण*

### *सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय*

1. हार्डवेयर विनिर्माण के क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत हैं।
2. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।
3. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।
4. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% से 15% कर दी गई

है। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पूँजीनिवेश वाले संयंत्र तथा मशीनरी में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। आईटीए-। वस्तुओं (217 वस्तुओं) पर सीमा शुल्क 13.2.2005 को समाप्त कर दी गई है। धातुओं (लौह तथा अलौह), रसायनों तथा प्लास्टिकों पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 10% की गई है। आईटीए-। वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोगक्ता शर्त के अन्तर्गत सीमा शुल्क से छूट दी गई है। विक्षेपण पुर्जों, एयर कोर्ड एवं फेराइट कोर्ड ट्रांसफार्मरों, आरएफ/आईएफ कॉयलों तथा लाउडस्पीकरों (कोन टाइप) को छोड़कर विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। आईटी समझौता (आईटी सॉफ्टवेयर को छोड़कर) तथा उनके उपादानों कच्ची सामग्रियों पुर्जों, विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत शामिल वस्तुओं पर 4% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, टीडीएम, डीसी माइक्रो मोटर, पीसीबी, रिले, स्वीच के विनिर्माण के लिए आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतु/केबलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। मूलभूत/सेल्यूलर/इंटरनेट, वीसैट रेडियो पेर्जीग तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के लिए विशिष्ट मूलसंरचनात्मक उपस्कर तथा ऐसा उपस्करों के पुर्जे मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदानकर्ताओं को इस समय उपलब्ध मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों से सीमा शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाकर सार्वत्रिक अभिगम सेवा प्रदानकर्ताओं द्वारा आयात पर लागू किया गया है। सेलफोनों, सेट टॉप बाक्स के पुर्जों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है। आसबाब के रूप में लाए गए लेपटॉप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। यात्री आसबाब पर सीमा शुल्क 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है।

5. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 0% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। पीसी पर पहले से डाले गए सॉफ्टवेयर, श्रव्य सीडी, रिकोर्ड किए गए वीसीडी तथा डीवीडी, सेल्यूलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग ट्रमिनल, कॉल करने, चेतावनी देने तथा पेजिंग के लिए सुवाह्य रिसीवर, सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सेटों के पुर्जे, संघटक पुर्जे तथा सहायक सामग्रियों, सेट टॉप बॉक्स को उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति है।

7. इर्लेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/ निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीडीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाता है।

8. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

9. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

10. सीमा शुल्क की अनुमति स्वमूल्यांकन तथा चुनिंदा जांच पर आधारित है।

11. पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों को उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुपात में सेवा कर से छूट दी गई है।

13. निर्यातान्मुखी इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10बी तथा 10ए के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

14. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात गृहक का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाईयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्र हैं:

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्त्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

15. जिन स्टार निर्यातगृहों (स्थिति धारक सहित) ने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपए के निःशुल्क विदेशी मुद्रा का न्यूनतम कारोबार हासिल किया है, वे सभी क्रमवृद्धिमान निर्यात के आधार पर शुल्क क्रेडिट के पात्र हैं जो निर्धारित वार्षिक निर्यात के सामान्य लक्ष्य से काफी अधिक है।

16. भारत में उद्योगों का पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहाँ ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 25 करोड़ रु. से अधिक हो।

17. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों का वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

*[अनुवाद]*

### स्पेक्ट्रम आबंटन

**2077. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों के स्पेक्ट्रम आबंटन की तुलना में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का स्पेक्ट्रम आबंटन कितना है; और

(ख) सरकार इस सीमित संसाधन का किस प्रकार अधिकतम आबंटन सुनिश्चित करती है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) विभिन्न देशों की स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार क्षेत्र के लिए स्पेक्ट्रम आबंटित किए गए हैं। यही दृष्टिकोण भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए भी अपनाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय आबंटनों और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना तैयार की गई है।

(ख) स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस सीमित संसाधन का इष्टतम उपयोग हो।

*[हिन्दी]*

### ग्राम पंचायतों में डाक एवं तार सुविधाएं

**2078. श्री बीर सिंह महतो :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में डाक एवं तार सुविधा विहीन ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए/किए जाने वाले पंचायत संचार सेवा एवं तार कार्यालयों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) पश्चिम बंगाल में डाक सुविधा रहित कोई ग्राम पंचायत नहीं है। पश्चिम बंगाल के 1,778 ग्राम पंचायतों में तारघर की सुविधा नहीं है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने वाले पंचायत संचार सेवाएं एवं तारघरों की संख्या शून्य है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य के सभी बसे हुए, पहुंच के दायरे में आने वाले और उपद्रव रहित गांवों (ग्राम पंचायत गांवों सहित) में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, इस समय पश्चिम बंगाल राज्य में तारघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### विवरण

*पश्चिम बंगाल राज्य के उन ग्राम पंचायतों का जिला/सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रवार (एसएसए) उपलब्धता की स्थिति का ब्यौरा जहां तारघर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।*

| क्रम सं. | जिले/एसएसए का नाम | पश्चिम बंगाल राज्य के उन ग्राम पंचायतों की संख्या जहां तारघर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं |
|---|---|---|
| 1. | 24 परगना (उत्तर) | 111 |
| 2. | 24 परगना (दक्षिण) | 228 |
| 3. | बांकुरा | 65 |
| 4. | बीरभूम | 65 |
| 5. | बर्दवान | 79 |
| 6. | कूचबिहार | 49 |
| 7. | दार्जीलिंग | 59 |
| 8. | दीनापुर (उत्तर) | 70 |
| 9. | दीनापुर (दक्षिण) | 40 |
| 10. | हुगली | 135 |
| 11. | हावड़ा | 102 |
| 12. | जलपाईगुड़ी | 68 |
| 13. | मालदा | 80 |
| 14. | मिदनापुर | 305 |
| 15. | मुर्शीदाबाद | 127 |
| 16. | नादिया | 99 |
| 17. | पुरुलिया | 96 |
| | कुल | 1,778 |

### सेटेलाइट रेडियो नैवीगेशन प्रोग्राम

**2079. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ के गैलीलियो नामक सेटेलाइट रेडियो नैवीगेशन प्रोग्राम में भाग लेने का है;

(ख) क्या हाल में ब्रुसेल्स में समाप्त हुए इंटरनेशनल स्पेस कांफ्रेंस में इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** (क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*[अनुवाद]*

### आई सी सी आर के क्षेत्रीय केन्द्रों को खोला जाना

**2080. श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश के विभिन्न हिस्सों में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आई सी सी आर) के नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्रीय असुंतलन को दूर करने हेतु जम्मू कश्मीर और बिहार में आई सी सी आर के क्षेत्रीय केन्द्र खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) :** (क) से (ग) परिषद की देश के विभिन्न भागों में नये क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की योजना है। इन केन्द्रों के शुभारंभ के लिए सक्षम प्राधिकारी से अतिरिक्त पदों का अनुमोदन प्राप्त होने और इस प्रयोजनार्थ परिषद के पास आवश्यक निधियाँ उपलब्ध हो जाने के बाद ये कार्यालय कार्य करने लगेंगे।

### औषधि विनिर्माण लाइसेंस

**2081. श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार जारी किए गए और लागू औषधि विनिर्माण लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में राज्यवार कितने डब्ल्यू एच ओ जी एम पी, शेड्यूल एम, यूएसएफडीए, यूकेएमसीए प्रत्यायन प्रदान किए गए;

(ग) क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और भेषज उद्योग से तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और उद्योग द्वारा ऐसे कितने व्यक्तियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत शेड्यूल एम को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त पाया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नवम्बर, 2003 की स्थिति के आधार पर राज्यवार जारी और लागू औषध विनिर्माण लाइसेंस का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन जी.एम.पी. और अनुसूची 'एम' (जी एम पी) प्रमाण पत्र राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं इसलिए इस संबंध में केन्द्र स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते। संबंधित देशों को निर्यात हेतु संबंधित विनिर्माता फर्मों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर यू एस एफ डी ए तथा यू के एम सी ए अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसलिए इस संबंध में इस मंत्रालय में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) फार्मास्युटिकल उद्योग से जुड़े तकनीकी लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय भेषज संहिता शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली, पंजाब में दिया जाता है। राष्ट्रीय भेषज संहिता शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक उद्योग के उत्पादन सम्भाग और विभिन्न फार्मा उद्योगों के तकनीकी और विश्लेषण विभाग के 503 कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अब तक कुल 23,86052 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सभी प्रतिभागियों का प्रत्येक दिन मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनके सीखने की प्रक्रिया की पुष्टि हो सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेषज संहिता उद्योग के ऐसे व्यक्तियों का अनुमोदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह कार्य संबंधित राज्य के लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

### *विवरण*

*राज्यों में विनिर्माण लाइसेंसों की श्रेणीवार संख्या*

| क्र. सं. | राज्य | खेप औषधें | फारमू–लेशन | अधिक मात्रा के साझेदार | वैक्सीन एस | रक्त बैंक | सर्जरी की ड्रेसिंग एस | रोगाणु नाशक | रीपेकिंग | ऋण लाइसेंस | चिकित्सा उपकरण | प्रसाधन सामग्री एस | आयु. युनानी सिद्ध। | होमियो–पैथिक | शामिल की गई विविध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 200 | 416 | 5 | 14 | 179 | 21 | | 27 | 620 | | 59 | | | 31 |
| 2. | असम | 2 | 19 | 2 | | 51 | 15 | 12 | 3 | | 1 | 10 | 38 | 1 | 6 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 4. | बिहार | | 236 | 3 | 1 | 38 | 236 में शामिल | | | 7 | | 7 | 240 | 26 | 2 |
| 5. | चंडीगढ़ | 1 | 13 | | | 3 | | 4 | | | | 2 | 3 | | |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 2 | 37 | | | 1 | 7 | 7 | | 2 | 4 | 5 | 44 | 2 | |
| 7. | दादरा और नगर हवेली | 5 | 56 | | | | | 1 | 2 | 47 | | 54 | 15 | | |
| 8. | दिल्ली | 4 | 90 | | 1 | 42 | 28 | 4 | 1 | 89 | 1 | 499 | | 69 | |
| 9. | गोवा | 5 | 88 | 2 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 186 | 1 | 16 | 6 | | |
| 10. | गुजरात | 430 | 526 | 18 | 6 | 159 | 52 | 19 | 15 | 644 | 117 | 324 | 930 | 11 | |
| 11. | हरियाणा | 23 | 230 | 6 | 2 | 42 | 65 | 8 | 6 | 13 | 4 | 39 | | 10 | |
| 12. | जम्मू–कश्मीर | 3 | 15 | | 1 | 14 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | कर्नाटक | 57 | 84 | 2 | 2 | 135 | 21 | 32 | 9 | 291 | 3 | 74 | | | 33 |
| 14. | केरल | 4 | 60 | 10 | 1 | 125 | 2 | 2 | 6 | 15 | 4 | 11 | 800 | 17 | |
| 15 | महाराष्ट्र | 347 | 693 | 17 | 9 | 245 | 38 | 29 | 49 | 1931 | 19 | 513 | 655 | 25 | 68 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 54 | 435 | 12 | 1 | 101 | 44 | 20 | 43 | 263 | 4 | 56 | 539 | 17 | 15 |
| 17. | मेघालय | | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 3 | | | |
| 18. | मिजोरम | | 1 | | | 5 | 1 | | | | | | | | |
| 19. | उड़ीसा | 4 | 43 | | 2 | 63 | 19 | 30 | 31 | 14 | | 39 | | 25 | 6 |
| 20. | पांडिचेरी | 7 | 34 | | | 8 | | 3 | 3 | 12 | 3 | 52 | 51 | 7 | 2 |
| 21. | पंजाब | 9 | 187 | 3 | 2 | 72 | 13 | | | 12 | | 71 | | 3 | 13 |
| 22. | राजस्थान | 19 | 85 | 2 | 1 | 60 | 48 | 10 | 9 | 68 | 5 | 24 | | 4 | 31 |
| 23. | सिक्किम | | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | 1 | 1 | |
| 24. | तमिलनाडु | 62 | 436 | 15 | 5 | 192 | 103 | 21 | 20 | 325 | 12 | 175 | 531 | 7 | 58 |
| 25. | त्रिपुरा | | 4 | | | 6 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 26. | उत्तरांचल | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | | 1 | |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 44 | 329 | 9 | 3 | 126 | 115 | 30 | 53 | 16 | 12 | 51 | | 40 | 12 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 46 | 280 | 27 | 3 | 104 | 32 | 30 | 40 | 131 | 7 | 191 | 850 | 700 | 10 |
| | कुल | 1338 | 4410 | 134 | 56 | 1806 | 638 | 273 | 320 | 4692 | 199 | 2282 | 4714 | 966 | 287 |

## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-3 के अंतर्गत कार्यक्रम

**2082. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द खंडूडी :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी–3) के अंतर्गत नए कार्यक्रम की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार और स्थानवार शामिल की जाने वाली सड़कों की लंबाई कितनी है?

(ग) क्या ऐसी किसी सड़क को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है जिसे चार लेन वाला बनाने के लिए कार्य आरंभ हो चुका है या पहले कार्य आरंभ करने की योजना बनाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्यक्रम को आरंभ करने और पूरा करने की तारीख क्या है; और

(च) कार्यक्रम की कुल लागत और वित्तपोषण की प्रणाली क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) जी, हां।

(ख) 10417 कि.मी. लंबाई के कुल 71 खंडों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अभिनिर्धारित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III को दो चरणों में अनुमोदित किया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IIIक अनुमोदित कर दी है जिसमें 22000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 4000 कि.मी. लंबाई (भूमि अधिग्रहण सहित) शामिल है और अभी तक चार खंडों में कार्य

सौंपे गए हैं जिसमें 328 कि.मी. लंबाई है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IIIख को भी सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है जिसमें शेष 6000 कि.मी. शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(च) इस कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रु. है। इन परियोजनाओं को बी ओ टी आधार पर शुरू किया जाएगा जिसमें सरकार, अर्थक्षमता–अंतर–वित्तपोषण के रूप में 40% तक अनुदान देगी।

*विवरण*

*राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत उन्नत किए जाने वाले प्रस्तावित खंड।*

| खंड/ महामार्ग सं. | रा.रा. सं. | खंड/महामार्ग | लंबाई (कि.मी.) | शामिल राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | जालंधर–अमृतसर | 49 | पंजाब |
| 2. | 1ए | श्रीनगर–बारामुला–उरी | 101 | जम्मू–कश्मीर |
| 3. | 3 | गुना बाइपास | 14 | मध्य प्रदेश |
| 4. | 3 | इंदौर–खालघाट–मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा–धुले पिंपलगांव–नासिक–गोंड–वडापे (थाणे) | 546 | मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र |
| 5. | 4 | नीलमंगला–बंगलौर–होसकोटे–कोलार–मुडबागल | 105 | कर्नाटक |
| 6. | 4 | कलमबोली–मुंब्रा (6 लेन) | 20 | महाराष्ट्र |
| 7. | 4ए | बेलगाम–पणजी | 153 | गोवा/कर्नाटक |
| 8. | 6 | संबलपुर–बारागढ़–छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा | 88 | उड़ीसा |
| 9. | 6 | औरंग–रायपुर | 45 | छत्तीसगढ़ |
| 10. | 6 | नागपुर–महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा–दुर्ग | 226 | महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ |
| 11. | 6 | नागपुर–तेलेगांव–अमरावती | 148 | महाराष्ट्र |
| 12. | 6 | गुजरात/महाराष्ट्र सीमा–सूरत | 84 | गुजरात |
| 13. | 7 | बंगलौर–होसूर | 25 | कर्नाटक |
| 14. | 8 | किशनगढ़–अजमेर–ब्यावर | 82 | राजस्थान |
| 15. | 8डी | जैतपुर–सोमनाथ | 127 | गुजरात |
| 16. | 9 | पुणे–सोलापुर | 170 | महाराष्ट्र |
| 17. | 9 | हैदराबाद–विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम | 240.5 | आंध्र प्रदेश |
| 18. | 10 | दिल्ली–हिसार | 160 | दिल्ली/हरियाणा |
| 19. | 11 | आगरा–भरतपुर–जयपुर–रिंगुस | 282 | उत्तर प्रदेश/राजस्थान |
| 20. | 12 | भोपाल–देवरी–जबलपुर | 297 | मध्य प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 12 | जयपुर–टोंक | 86 | राजस्थान |
| 22. | 14 | ब्यावर–पाली–पिंडवाड़ा | 246 | राजस्थान |
| 23. | 15 | अमृतसर–पठानकोट | 101 | पंजाब |
| 24. | 17 | पनवेल–इंदापुर | 84 | महाराष्ट्र |
| 25. | 17 | महाराष्ट्र/गोवा सीमा–पणजी–गोवा/कर्नाटक सीमा | 139 | गोवा |
| 26. | 17 | कुंडापुर–सूरतकल | 71 | गोवा/कर्नाटक/केरल |
| 27. | 17 | मंगलौर–कोझीगोड–इडापल्ली | 469 | कर्नाटक/कैरल |
| 28. | 18 | कुडप्पा–मीदुकुर–कुरनूल | 192.5 | आंध्र प्रदेश |
| 29. | 19 व 77 | पटना–मुजफ्फरपुर–सोनबरसा | 149 | बिहार |
| 30. | 19 व 85 | गोपालगंज–छपरा–हाजीपुर | 153 | बिहार |
| 31. | 21 | चंडीगढ़–कीरतपुर | 73 | चंडीगढ़/पंजाब |
| 32. | 22 | अंबाला–कालका–शिमला | 168 | हरियाणा/पंजाब/ हिमाचल प्रदेश |
| 33. | 24 | मुरादाबाद–सीतापुर–लखनऊ | 322 | उत्तर प्रदेश |
| 34. | 28ए | मोतिहारी–रक्सौल | 67 | बिहार |
| 35. | 30 | पटना–बख्तियारपुर | 53 | बिहार |
| 36. | 31 | बख्तियापरु–बेगुसराय–खगड़िया–पूर्णिया | 255 | बिहार |
| 37. | 33 | बरही–रांची–जमशेदपुर | 265 | बिहार |
| 38. | 35 | बारासत–बनगांव | 60 | पश्चिम बंगाल |
| 39. | 36,39 | दबोका–दीमापुर | 124 | असम, नागालैंड |
| 40. | 31,52 व 52ए | बैहाटा चैरियाली (पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर)–इटानगर | 345 | असम/अरुणाचल प्रदेश |
| 41. | 39 | कोहिमा–इम्फाल | 140 | नागालैंड/मणिपर |
| 42. | 43 | कूरनुद–धामतारी | 23 | छत्तीसगढ़ |
| 43. | 44,53 | शिलांग–अगरतला (शिलांग बाइपास को छोड़कर) | 447 | मेघालय/असम/त्रिपुरा |
| 44. | 45 | डिंडीगुल–त्रिची | 80 | तमिलनाडु |
| 45. | 45बी | मदुरै–अरुपुकोटै–तूतीकोरिन | 144 | तमिलनाडु |
| 46. | 45 विस्तार | डिंडीगुल–पेरीगुलम–थेनी | 73 | तमिलनाडु |
| 47. | 47 | चेरथलाई–तिरुअनंतपुरम–कन्याकुमारी | 265 | केरल/तमिलनाडु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 48. | 48 | नीलमंगला–हासन | 154 | कर्नाटक |
| 49. | 49 | मदुरै–रामनाथपुरम–रामेश्वरम–धनुषकोडि | 186 | तमिलनाडु |
| 50. | 50 | पुणे–खेड | 30 | महाराष्ट्र |
| 51. | 54 | सिलचर (पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर) –आइजोल | 190 | असम/मिजोरम |
| 52. | 57ए | फारबिसगंज–जोगबनी | 13 | बिहार |
| 53. | 1,24 58, 72 | दिल्ली–देहरादून | 280 | दिल्ली/उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल |
| 54. | 59 | इंदौर–झाबुआ–अहमदाबाद | 379 | मध्य प्रदेश/गुजरात |
| 55. | 66 | कृष्णागिरि–तिरुवन्नामलाई–टिंडीवनम–पांडिचेरी | 210 | तमिलनाडु/पांडिचेरी |
| 56. | 67 | नागापट्टनम–तंजाउर–त्रिची–करूर | 180 | तमिलनाडु |
| 57. | 67 विस्तार | कोयम्बटूर–मेट्टूपलायम | 45 | तमिलनाडु |
| 58. | 68 | सलेम–उलुन्दुपेट | 134 | तमिलनाडु |
| 59. | 69 | ओबेदुल्लागंज–भीमबैठका | 13 | मध्य प्रदेश |
| 60. | 75 | झांसी–खुजराहो | 100 | मध्य प्रदेश |
| 61. | 80 | मोकामा–मूंगेर | 70 | बिहार |
| 62. | 84 | पटना–बक्सर | 130 | बिहार |
| 63. | 86 (विस्तार) | भोपाल–सांची | 40 | मध्य प्रदेश |
| 64. | 91 | गाजियाबाद–अलीगढ़ | 106 | उत्तर प्रदेश |
| 65. | 200 | रायपुर–सिमगा | 28 | छत्तीसगढ़ |
| 66. | 200 | चंडीखोल–धुबरी | 39 | उड़ीसा |
| 67. | 202 | हैदराबाद–यादगिरी | 30 | आंध्र प्रदेश |
| 68. | 203 | भुवनेश्वर–पुरी | 59 | उड़ीसा |
| 69. | 205 | तिरूपति–तिरूथानी–चैन्ने | 138 | आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु |
| 70. | 215 | पानीखोली–क्योंझर–रौंक्सी | 249 | उड़ीसा |
| 71. | 220 | थेनी–कमीली | 57 | तमिलनाडु |
|  |  | जोड़ | 10417 |  |

### तटीय क्षेत्रों हेतु नए नियम

**2083. श्री सुरेश कलमाडी :** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सुनामी लहरों के कारण आपदा के बीच तटीय क्षेत्रों हेतु नए नियमों पर कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक उच्चाधिकार प्राप्त सरकारी वैज्ञानिक समिति ने देश की 6000 कि.मी. की तटरेखा के साथ–साथ आवास और विकास का निर्धारण करने वाले विनियमों की व्यापक समीक्षा तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### जी-7 देशों की बैठक

**2084. श्री मोहन सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में आयोजित जी–7 देशों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत को प्राप्त होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में भारत के अतिरिक्त किन–किन देशों को आमंत्रित किया गया था और बैठक में भाग लेने वाले ऐसे देशों के प्रति जी–7 देशों का क्या दृष्टिकोण है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 5 फरवरी, 2005 को जी–7 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

(ख) कोई औपचारिक कार्यसूची नहीं थी। यह चर्चाएं वैश्वीकरण की चुनौतियों तथा अवसरों के आस–पास केन्द्रित रहीं। वित्त मंत्री ने अन्यों को भारतीय अर्थव्यवस्था के रूख से सम्बद्ध जानकारी दी। भागीदारों ने तेल की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

(ग) बैठक में आमंत्रित किए गए अन्य देशों में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन थे।

*[अनुवाद]*

### अनुसंधान और विकास खर्चों पर कर में कटौती

**2085. श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास खर्चों पर कर में कटौती की सुविधा मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भेषज क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) पुराने रोगों के उपचार और जीवन रक्षक औषधियों के सुधार में क्या उपलब्धियां हासिल की गईं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन को देखते हुए, प्रमुख भेषज कम्पनियां अनुसंधान और विकास कार्यों पर पर्याप्त वार्षिक व्यय कर रही हैं। विभाग ने चुनींदा भेषज संस्थागत अनुसंधान एवं विकास एककों की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों से उनके वर्षवार अनुसंधान एवं विकास व्यय और कुल वार्षिक बिक्री का समेकन किया है, जिसके अनुसार 18 प्रमुख भेषज कम्पनियों के अनुसंधान और विकास व्यय निम्नानुसार हैं :–

| | |
|---|---|
| 2001–02 | 496 करोड़ रुपये |
| 2002–03 | 781 करोड़ रुपये |
| 2003–04 | 1150 करोड़ रुपये |

यह अनुमान है कि इस समय भेषज उद्योग का कुल वार्षिक अनुसंधान एवं विकास व्यय 1450 करोड़ रुपये होगा।

(ग) भारतीय भेषज उद्योग ने अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधार के संवर्धन, विश्व स्तरीय आधारिक संरचना के विकास और अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप औषधियों का निर्माण करने के संबंध में अच्छी प्रगति की है। इस उद्योग ने पर्याप्त अनुसंधान और विकास प्रयासों द्वारा औषधियों और उनके मध्यवर्तियों के लिए पेटेंट गैर–अतिक्रमणीय प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का विकास करने में अच्छी विशेषज्ञता का विकास किया है। प्रमुख भेषज कम्पनियों, जैसे रैनबैक्सी लैबोरेटरीज, ल्युपिन लैबोरेटरीज लि., टोरेंड फर्मास्युटिकल्स लि. ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लि. वाकहार्डट लि. तथा कैडिला हेल्थकेयर लि. ने नए औषध अणुओं का विकास किया है। वर्ष 2001–2004 की अवधि के दौरान 33 भारतीय कम्पनियों ने नैदानिक परीक्षणों के विभिन्न चरणों पर कार्य करने के लिए भारत के महा औषध नियंत्रक (डीसीजीआई) की अनुमति प्राप्त की है। भारत के महा औषध नियंत्रक ने 2001–2004 तक की अवधि के दौरान, 127 बहुमात्रा औषधियों

और विनिर्माण के लिए संरूपण का अनुमोदन किया है, जो यद्यपि विदेशों में अनुमोदित थीं, तथापि उनके विनिर्माण की प्रक्रिया भारतीय कम्पनियों द्वारा पुनः विकसित की गई थी। अनुमोदित औषधियां सभी चिकित्सीय क्षेत्रों में अनुमोदित की गई हैं, जिनमें डायबिटीज, अति तनाव, अस्थमा, क्रोनिक संक्रमण, तंत्रिका तथा मनोरोग, गठिया और अन्य हृद्–वाहिका रोग और कैंसर जैसे क्रोनिक/जानलेवा बीमारियों के उपचार के लिए औषधियां शामिल हैं। डीसीजीआई ने अभी तक 14 नई औषधियों के उत्पादन और विपणन के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी खोज भारत में की गई थी।

### मच्छर के लिए जेनेटिक ट्रांसफोर्मेशन सिस्टम का विकास

**2086. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
**श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छर (एना फिलिज स्टेफेंसी) के लिए जेनेटिक ट्रांसफोर्मेशन सिस्टम विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) और (ख) जी, हाँ। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर (एना फिलिज स्टेफेंसी) के लिए यू.के. जर्मनी और ग्रीस के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक स्टेबल जर्मलाइन ट्रांसफोर्मेशन सिस्टम का विकास किया है, जो कि नेचर (खंड 405, जून 22, 2000) में प्रकाशित हुआ है। जेनेटिक ट्रांसफोर्मेशन प्रौद्योगिकी बीमारी की रोकथाम करने के लिए मलेरिया परजीवी संचारण के आण्विक पहलूओं की जांच करने में उपयोगी होगा।

(ग) सक्रिय निगरानी, शीघ्र निदान और तत्काल उपचार, एंटी – वैक्टर और एंटी – लार्वल नियंत्रण उपायों के द्वारा देश में मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने पी. फैलसीपेरम और पी. वाईवेक्स दोनों के लिए क्षमतापूर्ण कैंडिडेट टीकों का विकास करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है और साथ ही नवीन मलेरिया – रोधी औषधों का विकास भी किया है।

### लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विधेयक

**2087. श्री रायापति साबांसिवा राव :** क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक व्यापक विधेयक तैयार किया है और नई सरकार ने प्रस्तावित विधेयक में अनेक परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विधेयक को कब तक पुनःस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद लघु उद्योग क्षेत्र को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :** (क) से (घ) लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 बनाया जा रहा है और चालू सत्र के दौरान संसद में विधेयक लाने के प्रयास जारी हैं। विधेयक लागू होने पर इससे लघु उद्योग क्षेत्र सहित लघु उद्यमों के लाभान्वित होने की उम्मीद है क्योंकि यह इन उद्यमों के विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है तथा इनकी प्रतिस्पर्धात्मका को बढ़ाता है, साथ ही इंस्पेक्टर राज की कठिनाइयों को कम करता है।

*[हिन्दी]*

### विद्या वाहिनी कार्यक्रम

**2088. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री मो. ताहिर :**
**श्रीमती अनुराधा चौधरी :**
**श्री मुन्शी राम :**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दसवीं योजना के अंतर्गत चलाए गए वाहिनी कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर से जोड़ा गया है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित/खर्च कर गई;

(ग) इसके लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले किन–किन विद्यालयों को चुना गया; और

(घ) उक्त कार्यक्रम को अब तक कितने विद्यालयों ने कार्यान्वित किया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विद्या वाहिनी

नामक एक परियोजना कार्यान्वित की है जिसके जरिए देश के 6 राज्यों के 7 जिलों में स्थित हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा इंटर कॉलेज सहित 140 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आपस में जोड़ा गया है।

(ख) इस प्रायोगिक परियोजना पर 15 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(ग) और (घ) प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत शामिल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

### *विवरण*

*विद्या वाहिनी प्रायोगिक परियोजना में शामिल विद्यालयों की सूची*

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम तथा पता |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **कुप्पम (चित्तूर)** | |
| 1. | जिला परिषद् हाई स्कूल, वी. कोटा (डाकघर एवं मंडल), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| 2. | जिला परिषद् हाई स्कूल, रामाकुप्पम (ग्राम व डाकघर) रामकुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517401 |
| 3. | जिला परिषद् हाई स्कूल, गुड्डुपल्ली (डाकघर एवं मंडल) चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517425 |
| 4. | जिला परिषद् हाई स्कूल, रल्लाबुड्डुगुरू (डाकघर), शांतिपुरम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517434 |
| 5. | जिला परिषद् हाई स्कूल, सेट्टीपल्ली (ग्राम व डाकघर) गुड्डुपल्ली मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| 6. | जिला परिषद् हाई स्कूल, डांडीकुप्पम, शांतिपुरम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश |
| 7. | जिला परिषद् हाई स्कूल, पैपाल्यम, वासानाडु (डाकघर) कुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517425 |
| 8. | जिला परिषद् हाई स्कूल, चेल्डीगणिपल्ली (डाकघर) विया वी. कोटा, रामाकुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| 9. | जिला परिषद् हाई स्कूल, सेक्टर–7, अड्डाविबुड्डुगुरू (ग्राम) कुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517425 |
| 10. | जिला परिषद् हाई स्कूल, विजालापुरम् (ग्राम व डाकघर) रामाकुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517425 |
| 11. | जिला परिषद् हाई स्कूल, गोनुगुड्डु वेंड्डुगमपल्ली (डाकघर) कुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517425 |
| 12. | गवर्नमेंट हाई स्कूल, बोयनापल्ली (डाकघर) शांतिपुरम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517423 |
| 13. | जिला परिषद् हाई स्कूल, थुम्मीसी नाडिमपल्ली (डाकघर) शांतिपुरम् मंडल चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517423 |
| 14. | जिला परिषद् हाई स्कूल, पान्डयालमागुड्डु पेल्लिकुप्पम डाकघर रामाकुप्पम मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517401 |
| 15. | जिला परिषद् हाई स्कूल, सोगडाबल्ला (ग्राम व डाकघर) शांतिपुरम् मंडल चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517423 |
| 16. | जिला परिषद् हाई स्कूल, कांगुन्धी (ग्राम व डाकघर) विजालापुरम (विया), कुप्पम एम, कानगुन्धी, आंध्र प्रदेश–517425 |
| 17. | जिला परिषद् हाई स्कूल, रामुगणिपल्ली (ग्राम व डाकघर) वी. कोटा (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| 18. | जिला परिषद् हाई स्कूल, मुडारमडोड्डी (ग्राम व डाकघर) वी. कोटा (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| 19. | जिला परिषद् हाई स्कूल, लिंगापुरम (वी), सी.एम. पल्ली (पी), वी. कोटा (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| 20. | गवर्नमेंट हाई स्कूल, कुप्पम (ग्राम व डाकघर), कुप्पम (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517424 |
| **गांधी नगर** | |
| 1. | सरदार वल्लभभाई पटेल विद्यामंदिर, सेक्टर–7 गांधी नगर, गुजरात–382007 |
| 2. | जीडीएम एवं एचएनजे कोबावाला गांधी नगर हाई स्कूल, बागेश्री होटल के पास गांधी नगर हाइवे, कोबा, गुजरात–382009 |
| 3. | स्वामी रामकृष्ण परमहंस विद्याधाम, सेक्टर–15, गांधी नगर, गुजरात–382016 |
| 4. | महात्मा गांधी विद्यालय, सेक्टर–16, गांधी नगर, गुजरात–382016 |
| 5. | सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर–20, गांधी नगर, गुजरात–382020 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 6. | महाराणा प्रताप विद्या मंदिर सेक्टर–27, इंक्वायरी ऑफिस के पास, गांधी नगर, गुजरात–382027 |
| 7. | जांसिनी रानी विद्यालय, सेक्टर–29, गांधी नगर, गुजरात–382029 |
| 8. | डा. विक्रम साराभाई विद्यालय, पलाज, गांधी नगर, गुजरात–382353 |
| 9. | श्री जे.एस. पटेल विद्या मंदिर रंधेजा, गांधी नगर, गुजरात–382620 |
| 10. | आर.जी. पटेल गर्ल्स स्कूल, सेक्टर–23 गांधी नगर, गुजरात–382023 |
| 11. | सेठ एस.एम.एस. हाई स्कूल एवं श्री बी.पी. पटेल हायर सेकेण्डरी स्कूल, सरधाव, गांधी नगर, गुजरात–382640 |
| 12. | श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल, सेरथा, गांधी नगर, गुजरात– 382423 |
| 13. | मात्रुश्री बीकेएस सार्वजनिक हाई स्कूल, देलवाद, पीओ अम्बोड, टीए मंशा, गांधी नगर, गुजरात–382845 |
| 14. | बीएम पटेल, सर्वोदय हाई स्कूल, प्रभातपुरा (उत्तर गुजरात), टीए मंशा, गांधी नगर, गुजरात–382845 |
| 15. | एसजे पटेल, सर्वोदय हाई स्कूल, प्रताप नगर टीए मंशा, टीए मंशा, गांधी नगर, गुजरात–382845 |
| 16. | महंत श्री शत्रुहंडासजी विद्यालय, एटी पादुश्मा टीए मंशा, टीए मंशा, गांधी नगर, गुजरात–382825 |
| 17. | श्री केआरद्व वकील विद्यालय, कानीपुर, टीए देहगम, गांधी नगर, गुजरात–382308 |
| 18. | पूर्णिमा हाई स्कूल, देहगम, गांधी नगर, गुजरात–382305 |
| 19. | सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, पोस्ट बॉक्स नं. 5, कलोल (उत्तर गुजरात) गांधी नगर, गुजरात–382721 |
| 20. | पटेल एस.एन. डेरीवाला हाई स्कूल डिंगूजा, टीए कलोल (उत्तर गुजरात), गुजरात–382740 |
| **हजारीबाग** | |
| 1. | हिन्दू इंटर+2 स्टारिया विद्यालय, मजार रोड, हजारीबाग, झारखण्ड–825301 |
| 2. | गांधी मैमोरियल हाई स्कूल, रामगढ़ कैन्ट, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–829122 |
| 3. | पब्लिक हाई स्कूल, कुजु रामगढ़, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825316 |
| 4. | सीसीएल हाई स्कूल, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ जिला हजारीबाग, झारखण्ड–829125 |
| 5. | केकेसी हाई स्कूल, सयाल रामगढ़, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–829125 |
| 6. | केबी हाई स्कूल, लारी, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–829122 |
| 7. | बुरकुण्डा हाई स्कूल, बुरकुण्डा जिला, हजारीबाग, झारखण्ड– 829106 |
| 8. | हाई स्कूल, बारही, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825405 |
| 9. | केबीएसएस, हाई स्कूल, चौपारण, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825406 |
| 10. | हाई स्कूल, विष्णुगढ़, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825312 |
| 11. | स्टेट सब्सीडाइज्ड हाई स्कूल, गोला रामगढ़, जिला, हजारीबाग–829210 |
| 12. | बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल, बादाम बाजार, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825301 |
| 13. | इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, रिफोरमेट्री स्कूल जिला, हजारीबाग–825319 |
| 14. | महेश्रा हाई स्कूल, महेश्रा, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825301 |
| 15. | केएन हाई स्कूल, इचाक, इचाक, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825402 |
| 16. | स्टेट सब्सीडाइज्ड हाई स्कूल, मण्डु (मण्डु ब्लॉक के पीछे तथा फारेस्ट ऑफिस के सामने), गाँव गोविन्द पुर, जिला, हजारीबाग–825316 |
| 17. | राजबल्लभ हाई स्कूल, संडी चितारपुर, रामगढ़, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–829122 |
| 18. | श्रमिक हाई स्कूल, सिरका, अरगड्डा (रामगढ़), जिला, हजारीबाग–829101 |
| 19. | हाई स्कूल, बरका गाँव, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड–825311 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 20. | स्टेट सब्सीडाइज्ड हाई स्कूल, केरेदारी, जिला, हजारीबाग, झारखण्ड-811325 |
| | **लखनऊ** |
| 1. | गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज, सिटी स्टेशन के पास, लखनऊ-226003 |
| 2. | गवर्नमेंट हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, चौक 3, लखनऊ-226003 |
| 3. | गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, लखनऊ-226007 |
| 4. | गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, लखनऊ |
| 5. | गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, शाहमीना रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003 |
| 6. | गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजिनी नगर, लखनऊ-226008 |
| 7. | गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, सेक्टर-11, इंदिरा नगर, लखनऊ |
| 8. | गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, विकास नगर, सेक्टर-11, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) |
| 9. | गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, विनय खण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ-226018 |
| 10. | नवयुग गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजेन्द्र नगर लखनऊ-226004 |
| 11. | लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज, लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 |
| 12. | अग्रसेन इंटर कॉलेज, चौक, लखनऊ-226003 |
| 13. | अमीनाबाद इंटर कॉलेज, अमीनाबाद, लखनऊ |
| 14. | गुरू नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, धन्द नगर, लखनऊ-226005 |
| 15. | भारतीय बालिका विद्यालय, शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001 |
| 16. | लखनऊ मोंटेसरी इंटर कॉलेज, पुराना किला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 |
| 17. | श्री गुरू नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, बास मंडी, चौराहा, लखनऊ-226002 |
| 18. | महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, मोतीनगर, लखनऊ-226004 |
| 19. | सुश्री इंटर कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट, नक्खास, चौक, लखनऊ-226003 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 20. | नारी शिक्षा निकेतन, गर्ल्स इंटर कॉलेज, चकबस्ट रोड, केसरबाग, लखनऊ-226001 |
| | **इलाहाबाद** |
| 1. | गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, लूथर रोड, इलाहाबाद-211001 |
| 2. | गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001 |
| 3. | गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुहल्ला जमीलाबाद, फूलपुर इलाहाबाद |
| 4. | गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, शंकरगढ़, इलाहाबाद |
| 5. | गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, हंडिया, इलाहाबाद |
| 6. | गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल, कटरा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002 |
| 7. | गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल, धानपुर इलाहाबाद |
| 8. | गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, सैदाबाद इलाहाबाद |
| 9. | गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल, जासरा, इलाहाबाद |
| 10. | गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल, रामपुरकरचना, इलाहाबाद |
| 11. | केपी इंटर कॉलेज, एमजी मार्ग, इलाहाबाद |
| 12. | डीपी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, 2 मास्टर द्वारिका प्रसाद रोड, प्रयाग स्ट्रीट, कटरा, इलाहाबाद-211002 |
| 13. | सत्यनारायण इंटर कॉलेज, उरुवा, इलाहाबाद |
| 14. | अंसार गर्ल्स इंटर कॉलेज, मौएमा, इलाहाबाद |
| 15. | सार्वजनिक इंटर कॉलेज, दासेर, भूपतपुर, इलाहाबाद |
| 16. | कुलभाष्कर आश्रम इंटर कॉलेज, 2 लोथर रोड, इलाहाबाद-211002 |
| 17. | विद्यावती दरबारी गर्ल्स इंटर कॉलेज, 118, लुकरगंज, इलाहाबाद-211003 |
| 18. | इंडियन गर्ल्स इंटर कॉलेज, 49, विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद-21100 |
| 19. | मैरी वानामेकर गर्ल्स इंटर कॉलेज, 5, मिशन रोड, कचेरी, इलाहाबाद-211002 |
| 20. | सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कॉलेज, 71, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद-211002 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **दक्षिण 24 परगना (कोलकाता)** | |
| 1. | जादवपुर हाई स्कूल, 17 ईस्ट रोड, पोस्ट ऑफिस जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता–700032 |
| 2. | गरफा धीरेन्द्र नाथ मेमोरियल हाई स्कूल, 161, गरफा मेन रोड, पीएस जादवपुर, कोलकाता–700075 |
| 3. | एनके पाल आदर्श शिक्षायतन, 43/5एच, झील रोड, धाकुरिया जादवपुर पोस्ट ऑफिस, कोलकाता–700031 |
| 4. | जादवपुर, बाघाजतिन हाई स्कूल, (ब्वायस), भागाजतिन पल्ली, रिजेन्ट एस्टेट, पोस्ट ऑफिस, कोलकाता–700092 |
| 5. | आनन्द आश्रम बालिका विद्यापीठ, 352, एनएससी बोस रोड, कोलकाता–700047 |
| 6. | गांधी कॉलोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1/64, गांधी कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, रिजेन्ट पार्क, जादवपुर, टोलीगंज, कोलकाता–700040 |
| 7. | जादवपुर सम्मिलिता बालिका विद्यालय, राजा एससी मलिक रोड, पोस्ट आफिस, बाघाजतिन, पीएस जादवपुर, कोलकाता–700086 |
| 8. | केण्डुआ महेन्द्रानाथ हाई स्कूल, अशोक रोड, गांगुली बागान, पोस्ट आफिस, गारिया, पीएस जादवपुर, कोलकाता–700084 |
| 9. | गंगापुरी शिक्षा सदन हाई स्कूल, (ब्वायस), पूरबा पुतियारी, पीएस रिजेन्ट पार्क, टेलीगंज, कोलकाता–700093 |
| 10. | गंगापुरी शिक्षा सदन (गर्ल्स), वार्ड–114, पूरबा पुतियारी, पीएस रिजेन्ट पार्क, टेलीगंज, कोलकाता–700093 |
| 11. | नेताजी नगर विद्यामंदिर (ब्वायस), 170/436, एनएससी बोस रोड, पोस्ट आफिस रिजेन्ट एस्टेट, पीएस जादवपुर, कोलकाता–700092 |
| 12. | बरीसा विवेकानन्द हाई स्कूल, बरीसा ईस्ट, गवर्नमेन्ट कॉलोनी, ठाकुरपुकुर, कोलकाता–700063 |
| 13. | बेहला शारदा विद्यापीठ फॉर गर्ल्स, 36, काजीपारा रोड, पोस्ट ऑफिस परनाश्री पल्ली, कोलकाता–700060 |
| 14. | मेतियाब्रुज हाई स्कूल, (ब्वायस), मेतियाब्रुज स्कूल रोड, आर–50, गार्डन रीच रोड, पीएस मेतियाब्रुज, कोलकाता–700024 |
| 15. | मार्डनलैण्ड गर्ल्स हाई स्कूल, 89ए, संतोषपुर, एवेन्यु, जादवपुर, कोलकाता–700075 |
| 16. | चिल्ड्रन्स वेल्फेयर एसोसिएशन हाई स्कूल (गर्ल्स), 1, राखाल मुखर्जी रोड, सरसुना, पीएस ठाकुरपुकुर, जिला दक्षिणी 24 परगना, कोलकाता–700061 |
| 17. | परन्तापल्ली हाई स्कूल (ब्वायस), जे ब्लॉक, बाघाजतिन पल्ली, पीएस जादवपुर, कोलकाता–700032 |
| 18. | गरफा धीरेन्द्र नाथ मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, 161, गरफा मेन रोड, पीएस जादवपुर, कोलकाता–700075 |
| 19. | संतोषपुर विद्यामंदिर फॉर ब्वायस (एचएस), 9सी, प्रियानाथ घोष रोड, संतोषपुर, कोलकाता–700075 |
| 20. | बांसद्रोनी चकदाह विद्यामंदिर फॉर ब्वायस, पोस्ट ऑफिस, बांसद्रोनी कोलकाता–700070 |
| **पर्ली वैजनाथ (बीड)** | |
| 1. | सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पर्ली वैजनाथ, पर्ली वैजनाथ, – 431515 |
| 2. | वैद्यनाथ विद्यालय पर्ली वैजनाथ, पर्ली वैजनाथ, – 431515 |
| 3. | नवीन माध्यमिक विद्यालय पर्ली वैजनाथ, पर्ली वैजनाथ, – 431515 |
| 4. | जगमित्रा नागा विद्यालय पर्ली वैजनाथ, पर्ली वैजनाथ, – 431515 |
| 5. | जेडपी माध्यमिक शाला (ब्वायस), पर्ली वैजनाथ, पर्ली वैजनाथ, – 431515 |
| 6. | जेडपी माध्यमिक शाला (गर्ल्स), पर्ली वैजनाथ, पर्ली वैजनाथ, – 431515 |
| 7. | जेडपी माध्यमिक शाला नागापुर एट एण्ड पोस्ट नागपुर, टीक्यू पर्ली, – 431515 |
| 8. | जेडपी माध्यमिक शाला (गर्ल्स), अम्बाजोगाई, अम्बाजोगाई – 431517 |
| 9. | विवेक डायना मंदिर, बरदापुर, बरदापुर, टीक्यू अम्बाजोगाई – 431517 |
| 10. | सोमनाथ विद्यालय कनेहरवाड़ी, एटी एण्ड पोस्ट कनेहरवाड़ी टीक्यू पर्ली, – 431515 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 11. | यशवन्तराव चावाण विद्यालय पट्टीवाडगाँव, एटी एण्ड पोस्ट पट्टीवाडगाँव, टीक्यू, अम्बाजोगाई – 431519 |
| 12. | जीजामाता माध्यमिक धर्मापुरी, एटी एण्ड पोस्ट धर्मापुरी, टीक्यू, पर्ली वैजनाथ – 431519 |
| 13. | रघुनाथनाव मुण्डे विद्यालय, कटकारवाड़ी, पोस्ट उजानी, टीक्यू अम्बाजोगाई – 431517 |
| 14. | संत भगवान बाबा विद्यालय पांगरी कैम्प एटी एण्ड पोस्ट पांगरी, टीक्यू पर्ली – 431515 |
| 15. | श्री रतनेश्वर विद्यालय टोकवाड़ी एटी एण्ड पोस्ट टोकवाड़ी, टीक्यू पर्ली –431515 |
| 16. | जिला परिषद हाई स्कूल, धर्मापुरी, धर्मापुरी, ताल, अम्बाजोगाई |
| 17. | न्यू हाई स्कूल थर्मल, पर्ली, पर्ली वैजनाथ – 431520 |
| 18. | महर्षि कानद विद्यालय पर्ली, पर्ली वैजनाथ – 431515 |
| 19. | वेंकेटेश विद्यालय सोनहीवारा, एटी एण्ड पोस्ट सोनहीवारा, नागापुर, टीक्यू पर्ली वैजनाथ, जिला बीड – 431515 |
| 20. | खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालय अम्बाजोगाई, अम्बाजोगाई – 431517 |

*[अनुवाद]*

### डिप्थीरिया और खसरे के मामले

**2089. श्री जोवाकिम बखला :**

**श्री हितेन बर्मन :**

**श्री सुब्रत बोस :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान डिप्थीरिया और खसरे के कारण बच्चों के मरने के राज्यवार कुल कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) डिप्थीरिया और खसरे के संबंध में राज्यवार कितने प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया गया?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा राज्य–वार डिप्थीरिया और खसरे के कारण सूचित की गई बच्चों की मौतों की कुल संख्या विवरण–I में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा राज्य–वार डिप्थीरिया और खसरे के लिए रोग–प्रतिरक्षित किए गए बच्चों की प्रतिशतता का ब्यौरा विवरण–II में संलग्न है।

*विवरण-I*

| क्र.सं. | राज्य | डिप्थीरिया | | | खसरा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 11 | 1 | 19 | 5 | 1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | असम | अप्राप्त | अप्राप्त | 0 | अप्राप्त | अप्राप्त | 0 |
| 4. | बिहार | अप्राप्त | अप्राप्त | 0 | अप्राप्त | अप्राप्त | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 20 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 16 | 7 | 17 | 15 | 5 | 3 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तरांचल | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 30 | 42 | 1 | 53 | 25 | 15 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 41 | 16 | 12 | 26 | 54 | 62 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | योग | 125 | 107 | 40 | 153 | 119 | 116 |

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो

### विवरण-II

| क्र.सं. | राज्य/संघ क्षेत्र/अभिकरण | डी.पी.टी. (III खुराक) | | | खसरा (एक वर्ष से कम आयु) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001–02 | 2002–03* | 2003–04* | 2001–02 | 2002–03* | 2003–04* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. प्रमुख राज्य (जनसंख्या>20 करोड़)** | | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 102.20 | 103.75 | 104.14 | 99.45 | 100.75 | 99.67 |
| 2. | असम | 73.42 | 63.60 | 65.59 | 64.78 | 64.44 | 63.51 |
| 3. | बिहार | 63.52 | 53.50 | 45.86 | 51.14 | 43.91 | 31.88 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 98.18 | 107.08 | 104.44 | 108.07 | 112.93 | 100.38 |
| 5. | गुजरात | 102.52 | 99.24 | 95.42 | 97.76 | 95.07 | 94.98 |
| 6. | हरियाणा | 98.88 | 98.89 | 95.18 | 98.97 | 93.25 | 89.58 |
| 7. | झारखंड | 68.12 | 73.59 | 57.88 | 72.50 | 56.46 | 48.19 |
| 8. | कर्नाटक | 97.95 | 94.79 | 91.37 | 93.17 | 89.84 | 81.91 |
| 9. | केरल | 95.96 | 97.92 | 96.98 | 88.80 | 93.01 | 89.63 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 110.00 | 110.85 | 104.48 | 109.41 | 111.11 | 105.64 |
| 11. | महाराष्ट्र | 113.03 | 102.34 | 105.42 | 109.29 | 95.30 | 97.82 |
| 12. | उड़ीसा | 107.89 | 103.51 | 99.57 | 97.86 | 99.79 | 92.04 |
| 13. | पंजाब | 109.47 | 103.24 | 97.25 | 102.45 | 97.10 | 92.07 |
| 14. | राजस्थान | 104.14 | 99.67 | 99.73 | 100.93 | 95.94 | 91.93 |
| 15. | तमिलनाडु | 109.48 | 105.01 | 103.30 | 106.46 | 104.38 | 101.42 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 111.75 | 107.43 | 93.71 | 105.02 | 100.83 | 94.78 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 106.78 | 96.84 | 92.25 | 103.34 | 95.27 | 75.69 |
| **II. छोटे राज्य** | | | | | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 0.81 | 44.82 | 30.92 | 39.55 | 41.07 | 29.28 |
| 2. | दिल्ली | 74.62 | 76.29 | 66.73 | 73.61 | 70.56 | 59.79 |
| 3. | गोवा | 110.94 | 126.43 | 122.33 | 97.30 | 112.65 | 104.31 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 98.16 | 94.81 | 101.79 | 94.89 | 94.53 | 97.61 |
| 5. | जम्मू–कश्मीर | 130.76 | 143.31 | 134.21 | 117.88 | 128.54 | 125.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मणिपुर | 67.00 | 76.28 | 71.60 | 59.45 | 68.07 | 69.07 |
| 7. | मेघालय | 57.35 | 60.46 | 87.66 | 45.08 | 48.82 | 47.21 |
| 8. | मिजोरम | 328.30 | 107.98 | 133.24 | 108.92 | 114.56 | 94.16 |
| 9. | नागालैंड | 63.48 | 46.46 | 64.32 | 43.00 | 41.26 | 42.51 |
| 10. | सिक्किम | 96.22 | 99.43 | 90.09 | 89.77 | 91.83 | 91.27 |
| 11. | त्रिपुरा | 87.45 | 87.32 | 115.46 | 81.22 | 97.82 | 93.76 |
| 12. | उत्तरांचल | 110.49 | 144.05 | 134.57 | 108.47 | 141.86 | 116.07 |
| **III. संघ क्षेत्र** | | | | | | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 73.60 | 134.73 | 179.86 | 65.16 | 88.38 | 76.45 |
| 2. | चंडीगढ़ | 86.64 | 85.90 | 97.06 | 87.37 | 92.02 | 94.02 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 112.52 | 108.15 | 99.72 | 118.50 | 99.42 | 88.83 |
| 4. | दमन और दीव | 76.62 | 71.51 | 158.65 | 73.67 | 68.32 | 83.75 |
| 5. | लक्षद्वीप | 64.67 | 110.00 | 103.69 | 72.22 | 115.20 | 100.00 |
| 6. | पांडिचेरी | 96.10 | 99.02 | 90.52 | 88.03 | 92.44 | 87.99 |
| | अखिल भारत | 100.83 | 96.57 | 91.24 | 95.93 | 91.67 | 85.56 |

स्रोत: मंत्रालय का ई व आई प्रभाग राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर।

*[हिन्दी]*

### प्रति व्यक्ति उपभोग

**2090. डा. चिन्ता मोहन :**

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग पर व्यय शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त उपभोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उपभोग राशि की अपेक्षा कितना कम है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) :** (क) जी, हाँ। वर्ष 1999–2000 (एनएसएस का 55वां दौर) के दौरान एनएसएसओ द्वारा आयोजित नवीनतम वृहत घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि देश में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कम है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 486.16 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 854.92 रुपये प्रति माह का घरेलू प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय आंका गया है।

(ख) मुख्य राज्यों के लिए एनएसएस (55वाँ दौर) घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में उच्च प्रति व्यक्ति व्यय का एक मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जीवन निर्वाह लागत योजनाबद्ध तरीके से उच्च होना है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की कोई तुलनीय उपभोग राशि निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय संदर्भ में प्रत्येक राज्य की विशिष्ट गरीबी रेखाओं में न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं परिलक्षित होती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य–वार गरीबी रेखा के महत्व विवरण–II में दिये गये हैं।

### *विवरण-I*

*1999–2000 में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का मासिक औसत*

(रुपये)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 453.61 | 773.52 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 648.00 | 762.66 |
| 3. | असम | 426.13 | 814.12 |
| 4. | बिहार | 385.10 | 601.90 |
| 5. | गोवा | 868.77 | 1155.50 |
| 6. | गुजरात | 551.33 | 891.68 |
| 7. | हरियाणा | 714.38 | 912.08 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 684.53 | 1243.30 |
| 9. | जम्मू–कश्मीर | 677.60 | 952.84 |
| 10. | कर्नाटक | 499.78 | 910.99 |
| 11. | केरल | 765.71 | 932.62 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 401.50 | 693.56 |
| 13. | महाराष्ट्र | 496.77 | 973.33 |
| 14. | मणिपुर | 537.80 | 707.77 |
| 15 | मेघालय | 563.45 | 972.18 |
| 16 | मिजोरम | 721.84 | 1056.60 |
| 17. | नागालैण्ड | 941.31 | 1242.40 |
| 18. | उड़ीसा | 373.17 | 618.49 |
| 19. | पंजाब | 742.82 | 898.82 |
| 20. | राजस्थान | 548.88 | 795.81 |
| 21. | सिक्किम | 531.77 | 905.69 |
| 22 | तमिलनाडु | 514.07 | 971.63 |
| 23. | त्रिपुरा | 528.41 | 876.60 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 466.63 | 690.33 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 454.80 | 866.59 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 780.21 | 1114.30 |
| 27. | चंडीगढ़ | 989.19 | 1435.60 |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 561.18 | 1207.40 |
| 29. | दमन और दीव | 901.48 | 979.43 |
| 30. | दिल्ली | 917.21 | 1383.60 |
| 31. | लक्षद्वीप | 876.19 | 1018.20 |
| 32. | पांडिचेरी | 597.63 | 784.27 |
| | अखिल भारत | 486.16 | 854.92 |

### *विवरण-II*

*राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा – 1999–2000*

(मासिक प्रतिव्यक्ति रुपये)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 262.94 | 457.4 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 365.43 | 343.99 |
| 3. | असम | 365.43 | 343.99 |
| 4. | बिहार | 333.07 | 379.78 |
| 5. | गोवा | 318.63 | 539.71 |
| 6. | गुजरात | 318.94 | 474.41 |
| 7. | हरियाणा | 362.81 | 420.2 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 367.45 | 420.2 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 367.45 | 420.2 |
| 10. | कर्नाटक | 309.59 | 511.44 |
| 11. | केरल | 374.79 | 477.06 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 311.34 | 481.65 |
| 13. | महाराष्ट्र | 318.63 | 539.71 |
| 14. | मणिपुर | 365.43 | 343.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | मेघालय | 365.43 | 343.99 |
| 16. | मिजोरम | 365.43 | 343.99 |
| 17. | नागालैण्ड | 365.43 | 343.99 |
| 18. | उड़ीसा | 323.92 | 473.12 |
| 19. | पंजाब | 362.68 | 388.15 |
| 20. | राजस्थान | 344.03 | 465.92 |
| 21. | सिक्किम | 365.43 | 343.99 |
| 22 | तमिलनाडु | 307.64 | 475.6 |
| 23. | त्रिपुरा | 365.43 | 343.99 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 336.88 | 416.29 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 350.17 | 409.22 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 307.64 | 475.6 |
| 27. | चंडीगढ़ | 388.15 | 388.15 |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 318.63 | 539.71 |
| 29. | दमन और दीव | 318.63 | 539.71 |
| 30. | दिल्ली | 362.68 | 505.45 |
| 31. | लक्षद्वीप | 374.79 | 477.06 |
| 32. | पांडिचेरी | 307.64 | 475.6 |
| | अखिल भारत | 327.56 | 454.11 |

*[अनुवाद]*

## सी आई डब्ल्यू टी सी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना

2091. **श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी सी) अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) :** (क) और (ख) जी, हाँ। केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम, साल-दर-साल घाटा उठाता आ रहा है और इस स्थिति मे उपर्युक्त निगम को जून, 2001 में पुनरूज्जीवन का एक उदार पैकेज मंजूर कर दिए जाने के बावजूद कोई भी सुधार नहीं हुआ है। उपर्युक्त निगम को मंजूर किए गए पुनरूज्जीवन के इस पैकेज में 139.55 करोड़ रु. की सहायता सुलभ करवाई जानी परिकल्पित थी। 139.55 करोड़ रु. की इस सहायता में से, 76.55 करोड़ रु. की धनराशि की व्यवस्था, बजट-प्रावधान से संबंधित सहायता से की जानी थी और शेष धनराशि की व्यवस्था, उपर्युक्त निगम के राजाबागान डॉक यार्ड और उसकी (उपर्युक्त निगम की) अन्य अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली धनराशि से की जानी थी। राजाबागान डॉक यार्ड अभी तक बंद नहीं हुआ है और उसकी बिक्री भी अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ-साथ, उपर्युक्त निगम की अन्य अधिशेष परसंपत्तियों की बिक्री भी अभी तक नहीं हो पाई है। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम, अपने कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का भुगतान करने की दृष्टि से अपेक्षित धन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने ही संसाधनों से अपेक्षित धन की व्यवस्था नहीं कर पाया।

(ग) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम को अपने कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2005 में आयोजना-भिन्न सहायता के रूप में 12 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि पहले ही मंजूर कर दी है और उसे सुलभ करवा दी है।

## डिजिटल ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज

2092. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

**श्री ब्रजेश पाठक :**

**श्री हेमलाल मुर्मू :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित डिजिटल ट्रंक ऑटोमेटिक और आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे दूरभाष केंद्रों की क्षमता वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिया गया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

### कस्तूरबा मेडिकल कालेज की मान्यता रद्द करना

**2093. श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने सरकार से मणिपाल और मंगलौर स्थित कस्तूरबा मेडिकल कालेजों की मान्यता वापस लेने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी की सूचीयन के अनुसार के एम सी के छात्र वर्ष 1955–2003 की अवधि में ईसीएफएमजी परीक्षा देने के लिए पात्र हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्तमान बैचों में केएमसी के छात्र ईसीएफएमजी परीक्षा में नहीं पैठ पाएंगे जिससे केएमसी की अचानक मान्यता रद्द करने के कारण अनेक छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने मणिपाल उच्चतर शिक्षा एकादमी द्वारा अंगीभूत मेडिकल कालेजों अर्थात कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल और कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर, कर्नाटक की ओर से दी गई एम.बी.बी. एस. डिग्री की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार उक्त सिफारिश माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अप्रवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय द्वारा उस विश्वविद्यालय से संबद्ध विशिष्ट कालेज या संस्थान के छात्रों को प्रदान की जा रही चिकित्सा अर्हता की मान्यता निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर ही समाप्त की जा सकती है और यह केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा। मान्यता समाप्त करने की तारीख तक संबंधित चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ऐसे कालेजों में नामांकन कराए गए छात्रों को दी गई डिग्री, यदि कोई हो, मान्य रहेगी। तदनुसार, कस्तूरबा मेडिकल कालेज द्वारा दी गई डिग्री मान्य है और इस प्रकार ये छात्र ई सी एफ एम जी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं यदि वे अन्यथा पात्र हैं।

*[हिन्दी]*

### टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना

**2094. श्री संतोष गंगवार** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल भेजे बिना टेलीफोन कनेक्शन काटने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश विशेषकर बरेली मंडल से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में स्थित दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन उपकरण खराब हैं और सरकार का इन उपकरणों के स्थान पर दूसरे उपकरण देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) बीएसएनएल को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ग) बिलों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी किया जाता है और इन्हें डाक विभाग के माध्यम से वितरित किया जाता है। बिल जारी करने में विलंब होने पर उसके भुगतान की तारीख बढ़ा दी जाती है। बिल प्राप्त नहीं होने पर उपभोक्ता उसकी डुप्लिकेट प्रति ग्राहक सुविधा केन्द्रों से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं अथवा आईवीआरएस से उसका ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर उनकी टेलीफोन सुविधा बंद करने से पहले उन्हें 15 दिन तक केवल आवक कालों की सुविधा ही दी जाती है ताकि उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान कर सके।

(घ) और (ङ) जिन टेलीफोन उपकरणों के दोषपूर्ण होने की

सूचना मिलती है उनकी या तो मरम्मत कर दी जाती है अथवा उनको बदल दिया जाता है। वर्ष 2004–05 के दौरान उत्तर प्रदेश की बरेली डिवीजन में 1173 उपकरणों के दोषपूर्ण होने की सूचना मिली थी। इनमें से 950 उपकरणों को अच्छी चालू हालत वाले उपकरणों से बदल दिया गया था और 223 उपकरणों को बदल कर नए उपकरण दे दिए गए थे।

(च) उपर्युक्त पैरा (घ) और (ङ) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

### टेलीफोन लाइनों की कालाबाजारी पर रोक

**2095. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
**श्री श्रीपाद येसो नाईक :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन लाइनों की कालाबाजारी को रोकने और निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अधिकार देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) अप्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा कालों की गैर कानूनी रूटिंग रोकने के लिए सरकार छापे मारती है। अक्तूबर, 2004 में दूरसंचार परियात में अवैध बाजार को रोकने के लिए सरकार ने उपाय के तौर पर चार शहरों में सतर्कता दूरसंचार निगरानी सेल स्थापित किए हैं। सरकार के साथ–साथ विभिन्न सेवा प्रदाताओं ने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए हैं। निःशुल्क टेलीफोन नम्बर भी खोले गए हैं जिनमें जनता ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना दे सकती है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### विदेश में मरने वाले भारतीयों की अस्थियां भारत लाना

**2096. श्री ए. वी. बेल्लारमिन :**
**श्री एन. शिवण्णा :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब जैसे कुछ पश्चिम एशियाई देशों से वहां मरने वाले भारतीयों की अस्थियां भारत लाने के मामले में हमेशा विलंब होता है;

(ख) क्या स्वाभाविक मृत्यु के मामले में मृतक के पार्थिव शरीर को लाने में भी कई महीने लग जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि वहां पर कई अस्वाभाविक मृत्यु और संदेहास्पद मृत्यु की समुचित जांच नहीं की जाती है जिसके कारण भारत में ऐसे लोगों के परिवारों को भारी पीड़ा और चिंता होती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) और (ख) जी, हां, सऊदी अरब में कुछ मामलों में, भारतीय राष्ट्रिकों के वहां मरने पर उनके अवशेष भारत में लाने में देर हुई है। यह देर, स्वभाविक रूप से हुई मृत्यु के मामलों में 4–6 सप्ताह और सड़क दुर्घटना अथवा औद्योगिक दुर्घटना के असामान्य कारणों से हुई मौत में 16 सप्ताह अथवा उससे अधिक का भी, समय ले सकती है।

फिर भी, हमारा मिशन शवों के निपटान को और/अथवा, यदि उसके नजदीकी रिश्तेदार चाहें तो, अवशेषों को भारत भेजने को अत्यधिक महत्व देता है। सामान्यता, सऊदी अरब के प्राधिकारियों से मुक्त कराने के पश्चात शव को दो से तीन दिन में भेज दिया जाता है।

(ग) शव को भेजने में देरी के कई कारण हैं, इनमें से मुख्य कारण स्थानीय आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाला समय है। कुछ मामलों में मृतक के प्रायोजक से सहयोग की कमी के कारण भी अवशेषों को भेजने में देरी होती है। असामान्य मृत्यु के मामले में, पुलिस द्वारा आवश्यक छानबीन और पोस्टमार्टम पूरा करने के पश्चात ही शव दिया जाता है। कई अवसरों पर मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों को खोजने में आई परेशानियों के कारण भी देर होती है। ओमान में, नागरिक स्थिति, अर्थात सभी निवासियों के लिए वीजा और लेबर कार्ड के नियमन से सम्बद्ध नए कानून प्रारंभ करने से उन मृतकों, जिनकी मृत्यु से पहले ही उनका लेबर कार्ड और वीजा समाप्त हो गया है, के मामले में भी जब तक प्राधिकारियों को जमा देय और जुर्माना का निपटान किया जाए, देर होना आरंभ हो गया है। तथापि, यह मामला हमारे राजदूतावास द्वारा यथाशीघ्र अपेक्षित दस्तावेजों को जारी करने के लिए अधिकाधिक रूप से उठाया गया है।

(घ) और (ङ) "अस्वभाविक और संदेहास्पद मृत्यु" के मामले में, ऐसी संदेहास्पद मृत्यु के बारे में सूचना मिलने पर, मिशन संबंधित सरकारों के साथ तत्काल संपर्क करते हैं, जो ऐसे मामलों में की जाने वाली आवश्यक छानबीन करवाती है और की गई कार्रवाई के विषय में मिशनों को सूचित करती हैं।

### प्रौद्योगिकी नीति, 1983

**2097. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी नीति, 1983 में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने का वायदा किया गया था;

(ख) क्या देश में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने के लिए स्वीकृति देने में अत्यधिक विलंब और धनराशि की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है;

(ग) क्या इससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/ किए जाने का विचार है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) से (ङ) प्रौद्योगिकी नीति 1983 ने वह सिद्धांत प्रस्तुत किये जिन पर हमारे देश की प्रौद्योगिकी का विकास विगत अनेक वर्षों से आधारित रहा है। यह एक ऐसे दृष्टिकोण एवं कार्ययोजना को प्रदर्शित करती है जिसमें आत्म निर्भरता पर जोर दिया गया है और यह आज भी काफी महत्वपूर्ण है। परन्तु विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़े परिवर्तनों और भूमण्डलीय घटनाक्रमों, प्रतियोगी वातावरण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत की शक्ति की पहचान को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक नई "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003" की घोषणा की जिसमें 1958 के वैज्ञानिक संकल्प और 1983 के प्रौद्योगिकी नीति विवरण के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है।

वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए निधियों की कमी या अनुमोदनों की स्वीकृति में कोई विलम्ब नहीं रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के लिये 9 वीं योजना के परिव्यय की तुलना में 10 वीं योजना का परिव्यय पर्याप्त रूप से बढ़ाकर दुगुने से भी अधिक करना, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास में सरकार की वचनबद्धता का एक स्पष्ट संकेत है। सरकार विभिन्न नई कार्य – प्रणालियों/उपायों के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उत्प्रेरित करने की इच्छुक है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चौड़ा करना

**2098. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**

**श्री पी. के. वासुदेवन नायर :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के त्रिचूर जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–17 को चौड़ा करने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था और कुछ वर्ष पूर्व उसे चिन्हित कर लिया गया था लेकिन राजमार्ग का निर्माण कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का अधिग्रहण कब किया गया था और इसके निर्माण कार्य में इतना अधिक विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भू–स्वामियों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) केरल में तिरुस्सूर, त्रिचूर जिले से गुजरने वाले रारा. 17 को चौड़ा करने के लिए कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

### प्रवासी भारतीय सम्मान

**2099. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों से कितने प्रतिनिधि मंडलों ने दिनांक 7 जनवरी, 2005 को प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया;

(ख) इस अवसर पर कितने अनिवासी भारतीयों, को "प्रवासी भारतीय सम्मान" दिया गया; और

(ग) उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया है?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) 3061 शिष्टमंडलों ने तृतीय प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया, जिनमें से 1726 विदेश से आए शिष्टमंडल थे और 1335 भारत से।

(ख) और (ग) विदेशों से आए भारतीयों, जिन्हें इस वर्ष का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया, उनके देश और उनके योगदान के क्षेत्र नीचे दिए अनुसार हैं :–

| | |
|---|---|
| 1. श्री एम. अरूणाचलम, हांगकांग | व्यापार |
| 2. प्रो. जगदीश भगवती, अमरीका | अर्थशास्त्र |
| 3. सुश्री अमीना कचालिया, दक्षिण अफ्रीका | सार्वजनिक कार्य |
| 4. सर (डा.) जे.के. चान्दे, तंजानिया | सार्वजनिक कार्य |
| 5. प्रो. आलोक रंजन दासगुप्ता, जर्मनी | साहित्य |
| 6. श्री अहमद कठराडा, दक्षिण अफ्रीका | सार्वजनिक कार्य |
| 7. प्रो. सुनील खिलनानी, अमरीका | राजनीति विज्ञान |
| 8. श्री बासुदेव पान्डे, त्रिनिडाड एवं टोबागो | सार्वजनिक कार्य |
| 9. लार्ड भीखू छोटालाल पारेख, यू.के. | राजनीतिक अध्ययन |
| 10. डा. सैम पित्रोदा, अमरीका | प्रौद्योगिकी |
| 11. श्री विक्रम सेठ, यू.के. | साहित्य |
| 12. श्री मनोज नाइट श्यामलन, अमरीका | सिनेमा |
| 13. श्री विजय सिंह, फिजी | खेलकूद |
| 14. डा. संत सिंह, विरमानी, फिलीपींस | कृषि विज्ञान |
| 15. श्री युसुफअली, एम.ए., अमरीका | व्यापार |

### महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण केन्द्र

2100. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में पोवई स्थित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र और होस्टल को चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक होस्टल द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) इस प्रशिक्षण केन्द्र के जल प्रभार, बिजली प्रभार और अन्य नगरपालिका प्रभार पर वर्तमान में कितना खर्च होता है;

(घ) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्राधिकारियों द्वारा निर्मित प्रशिक्षण केन्द्र और होस्टल पर किए गए खर्च की केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(च) यदि हां, तो रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) प्रशिक्षण केन्द्र आंशिक रूप से द्वितीय तल तक चालू हो गया है। छात्रावास सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर कोई राजस्व अर्जित नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 2004–05 (फरवरी, 2005 तक) के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत इस प्रशिक्षण केन्द्र पर वर्तमान व्यय निम्नानुसार है :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) अदा किया गया जल प्रभार | – | 2,40,289/–रु. |
| (ii) अदा किया गया बिजली प्रभार | – | 68,79,732/–रु. |
| (iii) अदा किया गया संपत्ति कर | – | 62,51,170/–रु. |

(घ) इस मामले में हुए व्यय की जांच करने हेतु केन्द्रीय सर्तकता आयोग के माध्यम से कराई जा रही किसी जांच के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

*[हिन्दी]*

### उपग्रह छोड़ा जाना

2101. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :**

**श्री वाई. जी. महाजन :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विगत में अनेक उपग्रह छोड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इन्सैट और जीसैट श्रृंखला में संचार के लिए तथा आई.आर.एस. श्रृंखला में सुदूर संवेदन के लिए उपग्रहों का प्रमोचन किया है। इस समय संचार/मौसमविज्ञानीय उपयोगों के लिए आठ उपग्रह तथा सुदूर संवेदन संबंधी उपयोगों के लिए छह उपग्रह कक्षा में कार्य कर रहे हैं।

(ग) इन्सैट/जीसैट उपग्रह दूरसंचार, केबल शीर्षान्तों के लिए प्रसारण, दूरदर्शन और रेडियो रिले, व्यावसायिक उपयोग, वीसैट संयोजकता, दूर–शिक्षा, दूर–चिकित्सा, विकासात्मक संचार, चक्रवात चेतावनी, मौसमविज्ञानीय भू–प्रतिबिम्बन, आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म और खोज बचाव के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

अन्तरिक्ष–आधारित सूदूर संवेदन, अपनी सिनॉप्टिक और आवर्तीमूलक आवरण की उपयोगिता के कारण तथा परिणात्मक रूप में आंकड़ों के प्रावधान, ने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का आवधिक रूप में मानीटरन और मूल्यांकन संभव किया है तथा इस प्रकार, निर्णय लेने वालों को अन्य पारम्परिक निवेशों के साथ इनके उपयुक्त समाकलन में सहायता प्रदान की है।

*[अनुवाद]*

### 'ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजो' का उत्पादन

**2102. श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक भारतीय कम्पनी 'हिन्दुस्तान सिरन्जेज एण्ड मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड' ने ऐसी 'ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज' बनाई है जो बाजार में उपलब्ध 'डिसपोजेबल' तथा अन्य 'सिरिंजों' से बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक खुले बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) निर्माता से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स हिन्दुस्तान सिरिंजेज एंड मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड फरीदाबाद सेल्फ–लॉकिंग सिस्टम वाले ऑटो डिसेबल सिरिंजों का निर्माण कर रहे हैं। इन सिरिंजों को दुबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) इस फर्म द्वारा ऑटो डिसेबल सिरिंजों का विपणन पिछले दो वर्षों से किया जा रहा है।

### सरकारी अस्पतालों में रिक्त पद

**2103. श्री मदन लाल शर्मा :**
**श्री डी. बी.पाटिल :**
**श्री अनंत गुढ़े :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य सेवाओं में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### के वी आई सी द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन

**2104. श्री बी. विनोद कुमार** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या के वी आई सी का विचार देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन करने का है;

(ख) क्या इसका विचार महिला स्व–सहायता समूहों को उनके उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.); स्वतः सहायता समूह (एस एच जी) जिनमें महिला स्वतः सहायता समूह भी शामिल है, द्वारा कार्यान्वित केन्द्र सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अन्तर्गत, ग्रामोद्योगों की स्थापना करने के लिए के वी आई सी के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों आदि के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। के वी आई सी स्वतः सहायता समूहों जिनमें महिला स्वतः सहायता समूह

भी शामिल हैं, द्वारा स्थापित ऐसे ग्रामोद्योगों को प्रदर्शनियों में भाग लेने और के वी आई सी समूहों में स्थापित बिक्री केन्द्रों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री आदि के लिए वित्तीय सहायता देकर बाजार समर्थन (मार्केटिंग सपोर्ट) उपलब्ध कराती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## बर्ड फ्लु

**2105. श्री राम कृपाल यादव :**

**श्री सुकदेव पासवान :**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी के तुरन्त बाद 'बर्ड फ्लू' का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह महामारी एशियाई देशों में तेजी से फैल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका समाधान ढूंढने के लिए अब तक कोई अनुसंधान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस रोग की रोकथाम करने के पूर्व उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ङ) दिसम्बर, 2003 से कोरिया गणराज्य, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, कम्बोडिया, चीन, लाओस, इंडोनेशिया में कुक्कुट में और वियतनाम, थाईलैंड और कम्बोडिया में मानवों में बर्ड फ्लु (एवियन इनफ्लुएंजा) रोग फैलने की सूचना मिली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में बर्थ फ्लु फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि यह रोग ,एशियाई देशों मे तेजी से फैल रहा है। कम्बोडिया में वर्ष 2005 में मानव में रोग होने के एक नए मामले की पुष्टि हाल ही में हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग वाले केन्द्रों में सुरक्षित एवं प्रभावी वैक्सीन तैयार करने तथा रोग नियंत्रण के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है।

भारत सरकार ने भारत में एवियन एनफ्लुएंजा के प्रवेश की रोकथाम हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं –

- भाररत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासन को पक्षियों, खासकर कुक्कुट में बीमारी की व्याप्तता और जोखिम वाले लोगों में गम्भीर श्वसनीय रोग के बारे में नजदीकी दृष्टि रखने के लिए सावधान किया है।
- कुक्कुट, कुक्कुट उत्पाद और प्रवासी पक्षियों के जरिए सीमा पार से इस रोग के प्रवेश की रोकथाम हेतु गृह, पर्यावरण एवं वन, जहाजरानी और रेल मंत्रालयों को इस मसले के विषय में सुग्राही बनाया गया है।
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पशुपालन एवं पशु–चिकित्सा सेवाओं के निदेशकों को पत्र लिखा था जिसमें कुक्कुट में रोग की रोकथाम एवं प्रसार से संबंधित दिशा–निर्देश और रोग की सूचना देने से संबंधित प्रोफार्मा संलग्न किया गया है।
- बर्ड फ्लु के प्रकोप से प्रभावित सभी देशों से कुक्कुट एवं कुक्कुट संबंधी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त मानीटरिंग दल, जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पशुपालन विभाग के सदस्य होते हैं, स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है और सरकार को समुचित कार्रवाई की सलाह दे रहा है।
- मनुष्यों में संदेहास्पद रोगियों/प्रकोप की जांच करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को नोडल एजेंसी बनाया गया है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत प्रयोगशालाओं को तैयार रखा गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण भारत में पड़ोसी देशों से एवियन इनफ्लुएंजा नहीं फैला है। भारत के न तो मानव में और न ही पक्षियों में इस रोग के होने की सूचना है। यदि मानव समुदाय में यह रोग हो जाता है तो इसके उपचार और रोकथाम के लिए भारत सरकार तैयार है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति

**2106. श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में गरीबी कम करने के

लिए संरचना अभियंताओं की भूमिका पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति में तेजी लाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्षतिग्रस्त अवसंरचना को शीघ्र ठीक करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले लघु तथा दीर्घावधि समाधान क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) जी हां। पुल और संरचना इंजीनियरी अंतर्राष्ट्रीय संघ के भारतीय राष्ट्रीय समूह ने फरवरी, 2005 में नई दिल्ली में गरीबी में कमी लाने के लिए संरचना इंजीनियरों की भूमिका पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें व्यापक रूप से यह निर्णय लिया गया था कि संरचना इंजीनियर, आश्रय और अवसंरचना की योजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें सभी प्रकार के संपर्क कार्य, ऊर्जा, सिंचाई, जल और स्वच्छता शामिल है। संरचना इंजीनियर पूरी जिम्मेदारी से आपदा प्रबंधन ओर पुनर्वास का भी कार्य कर रहे हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि संरचना इंजीनियर स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करने में उनका ईष्टतम उपयोग करके उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने, अपशिष्ट को न्यूनतम करने तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग होते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) चालू राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी चरण I और चरण II) में राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 14,000 किलोमीटर शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के चालू उन्नयन कार्य को त्वरित गति से बढ़ाने के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 10,000 किलोमीटर को उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है। इन 10,000 किलोमीटर में से सरकार ने हाल ही में एन एच डी पी चरण IIIक के अंतर्गत 22,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 4,000 किलोमीटर को उन्नत करने के लिए अनुमोदित किया है। सरकार ने एन एच डी पी चरण IIIख के अंतर्गत शेष 6,000 किलोमीटर को 'सैद्धांतिक रूप' से अनुमोदित भी किया है जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के लिए अनुमोदन भी किया गया है।

(ङ) सड़क क्षेत्र में लागत किफायती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग एक सतत् प्रक्रिया है। क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनरूद्धार, क्षति की गंभीरता और स्थल की परिस्थितियों के अनुसार अभिनव प्रौद्योगिकियों और स्थानीय सामग्री का प्रयोग करते हुए अल्प और दीर्घकालिक आधार पर किया जाता है।

### लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी प्रदर्शनी

2107. **श्री विक्रम भाई अर्जन भाई माडम** : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गुजरात और अन्य राज्यों में लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित कल-पुर्जों की कोई प्रदर्शनी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) और (ख) 2004-05 (फरवरी 2005 तक) के दौरान, देश में गुजरात एवं अन्य राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा अठारह राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरीय वेंडर विकास-सह-क्रेता-विक्रेता-बैठक-सह-प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 2004-05 के दौरान 4 प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

### दूरभाष केन्द्रों की क्षमता का विस्तार

2108. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में विभिन्न दूरभाष केन्द्रों की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) विस्तार कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जिले-वार और स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2005–06 में लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है।

(घ) प्रस्तावित विस्तार कार्य वर्ष 2005–06 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

### *विवरण*

*डब्ल्यूएलएल की 34000 लाइनों के संबंध में किए जा रहे विस्तार कार्य का जिले–वार/स्थान वार ब्यौरा जिसे जून 2005 तक चालू किए जाने की संभावना है।*

| क्र.सं. | जिला | स्थान | बीटीएस की संख्या | क्षमता लाइनों में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बंगलौर | अनेकल | 1 | 750 |
| 2 | बंगलौर | बिडाडी | 1 | 750 |
| 3 | बंगलौर | चन्नापटना | 1 | 750 |
| 4 | बंगलौर | देवनहल्ली | 1 | 750 |
| 5 | बंगलौर | डोडाबल्लापुर | 1 | 750 |
| 6 | बंगलौर | दोम्मासांदरा | 1 | 750 |
| 7 | बंगलौर | हब्बागुडी | 1 | 750 |
| 8 | बंगलौर | होसकोट | 1 | 750 |
| 9 | बंगलौर | जिगानी | 1 | 750 |
| 10 | बंगलौर | कनकपुरा | 1 | 750 |
| 11 | बंगलौर | कहूर | 1 | 750 |
| 12 | बंगलौर | मगाडी | 1 | 750 |
| 13 | बंगलौर | नीलमंगला | 1 | 750 |
| 14 | बंगलौर | रामनगरा | 1 | 750 |
| 15 | बंगलौर | स्तानूर | 1 | 750 |
| 16 | बंगलौर | तावरीकेरे | 1 | 750 |
| 17 | बंगलौर | त्यामागोंडुलू | 1 | 750 |
| 18 | बेलगाम | येरागट्टी | 1 | 750 |
| 19 | बेल्लारी | एचबी हल्ली | 2 | 1500 |
| 20 | बीजापुर | मुधोल | 1 | 750 |
| 21 | दक्षिण कन्नड़ | अगुम्बे | 1 | 750 |
| 22 | दक्षिण कन्नड़ | बिंदुर | 1 | 750 |
| 23 | दक्षिण कन्नड़ | कडाबा | 1 | 750 |
| 24 | दक्षिण कन्नड़ | करकला | 1 | 750 |
| 25 | दक्षिण कन्नड़ | कुंडापुर | 1 | 750 |
| 26 | दक्षिण कन्नड़ | लेडीहिल, इनागुड्डा | 2 | 1500 |
| 27 | दक्षिण कन्नड़ | मणिपाल | 1 | 750 |
| 28 | दक्षिण कन्नड़ | पुंजालकट्टे | 1 | 750 |
| 29 | दक्षिण कन्नड़ | पुत्तुर एम/डब्ल्यू | 1 | 750 |
| 30 | दक्षिण कन्नड़ | सुल्लिया | 1 | 750 |
| 31 | दक्षिण कन्नड़ | वीराखाम्बा | 1 | 750 |
| 32 | गुलबर्गा | फरतबाद | 1 | 750 |
| 33 | हासन | हासन | 1 | 750 |
| 34 | हुबल | शांतिनगर | 1 | 750 |
| 35 | कोडागु | सोमवारपेट | 1 | 750 |
| 36 | कोलार | चिक्कबाल्लापुर | 1 | 750 |
| 37 | रायचुर | सिंधानुर | 1 | 750 |
| 38 | शिमोगा | सोराबा | 1 | 750 |
| 39 | टुमकुर | मदुगिरी | 1 | 750 |
| 40 | उत्तर कन्नड़ | बक्काल | 1 | 750 |
| 41 | उत्तर कन्नड़ | सिरसी | 1 | 750 |
| 42 | उत्तर कन्नड़ | उमाचागी | 1 | 750 |
| 43 | उत्तर कन्नड़ | येल्लापुर | 1 | 750 |

### *वर्ष 2005–06 के दौरान चालू किया जाने वाला 75000 अतिरिक्त लाइनों के प्रस्तावित डब्ल्यूएलएल विस्तार का जिलेवार/स्थान वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | जिला | स्थान | बीटीएस की संख्या | क्षमता लाइनों में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बंगलौर | चन्नापटना | 1 | 750 |
| 2 | बंगलौर | दोदबल्लापुर | 2 | 1500 |
| 3 | बंगलौर | होसकोटे | 2 | 1500 |
| 4 | बंगलौर | कनकपुरा | 1 | 750 |
| 5 | बंगलौर | नेलामंगला | 2 | 1500 |
| 6 | बेलगाम | अइनापुर | 1 | 750 |
| 7 | बेलगाम | बेलगाम | 5 | 3750 |
| 8 | बेल्लारी | बेल्लारी | 2 | 1500 |
| 9 | बेल्लारी | सन्दुर | 1 | 750 |
| 10 | बेल्लारी | सिरागुप्पा | 1 | 750 |
| 11 | बीदार | बीदार | 2 | 1500 |
| 12 | बीदार | हुमनाबाद | 1 | 750 |
| 13 | बीजापुर | बी. बागेवाडी | 1 | 750 |
| 14 | बीजापुर | बादमी | 1 | 750 |
| 15 | बीजापुर | बागलकोट | 1 | 750 |
| 16 | बीजापुर | बीजापुर | 2 | 1500 |
| 17 | बीजापुर | चदचन | 1 | 750 |
| 18 | चिकमगलूर | चिकमगलूर | 3 | 2250 |
| 19 | दक्षिण कन्नड़ | बंतबाल | 1 | 750 |
| 20 | दक्षिण कन्नड़ | बेलतानगडी | 2 | 1500 |
| 21 | दक्षिण कन्नड़ | मैंगलोर | 6 | 4500 |
| 22 | दक्षिण कन्नड़ | शंकरनारायन | 1 | 750 |
| 23 | दक्षिण कन्नड़ | उडुपी | 1 | 750 |
| 24 | दावनगिरि | चित्रदुर्ग | 1 | 750 |
| 25 | दावनगिरि | दावनगिरि | 3 | 2250 |
| 26 | गुलबर्गा | अफजलपुर | 1 | 750 |
| 27 | गुलबर्गा | चितापुर | 1 | 750 |
| 28 | गुलबर्गा | गुलबर्गा | 2 | 1500 |
| 29 | गुलबर्गा | मशाल | 1 | 750 |
| 30 | गुलबर्गा | शोरापुर | 1 | 750 |
| 31 | हासन | बेलूर | 1 | 750 |
| 32 | हासन | चन्नारायापटना | 1 | 750 |
| 33 | हासन | होलनरसीपुरा | 1 | 750 |
| 34 | हुबली | गाडग | 1 | 750 |
| 35 | हुबली | हीरेकेकर | 1 | 750 |
| 36 | हुबली | हुबली | 6 | 4500 |
| 37 | हुबली | मुन्दरगी | 1 | 750 |
| 38 | हुबली | नरागुंड | 1 | 750 |
| 39 | हुबली | रानेबेन्नुर | 1 | 750 |
| 40 | हुबली | सावनपुर | 1 | 750 |
| 41 | हुबली | शिराहत्ती | 1 | 750 |
| 42 | कोलार | बागेपल्ली | 1 | 750 |
| 43 | कोलार | चिकबल्लापुर | 1 | 750 |
| 44 | कोलार | चिंतामणि | 1 | 750 |
| 45 | कोलार | कोलार | 2 | 1500 |
| 46 | कोलार | मालूर | 1 | 750 |
| 47 | कोलार | सिदलाघता | 1 | 750 |
| 48 | कोलार | श्रीनिवासपुरा | 1 | 750 |
| 49 | मांडया | कृष्णाराजापेट | 1 | 750 |
| 50 | मांडया | मालावल्ली | 1 | 750 |
| 51 | मांडया | मांडया | 2 | 1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | मदीकेरी | मदीकेरी | 1 | 750 |
| 53 | मदीकेरी | सोमवारपेट | 1 | 750 |
| 54 | मैसूर | चामराजनगर | 1 | 750 |
| 55 | मैसूर | काउंडाहल्ली | 1 | 750 |
| 56 | मैसूर | गुंडलुपेट | 1 | 750 |
| 57 | मैसूर | हुंसूर | 1 | 750 |
| 58 | मैसूर | मैसूर | 6 | 4500 |
| 59 | मैसूर | नानजनगुड | 1 | 750 |
| 60 | रायचूर | गंगावटी | 1 | 750 |
| 61 | रायचूर | कोप्पल | 2 | 1500 |
| 62 | रायचूर | रायूचर | 2 | 1500 |
| 63 | शिमोगा | सागर | 1 | 750 |
| 64 | शिमोगा | शिमोगा | 3 | 2250 |
| 65 | तुमकुर | गुब्बी | 1 | 750 |
| 66 | तुमकुर | कूनीगल | 1 | 750 |
| 67 | तुमकुर | तुमकुर | 2 | 1500 |
| 68 | तुमकुर | तुरुवेकरे | 1 | 750 |
| 69 | उत्तर कन्नड़ | जोइदा | 1 | 750 |
| 70 | उत्तर कन्नड़ | करबर | 1 | 750 |
| 71 | उत्तर कन्नड़ | सालकनी | 1 | 750 |
| 72 | उत्तर कन्नड़ | सिददापुर | 1 | 750 |

*[हिन्दी]*

## अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ वार्ता

**2109. श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
**योगी आदित्यनाथ :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, यू.एस.ए. तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के बीच हाल ही में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो जिन मामलों पर वार्ता हुई थी उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप तीनों किस नतीजे पर पहुचें?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)** : (क) से (ग) क्षेत्रीय विकिरण–चिकित्सा सुरक्षा साझेदारी (आर आर एस पी) कार्यक्रम संबंधी एक बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) तथा यू एस के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त शिष्टमंडल ने 9 फरवरी 2005 को नई दिल्ली का दौरा किया। इस बैठक के दौरान, तीनों पक्षों ने खतरनाक रेडियोधर्मी स्रोतों से सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य के प्रति अपनी भागीदारी को माना। आई ए ई ए तथा यू एस प्रतिनिधियों ने रेडियोधर्मी स्रोतों से सुरक्षा तथा इसके साथ–साथ देशों में असमर्थ रेडियोधर्मी स्रोतों, जो उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में अक्षम हैं और आई ए ई ए से सहायता चाहते हैं, का पता लगाने संबंधी मामलों पर आई ए ई ए के तत्वावधान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने हेतु नियमित आधार पर मूलभूत सुविधा एवं विशेषज्ञता प्रदान करने के भारत के प्रस्ताव की भी सराहना की है। तीनों पक्षों ने इस विषय पर चर्चा को आगे भी जारी रखने पर सहमति जताई।

*[अनुवाद]*

## ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या तथा स्वच्छता सुविधाएं

**2110. श्री प्रहलाद जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि आंबटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इन आबंटनों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यकलापों में जुटे गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के लिए इनके लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या इन सभी गैर–सरकारी संगठनों ने इन कार्यों को पूरा करने के संबंध में सरकार के समक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे गैर–सरकारी संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### हार्डवेयर क्षेत्र को प्रोत्साहन

**2111. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

**श्री बाडिगा रामकृष्णा :**

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर पर शून्य आयात शुल्क के कारण इस क्षेत्र की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को घरेलू हार्डवेयर कम्प्यूटर निर्माताओं से कुछ राहत देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनके अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हार्डवेयर क्षेत्र में सुधार हेतु कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस आयोग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा जीवन्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) उत्पादों (217 वस्तुएँ) पर 1.3.2005 से शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क लागू किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर इसके प्रभाव का पता अभी लगना संभव नही है।

(ख) और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क के तंत्र से कई देशीय सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद विनिर्माताओं ने संतुष्टि दर्शाई है।

(घ) से (च) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हार्डवेयर क्षेत्र के संबंध में देशीय उद्योग से सुझाव प्राप्त होते हैं और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। समय–समय पर प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। इन प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### *विवरण*

#### *सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय*

1. हार्डवेयर विनिर्माण के क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत हैं।

2. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

3. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

4. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% से घटाकर 15% कर दी गई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पूँजीनिवेश वाले संयंत्र तथा मशीनरी में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। आईटीए–I वस्तुओं (217 वस्तुओं) पर सीमा शुल्क 1.3.2005 को समाप्त कर दी गई है। धातुओं (लौह तथा अलौह), रसायनों तथा प्लास्टिकों पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 10% की गई है। आईटीए–I वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं प्रयोगक्ता शर्त के अन्तर्गत सीमा शुल्क से छूट दी गई है। विक्षेपण पुर्जों, एयर कोर्ड एवं फेराइट कोर्ड ट्रांसफार्मरों, आरएफ/आईएफ कॉयलों तथा लाउडस्पीकरों (कोन टाइप) को छोड़कर विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। आईटी समझौता (आईटी सॉफ्टवेयर को छोड़कर) तथा उनके उपादानों कच्ची सामग्रियों पुर्जों, विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत शामिल वस्तुओं पर 4% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, टीडीएम, डीसी माइक्रो मोटर, पीसीबी, रिले, स्वीच के विनिर्माण के लिए आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतु/केबलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। मूलभूत/सेल्यूलर/इंटरनेट, वीसेट रेडियो पेर्जीग तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के लिए विशिष्ट मूलसंरचनात्मक उपस्कर तथा ऐसा उपस्करों

के पुर्जे मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदानकर्ताओं को इस समय उपलब्ध मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों से सीमा शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाकर सार्वत्रिक अभिगम सेवा प्रदानकर्ताओं द्वारा आयात पर लागू किया गया है। सेलफोनों, सेट टॉप बाक्स के पुर्जों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है। आसबाब के रूप में लाए गए लेपटॉप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। यात्री आसबाब पर सीमा शुल्क 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है।

5. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 0% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवरों, सीडी रॉम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। पीसी पर पहले से डाले गए सॉफ्टवेयर, श्रव्य सीडी, रिकोर्ड किए गए वीसीडी तथा डीवीडी, सेल्यूलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग ट्रमिनल, कॉल करने, चेतावनी देने तथा पेजिंग के लिए सुवाह्य रिसीवर, सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सेटों के पुर्जे, संघटक पुर्जे तथा सहायक सामग्रियों, सेट टॉप बॉक्स को उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति है।

7. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/ निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीडीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाता है।

8. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

9. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

10. सीमा शुल्क की अनुमति स्वमूल्यांकन तथा चुनिंदा जांच पर आधारित है।

11. पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों को उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुपात में सेवा कर से छूट दी गई है।

13. निर्यातान्मुखी इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10बी तथा 10ए के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

14. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में 'निर्यात गृह' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाईयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्र हैं:

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्धन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

15. जिन स्टार निर्यातगृहों (स्थिति धारक सहित) ने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपए के निःशुल्क विदेशी मुद्रा का न्यूनतम कारोबार हासिल किया है, वे सभी क्रमवृद्धिमान निर्यात के आधार पर शुल्क क्रेडिट के पात्र हैं जो निर्धारित वार्षिक निर्यात के सामान्य लक्ष्य से काफी अधिक है।

16. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहाँ ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 25 करोड़ रु. से अधिक हो।

17. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक

पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों का वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

### राज्य के राजमार्गों का उन्नयन

**2112. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दसवीं योजना के दौरान राज्य राजमार्गों/सड़कों के उन्नयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक तमिलनाडु में सड़क की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राष्ट्रीय राजमार्ग है, और

(ग) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य 2000 कि.मी. है जब कि राज्यीय सड़कों की 7457 कि.मी. लंबाई को फरवरी, 2004 तक पहले ही उन्नत करके राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर का बना दिया गया है।

(ख) तमिलनाडु में आज की स्थिति के अनुसार कुल सड़क लंबाई लगभग 61530 कि.मी. है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की इस समय कुल लंबाई 4183 कि.मी. है। तमिलनाडु राज्य में सड़क लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का 6.8% है।

(ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 65569 कि. मी. है। इन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार उन्नत बनाने के लिए भारी निवेश करना पड़ेगा। इस समय, पहले से ही घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है, बजाय और विस्तार के। पहले से ही घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और उनके अनुरक्षण के लिए अपेक्षित निवेश की सीमा पर विचार करते हुए इस समय और सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करना साध्य नहीं है।

### बीएसएनएल नेटवर्क का विस्तार

**2113. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल मोबाइल सेवा की लाइनों की तुलना में इसके उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेटवर्क को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसमें जोड़े जाने वाली प्रस्तावित नई लाइनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल सेवा की मांग इसकी उपलब्ध क्षमता से अधिक है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) लगभग 12 मिलियन लाइनों द्वारा नेटवर्क के विस्तार के लिए बीएसएनएल ने पहले ही उपस्करों के लिए आदेश दे दिए हैं। नेटवर्क रॉल आऊट की प्रक्रिया चल रही है और 2005 में क्षमताओं के उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध होने की संभावना है।

### आईआरसीएस को केन्द्रीय सहायता

**2114. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 'इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन कॉगनिटिव साइंस' (आईआरसीएस) को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईआरसीएस ने और अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### खाली कैप्सूल

**2115. श्री जुएल ओराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंगलौर के सरकारी अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों को 'रिफेप्पिसिन' के खाली कैप्सूल के वितरण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आपूर्तिकर्त्ता, वितरक तथा अस्पताल प्राधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि प्रसंगाधीन औषध की बैच संख्या 570024 है और इसके निर्माण की तारीख जनवरी, 2004 है और इसकी प्रभावकारिता समाप्त (ऐक्सपायरी) होने की तारीख अगस्त, 2006 थी, को मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) ने निर्मित किया था। राज्य सरकार ने उक्त औषध को खरीदा था तथा उस समय संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर न किए गए क्षेत्रों में स्थित विभिन्न संस्थाओं को इसकी आपूर्ति की थी।

राज्य सरकार ने उक्त बैच की औसत के भंडार को जब्त करने तथा इसके उपयोग को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को क्षय रोग रोधी औषधों को स्थानीय रूप से न खरीदने के लिए अनुदेश भी दिए हैं।

वर्ष 2004 से सम्पूर्ण राज्य को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है और केन्द्र क्षय रोगी रोधी औषधों की पूरी आवश्यकता की आपूर्ति करता है।

### बी ओ टी योजना

2116. **श्री जुएल ओराम** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण, संचालन तथा हस्तांतरण (बी ओ टी) योजना के अंतर्गत देश में सड़कों को उन्नत बनाए जाने में कुछ अवसंरचना विकास कंपनियों ने रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं जहां विभिन्न विकास कंपनियों ने सड़क परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) क्या सुंदरगढ़ तथा कियोन्झर जिलों में ऐसी कुछ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) जी हां। यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अवसंरचनात्मक विकास कंपनियां बी ओ टी आधार पर राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

2117. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने उन पुलों के नाम क्या हैं जिनकी दशा काफी खराब है;

(ग) ऐसी प्रस्तावित पुल परियोजनाएं कौन सी हैं जो अब तक शुरू नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) खस्ता हाल पुलों के पुनर्निर्माण की आज की तारीख तक वर्ष–वार योजना क्या है;

(ङ) उड़ीसा के राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) 16

(ख) से (ङ) उड़ीसा में 12 पुलों के खराब स्थिति में होने की सूचना मिली है। इनमें से चार पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है और शेष आठ पुलों की मरम्मत की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। पुलों के पुनर्निर्माण/मरम्मत को पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न वार्षिक योजनाओं में चरणबद्ध रूप में शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों सहित राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि, गैर–योजना शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार को दी जाती है। चालू वर्ष के दौरान वार्षिक योजना, दो पुलों के पुनर्निर्माण के लिए कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं और एक पुल की मरम्मत की जा चुकी है।

(च) और (छ) उड़ीसा में 30 जिलों में से 27 जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं। उड़ीसा में सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

## पोलियो की रोकथाम

**2118. श्री पी. राजेन्द्रन :**

**श्री टी. के. हमजा :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के अलग–अलग भागों में पीलिया फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने पीलिया रोग को फैलाने से रोकने के लिए किसी सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 2005 के दौरान महाराष्ट्र के सतारा जिले में संक्रामक यकृत शोथ के 35 रोगी थे और इस रोग से किसी की मौत नहीं हुई। पीलिया की समय–समय पर हुई छुट–पुट घटनाओं और विषाणुज यकृत शोध के रोगियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

असुरक्षित पीने का पानी, खराब सफाई, अस्वच्छता पीलिया के कुछेक महत्वपूर्ण कारण हैं। पीने के साफ पानी, सफाई, स्वच्छता और पीलिया का उपचार करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार तीव्रीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्वजल धारा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण पीने का पानी, तीव्रीकृत शहरी जल आपूर्ति, समग्र सफाई अभियान, स्कूल सफाई और स्वच्छता शिक्षा और सस्ती सफाई योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और पीलिया सहित संचारी रोगों की निगरानी, उनका शुरू में ही पता लगाने और इनके प्रकोपों की रोकथाम करता है।

### *विवरण*

*वर्ष 2001–04 के दौरान विषाणुज यकृतशोध के सूचित रोगियों की राज्य–वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 24530 | 16224 | 23094 | 28222 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 299 | – |
| 3. | असम | – | – | – | – |
| 4. | बिहार | – | – | – | – |
| 5. | छत्तीसगढ़ | – | – | – | – |
| 6. | गोवा | – | 71 | 190 | 93 |
| 7. | गुजरात | 124 | 2365 | 2752 | 5860 |
| 8. | हरियाणा | 2891 | 384 | 1645 | 1845 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2731 | 1648 | 1748 | 1872 |
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 1275 | 6245 | 8432 | 6959 |
| 11. | झारखंड | 4226 | – | – | – |
| 12. | कर्नाटक | – | 6663 | 23085 | 33140 |
| 13. | केरल | 26256 | 5323 | 7433 | 5405 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4532 | 5515 | 9599 | 15859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | महाराष्ट्र | 3267 | 29525 | 33515 | 48789 |
| 16. | मणिपुर | 39911 | 397 | 310 | 136 |
| 17. | मेघालय | 1558 | 472 | 413 | 688 |
| 18. | मिजोरम | 500 | 1111 | 744 | 717 |
| 19. | नागालैण्ड.. | 1183 | 131 | 127 | 27 |
| 20. | उड़ीसा | 144 | 648 | 2500 | 1489 |
| 21. | पंजाब | 7334 | 3141 | 5169 | 1423 |
| 22. | राजस्थान | 4881 | 1758 | 2076 | 2078 |
| 23. | सिक्किम | 2955 | 210 | 414 | 372 |
| 24. | तमिलनाडु | 409 | 2320 | – | 8971 |
| 25. | त्रिपुरा | 1632 | 105 | 86 | 891 |
| 26. | उत्तरांचल | 1784 | – | – | – |
| 27. | उत्तर प्रदेश | – | 518 | 2964 | 2 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1885 | 7032 | 6527 | 5474 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 6303 | 368 | 467 | 358 |
| 30. | चंडीगढ़ | 536 | 235 | 398 | 300 |
| 31. | दादरा और नागर हवेली | 310 | 232 | 227 | 675 |
| 32. | दमन और दीव | 6 | 23 | 20 | 6 |
| 33. | दिल्ली | 3159 | 5053 | 7476 | 10656 |
| 34. | लक्षद्वीप | 71 | 22 | 19 | 20 |
| 35. | पांडिचेरी | 654 | 534 | 872 | 736 |
|  | कुल | 146047 | 98273 | 142601 | 182963 |

## बंगलौर और मैसूर के बीच के राजमार्ग को चौड़ा करना

2119. **श्री एम. शिवन्ना : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर और मैसूर के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत संकरा है और एकहरे मार्ग के कारण अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक द्वारा इस सड़क विस्तार और इसके दोहरीकरण की परियोजना शुरू की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए केंद्र ने अपने हिस्से की कितनी धनराशि जारी की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) बंगलौर से कोल्लेगल होते हुए मैसूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 191 किलोमीटर है। इसमें से 81 किलोमीटर दो लेन की और 110 किलोमीटर मध्यम लेन की हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003–04 और 2004–05

में राष्ट्रीय राजमार्ग के उपर्युक्त खंड को दो लेन तक चौड़ा करने का कार्य 27 कि.मी. में पहले ही कर लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए समग्र निधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

### 10वीं योजना की मध्य अवधि समीक्षा

2120. **श्री किरिप चालिहा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यम अवधि समीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य परिचर्या की दसवीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो मध्य अवधि समीक्षा में पूर्वोत्तर राज्यों में इन प्रमुख क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कमी की स्थिति में, सरकार का विचार इन राज्यों में योजना के अंत तक किस प्रकार लक्ष्य को पूरा करने का है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दसवीं योजना में मानव विकास के कुछ मूल संकेतकों के लिए विशिष्ट और मॉनीटर योग्य लक्ष्यों की पहचान की गई है; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### दूरसंचार जिले

2121. **श्रीमती करुणा शुक्ला** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के वर्तमान में दूरसंचार जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में कोरबा को एक दूरसंचार जिले के रूप में घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार देश में 324 दूरसंचार जिले (गौण स्वीचन क्षेत्र) हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### *विवरण*

*वर्तमान में देश में दूरसंचार जिलों/गौण स्वीचन क्षेत्रों (एसएसए) की संख्या*

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | एसएसए की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **बीएसएनएल** | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 22 |
| 3. | असम | 07 |
| 4. | बिहार | 12 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 06 |
| 6. | गुजरात | 17 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 06 |
| 8. | हरियाणा | 08 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 05 |
| 10. | झारखंड | 06 |
| 11. | केरल | 11 |
| 12. | कर्नाटक | 19 |
| 13. | महाराष्ट्र | 30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 34 |
| 15. | पूर्वोत्तर I | 03 |
| 16. | पूर्वोत्तर II | 03 |
| 17. | उड़ीसा | 12 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | पंजाब | 11 |
| 19. | राजस्थान | 24 |
| 20. | तमिलनाडु | 17 |
| 21. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 32 |
| 22. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 14 |
| 23. | उत्तरांचल | 06 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 14 |
| 25. | कोलकाता (महानगर) | 01 |
| 26. | चेन्नई (महानगर) | 01 |
| | एमटीएनएल | |
| 27. | दिल्ली (महानगर) | 01 |
| 28. | मुम्बई (महानगर) | 01 |
| | कुल | 324 |

*[अनुवाद]*

### गरूड़ मोबाइल सेवा

2122. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नए उपभोक्ताओं को गरूड़ मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी प्रदान करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा क्या है और उन देशों तथा कंपनियों के नाम क्या हैं जहां से यह आयात किया गया;

(घ) क्या आयातित सभी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल द्वारा किए गए आयात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हाँ। सभी आयातित उपस्करों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

### *विवरण*

*वित्तीय वर्ष 2002–2005 के दौरान एमटीएनएल मुंबई में गरूड़ डब्ल्यूएलएल मोबाइल सेवा से संबंधित क्रय आदेशों के ब्यौरे*

| मद का नाम | कंपनी का नाम | लागत | देश का नाम जिससे मुख्य उपस्कर का आयात किया गया |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2002-03** | | | |
| 92.23 हजार लाइन की आईएस 95ए सीडीएमए नेटवर्क विस्तार उपस्कर | फुजीत्सु इंडिया लि | लगभग 85 करोड़ रु. | जापान |
| 15 हजार सीडीएमए डब्ल्यूएलएल हैंडसेट | एक्सएल टेलीकॉम लि./ मै. क्योसेरा | लगभग 7.56 करोड़ रु. | भारत में निर्मित |
| **2003-04** | | | |
| 400 हजार लाइन सीडीएमए 2000 IX डब्ल्यूएलएल नेटवर्क उपस्कर | एचएफसीएल/मै. हुवेई | लगभग 116.8 करोड़ रु. | चीन |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **2004-05** | | | |
| 50 हजार सीडीएमए हैंडसेट | मै. एक्सएल टेलीकॉम लि./ मै. क्योसेरा | लगभग 19.26 करोड़. रु. | भारत में निर्मित |

*एमटीएनएल दिल्ली द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयात के ब्यौरे*

| उपस्कर | लागत | जिससे आयात किया गया | देश |
|---|---|---|---|
| फेज–I (50 केएल) | 69,93,406 अमेरिकी डालर (यूएसडी) | मै. मोटोरोला से आयात किया गया | अमेरिका एवं चीन |
| फेज–II (100 केएल) | 1,05,43,411 अमेरिकी डालर (यूएसडी) | | |
| (400 केएल) | 94,87,12,412 रु. | मै. एचएफसीएल | चीन, इस्राइल, अमेरिका |
| **हैंडसेट और वॉल सैट** | | | |
| 45000 (30000 एचएचटी और 15000 एफडब्ल्यूटी) | 76,77,57,000 रु. | एचएफसीएल | दक्षिण कोरिया |
| 1000 एचएचटी | 1,78,95,000 रु. | एचएफसीएल | दक्षिण कोरिया |
| 3750 एचएचटी | 5,31,18,750 रु. | एलजी | दक्षिण कोरिया |
| 1250 एफडब्ल्यूटी | 1,77,06,250 रु. | आईटीआई | दक्षिण कोरिया |
| 30000 एचएचटी | 15,00,12,900रु. | एक्स एल टेलीकॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 15000 एचएचटी | 7,49,24,400 रु. | एक्स एल टेलीकॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 20000 एफडब्ल्यूटी | 12,73,35,792 रु. | मै. सुराना टेलीकॉम लि. | चीन |

## सुनामी को रोकने के लिए दीवार का निर्माण

**2123. डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में सुनामी लहरों को रोकने के लिए समुद्र तट के साथ–साथ एक दीवार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दीवार के निर्माण पर कितना निवेश किए जाने का अनुमान है तथा इस दीवार को सुदृढ़ बनाए रखने तथा स्थिर रखने पर आने वाली भारी रख–रखाव खर्च की वित्तीय देयता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य के संबंध में जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि यह दीवार भविष्य में आने वाली सुनामी का झटका सहन कर पाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सुनामी के खतरों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, नहीं। विभाग को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार 125 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 2½ वर्ष में 'सुनामी और तूफान महोर्मि चेतावनी प्रणाली' स्थापित कर रही है। इस प्रणाली के निम्नलिखित भाग हैं;

- सुनामी पैदा करने वाले भूकंप आने के लगभग वास्तविक समय का पता लगाने के लिए मौजूदा भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना
- हिन्द महासागर में वास्तविक समय संयोजन के साथ समुद्र तल के निकट उपयुक्त स्थानों पर तल दाब रिकॉर्डर स्थापित करना
- ज्वारमापी और डाटा ब्वॉय नेटवर्किंग
- समूचे तट के लिए आप्लावन दृश्यलेखों की मॉडलिंग

सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सुनामी तथा तूफान महोर्मि परामर्शी सूचनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र की स्थापना।

ये परामर्शी सूचनाएं समुचित कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

### तीर्थयात्रियों की कैलाश मानसरोवर की यात्रा

2124. **श्री एस. के. खारवेन्थन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की;

(ख) इस पर कितना वार्षिक व्यय हुआ तथा सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गयीं;

(ग) क्या सरकार का विचार हज तीर्थयात्रियों की तर्ज पर कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को राजसहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गये तीर्थयात्रियों की संख्या निम्नलिखित है;

2002–469

2003–316 (चीन में सार्स महामारी के कारण यात्रा की अवधि कम कर दी गयी)

2004–537

(ख) भारत सरकार यात्रा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किये जाने वाले प्रबंधों के एवज में कुमाऊँ मंडल विकास निगम (के एम वी एन) को प्रति तीर्थयात्री तीन हजार दो सौ पचास (3250 रु.) देती है। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान सरकार की ओर से तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं : निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, भारत की तरफ वाले लिपुलेख दर्रे तक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा सुरक्षा, चीन के साथ संपर्क और पूरी यात्रा के दौरान आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों के प्रत्येक जत्थे के संपर्क अधिकारी के लिए सेटेलाइट फोन की व्यवस्था। सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ एक संपर्क अधिकारी भेजा जाता है जो उनके सामान्य हित–कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है।

(ग) से (ङ) जहां तक यात्रा के तरीकों और मार्ग का प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा और हज यात्रा दोनों अनिवार्यतः विभिन्न स्वरूपों के हैं।

### अस्पतालों और निजी नैदानिक केन्द्रों के बीच कथित सांठगांठ

2125. **श्री निखिल कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अनेक निजी नैदानिक प्रयोगशालाओं और चिकित्सा उपकरणों के व्यापारियों की डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के प्रशासन/डाक्टरों के साथ कथित सांठगांठ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संबंधों की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ङ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के अस्पताल प्रशासन/डॉक्टरों के साथ चिकित्सा उपकरणों के व्यापारियों/प्राइवेट नैदानिक प्रयोगशालाओं के बीच सांठगांठ की कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

अस्पताल में उपलब्ध सभी नैदानिक जांच अस्पताल में ही की जाती है। तथापि, किसी ऐसी विशेषज्ञ जांच के लिए, जिनकी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, रोगियों को ये जांच बाहर से करवाने की सलाह दी जाती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अनुमोदित किसी केन्द्र से जांच करवाने की सलाह दी जाती हैं।

इन अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद संहिता संबंधी औपचारिकताओं को अपनाने के बाद की जाती है।

### ग्रामीण दूरसंचार हेतु पृथक कोष

2126. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने ग्रामीण दूरसंचार सुविधा हेतु पृथक कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि संग्रहित की गई है; और

(घ) इस कोष का कितना उपयोग किया गया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) जी, हाँ। वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत की गई है। आर्थिक सहायता प्रदान करने का क्षेत्र एवं तरीका भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2004 के अनुसार शासित होता है। विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से वैश्विक सेवा दायित्व लेवी का संग्रहण किया जाता है तथा भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। बजटीय आबंटन के माध्यम से यूएसओएफ को निधियां प्रदान की जाती है।

(ग) फरवरी, 2005 तक यूएसओ लेवी के रूप में अब तक 6,187 करोड़ रु. की राशि एकत्रित की गई है।

(घ) निधि के प्रारंभ से वित्त मंत्रालय द्वारा 1700 करोड़ रु. की संचयी राशि आबंटित की गई है जिसे पूरी तरह विनरित कर दिया गया है।

*[हिन्दी]*

### मधुमेह और कार्डियो वस्कुलर समस्याओं को रोकने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

**2127. श्री अतीक अहमद :**
**श्री कुलदीप बिश्नोई :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मधुमेह और कार्डियो वस्कुलर समस्याओं की रोकथाम हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) 10वीं योजना के गैर–संचारी रोगों के बारे में कार्यनीतियों संबंधी एक कार्यदल ने सीवीडी, मधुमेह और आघात के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था जिसे शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब राष्ट्रीय मधुमेह और ह्रदय वाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए योजना आयोग का सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कदम उठाना शुरू कर दिया है।

*[अनुवाद]*

### उत्तर प्रदेश में नया पथ कर

**2128. श्री अशोक कुमार रावत** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नया पथ कर लागू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पास पथ कर की कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है; और

(घ) वर्ष 2004–05 में पथ कर की कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) पथ कर की उगाही और संग्रहण कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ग) राज्य सरकार पथ कर का कोई भाग केंद्र सरकार के पास जमा नहीं करती है और मंत्रालय विभिन्न राज्यों द्वारा संग्रहीत सड़क कर संबंधी कोई सूचना संकलित नहीं करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### बी.एस.एन.एल. की फ्रिक्वेन्सी

**2129. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. द्वारा मुहैय्या करायी जा रही सेल्युलर सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. की फ्रिक्वेन्सी काफी निम्न है तथा रोमिंग प्रणाली भी बार–बार विफल होती रहती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या लक्षण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर तथा और अधिक विश्वसनीय सेवाएं प्रदान कराने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को, अन्य बातों के साथ–साथ, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान

की जा रही सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए अधिदेश–प्राप्त है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), सामान्यतः, ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा कर रहा है। तथापि, नेटवर्क की क्षमता की सीमा के कारण कुछ सेवा क्षेत्रों में नेटवर्क संकुलन देखने में आया है।

(ग) और (घ) बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवाओं की फ्रिक्वेन्सी ठीक है तथा रोमिंग प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ङ) बीएसएनएल ने सेवा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की भारी मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में 12 मिलियन लाइनों की वृद्धि करके अपने नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने हेतु कार्रवाई की है। इसके अलावा, मोबाइल नेटवर्क के कार्य निष्पादन को सतत इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा बीएसएनएल द्वारा ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को बेहतर और अधिक विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने हेतु नेटवर्क की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

## सार्क शिखर सम्मेलन का निलंबन

2130. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ढाका में प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन को निलंबित किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) और (ख) भारत ने बंगलादेश की सरकार को औपचारिक रूप से यह बता दिया था कि वह 6–7 फरवरी, 2005 को निश्चित तारीखों पर ढाका में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नही ले पाएगा। यह निर्णय, हमारे पड़ोस में घट रही हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि, जिनसे हम अत्यधिक चिंतित थे और साथ ही साथ बंगलादेश के भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री एस ए एम एस किबरिया पर हुए घातक हमले के पश्चात ढाका में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने के कारण लिया गया था। हमारी दृष्टि में केवल राजनीतिक उथल–पुथल और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही एक शिखर–सम्मेलन वांछित परिणाम दे सकता है।

(ग) 2 फरवरी, 2005 को जब हमने निर्धारित तारीखों पर ढाका में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने में औपचारिक रूप से अपनी असमर्थता जाहिर की थी, हमने सदस्य राज्यों के बीच विचार–विमर्श करके एक नई तारीख लेने का अनुरोध किया था। 16 फरवरी, 2005 को इस्लामाबाद में विदेश मंत्री और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच चर्चा में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि उनकी तरजीह शीघ्र शिखर सम्मेलन करने की थी, और विदेश मंत्री ने मार्च/अप्रैल में भारत की संसद के मध्यावकाश के दौरान, संभावित गवाक्ष की ओर इंगित किया था। सार्क के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान को 13 वें सार्क शिखर–सम्मेलन के लिए नई तारीखें, जो सभी सार्क सदस्यों को परस्पर सुविधाजनक हों, देने के लिए मेज़बान सरकार (बंगलादेश) और अन्य सदस्य देशों के साथ विचार–विमर्श करना होगा।

## अंतर्देशीय जल परिवहन की उपलब्धियां

2131. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के अनुसार, अंतर्देशीय जल परिवहन, जिसे परिवहन के लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में जाना जाता है, का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य और अब तक हासिल उपलब्धियां क्या हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) जी, हाँ।

(ख) अंतर्देशीय जल–परिवहन–क्षेत्र, भारत में बहुत पहले से उपेक्षित रहा है और यह क्षेत्र, कई कठिनाइयाँ–बाधाएँ झेलता आ रहा है। इन कठिनाइयों–बाधाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिनाई–बाधा, बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है।

(ग) अंतर्देशीय जल–परिवहन की अवसंरचना में बेहतरी लाने के लिहाज से सरकार निम्नलिखित के संबंध में हस्तक्षेप करने को प्रतिबद्ध है :–

(i) अपेक्षित अवसंरचना (टर्मिनलों, नौचालन से संबंधित साधन–सुविधाएँ इत्यादि) सुलभ करवाकर, मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाना।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उदार योजना के माध्यम से राज्यों को अंतर्देशीय जल–परिवहन की अवसंरचना के विकास में लगाना।

(iii) जलयान–निर्माण से संबंधित सहायता–उपदान–योजना के माध्यम से अंतर्देशीय जल–परिवहन के संचालकों की उपयुक्त जलयान लेने में सहायता करमा।

(iv) गैर सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रोत्साहित करना और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग–प्राधिकरण तथा गैर सरकारी क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।

### राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण

**2132. श्री सुग्रीव सिंह :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देने की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से अब तक कितने राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) जी हां।

(ख) देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान पहाड़ी सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जिसमें राजमार्ग इंजीनियरी के विभिन्न पहलू शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 में विभिन्न राज्यों से राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की संख्या क्रमशः 45, 367 और 606 है।

### राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना

**2133. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य राजमार्ग सुधार परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं के सुधार हेतु पश्चिम बंगाल के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) जी नहीं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को राज्यीय राजमार्ग सुधार परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्तुत चुनिंदा राज्यीय सड़कें, केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से सुधारी जा रहीं है।

### सफदरजंग अस्पताल में जंग लगी मशीनों का प्रयोग

**2134. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल में कैंसर के मरीजों के इलाज हेतु जंग लगी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है जैसा कि आज तक टी.वी. समाचार चैनल द्वारा 23 फरवरी, 2005 को समाचार प्रसारित किया गया है तथा दिनांक 25 फरवरी, 2005 के "दैनिक जागरण" में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रसारित/छपी खबर के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) यह सही नहीं है कि सफदरजंग अस्पताल में कैंसर रोगियों के इलाज में जंग लगी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि 23 फरवरी, 2005 को आज तक समाचार चैनल द्वारा प्रसारित किया गया और 25 फरवरी, 2005 के दैनिक जागरण ने भी इस बारे में समाचार छापा था। आज तक समाचार में दिखाए गए उपकरणों की फोटो बेकार घोषित किए गए कोबाल्ट मशीन इल्डराड़ो–8 यूनिट के हैं और इनको विघटित करके इनका निपटान किया जाना है और ये कोबाल्ट के स्रोत नहीं हैं। कैंसर के रोगियों को थेराट्रॉन–780 सी यूनिट से रेडियोथिरेपी प्रदान की जाती हैं जो कि पूरी तरह कार्य कर रही है। रेडियोथिरेपी विभाग में डोसीमीटर उपलब्ध है।

### तम्बाकू का प्रयोग करने वाले किशोरों की संख्या में वृद्धि

**2135. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन कैंसर एसोसिएशन द्वारा वित्तपोषित एक अध्ययन से यह पता चला है कि वर्ष 2001 से महानगरों में तम्बाकू का प्रयोग करने वाले किशोरों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा युवा वर्ग को तंबाकू अथवा धूम्रपान का सेवन करने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने

वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचार पत्र में 2 मार्च, 2005 को प्रकाशित एक समाचार में यह सूचित किया गया कि वर्ष 2001 से महानगरों में तम्बाकू का प्रयोग करने वाले किशोरों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। उक्त अध्ययन सरकार ने शुरू नहीं किया है और इस रिपोर्ट के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

हालांकि प्रिंट इलेक्ट्रानिक और अन्य प्रचार साधनों के माध्यम से समय-समय पर सूचना, शैक्षणिक और संप्रेषण संबंधी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं, तथापि, सरकार ने "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण) अधिनियम, 2003" बनाया है जिसके तहत शैक्षणिक संस्थाओं सहित सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान, नाबालिग व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और विशेषतौर से बच्चों और युवकों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है।

(घ) राज्य सरकारों, जो मुख्य कार्यान्वयन अभिकरण हैं, को उपयुक्त प्रवर्तन के लिए समुचित तंत्र को काम पर लगाने का अनुरोध किया गया है।

*[हिन्दी]*

### फैक्ट्री के कामगारों के लिए अस्पताल और विद्यालय

**2136. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिए अस्पतालों और विद्यालयों की स्थापना हेतु कोई योजना बनाई गई है या बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) से (ग) जी, नहीं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के द्वारा कामगारों सहित जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। यह स्कीम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रह है। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 85% है और राज्य का हिस्सा 15% है। कामगारों की स्वास्थ्य जरूरतें कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के द्वारा कवर की जाती हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित है। निर्धारित सीमा के अंतर्गत व्यय का 7/8वां हिस्सा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूरित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान, ई एस आई के अंतर्गत एक-एक स्थिर डिस्पेंसरी (औषधालय) इटावा में जसवंतनगर, मुरादाबाद में संभल और ज्योतिबाराव फुले नगर जिले के गजरौला में खोली जायेगी।

### छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग

**2137. श्री अजीत जोगी** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संभावना का किस हद तक उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों का व्यापक पैमाने पर विकास करने हेतु विपणन सुविधाओं को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छत्तीसगढ़ सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) का कार्यान्वयन कर रही है। आर ई जी पी के अन्तर्गत के.वी.आई.सी., राज्य के.वी. बोर्डों, आदि द्वारा उद्यमियों को प्रदान की गई तकनीकी सहायता से उद्यमियों द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्टों के आधार पर ग्रामोद्योगों की स्थापना की जाती है। इसलिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी राज्य में कृषि उद्योगों की सम्भाव्यता का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 118 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजनाओं की स्थापना की गई है।

(घ) कृषि उद्योगों पर आधारित उत्पादनों सहित के.वी.आई. उत्पादनों के विपणन के संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में के.वी. आई.सी.-सहायता प्राप्त संस्थानों की देखरेख में 44 बिक्री आऊटलेट्स कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, के.वी.आई.सी. ऐसे उत्पादनों के विपणन के लिए राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।

*[अनुवाद]*

### सफदरजंग बहिरंग रोगी सुविधा

**2138. श्री किसनभाई वी. पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल में रोगियों हेतु बहिरंग रोगी सुविधा नहीं है जैसा कि 3 मार्च, 2005 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रोगियों हेतु एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने का विचार विफल हो गया है;

(घ) यदि हां, तो सी.पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा भवन को अस्पताल प्राधिकारियों को नहीं सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ङ) नए निर्मित बाह्य रोगी विभाग भवन के दाएं और बाएं विंग को अभी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं सौंपा गया है क्योंकि अग्निशमन विभाग की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। एकल खिड़की व्यवस्था का विचार असफल नहीं हुआ है क्योंकि बाह्य रोगी विभाग में प्रसवपूर्व बाह्य रोगी विभाग, बर्न एवं प्लास्टिक बाह्य रोगी विभाग, दंत चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग, अस्थि अंग और रेडियोथिरेपी बाह्य रोगी विभागों को छोड़ कर सभी विभाग बाह्य रोगी विभाग भवन में चल रहे हैं। नया भवन सौंप दिए जाने पर बर्न एवं प्लास्टिक विभाग, जिसके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, को छोड़कर ये विभाग भी इसी परिसर में आ जाएंगे।

### आई. एस. एम. में विशेषज्ञता हेतु मांग

**2139. श्री अधीर चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु दूसरे देशों से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन-कौन से हैं;

(ग) वर्ष 2003-04 में कितने मूल्य की (रुपयों में) दवाएं निर्यात की गयी;

(घ) कितने विशेषज्ञों को शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ वर्तमान में कौन-सा द्विपक्षीय समझौता लागू है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका, वेस्ट इंडीज और हंगरी से आयुर्वेद का अध्यापन करने हेतु विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान 213.87 करोड़ रुपये की आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक और जैव-रासायनिक पद्धतियों से संबद्ध औषधियों का निर्यात किया गया।

(घ) शून्य।

(ङ) द्विपक्षीय करार, जिनमें देशी चिकित्सा पद्धतियों/पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में परस्पर सहयोग शामिल है, 6 देशों यथा संयुक्त गणतंत्र तन्जानिया, तुर्कमेनिस्तान सरकार, ब्राजील गणतंत्र संघ, चीनी गणतंत्र, हंगरी गणतंत्र और यमन गणतंत्र के साथ किए गए हैं।

### दूरसंचार कार्य योजना

**2140. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हेतु निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के साथ प्रभावशाली प्रतिस्पर्धा के लिए 10 सूत्री कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2007 तक 200-250 मिलियन टेलीफोन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वार्षिक और मासिक लक्ष्यों के साथ एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है तथा एक समग्र व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

## पंजीकृत/गैर-पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां

**2141. डा. चिन्ता मोहन :**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"**

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 2.26 मिलियन लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं जबकि ऐसी गैर–पंजीकृत इकाइयों की संख्या 9.15 मिलियन है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अधिकांश गैर–पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां अपना पंजीकरण करवाकर सरकार से लाभ प्राप्त करने की इच्छुक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पंजीकृत और गैर–पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या सबसे अधिक है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इनकी संख्या न्यूनतम है?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :** (क) और (ख) जी हां। 2001–02 के संदर्भ वर्ष में लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार, 31-03-2001 तक 22,62,401 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। गणना के अनुसार, इसी संदर्भ वर्ष में अपंजीकृत लघु इकाइयों का एक सैंपल सर्वे भी किया गया। सैंपल सर्वे पर आधारित आकलनों ने स्पष्ट किया कि देश में 91,46,216 अपंजीकृत इकाईयां कार्यरत थीं।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण ने बताया कि 91,46,216 अपंजीकृत इकाइयों में से 92.99 प्रतिशत इकाइयां या तो पंजीकरण के प्रावधानों के प्रति जागरूक नहीं थीं या पंजीकरण के लिए इच्छुक नहीं थीं। इस सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट किए गए अपंजीकृत लघु इकाइयों के गैर–पंजीकरण के कारण निम्नलिखित हैं:

| क्रम संख्या | गैर–पंजीकरण के कारण | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | पंजीकरण के प्रावधानों से अवगत नहीं | 53.13 |
| 2. | दिलचस्पी नहीं | 39.86 |
| 3. | जटिल प्रक्रियाएं | 3.87 |
| 4. | स्थानीय कानून/नियम अनुमति नहीं देते | 1.76 |
| 5. | नगरपालिका आदि से क्लीयरेंस उपलब्ध नहीं | 1.38 |

(ङ) लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार, पंजीकृत और अपंजीकृत लघु इकाइयों की अधिकतम संख्या वाले राज्य क्रमशः तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश थे, जबकि क्रमशः लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र और सिक्किम राज्य में सबसे कम पंजीकृत और अपंजीकृत लघु इकाइयां हैं।

*[अनुवाद]*

## रेडक्रास सोसाइटी को केन्द्रीय सहायता

**2142. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंडियन रेड क्रास सोसाइटी को दी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडियन रेड क्रास सोसाइटी ने और अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रेडक्रास सोसायटी को सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है:–

1. वर्ष 2002–03 के दौरान 18.00 लाख रुपए
2. वर्ष 2003–04 के दौरान 18.00 लाख रुपए

वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान भारतीय रेडक्रास सोसायटी को जारी करने के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

## जिन्ना हाउस पाकिस्तान को सौंपा जाना

**2143. श्रीमती मनोरमा माधवराज :**
**श्री मोहन सिंह :**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित मो. अली जिन्ना हाउस केन्द्र सरकार के कब्जे में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान में इसे किस प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इसका प्रयोग करने हेतु केन्द्र सरकार से इस हाउस को उसे सौंपने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान इस हाउस को किस उद्देश्य के लिए चाहता है; और

(ङ) इस मामले के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या टिप्पणियां/आपत्तियां हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन जिन्ना हाउस का उपयोग सार्क उप-क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के रुप में करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान ने 1979 में अपने महाकौंसल के आवास के रूप में जिन्ना हाउस को पट्टे पर लेने का अनुरोध किया था।

(ङ) अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तानी अनुरोध को स्वीकार करने की अपनी अक्षमता से पाकिस्तान को अवगत करा दिया था।

## पत्तनों पर नई पीढ़ी के जलयानों का संचालन

**2144. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तन नई पीढ़ी के जलयानों का संचालन करने में असमर्थ हैं क्योंकि पोत-परिवहन कंपनियाँ लाभ के मद्देनज़र अपेक्षाकृत बड़े जलयानों को चुन रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जवाहरलाल नेहरू-पत्तन-न्यास ने विस्तारण और गहरा करने की योजना तथा इस परियोजना की लागत भागीदारी के वित्तीय तौर तरीके प्रस्तुत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) सार्वभौमिक (वैश्विक) रूप से तुलनीय पत्तन-अवसंरचना की कमी, मुख्य रूप से, पत्तन से जुड़े जलमार्गों और बेसिनों में अपर्याप्त गहराई तथा सामान सँभालने की दृष्टि से घाटों, टर्मिनलों, उपस्करों इत्यादि से संबंधित सुविधाओं की अपर्याप्तता, भारतीय पत्तनों की नये बनाए गए जलयानों को संभालने और उन्हें संचालित करने की क्षमता को सीमित कर देती है।

(ख) से (घ) समुद्री व्यापार से जुड़ी माँगों से ताल-मेल कायम रख कर, उन्हें पूरा करने के लिए महापत्तनों को विकसित करते रहने और उनका विस्तार करते रहने की प्रक्रिया, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में महापत्तन, अपने यहाँ आने वाले जलयानों के डुबाव से जुड़ी आवश्यकता से ताल-मेल रखने के लिए इन पत्तनों से जुड़े बेसिनों तथा जलमार्गों को पहले से और अधिक गहरा करने के लिए, समय-समय पर, प्रमुख (कैपिटल) निकर्षण से जुड़ा कार्य भी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू-पत्तन-न्यास ने अपने क्षेत्र में कंटेनरों का संभालने वाले एक अग्रणी पत्तन के रूप में उभरने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अपने एकीकृत विकास की योजना बनाई है। उपर्युक्त योजना में बड़े आकार के जलयानों को उपर्युक्त पत्तन पर आने के लिए आकृष्ट करने हेतु पत्तन से जुड़े जलमार्ग को, चरणों में, पहले से और अधिक गहरा किया जाना, अपने मौजूदा टर्मिनलों में कंटेनरों को सँभालने के लिए जरूरी उपस्करों का उन्नयन किया जाना तथा उन्हें बढ़ाया जाना एवं अपने मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार किया जाना, कंटेनरों को संभालने के लिए नये टर्मिनलों का कायम किया जाना, भावी यातायात से संबंधित अनुमानों को ध्यान में रख कर, कंटेनरों को शीघ्रता से खाली करने और उनकी निकासी शीघ्र करने के लिए आंतरिक परिचालन-प्रणालियों (व्यवस्थाओं) और उपर्युक्त पत्तन-क्षेत्र में मौजूद सहायक सुविधाओं में बेहतरी लाया जाना, उपर्युक्त पत्तन का उसकी पश्चभूमि से, सड़क और रेल से संपर्क का बढ़ाया जाना परिकल्पित है। इन परियोजनाओं में सरकारी और गैर सरकारी हिस्सेदारी के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि में कुल 15,000 करोड़ रु. की धनराशि का निवेश किए जाने का अनुमान है।

## डीलरों/वितरकों की नियुक्ति

**2145. श्री संतोष गंगवार** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. के उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल में मोबाइल सेवा विपणन हेतु डीलरों/वितरकों की नियुक्ति दो वर्षों के लिए की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें खुली निविदा के माध्यम से नियुक्त किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या निविदा में दो वर्षों से अधिक कार्यकाल बढ़ाने संबंधी निबन्धन एवं शर्तों का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निविदा के उपबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके अन्तर्गत वर्ष 2004 के दौरान फ्रेंचाईज नियुक्त किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) करार के प्रासंगिक खंड का नीचे पुनः उल्लेख किया जाता है;

"करार अपने लागू होने की तिथि से 2 (दो) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और यह ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर बढ़ाया जा सकता है जैसा कि बीएसएनएल करार समाप्ति के 2 (दो) माह पूर्व विक्रेताओं/वितरकों को सूचित करे।"

(ङ) और (च) जी, नहीं। फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति विस्तार खंड के तहत नहीं की गई। तथापि, बीएसएनएल की नई फ्रेंचाइजी नीति के अनुसार वर्ष 2004 में फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति की गई। इस प्रक्रिया में कुल 42 (बयालीस) विक्रेताओं/वितरकों में से अब तक कुल 35 (पैंतीस) फ्रेंचाइजी नियुक्त किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

### सुनामी लहरों संबंधी अध्ययन

**2146. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री मुन्शी राम :**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**

क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनामी लहरों ने तीन वर्ष पूर्व भारत के तटीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### फाइलेरिया ज्वर के मामले

**2147. श्री ए. वी. बेल्लारमिन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में फाइलेरिया ज्वर के बढ़ते मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर काबू पाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुनर्वास का लाभ उठाने के उद्देश्य से फाइलेरिया ज्वर के पीड़ितों को विकलांग व्यक्तियों की सूची में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दमण एवं द्वीव में माइक्रो-फाइलेरिया दर में वृद्धि हुई है। राज्यों द्वारा सूचित माइक्रो-फाइलेरिया की राज्यवार दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:-

1. प्रभावित क्षेत्रों में दो वर्ष से कम आयु के बच्चों गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों के लिए पांच वर्ष या अधिक समय तक वार्षिक मास .ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
2. जिन लोगों को पहले से ही रोग है और चिह्नित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों मे बड़े स्तर के हाइड्रोसिल आपरेशन वाले रोगियों का घर पर इलाज तथा लिम्फोडेमा के रोगियों का घर पर इलाज करने के लिए क्षमता निर्माण।
3. अनुमोदित लार्वानाशकों से साप्ताहिक लार्वारोधी आपरेशन, लार्वानाशी मछलियों से जैवनियंत्रण, पर्यावरणिक इंजिनियरी, जल प्रबंधन से स्त्रोतों में कमी लाना तथा कीटनाशक उपचारित मच्छर-दानियों का प्रयोग करके वैयक्तिक सुरक्षा।

भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस आयोजित करती है जिसके दौरान स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में पात्र दम्पतियों की डाइथेलकार्बामाजिन साइट्रेट (डी ई सी) की वार्षिक एकल खुराक दी जाती है।

(घ) और (ङ) इस समय फाइलेरिया से पीड़ित लोगों को पुनर्वास लाभ प्राप्त करने के लिए अपंग व्यक्तियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### *विवरण*

| क्र.सं. | राज्य | माइक्रो फाइलेरिया दर (प्रतिशत) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.85 | 1.36 | 1.14 | 0.76 | 0.57 |
| 2. | असम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 0.52 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.51 |
| 4. | गोवा | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.10 |
| 5. | गुजरात | 0.19 | 0.24 | 0.01 | 0.14 | 0.46 |
| 6. | कर्नाटक | 1.27 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.50 |
| 7. | केरल | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.27 | 0.22 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 3.12 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 1.02 |
| 9. | महाराष्ट्र | 1.20 | 1.36 | 1.29 | 1.10 | 1.00 |
| 10. | उड़ीसा | 1.17 | 1.44 | 1.30 | 1.85 | 1.39 |
| 11. | तमिलनाडु | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 1.22 | 0.70 | 0.75 | 0.89 | 1.81 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 5.54 | 4.75 | 3.29 | 4.85 | 4.42 |
| 14. | पांडिचेरी | 0.97 | 1.03 | 0.49 | 0.22 | 0.17 |
| 15. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.18 | 0.7 | 0.66 | 0.08 | 0.00 |
| 16. | दमन और दीव | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.41 |
| 17. | लक्षद्वीप | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | झारखंड | | 1.07 | 0.25 | 0.03 | 0.15 |

### कंटेनर सीक्योरिटी इनीशिएटिव

**2148. श्री बसुदेव आचार्य :**

**श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

**श्री किन्जरपु येरननायडु :**

**श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमेरिका समर्थित कंटेनर सीक्योरिटी इनीशिएटिव में भागीदारी करने का निर्णय ले लिया है जैसा कि दिनांक 7 फरवरी, 2005 के "द इकोनॉमिक टाइम" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे भारत को क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी आर. बालू) :** (क) जी, हाँ। सरकार ने समुचित विचार-विमर्श करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्नत की गई कंटेनरों की सुरक्षा से संबंधित पहलकदमियों में सम्मिलित होने का निर्णय किया है।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम का ब्योरा, विदेश-मंत्रालय में एक दल द्वारा तैयार किया जाना है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क-बोर्ड और अन्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करने हेतु रखे जाएँगे।

(ग) उपर्युक्त (ख) में किए गए उल्लेख के मद्देनज़र, कंटेनरों की सुरक्षा की पहलक़दमी को कार्यान्वित करने पर खर्च होनी संभावित अनुमानित धनराशि का इस समय पता लगा पाना संभव नहीं है।

(घ) कंटेनरों की सुरक्षा से संबंधित पहलक़दमी की परियोजना कार्यान्वित किए जाने से आयात और निर्यात दोनों ही के लिए प्रयुक्त कंटेनरों की सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रचालित प्रणालियाँ अपनाने के लाभ उठाए जा सकेंगे। इससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से सुचारु व्यापारिक संबंध विकसित करने के प्रति प्रेरक सहायक और अनुकूल वातावरण भी क़ायम किया जा सकेगा तथा इससे निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

### इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

**2149. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**

**श्री लोनापन नम्बाडन :**

**श्री पी. के. वासुदेवन नायर :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोच्चि के वल्लार पदम से प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का शिलान्यास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इसको कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने कोच्चि के ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई आई ए) का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) जी, हाँ।

(ख) कोचीन–पत्तन–न्यास ने राजीव गांधी–कंटेनर–टर्मिनल का संचालन और उसका प्रबंधन करने तथा बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरित कर दो के आधार पर, अन्तरराष्ट्रीय कंटेनर–यानान्तरण–टर्मिनल विकसित करने और उसे संचालित करने के लिए दिनांक 31.01.2005 को दुबई पोर्टस् इंटरनेशनल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के एक अंग के रूप में इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड से एक लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपर्युक्त करार में अन्तरराष्ट्रीय कंटेनर–यानान्तरण टर्मिनल से संबंधित परियोजना का समय–बद्ध कार्यान्वयन परिकल्पित है। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर, उपर्युक्त परियोजना से संबंधित काम–काज संचालित करने वाला उपुर्यक्त अभिकरण, आरंभ में, अन्तरराष्ट्रीय कंटेनर– यानान्तरण–टर्मिनल के कार्य करने लगने देने तक, मौजूदा राजीव गांधी कंटेनर–टर्मिनल को और अधिक विकसित करने एवं उसे संचालित करने के लिए उसे अपने अधिकार में ले लेगा। सरकार सामान्य प्रयोक्ता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाएँ, अर्थात् टर्मिनलों से संबंधित रेल और सड़क से सम्पर्क की सुविधा और नौचालन की दृष्टि से जल–मार्गों में पर्याप्त गहराई की सुविधा सुलभ करवाने के आवश्यक कदम उठाएगी। बनाओ, चलाओ ओर हस्तांतरित कर दो के आधार पर, उपर्युक्त परियोजना से संबंधित कार्य संचालित करने वाले अभिकरण द्वारा उपर्युक्त परियोजना को चरणों में विकसित किए जाने पर, 2118 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। सामान्य प्रयोक्ता द्वारा प्रयुक्त की जाने वालीं अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुलभ करवाए जाने पर सरकार/उपर्युक्त पत्तन–न्यास द्वारा 881 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का अनुमान है। उपर्युक्त परियोजना से संबंधित कार्य पूरा हो जाने पर, उपर्युक्त टर्मिनल, 30 लाख ट्वेंटी फीट ईक्विलेंट यूनिट (टी ई यू. एस) कंटेनर–यातायात संभालने की सुविधाओं से सम्पन्न हो जाएगा। उपर्युक्त टर्मिनल में 8000 टी ई यू एस तक के आकार के जलयान सँभाले जा सकेंगे।

(ग) उपर्युक्त करार के अनुसार, उपर्युक्त करार निष्पादित किए जाने की तारीख से 8 सप्ताहों में, उपर्युक्त पत्तन–न्यास द्वारा, राजीव गांधी–कंटेनर–टर्मिनल, बनाओ चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर, उपर्युक्त परियोजना से संबंधित कार्य संचालित करने वाले अभिकरण को सौंप दिया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त करार में परिकल्पित समय–सीमाओं के अनुसार, उपर्युक्त लाइसेंस–करार निष्पादित किए जाने की तारीख के बाद, 04 वर्ष के भीतर, अन्तरराष्ट्रीय कंटेनर–यानान्तरण टर्मिनल में वाणिज्यिक काम–काज संचालित करने लगने दिया जाना नियत है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय समुद्र–विज्ञान–संस्थान, कोची के माध्यम से, कोचीन–पत्तन–न्यास ने अन्तरराष्ट्रीय कंटेनर–यानान्तरण–टर्मिनल से जुड़ी परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन से संबंधित अध्ययन कर लिया है। राष्ट्रीय समुद्र–विज्ञान–संस्थान ने उपर्युक्त परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में सभी मौसमों में विस्तृत क्षेत्रीय प्रेक्षण कर लिए हैं और उपर्युक्त संस्थान ने उपर्युक्त परियोजना में प्रस्तावित कार्य–कलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का भी पता लगाने के साथ–साथ, जहाँ कहीं लागू हो, वहाँ ऐसे प्रभावों को हल्का करने के उपाय भी सुझाए हैं। उपर्युक्त संस्थान द्वारा पता लगाए गए प्रत्याशित प्रभाव, मुख्य रूप से, नौचालन से संबंधित जल–मार्ग में प्रस्तावित निकर्षण से संबंधित काम–काज के संचालन द्वारा पड़ने वाले प्रभाव हैं। इन प्रभावों में कोचीन–ज्वारमुख की आकारिकी (मॉर्फोलॉजी) में आने वाले बदलाव और ज्वार के प्रवाह, सम्प्रवहक दर, लवणीयता में अन्तर/लवणीयता अन्तर्भेदन, तलछटीकरण, इत्यादि परिणामी बदलाव शामिल है। इस बारे में राष्ट्रीय समुद्र–विज्ञान–संस्थान की यह सुविचारित राय है कि ये प्रभाव स्थानीय हैं, अर्थात् ये प्रभाव, बन्दरगाह बेसिन के अन्तर्गत ही सीमित हैं और इनसे कोचीन–पत्तन–क्षेत्र के ज्वार की प्रणाली (रेजीम) की विशेष प्रकृति होने के कारण ऊपरी क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

2150. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003–04 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) वर्ष 2002–03 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी मलिन बस्तियों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से बहुत कम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(छ) ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों की आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस)** : (क) जी, हां।

(ख) देश में वास्तविक अर्थों में (1993–94 मूल्यों पर) प्रति

व्यक्ति आय 2002–03 में 11013/– रु. से 2003–04 में 11799 रु. हो गई है।

(ग) राष्ट्रीय आय वित्तीय अर्थों में निश्चित रूप से बिना पुनरावृत्ति के समयबद्ध अवधि (सामान्यतः एक वर्ष) के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादित मालों तथा प्रदत्त सेवाओं के परिणामों का मापक है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है। मध्य–वर्ष जनसंख्या द्वारा विभाजित कारक लागत पर राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आकलित राष्ट्रीय आय संबंधी उपलब्ध आंकड़े प्रचलित मूल्यों पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (एन डी पी) केवल 1970–71, 1980–81 तथा 1993–94 वर्षों के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। वर्ष 2002–03 के शहरी तथ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध नहीं है। हालांकि वर्ष 1993–94 के राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में 5783 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 13525 रु. अनुमानित किया गया है।

(ङ) के.सां.सं. शहरी मलिन बस्तियों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान अलग से संकलित नहीं करता।

(च) वर्ष 1993–94, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय के उपलब्ध अनुमान का नवीनतम वर्ष है, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत 7834 रु. के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 5783 रु. थी।

(छ) प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए दोहरी रणनीति तैयार की गई है, अर्थात् (i) सकल घरेलू उत्पाद की उच्चतर वृद्धि दर प्राप्त कर तथा (ii) रोजगार और आय वृद्धि कार्यक्रमों और गरीबों के लिए संपत्ति निर्माण द्वारा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई), ग्रामीण हाऊसिंग–इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) तथा कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन एफ डब्ल्यू पी) तथा शहरी क्षेत्रों के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) शामिल है।

### जी-8 देशों से दान सहायता

**2151. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष सितम्बर/में अपने निर्णय को बदलते हुए जी–8 देशों में दान सहायता के प्रवाह को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, क्या यह निर्णय जी–8 देशों को औपचारिक रुप से प्रेषित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने भारत की आर्थिक नीति में उदारवाद और सुधार की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय विकास सहयोग की नीति की समीक्षा की है। द्विपक्षीय विकास सहायता अब जापान, ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूसी परिसंघ नामक समस्त जी–8 देशों के साथ–साथ यूरोपीय आयोग से स्वीकार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी सहायता जी–8 से अलग यूरोपीय संघ के देशों से भी हासिल की जाएगी, बशर्तें भारत को दी जाने वाली न्यूनतम द्विपक्षीय सहायता पैकेज प्रतिवर्ष 25 मिलियन अमरीकी डालर हो। इस नीति में एक सरल प्रक्रिया को भी अपरिहार्य बनाया गया है जिससे द्विपक्षीय सहायता गैर–सरकारी संगठनों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं तक आसानी से पहुंच सके।

### असम के निचले क्षेत्रों के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयां

**2152. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के निचले क्षेत्रों में बेरोजगार जनजातीय युवकों के लिए रोजगार उत्पन्न कर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में वृद्धि करने के उद्देश्य से जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में कुछ लघु उद्योग स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी और जारी की गयी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्रों में "उद्योगों व्यापार और वाणिज्य के लिए समेकित अवसंरचना" स्थापित करने का प्रस्ताव है·

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :** (क) से (ग) लघु उद्योगों का विकास प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) की सरकारों/प्रशासन का दायित्व है। तथापि केन्द्र सरकार, क्रेडिट, आधारभूत संरचनात्मक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) की सरकारों/प्रशासन के प्रयासों का समर्थन एवं अनुपूरण करती हैं। ये असम राज्य सहित देशभर में कार्यान्वित किए जाते हैं। निधियों का आबंटन योजनावार किया जाता है न कि राज्यवार।

(घ) और (ङ) सरकार ने एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई आई डी) योजना आरंभ की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं जैसे विद्युत, जल, सड़कें, संचार, विपणन आउटलेटों के सृजन/उन्नयनीकरण तथा इकाइयों की स्थापना और रोजगार सृजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सामान्य सेवाओं की परिकल्पना की गई है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार करने और इन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से अनुमोदित कराने की आवश्यकता है। सिडबी की सिफारिशों के आधार पर सरकार आई आई डी केन्द्र स्थापित करने के लिए परियोजनाएं संस्वीकृत करती हैं। अब तक भारत सरकार द्वारा छह आईआईडी केन्द्र, नौगांव, दारांग, काचर, सिवसागर, कामरूप और जोरहाट प्रत्येक जिले के एक, संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, कामरूप जिले का आईआईडी केन्द्र निचले असम में पड़ता है। इन छह केन्द्रों के लिए 10.50 करोड़ रु. का केन्द्रीय अनुदान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कामरूप जिले में आईआईडी केन्द्र के लिए 80 लाख रु. शामिल हैं।

(च) भाग (घ) और (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### सार्वजनिक दूरभाष बूथों का कार्यकरण

**2153. श्री रामदास आठवले :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार सार्वजनिक दूरभाष बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि बूथ खराब पड़े रहते हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक दूरभाष बूथ बंद किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन सार्वजनिक दूरभाष बूथों के कार्यकरण को सुचारू एवं संतोषजनक बनाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रभावी कदम क्या हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल के तहत कार्यरत पीसीओ की राज्यवार संख्या 2106150 है। जिसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी, नहीं। सार्वजनिक टेलीफोन बूथ सामान्यतः संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि कभी-कभी कुछ बूथ नियंत्रण से बाहर कुछ कारणों जैसे अन्य एजेंसियों द्वारा सड़कों की खुदाई के कारण भूमिगत केबलों को क्षति होने, भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं आदि के चलते खराब हो जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान बंद हुए पीसीओ की संख्या 269372 है। इनके बंद होने के निम्न कारण हैः-

(i) फ्रेंचाइजी को रोजगार मिलना जो पहले बेरोजगार थे।

(ii) फ्रेंचाइजी का किसी अन्य शहर में चले जाना।

(iii) फ्रेंचाइजी का किसी अन्य व्यवसाय में लग जाना।

(iv) अन्य निजी आपरेटरों की तरफ चले जाना।

(v) फ्रेंचाइजी की मृत्यु।

(vi) भुगतान न होने के कारण बंद होना।

(vii) पल्स दर में परिवर्तन के कारण संग्रहण में गिरावट।

(ङ) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के सुचारू और संतोषजनक कार्यकरण के लिए उठाए गए कदमः

(i) एसडीसीसी (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों) स्तर पर केन्द्रीयकृत दोष बुकिंग।

(ii) पीसीओ का दैनिक परीक्षण।

(iii) कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वास्तविक निरीक्षण

(iv) दोषपूर्ण पीसीओ की मरम्मत को प्राथमिकता

(v) ड्राप वायर संबंधी दोषों को कम करने के लिए खंभा रहित नेटवर्क का निर्माण।

***विवरण***

*28.2.2005 की स्थिति के अनुसार कार्यरत स्थानीय और एसटीडी/आईएसडी पीसीओ की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | पीसीओ की संख्या | गत तीन वर्षों के दौरान बंद हुए पीसीओ की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1008 | 7 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 220387 | 35658 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | असम | 22610 | 2078 |
| 4. | बिहार | 55359 | 5249 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 8128 | 2112 |
| 6. | दिल्ली | 102800 | 20597 |
| 7. | दादर और नगर हवेली | 593 | 137 |
| 8. | दमन और दीव | 975 | 122 |
| 9. | गुजरात | 140200 | 19787 |
| 10. | हरियाणा | 35720 | 7341 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 9790 | 515 |
| 12. | जम्मू–कश्मीर | 15275 | 922 |
| 13. | झारखंड | 15906 | 847 |
| 14. | कर्नाटक | 225925 | 17248 |
| 15. | केरल | 310 | 8371 |
| 16. | लक्षद्वीप | 72 | 0 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 52123 | 10685 |
| 18. | महाराष्ट्र मुम्बई एमटीएनएल सहित | 437740 | 37268 |
| 19. | गोवा | 11886 | 1340 |
| 20. | मेघालय | 1895 | 203 |
| 21. | मिज़ोरम | 649 | 0 |
| 22. | त्रिपुरा | 2355 | 220 |
| 23. | नागालैंड | 1547 | 620 |
| 24. | मणिपुर | 1834 | 233 |
| 25. | अरूणाचल प्रदेश | 1534 | 149 |
| 26. | उड़ीसा | 31503 | 2634 |
| 27. | पंजाब चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित | 44188 | 12872 |
| 28. | राजस्थान | 65149 | 9267 |
| 29. | तमिलनाडु | 238251 | 37215 |
| 30. | पांडिचेरी | 2855 | 337 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 146622 | 15435 |
| 32. | उत्तरांचल | 12736 | 576 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 107484 | 20921 |
| 34. | सिक्किम | 741 | 38 |
|  | कुल | 2106150 | 269372 |

*[अनुवाद]*

### स्टेम कोशिका अनुसंधान

**2154. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में स्टेम कोशिका से संबंधित नैतिक मुद्दों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैव–चिकित्सा अनुसंधान पर कोई ऐसे नैतिक अनुदेश तैयार और अनुमोदित किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में स्टेम कोशिका अनुसंधान की निगरानी के लिए किसी विनियामक निकास का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) मोलेक्यूलर मेडिसिन एंड हेल्थ पर बायो–एशिया सिम्पोजियम का आयोजन हैदराबाद में किया गया जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें से एक विषय "स्टेम कोशिका अनुसंधान–भारतीय और वैश्विक परिदृश्य" था। स्टेम कोशिका अनुसंधान के विधिक और नैतिक विषयों पर दूसरी संगोष्ठी का आयोजन रेनबैक्सी साईंस फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद में 5 मार्च, 2005 को किया गया।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मानव अनुसंधान पर केन्द्रीय नीति विषयक समिति ने नीति संबंधी दिशानिर्देशों पर "मानविकी विषयों पर जैव–चिकित्सीय अनुसंधान के लिए नीति विषयक दिशानिर्देश" नामक एक सैट तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया गया है और मानव अनुसंधान में लगे हुए देश की सभी वैज्ञानिक संस्थाओं में अनुपालनार्थ परिचालित किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा "मानविकी विषयों पर जैव–चिकित्सीय अनुसंधान के लिए तैयार किए गए नीति–विषयक दिशानिर्देशों पर विधान बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) अभी ऐसा कोई निकाय गठित नहीं है, यद्यपि दिशानिर्देशों में देश में स्टेम कोशिका अनुसंधान कार्यकलापों को मानीटर करने के लिए एक बहु–विषयक राष्ट्रीय स्तर की शीर्षस्थ समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है। इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्टेम कोशिका अनुसंधान को मानीटर करने तथा समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

### राष्ट्रीय आपदाओं पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समिति

**2155. श्री सुरेश कलमाडी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रबंधन की समस्याओं को हल करने में भारत की रणनीति में वृहत भूमिका अदा करने के उद्देश्य से कोई राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### डाक सेवाओं का निजीकरण

**2156. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिन क्षेत्रों में डाकघर नहीं है वहां डाकघर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए निजी पार्टियों के साथ फ्रैंचाईजिंग समझौते/व्यवस्था करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई डाकघर नेटवर्क नहीं हैं वहां डाक सेवाओं का निजीकरण करने के क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) जी हां। डाकघर सुविधाओं को फ्रैंचाईज करना डाक नेटवर्क के विस्तार का एक विकल्प है जिस पर विभाग भविष्य में विचार करेगा। हालांकि, ऐसी फ्रैंचाईजिंग व्यवस्थाएं निजी पार्टियों तक सीमित नहीं रखी जाएगी। इस विकल्प पर ऐसी जगह विचार किया जाएगा जहां डाकघर खोलने संबंधी मानदण्डों के पूरा न होने के कारण अथवा जगह की अनुपलब्धता के कारण डाकघर खोलना संभव न हो।

(ग) डाक सेवाओं के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बजटीय संसाधनों पर और अधिक निर्भर न रहते हुए आधारभूत डाक सुविधाओं तक पहुंच के विस्तार के लिए इनको फ्रैंचाईज करना 'एक इष्टतम विकल्प माना गया है।

### वार्षिक योजना में कुल परिव्यय

**2157. श्री भर्तृहरि महताब :**

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005–06 हेतु वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कुल परिव्यय और आर्थिक वृद्धि, कृषि एवं औद्योगिक वृद्धि के राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क विद्युत और पर्यावरण, वन सहित सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना के लिए कितना आबंटन किया गया है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) और (ख) चौबीस राज्यों के लिए वार्षिक योजना 2005–06 के आकार को अंतिम रूप दे दिया गया है। संलग्न विवरण–I के रूप में ब्यौरा संलग्न है। प्रत्येक क्षेत्रक/एरिया में राज्यों की वार्षिक विकास दर के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) पांच राज्यों के लिए वार्षिक योजना 2005–06 के परिव्यय के क्षेत्रवार आबंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

### *विवरण-I*

*राज्यों की वार्षिक योजना 2005–06 का परिव्यय*

(करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | सहमत परिव्यय |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंन्ध्र प्रदेश | # |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 950.00 |
| 3. | असम | 3000.00 |
| 4. | बिहार | # |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4275.00 |
| 6. | गोवा | # |
| 7. | गुजरात | 11000.00 |
| 8. | हरियाणा | # |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1600.00 |
| 10. | जम्मू–कश्मीर | 4200.00 |
| 11. | झारखंड | 4510.12 |
| 12. | कर्नाटक | 13555.00 |
| 13. | केरल | 5369.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7471.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 11000.00 |
| 16. | मणिपुर | 915.00 |
| 17. | मेघालय | 800.00 |
| 18. | मिजोरम | 685.00 |
| 19. | नागालैण्ड | 620.00 |
| 20. | उड़ीसा | 3000.00 |
| 21. | पंजाब | 3550.00 |
| 22. | राजस्थान | 8350.00 |
| 23. | सिक्किम | 500.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 9100.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 804.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 13500.00 |
| 27. | उत्तरांचल | 2700.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 6476.00 |

**# : योजना आकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।**

### *विवरण-II*

*राज्यों की वार्षिक योजना 2005–06 का क्षेत्र वार आबंटन*

(करोड़ रु.)

| क्र.सं. | विकास के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष | झारखण्ड | मध्य प्रदेश | राजस्थान | उत्तर प्रदेश | उत्तरांचल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप | 227.90 | 384.71 | 219.99 | 854.69 | 242.73 |
| II. | ग्रामीण विकास | 820.90 | 658.48 | 735.56 | 1255.72 | 161.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 264.29 | 303.90 | 55.07 | 1133.62 | 4.57 |
| IV. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 450.00 | 1641.58 | 1045.07 | 1951.36 | 77.57 |
| V. | ऊर्जा | 415.00 | 1365.11 | 1999.08 | 715.33 | 475.08 |
| VI. | उद्योग और खनिज | 100.00 | 51.15 | 108.99 | 393.21 | 258.07 |
| VII. | परिवहन | 450.00 | 651.64 | 781.55 | 1757.96 | 399.66 |
| VIII. | संचार | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IX. | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण | 30.00 | 16.06 | 2.97 | 45.68 | 6.00 |
| X. | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 91.42 | 177.53 | 305.13 | 617.73 | 80.65 |
| XI. | सामाजिक सेवाएं | 1426.07 | 2113.67 | 2831.97 | 4735.62 | 920.14 |
| XII. | सामान्य सेवाएं | 184.54 | 107.17 | 264.62 | 39.08 | 74.00 |
|  | सकल जोड़ | 4510.12 | 7471.00 | 8350.00 | 13500.00 | 2700.00 |

## मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या

2158. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या हेतु गत तीन वर्षों के दौरान बजट आबंटन कुल स्वास्थ्य बजट के एक प्रतिशत से भी कम रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष 2005–06 में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अधिक धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) केन्द्र सरकार, मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के कार्य में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 9253 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 139 करोड़ रुपए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटित किए गए हैं जो कुल आबंटन का लगभग 1.5% है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजनावधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के वास्ते राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलूर और केन्द्रीय मनश्चिकित्सीय संस्थान, रांची के लिए क्रमशः 120 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रूपए की धनराशि नियत की गई है। यह धनराशि इन संस्थाओं को जारी किए गए गैर–योजनागत धन के अतिरिक्त है।

चालू वर्ष 2004–05 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को संशोधित अनुमान अवस्था पर 21 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। वर्ष 2005–06 के लिए इस प्रयोजन के वास्ते 40 करोड़ रुपए की धनराशि नियत की गई है।

## दसवीं योजना में असम में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

2159. **श्री किरिप चालिहा** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान आधुनिक एवं परिष्कृत दूरभाष केन्द्रों को खोलकर असम में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा यह दर्शाती है कि उपलब्धियां लक्ष्य से कम हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा योजना अवधि के अन्त तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) असम सहित सभी सर्किलों में दूरसंचार विकास कार्य की योजना वार्षिक आधार पर बनाई जाती है। दसवीं योजना अवधि के दौरान असम सर्किल में इससे संबंधित लक्ष्यों और उनके अनुरूप उपलब्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।.

(ख) जी, नहीं, अधिकांश लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है और उनकी उपलब्धि का पैटर्न देश के अन्य क्षेत्रों के समान ही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनज़र लागू नहीं होता।

(घ) लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मांग को पूरा करने के लिए मोबाइल सेवाओं की योजना बनाई गई है। वर्ष 2005–06 के लिए 1,80,000 मोबाइल कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए समय पर आवश्यक स्विचन तथा पारेषण उपस्कर प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।

### *विवरण*

| क्र.सं. | पैरामीटर | 2002–03 | | 2003–04 | | 2004–05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि (31.01.2005 तक) |
| 1. | नए टेलीफोन एक्सचेंज | 50 | 62 | 20 | 26 | 0 | 1 |
| 2. | स्विचन क्षमता (स्थिर+ डब्ल्यूएलएल) (लाइनें) | 90200 | 95752 | 26000 | 68692 | 18000 | 6663 |
| 3. | सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या) | 75000 | 64750 | 83000 | 49771 | 213600 | 140495 |
| 4. | आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.) | 600 | 644.92 | 750 | 973.46 | 552 | 282 |
| 5. | माइक्रोवेव (रूट कि.मी.) | 100 | 215.1 | 75 | 174.8 | शून्य | 217.5 |
| 6. | वीपीटी (संख्या) | 1000 | 1007 | 4300 | 1354 | 5021 | 1913 |
| 7. | टीएक्स (केसी) | 16 | 17 | 18 | 20 | 8 | 0 |

## दवाइयों की सुलभता/उपलब्धता

**2160. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, ब्राजील और चीन में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) से बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं जन स्वास्थ्य संबंधी आयोग से कोई शिष्टमंडल आया है;

(ख) क्या इस दौरे के दौरान आयोग की सर्वोच्च कार्यसूची में भारत और अन्य देशों के व्यक्तियों को दवाइयों की सुलभता, उपलब्धता और सुगमता के प्रावधान करना था; और

(ग) भारत सहित सभी देशों में औषधियों की सुलभता किस सीमा तक प्राप्त हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन "विकासशील देश को अधिक प्रभावित करने वाले रोगों के लिए नई दवाएं एवं अन्य उत्पाद तैयार करने हेतु समुचित वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन तंत्रों के प्रश्न सहित बौद्धिक संपदा अधिकार, नई पहल एवं जन स्वास्थ्य का विश्लेषण करने" के लिए "बौद्धिक संपदा अधिकार, नई पहल और जन स्वास्थ्य संबंधी आयोग" गठित किया है।

इस आयोग ने जन स्वास्थ्य वैज्ञानिकों, औषध निर्माता संघों, गैर–सरकारी संगठनों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रतिनिधियों के अभ्यावेदन पर सुनवाई के लिए नवम्बर, 2004 में भारत का दौरा किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) और पेटेंट अधिनियम, 1970 और बाद में किए गए संशोधन तथा भारत में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और औषध नीतियों पर परिदृश्य प्रस्तुत किया।

यह आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जिसके बारे में मई, 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के साथ विचार किए जाने की आशा है।

## गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

**2161. श्री जसुभाई दानाभाई बारड :** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान गुजरात में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(ख) क्या राज्य के सभी एक्सचेंजों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. और इंटरनेट सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों को ये सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) नौवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 1827 है।

(ख) और (ग) जी हां, 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल 3290 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। इन सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एसटीडी/आईएसडी और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं।

(घ) पैरा (ख) और (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) आवेदन करने पर ग्राहकों को एसटीडी/आईएसडी और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है।

*[हिन्दी]*

### सी फ्लोर प्रेशर रिकार्डिंग सिस्टम

**2162. श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सम्पूर्ण समुद्री तट पर 'सी फ्लोर प्रेशर रिकार्डिंग सिस्टम' स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में सुनामी तबाही को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को शीघ्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। सुनामी पैदा करने वाले भूकंप के दो अभिनिर्धारित स्त्रोतों द्वारा उत्पन्न होने वाली सुनामी लहरों के मॉनीटरन के लिए समुद्र तल दाब रिकार्डिंग प्रणाली (सी फ्लोर प्रेशर रिकॉर्डिंग सिस्टम) उपयुक्त ढंग से लगाई जाएगी।**

**(ख) और (ग)** सरकार 125 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 2½ वर्ष में 'सुनामी और तूफान महोर्मि चेतावनी प्रणाली' **स्थापित कर रही है। इस प्रणाली के निम्नलिखित भाग हैं:**

- **सुनामी पैदा करने वाले भूकंप आने के लगभग वास्तविक समय का पता लगाने के लिए मौजूदा भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना**
- **हिन्द महासागर में वास्तविक समय संयोजन के साथ समुद्र तल के निकट उपयुक्त स्थानों पर तल दाब रिकॉर्डर स्थापित करना**
- **ज्वारमापी और डाटा ब्वॉय नेटवर्किंग**
- **समूचे तट के लिए आप्लावन दृश्यलेखों की मॉडलिंग**
- **सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सुनामी तथा तूफान महोर्मि परामर्शी सूचनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र की स्थापना।**

*[अनुवाद]*

### कर्नाटक में आयुर्वेद पार्क

**2163. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक में आयुर्वेद पार्क की स्थापना के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना हेतु निर्धारित राशि कुल कितनी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

**2164. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
**श्री राजेश वर्मा :**
**श्री दुष्यंत सिंह**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने नाभिकीय विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त सहयोग आरम्भ करने के लिए आरम्भिक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एन. पी. सी. आई. एल. द्वारा निहित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी दो वर्षों में नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) वर्ष 2005–06 के लिए नाभिकीय विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(ङ) क्या ताप और जल विद्युत उत्पादन परमाणु विद्युत उत्पादन से महंगा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** (क) जी, नहीं।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 2005–06 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु प्रस्तावित परिव्यय 5139.96 करोड़ रुपए है। दसवीं योजनावधि के 'मध्यावधि मूल्यांकन' (एमटीए) के आधार पर वर्ष 2006–07 के लिए प्रत्याशित परिव्यय लगभग 7000 करोड़ रुपए है। इन परिव्ययों की पूर्ति, बजटीय सहायता, बाजार से उधार लेकर, कुडनकुलम परियोजना के लिए विदेशी ऋण और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंतरिक स्त्रोतों द्वारा की जानी है। ये परिव्यय, अधिकांशतः निर्माणाधीन परियोजना के लिए है।

(घ) वर्ष 2005–06 में परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 15560 मिलियन यूनिट (एमयूज़) है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) ऊपर (ङ) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### प्रकाश स्तंभों और प्रकाश पोतों का नवीकरण

**2165. श्री सुग्रीव सिंह :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों में आने और जाने वाले पोतों को प्रकाश स्तंभों और प्रकाश पोतों को अदायगी करनी पड़ती है;

(ख) यदि हाँ, तो पत्तन–वार गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में प्रकाश स्तंभों और प्रकाश पोतों को सुदृढ़/विस्तार/नवीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो 2002–03 और 2003–04 के दौरान पत्तन–वार आबंटित धनराशि और उसमें से वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) :** जी, हाँ। विदेश यात्राओं पर जाने वाले सभी पोत, 30 दिन में एक बार, निवल पंजीकृत टनभार के आधार पर 8 रु. प्रति टन की दर से प्रकाश–शुल्क का भुगतान करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित किए गए राजस्व का पत्तन–वार ब्योरा दर्शाने वाला ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हाँ। दसवीं पंचवर्षीय योजना में, दीपस्तंभों और दीपपोतों को सशक्त बनाए जाने और उन्हें अपेक्षित सुविधाओं से सम्पन्न किए जाने/उनका विस्तार किए जाने/उनका आधुनिकीकरण किए जाने की कई योजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं। उन योजनाओं में से एक कच्छ की खाड़ी में जलयान–यातायात–सेवा क़ायम किए जाने की है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक होगी। इसके अलावा, 16 नए दीपस्तंभ भी स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) दीपस्तंभों का विकास पत्तन–विशेष से संबंधित न होकर, यातायात, प्रौद्योगिकी और नाविकों की आवश्यकता पर आधारित होता है। वर्ष, 2002–2003 और वर्ष 2003–2004 के दौरान आबंटित की गई और वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| 2002–03 | 20.00 | 16.39 | 14.92 |
| 2003–04 | 24.50 | 24.50 | 15.24 |

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों में अर्जित किए गए राजस्व का पत्तन–वार ब्योरा*

(धनराशि रु. में)

| क्र.सं. | पत्तन का नाम | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मुंबई | 59526883 | 53783236 | 67076279 |
| 2. | जवाहरलाल नेहरू | 10130124 | 108255785 | 140409730 |
| 3. | नव मंगलूर | 38856702 | 37439855 | 48442650 |
| 4. | पुराना मंगलूर | 55644 | 11592 | 5584 |
| 5. | मुरगांव | 57924976 | 58753974 | 68403120 |
| 6. | दहेज | 4069680 | शून्य | शून्य |
| 7. | करवर | 526306 | 2330542 | 1551560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | धरमतर | 7410426 | 8147622 | 6332522 |
| 9. | रत्नागिरि | 477480 | 373744 | 315384 |
| 10. | रेवडंडा | 109384 | 504384 | 766608 |
| 11. | गोपालपुर | 67856 | शून्य | शून्य |
| 12. | धपोली | 62680 | शून्य | 2528 |
| 13. | जयगढ़ | शून्य | शून्य | 136616 |
| 14. | बसेइन पत्तन | 3330 | शून्य | शून्य |
| 15. | जामनगर (बेदी पत्तन) | 7575650 | 6941240 | 6582508 |
| 16. | कांडला | 46288963 | 46517378 | 54267896 |
| 17. | सिक्का | 89719158 | 92514468 | 68712081 |
| 18. | वडिनार | 52339201 | 40553648 | 55955728 |
| 19. | मुल्दवर्का | 2103176 | 2718896 | 2171576 |
| 20. | वेरावल | 16880 | शून्य | शून्य |
| 21. | नवलखी | 5154384 | 3968048 | 3199016 |
| 22. | ओखा | 6635040 | 2788032 | 3164240 |
| 23. | मुंदरा | 14004727 | 10058732 | 17684514 |
| 24. | पिपाव | 1022352 | 8180192 | 12741195 |
| 25. | भावनगर | 6058663 | 963452 | 2423686 |
| 26. | भावनगर (ए एल ए एन जी) | 10885913 | 27849968 | 18639799 |
| 27. | सलाया | 248 | शून्य | 1351360 |
| 28. | जखाऊ | शून्य | शून्य | 240496 |
| 29. | जेटी | 3991696 | शून्य | शून्य |
| 30. | चेन्नई | 57145039 | 59102456 | 67830984 |
| 31. | तूतीकोरिन | 21392995 | 23001574 | 24417085 |
| 32. | पांडिचेरी | 233256 | शून्य | 273468 |
| 33. | नागपट्टणम | 101240 | 51368 | 82696 |
| 34. | कूडालोर | 8056 | 61712 | 4829 |
| 35. | विशाखापट्टनम | 97308850 | 107398172 | 86786159 |
| 36. | काकीनाड़ा | 8505135 | 195066246 | 22493730 |
| 37. | कोलकाता | 19732104 | 25446546 | 28396340 |
| 38. | पारादीप | 30895927 | 26484288 | 32640449 |
| 39. | कोचीन | 22451479 | 21977008 | 27286952 |
| 40. | नीन्डक्रा | 71944 | शून्य | शून्य |
| 41. | पोर्ट ब्लेयर | 100704 | 63704 | 231732 |

### मिर्गी रोग की औषधियों का अभाव

2166. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिर्गी रोग की औषधियों का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) जैसाकि औषध महानियंत्रक (भारत) ने सूचित किया है कि देश में मिर्गी के लिए औषधों की कोई कमी नहीं है।

### कल्याण कार्यक्रमों को मंजूरी

2167. **श्रीमती प्रतिभा सिंह :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक, सूचना और सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश ने 'हिमाचल प्रदेश में जनजागरूकता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को आरम्भ करना' शीर्षक के अन्तर्गत कल्याण कार्यक्रम संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?;

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) जी, हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हिमाचल प्रदेश सरकार से "हिमाचल प्रदेश में जन जागरूकता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन" के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एसआईडीए) कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार को आवश्यक कारवाई के लिए दे दी हैं।

### भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का शिलान्यास

**2168. श्री जुएल ओराम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर (उड़ीसा) के निकट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की शाखा/क्षेत्रीय केन्द्र का हाल ही में शिलान्यास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने इस संस्थान के लिए भूमि प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विशेषकर उड़ीसा मे एम्स परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ङ) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में एम्स की तरह के संस्थान के निर्माण की आधारशिला 15 जुलाई, 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। इस उद्देश्य के लिए उड़ीसा सरकार ने 100 एकड़ जमीन प्रदान की है।

व्यय वित्त समिति द्वारा एम्स जैसे संस्थान की स्थापना संबंधी परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है तथा अब इसे अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। अनुमोदन प्रक्रिया चल रही है, तथापि एम्स जैसे संस्थान के लिए आरंभ के कार्यकलाप जैसे बाउन्डरी की दीवार का निर्माण, व्यापक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया तथा संरचना के डिजाइनों/संकल्पनाओं का चयन आदि शुरू कर दिये गये हैं।

### अफगानिस्तान से शिक्षकों/चिकित्सकों के लिए आग्रह

**2169. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने केन्द्र सरकार से उस देश में अधिक संख्या में शिक्षक और चिकित्सक भेजने के लिए हाल ही में आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने अफगानी चिकित्सकों और वहां के पैरीमेडिक्स को प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो अफगानिस्तान ने कौन–कौन से अन्य क्षेत्रों में भारतीय सहायता और सहयोग की मांग की है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) और (ख) स्वास्थ्य और शिक्षा उन क्षेत्रों में से है जिन्हें भारत और अफगानिस्तान दोनों सरकार द्वारा अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निमाण और पुनर्वास में भारत के योगदान के लिए पहचाना गया है। भारतीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टरों, अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों और आई टी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर अफगानिस्तान भेजा गया है।

(ग) और (घ) भारत में अफगानिस्तान के डॉक्टरों और परा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। दस डॉक्टरों और बारह परा चिकित्सकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और नौ परा चिकित्सक अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य के अतिरिक्त भारत ने अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर बिजली, सड़क निर्माण, कृषि उद्योग, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण तथा शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में परियोजनाएं चलायी हैं।

### राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्पताल

**2170. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों का उन्नयन करने की राज्यवार कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अस्पतालों की पहचान कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित कस्बों और शहरों के राज्य अस्पतालों की आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए पायलट परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को सहायता देता है। इस स्कीम में सुसज्जित एंबुलेंस और आधारभूत आवश्यक उपस्कर, संचार प्रणालियां, ब्लड बैंक जैसी अवसंरचना, एक्सरे रूम, लघु आपरेशन थियेटर, गहन परिचर्या कक्ष, पलंग, उपस्कर इत्यादि की खरीद के लिए अनुदान सहायता जारी करना शामिल है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च, 2004 तक ऐसी सहायता दी है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) स्वास्थ्य मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 110 करोड़ रु. का परिव्यय रखा है।

### *विवरण*

**असम**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान नलबाड़ी जिला अस्पताल, नलबाड़ी में आपात तथा ट्रामा सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**अरूणाचल प्रदेश**

1. वर्ष 2000–01 के दौरान पासीघाट जनरल अस्पताल, अरूणाचल प्रदेश में दुर्घटना तथा आपात परिचर्या सेवा की स्थापना के लिए 59.00 लाख रु.।

2. वर्ष 2001-02 के दौरान जनरल अस्पताल, नहरलागुनं में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**आंध्र प्रदेश**

1. वर्ष 2003–04 के दौरान सरकारी अस्पताल, नेल्लोर में आपात सेवाओं के उन्नयन के सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

2. वर्ष 2003–04 के दौरान सरकारी अस्पताल, कुरनूल में ट्रामा केयर सेंटर के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**बिहार**

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान पटनां मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में इंदिरा गांधी केन्द्रीय आपात इकाई के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 53.00 लाख रु.।

2. वर्ष 2001–02 के दौरान ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना को 150.00 लाख रु.।

3. वर्ष 2001–02 के दौरान पटना में मॉडल बिक्रम रेफरल सेंटर तथा राजमार्ग ट्रामा सेंटर में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

4. वर्ष 2001–02 के दौरान औंसी, जिला मधुबनी में ट्रामा सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 62.71 लाख रु।

5. वर्ष 2003–04 के दौरान सदर अस्पताल, छपरा, सारण में आपात सेवाओं के उन्यन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**छत्तीसगढ़**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान पंडित जे एन एम मेडिकल कॉलेज, रायपुर में ट्रामा यूनिट के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 109.00 लाख रु.।

**गुजरात**

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, नाडियाड, जिला खेड़ा में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

2. वर्ष 2002–03 के दौरान सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में दुर्घटना तथा आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

3. वर्ष 2003–04 के दौरान पंडित दीन दयाल अस्पताल, राजकोट में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 146.00 लाख रु.।

**गोवा**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान हॉसपीसीओ अस्पताल, मुरगांव में ट्रामा तथा दुर्घटना यूनिट के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 142.00 लाख रु.।

**हरियाणा**

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान जनरल अस्पताल, करनाल में ट्रामा की सेंटर की स्थापना के लिए 150.00 लाख रु.।

2. वर्ष 2003–04 के दौरान सरकारी अस्पताल, सिरसा में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**हिमाचल प्रदेश**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिमला तथा जोनल अस्पताल, बिलासपुर में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 147.00 लाख रु.।

**जम्मू-कश्मीर**

1. वर्ष 2001–02 के दौरान मरगुंड, कंगन मे श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात/ट्रामा सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रु.।

**केरल**

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

2. वर्ष 2002–03 के दौरान मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 142.00 लाख रु.।

**कर्नाटक**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान संजय गांधी दुर्घटना अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 136.50 लाख रु.।

**मध्य प्रदेश**

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराजा यशवंत राव अस्पताल, में ट्रामा सेंटर के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 97.00 लाख रु.।
2. वर्ष 2003-04 के दौरान जिला अस्पताल, शिवपुरी में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**मिजोरम**

1. वर्ष 2001-02 के दौरान सिविल अस्पताल, लूंगलेई में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 58.30 लाख रु.।
2. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, आइजोल में दुर्घटना तथा आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 74.30 लाख रु.।

**मणिपुर**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान जे एन अस्पताल की आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 149.92 लाख रु.।

**नागालैंड**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान सरकारी अस्पताल, मेडजीफेमा में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 144.00 लाख रु.।

**उड़ीसा**

1. वर्ष 2003–04 के दौरान एस सी बी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कटक में केज्यूअल्टी तथा आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**पांडिचेरी**

1. वर्ष 2000–01 के दौरान जनरल अस्पताल, माहे में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 78.00 लाख रु।

**राजस्थान**

1. वर्ष 2003–04 के दौरान सरकारी अस्पताल, शाहपुरा, किशनगढ़, भीम और सोजत शहर में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 116.80 लाख रु.।

**सिक्किम**

1. वर्ष 2000–01 के दौरान एस टी एन एम अस्पताल, गंगटोक में आपात चिकित्सा यूनिट के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 70.00 लाख रु.।

**त्रिपुरा**

1. वर्ष 2000–01 के दौरान त्रिपुरा सुदंरी अस्पताल (उत्तरी जिला), उदयपुर में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 70.00 लाख रु.।

**तमिलनाडु**

1. वर्ष 2000–01 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, पैरंबुलूर में दुर्घटना तथा आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 105.00 लाख रु.।
2. वर्ष 2003–04 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, ओमालूर में दुर्घटना तथा आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।
3. वर्ष 2003–04 के दौरान सरकारी मुख्यालय अस्पताल, विल्लुपुरम में दुर्घटना तथा आपात सेवाओं के विकास के लिए 143.00 लाख रु.।
4. वर्ष 2003–04 के दौरान चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, चेंगलपट्टू के दुर्घटना ट्रामा सेंटर के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

**उत्तर प्रदेश**

1. वर्ष 2000–01 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए 150.00 लाख रु.।

**उत्तरांचल**

1. वर्ष 2002–03 के दौरान दून अस्पताल, देहरादून की आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।
2. वर्ष 2002–03 के दौरान गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोड़ा की आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।
3. वर्ष 2003–04 के दौरान जिला अस्पताल, गोपेश्वर, जिला चमोली में आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रु.।

*[हिन्दी]*

### डब्ल्यू. एल. एल. सेवाएं

**2171. श्री ब्रजेश पाठक :**
**श्री राजेश वर्मा :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायरलैस लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) दूरसंचार सेवाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डब्ल्यूएलएल सेवाएं देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डब्ल्यूएलएल दूरसंचार सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल सेवाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण, उपभोक्ता टर्मिनलों अर्थात एफडब्ल्यूटी की इन बिल्ट बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो पाती जिससे उपभोक्ताओं की सेवाओं में व्यवधान आ जाता है।

(ङ) डब्ल्यूएलएल सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) ग्रामीण डब्ल्यूएलएल प्रणालियों को उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक इनपुट वोल्टेज क्षेत्र वाले चार्जर सहित संवर्द्धित बैटरी बैक अप का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद बिजली आपूर्ति की अत्यधिक अस्थिरता के कारण होने वाली खराबी को कम किया जा सके।

(iii) डब्ल्यूएलएल प्रणाली की कवरेज बढ़ाने के लिए और अधिक बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाने की योजना बनाई गई है।

(iv) उपभोक्ताओं को एफ डब्ल्यू टी के समुचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूक बनाने के लिए उनको ऐसा करें और ऐसा न करें की सूची जारी की गई है ताकि एफडब्ल्यूटी से संबंधित खराबियों को कम किया जा सके।

### *विवरण*

*31.05.2005 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टेलीफोन की स्थिति*

| क्र. सं. | सर्किल का नाम | डब्ल्यूएलएल कनेक्शन (ग्रामीण) |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1,321 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 62,727 |
| 3. | असम | 24,072 |
| 4. | बिहार | 86,483 |
| 5. | झारखंड | 36,052 |
| 6. | गुजरात | 39,802 |
| 7. | हरियाणा | 36,595 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 11,324 |
| 9. | जम्मू–कश्मीर | 7,744 |
| 10. | कर्नाटक | 42,660 |
| 11. | केरल | 1,02,575 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 35,829 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 39,554 |
| 14. | महाराष्ट्र | 1,04,724 |
| 15. | पूर्वोत्तर–I | 9,437 |
| 16. | पूर्वोत्तर–II | 12,516 |
| 17. | उड़ीसा | 57,526 |
| 18. | पंजाब | 60,160 |
| 19. | राजस्थान | 49,574 |
| 20. | तमिलनाडु | 41,118 |
| 21. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 79,195 |
| 22. | उत्तर प्रदेश (प.) | 33,898 |
| 23. | उत्तरांचल | 20,267 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 50,543 |
|  | जोड़ | 10,45,696 |

*[अनुवाद]*

### दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनएल के सेल फोन शुरू करना

**2172. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेषकर कर्नाटक में बीएसएनएल के सेलफोन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सेवा के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड कर्नाटक के सभी जिला मुख्यालयों सहित देश के 589 जिला मुख्यालयों को कवर कर चुका है। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल ने कर्नाटक के 319 शहरों/कस्बों सहित देश के 3552 शहरों/कस्बों में सेल्युलर सुविधा उपलब्ध कराई है।

"सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं (सीएमटीएस) के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के किसी प्रचालक के लिए एक वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र में आने वाले 10% जिला मुख्यालयों को तथा तीन वर्ष के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को कवर करना अपेक्षित है। लाइसेंसधारक को यह अनुमति भी दी गई है कि वह जिला मुख्यालय के बदले जिले के किसी अन्य कस्बे को कवर कर सकता है। जिला मुख्यालयों/कस्बों का चयन लाइसेंसधारक की इच्छा पर निर्भर करता है और वह अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर उसका चयन कर सकता है। लाइसेंस करार के अंतर्गत 100% सेवा क्षेत्र को कवर करना अनिवार्य नहीं है।

तथापि, बीएसएनएल आगामी वित्त वर्ष (2005–06) के दौरान वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर तहसील मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों में अपने सेल्युलर नेटवर्क में विस्तार की योजना पर कार्य कर रहा है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### छत्तीसगढ़ में टेलीफोन सुविधा

**2173. श्री अजीत जोगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो राज्यों के जिलेवार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) जी, नहीं। छत्तीसगढ़ में टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या 5,051 है। इनमें आबादी रहित, नक्सल/उग्रवाद प्रभावित, 100 व्यक्तियों से कम की जनसंख्या वाले, और घने वन क्षेत्रों में बसे गांव शामिल नहीं हैं। राज्य में टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की जिले–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के शेष 5,051 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने का कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपा है। इन ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को चरणबद्ध तरीके से नवम्बर, 2007 तक प्रदान किए जाने की योजना है।

#### *विवरण*

*छत्तीसगढ़ में टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की जिले–वार सूची*

| क्र.सं. | जिले का नाम | टेलीफोन सुविधा रहित उन गांवों की संख्या जहां वीपीटी प्रदान किए जाने हैं |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बस्तर | 522 |
| 2. | बिलासपुर | 48 |
| 3. | चम्पा | 0 |
| 4. | दांतेवाडा | 866 |
| 5. | धमतारी | 66 |
| 6. | दुर्ग | 103 |
| 7. | जशपुरनगर | 95 |
| 8. | कांकेर | 346 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | कावर्धा | 63 |
| 10. | कोरबा | 19 |
| 11. | कोरिया | 536 |
| 12. | महासमुंद | 168 |
| 13. | रायगढ़ | 141 |
| 14. | राजनंदगांव | 432 |
| 15. | राजपुर | 332 |
| 16. | सरगुजा | 1,314 |
|  | कुल | 5,051 |

*[अनुवाद]*

### गैर-सरकारी पत्तनों का विनियमन

**2174. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **पोतपरिवहन, सड़कपरिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–सरकारी पत्तनों और अनेक माध्यम से व्यापार में वृद्धि की संभावनाओं के विनियमन का है;

(ख) यदि हाँ; तो क्या सरकार एकाधिकार और व्यवसाय संघों को हतोत्साहित करने के लिए उच्चाकांक्षी अवसंरचना विनियामक की ओर अग्रसर हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) हमारे निर्यात को सुधारने हेतु इन पत्तनों को किस सीमा तक सार्वभौमिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा रहा है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन 12 महापत्तन हैं। इन पत्तनों में से कोई भी पत्तन, गैर सरकारी नहीं हैं। महापत्तनों की कार्य–कुशलता में बेहतरी लाते रहने की प्रक्रिया, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। फिर भी, देश में पत्तन–अवसंरचना के विस्तार की दृष्टि से अपेक्षित संसाधनों को गतिशील बनाने, पत्तन–सेवाओं की कार्य–कुशलता, उत्पादकता और गुणवत्ता में बेहतरी लाने और पत्तन–सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता कायम करने की दृष्टि से, इस मंत्रालय द्वारा महापत्तनों में ग़ैर सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी आकृष्ट करने के व्यापक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, महापत्तनों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनुबद्ध है कि ग़ैर सरकारी निवेश से ग़ैर सरकारी एकाधिकार क़ायम नहीं हो और ग़ैर–सरकारी सुविधाएँ, सभी प्रयोक्ताओं को समान और प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर सुलभ हों। इन 12 महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तन, संबंधित राज्य–सरकारों के अधीन हैं।

*[हिन्दी]*

### ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनों/ टेलीफोनों का घनत्व

**2175. श्री मो. ताहिर :**

**श्री चन्द्र भूषण सिंह :**

**श्री मुन्शी राम :**

**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में टेलीफोन लाइनों और टेलीफोनों का राज्य–वार प्रति व्यक्ति घनत्व कितना है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस घनत्व में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ग) क्या गामीण क्षेत्रों में इसका प्रति व्यक्ति घनत्व बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां आज भी काफी कम मात्रा में टेलीफोन उपलब्ध हैं;

(च) इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों हेतु कोई राजसहायता प्राप्त योजना शुरु करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) 31 दिसंबर, 2003 और 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व (प्रति सौ की जनसंख्या के लिए फोनों की संख्या) के राज्यवार ब्यौरे इस अवधि के दौरान टेलीघनत्व में हुई वृद्धि और 31 दिसंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीघनत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार चल रहा अखिल भारतीय ग्रामीण टेलीघनत्व 1.49% से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार 1.69% हो गया है।

(ङ) और (च) असम बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर,ह झारखण्ड, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, और उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रामीण टेलीघनत्व कम है। यह टेलीघनत्व इसलिए कम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना अलाभकारी होने के कारण प्रचालक वहां दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं।

(छ) से (झ) इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों और इसी प्रकार के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के वित्तपोषण हेतु अव्यपगत वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की गई है। यूएसओएफ के माध्यम से दी जाने वाली सहायता में अन्य सेवाओं के साथ-साथ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी), व्यक्तिगत घरेलू फोन, सार्वजनिक दूरसंचार सूचना केन्द्र (पीटीआईसी) आदि प्रदान करना शामिल है।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार | 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व | टेलीघनत्व में वृद्धि | 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीघनत्व |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 11.41 | 12.42 | 1.01 | 8.97 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 7.26 | 9.19 | 1.93 | 2.38 |
| 3. | असम | 1.97 | 2.71 | 0.74 | 0.60 |
| 4. | बिहार | 1.59 | 2.01 | 0.42 | 0.52 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1.58 | 1.68 | 0.10 | 0.51 |
| 6. | गुजरात | 9.7 | 12.06 | 2.36 | 2.65 |
| 7. | हरियाणा | 7.63 | 10.16 | 2.53 | 2.68 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9.68 | 12.52 | 2.84 | 6.72 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 2.9 | 4.72 | 1.82 | 0.71 |
| 10. | झारखंड | 1.97 | 2.28 | 0.31 | 0.47 |
| 11. | कर्नाटक | 8.92 | 11.80 | 2.88 | 2.47 |
| 12. | केरल | 13.78 | 17.85 | 4.07 | 9.47 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.65 |
| 14. | महाराष्ट्र-मुम्बई | 8.64 | 9.50 | 0.86 | 2.55 |
| 15. | पूर्वोत्तर | 3.05 | 3.72 | 0.67 | 0.54 |
| 16. | उड़ीसा | 2.81 | 3.65 | 0.84 | 1.01 |
| 17. | पंजाब | 16.21 | 21.86 | 5.65 | 5.31 |
| 18. | राजस्थान | 4.18 | 5.78 | 1.60 | 1.43 |
| 19. | तमिलनाडु-चेन्नई | 8.78 | 10.91 | 2.13 | 2.60 |
| 20. | उत्तरांचल | 5.06 | 5.72 | 0.66 | 1.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | उत्तर प्रदेश | 2.74 | 3.88 | 1.14 | 0.49 |
| 22. | पश्चिम बंगाल–कोलकाता | 2.53 | 2.78 | 0.25 | 1.00 |
| | मेट्रो-शहर | | | | |
| 1. | कोलकाता | 15.68 | 23.45 | 7.77 | 0 |
| 2. | चेन्नई | 27.28 | 46.99 | 19.71 | 0 |
| 3. | दिल्ली | 40.94 | 50.18 | 9.24 | 0 |
| 4. | मुम्बई | 28.39 | 42.97 | 14.58 | 0 |
| | समग्र टेलीघनत्व | 6.60 | 8.59 | 1.99 | 1.69 |

### सिम कार्डों की कमी

**2176. श्री पंकज चौधरी :**

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिम कार्डों/प्री–पेड सिम कार्डों की प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने राज्यों में इन्हें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 लाख प्री–पेड मोबाइल कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची विद्यमान है। तथापि, मध्य प्रदेश में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जा रही है। व्यापक कवरेज़ और सेवा की अच्छी गुणवत्ता के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल सेवा लोगों में काफी लोकप्रिय हो रही है। क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण प्री–पेड सेल्यूलर कनेक्शन देने पर अस्थाई नियंत्रण लगाया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पोस्ट–पेड सेल्यूलर कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड़ ने उत्तर प्रदेश में सेल्यूलर नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक उपस्कर के क्रयादेश दिए हैं। वर्ष 2005 के दौरान अतिरिक्त क्षमता के उपलब्ध होते ही प्री–पेड कनेक्शनों के लिए पर्याप्त संख्या में सिम कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। तथापि, मध्य प्रदेश में, हाल ही में लगभग 1.5 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता के चालू होते ही कनेक्शन दिए जाने हैं।

*[अनुवाद]*

### केरल में दूरभाष केन्द्र

**2177. डा. के. एस. मनोज :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों की क्षमता बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में विशेषकर अलाप्पुजा जिले में आवेदकों की प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पैकेज की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है।

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार केरल में 1203 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) जी, हां। तथापि, कतिपय एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है जिनमें पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बीएसएनएल का केरल में विशेष रूप से अलाप्पुजा जिले में आवेदकों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु विशेष पैकेज की घोषणा करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केरल की मौजूदा अधिकांश प्रतीक्षा सूची को 31.03.2006 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

### मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

2178. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षोपाय करने के लिए गश्त लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1996–97 के बाद मध्य प्रदेश सरकार को उक्त धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी क्योंकि इस धनराशि की अनुपलब्धता के कारण 4722 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में वाहन उपकरण लगाना संभव नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो यह अनुदान सहायता कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा के लिए गश्त का प्रावधान, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्ण हो चुके खंडों के लिए सौंपे गए प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकों के अभिन्न भाग के रूप में किया जाता है।

(ख) मध्य प्रदेश में कोई प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेका नहीं सौंपा गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन

2179. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (ग) सरकार लाइसेंस प्रदाता के रूप में मोबाइल सेवा की व्यवस्था करने हेतु लाइसेंस प्रदान करती है और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित लाइसेंसधारी आपरेटर देश में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करते हैं। लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने की कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करना पूर्ण–रूप से लाइसेंसधारी आपरेटर के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करता है।

### राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा

2180. **श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण** :
**श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** :
**श्री जुएल ओराम** :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन–कौन से राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है;

(ख) राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इस समय विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त न होने वाले किसी राज्य को यह दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) निम्नलिखित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है; अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल।

(ख) विशेष श्रेणी का दर्जा, एनडीसी द्वारा यथा–अनुमोदित उन राज्यों को दिया गया है जो वृहद् जनजातीय जनसंख्या सहित प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होने के साथ ही जहां कम विकसित सामाजार्थिक अवसंरचना, कम राजस्व आधार, गैर–व्यवहार्य वित्त् एवं समग्र आर्थिक पिछड़ापन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### बी. एस. एन. एल. मोबाइल सेवाएं

2181. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं के उपभोक्ताओं से व्यस्तता तथा कॉल ड्रॉपिंग की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कॉल ड्रापिंग तथा संकुलन की शिकायतों का विशेषरूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सेवा की गुणवत्ता संबंधी दिशानिर्देशों को पूरा करने के संदर्भ में परियात की ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है। कॉल ड्राप तथा संकुलन की शिकायतें नेटवर्क क्षमताओं से संबंधित हैं तथा बीएसएनएल द्वारा 2005 में अपने मोबाइल नेटवर्क को 12 मिलियन लाइनों से विस्तार करने की कार्रवाई की गई है। इस विस्तार के होने तक, ट्राई के दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए नेटवर्क का इष्टतम उपयोग जारी रहेगा।

*[हिन्दी]*

### नेपाल द्वारा स्थापित सीमा चौकियां

**2182. श्री किरण माहेश्वरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की रॉयल आर्मी ने भारत–नेपाल सीमा पर हाल ही में सीमा चौकियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) और (ख) नेपाल की शाही सरकार ने नेपाल में माओवादी उग्रवादियों से निपटने के लिए एक संयुक्त कमान बनायी है जिसमें नेपाल की शाही सरकार, सैन्य पुलिस और नेपाल पुलिस को शामिल किया गया है। नेपाली सुरक्षा बलों को भारत–नेपाल सीमा सहित नेपाल के विभिन्न भागों में तैनात किया गया है।

(ग) भारत सरकार नेपाल–भारत सीमा पर शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाल सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है।

### मुम्बई बम धमाके के आरोपियों का प्रत्यार्पण

**2183. श्री मोहन सिंह :**

**श्री प्रहलाद जोशी :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के मुम्बई बम धमाके मामले के दोषियों में से एक दोषी अब्बू सलेम वर्तमान में पुर्तगाल की जेल में नजरबंद है;

(ख) क्या पुर्तगाल न्यायालय के समक्ष सी.बी.आई. की अब्बू सलेम को भारत सौंपने की याचिका रद्द कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उसे भारत लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अबू सलेम के प्रत्यर्पण के लिए भारत द्वारा पुर्तगाल को किए गए अनुरोध को लिस्बन के उच्च न्यायालय तथा पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अबू सलेम की अपील पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत नामक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

### 'काली सूची में दर्ज आपूर्तिकर्त्ता के बारे में दिनांक 25 जुलाई 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : 25.07.2001 को उत्तरित, अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के भाग (ख) के उत्तर में, एक विवरण पटल पर रखा गया था। विवरण का क्रम संख्या 4 (का पाठ) इस प्रकार था:–

| क्र.सं. | फर्म का नाम | वि–पंजीकृत किए जाने/काली सूची में डाले जाने के कारण |
|---|---|---|
| 4. | मेसर्स पॉयनीअर एण्टरप्राईजिज़ | गोदरेज मल्टी ट्रैक रिब्बन के लिए बाजार भाव से उच्चतर भाव वसूल करना |

विवरण का यथाशोधित क्रम संख्या 4 इस प्रकार है:–

| क्र.सं. | फर्म का नाम | वि–पंजीकृत किए जाने/काली सूची में डाले जाने के कारण |
|---|---|---|
| 4. | मेसर्स पॉयनीअर एण्टरप्राईज़िज (केवल गोडरेज मल्टी ट्रैक रिब्बन की आपूर्ति के लिए वि–पंजीकृत) | गोदरेज मल्टी ट्रैक रिब्बन के लिए बाजार भाव से उच्चतर भाव वसूल करना |

असुविधा के लिए खेद है।

**विलम्ब के कारण :**

उत्तर में हुई गलती 29.11.2004 को ध्यान में आई। केन्द्रीय भण्डार से परामर्श करके इस मामले की जाँच पड़ताल करने के उपरांत, मूल उत्तर में शुद्धि प्रस्तावित की गई है।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## अध्यक्ष द्वारा घोषणा

### सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, 14वीं लोकसभा के सदस्यों का एक ग्रुप फोटोग्राफ कल अर्थात् गुरूवार, 17 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 9.30 बजे संसद भवन में केन्द्रीय कक्ष और द्वार संख्या 1 के मध्य स्थान पर लिया जाएगा।

अतः माननीय मंत्रियों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया पूर्वाह्न 9.15 बजे निश्चित स्थान पर एकत्र होकर फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए उपस्थित हों।

कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था को दर्शाता हुआ एक चार्ट संसदीय सूचना कार्यालय और बाह्य लॉबी के सूचना बोर्ड पर सदस्यों के सूचनार्थ लगाया गया है।

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्रस्तुत किए जाएं।

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : अपने सहयोगी श्री महाबीर प्रसाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) आमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एंड दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमण के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एंड दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमण के वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1739/2005)

(2) (एक) इंडियन इंस्टि्टयूट आफ एंटरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टि्टयूट आफ एंटरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1740/2005)

(3) (एक) नेशनल इंस्टि्टयूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टि्टयूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1741/2005)

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोतपरिवहन (तेल प्रदूषण उपकर का उद्ग्रहण) संशोधन नियम, 2005 जो 11 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी.–1742/2005)

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 39(अ) जो 20 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (वेतन तथा भत्ते, आदि) संशोधन विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 62(अ) जो 10 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी

(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.–1743/2005)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1744/2005)

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** महोदय, मैं अपनी सहयोगी श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1745/2005)

(3) (एक) नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट आफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट आफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1746/2005)

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बायोलाजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बायोलाजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.–1747/2005)

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10, के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) का.आ. 157(अ) जो 3 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के चार लेन वाले भागों के प्रयोक्ताओं से फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(2) का.आ. 158(अ) जो 3 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद–मनगांवन खंड) पर इलाहाबाद/नैनी पर यमुना नदी के ऊपर केबल स्टेड पुल के प्रयोक्ताओं से फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(3) का.आ. 180(अ) जो 9 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क के चार लेन वाले भागों के प्रयोक्ताओं से फीस के उद्ग्रहण के बारे में है।

(4) का.आ. 1404(अ) जो 23 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स आर्यन टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई अथवा इसके विधिक प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 की पुणे–शोलापुर सड़क की चार लेनों के प्रयोग और उसे मजबूत बनाने के लिए यांत्रिक वाहनों से फीस के उद्ग्रहण और प्रतिधारण के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(5) का.आ. 54(अ) जो 14 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (संगमनेर कस्बे से बाहर) पर बाईपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.–1748/2005)

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : महोदय, मैं योजना मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.–1749/2005)

*[हिन्दी]*

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2005–06 की।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.–1750/2005)

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2005–06 की।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.–1751/2005)

---

**अपराह्न 12.01½ बजे**

## लोक लेखा समिति

### सातवां और आठवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के बारे में 7वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा); और

(2) "किराए पर निरर्थक व्यय" के संबंध में लोक लेखा समिति 13वीं लोक सभा के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 8वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

### दूसरा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो. मल्होत्रा आप किसी मामले को रखना चाहते थे। क्या आपने उसके लिए नोटिस दिया है?

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : जी हाँ, महोदय।

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष जी, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु मैं इसे एक अपवाद बना रहा हूं। सामान्यतया एक सदस्य को एक से अधिक मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है मैं आज आपको अनुमति दूंगा किंतु इसे एक पूर्वदृष्टांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष जी, कल सुप्रीम कोर्ट में फॉडर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज श्री वरियावा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनको अप्रोच किया गया है ताकि वहां पर फॉडर केस के जज को बदला जाए। उससे पहले वहां पर जो प्रॉसीक्यूटर हैं, उसको बदलने की कोशिश की गई, इनकम टैक्स के अधिकारियों को बदला गया। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी इस बात को एश्योर करें कि हाउस में किसी प्रकार का कोई जवाब इस पर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐसा मामला है जो वास्तव में यहाँ उठाया नहीं जा सकता।

...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : यह सभी समाचारपत्रों में छप चुका है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, मल्होत्रा जी अब आप इसका उल्लेख कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : महोदय, हम आश्वासन चाहते हैं कि उन पर प्रैशर नहीं डाला गया।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, इस पर यहां हम क्या कर सकते हैं?... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री पी. मोहन।

...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : यह माननीय सदस्य का अधिकार है...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल** : यह मंच इसे उठाने के लिए नहीं है। यह किसने कहा?...*(व्यवधान)* आप यहीं उसे क्यों उठा रहे हैं?... *(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, किसी को सभा को आश्वासन देना चाहिए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अनंत कुमार जी, किसी को भी उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं। आप भी मंत्री रह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वे यह सुन चुके हैं। यह वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में हमसे संबंध नहीं रखता।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए नोटिस दिये हैं और मैं यथा संभव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने के लिए समय देना चाहता हूँ। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री पी. मोहन।

कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें। यदि कोई बातचीत करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए बाहर जा सकता है।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, मैं बी एस एन एल के पी सी ओ को चलाने वाले विकलांग लोगों को दिए जा रहे कमीशन को तदनुसार बढ़ाने की जरूरत को इस सम्मानित सभा की जानकारी में लाना चाहता हूँ। शुरू में 1981 से विकलांग अपंग लोगों को पी सी ओ बूथों के आपरेटर में प्राथमिकता दी जाती थी। अब ऐसे बूथ चलाने वाले अन्य आपरेटर भी हैं। बाद में एक रुपये के सिक्के वाले पी सी ओ लाये गये और बूथ आपरेटरों को प्रत्येक एक रुपए पर 40 पैसे कमीशन के रूप में दिये जाने लगे। अब सिक्का बक्स पी सी ओ में प्रयुक्त सिक्कों की संख्या को एक रुपए से बढ़ाकर दो एक रुपए के सिक्के करने की योजना है। किंतु यह घोषणा भी कर दी गई है कि कमीशन में 10 पैसे मात्र की ही बढ़ोत्तरी होगी। उन्हें प्रत्येक एक रुपए पर 40 पैसे दिये जाते थे। किंतु अब उन्हें प्रत्येक दो रुपए पर 50 पैसे मिलेंगे। 80 पैसों की जगह वह मात्र 50 पैसे पायेंगे। उन विकलांग और अन्य आपरेटरों को, जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है, मिलने वाले कमीशन में तदनुसार वृद्धि होनी चाहिए। प्रत्येक अन्य वस्तु में कीमत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं टैलीकॉम मंत्रालय से पीसीओ आपरेटरों विशेषतया विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाले कमीशन में वृद्धि करने का आग्रह करता हूँ। यह उस तरफ को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि ज्यादातर विकलांग व्यक्ति केन्द्र और राज्य सरकारों के दोनों में नौकरियों में 3% प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप सभा में व्यवस्था बना कर नहीं रखेंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूँगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतरण

रबी की फसल में तिलहनों का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में ज्यादा हुआ है और विशेषरूप से सरसों का उत्पादन 75 लाख टन होने की संभावना है। सरकार ने बुआई के समय सरसों का समर्थन मूल्य रु. 1700 प्रति क्विंटल रखा था और फसल तैयार होने के बाद किसान जब अपनी सरसों बेचना चाहता हैं, तो जो समर्थन मूल्य सरकार ने निश्चित किया था, वह उसे नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान को मजबूरी में अपनी सरसों 1300–1400 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचनी पड़ रही है।

महोदय, सरकार ने यह जिम्मेदारी ली थी कि किसानों की सरसों की खरीद नैफेड करेगा, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में नैफेड के जो केन्द्र बने हैं, वे जितनी मात्रा में सरसों उपलब्ध है, उसके हिसाब से बहुत कम है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान अपनी सरसों औने–पौने दामों में बेचने पर मजबूर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, विशेषकर के जो सरसों उत्पादन के क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि में बड़े पैमाने पर नैफैड की तरफ से क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएं जिससे किसानों को मजबूरी में अपनी सरसों कम दामों पर न बेचनी पड़े।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करें और आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब नैफेड के केन्द्र उन राज्यों में स्थापित करे जिन राज्यों में सरसों ज्यादा पैदा होती है जिससे किसानों को अपनी सरसों कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

---

**अपराह्न 12.08 बजे**

## सदस्य द्वारा निवेदन

### महू छावनी बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासियों को जगह खाली करने के लिए दिए गए आदेश के संबंध में जारी किए गए कथित नोटिस के बारे में

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुमित्रा महाजन** (इंदौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र महू में कैंटोनमेंट एरिया है। उसकी अपनी एक अलग स्थिति है। वर्ष 1924 में होलकर स्टेट ने कैंटोनमेंट स्थापित करने के लिए जगह दी थी। उसके साथ–साथ, वहां उपनगरीय बस्ती भी बसती चली गई। आज उस क्षेत्र में भारी समस्या आ रही है। वहां के रक्षा सम्पदा अधिकारी (डिफेंस एस्टेट ऑफीसर) ने करीब 1000 लोगों को एविक्शन के नोटिसेस इश्यू किए हैं। ये नोटिसेस पब्लिक प्रमिसेस एविक्शन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट, 1971 के अन्तर्गत दिए गए हैं। इसलिए पूरे महू नगर में असंतोष व्याप्त है। मेरा कहना है कि सरकार ने कुछ बंगले रिजर्व किए थे। हमेशा होता रहा है कि कैंटोनमेंट के द्वारा कुछ जगह आक्यूपाई की जाती है। ऐसे कुछ बंगले जो रिजर्व किए थे, उनके केसेस चल रहे हैं, उन पर स्टे दे दिया है, लेकिन रक्षा सम्पदा अधिकारी ने ये नए नोटिसेस दिए हैं जिससे पूरे कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां बसे नगर में नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं मिलती है। अपने मकान के सुधार या मरम्मत (रिपेयर) की भी अनुमति नहीं मिलती है। ये जो 1000 मकान बने हैं, ये कोई एक साल में तो नहीं बने। इन्हें बनने में 20–25 साल लग गए होंगे। इसलिए मैं मांग करती हूं कि सिविल एरिया को बढ़ाना चाहिए, ताकि वहां जो नागरिक बस रहे हैं, उन्हें कैंटोनमेंट के कारण कोई तकलीफ न हो। यह समस्या सभी कैंटोनमेंट एरियाज में है, लेकिन चूंकि मेरे यहां यह हो रहा है इसलिए वहां कठिनाई ज्यादा हो रही है। अतः पहली तो सिविल एरिया को बढ़ाने की बात है और दूसरी अवैध निर्माण को रैगुलराइज करने की बात की जाए, भले ही कुछ कंपाउंडिंग कर के रैगुलराइज किया जाए तथा तीसरी बात इनको नगर पालिकाएं बनाने की दृष्टि से भी अगर कुछ सोचते हैं, तो वह करें। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस बारे में कुछ उत्तर दे दें, तो बहुत अच्छा है।...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सबको एक साथ बोलने का मौका कैसे दे सकते हैं? आप आधे मिनट के लिए धीरज रखिए।

*[अनुवाद]*

ठीक है, आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कृपया बैठ जायें। आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : महोदय खाली कराने पर स्टे दे दिया गया है; और खाली नहीं कराया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, खाली कराने पर स्टे दे दिया गया है।

**श्री विजय हान्डिक** : नोटिस जारी किये गये हैं। हम मामले की जाँच कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

---

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी को भी अपनी अनुमति के बिना बोलने का अवसर नहीं दूँगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : किसी का भी भाषण, चाहें वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*.....

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय.... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति नहीं दूँगा। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)*.....

**अध्यक्ष महोदय** : प्रभुनाथ जी, कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*.....

*[हिन्दी]*

**श्री रघुराज सिंह शाक्य** (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2, जिसका कि मक्खनपुर (टूण्डला) से इटावा बाई पास तक का कार्य वर्ष 2004 तक पूर्ण होना था...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। यह बहुत अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रघुराज सिंह शाक्य** : अध्यक्ष महोदय, लगभग दो वर्ष से उपरोक्त कार्य बिलकुल बंद पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग–2 का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन मक्खनपुर (टूण्डला) से इटावा बाई पास तक चाइना एंड कम्पनी और इटावा बाई पास भागीरथी एंड कम्पनी कार्य कर रही थी, इन दोनों कम्पनियों ने कार्य बंद कर दिया है। इस संबंध में भू–तल परिवहन मंत्री, भारत सरकार को कई पत्रों के माध्यम से, 13वीं लोक सभा में भी शून्यकाल में और नियम 377 के अंतर्गत भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त कार्य को किसी दूसरी संस्था से शीघ्र पूर्ण कराया जाए एवं इन कम्पनियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे सरकार व जनता को प्रतिदिन जो नुकसान व परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सड़क खराब होने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे बचा जा सके।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल श्री शाक्य का भाषण कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कैबिनेट मंत्री की तरफ कोई संकेत नहीं है। आप यह क्यों कह रहे हैं? मामले इस तरह से नहीं रखे जा सकते। यह न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निर्णय लेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकता।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोदी, क्या आप बोलना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेग।

*(व्यवधान)**...

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसका रेस्पोंड नहीं करते हैं, इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

**अपराह्न 12.12 बजे**

*इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।*

**अध्यक्ष महोदय** : मोदी जी, आप बोल कर जाइए।

**श्री सुशील कुमार मोदी** (भागलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं बोल कर वाक आउट करूंगा।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री मोदी को बोलने का अवसर दिया है। वह किसी विषय पर बोलना चाहते हैं।

---

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुए दस दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वहां कोई सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुशील कुमार मोदी के भाषण को छोड़ कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** उसका परिणाम यह हुआ कि बिहार में लॉ एंड आर्डर की हालत बहुत खराब हो गई है और सारा विकास का काम ठप हो गया है। बिहार में कोई सलाहकार नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, केन्द्र में दो मंत्रियों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई...*...

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्री सुशील कुमार मोदी :** मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप सलाहकारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यह ठीक है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** अध्यक्ष महोदय, यह यूपीए गठबंधन के घटक दलों की आपसी खींचतान का परिणाम है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह आपके नोटिस में नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और मैंने आपको उसे उठाने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** अध्यक्ष जी, हमें पूरी बात बोलने दी जाए।...*(व्यवधान)* अभी तक केवल अपने चहेते लोगों को ही वहां सलाहकार नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 15 साल से जो लोग सत्ता में थे....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

वह पुनः बिहार पर शासन करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपने अपनी बात रख दी है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप बिना समय–सीमा के बोल नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि तत्काल बिहार के अंदर ...*(व्यवधान)* बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड आर्डर का है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** यदि कुछ असंसदीय हुआ तो मैं उसे देखूँगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी :** महोदय, मैं मांग करता हूं कि ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, या तो मैं वाक आउट करके जाऊं या मुझे बोलने दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** हमने तो बोलने दिया।

---

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

मैंने आपको समय दिया और आप फिर भी मुझे आंखें दिखा रहे हैं। यह एक आदत बन चुकी है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : अध्यक्ष महोदय, जो लोग 15 साल से प्रॉक्सी रूल कर रहे थे, वे अपने चहेते लोगों को सलाहकार नियुक्त करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार के अन्दर तत्काल एडवाइजर्स की नियुक्ति की जाये और किसी के दबाव में किसी को नियुक्त नहीं किया जाये, किसी के चहेते को नियुक्त नहीं किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो भाषण देने का टाइम नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं।

**श्री सुशील कुमार मोदी** : आप हमें बोलने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या बोलने दें, आपको पांच मिनट हो गये हैं। आप बोलिये, बोलते रहिये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अध्यक्ष नहीं हैं। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी है। मैं इन सुपर अध्यक्षों को अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो संविधान की धारा 195 को स्थगित कर दिया गया।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सहयोग कीजिए। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आप मेरे हस्तक्षेप का दुरूपयोग कर रहे हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल–उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया तो संविधान की धारा 195 को स्थगित कर दिया गया। धारा 195 को स्थगित करने का परिणाम यह हुआ कि जो वहां के एम.एल.एज. जीतकर आये हैं...

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप कब तक बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : अध्यक्ष महोदय, आप हमें टोक रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको क्या टोकेंगे, कितना समय और लगेगा?

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप में से कुछ लोगों को नाम लेकर चेतावनी देने का समय आ गया है। आप बैठेंगे अथवा नहीं। मुझे आपको सभा से जाने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : धारा 195 को स्थगित कर दिया गया है, जिससे वहां पर जो विधायक जीतकर आये हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वरिष्ठ सदस्य भी गैर जिम्मेदाराना ढंग से आचरण कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे और सैक्शन 195, जिसको स्थगित कर दिया गया है, उसको फिर से बिहार के अन्दर रिवाइव किया जाये।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये।

**श्री सुशील कुमार मोदी** : *अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे बोलने नहीं दीजिएगा, तो मैं वाकआउट करूंगा।...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हमने बोलने दिया या नहीं, वह रिकार्ड पर है। आप अभी जीरो ऑवर में भाषण देंगे? आप बैठ जाइये।

**श्री सुशील कुमार मोदी** : मैं भाषण दे रहा हूं, मैं आग्रह करने के लिए खड़ा हूं? अध्यक्ष महोदय, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप मुझे संरक्षण नहीं देंगे? मैं अपनी बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने अधिकार का दुरूपयोग कर रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : अध्यक्ष महोदय, आप उनको रोकिये।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : अध्यक्ष महोदय, जब यू.पी. में प्रेसीडेंट रूल लगा तो धारा 195 को स्थगित नहीं किया गया था, लेकिन बिहार के अन्दर संविधान की धारा 195 को स्थगित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वहां के विधायकों को वेतन नहीं मिल रहा है, वे अपने लेजिस्लेटिव काम का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा...*(व्यवधान)* ये हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप कब तक बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : ये इसलिए हल्ला कर रहे हैं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ...*... इसलिए आज गुस्से में ये लोग हल्ला कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री सुनील खां बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

**श्री सुशील कुमार मोदी** : इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा...*(व्यवधान)* मैं सदन से वाकआउट करता हूं...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17 बजे**

*तत्पश्चात् श्री सुशील कुमार मोदी सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुनील खां का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुनील खां** (दुर्गापुर) : यह गहरे दुख का कारण है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मेरे केन्द्र दुर्गापुर में जो केस बकाया पड़े हुए हैं, 1993 से दुर्गापुर स्टील प्लांट में उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अंसारी, आप अपनी सीमा को लांघ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुनील खां** : अभी सेल में एक सर्कुलर जारी किया गया कि सभी अनुसूचित जाति, जनजाति के जितने कैंडीडेट्स हैं, उनको मुम्बई में परीक्षा देनी होगी, लेकिन जब तक केस बकाया पड़े हुए हैं, तब तक वे लोग मुम्बई में कैसे जाएंगे, वे तो दुर्गापुर...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह सभा लगभग बाजार जैसी बन गई है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। सभा में क्या हो रहा है? यह गपशप का स्थान नहीं है। श्री आठवले, मैं आपको अन्तिम चेतावनी दे रहा हूँ। और इसे हल्के ढंग से न लें। अन्यथा मुझे आप से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री खारबेल स्वाई** (बालासोर) : अगर आप इस तरह इनको वार्निंग देंगे तो वे कविता नहीं सुनाएंगे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अनेक माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण मामलों पर सूचनाएं दी हैं और मैं बारी–बारी से उन सूचनाओं को ले रहा हूँ। किंतु आप अध्यक्षपीठ को आंखें दिखा रहे हैं। जो आप चाहते हैं आप वह कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुनील खां** : दुर्गापुर स्टील प्लांट में जो अनुसूचित जाति, जनजाति के पद 1993 से बकाया पड़े हुए हैं, स्टील एथारिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया कि सभी लोगों को परीक्षा देने के लिए मुम्बई में जाना होगा, लेकिन इस महीने में एलॉय स्टील वालों ने 15 मैम्बर्स को ले लिया है। वे भी सेल के अन्दर हैं तो क्यों दुर्गापुर स्टील प्लांट में जीओटी/एसआईटी के लोगों को मुम्बई में जाना पड़ेगा, यह गहरे दुख का कारण है। अभी यहां मंत्री जी भी अनुसूचित जाति के हैं, तब भी यह नहीं हो रहा, इस कारण से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग दुर्गापुर में हैं, उन तमाम लोगों को दुर्गापुर में लेना होगा।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल से नोटिस दिया हुआ है।...*(व्यवधान)* मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिला। आज भी हम सुबह से बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बोलते रहिए और मुझे यह देखने दीजिए कि क्या यह सभा केवल आपकी है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपकी पार्टी के सदस्य को बोलने के लिए बुलाया है और आप व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती नीता पटैरिया** (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि इसमें बहुत विसंगतियां है।...*(व्यवधान)* किसान अपनी फसल का बीमा कराने में पैसा खर्च करता है लेकिन फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ नहीं ले पाते। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल इल्लियों द्वारा नष्ट कर दी गयी एवं रबी की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गयी।...*(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल शर्मा** (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया था कि पूंछ जिले में अनइम्प्लायमैंट काफी है। हमारी मांग है कि वहां एक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोला जाये।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शर्मा, आप कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने स्थान पर बैठेंगे अथवा नहीं।

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, हम भी चुनकर आये हैं। ...*(व्यवधान)* हम अपने हल्के की बात उठाना चाहते हैं लेकिन आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे इसलिए हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

**अपराह्न 12.21 बजे**

*तत्पश्चात् श्री मदनलाल शर्मा सभा भवन से बाहर चले गए।*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रतिदिन अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती नीता पटैरिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि फसल का नुकसान तहसील स्तर पर आंकलन किया जाता है जिस कारण प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुए किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता।

भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से खरीफ वर्ष 2003–04 से मध्य प्रदेश में फसल बीमा की इकाई पटवाली हल्का नम्बर लागू करने हेतु घोषित की गई थी। परन्तु साधारण बीमा निगम के पास भारत सरकार का कोई स्वीकृति आदेश न पहुंचने से इसे साधारण बीमा निगम मानने को तैयार नहीं है जिसके कारण किसान वर्ग में बड़ी दिक्कत है। क्योंकि तहसील स्तर पर प्राकृतिक आपदा का मूल्यांकन किया जाता है। इस कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इकाई पटवाली हल्का नम्बर लागू कराया जाये।

**श्री वाई. जी. महाजन** (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 7 मार्च से महाराष्ट्र के एनजीओज के कुछ कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने चार साल पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता के एडवर्टाइजमैंट पर आश्रम स्कूल खोले थे, लेकिन चार साल से उनको कुछ सहायता नहीं मिली है। तकरीबन 10 हजार अनुसूचित जाति के लड़के उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज उनका भविष्य अंधकार में है। वहां पर 1500 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन आश्रम स्कूलों को पैसा दिया जाये तथा उनका जो पिछला बकाया है, वह भी दिया जाये क्योंकि इसी तरह उन बच्चों की पढ़ाई हो सकती है अन्यथा उन 10 हजार अनुसूचित जाति के लड़के बेसहारा हो जायेंगे और उनकी पढ़ाई खत्म हो जायेगी। सरकार कहती है कि वहां लिट्रेसी ज्यादा है लेकिन उनका कहना गलत है। वहां लिट्रेसी कम है क्योंकि वे अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनमें लिट्रेसी नहीं है। ऐसे लड़कों को पढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए।

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे अपने को एसोसियेट करता हूँ।

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : महोदय, मैं माननीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सौभाग्य से इस समय सभा में उपस्थित है। देश भर में एक चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित निर्माण की 55 कि.मी. सड़क मेरे जिले से होकर जाएगी और उस पर कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 50 चौराहे हैं – जिनमें रेलवे स्टेशन, घने बाजार और घनी बस्तियां शामिल हैं जो मेरे जिले के 55 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ हैं किन्तु राजमार्ग के इस भाग पर एक भी उपरिपुल अथवा भूमिगत उपमार्ग का निर्माण नहीं किया गया है।

महोदय, मैंने पूर्व सरकार के माननीय मंत्री श्री खंडूडी को इसके बारे में लिखा था और मैंने वर्तमान मंत्री को भी लिखा है कि इस राजमार्ग पर ऐसे उपरिपुलों और भूमिगत उपमार्गों की अनुपस्थिति में अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं और जनता को बहुत असुविधा हो रही है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए और स्थानीय लोगों को हो रही असुविधा को समाप्त करने के लिए राजमार्ग के इस 55 कि.मी. लम्बे भाग पर कम से कम 20 से 30 उपरिपुलों और भूमिगत उपमार्गों का निर्माण किए जाने की जरूरत है किन्तु अब तक एक भी उपरिपुल निर्माण नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि माननीय मंत्री को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि ऐसी असुविधाओं से हमारे जिले के लोगों को बचाया जा सके।

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया की सबसीडियरी महानदी कोल कम्पनी ने एक महीने पहले एक टैंडर निकाला है जिसमें उड़ीसा की तीन माइनिंग नई खोली जायेंगी। कडिहा, भुवनेश्वरी और कुल्दा – 23 मिलियन टन के प्रोडेक्शन की क्षमता रखने वाली इन तीन खदानों का पहली बार निजीकरण होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में कोल सैक्टर, सैन्ट्रल सैक्टर में है। इनमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। माइनिंग पर्पज से यह कंपनी सारे काम निजी तौर पर करती है। यू.पी.ए. की सरकार आम आदमी को रोजगार देने की बात कहती है। तीन खदानों में जहां पूरी मशीने और मैन–पावर बाहर से आएगी 5,000 लोग विस्थापित होंगे, उनका घर जाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। उड़ीसा सरकार की रीहैबिलिटेशन पॉलिसी को अनदेखा करते हुए 5,000 परिवार के स्वार्थ को छोड़ते हुए पहली बार कोल इंडिया ने तीन खदानों में आउटसोर्सिंग ऑफ मैन–पॉवर करने जा रही है। यह कार्य बहुत घातक होगा। प्रदेश सरकार के अधिकारी और कोल फील्ड के अधिकारी से जब हम मिले और उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी खुद उत्तर दें क्योंकि यह जो कार्रवाई हो रही है, यह लोक विरोधी है, यह उड़ीसा विरोधी है। इसमें विस्थापित जो लोग हैं, वे पुर्खों की जमीन में रह रहे थे। उनको बहुत अधिक हानि होने वाली है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री संदीप दीक्षित** (पूर्वी दिल्ली) : मैं दिल्ली के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

जैसा कि आप जानते हैं आगामी ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली को पेयजल मिलने में काफी कठिनाई हो जाएगी।

वर्ष 1988 में दिल्ली की पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 क्युसेक पानी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहमत होने के अध्यधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा टिहरी जल विद्युत बांध परियोजना का अनुमोदन किया गया था। तत्पश्चात् दिल्ली सरकार ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र का निर्माण

कराया जो टिहरी बांध से आने वाले कच्चे पानी की आपूर्ति पर दिल्ली के लोगों को 140 एमजीडी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराएगा और तीस लाख अतिरिक्त लोगों को स्थिर जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (सिंचाई) ने दिल्ली को इस पानी की आपूर्ति करने के लिए अपनी सरकार की ओर से 'अनापत्ति' पत्र भेजा था बशर्ते यदि दिल्ली बांध के निर्माण के आनुपातिक मूल्य का अपना हिस्सा दे। जो बाद में बांध के कुल निर्माण लागत के लगभग 2.18 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। कुछ भुगतान पहले ही किया जा चुका है और दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड पूर्ण भुगतान करने के लिए तैयार है। 300 क्युसेक पानी की आपूर्ति की वचनबद्धता पर भी सहमति हुई थी और इसलिए यह आवश्यक हो गया है तत्पश्चात् दिल्ली सरकार ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र की भी स्थापना की है जो पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र के प्रवाह और सफाई कार्यों के लिए सदभावना प्रदर्शन के रूप में 80 क्यूसेक पानी जारी किया है। अब यह जलापूर्ति बंद कर दी गई है और टिहरी बांध से पानी नहीं आ रहा है जिसका प्रबंधन टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे भारत वर्ष से आप्रवासियों का आधार भी है। आवश्यक है कि टिहरी बांध से दिल्ली को देय पानी शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाए और दिल्ली के नागरिकों को पानी का उचित हिस्सा दिया जाए।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार ऊपरी गंगा नहर में इस पानी को तत्काल छोड़ने के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम से अनुरोध करे ताकि दिल्ली इसे मुरादनगर से उठा सकेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि वह 300 क्यूसेक पानी तत्काल छोड़े ताकि 140 एमजीडी पानी उपलब्ध कराया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कार्यों के लिए पानी छोड़ा गया था और दिल्ली जल बोर्ड पहले ही यह कार्य कर चुका है। चूंकि हममें समयान्तराल आ गया है इसलिए प्रवाह कार्यों को अब पुनः करना पड़ेगा।

**श्री अजय माकन** (नई दिल्ली) : महोदय, मैं स्वयं को उनकी बात से सम्बद्ध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेमलाल मुर्मु–उपस्थित नहीं हैं।

श्री मदन लाल शर्मा – उपस्थित नहीं हैं।

**श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक)** : महोदय, आजकल गैस अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। पूरे पूर्वी भारत में गैस की उपलब्धता नहीं है। हम पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति के बारे में अनेक आश्वासनों के बारे में सुन रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में बात हो रही है कि भारत म्यांमार से गैस लेगा। यह पूरा नहीं हुआ है। भारतीय गैस प्राधिकरण ने जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल तक और काकीनाड़ा से पश्चिम बंगाल तक गैस पाइपलाइन बिछाने, जो हल्दिया तक जाएगी, के लिए योजना की घोषणा की है।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारे राज्य में कोई उर्वरक कारखाना नहीं हैं। वहां इस समय केवल गैस आधारित उर्वरक फैक्टरी ही व्यवहार्य है। हमारे राज्य में नहीं कोई गैस बहुत आवश्यक है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भी गैस आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सभी रासायनिक उद्योगों और पेट्रो'–रासायनिक उद्योगों को अपनी व्यवहार्यता के लिए गैस की जरूरत होती है।

आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल को शीघ्रतिशीघ्र गैस उपलब्ध कराएं।

**श्री खारबेल स्वाई** (बालासोर) : महोदय, जब मैंने पिछले दिन यही मामला उठाया तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि मैं सदन को गुमराह कर रहा हूं।...*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता लगाऊंगा। बताने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह नहीं किया जाना चाहिए था।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको लगता है कि हम कोई काम नहीं करते। हर साइड से मैं मौका देता हूं। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। अगर यहां से दिया, तो उन लोगों को भी तो थोड़ा मौका मिलना चाहिए।

*[अनुवाद]*

सभी को एक ही समय पर बोलना होता है।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह** (उधमपुर) : स्पीकर साहब, मैं आपकी

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इजाजत से अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर का मामला यहां उठाना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान की जनता और सरकार वहां के हालात से वाकिफ है। पिछले दिनों हमारी स्टेट में बारिश हुई, बर्फ गिरी और उसके कारण एवलांचेज़ हुए। उससे प्रदेश में काफी तबाही हुई है। हमारी क्रॉप खत्म हो गई है और कई मकान नष्ट हो गए हैं। कुछ जगह लोगों की जानें भी गई हैं। इसके अलावा जानवरों की भी क्षति हुई है। जब हमारा टोटल इलाका बारिश और बर्फ से तबाही झेल रहा था, तब प्रधान मंत्री जी, सोनिया गांधी जी और अन्य लोगों ने वहां का दौरा किया था। सरकार ने वहां निर्देश भी जारी किए थे कि यहां से एक टीम वहां जाएगी, जो वहां का सर्वे करेगी। वहां जो नुकसान हुआ है, उसके मुताबिक रिलीफ देने की बात भी कही गई थी। मेरे संसदीय क्षेत्र उधमपुर में डोडा और कठुआ इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर तरजीह दे और उस इलाके में करीब 20,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें आई. ए. वाई. के तहत बनाने के लिए सहायता प्रदान करे, ताकि उन गरीबों को राहत मिल सके। आपने समय दिया, उसके लिए बड़ी मेहरबानी...*(व्यवधान)*

**श्री सुरेश चन्देल** (हमीरपुर, हि.प्र.) : मैंने कल नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह आचरण का तरीका नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो सहयोग की अपील कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बताएं मैंने किसको नहीं बुलाया।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : चालीस नोटिस हैं। क्या मैं सभी चालीस सदस्यों को एक साथ बुला सकता हूँ? अध्यक्ष को आंखें दिखाना आसान है। आज अध्यक्ष की यह स्थिति है। महाशय, क्या आप सभा के मान को बढ़ा रहे हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेश चन्देल** : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए लगभग प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव डाक विभाग के कर्मियों पर पड़ रहा है। वहां जो पद रिक्त हो रहे हैं, उनमें से 67 प्रतिशत पद खत्म हो रहे हैं और बाकि 33 प्रतिशत पदों को भरने के लिए निर्णय लिया गया है कि ये पद स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन दो साल तक उस कमेटी की मीटिंग न होने के कारण वे 33 प्रतिशत पद नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके कारण रिक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में इस कारण बड़ी कठिनाई आ रही है। लोगों को अपने टेलीफोन बिल जमा कराने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस पर विभाग वाले कहते हैं कि नियुक्तियों पर प्रतिबंध के कारण हम स्टाफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि कम से कम इस नीति को बदला जाए। आज तक डाक विभाग में 38,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। 'ए' और 'बी' केटेगरी पर, अधिकारियों के पदों पर, कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके पद भरे जा रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाले नीचे के कर्मी हैं, उनके पद समाप्त हो रहे हैं।

बेसिक कठिनाई यह है कि काम न करने वाले लोगों के कारण कठिनाई बढ़ रही है। यदि यह नीति लागू होनी है तो अफसरों के पदों को भी कम किया जाए। इस दृष्टि से सरकार इस पर पुनः विचार करे और जो ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं उनके पदों को भरने की ओर सरकार ध्यान दे ताकि दूरदराज के लोगों को जो कठिनाई हो रही है वह दूर हो।

**श्री हंसराज जी. अहीर** (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष जी, कोल इंडिया ने पिछले दो माह पूर्व यानि झारखंड के चुनाव पूर्व एनसीएफआईएल को प्रतिमाह दो लाख टन कोयले का कोटा दिया है, जो नियमों का उल्लंघन है। यह कोयला ऐसे समय में दिया गया है जबकि देश के सभी राज्यों में बिजली बोर्ड्स कोयला मांग रहे हैं। उन्हें कोयला न देकर ऐसी फैडरेशन को कोयला देकर ट्रेडिंग करने की अनुमति दी गयी है, जिसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। हमारा यह आरोप है कि ...*...ऐसी फैडरेशन को कोयला दिया है जिसमें करोड़ों रुपये का घपला किया गया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मंत्री का नाम हटाया जाना है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री हंसराज जी. अहीर** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करता हूं कि यह जो फैडरेशन को कोयला दिया गया है, इसे तुरंत रोक दिया जाए और इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर) : अध्यक्ष जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा देश के लगभग 600 पॉलिटेकनिक में 1978–79 से संचालित कम्युनिटी पॉलिटेकनिक परियोजना मध्य प्रदेश के सभी पॉलिटेकनिक महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक चल रही है। देश के ग्रामीण विकास में अग्रणी इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी जीविका यापन करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की मेहनत और लगन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन खेद का विषय है कि इस परियोजना से जुड़े कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं ज्यों कि त्यों है। वर्तमान में बहुत ही अल्प वेतन में कार्यरत इस परियोजना के कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन और दाल–रोटी भी इस कमरतोड़ महंगाई में मुश्किल से नसीब हो रही है। इस परियोजना के कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है क्योंकि न तो उन्हें केन्द्र सरकार का कर्मचारी समझा जाता है न ही राज्य सरकार का और परियोजना में कार्यरत कर्मचारी, नौकरी की आयु सीमा से अधिक के हो गये हैं तथा उन्हें अन्य विभाग की नियुक्ति में छूट प्रदान नहीं की जाती है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के कर्मियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर पारिश्रमिक भुगतान हो रहा है। योजना के कर्मियों के मानदेय में सन् 1985 की गाइडलाइन के पश्चात कोई संशोधन नहीं किया गया है जबकि केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को सन् 1996 से नया वेतनमान दिया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के कर्मियों को शासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे कि बीमा, अंतरिम राहत, पीएफ आदि नहीं दी जा रही है। योजना के कर्मचारी नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके हैं तथा उनका भविष्य अनिश्चित है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि परियोजना के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं अन्य विभागों में नौकरी पर जाने हेतु आयु सीमा में छूट बढ़ाने में सहयोग करें।

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारी उद्योग मंत्री जी का ध्यान उन सीमेंट फैक्ट्रीज की ओर दिलाना चाहता हूं जो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है तथा जिनकी हालत कुप्रबंध के कारण खराब हो गयी है। सभी इकाइयों में करोड़ों की सम्पत्ति है और आज इनको निजी संस्थानों को बेचने की कार्यवाही चल रही है। मैं इसका विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि जो अच्छी हालत में सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उनको चलाया जाए ताकि हजारों मजदूर बेकार न हों। ये फैक्ट्रीज चाहे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में हों। मेरे ही अपने संसदीय क्षेत्र, नया गांव स्थित जो सीमेंट फैक्ट्री है और जो अच्छी हालत में है, चलने योग्य है, मेरी प्रार्थना है कि उसे सरकार खुद चलावे।

*[अनुवाद]*

**श्री कीरेन रिजीजू** (अरूणाचल पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अरूणाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि अरूणाचल प्रदेश की नीशि जनजाति को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल किया जाना है। ...*(व्यवधान)*, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि अरूणाचल प्रदेश में एक प्रमुख जनजाति जिसे नीशि के नाम से जाना जाता है, को डाफला लिखा गया है। स्थानीय भाषा में इसे अपमानजनक माना जाता है। तत्पश्चात् अरूणाचल प्रदेश विधान सभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके। किन्तु अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मैं भारत सरकार से विशेषकर जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि 'डाफला' शब्द को 'नीशि' के आवश्यक परिवर्तन को शामिल करने और पुरोइक और बांगड़ू को उप जनजातियों के रूप में शामिल करने के लिए संविधान में तत्काल संशोधन लाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उन पाकिस्तानी नागरिकों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिन्हें क्रिकेट मैच देखने आने के लिए वीजा दिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ नागरिक वापस लौटकर नहीं गए हैं। महोदय, 2,745 लोग हिन्दुस्तान में आए थे और उनमें से 2,720 लोग वापस चले गए है, लेकिन 34 लोग अभी भी लापता है। महोदय, पहले से ही हमारे देश में बहुत–से पाकिस्तानी रह रहे हैं, जिनका संबंध आतंकवाद से है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। मैं इसके बारे में सरकार की राय जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे?

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : महोदय, उत्तर प्रदेश के जालौन और झांसी जनपदों में, जो कि मेरा लोकसभा क्षेत्र है, एक मार्च से दस मार्च तक हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गयी हैं और बहुत से किसान प्रभावित हुए हैं। इसके कारण अनेक किसानों की मृत्यु हो गयी है और तमाम किसान घायल हो गए हैं।

महोदय, मेरी मांग है कि प्रभावित किसानों के फसल से सम्बंधित कर्ज माफ किए जाएं और राजस्व वसूली रोक दी जाए। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। मृत किसानों के परिवार को पांच–पांच लाख रुपए और घायल किसानों को दो–दो लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएं।

*[अनुवाद]*

***डा. के एस. मनोज (अलेप्पी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र के गरीब मछुवारों के जीवन और जीविका से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ।*

महोदय, मैं तटवर्ती राज्य केरल का हूँ जिसमें 590 कि.मी. तटवर्ती क्षेत्र हैं। उसमें से लगभग 250 कि.मी. तटवर्ती क्षेत्र में प्रत्येक मानसून के दौरान समुद्र क्षरण होता रहता है। सुनामी एक अस्थाई परिघटना है किन्तु समुद्र क्षरण केरल में एक नियमित मानसून परिघटना है। प्रत्येक मानसून के दौरान अर्थात जून जुलाई और अगस्त के दौरान जब समुद्र में भीषण लहरे आती हैं तो केरल में समुद्र क्षरण होता है और उसके कारण गरीब मछुआरे अपनी जीविका के सभी स्रोत खो देते हैं। मुझे माननीय जल संसाधन मंत्री से उत्तर मिला है कि गत तीन वर्षों के दौरान केरल को 57.3 हेक्टेयर तटवर्ती भूमि का नुकसान हुआ है। ऐसा असंरक्षित तटवर्ती क्षेत्र के कारण होता है, और हजारों परिवार अपने घर खो देते हैं।

महोदय, हम भू सीमाओं की रक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं किन्तु हम सम्पूर्ण देश के तटवर्ती क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संदर्भ में मैं श्री गुलजारी लाल नंदा को उद्धत करना चाहूंगा।

"यदि किसी शत्रु ने भारत के किसी भी भाग पर कब्जा किया तो उस भाग को पुनः प्राप्त करने के लिए खर्च में बाधा नहीं आएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : बिल्कुल ठीक है।

**डा. के. एस. मनोज** : महोदय, समुद्र क्षरण के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए और समुद्र द्वारा अधिग्रहीत भूमि को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए और अधिक नुकसान को रोका जाना चाहिए। किंतु तटवर्ती भूमि को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। समुद्री क्षरण से बचने के लिए समुद्री दीवार का निर्माण और पहले से निर्मित समुद्री दीवार में सुधार जरूरी है। यद्यपि यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। फिर भी राज्य सरकारें समुद्री दीवारों के निर्माण हेतु भारी मात्रा में धनराशि खर्च करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए केरल के समुद्र तट जो लगभग 250 कि.मी. है के प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में समुद्री दीवार का निर्माण करने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने अपनी बात कह दी है। इसे पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए और भू क्षरण रोधी उपाय किए जाने चाहिए।

**डा. के. एस. मनोज** : जी, हां, अतिरिक्त हानि को रोका जाएगा।

***श्री प्रदीप गांधी** (राजनंदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य नया प्रदेश बना है। केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल आबंटित करती है और राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति 0.96 लीटर का आबंटन होता है।* चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार. है, इसलिए यूपीए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जितना कोटा आबंटित होना चाहिए, उससे कम दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों को मिलने वाले चावल और मिट्टी के तेल के आबंटन में राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। इससे जन आक्रोश फैलेगा और यूपीए सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। गरीबों को दो रुपए किलो में मिलने वाला चावल और गेहूं तथा मिट्टी का तेल सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिभाऊ राठौड़ – अनुपस्थित।

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि पंजाब ने 10–12 साल तक आतंकवाद को झेला है। वहां बहुत मेहनत करने के बाद शांति आई है। पिछले कुछ दिनों पहले पंजाब में 9 (नौ) बांगलादेशी पकड़े गए। इनवैस्टिगेशन से पता चला कि वे बंगलादेशी ही थे। वे बंगलादेश से वाया पंजाब पाकिस्तान जाना चाहते थे। अगर यही बात सच मानी जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में कितने लूपहोल्स हैं? यह बात स्पष्ट दिखायी भी देती है। ऐसी घटनाएं दोबारा न घटे और बांगलादेशी पंजाब में पैर न पसारें, इसके लिए सरकार को सुनिश्चित कदम उठाने चाहिए।

**श्री मदन लाल शर्मा** (जम्मू) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूं। आप मेरा प्वाइंट नहीं समझे और मैंने भी जल्दबाजी में प्रोटैस्ट दर्ज करवाया। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना मुद्दा उठाइए।

**श्री मदन लाल शर्मा** : मेरा निर्वाचन क्षेत्र हिली और बार्डर का इलाका है। मैं यूपीए सरकार और रेलवे मिनिस्टर का मशकूर हूं कि उन्होंने रेल बजट में देश भर के पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवानों को किसी दूसरे प्रदेश में इंटरव्यू में जाने के लिए रेलवे किराए में छूट देने की घोषणा की है। जम्मू से पुंछ जिला 3 लाख की आबादी पर मुशतमिल है और 300 किलोमीटर में वाके हैं। गांव से नौजवान पुंछ जिले में आएंगे, वहां से बस पकड़ेंगे, 300 किलोमीटर दूर जम्मू रेलवे स्टेशन आएंगे, अपनी टिकट बुक कराएंगे और फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में परीक्षा में शामिल होने के लिए जाएंगे। मेरी सरकार से और माननीय रेल मंत्री से मोहदबाना गुजारिश है कि पुंछ

डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में एक कम्प्यूटराइजड रिजर्वेशन सैंटर खोला जाए ताकि वहां के लोगों और पढ़े-लिखे बेरोजगार नोजवानों को दिक्कत न हो, अधिक खर्चा न करना पड़े तथा परेशानी न हो।

**अध्यक्ष महोदय** : शर्मा जी, आप जानते हैं कि हमने रेल बजट पर कितने घंटे चर्चा की। आपको रेल बजट पर चर्चा के समय यह मुद्दा उठाना चाहिए था लेकिन फिर भी ठीक है। थोड़ा धीरज रखने से अच्छा काम होता है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सर्वानन्द सोनोवाल। आप यहां नहीं थे जब पहली बार मैंने आपको बुलाया था। इसे नजीर के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए और भविष्य में दोहराया नहीं जाना चाहिए।

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह विशेष अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि दूरदर्शन के शुरू किए गए कार्यक्रम मूल रूप से केवल पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री के विशेष सॉफ्टवेयर पैकेज के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ऐसा करने में, देश के इन दो क्षेत्रों पर सही परिदृश्य में ध्यान केन्द्रित हुआ था जो कि अनेक समकालीन चुनौतियों और संकट से पीड़ित है। कमीशन्ड कार्यक्रमों के लिए विषय भी पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के संकटग्रस्त समाजों पर प्रकाश डालने के मद्देनजर सही परिदृश्य में सक्षम स्थानीय निर्माताओं जो समाज के सामने उपस्थित चुनौतियों से परिचित हैं द्वारा चुना जाता था।

यहाँ पर नोट किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर, विशेषकर असम और मणिपुर जहाँ पहले ही फिल्म उद्योग स्थापित हो चुका है में टेलीविजन उद्योग के लिए कमीशन्ड कार्यक्रम के रूप में विशेष सॉफ्टवेयर पैकेज पूरक रहा है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल तकनीकिविदों में वृद्धि हुई है। और वैकल्पिक प्रोडक्शन साधनों के नहीं होने पर, देश के अन्य भागों से भिन्न, पूर्वोत्तर का स्थानीय टीवी उद्योग पूरी तरह से अपने अस्तित्व के लिए कमीशन्ड कार्यक्रमों पर निर्भर है।

जहाँ पिछली प्रसार भारती अधिसूचनाएं कमीशन्ड कार्यक्रमों के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट थी, जो कि सिर्फ उस क्षेत्र के लिए होते थे, इस अधिसूचना में पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसकी बजाए, प्राधिकारियों ने पीपीसी (पूर्वोत्तर) के लिए निर्धारित कमीशन्ड कार्यक्रमों को पूर्वोत्तर से बाहर के निर्माण के लिए खोल दिया है। इस तरह का कदम विशेष सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक पहल है, के सच्चे उद्देश्य और भावना का उल्लंघन करता है। कमीशन्ड कार्यक्रमों के खोल देने के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर से बाहर के निर्माताओं और देश के बड़ी प्रोडक्शन हाउसों का बड़े पैमाने पर प्रवेश हुआ है जिनकी प्राथमिकताओं और रूचि का संकट प्रभावित क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा, नीति में तोड़ मरोड़ क्षेत्र के अत्यधिक सक्षम पेशेवरों की उपलब्धता के बावजूद हुआ है जो कि अच्छा प्रोडेक्शन देने में सक्षम हैं और जो पूर्वोत्तर के प्रति प्रतिबद्ध है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह पढ़ने का अवसर नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने अपनी बात कह दी है।

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** : महोदय, मैं इस विशेष मुद्दे को उठाना चाहता हूं क्योंकि यह विशेष कार्यक्रम सिर्फ पूर्वोत्तर के निर्माताओं के लिए था। अब वे बाहर के भी निर्माताओं को जगह देने जा रहे हैं। सिर्फ पूर्वोत्तर के लोगों की भावना का सम्मान करने के लिए प्रसार भारती को सख्ती से पूर्वोत्तर के निर्माताओं को अनुमति देनी चाहिए। जिससे पूर्वोत्तर की बोली में, न कि हिन्दी में, सिनेमा और टेलीविजन कार्यक्रम बनाया जा सके। मैं हिन्दी विरोधी नहीं हूँ। किंतु सिर्फ स्थानीय भाषाओं और स्थानीय बोली को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं और बोलियों को शामिल करना चाहिए। इसे कार्यक्रम में शामिल किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए, महोदय, सौ से भी अधिक निर्माता प्रसार भारती के इस विशेष कदम के विरोध में भूख हड़ताल पर है। इसलिए, इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए।

**श्रीमती सी. एस. सुजाता** (मवेलीकारा) : महोदय, महोदय मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की और दिलाना चाहती हूँ कि इस समय केरल के 37.1 प्रतिशत लोग बीपीएल का लाभ उठा रहे हैं। अब, नवीनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार केरल में ग्रामीण निर्धनता सिर्फ 9.38 प्रतिशत है। एन एस एस सर्वेक्षण अत्यन्त ही छोटे नमूने पर आधारित है और ब्यौरा अधिक पारदर्शी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि परिवारों के सर्वेक्षण के पश्चात, बीपीएल जनसंख्या का कुल प्रतिशत एन एस एस आंकड़े से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह अवैज्ञानिक मनमाना और क्रूर है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 50 प्रतिशत बी पी एल परिवार को लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस से असंतोष फैलेगा। मैं सरकार से इस विसंगति को दूर करने का आग्रह करता हूँ जिससे कि पात्र गरीब लोगों को बीपीएल के अन्तर्गत लाभ मिलता रहे।

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री फ्रांसिस जार्ज बोलेंगे। कृपया राज्य से संबंधित किसी भी मामले का उल्लेख नहीं कीजिए।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की)** : महोदय, यह विभिन्न राज्यों से संबंधित मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मामला उठाइये।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान हाल में देश में ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़े हमलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और विभिन्न अन्य राज्यों में हमले हुए हैं।

महोदय, केरल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सिस्टर्स पर कोझीकोड़ में आलोवन्ना में अत्यंत ही क्रूरता पूर्वक हमला किया गया था। महोदय, अलेप्पी में बुधानूर नामक स्थान पर, 'विलीवर्स चर्च ग्रुप' के छात्रों पर जब वे स्थानीय पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों से मिलने जा रहे थे, पर अत्यन्त ही क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। उन्हें स्थानीय आर एस एस कार्यालय ले जाया गया और उनकी खूब पिटाई की गई।

अन्य स्थानों पर भी हमला हुआ है। अमरावती में ईसाइयों पर हमला हुआ है। मैसूर में पास्टर नारायणन की हत्या हो गई। पास्टर गिल्बर्ट की उड़ीसा में हत्या कर दी गई। बलात् परिवर्तन किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में एक पूरे ईसाई गांव को बलात् धर्मान्तरित कर दिया गया है। कोटा में भी घातक हमला किया गया है। ....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने महाराष्ट्र का नाम लिया है...*(व्यधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें बोलने का हक है।

...*(व्यवधान)*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक देश है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : यह लोकतांत्रिक अधिकार है। यह लोकतंत्र है। प्रत्येक भारतीय को अपने पंथ को मानने का अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इस सभा के माननीय सदस्य हैं। उन्हें यदि यह असंसदीय नहीं है तो बोलने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अनेक राज्यों के नाम का उल्लेख किया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : कोई भी जो दूसरों के पंथ पर हमला करता है उसे उसी तरह से कुचल देना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पर्याप्त संरक्षणात्मक कदम उठाए।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में राष्ट्र संत तुकोजी महाराज महापुरुष हुये हैं। परतंत्र्यकाल में इन्होंने अपने भजनों के द्वारा गांव गांव जा कर सारे भारतवर्ष में अलख जगाया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को एक किया। महाराष्ट में जो क्रांति हुई, उसके पीछे संत तुकोजी का हाथ रहा है और उन्होंने ही लोगों को विचार दिये थे। परतंत्र्य काल के बाद भी गांवों के विकास के लिये उन्होंने विचार दिये। असहयोग आन्दोलन में जो लोग शामिल हुये, वे इस राष्ट्र संत के कारण शामिल हुये। भगवान कृष्ण ने श्रीमदभागवत गीता लिखी लेकिन इन्होंने गांवों के संबंध में 'ग्राम गीता' लिखी। उन्होंने यह किताब लिखकर न केवल देश का स्वाभिमान बढ़ाया बल्कि देश के नवयुवकों के लिये एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। 'ग्राम गीता' मराठी भाषा में लिखी हुई है। इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी तथा देश की अन्य भाषाओं में करने के लिये सरकार को विचार करना चाहिये। मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पुस्तक को शिक्षा सिलेबस में शामिल करें ताकि राष्ट्र संत तुकोजी महाराज के विचार गांव गांव और घर-घर में पहुंचे।

**श्री मोहन रावले** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से एसोसिएट करता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा करने का यह तरीका है। मैं इसकी अनुमति देता हूँ। आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

आगे श्री जसवंत सिंह बिश्नोई। श्री बिश्नोई आपने कोई खास विषय का उल्लेख नहीं किया है। आप सिर्फ एक मंत्रालय का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। आप विश्वविद्यालय के बारे में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं। कृपया विशिष्ट विषय उठाए अन्यथा यह कठिन होगा।

*[हिन्दी]*

**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान में भोजपुरा विश्वविद्यालय तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है। इन दोनों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का

दर्जा देने के लिये राजस्थान सरकार, केन्द्र को लिख चुकी है। यह मामला अभी तक विचाराधीन है। अभी तक केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी हुई जातियां रहती हैं। वहां बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। राजस्थान देश का सब से बड़ा प्रदेश है।

**अपराह्न 1.00 बजे**

इसलिए मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर, जिसका नाम राजस्थान सरकार ने रिकमैन्ड किया है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में कम से कम 85000 स्लम्स को डिमॉलिश करने का प्रयत्न हुआ। जो गरीब लोग होते हैं वे रोजी-रोटी कमाने के लिए शहरों में जाते हैं। मुम्बई शहर एक इकोनोमिकल कैपिटल है और हमारे देश के लोग वहां पेट भरने के लिए जाते हैं। मेरी भारत सरकार से मांग है कि इन स्लम्स को प्रोटैक्शन देने वाला कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। सोनिया गाँधी जी द्वारा बीच में वर्ष 2000 तक की झोंपड़-पट्टियों को मान्यता देने की सूचना मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र को देने के बाद मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2000 तक झोंपड़-पट्टियों को मान्यता दी है। लेकिन इसमे कट आउट डेट ठीक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि हर शहर में लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों को वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए, म्युनिसिपैलिटी में काम करने के लिए और मुम्बई शहर को सुन्दर बनाने के लिए अगर बाहर के लोग वहां आते हैं तो उनके लिए मकान की व्यवस्था उनका संवैधानिक हक है और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि शहर के लोगों की आवश्यकता...*(व्यवधान)* रावले जी, आपने झोंपड-पट्टी का विरोध किया, इसलिए आप लोग उधर से हट गये हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वह आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। वह मेरी ओर देख रहे हैं। श्री आठवले, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : इसलिए यह झोंपड-पट्टी का ही सवाल नहीं है, बल्कि गरीब लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि स्लम्स में रहने वाले लोग अपने देश के नागरिक हैं। उन्होंने वोटिंग कर दी है, इसलिए वे भारत के नागरिक हैं। अब उन्हें सुरक्षा देने की जिम्मदारी केन्द्र सरकार की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय इसमें आपको भी इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता है। आप गरीबों के नेता हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि स्लम्स में रहने वाले लोगों को कानूनी तौर पर प्रोटैक्शन देने वाला एक कानून तुरंत बनना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रसन्नता है कि आज 33 माननीय सदस्यों को निवेदन करने का अवसर मिला।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.01 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए*
*अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.04 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न*
*2.04 बजे पुनः समवेत हुई।*

**(उपाध्यक्ष महोदय,** *पीठासीन हुए)*

## नियम 377 के अधीन मामले

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम मद सं. 11-नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

**श्री एस. पी. वाई. रेड्डी** : उपस्थित नहीं। श्री एस. के. खारवेनथन-उपस्थित नहीं।

### (एक) तटवर्ती क्षेत्रों में जेट्टी के निर्माण के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, जूनागढ़ जिले और भावनगर जिले के बीच लगभग 250 से 300 किलोमीटर का समुद्रीय क्षेत्र है। इन तटीय क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 लाख परिवारों का मुख्य कार्य मछली पकड़ना है और इन समुद्रीय तटों में आए हुए पोरबंदर तट, बेरावल तट और मंगरोल तट के मछुआरों के पास नावों की संख्या लगभग 20 हजार है और इन्हीं तीनों तटों पर कुल मिलाकर 16 हजार से 18 हजार नावों को तट पर रखने की सुविधा उपलब्ध है। उनके

अलावा हीराकोट तट, सुत्रपाड़ा तट, धामलेज तट, जो कि तट के छोटे क्षेत्र हैं, इन तटों के ऊपर जेटी नहीं होने की वजह से वहां रहते हुए मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए अपनी नावों के साथ समुद्र में उतरना और वापस नावों के साथ किनारे पर आना संभव नहीं है। इस कारण मछुआरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बार–बार उनकी नावो का काफी नुकसान होता है।

गुजरात सरकार इस बात को नज़रअंदाज रखकर उसी समुद्र तट पर हीराकोट तट, सूत्रपाड़ा तट, धामलेज तट क्षेत्र में जेटी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मेरी जानकारी के अनुसार तीनों क्षेत्रों में जेटी बनाने का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है और जेटी वहां बन सकती है।

गुजरात सरकार के द्वारा भारत सरकार को भेजे हुए प्रस्ताव पर भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि गुजरात ने इस क्षेत्र में जो समुद्र तट पर जेटी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, उस प्रस्ताव पर शीघ्र और उचित कार्रवाई की जाए।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ए. वेंकटेश नायक–उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : स्पीकर साहब कहते हैं कि जब तक आप अपनी सीट से नहीं बोलेंगे, तब तक आपकी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जितनी देर तक आप अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे, आपकी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

### (दो) महाराष्ट्र के मालेगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

**श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** (मालेगांव) : मेरे संसदीय क्षेत्र मालेगाँव (महाराष्ट्र) के अंतर्गत अनेक तहसीलों में हजारों पेड़ों को काट कर जंगलों का विनाश किया जा रहा है और जंगलों की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पुन्नूलाल मोहले – उपस्थित नहीं।

श्री सी. एच. विजयशंकर

### (तीन) राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाए जाने के लिए इसकी पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

**श्री सी. एच. विजयशंकर** (मैसूर) : सरकार राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (सामाजिक वानिकी) के अन्तर्गत लाखों रुपये व्यय कर रही है। मैं एन ए पी के परिणामों के बारे में चिंतित हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है कि कर्नाटक में योजना के अंतर्गत लगाये गये पौधे मुख्यतः अकेशिया और यूक्लिपट्स हैं। यह प्रजातियां न तो मनुष्य के लिए न ही पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं।

यह सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगाना, कोई नयी संकल्पना नहीं है। महान सम्राट अशोक के काल में इस संकल्पना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया गया था। ताकि इन पौधों से यात्रियों को आश्रय व भोजन मिले, मृदा–क्षरण को रोका जाये, भूगर्भीय जल–स्तर में और मृदा की उत्पादकता में सुधार किया जाये। इसी कारणवश हमारे पूर्वज इमली, नीम, पीपल, आम, जामुन, बरगद को रोपते थे जो कि फल व आश्रय देने वाले थे और औषिधीय गुणों के कारण लाभदायक थे।

यह नोट करके दुख होता है कि कार्यान्वयन अभिकरण प्राकृतिक वानिकी के मूल सिद्धांतों और सामान्य जनता की इच्छाओं के विपरीत यूक्लिपटस और अकेशिया उगा रहे हैं जो कि हानिकारक और खतरनाक बात है। यद्यपि नीति के अंतर्गत विशेष निर्देश हैं कि ऐसे पौधों को विशेषकर मालवद और अर्ध–मालनद क्षेत्रों में न ले जाया जाये।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह एनएपी की समीक्षा करें और इन आवांछित और खतरनाक प्रजातियों के रोपण को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, मैं यह बताना चाहूँगा कि केबल वही विषय, जो आपने माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में दिया है और माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है, कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

### (चार) भागलपुर-नई दिल्ली के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में पैंट्री कर सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भागलपुर से नई दिल्ली जाने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ी विक्रमशिला

एक्सप्रैस में पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है। यह रेलगाड़ी भागलपुर से दिन में 11.00 बजे चलकर अगले दिन प्रातः नई दिल्ली पहुंचती है। इस लम्बी यात्रा में ठहराव भी कम है।

अतः विक्रमशिला एक्सप्रैस में पेंट्रीकार की व्यवस्था की जाए।

### (पांच) राज्य के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए केरल सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री पी. करूणाकरन** (कासरगोड़) : महोदय, 26 दिसंबर, 2004 को तटीय भारत, अंडमान और निकोबार और विशेषतया केरल के तटीय रेखा पर आघात करने वाली सुनामी ज्वारीय लहरों ने राज्य की 560 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के दीर्घ क्षेत्र को आप्लावित कर दिया।

इस घातक सुनामी में राज्य में 200 कीमती जानें चली गईं और लगभग 200 व्यक्ति घायल हो गये। इसने जीवन सहायक भौतिक अवसंरचना जैसे सुरक्षा प्रदान करने वाली समुद्री–दीवार, आवासों, पेयजल आपूर्ति प्रणालियों, विद्युत अवस्थापन आदि को भी नष्ट कर दिया। इसने 4.5 लाख जनसंख्या को प्रभावित किया और उन्हें घातक लहरों द्वारा उत्पन्न त्रासदी और नुकसान को झेलना था। दो पंचायतें अलापाद और अरातूपुआ पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी हैं। घर नष्ट–भ्रष्ट हो गये हैं; पशु मर गये; मछली पकड़ने वाली नौकाएं, जाल और उपकरण बह गये; किनारे पर नौकाएं उतारने के केन्द्र समतल हो गये और मत्स्यन–गोदियो में गाद भर गयी। लगभग 7000 घर पूरी तरह नष्ट हो गये और 11,165 घरों को व्यापक हानि हुई।

राज्य की कुल आवश्यकता 1400 करोड़ रुपए बैठती है। बहुत सारी तटीय पंचायतों को गंभीर क्षति हुई। यद्यपि केंद्र सरकार ने तत्काल सहायता प्रदान की है किंतु राज्य को हुई हानि हमारे आकलन से परे है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह न केवल प्रभावित क्षेत्रों बल्कि तटीय क्षेत्र में भी पुनर्वास करने, टूटी सड़कों और पुलों के निर्माण करने, प्रभावित जनता को राहत देने और समुद्री दीवार के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन जारी करे।

### (छह) छत्तीसगढ़ राज्य के कानून के अंतर्गत स्थापित उन विश्वविद्यालयों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कानून बनाकर सैंकड़ों विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति वर्ष 2002 में दी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की रोशनी में इन विश्वविद्यालयों की समीक्षा की गई, तो 27 विश्वविद्यालय मानक पर सही पाए गए। इन विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे थे। कई तकनीकी विश्वविद्यालयों के छात्र कैम्पस साक्षात्कार द्वारा देशी और विदेशी कम्पनियों में अच्छी नौकरी में हैं। इनकी प्रतिष्ठा देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाले कानून को निरस्त कर दिया, जिससे हजारों होनहार युवकों का भविष्य अंधकारमय हो गया और युवा वर्ग में निराशा पैदा हो गई है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय कानून व यू.जी.सी. के मानकों को पूरा करने वाले विश्वविद्यालय थे और उनमें पढ़ाई का स्तर ऊंचा था, वहां के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उनकी जीवन रक्षा हेतु उनके शिक्षण और डिग्री की नई व्यवस्था की जाए।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय,

**उपाध्यक्ष महोदय** : राम कृपाल जी, अब जितना जोर लगाना है, वह इसमें लगा लें। लेकिन बाद में बीच में न टोकें।

**श्री राम कृपाल यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि हम जोर नहीं लगाते हैं, फिर भी हम पर आरोप लगाया जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो मैं कह रहा हूं, इसमें एक भी लफ्ज, आपके खिलाफ नहीं है।

### (सात) पटना शहर में विकासात्मक कार्य शुरू किए जाने संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य जल परिषद, पटना ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जो पटना के लिए "समयंकित विकास योजना" के अन्तर्गत पटना के पूर्ण विकास से संबंधित है। यह प्रस्ताव नवम्बर, 2002 से ही शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास लम्बित है। यह प्रस्ताव करीब 1670 करोड़ रुपए का है और इस पर जेबीआईसी जापान के सहयोग द्वारा वाह्य वित्त संपोषित आधार पर कार्यान्वयन होना है। इस संबंध में बिहार राज्य जल परिषद, पटना, जेबीआईसी, जापान के प्रतिनिधियों की शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी हो चुकी हैं।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे बिहार राज्य जल परिषद् पटना के प्रस्ताव की अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करें जिससे

कि इस कार्य का शुभारम्भ हो और पटना का समुचित विकास संभव हो सके।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मोहम्मद ताहिर–उपस्थित नहीं।

### (आठ) सेतु-समुद्रम परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में समुद्र तल को साफ करके बना हुआ पहला नौ–चालन मार्ग सेतु समुद्रम परियोजना का निर्माण शीघ्र पूरा करना चाहिए। यह 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गहरे सागरों के खानों को निबटने वाली अपने प्रकार की पहली परियोजना होगी।

इस समय जबकि यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरणिक अभियाँत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने इस परियोजना के प्रभावों के बारे में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी उसके विपरीत रिपोर्टें हैं। ब्रिटिश राज्य के दौरान भी उस परियोजना की संभावना व्यक्त की गई थी और हमारे महान राष्ट्रीय एकता कवि सुब्रह्मण्यम भारती ने इस नौचालन के बारे में राष्ट्रीय संपदा को बढ़ाने वाले आदर्श स्वप्न के रूप में इसका गुणगान किया था। तमिल नाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस परियोजना को शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने में देर लगा रहा है। सेतु समुद्रम परियोजना भी, स्वेज और पनामा नहरों की तरह निरंतर चलने वाली और रोजगार पैदा करने वाली परियोजना बन सकती है। क्योंकि यहाँ नौचालन के साथ समय–समय पर गाद निकालने का कार्य भी चलता रहेगा। इस तरह मैं प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूँ कि सेतु समुद्रम परियोजना में और देरी न लगायी जाये।

### (नौ) दूरदर्शन केन्द, डिब्रूगढ़ के दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर को 150 मीटर ऊंचा किए जाने तथा उक्त केन्द्र में अपलिंकिंग सुविधा वाला पूर्ण समाचार विभाग शुरू किए जाने की आवश्यकता

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** (डिब्रुगढ़) : महोदय, डिब्रुगढ़ दूरदर्शन केन्द्र के ट्रांसमिशन टावर की ऊँचाई शुरू में 150 मीटर होनी तय की गई थी। नागरिक विमानन महानिदेशालय की आपत्तियों के कारण, टावर की ऊँचाई 75 मीटर तक कम कर दी गई ताकि नागरिक उड़ान कॉरीडोर में बाधा न पड़े। बाद में डी जी सी ए ने नागरिक उड़ान कॉरडोर को संशोधित कर दिया और टावर की ऊँचाई को पुनः 150 मीटर तक करने के लिए अनुमतियां प्राप्त हो गई। योजना के अनुसार 150 मीटर ट्रांसमिशन टावर में डिजीटल ट्राँसमिशन लगना था। जिससे एक साथ 6 चैनल प्रसारित हो सकते थे। अब सरकारी रूप से इसे पुनः बनाने की स्वीकृति को तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं। कार्य काल–विवर्जित हो गया है और दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़ के लिए कोई भी विकास योजना दृष्टिगोचर नहीं हो रही।

दूरदर्शन केंद्र डिब्रुगढ़ के ट्रांसमिशन टावर को, बिना और समय गंवाये 150 मीटर तक करना चाहिये। इससे टीवी स्टेशन प्रसारित कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ेगी और वे सम्पूर्ण ऊपरी असम, अरूणाचल प्रदेश के भागों और नागालैंड तक पहुंच सकेंगे।

दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रुगढ़ में अपलिंकिंग सुविधाओं सहित एक पूर्ण समाचार विभाग स्थापित करना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आठवले, यदि आपको वहाँ कोई परेशानी या कठिनाई है तो अगली पंक्तियों में आ सकते हैं।

### (दस) अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति को निजी क्षेत्र में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी लागू किए जाने की आवश्यकता

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक निगमों में आरक्षण की वर्तमान नीति को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक निगमों में सरकारी इक्विटी 50 प्रतिशत से भी कम कर दिए जाने के पश्चात् भी जारी रखना चाहिए। आरक्षण की नीति का निजी क्षेत्र में सेवाओं में भी विस्तार करना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वैधानिक उपाय करना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करनी चाहिए जिसमें अजा/अजजा का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। अजा/अजजा के लिए भी उच्चतर न्यायपालिका के पदों में आरक्षण नीति शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार कुलपति सरकारी उपक्रम/सांविधिक निगमों के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में भी अजा और अजजा के आरक्षण की नीति लागू करनी चाहिए।

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, जैसी शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च विशेषज्ञता सहित व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में भी अजा और अजजा के आरक्षण का उपबंध होना चाहिए।

यह अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतरण।

### (ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मथुरा में यमुना नदी के सफाई कार्य के लिए पर्याप्त निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह** (मथुरा) : महोदय, मथुरा तीर्थ स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष पूरे देश से और विदेश से लाखों लोग आते हैं। सभी तीर्थयात्री पवित्र स्नान के लिए यमुना नदी में जाते हैं। किंतु यमुना नदी की स्थिति यहाँ इतनी दयनीय है कि यह अत्यधिक प्रदूषित हो गई है और बहुधा शव तैरते दिखाई पड़ते हैं। मथुरा और वृन्दावन शहर के लोगों को यमुना नदी से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यह अस्वच्छ और मैला है। इतना ही नहीं, मथुरा में और वृन्दावन में यमुना नदी पर जैसा कि हरिद्वार में है कोई घाट नहीं है। मथुरा क्षेत्र में मनुष्य और पशुओं दोनों का जीवन खतरे में है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी के साथ साथ घाटों के निर्माण और नदी में सफाई और मथुरा तथा वृन्दावन शहर में सीवर प्रणाली के लिए पर्याप्त धन का आबंटन किया जाना चाहिए।

### (बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन–गरौठा, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत खनिज सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां दूरस्थ स्थानों हेतु ट्रकों द्वारा बालू तथा पत्थर ढोया जा रहा है, उससे सड़कों में 5–5 फुट के गड्ढे हो गये हैं, क्योंकि वहां की सड़कों की मानक क्षमता 10 से 15 टन माल ढोने के लिए बनी है, जबकि इन सड़कों पर 40–40 टन माल ढोया जा रहा है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि निम्न सड़कों को एन. एच.ए.आई. के अन्तर्गत ले लिया जाये जिससे राजस्व का भी लाभ होगा। ये सड़कें उरई से इटावा, उरई से गोपालपुरा, उरई से रावतपुरा, उरई से हमीरपुर उरई से राठ और उरई से पूंछ होते हुए गरौठा से मऊ रानीपुर हैं।

---

**अपराह्न 2.24 बजे**

## सामान्य बजट, 2005-2006–सामान्य चर्चा
## लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) 2005-2006
## और
## अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2004-2005

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम बजट पर चर्चा करेंगे। मद सं. 12, 13 और 14 पर एक साथ चर्चा होगी। हमें 12 घंटे दिए गए थे। अब तक चार घंटे 45 मिनट चर्चा हो चुकी है। हमारे पास सात घंटे और 15 मिनट बचे हैं।

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य वाद–विवाद में उपयोगी और रचनात्मक सुझाव दें।

कल जब मैंने सभा को स्थगित किया था, श्री बी. के. देव बोल रहे थे। अब मैं उनसे भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या 1 से 4, 8 से 10, 12 से 16, 18, 20 से 23, 25 से 27, 29 से 32, 34, 36, 40 से 44, 46 से 50, 52 से 58, 60, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 90, से 92, 95 से 100, 104 और 105"

*लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004–2005 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य)*

| मांग संख्या | मांग का नाम | सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 1. | कृषि और सहकारिता विभाग | 3,00,000 | 20,91,00,000 |
| 2. | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग | 1,00,000 | – |
| 3. | पशुपालन और डेरी कार्य विभाग | 1,00,000 | – |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 4 | कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय | 1,00,000 | – |
| 8 | उर्वरक विभाग | 2996,36,00,000 | – |
| 9 | नागन विमानन मंत्रालय | 89,90,00,000 | – |
| 10 | कोयला विभाग | 1,00,000 | – |
| 12 | वाणिज्य विभाग | 1,00,000 | 25,20,00,000 |
| 13 | औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग | 1,00,000 | – |
| 14 | डाक विभाग | 10,78,00,000 | 1,00,000 |
| 15 | दूरसंचार विभाग | 2082,50,00,000 | 407,10,00,000 |
| 16 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 1,00,000 | – |
| 18 | उपभोक्ता कार्य विभाग | 38,07,00,000 | – |
| 20 | संस्कृति मंत्रालय | 2,00,000 | – |
| 21 | रक्षा मंत्रालय | 959,10,00,000 | – |
| 22 | रक्षा पेंशन | 672,00,00,000 | – |
| 23 | रक्षा सेवा–थल सेना | 1334,41,00,000 | – |
| 25 | रक्षा सेवा–वायु सेना | 30,00,00,000 | – |
| 26 | रक्षा आयुध कारखाने | 75,45,00,000 | – |
| 27 | रक्षा सेवा–अनुसंधान एवं विकास | 66,91,00,000 | – |
| 29 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | – | 2,62,00,000 |
| 30 | पर्यावरण और वन मंत्रालय | 2,00,000 | – |
| 31 | विदेश मंत्रालय | 253,30,00,000 | – |
| 32 | आर्थिक कार्य विभाग | 1,00,000 | – |
| 34 | वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां | 6,00,000 | 1,03,00,000 |
| 36 | राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण | 316,62,00,000 | – |
| 40 | पेंशन | 213,00,00,000 | – |
| 41 | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग | 83,31,00,000 | 2,96,00,000 |
| 42 | राजस्व विभाग | 11,94,00,000 | – |
| 43 | प्रत्यक्ष कर | 23,95,00,000 | – |
| 44 | अप्रत्यक्ष कर | 53,47,00,000 | – |
| 46 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 1,00,000 | – |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 47 | स्वास्थ्य विभाग | 3,00,000 | – |
| 48 | आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष) | 3,60,00,000 | – |
| 49 | परिवार कल्याण विभाग | 1,00,000 | – |
| 50 | भारी उद्योग विभाग | – | 1,00,000 |
| 52 | गृह मंत्रालय | 8,87,00,000 | – |
| 53 | मंत्रिमंडल | 62,45,00,000 | – |
| 54 | पुलिस | 434,80,00,000 | 6,00,00,000 |
| 55 | गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | 135,00,00,000 | – |
| 56 | संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण | 147,66,00,000 | 4,00,00,000 |
| 57 | प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग | 1,00,000 | – |
| 58 | माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग | 167,17,00,000 | – |
| 60 | सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | 18,52,00,000 | – |
| 61 | श्रम और रोजगार मंत्रालय | 91,45,00,000 | – |
| 63 | विधि एवं न्याय | 2,00,000 | – |
| 65 | गैर–पारंपरिक ऊर्जा–स्रोत मंत्रालय | 1,00,000 | – |
| 68 | महासागर विकास विभाग | 1,00,00,000 | – |
| 70 | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | 1,00,000 | – |
| 71 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | – | 2,00,00,000 |
| 79 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 82,45,00,000 | 1,00,000 |
| 80 | ग्रामीण विकास विभाग | 46,00,000 | – |
| 83 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 84 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 2,00,000 | – |
| 86 | नौवहन मंत्रालय | 29,00,00,000 | – |
| 88 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | 1,00,000 | – |
| 90 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 64,00,000 | – |
| 91 | इस्पात मंत्रालय | 23,67,00,000 | 1,00,00,000 |
| 92 | कपड़ा मंत्रालय | 3,00,000 | – |
| 95 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 111,66,00,000 | – |
| 96 | चंडीगढ़ | 60,41,00,000 | 3,95,00,000 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 97 | दादरा और नागर हवेली | 1,00,000 | 1,81,00,000 |
| 98 | दमन और दीव | 1,00,000 | 7,66,00,000 |
| 99 | लक्षद्वीप | 2,09,00,000 | 35,00,000 |
| 100 | शहरी विकास मंत्रालय | 8,01,00,000 | 300,01,00,000 |
| 104 | जल संसाधन मंत्रालय | – | 6,50,00,000 |
| 105 | युवा मामले मंत्रालय | 2,00,000 | – |
| | कुल जोड़ | 10700,40,00,000 | 793,14,00,000 |

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने बजट पर अपना भाषण शुरू ही किया था जब मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था। यदि मुझे याद है तो मैं समझता हूँ कि मैं संघीय राजकोषवाद पर चर्चा और वाद-विवाद कर रहा था।

जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश संघीय है। संघीय राजकोषवाद देश में विद्यमान है। बारहवें वित्त आयोग के दौरान, एक आयोग की स्थापना की गई थी। इसने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इन दो देशों में सर्वोत्तम केन्द्र-राज्य संबंध का होना माना जाता है। केन्द्र-राज्य संबंध सबसे स्वस्थ और केन्द्र तथा राज्य के बीच राजकोषीय संबंध अच्छा है। इस आयोग ने एक रिपोर्ट दी इसमें कहा गया है, सभी माध्यमों के द्वारा राजकोषीय स्थानांतरण सकल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में छठे वित्त आयोग में औसत 31.4 प्रतिशत से बढ़ गया है। यह सातवें वित्त आयोग में 38.1 प्रतिशत हो गया है। दसवें वित्त आयोग में 35.8 प्रतिशत तक कम होने से पहले नौवें वित्त आयोग की अवधि में बढ़ कर 40.3 प्रतिशत हो गया और फिर यह बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गया।" इससे कोई यह मान सकता है कि किस तरह राज्य केन्द्रीय राजस्व और कर पर निर्भर है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान सिर्फ देश के तीन क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और बिहार का उल्लेख किया है। आज आर्थिव संकेतकों से पता चलता है नीचे से बिहार दूसरा निर्धनतम राज्य है, और उड़ीसा देश में निर्धनतम राज्य है जहाँ 47.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि वह उड़ीसा के लिए किसी पैकेज की घोषणा नहीं कर सके।

कल, वित्त मंत्री ने माननीय सदस्य श्री मल्होत्रा से बजट घोषणाओं संबंधी पीली पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा मैं अभी अभी इसे पढूंगा। जल संचयन संरचना और जलस्त्रोतों के पुनरुद्धार जैसे कतिपय मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जल स्त्रोतों की मरम्मती और पुनरूद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित दो प्रायोगिक योजनाएं कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यह दिया है कि पनधारा योजना भी इसी उद्देश्य के लिए है। यह देखा गया है कि कई स्थानों पर यह धन समुचित रूप से नहीं भेजा गया है। ए आई बी पी कार्यक्रम में 178 परियाजनाओं में से वह सिर्फ 28 प्रतिशत पूरा कर चुके हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि किस तरह बचे हुए इन चार वर्षों में वह एक मिलियन हैक्टेयर के लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना है। यदि आप कांग्रेस सरकार का इतिहास देखें। जिसने देश में 47 वर्षों तक शासन किया। यह देखा गया है कि उन्होंने परियोजनाओं को अधूरा छोड़ दिया है। जिन लोगों को विस्थापित किया गया उनका पुनरुद्धार किया गया है। इसलिए, पुनरूद्धारं के लिए कोई स्थिर और जोरदार कार्यक्रम नहीं है। यदि आज आप उड़ीसा जाएं जिन लोगों को हीराकुड बांध परियोजना के निर्माण के समय हटाया गया उनका आज तक पुनर्वास नही किया गया है। इस बांध का उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था। आप कह सकते हैं कि यह राज्य का विषय है किंतु ए आई बी पी कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के लिए केन्द्र से धन मंजूर किया जाता हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देश में इस तरह की संरचना से मुझे आशा है, वित्त मंत्री अपने द्वारा घोषणा की गई उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह देखा गया है कि उड़ीसा जैसे राज्यों की उपेक्षा हुई है। 'के बी के क्षेत्र' के रूप में ज्ञात क्षेत्र में भूख से लोग मर रहे हैं। एन डी ए सरकार के दौरान, भूखे मरने अथवा पलायन की एक भी घटना नहीं हुई। किंतु कांग्रेस शासन के दौरान, भूख से मौत की खबर आई थी और उच्चतम न्यायालय ने भी निदेश दिए हैं।

एक आयोग का गठन किया गया था और यह स्थापित हो गया कि तत्कालीन सरकार जो कि कांग्रेस सरकार थी की उपेक्षा के कारण कालाहांडी में भूख से मौत हुई थी। एन डी ए सरकार में हम इस समस्या से जूझे और इसका काफी हद तक समाधान किया। आज, कालाहांडी जिला में लगभग तीन लाख हेक्टेयर सिंचाई की

संभावना का सृजन किया गया जिससे कि पूरे वर्ष पानी मिल रहा है।

खानों के संबंध में, हम लोगों ने बाक्साइड खानों सहित सभी खानों को खोल दिया है। उड़ीसा खनिज संसाधनों के मामले में काफी संपन्न है। लेकिन इस्पात और क्रोम संयंत्र इत्यादि स्थापित किए जाने के मामले में इस राज्य की सदा उपेक्षा की गई है। बड़ी कंपनियों ने खानों को पट्टे पर ले लिया था किंतु हमारे उत्पादन में कोई मूल्य संवर्धन नहीं हो रहा है। अयस्कों के लिए उन्हें बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश अथवा उड़ीसा जाना पड़ता था। इस प्रकार खानों के मामले में उड़ीसा की घोर अपेक्षा की गई है। लेकिन आज पहली बार बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठाए हैं। उड़ीसा राज्य में 5 इस्पात संयंत्र और तीन अल्यूमीना संयंत्र स्थापित करने के लिए हमें एक लाख करोड़ रुपये मिल रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इन संयंत्रों की स्थापना में हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार हमें सहयोग करेगी ताकि उड़ीसा के लोगों की आजीविका बनी रहे क्योंकि उड़ीसा के लोगों के पास आय का यही एक मात्र स्रोत है। यद्यपि, कृषि भी आय का स्रोत है, लेकिन उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजग सरकार द्वारा कृषकों को सुरक्षा आवरण, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना पहला क्रान्तिकारी प्रयास था। सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में ऋण की कमी के कारण कृषक आत्महत्या कर रहे हैं। वे सूदखोरों के शिकार हो गये हैं। अतः हम उड़ीसा में इस समस्या को समाप्त करना चाहते हैं। यह काफी कारगर रहा है।

मुझे इस बात की खुशी है कि राजग सरकार द्वारा शुरू किए गये कार्यक्रम को आपकी सरकार जारी रख रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार के पास नया नजररिया हो और नए कार्यक्रम शुरू करे। मंत्री महोदय क्या आपने हमें नया नजरिया या नया कार्यक्रम दिया है? उदाहरण स्वरूप, राजग सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरूआत करके ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक क्रांति की शुरूआत की। ये विकासोन्मुखी कदम राजग सरकार द्वारा उठाए गए थे।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने उसी भाषण में कहा था कि व्यापार के क्षेत्र में विश्वास की कमी आई थी जिसे वे पुनः वापस ले आए हैं। लेकिन संप्रग सरकार के सत्ता में आते ही स्टॉक बाजार में 60 अंकों की गिरावट आ गई थी। संप्रग सरकार के सत्ता में आने के पहले दिन ही उन्होंने अपने वामपंथी साथियों, कम्यूनिस्ट पार्टी को खुश करने के लिए "सार्वजनिक उद्योग के पुनर्गठन के नाम पर विनिवेश मंत्रालय को समाप्त कर दिया था और आज उसी मंत्रालय को नया नाम दे दिया है। 'पुनर्गठन' से आपका अभिप्राय क्या है? 30 लाख कर्मचारी वाले वे उपक्रम, वे उद्योग जो बीमार हो गए हैं। उनके पुनरूद्धार के लिए आपने कौन–कौन से कदम उठाए हैं?

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि एन.डी.ए. के शासन काल में 2003–04 के दौरान कृषि क्षेत्र, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, में सुधार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2 प्रतिशत की आय वृद्धि हुई। कृषि के अतिरिक्त, 2002–03 में जो वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत हो गई थी वह तीव्र गति से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई। ठीक उसी प्रकार 2002–03 में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत थी वह 2003–04 में बढ़कर 7 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत हो गई। अतः ये सारी समस्याएं उनके द्वारा ही सृजित है।

महोदय, कृपया घंटी नहीं बजाइए। आप कल भी बहुत घंटी बजा रहे थे। जिसके कारण मैं अपने भाषण पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहा था।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कल आप छह मिनट तक बोले थे। आज आपने अपराह्न 2.24 बजे से बोलना शुरू किया है। अतः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री बिक्रम केशरी देव :** महोदय, अब मुझे कराधान प्रस्तावों पर कुछ बोलने की अनुमति दी जाए।

मैं कहना चाहता हूँ कि एन.डी.ए. के शासनकाल के दौरान व्यापार के क्षेत्र में पुनः विश्वास का माहौल कायम हो गया। अब उस विश्वास में कमी आ गई है। स्टॉक बाजार में ऐसा दिखाई दे रहा है। उस दौरान निःसन्देह संवेदी सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि हुई। लेकिन रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं। इस्पात के क्षेत्र में स्थिति बेहतर हुई। 2001 तक इस्पात उद्योग पूर्णरूपेण रूग्ण था बहुत से संयंत्र बंद हो गये थे। राजग सरकार ने हमारे समय के दौरान ही इसकी स्थिति में सुधार आया था जो कि मध्यावधि समीक्षा से बिल्कुल स्पष्ट है। मध्यावधि समीक्षा में यह कहा गया है कि भारतीय इस्पात उद्योगों में 2001 तक मंदी के बाद, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में अच्छे निष्पादन के कारण इसके पुनरूद्धार के निश्चित संकेत मिलने लगे थे। तैयार इस्पात उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अतः, हम कांग्रेस द्वारा कमजोर और बर्बाद की गई अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे और इसे पटरी पर लाने में हम लोगों को छह वर्ष लगे।

यदि पुनः हम लोगों की सरकार बनी होती तो स्थिति कुछ

[श्री बिक्रम केशरी देव]

और ही होती...*(व्यवधान)* लेकिन आज वामपंथी मोर्चा दोहरे मानदण्ड अपना रहा है। वे सरकार का समर्थन करने के लिए दोहरे मानदण्ड अपना रहे हैं वे संसद में कुछ, प्रेस के समक्ष कुछ, बंगाल गए तो कुछ और केरल गये तो कुछ और कहते हैं। अतः वे दोहरे मानदण्ड अपना रहे हैं...*(व्यवधान)* इसमें मेरी क्या गलती है?

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। कृपया टीका–टिप्पणी न करें। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री देव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय, वामपंथी मोर्चा दोहरे मानदण्ड अपना रहा है जिसे सफल नहीं होने देना है।

यह मध्यावधि समीक्षा का प्रतिवेदन है क्या वामपंथी मोर्चा, नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किए जाने से सहमत है? यहां कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है जिसे "पहले ही कार्यान्वित" किया जा चुका है। क्या वामपंथी मोर्चा के पास इस कदम का समर्थन करने की इच्छा शक्ति है? अतः यह वामपंथियों द्वारा दोहरे मानदण्ड का खुला प्रदर्शन है और वो भी किसी न किसी तरह सत्ता में बने रहने के लिए। यदि वे चाहते हैं तो पुनः जनता के बीच जाएं और उसंका सामना करें। उससे कहं कि वे उनको पूर्ण जनादेश दें; उनसे पूछें कि उन्होंने खण्डित जनादेश क्यों दिया। उड़ीसा की जनता ने अच्छी तरह जवाब दिया है और भाजपा तथा बीजू जनता दल को उड़ीसा के चुनाव में भारी बहुमत मिली। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्या मैंने किसी को बोलने के लिए कहा था?

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बोल चुके हैं; आपको जो कहना था, कह चुके हैं।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय, गरीबों की बात कह रहा हूँ। आम आदमी और गरीब की बात है, बोलने दीजिए। टाइम्स ऑफ इण्डिया में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।

*[अनुवाद]*

यह प्रमाणिक है गरीबों में से आधे लोग अभी भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछली सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए 2003–04 में अंत्योदय और अन्य कई योजनाएं चलाई। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन राज्यों ने उनका दुर्विनियोजन किया उनमें संप्रग घटक, राजद द्वारा शासित बिहार, कांग्रेस शासित पंजाब, हरियाणा जहां आई.एन.एल.डी. की सरकार है, जो न तो राजग के साथ है और न ही सप्रंग के, और उत्तर प्रदेश, जहां सपा की सरकार है जो सरकार को बाहर से समर्थन कर रही है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : सिंधिया जी, आप पहले बोल चुके हैं, अब दूसरों को अपनी बात कहने दीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय यह दुख की बात है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस देश में असफल रही है। इस गरीब देश में 22 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं। अतः सरकार को इस दिशा में ठोस उपाय करने चाहिए। इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों पर अधिकाधिक दंड किया जाना चाहिए। यह गरीब लोग का आहार है जिसे अनेक हाथों से छीना जा रहा है। यह पूरा का पूरा उन्हें दिया जाना चाहिए। दुर्विनियोजन और घपलेबाजी करने वाले राज्यों को दण्ड दिया जाना चाहिए। यह गरीब लोगों, आम आदमी की बात है।

मैं एक और आम आदमी की बात बताऊंगा, सरकारी कर्मचारी लगभग 39 वर्षों तक सरकार की सेवा करता है। मंत्री महोदय ने 80 एल की सुविधा समाप्त कर दी है। सेवानिवृत्ति के बाद 30,000 रु. के मानक कटौती का लाभ लेने के बाद 225.33 लाख रुपये यानि 225.30 लाख रुपये के आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80 एल के तहत मिलने वाली 12,000 रु. की कटौती को समाप्त कर दी गई है। अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस सुविधा को पुनः शुरू करें ताकि 39 वर्षों तक देश की निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके। अन्यथा इन गरीब लोगों की रोजी–रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

*[हिन्दी]*

पीठ पर मार सकते हैं, पेट पर नहीं मारना चाहिये।

*[अनुवाद]*

यह गरीब लोगों के पेट पर लात मारने के समान है। अतः मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह कृपया इसे पुनः लागू करे।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण खाली हुए पदों को भरने में कामयाब नहीं हो पायी है। यदि सरकार इसे करने की गंभीरतापूर्वक कोशिश करती है तो वह ऐसा कर सकती थी। कोई युवा व्यक्ति या बेरोजगार युवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आयेगा। मैं वित्त मंत्री जी से इस पर पुनः विचार करने के लिए कहूँगा।

अब मैं केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र उड़ीसा के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कालाहांडी एक पिछड़ा राज्य है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको और ज्यादा समय नहीं दे सकता।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : बहुत कुछ किया जाना है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि वित्त मंत्री जी ने श्रम सुधारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बहुत सारे श्रम सुधार किये जाने हैं। श्रम आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब कुछ अपनी पार्टी के सदस्यों को कहने के लिए मौका दो। अभी 42 और सदस्यों को इस चर्चा में हिस्सा लेना है।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : बहुत कम मौका मिला है, बोलने का। अब मिला है इसलिए कृपया बोलने दें।

*[अनुवाद]*

कालाहांडी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वित्त मंत्री जी दक्षिण से है। यह बागान वाला क्षेत्र है और इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आते हैं। वहाँ कुछ अन्य गैर–पारंपरिक क्षेत्र है। पूर्वोत्तर, उड़ीसा में बागान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि हमें इस क्षेत्र में अनुकूल कृषि जलवायविक क्षेत्र मिले हैं। भविष्य में जब भी सरकार निर्णय ले, वह पूर्वोत्तर का उल्लेख करे। पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा आतंक माओवादी उग्रवाद का है। क्षेत्र का पिछड़ापन एम सी सी और ऐसे अन्य नक्सल समूहों की प्रगति के लिए उत्तरदायी है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र की अवहेलना करने से ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। बेरोजगार युवकों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (साबरकंठा) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी को मैं बहुत–बहुत बधाई देता हूं, एक सोशल जस्टिस और इक्विटी के बेस पर बनाया हुआ बजट उन्होंने देश के सामने पेश किया है। लाखों–करोड़ों लोगों में एक आशा उन्होंने जगाई है। पहली बार देखा गया है कि कभी किसी पार्टी ने नेशनल मिनीमम कॉमन प्रोग्राम पब्लिकली बताया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वही रिफलेक्ट होता हो और बजट में भी वही रिफलेक्ट होता हो, यह पहली बार हुआ है।

*[अनुवाद]*

यूपीए ने लोगों को जो वायदे किये थे, उसके बारे में काफी दावे हैं। यह राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और पुनः राष्ट्रपति के अभिभाषण में झलकते हैं।

*[हिन्दी]*

फाइनली बजट स्पीच में सारे प्रावधान किये गये हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि अनएम्पलाएमेंट और पावर्टी पर अटैक बजट के माध्यम से किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत अर्से के बाद एम्प्लायमेंट को सेंटर में रखते हुए पूरे रिसोर्सेज को कैसे बांटना, इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, यह सोच इस बजट में रिफलैक्ट होती है। पहले, हमारे जो साथी यहां बैठते थे, कहा करते थे कि एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। हम जब पूछते थे कि एक करोड़ हर साल नौकरियां कैसे देंगे, किस तरह से जैनरेट करेंगे तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। हमारी बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने, इस बारे में पूरे एरियाज बताए गये हैं कि कैसे रोजगार जैनरेट करेंगे और किस–किस क्षेत्र में करेंगे। टैक्सटाइल, एग्रीकल्चर, खादी और विलेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैवलपमेंट के साथ पूरी एम्प्लायमेंट के अवसर, करोड़ों लोगों के लिए खड़े किए जाएंगे। कल यहां टैक्स प्रपोजल के बारे में बड़ा शोर मचाया गया। मैं यह मुद्दा भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। गत वर्ष के कंपेरिजन में मैं देख रहा था कि कोरपोरेशन टैक्स वर्ष 2004–2005 के बजट एस्टीमेंट में टोटल रैवेन्यू रिसीट का 23.25 प्रतिशत था लेकिन इस बार उसमें 25.87 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह आप पर निगम कर के अतिरिक्त अन्य कर है। उसका प्रतिशत शेयर रैवेन्यू रिसीट के अंदर 13.39 प्रतिशत था वह बढ़कर 15.50 प्रतिशत होगा। वर्ष 2003–2004 में कस्टम टैक्स में 14.34 प्रतिशत था जो 12.44 प्रतिशत होगा। यूनियन एक्साइज डयूटी जो वर्ष 2002–2003 में 27.45 प्रतिशत थी वह वर्ष 2005–2006 में 28.43 प्रतिशत होगी। टैक्स के अंदर सर्विस टैक्स 3.72 प्रतिशत था वह 4.09 प्रतिशत होगा। टैक्स ज्यादा नहीं बढ़े हैं। मैं आपका ध्यान नॉन टैक्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल हम 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नॉन टैक्स रैवेन्यू के जरिये हासिल करेंगे। सिर्फ इकोनोमी एक्टीविजी का जो शेयर है वह 80 करोड़ है और डिविडेंट रैवेन्यू रिसीट उसके अंदर से आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है। यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कारण

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

है। सरकार की सोच के कारण वैल्थ बढ़ी है। जितनी मिडल–क्लास खड़ी हुई है वह सरकार की पॉलिसी की वजह से खड़ी हुई है। अब जब गरीब तबके को टैक्स की सहायता से आगे लाने का समय आया है तो एक ऐसा माहौल बन रहा है कोई भी कर अदायगी नहीं करना चाहता। सर्विस सबको चाहिए लेकिन गरीब आदमी की तरक्की के लिए कोई टैक्स देना नहीं चाहता है। डैवलपमेंट के लिए 11 हजार करोड़ रुपया कहां से आयेगा? दूसरी जगह से किस तरह पैसा आने के बाद गरीबों पर लगाया जाएगा? छोटी–छोटी स्कीम्स के बारे में कहा जा रहा है। कल यहां बहुत सिरयसली छठे पे कमीशन का जिक्र हुआ। पांचवें पे कमीशन को लागू करने के बाद सैंट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसिज पूरे डिसरप्ट हो गए। हमारा 2001–02 में इंटरस्ट पेमेंट बढ़ कर 29.66 परसैंट हो गया। हमने उसे घटा दिया। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। वह 2005–06 में उसे 26.04 परसैंट ले आए जो छोटी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उधार लेते चले गये। हर साल 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इंटरस्ट पेमेंट बढ़ता गया। इस साल इंटरेस्ट पेमेंट 1 लाख 33 हजार 945 करोड़ रुपए हो गया। मैं इंटरेस्ट पेमेंट पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि फिजकल इनडिसिप्लिन पैदा हो गया था। लोगों से पैसा लिया गया और फिर इंटरस्ट दिया गया। इससे गरीबों के लिए बहुत कम पैसा आबंटित हुआ। ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई थी। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इतना बड़ा कैम्पेन चलाइए कि हमें इस देश के लोगों को बताना है कि यदि वह देश का विकास चाहते हैं तो उन्हें कर की अदायगी करनी पड़ेगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। इनकी नीतियों की वजह से देश में इनकम गैप खड़ा हुआ। फाइनेंसिज के एलोकेशन की वजह से समाज में दो से ज्यादा वर्ग खड़े हो गए। एक ऐसा वर्ग था जिस की आय हजारों में बढ़ी और दूसरे वर्ग की आय लाखों–करोड़ों में बढ़ी। एक ऐसा वर्ग है जिस के पास पांच रुपए की कैश इनकम नहीं है। यह परिस्थिति है। आपने राशि देने की जो प्राथमिकताएं तय की थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज वह टाइड टर्न हो रही है। यह पहली बार हुआ कि वित्तीय संसाधन गरीब लोगों, दलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उन्मुख किए गये। इन सब वर्गों के लिए पैसों का आबंटन किया गया।

यहां कल कहा गया बजट में माइनॉरिटीज के लिए प्रावधान किया गया। उनके लिए क्या किया गया? आपकी दुकान सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर ही चलती है। आप इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। माइनॉरिटीज की पापुलेशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में आया। माइनॉरिटीज में मुसलमान 13 करोड़ 81 लाख 81 हजार 240 हैं, क्रिश्चियन 2 करोड़ 40 लाख हैं, सिख एक करोड़ 92 लाख हैं, बुधिस्ट 79 लाख और पारसी 69 हजार हैं। यह उनका ब्रेकअप है। गए साल पहली बार नेशनल फाइनेंस डैवलपमैंट कारपोरेशन बना। पहली बार उसके लिए वित्त मंत्री ने 71 करोड़ रुपए दिए थे। इस साल थोड़ा प्रावधान और किया है लेकिन आपको यह पसन्द नहीं है। आप उसे दिखाना नहीं चाहते हैं। आप दो मुंह की बात करते हैं।...*(व्यवधान)* इधर माइनॉरिटीज का विरोध करते हैं। आपके दो चेहरे हैं। पार्टी के अन्दर दूसरी बात करते हैं। जिससे हाउस में बताया जा सके।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मिस्त्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : महोदय, मैं केवल अध्यक्षपीठ को ही संबोधित कर रहा हूँ। मैं, आपके माध्यम से उन्हें बता रहा हूँ। मैं कल वाद–विवाद के दौरान उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ।

*[हिन्दी]*

यदि आप अपनी बात बजट के संबंध में रखना चाहते हैं तो रखें। कल यहां दांडी यात्रा का जिक्र हुआ। आपको इससे क्या लेना देना है?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मिस्त्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : आपको गौड़से के नाम से वोट नहीं मिले इसलिए गांधी जी की बात करते हैं। जब पूरे देश में फ्रीडम स्ट्रगल और दांडी यात्रा की बात चल रही थी तो ये लोग शाखा लगा रहे थे। उन्हें गांधी से क्या लेना–देना है। गरीबों से इनका क्या लेना देना है? खादी से क्या लेना–देना है। क्या इन्होंने कभी यात्रा की है? क्या इनके मंत्री जेल गए हैं?...*(व्यवधान)* कल यहां जो बात कही गई, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। कल आपके लोगों ने यहां सवाल किए। कल यह बात कही गई कि कांग्रेस ने पचास साल में क्या किया? मैं बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मिस्त्री के भाषा के अतिरिक्त कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

कांग्रेस ने पचास साल में इस देश के लोगों को वोट का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार दिया और इनके राज में डेमोक्रेसी का गला गुजरात में घोंटा गया। कल गुजरात में विपक्ष को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। इनके चीफ मिनिस्टर ने इनके ही एमपी शंकर सिंह वाघेला के फोन टेप करने की बात एडीशनल डीएसपी को कही है। यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित है। ये लोकशाही का गला घोंटने वाले हैं...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बजट पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : मैं बजट पर आ रहा हूँ। इन्होंने ही कल इस मामले को उठाया है, मैंने नहीं उठाया है।

*[अनुवाद]*

महोदय, वे ही उसकी शुरूआत कर रहे हैं। मैं सिर्फ उस बात का उत्तर दे रहा हूँ जो श्री हरिन पाठक ने कहा था...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

पचास साल के अंदर इन्होंने क्या किया? इनकी तरफ से चीफ मिनिस्टर के फोन टेप करने की बात गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने श्री शंकर सिंह वाघेला की बात एडिश्नल डीसीपी से कही। यह बात रिकॉर्ड में हैं। गुजरात में आज डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इनकी नीतियों के बारे में बताना चाहता हूं। इनका दूसरा मुद्दा डिफेंस सर्विसिस के बारे में है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सत्ता में वर्ष 2001–02 में सरकार का कुल खर्च 14.96 परसेंट था। उसके बाद यह परसेंटेज घटी और वर्ष 2003–04 में यह परसेंटेज 12.74 हो गई।

*[अनुवाद]*

यह केवल यूपीए सरकार है जो देश के रक्षा बलों के बारे में चिंतित है। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने बजट का 16.14 प्रतिशत उन्हें आबंटित किया है।

*[हिन्दी]*

ये लोग क्या राष्ट्रीयता की बात करेंगे, क्या कॉम्यूनल हारमनी की बात करेंगे और क्या आदिवासियों की बात करेंगे। आदिवासी के लिए ट्राइबल प्लान्स में 497 करोड़ को बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके दल से 28 और सदस्यों को अभी बोलना है। कृपया समाप्त करें।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : महोदय, मैं जानता हूँ और मैंने केवल नौ मिनट लिये हैं।

*[हिन्दी]*

किसानों के लिए पहली बार वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा पैकेज दिया है और बजट में 86 करोड़ रुपया सीड के लिए बढ़ाया है। माइक्रो इरीगेशन के लिए 350 करोड़ रुपए रखा है। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 550 करोड़ रुपए रखा। डेयरी डेवलपमेंट किया गया। मैरीन फिशरीज की बात कही गई है। नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन की बात कही गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खरीद में नैफेड के लिए पैसे बढ़ाये गये हैं। यह इनको ओवरआल अच्छा नहीं लगा। मैं एनडीए सरकार की प्रियोरिटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

उन्होंने भारत में दो वर्ग बना दिये हैं और इसी तरह अपनी प्राथमिकताओं से राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर दिया है।

**अपराह्न 3.00 बजे**

जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसके अंदर उन्हें काम मिले लेकिन नीचे के तबके के लोग जिनकी संख्या करोड़ों में है वह पैसा उन्हें भी मिले। वित्तीय संसाधनों का उचित आबंटन इस देश के गरीब लोगों के विकास की कुंजी है। यह इस सरकार का, प्रधान मंत्री जी का, और वित्त मंत्री जी का ध्येय है कि इस देश के गरीब लोग को अपना हिस्सा मिल सकें।

*[हिन्दी]*

मैं दूसरे देशों में घूमा हूं और दुनिया के दूसरे अमीर देश, जिसके प्रेजीडेंट के घर के सामने फुटपाथ पर कुछ लोगों को सोते हुये देखा है और उस आदमी को रौटन फुड डस्टबिन में से उठाकर खाते देखा है। मैंने विकसित देशों में देखा कि लोग मुझसे भिक्षा

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

मांग रहे थे। क्या डवलप्ड देशों की स्थिति यहां क्रिएट करना चाहते हैं?

मैं दांडी यात्रा में गया। मैं 10 किलोमीटर पैदल चला। मैंने देखा कि स्कूल के छोटे–छोटे बच्चे अपने जोश से वन्देमातरम् बोल रहे थे। उनमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई बच्चे भी थे जो वन्देमातरम् का नारा लगा रहे थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों के दिलोदिमाग में हेट पैदा करने के लिये...*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह शब्द हटा दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : जो बच्चे जानते नहीं, जिन्हें मालूम नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उनके दिलोदिमाग में ऐसा भरना और राज्य शासन पर बैठना, इसके लिये...*

मैं आपसे कहता हूं कि ...*(व्यवधान)* बजट आबंटन ही एकमात्र उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों में समता ला सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मधुसूदन मिस्त्री के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** : हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने गरीबों के लिए फाइनेंस एलोकेशन किया है। लेकिन दूसरे तरफ बैठे हुये लोगों के व्यापारी वर्ग से वेट का विरोध करवा रहे हैं। इमका व्यापारी वर्ग से नाता है। ये व्यापारी वर्ग के पक्षधर हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिय धन्यवाद। और मैं फाइनेंस मिनिस्टर के बजट का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. करूणाकरन** (कासरगोड़) : महोदय, मैं इस समय में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2005–06 का समर्थन करता हूँ। मैं इस बजट को, यू पी ए सरकार द्वारा स्वीकृत सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर समर्थन देता हूं। मैं पिछले संसदीय चुनावों में जनता द्वारा दिये गये फैसले का भी समर्थन करूँगा। उस फैसले का सार केंद्र में एक धर्म–निरपेक्ष सरकार के गठन के लिए था न कि सांप्रदायिक शक्तियों के सत्ता में पुनः आने के पक्ष में। मेरे विचार से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को भारत के आम आदमी की आवश्यकताओं और मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमारे एक नेता ने कहा है, यह बजट, आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में है।

जिन मुद्दों का हम सामना कर रहे हैं, वह है – ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि पेय जल आपूर्ति, रोजगार की दशा और स्वास्थ्य। मैं समझता हूँ कि इस बजट में ज्यादातर मुद्दों की तरफ ध्यान दिया गया है। चूंकि आबंटित निधियां अपर्याप्त होने की वजह से मुझे आशंका है कि क्या सरकार वह हासिल कर पायेगी जो वह हासिल करने की चेष्टा कर रही है। जब हम विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत ब्यौरों को देखते हैं तो पाते हैं कि आबंटन वास्तव में ही अपर्याप्त है। फिर भी यह एक नयी शुरूआत है। हमें इन सीमित निधियों के साथ शुरूआत करनी हैं। हमें देखना है कि हम कैसे इन मांगों को पूरा कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि पिछले वर्ष हम मांगों को पूरा करने के लिए आंकलित राजस्व एकत्र नहीं कर पाये थे। मुझे लगता है कि हमारी राजस्व आय में 11000 करोड़ की कमी थी। इसलिए जब हम इन बातों के बारे में कहते हैं। तो हमें राजस्व एकत्र करने के बारे में भी सोचना होगा। अब वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी कर रियायतें दी हैं और निगमित कर भी कम कर दिया गया है।

अतः जब हमें यह सब कार्य करने हैं तो हमें संसाधन एकत्र करने के संबंध में भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। संसाधन जुटाने के कार्य को बजट प्रस्तावों में समाविष्ट किया गया है।

उस सरकार के लक्ष्य के संबंध में मैं यह कहूँगा कि न सिर्फ पिछले बजट में बल्कि इस वर्ष के बजट में भी निर्धारित कार्यक्रमों को जारी रखना है। हमें लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए स्थिर व एक रूप फैसला लेने है। क्योंकि पिछले चुनावों में जनता ने इस सरकार को ऐसा जनादेश दिया है।

इस बजट में उल्लिखित कर में कटौती कामगारों और कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए लाभकारी है। मैं वस्त्र उद्योग और हस्तकरघा उद्योग के संबंध में लिये गये उन फैसलों का स्वागत करता हूं जहां उनको बहुत सारे फायदे पहुँचाये गये हैं। मैं इस बजट में चाय और कॉफी क्षेत्रों को सहायता देने के लिए समाविष्ट उपायों का भी स्वागत करता हूँ। पिछली बजट चर्चा में भी मैंने स्वयं इस मुद्दे को उठाया था। केरल में ही नहीं, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और असम में भी ऐसे बहुत सारे बागान हैं जो बंद कर दिये गये हैं। वित्त मंत्री जी द्वारा उठाये गये कदम हालांकि पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन कुछ सहायता दे सकते हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, पेयजल स्कीम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता वास्तव में ही प्रशंसनीय है। भारत में किसी बजट में पहली बार लिंगीय–संवेदनशील बजटीय आबंटन देखा गया है। उसका लक्ष्य महिलाओं और बच्चों का कल्याण है। मैं ऐसा नया विचार देने के लिए विशेष रूप से वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

भारत निर्माण के कार्यक्रम को भी महत्व मिला है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनके बारे में वित्त मंत्री जी गर्व कर सकते हैं। साथ ही, मुझे इस बजट के संबंध में कुछ टिप्पणी करनी है और कुछ राय देनी है।

बजट भाषण में यह कहा गया है कि जहाँ तक कृषि का संबंध है, उसमें विविधता लायी जानी चाहिए। यह विविधीकरण फसलों को उगाने की पद्धति में है।

**अपराह्न 3.07 बजे**

**(श्रीमती सुमित्रा महाजन,** *पीठासीन हुई*)

धान उगाने की जगह किसानों को और फसलें उगानी होंगी। वित्त मंत्री जी को यह लगता होगा कि हमारे एफ सी आई गोदामों में कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न हैं। वहाँ अतिरिक्त खाद्यान्न भी हो सकता है। किंतु वास्तविकता यह है कि भारत के ज्यादातर लोग खराब क्रय शक्ति के कारण खाद्यान्नों का क्रय नहीं कर पाते हैं कृषि में अन्य फसलों को उगाना बुद्धिमता नहीं है। निश्चय ही हमें जो भी अन्य फसल संभव है और जो किसी राज्य या किसी अन्य जगह के लिए उपयुक्त है, उसे भी बढ़ावा देना चाहिए।

1,88,168 केन्द्रों के अतिरिक्त आई सी डी एस में बढ़ोत्तरी करना एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही, गरीब सहायकों और शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय भत्ता काफी कम है। एक प्रश्न के उत्तर में, मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि सरकार मानदेय भत्ते को बढ़ाने पर विचार करने जा रही है। फिर भी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस संबंध में कुछ करें। शिक्षक और सहायक इस कार्य को पूरा करने में सर्वोत्तम योगदान दे रहे हैं। अतः, इस बजट में ही, इन लोगों को दिए जाने वाले मानदेय भत्ते में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

अब, मैं सर्वशिक्षा अभियान पर आता हूँ। यह भी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में एक प्रकार का हस्तक्षेप है। आबंटन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अतः, जहाँ तक हमारे अनुभव का संबंध है, हम जानते हैं कि शिक्षा का स्तर राज्य दर राज्य भिन्न है। उदाहरण स्वरूप केरल को ही लीजिए। केरल ने शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। अतः, सर्वशिक्षा अभियान के लिए आबंटित धनराशि के संबंध में लचीलापन होना चाहिए। जहाँ तक इस योजना का संबंध है इसमें जांच निगरानी और उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। इसके लिये, हमारा सुझाव है कि वर्तमान योजना, जिसकी शुरूआत सरकार ने की है को जिलों, खण्डों और पंचायतों को सौंपी जानी चाहिये। फिर भी, हम राज्यों को धनराशि दे रहे हैं। अतः, इस धनराशि का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए।

यह बताना दुखद है कि जहाँ तक केरल का संबंध है, तो वहाँ मुख्य कार्यबल पारंपरिक कार्यकर्त्ता हैं। वहाँ करीब 40 लाख कामगार हैं। उनमें से अधिकतर महिला कार्यकर्त्ता है और उन्हें बहुत ही कम मजदूरी प्राप्त होता है।

अतः, वास्तव में पारंपरिक क्षेत्र की केरल के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। केरल में नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है, और वह वास्तव में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। नारियल की जटा के लिए उपयुक्त विपणन सुविधा का अभाव, एक समस्या हैं। इसके अलावा, नारियल रेशा सहकारी समितियों हेतु पर्याप्त कार्य पूंजी उपलब्ध नहीं है। अतः, सरकार को निर्यात संवर्धन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

काजू एक अन्य क्षेत्र है जो न सिर्फ केरल राज्य को बल्कि पूरे देश को विदेशी मुद्रा की अच्छी राशि देता है। परन्तु कामगारों को बहुत कम रोजगार मिल पाता है। यहाँ मुख्य मुद्दा कच्चे काजू की कमी है। यह समस्या सिर्फ केरल में नहीं है, परन्तु यह अन्य राज्यों में भी व्याप्त है। अतः, सरकार को काजू उत्पादकों को मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

बीड़ी उद्योग भी एक क्षेत्र है जहाँ 99 प्रतिशत कामगार महिलाएं हैं। उन्हें कम मजदूरी और बहुत कम रोजगार प्राप्त होता है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ क्योंकि जब उन्होंने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर कुछ कर लगाया तो उन्होंने बीड़ी को उससे अलग रखा। यह एक बहुत बढ़िया कदम है। परन्तु साथ ही, केरल में बीड़ी सहकारी समितियों को निजी कंपनियों के साथ प्रति स्पर्धा करनी पड़ती है। बीड़ी पर उत्पाद शुल्क लगाना बीड़ी टबों के कुल उत्पादन पर किया जाता है और जब 20 लाख बीड़ी का उत्पादन किया जाता है तब उन्हें उत्पाद शुल्क अदा करना पड़ता है। इसके अलावा, बीड़ी सहकारी संघों को उचित लेखा जोखा देना पड़ता है। वे इसे देने के लिए बाध्य हैं और वे इसे दे भी रहे हैं। परन्तु साथ ही निजी कंपनियां इसे नहीं दे रही हैं। परिणामस्वरूप, वे कर अदा नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से बीड़ी सहकारी समितियों को निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अतः, मैं सरकार से बीड़ी के कुल उत्पादन पर कर लगाने के बजाए तंबाकू पर कर लगाने का अनुरोध करूँगा। मुझे वित्त मंत्री जी से एक अन्य अनुरोध करना है। मैंने इसका उल्लेख पिछले बजट पर चर्चा में भी किया था। गरीब बीड़ी कामगारों को भी गुजरात भूकंप राहत कोष में

[श्री पी. करूणाकरन]

अंशदान करना पड़ा था। यदि 1 रुपए की लेवी जो उन पर लगाई गई है उसे वापस ले लिया जाता है तो यह बीड़ी कामगारों के लिए बड़ी राहत की बात होगी।

वस्त्र और हथकरघा के संबंध में, वित्त मंत्री जी ने कुछ राहत दी है। साथ ही, खादी और ग्रामोद्योग सही मायने में कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार एक काम कर सकती है। यदि केन्द्र सरकार सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी अतिथि गृहों और अन्य सरकारी कार्यालयों को खादी और ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित माल का उपयोग करने के लिए निदेश देती है तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हम खादी और ग्राम उद्योगों को ऊपर उठाने में सक्षम हो पाएंगे। हमारे पास रेलवे का उदाहरण है, जहाँ लालू जी ने इसकी सफलतापूर्वक शुरूआत कराई। अतः, सरकार केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ–साथ राज्य सरकार के कार्यालयों को खादी और ग्राम उद्योगों द्वारा उत्पादित माल का उपयोग करने हेतु ऐसे निदेश दे सकती है।

महोदय, हम सब लोगों ने सुनामी त्रासदी को देखा है। जहाँ तक केरल का संबंध है, वहाँ लाखों मछुआरे राज्य के एक छोर लेकर से दूसरे छोर तक तटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं। हम वहाँ से उनकी बसावट को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें समुद्रतट और समुद्र पर अपनी जीविका हेतु निर्भर रहना पड़ता है। मैं सूनामी त्रासदी के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार को समुद्री दीवारों के निर्माण और तटों के किनारे समुद्र अपरदन का रोकने के लिए एक विशेष पेड़–कंडल वनंगल – लगाने के लिए ज्यादा निधियां दे। इसके लिए, केन्द्र सरकार को राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता देनी होगी।

जहाँ तक केरल का संबंध है, हमने किसानों की समस्याओं को पिछले सत्र में भी उठाया था। करीब दो सप्ताह पहले, केरल के सभी विधायक केरल विधानसभा भवन के सामने सत्याग्रह पर थे क्योंकि धान की खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद बेचने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उन्हें न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। यह काली मिर्च की खेती करने वाले किसानों के मामले में भी सही है। मैं सुपारी उगानेवाले किसानों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी से मिला हूं। मेरे अपने जिले में, सुपारी उगाने वाले करीब 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि सुपारी का मूल्य 160 रुपए प्रति किलो से घटकर 40 रुपए प्रति किलो हो गया है। यह धान के मामले में भी सत्य है। अतः, किसानों के लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाना चाहिए। निस्संदेह, यह सत्य है कि पहल राज्य सरकार को करनी है।

परन्तु आप यह देखें कि हमारा उत्तरदायित्व न सिर्फ बाढ़ या सूखे के प्रति हो बल्कि निर्यात के संबंध में केन्द्र सरकार ने जो नीति अपनाई है उसके प्रति भी हो। यह भी मूल्यों के गिरने का एक कारण है।

इस संदर्भ में, मैं हमारी निर्यात नीति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। भारत–श्रीलंका समझौते ने वास्तव में कई राज्यों के किसानों को प्रभावित किया है, विशेषकर, केरल के किसानों को। यह सुपारी, काली मिर्च और अन्य चीजों के मामले में सत्य है। हमारा निर्यात बढ़ गया है। यह सत्य है कि हमारे आयात में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। परन्तु ऐसा घरेलू उद्योग या घरेलू कृषि को नुकसान पहुँचाते हुये नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के अंतिम भाग को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण की समाप्ति संत तिरूवल्लुवर को उद्धरित करते हुये की, अर्थात् संपदा, उत्पाद, खुशी यही है परिणाम और सुरक्षा''। ये पांच, विद्वान संत के अनुसार, राजनीति के पांच आभूषण है। मैं सोचता हूँ, कि मैं सही हूँ। मैं इन शब्दों को सुनकर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने उच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य को दिया है। सही मायने में स्वास्थ्य ही राष्ट्र का धन है। परन्तु मैं यह नोट कर दुखी हूँ कि क्या इन शब्दों को कार्यरूप दिया जाएगा क्योंकि हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री जी इस सभा में तीसरा पेटेंट (संशोधन) विधेयक लेकर आए हैं।

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : माननीय सदस्य माननीय वित्त मंत्री जी से बात कर सकते हैं।

**श्री पी. करूणाकरन** : समाज के विभिन्न वर्गों से इसकी बहुत गंभीर आलोचनाएं हुई हैं। यह सही है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि हम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सदस्य बन गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि क्या यह संशोधन आम आदमी को कोई लाभ पंहुंचा पाएगा या नहीं।

अब से, उत्पाद का भी पेटेंट होगा। पहले प्रक्रिया का पेटेंट किया गया था। यह बताया गया है कि प्रत्येक दवा जिसका हम उत्पादन करते हैं; उसके लिए हमें पेटेंट धारक को अपने पैसे शुल्क के रूप में अदा करने की आवश्यकता होगी। यह शुल्क मूल्य में दिखाई जाएगी, जिससे यह दवा गरीब रोगियों की पहुँच से दूर हो जाएगी।

हम एच आई वी – एड्स प्रभावित लोगों के बारे में चिंताजनक समाचारों को देख रहे हैं।

**सभापति महोदया** : कृपया अब समाप्त करें। आप पहले ही 15 मिनट ज्यादा बोल चुके हैं।

**श्री पी. करूणाकरन** : हमारे यहाँ कैंसर, क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठरोग, हृदय रोगों आदि के मामले बड़ी संख्या में मिलते हैं। अब, हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम इन दवाओं को कम मूल्य पर खरीद सकते हैं। यह 1970 के पेटेंट अधिनियम के कारण संभव हो सका है। परन्तु हम इसे बदलने जा रहे हैं। भारत में, हालांकि हम डब्ल्यू टी ओ के सदस्य है – आप देखिए कि 2001 में दोहा घोषणापत्र में ट्रिप्स को इस प्रकार लागू करने पर सहमति हुई थी जिससे सदस्य देशों को मानव, पशुओं और पौधों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करने हेतु अनुमति मिलेगी। ट्रिप्स स्वयं भी अपने सदस्यों को जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपाय अपनाने हेतु विकल्प प्रदान करता है। हमें बस बटन दबाने की आवश्यकता है।

सरकार के समक्ष यह प्रश्न यह है कि हम बटन दबाएं या नहीं। महोदया, बटन दबाने का काम आपका नहीं हैं।

**सभापति महोदया** : मैं बटन नहीं दबा रही हूँ परन्तु आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री पी. करूणाकरन** : इसलिए सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हम औषधि सस्ती कीमत पर देते हैं या नहीं। दोहा घोषणा–पत्र में भी सुरक्षा प्रावधान हैं।

इससे पहले कि मैं समाप्त करूँ, मैं 12वें विश्व आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वह सिफारिशें, काफी हद तक, केरल के हितों के विरूद्ध हैं। यह सच है कि केरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास में भारी प्रगति की है। परन्तु यह महत्वपूर्ण प्रगति ही केरल राज्य के लिए दंड का कारण बन गई है क्योंकि वित्त आयोग मुख्यतया पिछड़ेपन को ही आधार मान कर चलता है। स्वास्थ्य और शिक्षा में इस प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करना हमारा कोई दोष नहीं है। हमारी सहकारी समितियों और हमारे व्यक्तियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम किया है। केरल में जनसंख्या बहुत घनी है। उसी तरह केरल में न्यायपालिका पुलिस और अन्य जगहों पर वृद्ध जनसंख्या काफी है। इसलिए हमें ज्यादा व्यय करना पड़ता है।

इसलिए मैं आंकड़े दे सकता हूँ। दो वर्ष पहले केरल का भाग 3.50 प्रतिशत था। फिर यह 3.05 प्रतिशत पर आ गया और अब यह 2.65 प्रतिशत है। इसलिए सरकार को केरल की मदद करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए।

**सभापति महोदया** : कृपया समाप्त करें।

**श्री पी. करूणाकरन** : महोदय, जहाँ तक गरीब लोगों का संबंध है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार केरल में इस समय 37.10 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। किंतु नये सर्वेक्षण के अनुसार यह 9.38 प्रतिशत है। यह कैसे संभव हैं? लोगों को कुछ ज्यादा नही मिला है। सर्वेक्षण ठीक नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है और इस संबंध में अपने अभ्यावेदन में अपने विचार प्रस्तुत किये है।

अंतिम, न कि अनंतिम, कुछ औषधियों पर उत्पादन कर में वृद्धि हुई है।

**सभापति महोदया** : अब आपको आधे मिनट के भीतर समाप्त करना होगा।

**श्री पी. करूणाकरन** : विशेष रूप से औषधि पर उत्पादन कर में वृद्धि के कारण उत्पादक कर–मुक्त क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है। उनमें से कुछ बंद भी किये जा सकते हैं। कम से कम 10 लाख कर्मचारी रोजगार से वंचित हो सकते हैं। उस बिंदू को भी ध्यान में रखना होगा। मेरा आखिरी बिंदू यह है कि मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह काला–बाजार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब मैं यह नहीं सोचता कि सरकार ने जो जमाओं पर 0.1 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा है, वह कोई लाभदायक सिद्ध होगा। यद्यपि हम इसकी ईमानदारी और प्रेरणा से पूर्णतः सहमत हैं तथापि हमें अन्य कदम भी उठाने होंगे।

**सभापति महोदया** : अब आपको समाप्त करना होगा।

**श्री पी. करूणाकरन** : मैं केवल एक वाक्य बोलूँगा। इस सरकार के कार्यों को देखते हुए और विपक्ष एन डी ए के दलों, के असहयोग को ध्यान में रखते हुए शेक्सपियर की यह उक्ति अभी भी प्रासंगिक है। "करूँ या न करूँ" अर्थात प्रशंसा करूं या आलोचना। भारत के लोगों को विपक्ष की इस आलोचना की आदत पड़ गई हैं। अब 'करना' मुख्य प्रश्न है। यू पी ए सरकार इसे निश्चित रूप से समझती है। इसे इस संदेश की गहराई तक जाना चाहिए, और अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदया, इस बजट का देश की आम जनता पर क्या प्रभाव होगा, वह एक अलग सवाल है और बजट का भाव क्या है, वह अलग बात है, लेकिन बजट की भाषा जरूर ठीक है। इस साल 2005-06 का बजट 5,14,334.10 करोड़ का है, जो विगत वर्ष की तुलना में 8553 करोड़ ज्यादा है। इस वर्ष के बजट में इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1.79 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत बढ़ी है। इसे सरकार ने भी स्वीकार किया है और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट की धनराशि तीन प्रतिशत से भी कम है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

सभापति महोदया, हमारे देश का कृषि ही मुख्य धंधा है। 65–70 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद हिन्दुस्तान में निरंतर कृषि की उपेक्षा हुई है, जो देश को सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। आज आप बेरोजगारी दूर करने की बात कहते हैं, लेकिन इस देश में कृषि की उपेक्षा करके किसी भी कीमत पर रोजगार नहीं दिया जा सकता है। वित्त मंत्री जी ने इस बार कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख 8500 करोड़ रुपए की और ऋण की बात की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा–निर्देश हैं कि सम्पूर्ण ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को ऋण दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि उसे देखने की आवश्यकता है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह सिर्फ 6425 करोड़ का है।

मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे देश में जो हमारे परम्परागत उद्योग हैं और कृषि हैं, इनका संरक्षण और संवर्धन हो। वित्त मंत्री जी, इस क्षेत्र को और सशक्त बनाने की मजबूत बनाने की आवश्यकता है। देश में शोध और विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा शोध की आवश्यकता है। 1990 के दशक में हमने विश्व के विकसित देशों की स्पर्धा की चेतावनी को स्वीकार किया है। इण्डियन एग्रीकल्चर इंस्टीटयूट का जो वार्षिक बजट है, वह लगभग 120 करोड़ रुपये का है, इस राशि से ही यह संस्थान शोध और अन्वेषण का काम करता है। सरकार ने इस वर्ष उसमें 50 करोड़ रुपये का इजाफा किया है, वृद्धि की है। इस संस्थान को विश्व स्तर का बनाया जाये। कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं, यह बहुत आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले शोधों को प्रयोगशाला से निकालकर किसानों के बीच में लाया जाये। आज जिन लोगों की स्पर्धा में हम खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं, उस दृष्टि से इस शोध संस्थान के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वह नहीं के बराबर है और जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों के बारे में जब किसान को जानकारी नहीं होगी, जिनके लिए शोध किये जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इन शोधों का कोई किंचित मात्र भी कोई अर्थ नहीं है।

हमारे तमाम सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कह दिया कि हम किसानों के लिए और ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था करेंगे। सरकार इस सदन में आत्महत्याओं के मामले में गोलमाल जवाब देती रही, लेकिन आन्ध्र प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री रूप रघुवीरा रेडडी ने खुद स्वीकार किया है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, कि आन्ध्र प्रदेश के 690 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हम किसानों को कितना ऋण दे रहे हैं, वह कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। असल और बुनियादी सवाल यह है कि खेती के अलाभकर होने की वजह से किसान जो कर्जा लेता है, उस कर्ज को वापस करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई है। खाद, बीज, बिजली, पानी फसल पैदा करने में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किसान करता है, उनके दाम आसमान को छू रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि खेती अलाभकर हो गई है। हमने दुनिया के बाजार को खोल दिया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हम कहीं खड़े नहीं हो रहे। किसान जो उत्पाद पैदा करता है, उसका उतना लाभ उसको नहीं मिलता है तो सबसे अहम और बुनियादी सवाल है कि जब तक खेती को लाभकारी नहीं बनाया जायेगा, तब तक किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो समस्याएं किसानों के सम्मुख हैं, उनसे निजात नहीं दिलाई जा सकती। असल और बुनियादी सवाल यह है कि खेती लाभकारी कैसे बने, खेती को आप संरक्षण कैसे दें? किसान फसल पैदा करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वे सस्ती कैसे हों। जब तक इन सवालों पर हम ध्यान नहीं देंगे, मुझे माफ करना कि किसानों की जो वेदना है, किसानों की आत्महत्या के जो सवाल हैं, वे बराबर यथावत् खड़े रहेंगे।

विकास की कुंजी हमारे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करती है। योजना आयोग भी इस बात को स्वीकार करता है कि सड़क, बिजली, पैट्रोलियम, सीमेण्ट और स्टील, ये मूलभूत सुविधाएं हैं और बजट में इसके लिए जो राशि है, वह संतोषजनक नहीं है। 1990 में यह राशि सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत थी। 2000 में इसे कुछ घटाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया। विश्व के जिन देशों के सामने हम स्पर्धा में खड़े हैं, उस लिहाज से इस राशि को बढ़ाने का हमें इन्तजाम करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे देश में सन् 2000 में यह 5.2 प्रतिशत था। चीन में यह सकलू घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत है और जिनसे हम स्पर्धा करना चाहते हैं, उनकी तुलना में हम दौलत खर्च नहीं करेंगे तो उस स्पर्धा में कभी टिक नहीं सकते। चिदम्बरम जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप अपने भाषण में जवाब दें, पिछले बजट में सरकार ने दो प्रतिशत शिक्षा उप–कर लगाया था और उस शिक्षा उप–कर से लगभग पांच हजार करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया, लेकिन शिक्षा पर सिर्फ दो हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। तीन हजार करोड़ रुपया जो तालीम पर खर्च होना चाहिए था, शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, उस पैसे को आपने कन्सोलिडेटिड फंड में जमा कर लिया। यह जो प्रवृत्ति है, यह किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। निश्चित रूप से इस ओर देखने की आवश्कयता है।

नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2004–2005 में 5790 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन नेशनल हाईवेज़ को विकसित करने के लिए पिछले पूरे वर्ष में सिर्फ 2248 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस बार वित्त मंत्री जी प्रस्ताव कर

रहे हैं कि हम डीजल और पैट्रोल पर पचास पैसे उपकर लगाएंगे। पहले जो दौलत आबंटित हुई थी, वह आपने पूरी खर्च नहीं की और फिर डीजल और पैट्रोल पर पचास पैसे उपकर लगाकर आम आदमी की जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं।

बजट में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बैंक से एक दिन में दस हजार रुपये निकालेगा, उसे उसके ऊपर दस रूपये देने पडेंगे। दस हजार रुपये तो व्यक्ति घर–गृहस्थी के काम के लिए निकालता है। इस सदन में कई बार जब सरकार से पूछा गया कि इस देश में कितना काला धन है तो सरकार उसका गोल–मटोल जवाब देती रही। इस सदन में कभी उस बात का स्पष्ट जवाब नहीं आया। वित्त मंत्री जी, दम लगाइए, इस देश के काले धन को निकालने की व्यवस्था कीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के आकलन के अनुसार यूके में 90 बिलियन डालर, जर्मनी में 72 बिलियन डालर, जापान में 175 बिलियन डालर और भारत में 240 बिलियन डालर काला धन है। अगर यह काला धन प्रचलन में आ जाए तो देश की काफी हद तक समस्या दूर हो सकती है। लेकिन वर्तमान कर प्रणाली के रहते काला धन किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकता। लिहाजा करों में सुधार की आवश्यकता है।

इस बजट से गरीब आदमी को कितना लाभ होगा, वह अलग सवाल है, लेकिन अमीर आदमियों को इससे तत्काल लाभ मिलना शुरू हो गया। जब चिदम्बरम जी ने बजट भाषण पढ़ा तो उसके तत्काल बाद श्री नारायण मूर्ति एंड फैमिली, जो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी का व्यवसाय करते हैं, उनको 90 करोड़ रुपये का लाभ हो गया, श्री नन्दन निले कनी, जो आइटी का व्यवसाय करते हैं, उनको 59 करोड़ रुपये का लाभ हो गया, श्री ए. प्रेमजी को 1,441 करोड़ रुपये का तत्काल लाभ हो गया, श्री कुमार मंगलम बिरला, जो ग्रासिम कम्पनी का काम करते हैं, उनको 54 करोड़ रुपये का लाभ हो गया और श्री सुनील मित्तल को 451 करोड़ रुपये का लाभ हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपके बजट भाषण से अमीर लोगों को तत्काल लाभ हो गया तो आपका बजट क्या दिशा देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बजट की दिशा अमीरों का कल्याण करने की है, यह बजट गरीबों के हक में किसी भी कीमत पर नहीं है। हम आज कर क्या रहे हैं? भारत अरबपति ग्रुप का सदस्य है और उसमें उसकी एक विशेष भूमिका है। विश्व के जो दस बड़े बिलिनयर्स हैं, क्लब हैं, उनमें भारत का आठवां स्थान हैं। हम क्या करना चाहते हैं? इस देश में भूख, बेकारी, बेबसी और लाचारी से प्रति घंटा ग्यारह लोग मरते हैं। हम किस क्लब के मैम्बर हैं। हमारे एक आदमी की क्या हैसियत है, उससे पूरे देश की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे अहम और बुनियादी सवाल है कि इस देश में भूख, प्यास, बेबसी, लाचारी, गरीबी और किसानों की समस्या है। जब तक हिन्दुस्तान का बजट कृषि पर आधारित नहीं होगा और यहां के उद्योग कृषि प्रधान नहीं होंगे, तक तक किसी भी कीमत पर इस देश का काया कल्प नहीं किया जा सकता और आज उसकी आवश्यकता है।

लघु उद्योग एक बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा हो रही है। सरकार ने लघु उद्योगों को उत्पादन कर से छूट दी है, पहले 3 करोड़ रुपये थी, अब 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ–साथ 108 वस्तुएं जो निर्माण के लिए आरक्षित थीं, उनमें से 30 वस्तुएं कपड़ा उद्योग से संबंधित हैं। उनको निकाल दिया गया है। कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कपड़ा क्षेत्र है। उस कपड़ा क्षेत्र की भी हमने उपेक्षा की है। इसलिए यह बजट जिस दिशा में जा रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। पिछली बार बजट भाषण में जल संचय की बात की गई और घोषणा की गई कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में सैंकड़ों जिलों में से सिर्फ 16 जिलों का चयन किया गया है और उनमें भी सिर्फ 180 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। हमने पहले भी निवेदन किया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन, खास तौर से गंगा के बेसिन में से 550 क्यूबिक मीटर पानी बेकार बह जाता है। जब तक इस देश में जल संचय की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो संकट है, वह संकट यथावत बना रहेगा। इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, लोहा, सीमेंट आदि सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। आप इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। जब इंदिरा आवास बनने का काम शुरू हुआ तो उसमें उपयुक्त होने वाली जो सामग्री है, उसके दाम काफी बढ़े हैं। आज के बदलते युग में उनके दाम दुगने से ज्यादा हो गये हैं जबकि धनराशि में उतना इजाफा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी आप किस दुनिया में रह रहे हैं। 20 या 25 हजार रुपये के मकान में जिसमें शौचालय भी हो, किचन भी हो, ऐसे आपने मानक बना रखे हैं। मैं समझता हूं कि इतनी कम दौलत में वह आवास नहीं बन सकते।

अंत में, यही कहना चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब, जरा मेहरबानी हमें बता दीजिए कि आप जो विशेष आर्थिक पैकेज राज्यों को देते हैं, उन राज्यों को सहायता देने के आपके मानक क्या हैं? क्या बेकारी, लाचारी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग ही उनके आधार हैं या विस्तृत रूप से आप इस सवाल पर राजनीति कर रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने व्यक्तिगत तौर से आपसे बात करके, प्रधानमंत्री जी से बात करके तुलनात्मक दृष्टि से पूरा एक दस्तावेज तैयार करके आपको दिया है। कई बार आपसे विनम्र आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। बेबसी, लाचारी, गरीब आदि सब हमारे प्रदेश में हैं, लेकिन उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। आप पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज दें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार को आर्थिक पैकेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू–कश्मीर को विशेष आर्थिक पैकेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यह

[श्री रामजीलाल सुमन]

जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर हमारा हक क्यों मारा जा रहा है। हम बार–बार प्रार्थना करते रहे कि उत्तर प्रदेश को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उस संबंध में सरकार चार कदम आगे चलने को तैयार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि जब आप इस बहस की समाप्ति के बाद अपना भाषण दें, हम यह अपेक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आप जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हैं, यह हमारा आरोप है, हमें आशा है कि जब आप घोषणा करेंगे तो उसमें यह भी शामिल हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है, उस पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

**मोहम्मद शाहिद** (मेरठ) : सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है, उसमें बेशक देश को प्रगति और उन्नति की ओर कदम बढ़ाने का काम किया है लेकिन इस देश में रह रहे गरीब, कमजोर वर्ग के लोग, बेरोजगार हैं, किसान हैं, जो करोड़ों की तादाद में हर साल बजट की ओर देखते हैं, खास तौर से गरीब कमजोर, दलित अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कोई विशेष योजना इस बजट में नजर नहीं आ रही है। जो योजनाएं घोषित की गयी हैं, उनके अंदर कोई स्पष्ट तौर पर राशि डिक्लेयर नहीं की गयी है। पिछले चालीस साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है और अल्पसंख्यक समाज को विशेष तौर पर जो कुछ मिला है, वह आज सबके सामने है। कुछ बिन्दु अल्पसंख्यक समाज को लेकर इस बजट के अंदर रखे गये हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि यह कुछ देने का मकसद है या खाली घोषणा करने का मकसद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें आपने दर्शाया है कि अल्पसंख्यकों को और अधिक विकास प्रक्रिया में लाना होगा। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए यथावांछित इक्विटी सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं लेकिन कितनी राशि बढ़ाई गई है और क्या दिया जा रहा है, इसकी घोषणा स्पष्ट तौर पर नहीं हुई है।

वित्त मंत्री जी, बजट में लोग आज खाली घोषणा सुनकर खुश होने वाले नहीं हैं। पूरे देश के गरीब लोग आपकी ओर देख रहे हैं। माइनॉरिटी का एक इदारा है, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन ट्रस्ट और अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के बारे में भाई मिस्त्री जी ने कहा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पिछली एन.डी.ए. सरकार जो खुले आम ऐसा नहीं करती थी लेकिन उन्होंने भी इसके लिए लगभग 70 करोड़ रुपये रखे लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपने घोषणा तो कर दी है लेकिन एक पैसे का भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर खोले जाने वाले नये विद्यालयों की एक निश्चित प्रतिशतता अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास खंडों में अवस्थित की जाएगी। इससे नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का एक निश्चित अनुपात उन विकास खंडों या गांवों में अवस्थित किया जाएगा जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुतायात में हैं। सर्व शिक्षा अभियान के दौरान आपने जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2004–05 के बजट के अनुमानों में 3057 करोड़ रुपये का आबंटन किया था, इस वर्ष के दौरान आपने बताया कि यह राशि बढ़ाकर 4754 करोड़ रुपये कर दी गई। प्राइमरी शिक्षा कोष मानक निधि इस कार्यक्रम के निजी पोषण हेतु स्वीकृत की गई है। सन् 2005–2006 में आबंटन बढ़ाकर 7156 करोड़ रुपये का मैं प्रस्ताव करता हूं। यह प्रस्ताव आपकी तरफ से इस वर्ष के लिए 7156 करोड़ रुपये का है और सर्व शिक्षा अभियान में आपने इसकी घोषणा की है। इसी के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले नये विद्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास खंडों में अवस्थित किया जाएगा। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अल्पसंख्यक सिख, मुसलमान या बौद्ध जो भी अल्पसंख्यक समाज की जातियां रहती हैं, उनकी आबादी 18.5 प्रतिशत लगभग बताई जाती है। इस बजट में 7100 करोड़ रुपये उनकी आबादी के हिसाब से दिये जाएं। ये घोषणाएं चालीस साल से हो रही हैं और इसके बावजूद भी इस अभियान या घोषणाओं के लिए विभाग की ओर से अल्पसंख्यकों का पैसा पिछले दौरान जो खर्च किया गया था, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। खाली कागजी घोषणाओं से देश में कोई भी खुश होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी, लोग आपकी तरफ नज़रें गढ़ाये हुए हैं। इसी तरह से आज आज़ादी के 57–58 साल बाद भी देश के अंदर गरीब, कमजोर लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मद से अल्पसंख्यक समाज को आबादी के हिसाब से धन आबंटित करें।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मेरठ है और दिल्ली से 70 कि.मी. दूर है। मेरठ से मैं दिल्ली आता हूं तो रास्ते में देखता हूं कि बहुत गरीब लोग झुग्गी–झोंपड़ियों में रहते हैं जिनको पानी, सड़क और उनके बच्चों के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालकर गाजियाबाद जाकर देख लें जो दिल्ली से 15 कि.मी. दूर है। बाहर से लोग आते हैं तो उनके ऊपर हमारे देश का बहुत खराब इम्प्रैशन पड़ता है कि लाखों की आबादी में आज भी गरीब लोग झुग्गी–झोंपड़ियों में पानी, बिजली, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। कम से कम एनसीआर क्षेत्र यानी दिल्ली के आसपास का जो 150 कि.मी. का क्षेत्र लगता है, उसमें गरीब लोगों के लिए कोई विशेष पैकेज केन्द्र सरकार को देना चाहिए जिससे मॉडल के रूप में एनसीआर क्षेत्र हम दिखा सकें। सरकार कहती है कि हमने गरीबों को सौ प्रतिशत बुनियादी अधिकारी फंडामेंटल राइट्स दे दिये हैं। हमारा

संविधान कहता है कि सभी लोगों को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाएंगे लेकिन देश में जितना गरीब तबका रहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उनको बराबर के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं? हमारा संविधान कहता है कि सभी को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में हमारे जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं उनको रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं?

मान्यवर ने अभी घोषणा की है कि भारतीय कृषि का वास्तव में खाद्यान्नों से विविधीकरण हुआ है। परन्तु इसके लिए अधिक विविधीकरण किए जाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय कृषि के विविधीकरण के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा। इसमें फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध, दालों और तिलहनों के उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि मीट का भी एक्सपोर्ट हमारे देश से किया जाता है, जिससे हमारे देश को लाखों करोड़ों रूपए का फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। इस व्यवसाय में हिन्दू–मुस्लिम, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें लगे हुए लोगों में एक बड़ी संख्या गरीब मजदूरों और मुरैश बिरादरी की है। इस देश में यह व्यवसाय चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है।

मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट गरीब और होनहार बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा मुहैया करता है, उसके लिए भी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गयी है। इसके अलावा जो भी घोषणाएं बजट में की गयी हैं, वे सभी स्पष्ट रूप से न करके, गोलमोल शब्दों में कही गयी हैं।

इसके अलावा, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे माननीय साथी जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह सूबा पिछड़ा हुआ है। वहाँ बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। इसे भी बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों की तरह समान निगाह से देखते हुए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मान्यवर, आप लोग इस बजट में चाहे जो घोषणाएं करें, हम यहाँ जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने उस गरीब कौम की आवाज आप तक पहुंचा दी है।

**श्री खारबेल स्वाई** (बालासोर) : क्या आप यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी पशु हैं, उनको मार कर विदेश भेज दिया जाए?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अगले वक्ता प्रोफेसर महादेवराज शिवनकर हैं–उपस्थित नहीं।

डा. चिन्ता मोहन – उपस्थित नहीं

श्री अजय माकन

*[हिन्दी]*

**श्री खारबेल स्वाई** : सभापति महोदया, अभी हमारी पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए बैठे हुए हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदया** : श्रीमती करूणा शुक्ला। श्री अजय माकन, आप बाद में बोल सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती करूणा शुक्ला** (जाँजगीर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं आपका संरक्षण भी चाहती हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

*[अनुवाद]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : (झंझारपुर) : मैं जानकारी चाहता हूँ। आम तौर पर सदस्यों को उस दल की संख्या के आधार पर बुलाया जाता है, जिससे वह सदस्य संबंध रखता है।

*[हिन्दी]*

नई परम्परा नहीं डाली जानी चाहिए।

**श्रीमती करूणा शुक्ला** : एक महिला बोलने के लिए खड़ी हुई है, कृपया बोलने दीजिए।

**सभापति महोदया** : करूणा जी, आप चेयर को सम्बोधित करते हुए बोलिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सभापति महोदया, आसन की ओर से गलत परम्परा स्थापित की जा रही है।

**श्रीमती करूणा शुक्ला** : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सदन की नई सदस्या हूँ, पहली बार इस सदन में आई हूँ। बजट के अलावा जो बातें सदन में कहीं गई, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं कि मुझे भी इस तरह की बात करने का अवसर प्रदान करें। मैं वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने 8 जुलाई, 2004 को अपने बजट भाषण में कहा था कि वही अच्छे शासक हैं, जो आचार एवम् नैतिकता का पालन करते हैं, कोई अपराध नहीं करते, सम्मान एवम् साहस के मार्ग पर चलते हैं।

वित्त मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहती हूं कि जब विचारों का चिराग बुझ जाता है, तब आचार अंधा

[श्रीमती करूणा शुक्ला]

हो जाता है। कहां है आपका आचार और विचार जिस नैतिकता का आप हवाला दे रहे हैं, कुछ दिन पहले पूरे देश ने झारखंड और गोवा के प्रकरण पर आपकी नैतिकता को देखा, जांचा और परखा है।

*[अनुवाद]*

**चौधरी लाल सिंह** (उधमपुर) : आप पूर्णतया नयीं हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती करूणा शुक्ला** : सभापति महोदया, मैं इसलिए सदन में बोलनै के लिए मजबूर हुई कि उधर से भी ये बातें कही गई थीं। जब आसंदी पर आप नहीं थीं, उस समय सम्मानित सदस्य ने यह कहा था।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : श्रीमती करूणा शुक्ला जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्रीमती करूणा शुक्ला** : मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है इसलिए मुझे बोलने दें। आपका आचार और विचार बजट में नहीं दिखाई दे रहा है। आपका बजट यथार्थ के धरातल पर नहीं है, आकाश में एक ऐसी उड़ान आप उड़ा रहे हैं, जिसमें आपने भारत निर्माण की बात कही है। शब्द है बजट में भारत निर्माण। कौन से भारत का निर्माण ! 15 अगस्त, 1947 को शहीदों के खून से इस भारत का निर्माण हो चुका है। भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद और अशफाकउल्ला खां जैसे जो शहीद हो गए, वे फांसी के फंदे पर चढ़े थे, जो यह कहते गए थे–

> दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं,
> पास जो कुछ था, वह माँ की नज़र करते हैं।
> सूख जाए न कहीं पौधा आज़ादी का,
> खून से अपने इसलिए इसे तर करते हैं।

वह भारत का निर्माण है, जो वे कर गए। उस भारत का निर्माण आपने नहीं किया। आप 52 साल तक इस देश की सत्ता पर विराजमान थे। आप एक परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं, यह बजट का मुख्य अंश है, यह आपके बजट की विचारधारा है। भारत का निर्माण करने वाले शहीद होकर चले गए। आप एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। यह मैं सदन को बताना चाहती हूं।

मैं सदन को ज्यादा समय नहीं लूंगी और लम्बी–चौड़ी बात नहीं करूंगी। जहां तक एनडीए सरकार की बात है, जिसका इस देश में छः साल का कार्यकाल रहा है। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को दिशा दी, देश के लिए एक दिशा तय की। पिछले 50 सालों में इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेकारी और लाचारी के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी ये कहते हैं कि गरीब हमारे साथ हैं, हम गरीबी को मिटाएंगे। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कभी आपने गरीबों के लिए सोचा है? आपने गरीबों का मिट्टी का तेल महंगा कर दिया।

छत्तीसगढ़ के साथ आपने अन्याय किया। हमारा कोटा कम कर दिया। गांवों में गरीब बहनें रहती हैं, अपनी झोंपड़ियों में ढिबरी और चिमनियां जलाने के लिए मिट्टी के तेल के लिए तरस रही हैं। आपने ही आंकडे दिए हैं कि हम इतने गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। यहां मैं आपकी ही किताब से बता रही हूं, जिसमें आपने कहा है कि हम इतने गांवों में बिजली पहुंचाने वाले हैं। 57 साल से गांवों में बिजली, पीने के पानी नहीं हैं। गांवों में स्कूल नहीं है। अगर स्कूल हैं, तो भवन नहीं बने हैं। आप आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार ने आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के मानदेय को पहले 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया और फिर 500 रुपए से बढाकर 1000 रुपए किया। आप आंगनवाड़ी के भवन बनाएंगे, संख्या तो बढ़ा देंगे, लेकिन उससे उनका भला होने वाला नहीं है। एनडीए सरकार ने आपको एक मजबूत आधार दिया, जिसके आधार पर आप यह मजबूत बात कर रहे हैं।

सदन में शायद किसी पुरूष सदस्य के अलावा मेरी बहनों का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। आजादी के 57 साल बाद भी ग्रामीण बहनों को झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाली बहनों को सड़क के किनारे शौच के लिए बैठना पड़ता है। कितनी मानसिक वेदना और पीड़ा होती होगी जब वे दिन के उजाले में शौच के लिए नहीं जा पातीं। आजादी के 57 साल बाद भी आप महिलाओं के लिए एक नीति नहीं बना सके कि प्रत्येक पंचायत में एक शौचालय का निर्माण होगा, जहां गरीब बहनें शौच के लिए जा सकेंगी और उनको सड़क पर शौच करने में जिस लज्जा और शर्म का सामना करना पड़ता है, उससे मुक्त हो सकेगी।

आप ब्लैक–मनी की बात करते हैं लेकिन आप इसे कैसे रोकेंगे? आप कहते हैं कि रोल–बैक नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री जी, आप रोल–बैक जरूर करेंगे। काला धन बैंकों में नहीं होता और उसे कोई खुले–आम निकालने भी नहीं जाता। आप जानते हैं कि किन के पास काला धन होता है। हमारा ही दस हजार रुपया बैंक से निकालने पर टैक्स देना होगा, यह ठीक बात नहीं है और मैं जानती हूं कि इससे आप रोल–बैक करेंगे।

किसानों का भला किसी ने नहीं सोचा। आप जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है और वह इस देश

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपको तीन बातें करनी चाहिए थीं। आपने कहा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाने के लिए कार्य होगा। मैं कहना चाहती हूं कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने में आप नाकामयाब रहे हैं। किसान की तीन जरूरतें हैं। पहली, आय में वृद्धि होना। किसान की आय में वृद्धि कैसे होगी, जब तक कि कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसे आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा, जब तक उसकी उपज का उचित बाजार मूल्य नहीं होगा, तब तक उसकी आय में वृद्धि नहीं होगी। जब तक आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे उनकी आय बढ़े और वे अपनी उपज को और अधिक बढ़ाने की ओर कदम उठाएं, इस ओर कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूं कि आपने होर्टिकल्चर मशीनों की स्थापना के लिए 630 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन इससे छोटे और मझोले किसानों को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फल और सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। प्रतिदिन और प्रति–व्यक्ति 780 ग्राम सब्जी और फल उपलब्ध है, जबकि प्रतिदिन और प्रति–व्यक्ति उपभोग की आवश्यकता 90 ग्राम की है और उपभोग केवल 40 ग्राम ही होता है। टमाटर की खेती जो होती है, उसमें लागत के साथ तुड़वाने की मज़दूरी ज्यादा लगेगी, इसलिए किसान खड़ी फसल को यूं ही खड़ा छोड़ देते हैं। आप केवल बड़े किसानों को मदद कर रहे हैं, छोटे और मझोले किसान को आपने कुछ नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदया, आज हमारे वामपंथी साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* वामपंथी भाईयों की बातें मैं रोज सदन में सुनती हूं। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि

"सिर न झुकाओ जुल्म के आगे, वरना यही दस्तूर बन जाएगा।"

वामपंथी साथियों को माननीय वित्त मंत्री जी की कार्यशैली पसंद नहीं है लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आप सरकार में रहना चाहते हैं। अपनी मजबूरी को लाचारी का नाम मत दीजिए। अगर आप इसी तरह से अपने सिर को झुकाते रहे तो देश में कभी आप मान–सम्मान से खड़े नहीं हो सकोगे।

माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान मैं एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहती हूं। भूख, तालीम, नशा, गुनाह, बेकारी जैसे दागों को गांवों के चेहरे से धो दो। मैं बड़े ही गरीब क्षेत्र से आती हूं, जहां आदिवासी भाई और बहनें रहती हैं।

**अपराह्न 4.00 बजे**

अनुसूचित जातियों की बहनें रहती हैं, जहां आज भी आजादी के 57 सालों बाद भूख है, बेकारी है, बेरोजगारी है। आपने जो रोजगार देने की बात कही है, आप कितने युवक और युवतियों को कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराएंगे? आप इसका हवाला दें।

छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है। उसकी आयु सिर्फ चार वर्ष की है। आप उसके साथ भेदभाव मत करिए। हमें सैंट्रल वाटर ग्रिड से 298 मेगावाट बिजली मिलती थी। आपकी सरकार आने के बाद वह कम कर दी गई और सिर्फ 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मिट्टी के तेल का कोटा कम कर दिया गया है और अनाज कम दिया गया। आप दूसरे प्रदेशों को आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, उत्तरांचल को विशेष मदद दे रहे हैं लेकिन लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जानबूझ कर मदद नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जिसे ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य की मदद करेंगे।

आपके बजट भाषण के बारे में मैं अंत में यही कहूंगी कि उसमें वाह–वाही तो नहीं है, बस आह–आह ही है। हम विपक्ष की तरफ से सिर्फ आह भरते हुए यही कहेंगे कि आपकी दिशा और लक्ष्य ठीक नहीं है। आप जिस दिन भाषण दे रहे थे, उस दिन एनेलैसिस करने वाले समझ नहीं पाए। अब धीरे–धीरे पढ़ने के बाद उनकी समझ में आ रहा है कि आप उन उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं जिन का जिक्र अभी एक माननीय सदस्य ने किया। 57 साल में अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। आप नारा देते रह गए कि गरीब हमारे साथ हैं। आपका यह नारा सिर्फ नारा ही रह गया। भारत निर्माण में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप परिवार निर्माण की ओर जिस तरह बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके बजट का हम विरोध कर रहे हैं।

**सभापति महोदया :** श्री अजय माकन।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** मेरा नाम इनसे पहले था।

**सभापति महोदया :** इनके बाद आपका नाम है।

*[अनुवाद]*

श्री देवेन्द्र नाथ यादव, वे बोल रहे थे।

...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र नाथ यादव :** यह संसद में दलों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदया :** हम उसके अनुसार ही चल रहे हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैंने इसलिए प्रोटैस्ट किया।

**श्री अजय माकन** (नई दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदया, आज मैं चिदम्बरम साहब के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले एक वर्ष के अन्दर हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं और आगे के लिए जो नीति निर्धारित की है, उसे देख कर लगता है कि आज कम से कम देश एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के आधार पर खड़ा है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ 6.9 जीडीपी का हुआ, वह स्ट्राग मैन्यूफैक्चरिंग ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल सैक्टर की ग्रोथ और सर्विस सैक्टर की ग्रोथ क्रमशः 1.9 परसैंट और 9 परसैंट है, उसके आधार पर हुआ। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। हमारी सुदृढ़ इकॉनामी है। इसके ऊपर इससे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता था कि अगर विजय कुमार मल्होत्रा जी यहां होते तो जो बातें उन्होंने कल उठायी, मैं उनका जवाब देता। उन्होंने छठे पे कमीशन के बारे में कहा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं। मैंने इस हाउस में छठे पे कमीशन की बात तीन–चार बार पहले भी रेज की है। मैं अभी भी छठे पे कमीशन के समर्थन में अपनी बात कहता हूं। मेरा मानना है कि बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है कि वह छठे पे कमीशन की बात करे। विजय कुमार मल्होत्रा जी को कोई मॉरल एथॉरटी और अधिकार नहीं है कि वह छठे पे कमीशन की बात करें। पांचवें पे कमीशन की रिकमंडेशन थी कि 1 जनवरी 2003 को छठा पे कमीशन सैट–अप हो जाना चाहिए ताकि वह 2006 तक अपनी सिफारिश दे सके। 10 साल का जो पीरियड होता है, एक पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के बीच का, वह पे कमीशन का पीरियड तभी पूरा हो सकता है अगर 1 जनवरी 2003 को छठा पे कमीशन सैट अप हो जाता। जो नेशनल काउंसिल जेसीएम का है, उसने दो बार रिकमैंड किया। कैबिनेट सैक्रेटरी नेशनल काउंसिल को चेयर करते हैं। उन्होंने कैबिनेट के अन्दर दो बार रिकमैंड किया और दोनों बार कैबिनेट ने इसे रिजैक्ट कर दिया कि छठा पे कमीशन दे नहीं पाएंगे। जब इनकी अपनी सरकार थी, छठे पे कमीशन को इनकी अपनी सरकार की कैबिनेट ने दो बार रिजैक्ट किया। पहली जनवरी 2003 से लेकर 2004 तक जब तक चुनाव नहीं हुए, जब इनके पास डेढ़ वर्ष का समय था, इन्होंने अपने डेढ़ वर्ष के समय में छठा पे कमीशन रिकमैंड नहीं किया।

अब हमारी सरकार के ऊपर एलीगेशन लगाते हैं कि हमने नौ महीने के अंदर क्या किया? इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। मेरा अनुरोध है कि वे इस तरह के बयान देकर जनता को और लोकसभा को गुमराह न करें।

हमारे देश में सुनामी का कहर आया और इसके लिए 2260 किलोमीटर कोस्टलाइन पर असर पड़ा। इसका असर छः प्रदेशों पर हुआ। वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि 3644 करोड़ रुपए रिलीफ पैकेज के लिए एप्रूव किए गए हैं और 10216 करोड़ रुपए के लिए वायदा किया गया। उनका यह कदम स्वागत योग्य है। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सुनामी को फेस किया, वह काबिले तारीफ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि हमारा देश सक्षम है और रिलीफ के लिए अपने आप जेनरेट करेंगे, हमें बाहर से किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हर एक भारतवासी का सीना गर्व से फूल गया और उसका आत्मसम्मान बढ़ गया। यही तरीका होता है कि अपने देश में आई प्राकृतिक आपदा के लिए अपने देश के अंदर अपने सोर्सिस जेनरेट करके रिलीफ जाए। मैं समझता हूं कि यह हर भारतवासी सम्मानित हुआ है।

पिछले एक वर्ष में भारत सरकार ने अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है। भारत को आपको किसी देश का पिछलग्गू नहीं देखा जाता है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब जी–7 देशों का सम्मिट हुआ, उसमें चीन को भी बुलाया जाता है और भारत को भी साथ में बुलाया जाता है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया। जिसमें इससे पहले पिछले पांच–छः साल से चीन भी था, यूएसए भी था और रशिया भी था, उसमें भारत को छठे देश चुना गया जबकि पाकिस्तान या किसी और देश को नहीं चुना गया। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है जब नेपाल में कोई परेशानी होती है तो पूरा विश्व देखता है कि भारत के नेपाल के बारे में क्या स्टैंड है। जो स्टैंड भारत का नेपाल के बारे में है वही सारी दुनिया अपनाती है। आज सारी दुनिया में भारत का आत्मसम्मान सबसे ऊंचे स्तर पर है। आज इंडिया–पाकिस्तान हाइफेनेशन नहीं देखा जाता, अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंडिया–चाइना हाइफनेशन उभर कर आता है, इंडिया–पाकिस्तान हाइफेनेशन निकलकर नहीं आता है। इसी से यह साबित हो जाता है कि भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखा रहा है न कि इंडिया–पाकिस्तान हाइफनेशन। हमेशा होता रहा है, भारत किसी बड़े देश की शक्ति का पिछलग्गू बना नहीं देखा जाता था, वह आज कम से कम नहीं हो रहा है। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

विश्व में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए आज ज्ञान क्रांति की जरूरत है। इसके लिए रिसोर्सिस की जरूरत है। आज ज्ञान की क्रांति बगैर रिसोर्सिस की जरूरत, औद्योगिक सुधार और मेनुफेक्चरिंग सैक्टर के सुधार के नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने नेशनल मैन्युफेक्चरिंग कम्पीटिटिव काउंसिल की स्थापना की बात कही है। इसी साल, जैसे मैंने पहले भी कहा था हम लोगों ने जीडीपी में ग्रोथ की है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मैनुफेक्चरिंग सैक्टर में सुधार हुआ है और 9 परसेंट की ग्रोथ हुई है। यह रिकार्ड में है कि वर्ष 1995–96 के बाद मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ आज तक नहीं हुई जितनी हमारी सरकार के समय में नौ–दस महीने में हुई है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमारी सरकार के आने के बाद हुई है कि जब

जीडीपी ग्रो करती है तो दूसरे देशों में जहां जीडीपी ने ग्रो किया है और डेवलपिंग स्टेटस में टार्गेट को पार किया है वहां यह देखा गया है कि एग्रीकल्चर श्रिंक होता है। जब एग्रीकल्चर श्रिंक होता है तो उसकी जगह मैनुफैक्चरिंग सैक्टर ले लेता है। आज चीन में टोटल जीडीपी के कंपोनेंट में से 59.91 परसेंट इंडस्ट्री का है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में जब हमने उदारीकरण की बात शुरू की तो हमारा जीडीपी बढ़ा और जब एग्रीकल्चर सैक्टर शरिंक हुआ तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सैक्टर की जगह सर्विस सैक्टर ने ले ली।

आज सर्विस सैक्टर स्टेबल नहीं है। सर्विस सैक्टर में हम बाकी जिन चीजों पर डिपेंड करते हैं, वे स्टेबिलिटी नही है। हमें वह स्टेबिलिटी तब मिल सकती हैं, जब हम मैनुफैक्चरिंग सैक्टर, इंडस्ट्री सैक्शन पर डिपेंड करें। इस बार हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, चाहे कस्टम ड्यूटी को कम करने का सवाल हो या कैपिटल गुड्स के लिये हो – फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी धारणा की है। सरकार ने इसके लिये इनीशिएटिव लिया है, जिसके परिणामस्वरूप मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में ग्रोथ 9 परसेंट एक साल में हुई है। मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य है। आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है, जितनी पहले नहीं थी।

वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले बजट में पानी की कमी के बारे में जिक्र किया था। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन 1100 मि.मी. रेनेफाल होता है। जितनी हमारे देश में जमीन है, यदि हम प्रतिवर्ष उसके एक प्रतिशत रेनफाल को स्टोर करना शुरू करें तो हमारे पास 44 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होगा। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति 100 लीटर पानी प्रतिदिन पर्याप्त होगा। पिछले सरकारें जब पानी का कैलकुलेशन करती थीं तो सोर्सेज, ग्राउंड वाटर, सरफेज़ वाटर के आधार पर करती थीं, लेकिन रेनवाटर के आधार पर नहीं करती थीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार आने के बाद, वित्त मंत्री जी ने रेनेवाटर को अदर सोर्सेस ट्रीट किया है। हमारी जितनी वाटर बौडीज हैं, उन्हें कैसे रिचार्ज किया जाये, वाटर हारवैस्टिंग और तेजी से कैसे की जाये, इसके लिये नयी नयी स्कीम ले आकर बजट में पैसा एलोकेट किया है। पिछले साल हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस सेंचुरी में पानी की दिक्कत आने वाली है। अगर किसी चीज पर झगड़ा होगा तो वह पानी पर होगा, देशों और प्रदेशों के बीच झगड़ा होगा। इसलिये पानी की तैयारी हमें अभी से करनी होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर आगे बढ़ना चाहूंगा। इकोनोमिस्ट एंगस मैडिसन ने 2001 में एक किताब लिखी जिसमें बताया गया कि :

*[अनुवाद]*

भारत पहली सहस्राब्दी तक विश्व की जी डी पी का एक–तिहाई उत्पादन करता था। 1500 ईस्वी तक इसका भाग 25% रह गया। बाद में इसका भाग और भी कम हुआ क्योंकि वह औद्योगिक क्रांति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया।

*[हिन्दी]*

इसका मतलब यह हुआ कि 1000 ए.डी. तक भारत विश्व की जीडीपी का एक तिहाई उत्पादन करता था, कालांतर में यह शेयर घटकर 25 प्रतिशत रह गया है और आज हमारा देश अंडर–डैवलप्ड बन गया है, डवलपिंग कंन्ट्री की ओर बढ़ रहा है। यह सब इसलिये हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम दुनिया के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके, उस क्रांति में हम हिस्सा नहीं ले सके। आज वह समय आ गया है जब हम नालेज–बेस्ड इवैल्युशन पर चल रहे हैं। अब उस समय की कमी को दूर करने का समय आ गया है। भारत फिर से सुपर पॉवर बन सकता है, वही जीडीपी एक तिहाई हो सकती है, अगर हम उसी पुरानी गलती पर न चलें। इसलिये हमारी सरकार पिछले एक साल में समय समय पर नये कार्यक्रमों की जानकारी देती रहती थी।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6 जनवरी को नालेज कमीशन की बात कही थी। एजुकेशन सैस लगाकर शिक्षा को शुरू करने की बात कही गई है। मिड डे मील में 11 करोड़ बच्चों को कवर किया गया था। यह लक्ष्य 16.75 करोड़ बच्चों की जगह 30.10 करोड़ बच्चों को अगले वर्ष रखे जाने की बात की गई हैं चाहें सर्व शिक्षा के लिये नेशनल मिशन स्थापित करने की बात हो, चाहें सारी की सारी स्कीमों की बात ले लें, हमारी सरकार एजुकेशन पर ध्यान दे रही है।

सभापति महोदया, आंकड़ों के अनुसार 2003–04 में बजटरी एस्टीमेट एजुकेशन बेस्ड का सैंट्रल प्लान एलोकेशन 7025 करोड़ रुपये था जो 2004–05 में बढ़कर 8225 करोड़ रुपया हो गया और अगले साल के लिये 13928 करोड़ रुपया रखा गया है। यानी केवल 7025 करोड़ रुपये एक वर्ष के अंदर बढ़ाया, जबकि हमारी सरकार ने एक साल में इसे बढ़ाकर 13928 करोड़ कर दिया। इससे नजर आता है कि हमारी सरकार एजूकेशन के क्षेत्र में, ज्ञान क्रांति में हिस्सा लेने में कितनी सीरियस है। ये सब हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। यदि पिछली एन.डी.ए. की सरकार की बात पर जाएं तो मैं उसके आंकड़े भी यहां देना चाहता हूं। यदि परसेन्टेज ऑफ टोटल एक्सपैंडीचर देखें, इनके टाइम में यह 11.3 परसेन्ट वर्ष 2000–01 में था यानी 11.3 परसेन्ट टोटल प्लान आउटले खर्च होता था। अगले साल इनके समय में यह 11.3 परसेन्ट से घटकर 10.4 परसेन्ट हो गय। वर्ष 2002–03 में यह और घटकर 10 परसेन्ट हो गया और जब हमारी सरकार आई तो यह और घटकर 9.1 हो गया। यह इनके समय में एजुकेशन के ऊपर खर्चा था, जो

*[श्री अजय माकन]*

चार साल पहले 11.3 परसेन्ट था, जिसे घटाते–घटाते ये 9.1 परसेन्ट पर ले आये। आज 6 परसेन्ट जी.डी.पी. का एजूकेशन के ऊपर खर्च करने की बात पर जब यह हमारी सरकार को कहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि इन्होंने एजूकेशन के क्षेत्र में अपने समय में क्या कार्य किये, उसके बाद इन्हें हमसे सवाल पूछना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अंत में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार काम करती है, लेकिन बगैर शोर मचाये करती है। हमारी सरकार भारत उदय ही नहीं, अपितु सबके लिए भारत उदय की बात करती है। हमारी सरकार केवल भारत उदय नहीं, बल्कि भारत निर्माण की बात करती है। हमारी सरकार केवल भारत उदय नहीं, बल्कि भारत निर्माण के साथ ग्रामीण अंचलों के लिए नई पहल की बात करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**कुमारी ममता बैनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : बोलने के लिए यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बजट का विरोध करती हूं। यद्यपि मेरी कोई निजी शिकायत नहीं है अथवा मेरा वित्त मंत्री जी से कोई विरोध नहीं है।

जो भी सरकार सत्ता में आती है, बजट प्रस्तुत करना उसका संवैधानिक दायित्व है। सरकार को अपना बजट बनाने की स्वतंत्रता है। समय की कमी के कारण यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत पूर्वकालीन बजटों पर चर्चा कर सकूँ। इसके विपरीत मैं विशिष्ट स्कीमों और प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करूंगी।

मैं नहीं समझती कि यह बजट जनोन्मुख है। जैसा कि बजट प्रस्तुत करने वाले दिन श्री मनमोहन सिंह ने कहा था।

*[हिन्दी]*

मैडम, पहले हम लोगों ने सोचा था – बजट का हाथ होगा गरीब का साथ, लेकिन बाद में देखा – बजट का हाथ स्टाक मार्केट का साथ।

*[अनुवाद]*

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यद्यपि मैं यह सब बातें नहीं कहना चाहती हूँ फिर भी मैं यह कहने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि मैं वित्तीय समस्याओं को जानती हूँ। हम आपने देश की समस्याओं को जानते हैं। सरकार वैश्वीकरण कर रही है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या वैश्वीकरण के नाम पर हम आम आदमी, किसानों, बेरोजगार युवक, वेतनभोगी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की बलि नहीं दे रहे हैं।

सर्वप्रथम मैं गैर–योजना राजस्व व्यय में असामान्य वृद्धि को इंगित करूंगी। यह इस दशक में सर्वोच्च है। वर्ष 2005–06 के लिए यह अनुमानित रूप से 3.31 लाख करोड़ रुपए है जबकि 2004–05 के संशोधित अनुमानों में यह 2.96 लाख करोड़ रुपए था। इससे बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। यह बहुत बड़ा उछाल है। इस उछाल के कारण स्पष्ट नहीं है। बजट एक दृष्टि में, पृष्ठ सं. 1, क्रमांक 1/3.

मेरा दूसरा बिंदू योजना पूँजी व्यय के संबंध में है जो 2005–06 में प्रत्याशित रूप से 47,714 करोड़ रुपए से 27,515 करोड़ रुपए तक नीचे आने का अनुमान था।

योजना व्यय में इस अचानक गिरावट के कारण स्पष्ट नहीं है। इस कारण मैं सोचती हूं कि अगले कुछ वर्षों में जी डी पी वृद्धि से ज्यादा बेरोजगारी पैदा होगी। आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से प्रेम करता है। सरकार ने उन्हें ऋण देना शुरू किया है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता दे रही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और मिड–डे मील कार्यक्रम सहित अन्य अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से भी सबसिडी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि माननीय मंत्री देश के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी यह एक गंभीर शिकायत है। ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के लिए 11,000 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 100 दिन का कार्य देने हेतु 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि गत बजट में किए गए वायदे की तरह से इस योजना का भी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। यह सबसे बड़ा मजाक है।

जहां तक ऋणों का संबंध है पहले केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के लिए उधार लेती थी और इसका लगभग 70 प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया जाता था। लेकिन अब 19,000 करोड़ रुपये बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें निधियां उधार ले सकती है। कुछ ऐसे गरीब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके पास उधार लेने की क्षमता नहीं है। मेरे विचार से यह राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी आपदा है। वास्तव में, अब वे एडीबी और विश्व बैंक से उधार ले सकते हैं। देश के समक्ष इतनी अधिक समस्याएं हैं लेकिन हम भारत निर्माण के बारे में बातें कर रहे हैं। वास्तव में, हमें इससे प्रेम है। कुछ लोग 'देश निर्माण' या 'स्वदेश निर्माण' के बारे में बातें कर रहे हैं। आप कतिपय कार्यक्रम के माध्यम से देश की सेवा करने जा रहे हैं। और अब 'भारत निर्माण' एवं 'भारत दर्शन' की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्र को बचाएंगे। यह क्या है? आप राज्य सरकारों को उधार लेने की अनुमति दे रहे हैं....*(व्यवधान)* आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं।

लेकिन आपको लोगों को उत्तर देना होगा। कृपया आप मेरी बात सुनिए। यदि आप इससे सहमत नहीं होते हैं तो जब आप बोलें, इसका विरोध कर सकते हैं। मैं वस्तुस्थिति बता रही हूं। मैं गलत बोल सकती हूं। अब मेरी बात सही कर सकते हैं...*(व्यवधान)* आप मेरी बात के बीच में व्यवधान डालने की कोशिश न करें। कृपया शांतिपूर्वक मेरी बात सुनें।

**सभापति महोदया** : कृपया, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में मैं वाम मोर्चा की राय जानना चाहती हूं। दूरसंचार क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बैंकिंग क्षेत्र में 74 प्रतिशत और नागर विमानन क्षेत्र में 74 प्रतिशत के बारे में वाममोर्चे का क्या कहना है? क्या इस मुद्दे पर आपके विचार मेरे विचार से अलग हैं? रोज आप टेलीविजन पर कुछ कहते हैं। मैं यह नहीं मान सकती कि केन्द्र सरकार वाम दलों से विचार विमर्श किए बिना यह कर रही है। आप उनके साथ मध्याहन भोज और रात्रिभोज करते हैं। आपने उन्हें यह सब करने की अनुमति दी है। आप भीतर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ आप दोहरे मानदंड अपनाना और यह पाखंड बन्द कीजिए ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : कृपया, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती करूणा शुक्ला** : सभापति महोदया, जब भी ममता जी बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो सामने से सदस्य खड़े होकर व्यवधान करने लगते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**कुमारी ममता बैनर्जी** : महोदया, क्या यह उचित है? जब दूसरे लोग बोलते हैं हम उनकी बात सुनते हैं। यह उचित नहीं है और ठीक भी नहीं है। वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

आप क्या महिला और पुरूष की बात करते हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

मैं भी मानव समाज की एक सदस्या हूं। आप इस तरह न करें। मैं एक ऐसे दल की प्रमुख हूं जहां पुरूष और महिला में कोई फर्क नहीं है। आप इस प्रकार का भेदभाव न करें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया, यह क्या अनर्गल बातें हो रही हैं... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : यह उचित नहीं है। कृपया शांति बनाए रखिए।

...*(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बैनर्जी** : सच हमेशा कड़वा होता है।...*(व्यवधान)*

**श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर) : सभापति महोदया, मैं यहां एक बात कहने के लिए आपकी अनुमति मांगती हूं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : आप अपनी बात कहे इसके पहले उन्हें मानना होगा वे नहीं मान रही हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदया, मैं केवल उनका समर्थन करना चाहती हूं। जब आप सबको बोलने का अवसर दे रही हैं तो उन्हें भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन जब वे बोल रही हैं तो हर आदमी चिल्ला क्यों रहा है? कृपया, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : सभापति महोदया, मैं श्रीमती जयाप्रदा की आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने वास्तविकता को समझा है।

महोदया, मेरा अगली बात कर प्रस्तावों से संबंधित है। 2.5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होता है। कटौती से पहले, आय पर बजत खाते पर ब्याज 3.5 प्रतिशत है। कटौती के बाद 2.45 प्रतिशत है। भारतीय स्टेट बैंक में पांच वर्षों से अधिक समय की सावधि जमा पर, कटौती से पहले ब्याज 6.25 प्रतिशत है और कटौती के बाद यह 4.38 प्रतिशत है जो मुद्रास्फीति से कम है। यदि किसी की आय 20 प्रतिशत की परिधि में आती है जो कि 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक है, तो कटौती के बाद प्रभावी लाभ 6.25 प्रतिशत है और ब्याज घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। यदि किसी की आय 10 प्रतिशत कर दायरे में है तो कटौती के बाद आय 5.63 प्रतिशत घटा दी जाएगी।

महोदया, 30,000 रुपये की मानक कटौती हटा देने से वेतनभोगी वर्ग प्रभावित होगा वरिष्ठ नागरिकों को आय कर में 20,000 रुपये तक की छूट प्राप्त होती थी। लेकिन अब वह प्रावधान वापस ले लिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर बहुत भार पड़ेगा। उन्हें प्रति वर्ष 12,000 रुपये तक ब्याज अर्जन पर आयकर से छूट दी जाती थी। यह भी वापस ले ली गई हैं वेतनभोगी वर्ग को सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली धनराशि पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब, उन्हें सामान्य भविष्य निधि के ब्याज और पेंशन धनराशि पर कर का भुगतान करना है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि इस सरकार को इस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने में कोई रुचि नहीं है।

वरिष्ठ नागरिक जिनकी पेंशन से आय 1,72,000 रुपये तक थी उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब उनहें 2,244 रुपये कर देना होगा। जिन कर्मचारियों की आय 1,42,000 रुपये

*[कुमारी ममता बैनर्जी]*

तक थी उन्हें कर देने की आवश्यकता नहीं थी। अब उन्हें 4,248 रुपये कर के रूप में देने होंगे। एक नौकरीपेशा महिला जिसकी आय 1,47,000 रुपये तक थी उसे कर देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब उसे कर के रुप में 2,244 रुपये देने होंगे।

महोदया सरकार के समक्ष आर्थिक संकट है। हर व्यक्ति उस पहलू को समझेगा। हम सभी लोग देश के व्यापक हित में एक साथ बैठकर इस प्रकार की समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, और कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में समस्या यह है कि हमारे पास जो परिसंपत्तियां हैं उनका उचित रूप में उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में भूख से मौतें हो रही हैं। मिदनापुर जिले के अमलासोल में, मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी में, माल्दा जिले के चनचोल में और पुरूलिया जिले के बंदोवान में भूख से अनेक मौते हुई हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई वे सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के थे। उनमें स्त्रियां, बच्चे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थें

महोदया, मैं शरद पवार की आभारी हूं कि उन्होंने उस पत्र का उत्तर दिया जो मैंने लिखा था। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने कहा है कि यहां भूख से कोई मौत नहीं हुई है। यदि कालाहांडी में भूख से मौत होगी तो वे चिल्लाएंगे। लेकिन चानचोंल या अमलासोल में भूख से मौतें होने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा जालांगी, पुरूलिया और बंदोवान में होता है तो उनके लिए कोई बात नहीं। यही समस्या मौजूद है। भूख से हुई मौत राजनीतिक मौत से अलग है। सभी मौतें भूख से नहीं होती हैं। मौतें आतंकवाद या राज्य प्रायोजित हिंसा से हो सकती हैं। लेकिन वास्तव में, भूख से होने वाली मौतें अन्य मौतें से अलग हैं। हम इसे समझ रहे हैं...*(व्यवधान)* यदि मैं सभा को गलत सूचना दे रही हूं तो आप मेरी बात को सही कीजिए। यह पश्चिम बंगाल सरकार को बताइए कि जालांगी या आमलासोल में भूख से मौत नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : महोदया, मैंने कभी भी किसी के भाषण में व्यवधान नहीं डाला है। वे तथ्यों को जानते हैं, वे दोहरे मानदंड अपना रहे हैं वे भिन्न–भिन्न बातें करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही उनकी समस्या है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : मैं सभा को यह पुस्तक दिखा रही हूँ। वामपंथी इसका भी विरोध करें। यह पुस्तक बैंक चूककर्त्ताओं के बारे में हैं। इसमें 2001 तक का ब्यौरा है। चूक 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। सरकार बैंकिंग क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति क्यों दे रही है। ...*(व्यवधान)* यह अद्यतन पत्र है और आपको यह नहीं कहना चाहिए कि इसे भी तोड़ा–मरोड़ा गया है। यह पत्र ए आई बी एम एस का है जो कि वामपंथी संगठनों से संबद्ध यूनियन है, आँकड़े 1.50 लाख करोड़ रुपए के हैं। जब कोई बात आपके अनुकूल हो तो आप उसका समर्थन करते हैं ओर जब न हो तो विरोध करते हैं...*(व्यवधान)* यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

**सभापति महोदया** : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : महोदया, यदि मेरा आधा समय वे ले लेते हैं तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं उन्हें यह पुस्तक दिखा रही हूँ और मैं वामपंथी यूनियन का आभारी हूँ कि उसने मुझे यह पुस्तक दी। इमसें चूककर्त्ताओं के नाम दिये गये हैं। अब यदि कोई किसान या कोई बेरोजगार युवक या कोई आम आदमी बैंक से ऋण लेता है और पारिवारिक या आर्थिक परिस्थितियों, या अन्य कारणों से उसकी अदायगी नहीं कर पाता तो बैंक उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। इस पुस्तक में प्रमुख उद्योगपतियों के नाम हैं। चूक की राशि 1,50,000 करोड़ रुपए की है। वे बैंक के चूककर्त्ता हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : यहाँ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : इस पत्र में 2005 तक का ब्योरा दिया गया है। एन डी ए सरकार के समय में भी मैंने यह मुद्दा उठाया था और अब भी मैं यह मुद्दा उठा रही हूं। क्या हमें न्याय मिला? आपकी सरकार को भी 10 माह हो गया हैं। अब आप कहते हैं कि यदि आप किसी बैंक से 10000 रुपए की राशि निकालते हैं तो आपको एक प्रतिशत कर देना होगा। किंतु उन काली सूची वाले बैंक चूककर्त्ताओं का क्या करेंगे जो चंद उद्योगपति हैं? वे किसी एक नाम से किसी बैंक से उधार लेते हैं और उसके बाद अपने एकक को बंद करके नया एकक खोल लेते हैं और उसी या दूसरे बैंक से ऋण ले लेते हैं। जिसके कारण देश को नुकसान हो रहा है। उसी कारण मैं इस मुद्दे के संबंध में सरकार से पूरी जांच करने का अनुरोध करती हूं। इस मुद्दे पर श्वेत पत्र निकालना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैंने आपको 'न तृण और न मूल' कहते हुए सुना है। अब आप वामपंथी नहीं, दक्षिण पंथी हैं।

**सभापति महोदया** : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें। कृपया उनकी बातें मत सुनों।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : महोदया, मैं यहां सभा के एक सदस्य के रूप में बोल रही हूँ और वे मुझे अपशब्द कह रहे हैं।

**श्री प्रबोध पाण्डा** (मिदनापुर) : वामपंथी सदैव ठीक होते हैं।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : यह ठीक सोच नहीं है। वामपंथी होने का मतलब है दक्षिणपंथी। आप कौंग्रेस के परम मित्र हैं। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ। आप उन्हें परेशान क्यों करेंगे?

यदि आप उन्हें समर्थन देते हैं। तो क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : माननीय सदस्यगण, कृपया शांति रहें। महोदया, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : दोहरे मानदंड मत अपनाएं। इसी कारण मेरा विचार है कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। यदि आप देश में काले धन के सृजन को रोकना चाहते हैं तो काले धन वालों के स्थान पर आम आदमी क्यों परेशान हो? आप काले धन की तुलना वैध साधनों द्वारा अर्जित आय से नहीं कर सकते। जो लोग आयकर दे रहे हैं और अपने धन को बैंकों में रख रहे हैं, उन्हें उस धन को लेने का अधिकार है। परन्तु काले धन वाले हमारी अर्थव्यवस्था और देश को नष्ट कर रहे हैं। इसी कारण समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है।

कुछ राज्य दीवालिया हैं। चाहें एनडीए की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, कुछ अच्छी स्कीमें चलाई गई हैं। गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छी स्कीमें हैं। किंतु मध्यस्थों के कारण धन जनता तक नहीं पहुंच रहा है। मध्यस्थ धन को हज़म कर रहे हैं। इस बारे में मुझे श्री राजीव गांधी की बात याद है। उन्होंने कहा था कि 90 प्रतिशत धन आम आदमी तक नहीं पहुँचता है। उसी कारण मैं अनुरोध करूँगी कि लेखापरीक्षा का प्रावधान होना चाहिए। क्या आप केंद्र से जारी धन के संबंध में कोई लेखापरीक्षा प्राप्त कर रहे हैं? उस धन की लेखापरीक्षा के लिए क्या कोई व्यवस्था है? मेरे राज्य में, मैं आपको बता सकती हूँ कि ऋण 1,00,000 रुपए से अधिक है। यह विदेशी और अन्य ऋण है। यदि आप इसे उसी तरह रहने देते हैं तो मैं नहीं जानती कि हम आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा या आंतरिक दृष्टिकोण से इसे हजम कर पायेंगे।

मेरी अंतिम बात जो कम महत्वपूर्ण नहीं है वह कलकत्ता के बारे में है। यह एक महत्वपूर्ण शहर है। पश्चिमी बंगाल राज्य भी ऐतिहासिक, भौगोलिक और परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : यह कोलकाता है।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : यदि मैंने कलकत्ता कह दिया तो क्या गलत कर दिया?

महोदया, कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रवेशद्वार हैं। वे बंग्लादेश, भूटान और नेपाल के प्रवेशद्वार हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र बर्मा और चीन का प्रवेशद्वार है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तरी बंगाल में विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यदि आप सरकारी कार्यालय जाते हैं तो आप उन्हें भारतीय नहीं विदेशी मुद्रा का प्रयोग करते देखेंगे। क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। अतः मैं सरकार से इसकी जांच करने का अनुरोध करती हूँ। मैं सरकार से 10000 रुपए के आहरण पर लगे कर को हटाने के लिए भी कहूँगी। वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में यथास्थिति बनाये रखनी चाहिए। वेतनभोगी वर्ग के संबंध में भी यथास्थिति बनाये रखनी चाहिए। मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की कीमतों में पहले ही वृद्धि कर दी गई है। हर जगह कीमतें बढ़ाई गई हैं। पहले से ही दो प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया गया है। अब यह 50 पैसे डीज़ल उपकर लगाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हर बार कीमतें न बढ़ायी जायें। कोई कार्ययोजना बनायें ताकि आम आदमी को परेशानी न हो...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : माननीय सदस्यगण, यह ठीक नहीं है। यह व्यवहार ठीक नहीं है। कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बैनर्जी** : मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ।

**सभापति महोदया** : महोदया, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : मेरा विचार है कि कि बहुत हो गया। यदि कीमतों में इतनी वृद्धि होती है तो आम आदमी को ही कष्ट सहना पड़ता है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए हमें जनता के हितों का ध्यान रखना है। अतः जनता के लिए आप जो भी कर सकते हैं, कृपया करें। कृपया उनके साथ न्याय करें। आपको काली सूची में डाले गये लोगों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मेरे विचार से तभी जनता आपको उसके लिए पूर्ण समर्थन देगी।

इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। महोदया, इन शब्दों के साथ, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है: "कृपया कभी कभार मुझे कुछ अनुदेश, दें– निर्देश दें कि क्या मैं इस सभा में कभी बोल पाऊँगी या नहीं।" हम भिखारी नहीं है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया** : इस तरह न कहें। आपको पूरा अधिकार है।

**कुमारी ममता बैनर्जी** : कृपया एक मिनट। मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे एक मिनट का समय चाहती हूँ। महोदया, ये लोग भले ही मुझे पसंद न करें परन्तु मैं छठी बारी इस सभा के लिए चुनकर आई हूं।

**सभापति महोदया** : ऐसा नहीं है।

...(*व्यवधान*)

***कुमारी ममता बैनर्जी*** *: यदि वे हर बार मेरे भाषण में इस तरह व्यवधान डालेंगे तो मुझे खेद है, मैं अपना इस्तीफा देने को* तैयार हूँ। मेरे बोलने में इस तरह व्यवधान न डालें क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में सब कुछ बलिदान किया है। मुझ पर कई बार हमले हुए हैं क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ती हूँ। महोदया, मैं वापंथियों या अवसरवादियों से कोई पाठ नहीं पढूंगी।

**श्रीमती वी. राधिका सेलवी** (तिरूचेन्दूर) : सामान्य बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं, मेरे नेता और भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डा. कलाइनार को धन्यवाद देती हूँ और युवा वर्ग के ओजस्वी नेता, तमिल तलापथी के गुरू (जूपिटर) एम. के. स्टालिन को भी धन्यवाद देती हूँ।

मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री तिरू चिदंबरम को उनके सुंदर बजट के लिए बधाई देती हूँ, विशेषकर हस्त निर्मित माचिसों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने के लिए। मैं उन्हें पूर्ण रूप से यंत्रीकृत माचिस उत्पादन पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क कम करने, और हथकरघा इकाइयों को मदद करने हेतु उनके एकीकृत दृष्टिकोण के लिए भी बधाई देती हूँ। जिससे वस्त्र उद्योग की रूग्नता को कम किया जा सकता है। आयकर की सीमा का बढ़ाया जाना मध्यम वर्ग को दी गई बड़ी राहत है। ज्ञान ही शक्ति है। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक भारतीय विज्ञान संस्थान के विकास हेतु निधियां जारी की हैं। करको घटाकर, हमारे वित्त मंत्री जी ने कराधान की शुरूआत की है। सिगरेट पर ज्यादा से ज्यादा कर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ग्रामीण विकास हेतु, भारत निर्माण योजना की शुरूआत विशेषकर ग्रामीण विकास के लिए की गई है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से उद्योग और कृषि हेतु कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए कहा है। यह स्वागतयोग्य कदम है।

महोदय, ताड़ के पेड़ का कार्य मौसमी प्रकृति का है, ये लोग शेष अवधि के दौरान बेरोजगार पड़े रहते हैं। अतः बेरोजगारी अवधि के दौरान, उन्हें वित्तीय प्रतिपूर्ति दी जानी चाहिए और सामूहिक बीमा योजना का लाभ भी ताड़ के पेड़ पर काम 'करने वालों' को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनके कार्य में उनका जीवन भी जोखिम में रहता है।

मेरे तिरूचिन्दूर निर्वाचन क्षेत्र में, बड़ी संख्या में बीड़ी कामगार हैं। उनमें से अधिकांश के पास पहचान पत्र नहीं हैं, क्योंकि वे मुख्यतः केवल अभिकर्त्ता या ठेकेदारों द्वारा ही रखे जाते हैं। इसलिए, वे सरकार द्वारा घोषित सभी लाभों से वंचित हैं। सरकार को इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके निगरानी समितियों की शुरूआत करनी चाहिए।

महोदया, केन्द्र सरकार ने बीड़ी कामगारों के बच्चों हेतु विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। परन्तु, यह बच्चों तक उचित रूप से नहीं पहुँच पायी है। इसे सुचारू बनाया जाना चाहिए। बीड़ी कामगारों के विकलांग बच्चों हेतु, उपयुक्त सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

दक्षिणी तमिलनाडु में, प्रायः सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए, हमारे प्रिय नेता, डा. कलाईनार ने (सेवानिवृत्त) न्यायाधिश तिरू रथनावेल पांडियन की अध्यक्षता में सांप्रदायिक दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की है।

**अपराह्न 4.44 बजे**

(**श्री अजय माकन** *पीठासीन हुए*)

पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह बताया कि मुख्य कारण बेरोजगारी की समस्या है। इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने हेतु हमारे नेता डा. कलाईनार और उस समय के व्यापार और वाणिज्य मंत्री, विख्यात और विद्वान थिरू मुरासोली मारन ने नानगुनेरी में मुक्त क्षेत्र के साथ एक उच्च्–प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई थी। यह एक लाख लोगों को सीधे तौर पर और 2 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिलों में, नामतः, तूतीकोरीन, तिरूनेलवेली, कन्याकुमारी में अनेक शिक्षित व्यक्ति हैं। ये शिक्षित लोग अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद विभिन्न अन्य राज्यों और देशों की ओर प्रवास कर जाते हैं। क्योंकि उनके लिए उनके जन्म स्थान में कोई उचित नौकरी उपलब्ध नहीं है। वे लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है वे हिंसा पर उतारू हो जाते हैं जिससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री जी ने मेरे साथ नानगुनेरी उच्च्–प्रौद्योगिकी पार्क स्थल का मेरे साथ दौरा भी किया है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह उच्च्–प्रौद्योगिकी पार्क शीघ्रताशीघ्र बन जायेगा।

इससे दक्षिणी तमिलनाडु में होने वाली सांप्रदायिक दंगे कम होंगे। माननीय मंत्री जी को इसमें शीघ्रता लानी चाहिए।

महोदय, मेरे तिरूचिन्दूर निर्वाचन क्षेत्र में, थांबीराबरानी नदी के अनुचित बहाव के कारण लाखों क्यूबिक फीट पानी समुद्र में चला जाता है। इसे रोकने के लिए, इस अधिशेष पानी की दिशा को मोड़ने हेतु एक उपयुक्त परियोजना की आवश्यकता है ताकि सथानकुलम, रथपुरम और नानगुनेरी की जनता को बचाया जा सके जहाँ पानी की कमी की समस्या एक बड़ी समस्या है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वैसे ही कल्याण बोर्डों का गठन

करें जैसा कि द्राविड मुनेत्र कड़गम के शासन अवधि के दौरान हमारे प्रिय नेता डा. कलाईनार करूणानिधि द्वारा गठित किया गया था।

कल्याण बोर्डों का गठन सामाजिक सुरक्षा के रूप में उन सदस्यों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है जो 100 रुपए का एक बारगी प्रारंभिक भुगतान का अंशदान करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का उल्लेख या फिर भी सामान्य बजट में इसका उल्लेख नहीं है।

यद्यपि बजट में सभी अच्छे पहलुओं का उल्लेख है, परन्तु एक विकृति है, वह है, एक दिन में 10,000 रुपये और उससे ज्यादा की राशि की निकासी पर लगाया गया 0.1 प्रतिशत कर। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानियां होंगी। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वह एक दिन में 10,000 रुपए और उससे ज्यादा की निकासी पर लगने वाला 0.1 प्रतिशत कर को वापस ले लें। हमारे प्रिय नेता डा. कलाईनार करूणानिधि भी चाहते हैं कि मंत्री जी इस स्कीम पर विचार करें। मैं आशा करती हूँ कि माननीय मंत्री जी हमारे नेता के इस अनुरोध पर विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करती हूँ। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे। मैं आरजेडी पार्टी का डिप्टी लीडर हूँ। स्ट्रैंथ के अनुसार जब भी किसी पार्टी की बारी आती है, उसके अनुसार सदस्य को बुलाना निर्धारित है। ...*(व्यवधान)* मैं इस बात को छोड़ देता हूं। इस पर चर्चा करना जरूरी भी नहीं है क्योंकि यह आसन की बात है। भविष्य में ऐसा न हो, इसका ध्यान रखा जाये। इसके अलावा मुझे कुछ और प्रोटेस्ट नहीं करना। मेरा कहना है कि बारी का ध्यान रखना चाहिए कि किस पार्टी के कितने सदस्य लोक सभा में है। उसके हिसाब से ही उनको बोलने के लिए बुलाया जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बजट की जो दिशा है, जिस दिशा में बजट का एप्रोच है, वह ग्रामोन्मुखी है। इस बजट के एप्रोच को रोजगोरान्मुखी बनाने की कोशिश की गयी है, इसलिए बजट में जो प्रस्ताव है, जो एप्रोच है, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहें सात सैक्टर्स को प्रॉयरिटी सैक्टर माना गया, चाहें सड़कें हों, सिंचाई हो, स्वास्थ्य हों, जल का सही उपयोग हो, शिक्षा हो या गृह–विहीन लोगों के लिए पक्के मकान बनाने का प्रश्न हो, खासकर किसान के मामले में उन्होंने डीसैंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमैंट कर चर्चा की है। ऑल ओवर इंडिया में जो राज्य फूडग्रेन के मामले में सरप्लस है, वहां डीसैंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमैंट किया जायेगा। यह एक अच्छा प्रयास हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने समय को देखते हुए अच्छा प्रयास किया है।

सभापति महोदय, इंडिया शाइनिंग करने वाले हमारे मित्र, श्री हरिन पाठक जी कल भाषण दे रहे थे, तो वह फील गुड के बारे में कह रहे थे। एनडीए के समय में भी मैंने इस सवाल को उठाया था। मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया शाइनिंग वाले 2 परसेंट लोग जो इस देश में हैं, जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी हुई है, उसमें क्या उनके छ' साल के शासन का कोई योगदान नहीं है? जो लोग फील गुड कर रहे थे, इंडिया को शाइन कर रहे थे, क्या उन लोगों की करामात नहीं है। अब भारत निर्माण से कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब भारत निर्माण, यानी असली भारत की और कोई बजट जाता हो तो उसमें पेट में दर्द होने की क्या बात है? इनका मतलब – इंडिया वर्सेस भारत। इस राज को स्थापित करने का काम एनडीए के शासन काल में ही हुआ – इंडिया मीन्स इंडिया गेट के भीतर। चाहें जो भी शहर हो, जो गेट है, वह मैट्रोपोलिटन शहर का है। इंडिया गेट के बाहर के जो लोग हैं, वह भारत है। उस भारत निर्माण की ओर जब चिदम्बरम जी का ध्यान गया है तो इन लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। इसी दर्द का बयान हमारे मित्र कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। आज हरिन पाठक जी यहां नहीं हैं...*(व्यवधान)* आप लोग उनकी पार्टी के लोग, उनके प्रतिनिधि यहां हैं। हरिन पाठक जी बड़े जोरों से कालाधन के बारे में कहे थे। हमने तो उस समय भी विरोध किया था जब बीपीएल का दाम एनडीए सरकार ने बढाया था।... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यादव जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : इन लोगों ने गरीबी उन्मूलन का बहुत अच्छा काम किया था। गरीबी उन्मूलन का काम 2000–2001 का जो बजट तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी ने प्रस्तुत किया था। हम लोगों ने तब यहीं से उठकर कहा था कि बीपीएल का दाम मत बढाइए। बीपीएल के नीचे रहने वाले 35.97 प्रतिशत लोग हैं। जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था, प्लानिंग कमीशन का 96. 97 का आकलन आया था, वह लगभग 35.97 प्रतिशत, लगभग 37 प्रतिशत था। वित्त मंत्री जी इसे ठीक करेंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। जो फूड ग्रेन था, उनको कहा गया कि इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाएं। एनडीए के वित्त मंत्री ने गरीबों की बहुत चर्चा की थी। अभी

[श्री देवन्द्र प्रसाद यादव]

इन लोगों ने चर्चा में कहा कि यह बजट पूंजीपतियों के हित में बना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एनडीए की सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे खाने वाले लोगों के लिए एक किलो गेहूं और चावल के दाम में 37 पैसा बढ़ाया था। तब भी हमने यहीं से उठकर इस बात का विरोध किया था। उस समय भी हम तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिले और इनके सहयोगी दल के श्री के. येरननायडु जी भी डेलीगेशन के साथ मिले। तब उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट में इस पर विचार किया जाएगा। जब सप्लीमेंट्री बजट आया तो उस समय हमने कई सवाल उठाए तो कहा गया कि एक्सपेंडीचर कमीशन बनाया जाएगा। यह कमीशन इकॉनोमिक कॉस्ट का पूरा हिसाब लगाकर इस पर विचार करेगा। तीन महीने तक ज्यादा दाम पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अनाज मिलता रहा। पूरे देश में बीपीएल, एपीएल का दाम घट गया। तब तक बीपीएल का ऑफ–टेक भी घट गया यानी उसका उठान ही नहीं हुआ। तीन महीन के बाद कहा गया कि इकॉनोमिक कॉस्ट इतना नहीं है जितना दाम बढ़ाया गया। इसीलिए फिर से दाम घटाया गया। यह एनडीए सरकार का गरीबों के प्रति दर्द रहा है। मैं इसलिए जिक्र करना चाहता था।

इतना ही नहीं, डिसइंवेस्टमेंट मिनिस्ट्री कायम की गई। दुनिया में आज तक किसी ने यह मिनिस्ट्री नहीं देखी होगी। गांव में 98 प्रतिशत लोग पूछते थे कि यह कौन सा मंत्रालय है, इसका मंत्री क्या कर रहा है? हम लोग कहते थे कि डिसइंवेस्टमेंट मिनिस्ट्री अंग्रेजी में होती है। जन भाषा में हमें लोगों को गांव में बताना पड़ता था कि डिसइंवेस्टमेंट मिनिस्ट्री का मतलब ''राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय'' खुला है।...*(व्यवधान)* यह एनडीए सरकार की उपलब्धि रही है। जितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज थीं, उनको कौड़ियों के दाम में बेचने का काम एनडीए के शासनकाल में हुआ। कोई यह कहे कि मैं आज बोल रहा हूं। सदन की प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए। जिस समय डिसइंवेस्टमेंट मिनिस्टर खड़ा होता था, हम लोग यहीं से उठकर बोलते थे...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दिमाग में यह नहीं घुसेगा।...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या बड़ी बात कर रहे हैं? हमारे दिमाग में इसीलिए यह नहीं घुसेगा क्योंकि आप एनडीए में दो प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। आप भारत को नहीं समझेंगे... *(व्यवधान)* भारत समझने में आपको अभी कई साल लगेंगे।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** यादव जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** सभापति महोदय, ये दूसरी बार लोक सभा में हैं। जब दसवां वर्ष लगेगा तब हमारी भाषा को समझेंगे।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** यादव जी, आप चेयर को एड्रैस करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** डी.पी. यादव जी, आप विषय पर बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं। आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि अनेक लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को कौडियों के दाम बेच दिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव रहा। ऐसे उपक्रमों के कौड़ियों के दाम में बेचने में ट्रांसपेरेसी नहीं अपनाई गयी। उससे मिले कमीशन का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह जांच का विषय है। अभी समय नहीं है अन्यथा मैं उदाहरण के साथ बताता कि इन लोगों ने कहाँ–कहाँ से किस–किस तरह से लाभप्रद उपक्रम को बेचा है।

महोदय, अभी चर्चा की जा रही थी कि पिछले 47 सालों में बैड लोन्स या नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स की सीमा बढ़ कर 47,000 करोड़ रुपए हो गयी। लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि इनके छः साल के समय में एनपीए हर साल 10,000 करोड़ रुपए की दर से बढ़ा है। इस प्रकार इनके मात्र छः साल में ही एनपीए बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रूपए हो गया। इसके परिणाम यह होता है कि गरीब आदमी जो अपनी मेहनत का पैसा बैंकों, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, उस पर ब्याज दर घट जाती है। यह पहले 12 प्रतिशत थी, अब घटकर मात्र 8 प्रतिशत रह गयी है।... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री देवेन्द्र प्रसाद जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** महोदय, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपने छः साल के समय में आप कितने लोगों के विरूद्ध सिविल सूट लाए थे?

**अपराह्न 5.00 बजे**

जिनके समय में 47,000 करोड़ रुपए एनपीए था, उन्होंने 50 साल राज किया, लेकिन आपने छः साल तक शासन किया और उस रकम को बढ़ा कर 96 हजार 84 करोड़ रुपए का एनपीए कर दिया।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाईं :** क्या वह इसे साबित कर सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** हमारे पास सारे आंकड़े हैं।

**सभापति महोदय** : आप देवेन्द्र प्रसाद जी उनके साथ क्यों बहस करते हैं। आप सिर्फ चेयर को एड्रैस करें, उन्हें रिएक्ट न करें।

**श्री देवन्द प्रसाद यादव** : मैं चेयर को ही एड्रैस कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आप प्रोसीडिंग्स को उठाकर देख लें।

**सभापति महोदय** : आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं। उनका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप सिर्फ अपनी बात कहें।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं निवेदन कर रहा था कि मार्च 2004 तक 96 हजार 84 करोड़ रुपए का जो एनपीए है, उसकी वसूली आप कराएं। एनडीए शासनकाल में तो वह नहीं हुई, न ही उस पर कोई कार्यवाही हुई और न किसी के खिलाफ कोई सिविल स्यूट किया गया। जो बड़े–बड़े उद्योगपति हैं, बडे–बड़े घराने हैं, वे इन्हीं के लोग थे इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कह रहे थे कि कालेधन वालों की गर्दन मोटी हो गई है। वे आपके ही दल में हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को जरूर फसरी लगाएं और कालाधन निकालें। इसके लिए आप चाहें तो सिविल स्यूट चलाएं या और कोई कार्रवाई करनी हो, तो वह करें। इसके लिए अखबारों में तीन महीने तक विज्ञापन निकाले जाएं जिससे लोगों को पता चले कि किस–किसके पास कालाधन है। इस तरह से देश और विदेशों में, स्थित बैंकों में जमा कालाधन बाहर आएगा।...*(व्यवधान)*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : एक टीम यहां से स्विस बैंकों में कालाधन की जांच के लिए भेजी जाए।..*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : आप लोग परेशान न हों...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाएं और इंटरप्ट न करें। हाउस में आर्डर लाएं।

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी) : देवेन्द्र जी, क्या आप एक मिनट के लिए ईल्ड करें।

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाएं। देवेन्द्र जी, आप बोलिए और चेयर को एड्रैस करें।

*[अनुवाद]*

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय, वह समाप्त कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं नहीं समाप्त कर रहा हूँ, महोदय. ..*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : देवेन्द्र जी, आप अपना भाषण जारी रखें और चेयर को एड्रैस करें।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं आपको ही एड्रैस कर रहा हूं। वर्ष 2001 से 2003 में जब विश्व व्यापार संगठन पर वार्ता शुरू हुई थी, उसमें 2003 तक मात्रात्मक प्रतिबंधों को उठाने की बात थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कामर्स मिनिस्टर का पत्र आया था। ये लोग किस तरह से अमेरिकापरस्त रहे हैं, यह इससे पता चलता है। खुराना जी, जो एनडीए में सांसद थे, उन्होंने इसके विरूद्ध प्रेस में आवाज उठाई थी। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों की तो आत्मा उस समय मृत थी। कृषि उत्पादों पर और अन्य चीजों के ऊपर से मात्रात्मक प्रतिबंध उठाने की बात थी। जो आयात होना था, उसके बारे में दुनिया के सामने इनकी सरकार के कामर्स मिनिस्टर को अपने देश के हित की बात कहनी चाहिए थी और उस पर अड़ना चाहिए था। लेकिन वे नहीं अड़े। वर्तमान यूपीए सरकार के कामर्स मिनिस्टर कमलनाथ जी देश के व्यापक हितों के लिए अड़े हुए हैं। कृषि उत्पादनों की हिन्दुस्तान में डम्पिंग ग्राउंड बना दी गई है। अब यहां गेहूं, चावल, सब्जियां, टमाटर फल इत्यादि आ सकते हैं। डम्पिंग ग्राउंड हिन्दुस्तान को बनाने में इन लोगों का सहयोग रहा है। एनडीए सरकार के जो बजट आए, उनमें भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगाई।

इस बार माननीय मंत्री जी ने काउंटर वीलिंग ड्यूटी पर भी ध्यान दिया है।...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाई** : माननीय अरूण जेटली जी ने, भारत का विश्व में नेतृत्व किया।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : देवेन्द्र जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : इनकी पिछली सरकार ने क्या किया...*(व्यवधान)* यूटीआई स्कैम के जरिये जो छोटे–छोटे निवेशक थे वे मारे गये। यूटीआई में गरीब लोगों का पैसा था और इन्होंने दो करोड़ लोगों को बर्बाद कर दिया। इस संस्था को, ...*(व्यवधान)* इस साउड फाइनेंशियल इंस्टीटयूट को इन्होंने फेल कर दिया।...*(व्यवधान)* किसानों को ऋण देने..के बारे में इन्होंने कुछ नही किया...*(व्यवधान)* इस सरकार द्वारा किसानों को 1 लाख 8 हजार रुपया देने का संकल्प किया गया है। ...*(व्यवधान)* आज तक किसनों को इतना ऋण देने की बात पहले कभी नहीं कही गयी। किसानों को देने के लिए 30 प्रतिशत रुपया बढ़ाया गया है। ...*(व्यवधान)* इनके समय में किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया सरल नहीं थी, जटिल प्रक्रिया के बावजूद भी विभिन्न बैंकों से जो कर्ज किसान को मिलता था, उस पर 14 प्रतिशत से लेकर 19 प्रतिशत तक का ब्याज किसान को देना पड़ता था।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब आप कंक्लूड कीजिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : किसानों को कृषि कार्य के लिए, कृषि यंत्रों के लिए जो ऋण मिलता था उस पर 14 प्रतिशत से 19

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

प्रतिशत तक का ब्याज किसान को देना पड़ता था। उसको घटाकर 9 से 12 प्रतिशत करने का काम इस सरकार ने किया है। आरबीआई की गाइडलाइन्स पर इनके समय में कोई ध्यान नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)* यह ठीक है कि कोओपरेटिव्ज बैंक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आरबीआई की तरफ से भी ऐसी गाइडलाइन्स लगाई जानी चाहिए।..*(व्यवधान) बिहार का* जो सीडी रेशो है वह मात्र 15–16 प्रतिशत है। सारा पैसा बड़े–बड़े शहरों में चला जाता है। ...*(व्यवधान)* हमारा गरीब आदमी जो इसमें जमा करता है...*(व्यवधान)* हमारे किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। केवल तीन–चार स्टेट्स को ही प्रोक्युरमेंट का लाभ मिलता था। उस समय जो तराजू हैं, टेक्नीकल अपरेट्स हैं, बैंक का कर्ज है, वह समय पर नहीं मिलता था। लेकिन अब डिसेंट्रेलाइजेशन का फायदा किसानों को इस बजट में मिला है और डिसेंट्रेलाइज्ड प्रोक्युरमेंट के जरिये उनके जीवन–स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास इस बजट में हो रहा है।...*(व्यवधान)* माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट प्रस्ताव के जरिये एक एप्रोच भारत के लोगों को दे रहे हैं। इंडिया–शाइनिंग वाले लोग केवल दो प्रतिशत लोगों का ही ख्याल रखते थे। एक प्राचीन कहावत है कि अमीर आदमी ऊंचे हाथी पर चढ़ता था।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं निवेदन कर रहा था कि जो आर्थिक विषमता है, आप उसे दूर करिए। गरीबी रेखा तय हो गई। अब अमीरी रेखा भी तय कर दी जाए। इससे इनकी सारी हवा निकल जाएगी। अमीरी रेखा का मतलब है हजार से ज्यादा नहीं और सौ से कम नहीं। ...*(व्यवधान)* समाजवाद का यही तकाजा है। यह फिक्स कर दिया जाए। इकॉनमिक डिसपैरिटी जो बहुत अधिक हो गई है, वह इससे कम हो जाएगी। 35 हजार फीट पर दो प्रतिशत लोग उड़ते हैं और नीचे पांच फीट पर ज्यादा लोग हैं। पुराने जमाने में अमीर आदमी हाथी पर बैठते थे। उस समय मात्र 12 फीट का अन्तर होता था। आज यह गैप 35 हजार फीट का हो गया है। इसलिए हिंसा हो रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है।

**सभापति महोदय** : अब आप कनक्लूड करिए। आप स्वयं पैनल ऑफ चेयरमैन हैं। आप आधा घंटा बोल चुके हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अब मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी विद्वान हैं मेरे कुछ सुझाव हैं। गरीब आदमी अपने बेटे–बेटी की शादी के लिए 10 हजार रुपया बैंक में जमा कर लेता है। बजट में कहा है कि 10 हजार के विदड्रॉल पर 10 रुपये टैक्स के काटे जाएंगे। मेरा सुझाव है कि यह टैक्स 50 हजार रुपए के विदड्रॉल पर काटा जाए।

आज नेशनल पर–कैपिटा इनकम 12870 रुपए है। बिहार यहां तक कैसे पहुंचेगा? बिहार की आज 3,345 रुपए पर–कैपिटा इनकम है। ...*(व्यवधान)* बिहार को आर्थिक पैकेज देने की जरूरत है। जब से बिहार का बंटवारा हुआ तब से उसकी हालत खराब है। आप इसके दोषी हो। झारखंड बनने के बाद हमारे आंतरिक संसाधन जीरो हो गए। हमारे यहां बाढ़ और सूखा पड़ता है। ...*(व्यवधान)* सदन में बिहार के बंटवारे के बारे में जब गृह मंत्री बिल लेकर आए थे, हमने उस समय भी इसका विरोध किया था। बिहार का बंटवारा होने के बाद उसके पास आमदनी का कोई जरिया नही है। बिहार को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक पैकेज देना होगा। आपने बिहार को 400 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जबकि इसके लिए 7100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिहार बैकवर्ड स्टेट है। वनों के रख–रखाव के लिए एक हजार करोड़ में से मात्र पांच करोड़ रुपए बिहार को मिले हैं। ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा के लिए मात्र 40 करोड़ रुपए मिले हैं...*(व्यवधान)*

बिहार की गरीबी, आबादी और पिछड़ेपन को देखते हुए राशि का आबंटन किया जाए। गाडगिल फार्मूला जो मौलिक फार्मूला है, उसके आधार पर उसकी मदद दी जाए। हमारी हालत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह है। बाढ़ और सूखे के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। नेपाल की नदियों का पानी बिहार में तबाही मचाता है। इससे वहां करोड़ों रुपए की फसल बरबाद होती है। हमें आर्थिक पैकेज हमारी आवश्यकता, गरीबी और पिछड़ेपन के हिसाब से दिया जाए। तभी हमारे प्लान का आकार सही हो सकता है और बिहार को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। बिहार का ग्रोथ रेट माइनस तीन परसैंट है। दूसरी स्टेट्स का पांच है, छः है। उत्तर बिहार हमेशा लॉस में रहता है। हमें प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपए की हानि होती है। सीएमपी में बाढ़ और सुखाढ़ के लिए एप्रोच की गई है। इस तरह से स्थिति को देखते हुए बिहार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। वहां 2000 मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी चाहिए। वहां मात्र 320 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी बच गया है वह झारखंड में चला गया है। इसलिए स्टाल्ट कैपेसिटी में फ्यूचर प्लानिंग के लिए 7000 मेगावाट चाहिए। वहां वाटर ड्रेनेज के कारण लाखों हेक्टेयर जमीन में जल जमाव की स्थिति बन गई है। दस लाख हैक्टेयर जमीन में जल प्लावित रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : सभापति महोदय, मुझे 2005–06 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी देशवासियों को स्थिरता, प्रगति, देश का विकास, और खाद्य, कपड़े और आवास उपलब्ध कराना भी प्रत्येक सरकार की मंशा होती है तथा यह प्रत्येक वर्ष बजट को प्रभावित करता है।

मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह भारत निर्माण जैसी बातों के साथ एक अच्छे निबंध से ज्यादा कुछ नहीं है।

पिछले 58 वर्षों में, कांग्रेस इस देश में 50 वर्षों तक शासन करती रही। कभी–कभी उन्होंनें 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे दिए और कभी–कभी उन्होंने बीस–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की परन्तु उपलब्धि क्या रही है?

हमारी जनसंख्या की 30 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और करीब 27 प्रतिशत हमारे युवा बेरोजगार हैं। यह उपलब्धि ही अनुवर्ती कॉंग्रेस सरकारों की रही है।

बजट भाषण को पढ़ने के दौरान, मैंने पाया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी ही चालाकी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का श्रेय ले लिया है। उदाहरणस्वरूप, कृषि ऋण के मामले में, हम सभी जानते हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शासन के दौरान इस देश के किसानों के लिए ऋणों पर एकल अंक में ब्याज की घोषणा की गई, यानि कि ऋणों पर नौ प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा। किसानों को 50 प्रतिशत फसल ऋण भी प्रदान किया गया और ट्रैक्टर तथा अन्य उपस्कर हेतु 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए गए।

दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने का भी श्रेय ले लिया है। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की देन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने छात्रों को शिक्षा ऋण कम ब्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि तक के लिए प्रदान करना शुरू किया था।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को 2 रु. प्रतिकिलो की दर से चावल प्रदान करने हेतु अंत्योदय योजना की शुरूआत एन.डी.ए. की सरकार द्वारा की गई। भारत के इतिहास में पहली बार एन.डी.ए. सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। स्व–सहायता समूहों के गठन की पहल भी एन.डी.ए. सरकार द्वारा की गयी।

स्व–सहायता समुह को वित्तीय सहायता एन.डी.ए. की सरकार द्वारा दी गई। उसके पीछे मंशा जो भी हो लेकिन जब तक समुचित अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाता है। तब तक उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि सड़क, जलापूर्ति, विद्युत टेलीफोन आदि जैसी अवसंरचनातमक सुविधा नहीं है। तो बजट में आप जो भी कहेंगे वह बेकार ही होगा। मैं तो यह कहूंगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए एक योजना चलाई जिसके कारण सभी योजनाओं का लाभ आसानी से आम लोगों तक पहुंच रहा था।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने सिंचाई के माध्यम से रोजगार सृजन की घोषणा की; पांच वर्षों के भीतर एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जिससे अंततः एक करोड़ रोजगार का सृजन होगा। लेकिन उसके लिए न तो कोई विशेष योजना बनाई गई ओर न ही वित्तीय प्रावधान किए गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन रोजगारों का सृजन किस प्रकार किया जाएगा। दूसरी बात यह कि उन्होंने कपड़ा उद्योग के लिए ऋण लिया है। हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने कपड़ा उद्योग को एक पैकेज दिया था जिसके कारण कई लोगों को रोजगार मिला। वह सृजन एन.डी.ए. की सरकार द्वारा किया गया था।

मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मुम्बई शहर से इस सरकार को देश का एक तिहाई राजस्व मिल रहा है। अतः इस शहर का पुननिर्माण करना आवश्यक है। जो कि विचाराधीन भी है। इस शहर को शंघाई शहर जैसा बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन मुम्बई शहर के लिए इस सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। जहां से हमें भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में सहकारी बैंकिंग उद्योग जो कि देश के आम लोगों के लिए जीवनधारा है, से संबंधित एक और बात लाना चाहता हूँ कि वह आजकल संकट की दौर से गुजर रहा है। मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि वह इस सहकारी बैकिंग उद्योग के लिए कुछ करेंगे। चीनी उद्योग के लिए उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सहकारी बैंकिंग उद्योग के लिए भी किसी पैकेज की घोषणा करें जिससे आम आदमी को निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

अंततः, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और वेतनभोगी लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के उप–नेता मान्नीय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने जो चिंता जतायी है उससे मैं सहमत हूँ। नई कराधान प्रणाली के कारण उन लोगों को कुछ हानि हुई है। मुझे आशा है कि इस प्रणाली में संशोधन किया जाएगा और इसका पुर्नगठन होगा जिससे उन्हें मदद मिलेगी।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं, भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजटीय प्रस्तावों के कुछ पहलुओं पर बोलना चाहता हूँ। भारत के आम लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर विधिवत् विचार–विमर्श करने के बाद बजटीय प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उन्होंने बजटीय प्रस्तावों की तैयारी में अपनी प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। फिर भी, उनमें अभी भी कुछ छोटी–छोटी खामियां हैं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय कतिपय मुद्दों विशेषतः वापसी कर पर पुनर्विचार करेंगे। क्योंकि उन्होंने पहले ही स्वीकार किया है कि वे अड़ियल आदमी नहीं हैं; वे बहुत ही विनीत एवं सज्जन है।

कुछ माननीय संसद सदस्यों ने भारत निर्माण के बारे में

[श्री अधीर चौधरी]

चर्चा की है। वास्तव में, भारत निर्माण उस विकास संबंधी सिद्धान्त का अहम संघटक है जिसका अनुसरण भारत अपनी आजादी के समय से ही करता रहा है। इस वर्ष का बजट, सुनामी आपदा, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और नकदी की समस्याओं को देखते हुए तैयार किया गया है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण अर्थव्यवस्था पर पहले ही 26,000 करोड़ रु. का बोझ बढ़ गया है और एफ.आर.बी.एम. मानदण्ड पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, यदि हम बजट प्रस्तावों को पढ़ें तो पाएंगे कि इस बजट का उद्देश्य देश के गरीब लोगों की मदद करना और देश के गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना है।

महोदय, जैसा कि आपको विदित है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अवलंबित है जो कि इस सरकार का बाइबिल है और यह सरकार का प्रकाशपुंज है। हम लोग प्रशासन के मामले में छह सिद्धान्तों और नीति–कार्यान्वयन में सात प्राथमिकताओं का अनुसरण करते हैं। आर्थिक विकास को सात से आठ प्रतिशत तक बढ़ाने और आम आदमी के सुरक्षित और व्यवहार्य आजीविका के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषकों तथा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के कल्याण और भलाई का वादा किया गया है ताकि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विशेषकर अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंयकों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिल सकें और उद्यमियों, पेशेवरों, व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों की सृजनात्मक क्षमता का उपयोग करने का भी वादा किया गया है।

महोदय बजटीय प्रस्तावों में ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले ही एक नई योजना की घोषणा की जा चुकी है। जहां तक अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना का संबंध है, 2.5 करोड़ परिवारों को इस योजना के अधीन शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। आई.सी.डी.एस. के लिए 3142 करोड़ रु. का आबंटन किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए अगले वर्ष आबंटन की राशि बढ़ाकर 3010 करोड़ रु. कर दी जाएगी।

सर्वशिक्षा अभियान के लिए आबंटन की राशि बढ़ाकर 7156 करोड़ रु., पेयजल मिशन के लिए प्रस्तावित राशि को बढ़ाकर 4750 करोड़ रु. कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित आबंटन 6253 करोड़ रु. और पिछड़े क्षेत्र की अनुदान निधि के लिए आबंटन 5000 करोड़ रु. का है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के परिव्यय को बढ़ाकर 4800 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा कपड़ा क्षेत्र में 30,000 करोड़ रु. के निवेश का प्राक्कलन किया गया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल प्राथमिक क्षेत्रों, मुख्य कार्यक्रमों के लिए 25000 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का वित्त मंत्री का प्रस्ताव है। 2005–06 में शिक्षा के लिए 18,337 करोड़ रु., ग्रामीण विकास के लिए 18334 करोड़ रु., उर्वरक पर सब्सिडी के लिए 16254 करोड़ रु. स्वास्थ्य के लिए 10280 करोड़ रु. का आबंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए आबंटन को बढ़ाकर 11,000 करोड़ रु. और राष्ट्रीय राजमार्ग के परिव्यय को बढ़ाकर 9320 करोड़ रु. कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 5500 करोड़ रु. है। तथापि, विपक्षी दल इन प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं।

यदि कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध किसी चीज से संतुष्ट नहीं है तो वह उस चीज से भी संतुष्ट नहीं होगा जिसे वह प्राप्त करना चाहता है – और समस्या का कारण ही यही है। हेरोडोटस ने कहा था "मैं संतुष्ट हूँ कि लोग हमारी कथनी से ज्यादा हमारी करनी पर विश्वास करते हैं।" वास्तविकता यह है कि एन.डी.ए. की सरकार ने भारत उदय के नाम पर शब्दाडम्बर करके या अनाप–शनाप बोल कर भारत के लोगों को ठगने की पूरी कोशिश की थी। हम भी भारत उदय की बात करते हैं लेकिन ऐसे भारत उदय की, जो सबके लिए हो। हम मुट्ठी भर लोगों के लिए भारत उदय की बात नहीं करते हैं। अतः हमारी सुधार योजना लोक कल्याण के लिए समर्पित है न कि निजी संपत्ति अर्जन के लिए।

ग्रामीण भारत के लिए पहले ही एक नई योजना की घोषणा की जा चुकी है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि भारत जैसी द्रुतगामी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज नही किया जा सकता है। ऐसा पाया गया है कि 1992 और 1997 के बीच कृषि का विकास दर 4.7 प्रतिशत रहा है जो बाद में घटकर 2 प्रतिशत हो गया। 2003–2004 में हमें 9 प्रतिशत का लाभ हुआ क्योंकि इसमें, विशेषकर सिंचाई परिसम्पत्तियों, कृषि निवेश आदि के अनुरक्षण में कुछ खामियां हैं। इसलिए, ग्रामीण भारत की नई योजना में कुछ उपाय निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में निवेश की ह्रासमान प्रवृत्ति को रोकना; कृषकों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाकर पहले ही 1,08,000 करोड़ रु. कर दिया गया है; सिंचाई और पनधरा विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई है; कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए निधि में वृद्धि हुई है; कृषि उत्पाद के लिए एकल मंडी की स्थापना की जा रही है; ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में निवेश किया जा रहा है; ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों में निवेश, वस्तुओं के लिए वायदा बाजार की स्थापना हेतु प्रयास किए जा रहे हैं; कृषि और ग्रामीण व्यवसाय को जोखिम–रोधी बनाने का प्रयास; आदि

*....(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। किसी विषय पर बोलने के लिये निर्धारित समय अलग–अलग दलों को दिया गया है।

**श्री अधीर चौधरी** : फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हम अधिक बुआईवाले क्षेत्र को कवर नहीं कर पाएं हैं। दूसरी बात यह कि कृषि बीमा क्षेत्र में निजी बीमाकर्त्ताओं को शामिल नहीं किया गया है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बीमा के अंतर्गत कितने बुआई क्षेत्र को कवर कर लिया गया है?

हमारी सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई है। 8 प्रतिशत तक जा चुके थोक मूल्य सूचकांक को कम करके 5.01 प्रतिशत पर लाया गया है। उपभोक्ता मूल्य स्तर जो 5 प्रतिशत तक पहुंच चुका था, को कम करके 4 प्रतिशत पर लाया गया है। आयात शुल्क को कम करने और मौद्रिक नीति को सख्त करने से ऐसा संभव हो पाया है। विपुल विदेशी मुद्रा भंडार और न्यून विदेशी ऋण की स्थिति बनाए रखने का सौभाग्य भी पहले हमें ही मिला है। महोदय, किसी अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन व्यापार पर निर्भर करता है। भारत जैसे विकासशील देश में एक ओर चाय, दलहन, काफी जैसे प्राथमिक उत्पादों के उत्पादन में और दूसरी ओर अभियांत्रिकी सामान, साफ्टवेयर आदि के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हैं हमारा देश एक विकासशील देश है और उस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का हमारा विशेषाधिकार है जहां हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार दीर्घकालीन व्यापार नीति का अनुसरण कर रही है। जिससे वास्तविक परिणाम मिल रहे हैं। पहले ही हमारा विदेशी व्यापार 75 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच चुका है और किए गए वायदे के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के भीतर यह व्यापार 150 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच जाएगा। अब विश्व बाजार में भारतीय व्यापार का हिस्सा 0.8 प्रतिशत है। अगले कुछ वर्षों में इसे बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत लाना होगा। हम अपनी व्यापार नीति उस दिशा में चला रहे हैं।

मैं पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भूक्षरणरोधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए 52 करोड़ रुपए आबंटित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। इन वर्षों में सामान्य रूप से पश्चिम बंगाल और विशेषकर मुर्शिदाबाद के लोग भूक्षरण समस्या को लेकर आन्दोलन करते रहे हैं। जिसने मुर्शिदाबाद, मालदा और अन्य जिलों की भौगोलिक स्वरूप को पर्याप्त रूप से बदला है। मैं माननीय वित्त मंत्री से और अधिक धनराशि आबंटित करने का पुनः अनुरोध करता हूं क्योंकि भूक्षरण समस्या की विशेषता को देखते हुए यह धनराशि काफी कम प्रतीत होती है।

पश्चिम बंगाल में भुखमरी से मौतें हो रही हैं। आमलासोल, जालंगी और विभिन्न स्थानों में भूख से मौतें हुई हैं। तथ्य यह है कि हमारी सरकार ने पहले ही यह स्वीकार किया है कि खराब प्रदाय तंत्र के कारण गरीब लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है। सरकार प्रणाली को सुधारने का प्रयास कर रही है किंतु बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसीलिए हम पश्चिम बंगाल में भूखमरी से होने वाली मौतों के लिए केन्द्र सरकार को दोष नहीं दे सकते।

महोदय, वास्तव में, अब हम पोस्टमल्टी फाइबर व्यवस्था के युग से गुजर रहे हैं क्योंकि कोटा व्यवस्था समाप्त हो गई है। पोस्ट एटीसी में भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर खोला गया है। कपड़ा क्षेत्र में पटसन उद्योग भी एक घटक है। महोदय, मैं पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो देश में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

**श्री अधीर चौधरी** : मैं पटसन क्षेत्र की समस्या पर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग जीवित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। 500 करोड़ रुपए की धनराशि से पहले ही एक प्रौद्योगिकी मिशन का अनुमोदन किया जा चुका है। तथापि, जहां तक मेरी जानकारी है वह धनराशि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। लगभग चालीस लाख उत्पादक राज्य में पटसन उगा रहे हैं। पटसन क्षेत्र लगभग 2.41 लाख कामगारों को सीधा रोजगार प्रदान कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से 1.41 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। अतः पटसन क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ पंक्तियां उद्घृत करता हूँ:

> "प्रजा सुखें, सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते,
> नान्मप्रिय हितं राज्ञः, प्रजा न तु प्रिय हितम्।"

मोटे तौर पर इसका अनुवाद हिन्दी में इस प्रकार किया जा सकता है : अपनी प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता होती है; उनके कल्याण में उसका कल्याण होता है; राजा उसे अच्छा नहीं मानेगा जो उसे अच्छा लगता है;

> वह उसे ही लाभदायक समझेगा
> जो उसकी जनता को अच्छा लगता है।

अब राजा सरकारों में बदल गए हैं। हमारी सरकार भारत में गरीब लोगों और आम लोगों की दुर्दशा के प्रति बहुत संवेदनशील है।

**सभापति महोदय** : श्री राजीव रंजन सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री बी. विनोद कुमार – उपस्थित नहीं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराज शिवनकर** (चिमूर) : माननीय सभापति महोदय, अर्थ मंत्री ने जिस प्रकार से कसरत की और इस अर्थ संकल्प में हाथ की सफाई दिखाई, वह कमाल का काम है। क्या अर्थ मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने इसमें कहा कि 25 प्रतिशत आमदनी की बढ़ोत्तरी होगी, मगर वह 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कैसे होगी? यह एक साल निकलने के बाद ही पता लगेगा। वास्तविक रूप से पिछले बजट में भी इन्होंने ऐसे ही बताया था। वर्ष 2004–05 में 1,45,590 करोड़ रुपए की योजना थी और प्रत्यक्ष में कटौती के पश्चात् 1,37,387 करोड़ रुपए की हो गई – मतलब यह है कि उसमें 5.5 प्रतिशत अंत तक कटौती हुई। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन्होंने जो योजना बताई, उसमें कितनी कटौती हुई, क्योंकि इनके मन में पक्का होगा कि कितना काटना है? क्या मंत्री जी अपने मन की बात बताने का कष्ट करेंगे?

**अपराह्न 5.44 बजे**

**(श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए)*

महोदय, मैं अर्थ मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से किसके मन में क्या है, अगर ह्दय में खिड़की देखने की होती तो इसका पता लग सकता था, मगर वह समझना बहुत मुश्किल है। अर्थ संकल्प में आपने जो 25 प्रतिशत आमदनी की बढ़ोत्तरी बताई, वह ज्यादा हिस्सा प्रतीत होता है। अंत में इस योजना का भी यही हाल होगा, जो अभी चालू योजना का हो रहा है।

मैं अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर आ रहा हूं, लेकिन इस योजना में गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना है, उसमें अगर काम नहीं दिया तो डोल दिया जाता है। आपने अभी रोजगार गारंटी योजना बताई, लेकिन अगर किसी को रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया है? इस योजना में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो कुछ बताया, 5,400 करोड़ रुपए नकद और 50 लाख मीट्रिक टन अनाज का अगर हम हिसाब जोड़ें तो 11,000 करोड़ रुपए के करीब होगा। मगर इस पर कितना पैसा लगेगा? अगर देश के ग्रामीण लोगों को ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में समाविष्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा। मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करने का प्रयत्न किया तो लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। आपने अनाज और नकद मिलकर 11 हजार करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया, मतलब 10 हजार करोड़ का यहां पर डेफीसिट होगा और यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकेगी।

प्रधान मंत्री जी ने जो विकास के काम इस अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का काम शुरू किया था, आपने भी उस कदम पर पिछली बार यह शुरू किया था, लेकिन क्या आप अब रूकना चाहते हैं? आपने भारत निर्माण योजना बताई। उसमें आपने जो बताया कि एक हजार गांवों को सड़क से जोड़ेंगे, 60 लाख अतिरिक्त घर बनाएंगे, पेयजल सुविधाएं 74 हजार गांवों में देंगे, बिजली 25 हजार गांवों में देंगे, टेलीफोन 66,822 गांवों में लगेंगे, मगर इसके लिए पैसा कहां है, प्रावधान कहां है? बजट में सार्वजनिक निवेश की जरूरत होती है और वह इसमें दिखाई नहीं देता। इसका परिणाम यह होगा कि अर्थ मंत्री जी की ये घोषणाएं केवल घोषणाएं हवा में ही होंगी और जैसा हाल समाजवादी समाज की रचना का हो गया, जैसा गरीबी हटाओ योजना का हो गया, जैसा बैंक नेशनलाइजेशन के बाद जो हवा फैली, उसका हो गया, उसी प्रकार से इस भारत निर्माण योजना का भी होगा। इसलिए बजट में स्पष्ट रूप से उस पर निधि दिखनी चाहिए कि अगर एक हजार गांवों में पेयजल की योजना है तो आप कितना पैसा उसमें रखेंगे, यह कैलकुलेट करके अर्थ मंत्री जी ने इस समय कुछ नहीं रखा।

हमारे देश में 170 जिले पिछड़े हुए जिले हैं। उनके लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अगर उसको एक जिले के हिसाब से हम बांटें तो 29.4 करोड़ रुपया आता है। क्या यह 29.4 करोड़ रुपये में उसे हिसाब से ये पिछड़े जिले आगे आ सकेंगे। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में भी यही बात है। मैंने भण्डारा, चन्द्रपुरा, गढ़चिरौली, गोंदिया, ये जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिले हैं, उनका डी.आर.डी.ए. और श्रम विकास योजना का हिसाब लिया। वहां तीन वर्ष में 50 परसेंट भी अभी तक खर्चा नहीं हुआ और अगर ऐसा ही चला तो यह योजना बट्टेखाते में समाप्त रूप से चली जाएगी।

इस अर्थसंकल्प में हम अपेक्षा कर रहे थे, पिछली बार आपने बिहार को पैकेज दिया, हमको लगा कि बहुत अच्छी बात है, बिहार आगे ही जायेगा, मगर बिहार के पैकेज के क्या रिजल्ट निकले, उसका लेखा–जोखा क्या है, यह बताने का कार्य आपका था, उसका कोई इवेल्यूशन आपने उस सम्बन्ध में नहीं किया। 12वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में बजट में आबंटन नहीं है, कहां है? परिणामस्वरूप यह घोषणा भी केवल एक घोषणा हो जाएगी। अतिरिक्त एक हजार करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचन के सम्बन्ध में है, कितने तालाब अभी हैं। मैं बताता हूं कि भण्डारा जिले में गोघरखुर्द का जो प्रकल्प है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस प्रकल्प का भूमिपूजर किया था। वह 300 करोड़ रुपये का था, आज 35 सौ करोड़ का हो गया, ऐसा प्रकल्प को चालू करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इस अर्थसंकल्प में नहीं है।

इस देश में 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कहते आ रहे हैं कि गांवों का देश है, यह खेती का देश है। इसमें भी अर्थ मंत्री जी ने 1300 करोड़ रुपये की वृद्धि बताई है। कृषि और सहकारी क्षेत्र में आपने ग्रामीण विकास में, मगर वास्तविक रूप से मैं आपसे बताना पूछना चाहता हूं कि यह 1300 करोड़ रुपया भी आपने सहकारी बैंकों को और शक्कर कारखानों को दिया। गरीब किसानों का इसके सम्बन्ध में क्या होगा? किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या करने का

कारण क्या है, आपने कभी सोचा? वास्तविक रूप से ब्याज की दर नेशनलाइज्ड बैंकों में और कोआपरेटिव बैंकों में डिफरेंट है। कई बार किसानों ने इस संबंध में कहा। नेशनलाइज्ड बैंकों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कालखण्ड में यह नौ परसेंट हुआ, लेकिन कोआपरेटिव बैंकों में नहीं हुआ। लोक सभा में सवाल पूछने के बाद आपने राज्यों में दखल दिया। ऐसे नही चलेगा। अर्थ मंत्री जी, आप विद्वान हैं, होशियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेशनलाइज्ड़ बैंक और सहकारी बैंकों में जो डिफरेंस है, उसे आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाइए। जब डब्ल्यूटीओ की तुलना में हमारा कानून स्पर्धा करेगा, आप और हम किसान हैं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** : अभी तो मैंने शुरूआत की है।

वहां रेट ऑफ इंटरैस्ट 4 प्रतिशत है और यहां 9 से 13 प्रतिशत तक है। ऐसे हालात में, हम उनके साथ किस प्रकार स्पर्धा करेंगे। क्या 4 प्रतिशत रेट ऑफ इंटरस्ट लाना कोई सपना देखना नहीं होगा? वस्तुस्थिति में हमें धरती पर पैर रखकर 4 प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट लाना पड़ेगा।

फसल बीमा योजना – मैं मानता हूं कि यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में बनाई गई, लेकिन उसमें डिफैक्ट है। आज भी उस योजना से किसानों को बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। हमने इसमें सुधार के संबंध में कहा। पैडी के रेट्स बहुत कम हैं। अगर आप पैडी के रेट उत्पादन लागत के आधार पर नहीं दे सकते तो असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट खत्म कर दें। हम उसे विश्व मार्किट में बेचेंगे। अगर आप असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट रखते हैं, तो पैडी के भाव उत्पादन खर्च के आधार पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल देने चाहिए, जो आप नहीं कर सकते। पैडी के भाव मात्र 520 रुपये, 580 रुपये की दर से दिए जा रहे हैं, किसान इसी कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

सिंचाई के संबंध में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम श्री वाजपेयी द्वारा घोषित किया गया था। आपके सिंचाई मंत्री जी ने आरोप लगाया कि उस योजना के संबंध में कुछ नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि 1995 में डा. राव ने नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम दिया था।...*(व्यवधान)* मैं इस मुद्दे को डैवलप कर रहा हूं। नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम सुचारू रूप से लिया गया था, आप उस पर केवल टीका–टिप्पणी करते हुए उसका मखौल बनाना चाहते हैं। आपसे वास्तव में उस कार्यक्रम को जोड़ने के संबंध में अपेक्षा थी, लेकिन आपने उस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया।

ऐसे गांवों में जहां चार हजार लोगों की संख्या है, उनको कम्प्यूटराइज़ करना चाहिए। इस देश में जहां मार्किट समितियां हैं, उन मार्किट समितियों को विश्व बाजार में जोड़ने की दृष्टि से क्या आप कुछ कर सकते हैं। आईटी क्षेत्र में यह करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* मेडिसिनल प्लांटेशन वगैरह के संबंध में कैसे पता लगेगा। कम से कम बड़े गांवों को आईटी के साथ कम्प्यूटराइज करने की आवश्यकता है।

मैं किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में कहना चाहता हूं। क्राप लोन के संबंध में आज उसकी लिमिट 50 हजार रुपये तक है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक करने की आवश्यकता है। आप हवा में बातें उड़ा देते हैं, यह नहीं चलेगा। अगर किसानों का हित करना है, गांव, किसान, खेत और खलिहान का हित करना है तो आपको इस संबंध में निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की दो–तीन बातें बताकर समाप्त करूंगा। चिमूर लोक सभा क्षेत्र के चंद्रपुर में सुरजागढ़ा और लोहारगढ़ी में बडे पैमाने पर लोहे की खानें हैं। टाटा ने टाटा नगर में शुरू करने से पहले सुरजागढ़ का इंस्पैक्शन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि लोहे की खानों को लीज़ पर दिया जा सकता है, लोहे की फैक्ट्री लग सकती है, इस संबंध में कोई विचार होना चाहिए। इसी प्रकार कोयले की खानें चिमूर लोक सभा क्षेत्र में भिंजरी आदि स्थानों पर हैं। मैंने कई बार सदन में इस बात को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन नई खानें शुरू नहीं की जा रही हैं। यहां चीन से कोयला आयात होता है। उसका रेट कम से कम तीन गुना ज्यादा है। यहां की कोयला खानों को शुरू करने के संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा है। जिन किसानों ने फॉरेस्ट पर जबरन कब्जा किया, वे वहां बहुत पीढ़ियों से रहते हैं। वहां उनके मकान हैं, खेती है। उन्हें पट्टे देने के संबंध में कोई नहीं सोचता। इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको मिल्कियत पट्टे देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आजकल नकली नोट पाकिस्तान, नेपाल और दुबई से इस देश में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, उनको रोकने के संबंध में आपने क्या विचार किया है? आधुनिक टैक्नोलॉजी से बने प्लास्टिक के नोट विश्व में चलते है। क्या आप इस संबंध में कोई विचार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि गांव, गरीब और किसान के संबंध में इस अर्थ संकल्प में कुछ नहीं है। इसलिए इस बजट का मैं तीव्र विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, यह बडी खुशी की बात है। कल राज्य मंत्री जी बैठे हुए थे, आप लॉस्ट टाइम में आए थे। मैं कहना चाहता हूं कि बजट को सदन के सामने रखने में चतुराई से काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में कुछ चीजों को इतना हाईलाइट किया है कि पूरे देश की जनता का ध्यान उधर चला जाये और अन्य बातों को हम आसानी

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

से ले जायें। इन्होंने यह काम बड़ी चतुराई से किया है। आपने आय कर राहत की सीमा बढ़ाई है। मंत्री जी आप जा रहे हैं, आप को सुनाने के लिए हम बैठे थे।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : राज्यमंत्री यहां उपस्थित हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : आपने आयकर राहत की सीमा बढ़ाई है। आपने एक लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त कर दी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपने राहत देने का काम किया है। इसी तरह आपने महिलाओं को भी खुश करने के लिए एक लाख 25 हजार रुपये की आय कर से मुक्त करने का प्रावधान किया है तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए डेढ़ लाख रुपये आय कर से मुक्त करने का काम किया है। यह आपने अच्छा काम किया है। इसके साथ-साथ आपने पैसा निकालने का टैक्स लगाने का काम भी किया है। आपने बैंकों से नगद निकासी पर एक जबरदस्त चपत लगाई है। यदि कोई कन्ज्यूमर 10 हजार रुपये निकालता है तो उसके 0.1 परसेंट की दर से नया कर देना पड़ेगा। इसी तरह से तमाम आंकड़े हैं और मैं सबके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

दूसरी तरफ आपने राजमार्गों के निर्माण के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 पैसे का उपकर लगाने का प्रावधान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता की जेब पर बोझ डाल दिया है, खासकर किसानों पर। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइये, जो किसान सीमांत हैं, जो कम जोत वाले किसान हैं, उनके पास पम्पिंग सेट है, जिन्हें वे डीजल से चलाते हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं जिनसे वे जुताई का काम करते हैं–आपने डायरेक्ट उन पर बोझ डालने का काम किया है।

आपने एक तरफ सीमा शुल्क में भारी छूट दी तो कुछ वस्तुओं पर आपने उत्पादन कर लगाने का भी काम किया है। सीमा शुल्क में आपने एयरकंडीशनर्स, जुते, जुराबें, टाई आदि में छूट दी है तो दूसरी तरफ आपने कई चीजें महंगी कर दी हैं। अगर इन वस्तुओं का आंकलन किया जाये तो लगता है कि आपने बड़े लोगों को राहत देने का काम किया है और छोटे लोगों पर बोझ डालने का काम किया है। आपने स्वास्थ्य मिशन के लिए धन एकत्रित करने के कारण तम्बाकू पर उपकर लगाया है। इस सदन में तम्बाकू से होने वाले रोगों के बारे में अनेक क्वेश्चन उठाये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने के लिए तम्बाकू पर कर न लगायें लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जनमानस के लिए बहुत हानिकारक है, उन पर भी आपको गौर करना पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने इस बजट में तीन योजनाओं की यहां घोषणा की है – भारत निर्माण, बागवानी मिशन और पिछड़े क्षेत्र का विकास। मैं बागवानी मिशन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। कृपया मेरी बात सुनिए। इस चर्चा में अनेक माननीय सदस्य भाग ले रहे हैं। यदि सभा सहमत है तो हम सभा का समय दो घंटे और बढ़ा सकते हैं।

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हां।

**सभापति महोदय** : ठीक है, धन्यवाद, श्री शैलेन्द्र कुमार आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

**सायं 6.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : मैं अब अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में अमरूद और आम का अत्यधिक उत्पादन होता है, खासकर इलाहाबाद का अमरूद बहुत मशहूर है। ऐसा अमरूद देश के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आपने 630 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, वहां पर रिसर्च सेंटर तथा जैली-जैम बनाने का एक बड़ा कारखाना लगायें ताकि एक्सपोर्ट कर सकें जिससे हमें फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ आपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास की घोषणा की है। वहां पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास की ओर खास ध्यान दिया गया है।

मैं आपका इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जन मानस में चाहें जो भी हमारे जीव-जंतु हों, उनको जिस प्रकार से हवा, धूंप, पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मुझे एक स्लोगन डा. राम मनोहर लाल जी का याद आता है कि "रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो।" इस दिशा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी कुछ किया है। मैं आपसे मांग करूंगा कि इस ओर रोटी कपड़ा और दवा पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को मुफ्त किया है। बी.ए. तक लड़कियों को शिक्षा मुफ्त देने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को और बजट दें ताकि देश का हृदय जो उत्तर प्रदेश है, वह तरक्की करेगा तो पूरा देश विकास की ओर उन्मुख होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं

चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तब वह इस ओर विशेष उल्लेख करके उत्तर देंगे। 2005–06 के बजट में 95,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। 2005–06 के लिए 1.72 लाख करोड़ों रुपये का योजना व्यय निर्धारित किया है। मैं आपसे मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत दिनों से हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर वित्त मंत्री जी से मिलकर योजना आयोग से सिफारिश भी की है कि उत्तर प्रदेश के लिए बजट में 18,230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाए। इस साल एक वर्ष में सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंग कि कम से कम 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि उत्तर प्रदेश विकास कर सके जहां पर राज्य स्तर पर "वैट" के बारे में बात कही जा रही है, जो एक अप्रैल से लागू करेंगे। इस बारे में मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी कम से कम राज्यों की आर्थिक, व्यापारिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां के व्यापारियों से वार्ता करते हुए इस "वैट" कानून को लागू करें तो बहुत उत्तम होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में "वैट" को लागू करने से काफी व्यापारियों में आक्रोश हो रहा है। बिहरा को आपने विशेष अनुदान की जरूरत रखने वाले राज्य के रूप में चयनित किया है। मैं बिहार का विरोध नहीं करता लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देरक आपने बजट में प्रावधान किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय प्रदेश है, उसे भी कम से कम विशेष अनुदान की जरूरत के राज्य में रखने का काम करें ताकि प्रदेश विकास करे। दूसरी तरफ 1.2 लाख गांवों में अगले 5 सालों में बिजली मुहैया कराने की बात कही है। और हर ब्लॉक में एक विद्युत उप–केन्द्र स्थापित करने की बात की है। यह योजना पिछले साल से चल रही है लेकिन आज तक हमने देखा कि हम लोगों के यहां जो पुराने विद्युत उप–केन्द्र बने हैं, वे ही बने हैं, नये उपकेन्द्र बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। कृपया इस और विशेष ध्यान दें।

170 जिलों की पहचान करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सन् 2006 में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने कहा। हम उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिले विकास से बहुत दूर हैं। वहां जो भी विकास हुआ है, वह न के बराबर हुआ है। जो 170 जिलों की देश में पहचान की गई है, उनमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल को अवश्य लें। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू टीचर रखने की बात की गई। चूंकि पूरे देश में अल्पसंख्यकों में सिख, जैन, पारसी आदि भी शामिल हैं लेकिन मुस्लिम इनमें सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के शैक्षणिक विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन दिया जाना चाहिए था। कृषि बजट में आपने 38 प्रतिशत की वृद्धि की है, किन्तु इसका ज्यादातर लाभ उन सम्पन्न कृषकों को ही मिलेगा जो अधिक पूंजी का निवेश करके बागवानी आदि करते हैं। लेकिन सीमान्त और मध्यम किसानों को इससे ज्यादा लाभ नहीं मिल सकेगा। हम यहाँ बैठकर किसानों की बात करते हैं, लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग 500 से 600 किसानों ने आन्ध्र प्रदेश में आत्महत्या की है। महोदय, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए वे जो भी उत्पादन करते हैं, उन्हें उसका सही मूल्य दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उपज का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए न कि बिचौलियों को।

महोदय, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने बजट में 65 करोड़ 99 लाख रुपए की बढ़ोत्तरी की है। यह एक सराहनीय कदम है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको सही अवसर और प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। गांवों में युवक मंगल दल इस काम को कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं इस बजट के कुछ हिस्सों का समर्थन करता हूँ और कुछ हिस्सों का विरोध करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार** (कालीकट) : महोदय, मैं दो पहलुओं नामतः कृषि और विश्व व्यापार संगठन तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूं। यह प्रशंसनीय है कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हम किसानों को अधिक ऋण देंगे। आप किसानों के लिए अवसंरचना तैयार कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। किंतु क्या दीर्घकाल में यह उनके लिए लाभप्रद होगा? अब हम जिनेवा में कृषि पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। क्या होगा? जब तक हम यह समाप्त करेंगे, पूरा बाजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुल जाएगा। वे कंपनियां यहां आएंगी और हमारे कृषि क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेंगी। विश्व बैंक हमसे घरेलू राजसहायता न देने के लिए कह रहा है। क्या हो रहा है? राजसहायता या तो ग्रीन बॉक्स में अथवा अन्यथा दी जाती है। 375 बिलियन डालर की घरेलू राजसहायता है। उन्हें निर्यात और अन्य राजसहायता भी मिलती है। हमारी बातचीत में उन्होंने कहा है कि वे अगले पांच वर्षों तक प्रति वर्ष बीस प्रतिशत तक निर्यात राजसहायता घटाने के लिए तैयार हैं। किंतु अन्य राजस्हायता जारी रहेगी। ऐसी भारी राजसहायता से जब खाद्यान्न की अवसंरचना और ऋण के साथ उन देशों से आपत किया जाता है, जो हम किसानों को दे रहे हैं; तो क्या वे उसका सामना कर पाएंगे? यदि उन्हें समान अवसर दिए जाएं तो वे संयुक्त राज्य के किसानों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। किन्तु क्या वे संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार का सामना कर सकते हैं? इसलिए इससे हमारी कृषि नष्ट होगी।

[श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार]

रिजर्व बैंक ने हमसे कृषि का विविधीकरण कर बागवानी को इसमें शामिल करने को कहा है। इसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यह आश्चर्यजनक है। क्या तर्क है? एक तर्क यह है कि – यदि मैं ठीक उदघृत कर रहा हूं–चूंकि गेहूँ और चावल की खेती में पानी अधिक चाहिए इसलिए हम बागबानी करें। इससे आपका निर्यात बढ़ेगा। यह पाया गया है कि जैविक कृषि का सहारा लेकर गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए सात गुना कम पानी की जरूरत होती है। अतः अब हम निर्यात के लिए सभी वस्तुओं को बागबानी की और कर रहे हैं क्या होगा?

भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है। किंतु अब हम विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के अनुदेशों पर विविधीकरण कर पूरी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर बना रहे हैं। क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिए? जब भी कृषि बात की जाती है तो हम कहते हैं कि यह राज्य का विषय है। दो दिन पूर्व केरल विधान सभा में कृषि मंत्री ने कहा था कि कालीमिर्च का आयात उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है।

महोदय, मैं वायनाड क्षेत्र से आ रहा हूँ जहां प्रतिशत–वार आत्महत्या भारत में सर्वाधिक है। कीमतें गिर रही हैं। क्या भारत सरकार ने कभी राज्य सरकार के साथ चर्चा की जब उन्होंने सार्क देशों और अन्य देशों के साथ उच्च्य व्यापार समझौता किया? एक समझौते पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाते हैं किंतु उसके परिणामों को राज्यों में भुगतना पड़ता है। ये निर्णय कौन लेता है? क्या जिनेवा अथवा वाशिंगटन में लिए गए निर्णयों के लिए सरकार को ही संप्रेषक अभिकर्ता बनाया जाना चाहिए जो हमें बताए कि ये अनिवार्य चीजें हैं और वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती हैं? क्या इसे ऐसे ही चलते रहने की अनुमति दी जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का केवल दो प्रतिशत कृषि से संबद्ध है। हमारी स्थिति क्या है? उसका क्या होगा जो हम कृषि के लिए दे रहे हैं? सरकार का कहना है कि यह एक अनिवार्य समझौता है।

महोदय, वर्ष 1994 में हमने मराकश में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या इस बारे में संसद को सूचित किया गया? भारत के एक सौ करोड़ से अधिक लोग इस समझौते से बंधे हुए हैं किंतु हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। क्या आप नहीं सोचते कि इससे हमारी संप्रभुता का अतिक्रमण होगा। क्या हमें कोई बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? विश्व बैंक, आई डी बी ए, ए डी बी ए जैसी संस्थाएं शर्तें लगा रही हैं और कह रही हैं कि हमें ऐसा करना है। मानो वे सरकार में हों और हमसे कह रहे हैं कि क्या करें और क्या न करें और सरकार को कैसे पुनर्गठित करें। इन संस्थाओं से कुछ धनराशि उधार लेने के लिए क्या हमारी संप्रभुता का अतिक्रमण किया जाना चाहिए? क्या हम इतने असहाय हो गए कि हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? निजीकरण बिल्कुल ठीक है। किन्तु जो हो रहा है, क्या वह निगमितिकरण नहीं है?

महोदय, मैं केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। पहले कृषि की बात करते हैं। हम यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। अमरीका में, बहुराष्ट्रीय निकायों का कृषि पर नियंत्रण है। मैं सदन को ऐसे दो लोगों के बारे में सूचित करना चाहूँगा। जिन्हें अमरीका में कृषि राजसहायता प्राप्त हो रही है। इनके नाम श्री टेड टर्नर जो अरबपति है, और श्री डेविड राकफेलर हैं। इन्हें अमरीका में राजसहायता प्राप्त हो रही है। यहाँ हमारे देश के लोगों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं हैं। जेनेवा और वाशिंगटन में बैठे लोग हमें निर्देश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनके पास अधिकार है और हमारे पास जिम्मेवारी। क्या आपको यह नहीं लगता कि इस लूटमार को कैसे रोका जाए इस पर सबको मिलकर सोचने हेतु अब समय आ चुका है। क्या हम अपने आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष उनके अधीन रहने हेतु समर्पित कर दें। क्या हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जीन्स आधार पर संशोधित बीजों और ट्रांसजेनेटिक बीजों की बिक्री करने की इजाजत तथा हमें निदेश देने की इजाजत देंगे? और हमारी कृषि हमारे, निधन लोगों को बर्बाद करने की इजाजत देंगे। हम ऐसे नहीं होने देंगे और अब इसका विरोध करने का समय आ गया है।

महोदय, जल के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि केरल राज्य में पलासीमाडा स्थान पर हजारों दिन से हमारे लोग जल पाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 6,50,000 क्यूसिक मीटर जल कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों द्वारा बर्बाद किया जाता है। यह उनका वक्तव्य है। वास्तविक आंकड़े इससे बहुत अधिक है। इसके परिणामस्वरूप न केवल भू–जल स्तर में गिरावट आती है बल्कि सतही जल भी प्रदूषित हुई है।

महोदय, लगभग चार अथवा पांच दिन पूर्व मैलम्मा नामक एक दलित महिला दिल्ली आयी थी, वह अभी भी जल के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से संघर्ष कर रही है। उसने मुझसे कहा कि वह यहाँ प्रधान मंत्री जी और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलना चाहती है। वह यहाँ राजसहायता अथवा बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने नहीं आयी है बल्कि यह शिकायत करने आयी है कि उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने कुएं से जल प्राप्त करने दिया जाए। केंद्र की सुदृढ़ सरकार हमारे देश की रक्षा पर प्रति वर्ष 80 हजार करोड़ रुपए व्यय करती है। लेकिन क्या यह सरकार मैलम्मा को पलासीमाडा में जल दिलवा पायेगी। हम दुशमनों, सेनाओं से लड़ सकते हैं लेकिन आज प्रश्न यह है कि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कैसे लड़ पायेंगे। क्या हम

पलासीमाडा के लोगों जो जल चाहते हैं के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं इसका कारण यह है कि हम अटलांटा में निगमित निकायों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वहीं इसका निर्णय करते हैं कि मैलम्मा को जल मिलेगा अथवा नहीं और यह सुदृढ़ सरकार एक आदिवासी महिला को अपने कुएं से जल प्राप्त करने और वहाँ रहने का अधिकार नहीं दे सकती है। हम किस प्रकार की सरकार को चला रहे हैं।

जल संग्रहण के मामले में विश्व व्यापार संगठन के क्या निदेश हैं, जल पर कीमत लगाओं और इस पर राज सहायता मत दो। क्या हम जल को एक सामान मान लें। क्या जल के बिना कोई प्रजाति जीवित रह सकती है। जल पान एक अधिकार है। क्या हम इस पर सहमत हो सकते हैं कि जल एक सामान है? जब हम कालीपाड़ा अथवा मेदनीगंज अथवा पलासीमाडा के लोगों को भूजल प्राप्त करने के संबंध में सक्षम करने की अपनी शक्ति खो चुके हैं वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूजल बर्बाद किया जा रहा है। क्या हम उन्हें रोक सकते है। हम उन्हें किस प्रकार कह सकते हैं कि आप खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहें। क्या हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। महोदय, वे हमारी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। यह जल लेकर किसे बेचा जायेगा। इन्हीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यदि आप उन्हें पर्याप्त जल नहीं देंगे, वे आप पर 50,000 रुपए का दंड लगायेंगे, ऐसा किसके लिए किया जायेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जल का निर्यात कर सकती हैं और इसकी लूट कर रहे हैं। यह विश्व बैंक का किस प्रकार का निदेश है। यह अत्यंत दुखद है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस देश में गरीब लोग हैं।

वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। मैंने उनके साथ 1996 में कार्य किया है जब मैं वित्त राज्य मंत्री था। संसद में उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के समय मेरा उनके साथ रहना अत्यधिक सुखद था। वे एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन क्या वो आंध्र प्रदेश के वारंगलग गए। क्या ये कर्नाटक के उन स्थानों पर गए जहाँ किसानों ने आत्महत्या की है। अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति पूर्ण आदर प्रकट करते हुए मैं कहूँगा। कि श्री चिदम्बरम मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के सेनसेक्स आंकड़े पर नजर रखते हैं। इस देश में गरीब लोग हैं और उनकी समस्याओं को पूरा विश्लेषण करके गंभीरता से सुलझाना होगा। क्या आप यह नहीं समझते हैं कि आप धीरे–धीरे एक ऐसे स्थान पर आ रहे हैं जहाँ हम अपने देश को निकायों के हितों के लिए सौंप रहे हैं। मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूँ।

सेवा क्षेत्र में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की अनुमति क्यों दे। मुम्बई जैसे मानक आधार का क्या हुआ है। जब हमारे देश के ही लोग इसे चला सकते हैं और इसका प्रबंधन कर सकते हैं तो हम उन्हें इसमें क्यों प्रवेश करने दें। क्या यह कोई सिद्धांत है। क्या हम यह कह रहे हैं कि हम वह नहीं कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं अतः इसे हमारे लिए कीजिए। क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इतना अनिवार्य है जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या हम कृषि भूमि में शत–प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। किसी दिन कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी इस देश में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि खरीद लेगी। क्या आप यहाँ किसी अन्य उपनिवेशवादी देश द्वारा यहाँ नियंत्रण होने देना चाहते हैं। वे हमारे देश को खरीद लेंगे। वे सैन्य शक्ति के साथ नहीं आ रहे हैं। वे धन के साथ आ रहे हैं जो गोलियों से भी अधिक खतरनाक है। मैं सरकार को इस संबंध में सावधान कर रहा हूँ। यह ठीक है कि हमारी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन सरकार को भी हमारे भविष्य के बारे में चिंता होनी चाहिए। भविष्य में इस देश का क्या होने वाला है? जब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं; जब हम यह कहते हैं, कि भूमंडलीकरण से क्या होने वाला है। हम पर तुरंत आरोप लगाया जाता है कि हम विकास के खिलाफ हैं। विकास का अर्थ अपने अधिकारों, अपनी संप्रभुता और अपने देश के भविष्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समर्पित करना नहीं है।

**श्री निखिल कुमार** (औरंगाबाद, बिहार) : मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में मुझे यह विचित्र लग रहा है कि लोग इस बजट का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में यह एक तरह का बजट है और मैं इससे स्पष्ट करता हूँ। यह बजट विकासोन्मुखी है। यह चौदह वर्ष पूर्व हमारे प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई उदारीकरण की नीति को आगे ले जाती है। आज भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है। हमारे वित्त मंत्री जी को बजट को आम आदमी के साथ जोड़ कर रखने की विकट समस्या थी। सोनियाजी इसी आम आदमी का उल्लेख बारबार करती रही हैं जिसके प्रतिक्रिया में भारत के लोगों ने अत्यधिक उत्साह और आशाएं व्यक्त की हैं।

मुझे यह कहते हुए अत्यंत खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने विकास की अत्यधिक मांग को आम आदमी की कठिनाइयों के साथ संतुलित किया है। उन्होंने भारत के विकास हेतु एक मानचित्र पेश किया है। यह शायद ही होता होगा जब कोई वित्त मंत्री 1,72,500 करोड़ रुपए का संसाधन सकल बजटीय समर्थन हेतु जुटा पाये हों और यह गत वर्ष के बजट से 17 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कतिपय महत्वपूर्ण और अग्रणी कार्यक्रमों के लिए 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। मैं कहूँगा कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से यह काम किया है और इसके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर में

[श्री निखिल कुमार]

कोई अधिक बढ़ोत्तरी नहीं की गई है अथवा राजकोषीय घाटे में वृद्धि या मुद्रास्फीति को कम नहीं बताया गया है। उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति है।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि इससे भारत शीघ्र ही विश्व के विकसित देशों में शामिल हो सकेगा? हमारे लिए प्रत्येक भारतीय के आंखों के आंसुओं को साफ करना संभव हो सकेगा और पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कहे गए नियति के साथ मिलन का सपना सच हो सकेगा। मेरा यह कहना अतिश्योक्ति हो सकता है। लेकिन स्टाक बाजार में जो सूत्रधार का कार्मन करता है, में बजट की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद ही 6000 प्वाइंट से वृद्धि होकर 7000 प्वाइंट की वृद्धि दर्ज की गई। यह अत्यधिक कम हुआ है और वास्तव में ऐसे बजट प्रस्तुत किए जाने के एक सप्ताह बाद तक कभी नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी को यह एक विशेष प्रमाण पत्र मिला है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री को गरीबी निर्धारण के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए भी प्रशंसा करता हूँ। यह पहली बार हुआ है। उन्होंने कैलोरी आधारित निर्धनता संकेतकों को छोड़ दिया है और उनकी बजाए निरक्षरता, बीमारी, शिशु मृत्युदर, कुपोषण, दक्षता के अभाव और बेरोजगारी को संकेतकों के रूप में प्रयोग किया है।

वास्तव में, इसके बाद मैं अपने गृह राज्य बिहार की बात करूंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढूंगा इसके बाद इसके बारे में बात करूंगा। मैं अपनी बात बजट के बारे में कुछ टिप्पणियों तक सीमित रखूंगा। हमें रोजगार गारंटी योजना को आगे बढ़ाने में पर्याप्त साहस दिखाने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। जिसके बारे में हमने बहुत अधिक संशय की बाते सुनी हैं। लेकिन हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह योजना मात्र लॉलीपाप नहीं है। यह देश के नितांत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का एक साधन है। वास्तव में, धन नीचले स्तर तक पहुंचाना होगा और मुझे यह विश्वास है कि सुशासन से यह धन नीचले स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। मेरा अनुमान है कि ऐसा जब होगा तब अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय क्षमता में वृद्धि होने से, यह चाहे जितनी कम हो, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। यदि हमें रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के अपने प्रयास जारी रखने हैं तो वस्तुओं एवं सेवाओं की इस मांग पर ध्यान दिए जाने की आवययकता है।

एक दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए वित्त मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं। यह 'दक्षता विकास' का है। उन्होंने युवा लोगों की नियोजनीयता के बारे में जो कत्य है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। इस पर उनकी 500 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना एक सही निवेश है। वास्तव में, मुझे उस बात का उल्लेख करना चाहिए जो मेरे सहकर्मी ने पहले कहा है। उन्होंने कहा कि भारत में इससे पहले कि औद्योगिक क्रान्ति का युग समाप्त होता; यह पहले ही सूचना युग और ज्ञान युग में प्रवेश कर चुका है। वास्तव में यह एक सच है। इसे वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है। और इस बजट पर समकालीन तरीके से ध्यान दिया है। उन्होंने ऐसा यह जानते हुए किया है कि "लैथेज" और "मीलिंग" मशीनों का समय समाप्त हो गया है। ये मशीने यांत्रिकी युग की मशीने थीं और कंप्यूटर एवं संख्या से नियंत्रित होने वाली मशीनों के नवीन समय में उनका उपयोग बहुत कम है। वास्तव में, कौन जानता है कि बहुत जल्दी ही इन मशीनों की जगह पर नैनो प्रौद्योगिकी आ जाए? इसलिए 500 करोड़ रुपये जो इन्होंने इस क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है वह ठीक है। इस विषय पर मात्र आपत्ति यह है कि यह थोड़ा कम प्रतीत होता है और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसी के साथ-साथ अपने युवा लोगों की सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि उनकी सोच है कि एक ही प्रकार का कार्य करते रहना चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि दक्षता उन्नयन का कार्य सतत रूप से जारी रहे। उदाहरण के लिए लोगों को 50 वर्ष की आयु तक पुर्नप्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अन्यथा शीघ्र ही हमारे यहां ऐसे लोग होंगे जो 40 वर्ष के बाद भी नियोजन लायक नहीं रहेंगे। इससे हमारे समक्ष एक गंभीर समस्या हो जाएगी। अतः दक्षता उन्नयन के कार्य को ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थानों को स्थानीय उद्योगों के साथ जोड़े जाने की बात कहीं। यदि ऐसा होता है तो अच्छी बात है लेकिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बैंक ऋण और स्वरोजगार योजनाओं के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता भी है ताकि लोग यांत्रिक मरम्मत, कार सर्विसिंग, ट्रैक्टर मेकेनिक, डीजल पम्प रखरखाव, कम्प्यूटर रखरखाव और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में अपने कारोबार स्थापित कर सकें। वर्तमान शताब्दी में लोग कोई उत्पादक कार्य करते हुए जीवनयापन कर सकें। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि ऐसा किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमारे यहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित ऐसे अनेक लोग होंगे जो रोजगार पाने लायक नहीं होंगे और जो बेरोजगार होंगे। उन्हें रेलवे में पोर्टर और गनमैन के रूप में कार्य करना पड़ेगा। निश्चय ही वे नहीं चाहते कि उनका भविष्य इस प्रकार का हो। इससे असंतोष होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले से ही हमारे यहां बहुत असंतोष है। जिससे वामपंथी अतिवाद का प्रसार हुआ है। यदि वामपंथी अतिवाद का मुकाबला करना है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि इस देश के लोगों को रोजगार मिले और वे संतुष्ट रहें। इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को बैंक केंडिट एवं स्वरोजगार से जोड़ने का सुझाव अच्छा है। और इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

दूसरा कार्य जिसके लिए मुझे वित्त मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए वह है प्रत्येक गांव को सड़कों और ब्राडबैंड से जोड़ने की शानदार योजना, सभी गांवों का विद्युतीकरण पूरा करने का प्रयास, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, रेलवे और पत्तन विकास और हवाई अड्डों के उन्नयन के कार्य की योजना। लेकिन इसके लिए भी लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। यह सामान्य भावना है कि...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री निखिल कुमार** : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। हमें लोगों की सरकारी नौकरी की तरफ ही दौड़ने की सोच बदलनी होगी।

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात दो मिनट में पूरा कर सकते हैं।

**श्री निखिल कुमार** : मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब रोजगार विकास परियोजना जैसे पत्तन, विमानपत्तन होटल और हास्पिटेलिटी के क्षेत्र में होंगे। इन क्षेत्रों में व्यापक सरकारी और निजी निवेश किए जाने होंगे।

ऐसा होगा ओर जब ऐसा होगा तो इससे रोजगार क्षमता में व्यापक रूप से वृद्धि होगी।

मैं अपने राज्य बिहार की बात करूंगा। मैं अपने साथियों द्वारा पहले कही गई बात को दोहराता हूं कि बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्य है यदि हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो यह राष्ट्रीय औसत आय लगभग 13000 रुपये के मुकाबले मात्र 3707 रुपये है। ऐसा अनुमान लगाया है कि वर्ष 2009–10 तक बिहार की प्रतिव्यक्ति आय बढ़कर 13,000 रुपये होगी जबकि उस समय तक राष्ट्रीय आय बढ़कर 28,045 रुपये होगी। यदि हम वर्ष 2020 तक 10 प्रतिशत की राष्ट्रीय विकास दर प्राप्त करते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने इच्छा व्यक्त की है, तो बिहार को अब से अगले 15 वर्ष तक 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 38000 करोड़ रुपये निवेश करने की आवश्यकता होगी। यह बात मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि हमारे लिए इस धनराशि की व्यवस्था करना एकदम असंभव है। अतः यदि हम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उसी के अनुसार चलें अर्थात् यदि वर्ष 2020 तक 10 प्रतिशत की राष्ट्रीय वृद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बिहार को लगभग 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी। मुझे पता है कि वित्त मंत्री बुद्धिमान हैं। वह प्रतिभाशाली हैं। मेरा अनुरोध है कि वे कुशलता के साथ बिहार में निवेश हेतु कहीं से इस धनराशि की व्यवस्था करें क्योंकि बिहार को छोड़कर आप विकसित-भारत नहीं बना सकते। इसलिए, विकसित भारत के लिए, बिहार में यह निवेश अत्यंत आवश्यक है...*(व्यवधान)* मैं कुछ और छोटे सुझाव देना चाहूंगा। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं कुछ सुझाव दूंगा।

सर्वप्रथम, आहरण कर और 'फ्रिंज' लाभ कर पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि वित्त मंत्री पहले से ही इसके बारे में सोच रहे हैं। यदि वह ऐसा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है और हमें आशा है कि वह इसके बारे में कुछ करेंगे।

दूसरा सुझाव वैयक्तिक आयकर की पुनर्संरचना का है। यह अच्छा है। इससे मध्य आय वर्ग लोगों के पास लगभग एक लाख रुपये बचेंगे और इससे वे जो चाहें कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि कुछ छूट उनको भी दी जानी चाहिए जो अपने वृद्ध माता पिता की देख रेख पर कुछ धनराशि व्यय करते हैं। यह विशेषकर भारत की एक सामाजिक सच्चाई है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां माता–पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बजाए उनकी देख रेख उनके बेटे और बेटियां करें। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कृपया, इस पर किसी प्रकार की छूट देने का विचार करें।

मेरा तीसरा सुझाव देश की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना, "काम के बदले अनाज" के बारे में है और इस हेतु 150 जिलों का चयन किया गया है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार में मेरा जिला औरंगाबाद इससे बाहर क्यों छोड़ दिया गया विशेषकर तब जबकि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है और वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त है। विशेषकर इस वर्ष यह सूखा से ग्रस्त है। इस योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु यह बिहार का पहला जिला होना चाहिए था। लेकिन इसे अत्यंत अस्पष्ट तरीके से छोड़ दिया गया है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर इस शिकायत का निवारण करेंगे। इसे काम के बदले अनाज योजना में सम्मिलित किए जाने वाले जिलों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा...*(व्यवधान)* अगला बिन्दु है कि बिहार में बिजली एक समस्या है। इसे 1500 मेगावाट की निर्धारित आवश्यकता है इसमें से बिहार में मात्र एक तिहाई उत्पादन होता है। यह एक गंभीर स्थिति है क्योंकि शेष बिजली बाहर से आती है। ऐसी स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि आज बिहार में बरौनी, कान्ति, बरूण बिजली परियोजनाएं हैं। लेकिन इनमें से केवल बरौनी कार्य कर रही है और उसमें भी कार्य उसकी क्षमता का एक तिहाई चल रहा है। वर्ष 1989 में औरंगाबाद जिले के नबी नगर में 2200 मेगावाट की बिजली परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी। इस पर 8000 करोड़ रुपये की लागत आनी थी। अब 16 वर्ष बीत चुके हैं। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है...*(व्यवधान)* मै भारत सरकार से यह पता लगाने के लिए और कुछ करने के लिए

[श्री निखिल कुमार]

अपील करता हूं ताकि नबी नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना पर किए जाने वाले व्यय हेतु प्रावधान है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पहले ही पन्द्रह मिनट ले लिए हैं।

**श्री निखिल कुमार** : मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहार सदैव बाढ़ से आप्लावित है। मैं इस बारे में अपनी बात संक्षिप्त कर रहा हूँ। हमें यह देखने की जरूरत है कि बाढ़ से स्थायी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार प्रबंधन किया जाए। यह तभी संभव है यदि नेपाल विशेषकर बागमती, कामलाबालन, गंडक, कोसी से बिहार में आने वाली नदियों पर उपयुक्त निवारक प्रबंध किए जाएं। इसके अतिरिक्त, एक अन्य नदी भारत में नेपाल से आती है जिस पर हम जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री लक्ष्मण सिंह** (राजगढ़) : अब आपके राज्य को पैकेज मिल गया है, इसको छोड़िये।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप पहले ही सब कुछ बता चुके हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री निखिल कुमार** : आप मुझे सुन लीजिए। बिहार की बहुत बातें करते हैं, कहते हैं कि बहुत बैकवर्ड है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसे कैसे विकसित किया जाए तो आप सुन लें। क्यों नहीं कमला और बागमती नदियों पर बांध बन सकता है, क्यों नहीं कोसी हाई कैनाल पर बांध बन सकता है, क्यों नहीं पंचेश्वर डैम की जो वर्ष 1996 में ट्रीट्री हुई थी, उसे अब इम्पलीमैन्ट किया जा सकता है? इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी अपील है कि इसके लिए मुनासिक वित्तीय प्रावधान किया जाए, क्योंकि अगर बाद में इस पर हमने नेपाल सरकार के साथ समझौता कर लिया और पता लगा कि पैसा नहीं है तो फिर क्या होगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : बशर्ते कि नेपाल सरकार सहमत हो। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मेरे पास समय की बहुत कमी है।

*[हिन्दी]*

**श्री निखिल कुमार** : अंत में, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जब ड्राउट हुआ था तो शैलों ट्यूब वैल प्रोजैक्ट का बड़ा इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसके इस्तेमाल की वजह से हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इससे किसानों का क्या नुकसान हुआ।

**सभापति महोदय** : कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय इक्कीस सदस्य बोलना चाहते है। विपक्ष की ओर से तीस से अधिक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं कैसे समांजस्य स्थापित कर सकता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री निखिल कुमार** : सर, हमारे यहां जो शैलो टयूबवैल वाटर प्रोजैक्ट थी, इसमें बीस परसेन्ट शेयर किसानों का होता है और सब्सिडी तीस परसेन्ट होती है। इसकी वजह से बहुत सारे किसानों के यहां शैलो टयूबवैल लगाये जा सकते थे, जो नहीं लग पाते हैं। मेरी वित्त मंत्री जी से अपील है कि सब्सिडी अमाउंट को तीस परसेन्ट से ज्यादा बढ़ा दिया जाए और किसानों का जो शेयर है, वह बीस परसेन्ट से घटाकर दस परसेन्ट कर दिया जाए। इससे शैलों टयूबवैल प्रोजैक्ट बहुत लोकप्रिय होगी और लोगों का भला होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री लक्ष्मण सिंह** (राजगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, जब से भारत ने विश्व व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, चाहें यू.पी.ए. की सरकार हो, चाहें एन.डी.ए. की सरकार हो, जब से खुली आर्थिक नीति का हमने अनुसरण किया है, किसी भी वित्त मंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए व्यापक स्तर पर बहुत बड़े फेरबदल बजट में किये जाएं, यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। हमारे देश से जो निर्यात होता है, वह बढ़ जाए, अधिक से अधिक बढ़े, आयात कम से कम हो। विशेषकर हमारी कृषि उत्पादित वस्तुओं का, हमारे उद्योगों द्वारा विशेषकर लघु उद्योगों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उनका निर्यात किस तरह से बढ़े, यह आपके द्वारा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपको लगभग सभी पार्टियों का समर्थन है। आपको वामपंथियों का भी समर्थन है और चिदम्बरम जी के लिए रास्ता साफ है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पिछड़े राज्य हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत के रूप में उभरकर नहीं आ सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन पिछड़े राज्गों का विशेष ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट से मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं जिनका मैं समाधान करना चाहता हूं। आपने एक पुस्तक निकाली है। प्रश्न यह है कि जो वित्तीय लक्ष्य आपने रखा है, वह पूरा कैसे किया जाए, यह आपका मूल उद्देश्य है और होना भी चाहिए। उसी के संदर्भ में आपने किताब निकाली है–'इम्पलीमैन्टेशन ऑफ बजट अनाउंसमैन्ट्स'। अनाउन्समैन्ट्स तो हुए हैं, लेकिन उनका इम्पलीमैन्टेशन कैसे होगा। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, जिनका समाधान मैं आपसे करना चाहूंगा। यह चिदम्बरम जी के शब्दों में लिखा गया है, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा–

*[अनुवाद]*

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत मैं 2007–2008 तक राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हूं। तथापि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रस्ताव हैं कि हम यह कार्य 2008–2009 तक करें।

आगे वह लिखते हैं–

"मेरे विचार में 2008–2009 अधिक विश्वसनीय समापन वर्ष है। यह इस सरकार की कार्यकाल के साथ भी मेल खाएगा।"

इसी पर मुझे खेद है। रेवेन्यू डेफिसिट वर्ष 2007–08 में खत्म हो सकता था। एन.डी.ए. सरकार ने लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2007–08 तक इसे वाइप आउट करना है तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए कि आपके द्वारा काम किया गया है, आपने इसे एक साल बढ़ा दिया। अब एक साल का रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ इसलिए होगा, ताकि आपको इसका श्रेय मिले, लेकिन इसका बोझ देश की जनता को उठाना पड़े, इसमें हमें आपत्ति है। इस भावना से अगर आप काम करेंगे, केवल श्रेय आप लें, दूसरा कोई न ले तो यह देश के हित में नहीं होगा और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार आये।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे पास एक ओपन लैटर आया है। हमारे मध्य प्रदेश के एक नौजवान ने सब सांसदों को चिट्ठी लिखी है। वह नौजवान खुजराहो का निवासी है। उसने कुछ शंकाएं आपके बजट के बारे में ज़ाहिर की हैं। वैसे तो खजुराहो कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी एक अर्थशास्त्र का जानने वाला नौजवान है और बड़ी अच्छी बात उसने उठाई है।

*[अनुवाद]*

यह प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2003 के बारे में है। आपकी अनुमति से जो उन्होंने लिखा है उसे उदघृत करूंगा। और मैं थोड़ा समय लूंगा। वह लिखते हैं:

यद्यपि प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2003 ने सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को तथाकथित अलाभकारी परिसम्पत्तियों को निरवात निधि में परिवर्तित कर दिया है। एक करोड़ अथवा इससे अधिक धनराशि की श्रेणी में अलाभकारी परिसम्पत्तियों वाले सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का मूल्य तीन लाख करोड़ रुपए है और 60 लाख करोड़ की सम्पत्ति पर पुनर्ग्रहणाधिकार का अधिकार रखते हैं। इस निधि पर प्रत्येक विदेशी बैंक नजर रख रहा है।"

*[हिन्दी]*

उसका शक यह है कि विदेशी बैंकों को आने की अनुमति जो आप दे रहे हैं, उनके आने से यह खतरा पैदा हो रहा है। वह आगे क्या लिखता है–

*[अनुवाद]*

इस ऋण को व्यापार योग्य बनाने के लिए बजट भाषण 2004–2005 के पैराग्राफ 06 में यह प्रावधान बैंकों और उनके भावी नए स्वामियों को इतनी बड़ी धनराशि के एक बड़े हिस्से को विनियोजितकर सकने में सक्षम बनाएगा।

*[हिन्दी]*

आदरणीय सभापति महोदय, अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर वर्कर्स बिल और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जो आप लाए हैं, ये पहले चल रही थीं। चूंकि आपको भंडार भरा हुआ मिला, इसलिए आपने इस योजना में ज्यादा राशि देकर श्रेय लेना चाहा है। आपने धनराशि बढ़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन योजनाएं सारी पुरानी हैं। 'द पायनीयर' में जो निकला है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा–

*[अनुवाद]*

"संशोधन के नाम पर ऐसा लगता है कि संप्रग सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के कल्याण के लिए पूर्व राजग सरकार की अग्रणी परियोजना पुनः शुरू की है। असंगठित कामगार विधेयक पहले पुरः स्थापित किया गया था"

*[हिन्दी]*

अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर वर्कर्स बिल इंट्रोडयूस हो गया लेकिन उसको जल्दी से जल्दी सदन में कब ला रहे है, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। चूंकि आप पूर्व सरकार का अनुसरण कर रहे हैं तो उस पर मुझे बुंदेलखंड की एक कहावत याद आती है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि:–

"तेल जले, बाती जले, नाम दिया को होय।
पलना में ललना खेले, नाम पिया को होय।"

योजनाएं एनडीए सरकार की हैं और उसका श्रेय आप ले रहे हैं कि आप चला रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस वर्षों से वोट लेती आई हैं। अभी भी बहुत बड़ी दांडी मार्च का आयोजन हुआ। हमारे लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री बहुत पुराने गांधीवादी नेता है। आपने क्या किया है? आपने एक किताब निकाली है।

*[अनुवाद]*

"छह माह में संप्रग सरकार के मील के पत्थर" इस पुस्तक के पृ. 51 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है:

"कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग"–

जब खादी की चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी की तस्वीर उभरकर सामने आती है। आपने 14 अक्तूबर 2004 से खादी और

[श्री लक्ष्मण सिंह]

ग्रामोद्योग आयोग विघटित कर दिया है? यही है जो सरकार ने किया है जो गांधीवाद की बात करती है। अब आपने खादी और ग्रामोद्योग आयोग समाप्त कर दिया है

*[हिन्दी]*

जब केवीआईसी की सेल्स 2003–04 में 11589 करोड़ रुपये हुई जो इतनी अधिक कभी नही हुई, जब खादी ग्रामोद्योग ने 2003–04 में 62,57,000 लोगों को रोजगार दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को 6207 प्रोजेक्ट्स दिये, विकलांगों के लिए लगभग 500 प्रोजेक्ट केवीआईसी चला रही थी तो आपने इन सब बातों को नज़रअंदाज़ करते हुए केवीआईसी को खत्म कर दिया। क्यों किया? केवीआईसी को खत्म करके जो योजनाएँ ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराती है, इसके लिए आपने क्या नई योजना बनाई है? मैं चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में इसका उल्लेख अवश्य करें। हमारी बहुत सारी माताएं और बहनें कृषि कार्य में संलग्न हैं। सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये उनके लिए कार्यक्रम चलाने हेतु दिए गए थे, लेकिन उसमें से केवल 17 लाख 50 हजार रुपये ही खर्च किए गए हैं। बाकी का पैसा बचा हुआ रह गया है। मैं चाहूंगा कि इस पैसे को भी खर्च करने के लिए और योजनाएं बनाई जानी चाहिए। बांस के विकास के लिए नेशनल मिशन था। दसवीं और ग्यारहवीं योजना में छह लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस का प्लांटेशन करने की योजना है, लेकिन उसके लिए आप गंभीर नहीं हैं। आप लक्ष्य नही बढ़ाएंगे तो यह 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस के प्लांटेशन का काम कैसे बढ़ेगा। बांस ऐसी वस्तु है जिससे गरीब से गरीब आदमी जुड़ा है। छोटा किसान मेड़ पर बांस का उत्पादन करता है और इसकी आमदनी से खाद, बीज इत्यादि का खर्च निकालता है, इसलिए बांस मिशन सारे देश में चलाया जाए।

हमारे देश में 3290 लाख हैक्टेयर भूमि है। उसमें से 1730 लाख हेक्टेयर का इरोजन होता जा रहा है। कहीं साल्ट इफेक्टेड ऐरिया होता जा रहा है। वह भूमि बीहड़ में परिवर्तित होती जा रही है। वहां दस्यु समस्या खड़ी होती जा रही है। इसके लिए नहीं सोचा है। आपको इसे रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, यहां बीहड़ बनते जा रहे हैं। इनका समतलीकरण किया जाए तो कई लाख हेक्टेयर जमीन प्राप्त हो सकती है। वह जमीन भूमिहीनों को देकर उसमें हम खेती कर सकते हैं।

सभापति महोदय, एक विशेष कृषि उपज योजना चलाई गई थी। यह इसलिए चलाई गई थी कि हमारी कृषि का निर्यात बढ़े ।

*[अनुवाद]*

यह वन उपज को छोड़कर फलों, सब्जियों, फूलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए था। अब आपको एक बात के बारे में सुनिश्चित करना है।

*[हिन्दी]*

इसमें एक प्रावधान रखा गया था कि जो निर्यात करेगा, जो अलग से कस्टम और एक्साइज डयूटी देगा उसको सैनवेट का क्रेडिट मान लिया जाएगा। उस पर डबल डयूटी नहीं लगेगी। इससे निर्यात बढ़ सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की व्यवस्था करने के लिए पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया थ। 4851 गोदाम बनाए गए थे। 1300 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। 105 लाख मीट्रिक टन की क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी थी। मैं चाहता हूं कि इस क्षमता को और बढ़ाया जाए। वर्ष 2005 को इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डब्लपमेंट माना है। माइक्रो क्रेडिट की बात हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पुस्तक में लिखा है कि वर्ष 2005–06 में 2 लाख परिवारों को सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट का लाभ देंगे।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया अब समाप्त कीजिए।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : महोदय, मुझे बोलना है। मैं नहीं बोला हूं।

**सभापति महोदय** : आप पहले दस मिनट से अधिक समय ले चुके हैं कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री लक्ष्मण सिंह** : यानि दो साल में आपका लक्ष्य सिर्फ दो लाख परिवार ही है। दूसरे साल में भी दो लाख परिवार हैं। इस लक्ष्य को बढ़ाना आवश्यक है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप केवल बिन्दुओं का उल्लेख कीजिए।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं।

**सभापति महोदय** : किंतु समय नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री लक्ष्मण सिंह** : पर्यावरण और वन के बारे में मंत्री जी ने कोई भी उल्लेख अपने भाषण में नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहां शेरों की संख्या कम होती जा रही है और आज अखबार में निकला है।

*[अनुवाद]*

मैं इंडियन एक्सप्रेस से उदाहरण देना चाहता हूँ। यह प्रधानमंत्री के वक्तव्य देने के बाद आज ही प्रकाशित हुआ है। इसमे कहा गया है "कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव और सबूत मांग रहे हैं। कि वास्तव में संकट है।"

*[हिन्दी]*

प्रधानमंत्री जी ने जब यह कहा कि शेरों की संख्या नेशनल पार्क में घट रही है। उसके बाद आपके एनवायरमेंट फोरेस्ट सैक्रेट्री चिट्ठी लिख कर पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्या आप इस तरह टाइगर प्रोजैक्ट को चलाएंगे? इसे गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वहां टाइगर प्रोजैक्ट चलाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिलती है।

महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, मेरे दो प्वाइंट और हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात कीजिए। समय नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री लक्ष्मण सिंह** : नॉन कंवेंशनल एनर्जी में आपका लक्ष्य 24,584 गांवों का विद्युतीकरण करने का था। आपको 24,584 गांवों का विद्युतीकरण अपारम्परिक स्त्रोतों से करना है, लेकिन आपने केवल 1563 किए हैं। इसलिए चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

*[अनुवाद]*

श्री चिदम्बरम ने संत तिरूवल्लुवर के शब्दों का उदाहरण दिया। यदि आप पिछड़े राज्यों की ओर ध्यान देते हैं तो उनका सुधार नहीं होगा। आपने पिछड़ा राज्य आयोग बना लिया है।

*[हिन्दी]*

आपने 25 हजार करोड़ कोरपस फंड भी रखा है, लेकिन इसके चेयरमैन एक आईएएस आफिसर हैं। प्लानिंग कमीशन के जो सैकेट्री हैं, उसे आपने चेयरमैन बनाया है। वह चेयरमैन यह तय करेगा कि किस पिछड़े राज्य को कितना पैसा देना है। मैं चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं – जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी और बिहार हैं, इन राज्यों के प्रतिनिधि इसमें हों और उनकी इसमें एक भूमिका हो, केवल वे सदस्य के रूप में न हों। तब जाकर यह जो सैंट तिरूवल्लुवर है, जिन्होंने कहा है–

"पिनी इनमई सेल्वम विर्लेवु इन्बम ईमम
अनी एंबा नटिटरकु इव इन्धु

मेरी तमिल भाषा अच्छी नहीं है। मैं इसे सीखना चाहता हूं।

ये जो शब्द इन्होंने कहे हैं, उनका सपना चिदम्बरम जी के शब्दों में तभी साकार होगा, जब आप पिछड़े राज्यों का ध्यान रखेंगे और इस देश का समुचित एवं समग्र विकास होगा, तमाम राज्यों का होगा, तभी यह संभव हो पाएगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब प्रो एम. रामदास बोलेंगे।

आपके पास छह मिनट का समय है। कृपया बोलिए।

**प्रो. एम. रामदास** (पांडिचेरी) : माननीय सभापति, महोदय, पट्टालि मक्कल काची और इसके संस्थापक अध्यक्ष डा. एस. रामदास की ओर से मैं केन्द्रीय बजट 2005–2006 की प्रशंसा करता हूं।

वास्तव में मैं पूर्ण और सर्वप्रिय बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूँ। इस बजट की प्रेस और – समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा बहुत अधिक सराहना की गई है। मेरे विचार से बजट में आर्थिक विकास के मुद्दों पर ही ध्यान नहीं दिया गया है। बल्कि प्रथम बार बजट में स्पष्ट रूप से इस बात को मान्यता दी गई है कि विकास अर्थहीन है जब तक इस देश के सामान्य और दबे कुचले लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलता। इस संबंध में मैं इस बजट को विकास और सामाजिक न्याय हेतु बजट मानता हूँ। जो प्रशंसनीय है वह यह है कि अनेक बाधाएं, आर्थिक और सामाजिक बाधाएं, जिनका सरकार सामना कर रही है, के बावजूद वित्त मंत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा यथापेक्षित सामाजिक व्यय की आवश्यकताओं और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रख सके हैं। वह उनके बीच संतुलन बनाए रख सकें हैं। अतः हम सरकार के उपायों की प्रशंसा करते हैं। जैसाकि बजट में दर्शाया गया है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं बजट में स्थायी समस्याओं का स्थायी हल नहीं तलाश कर सकते। इसमें लोगों और अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले वर्तमान मुद्दों पर ध्यान देना है। इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इस बजट में सभी सन्देश हैं जो वर्तमान संदर्भ में आवश्यक है। उदाहरणार्थ न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कतिपय बातों का अधिदेश दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार से कतिपय कार्य करने के लिए कहा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम सरकार से कुछ कार्य करने का आह्वान करता है। देश के विशाल आर्थिक मुद्दों में भी कतिपय कार्यों की जरूरत है।

अब हम देखते हैं कि इस बजट में वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जिनकी आवश्यकता हैं, ये उपाय सामान्य आदमी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, जो आर्थिक सुधार हमने शुरू किए हैं उन्हें आगे बढ़ाया गया है और यह बजट लोगों के रोजगार आय और योजन का वचन देता है और आश्वासन देता है।

हम किसी बजट से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं।

प्रतिपक्ष के उपनेता, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने चर्चा के आरंभ में कहा कि यह बजट जन विरोधी है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस टिप्पणी के द्वारा बजट के साथ न्याय नहीं किया है।

[प्रो. एम. रामदास]

इस वक्तव्य से उनका आशय क्या है। किस मामले में बजट जन विरोधी है। क्या बजट में आम लोगों पर अत्यधिक कर भार लगाया गया है। अथवा इसमें गरीबी बेरोजगारी, जलापूर्ति अथवा स्वच्छता हेतु चलाई जा रही योजनाओं के व्यय में कटौती की गई है। इसमें सभी सामाजिक क्षेत्रों में परिव्यय में वृद्धि की गई है। अतः इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कि यह बजट जन विरोधी है। वास्तव में इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। मुझे प्रो. अरमी बेथम, जो एक प्रख्यात अर्थ शास्त्री थे, के उस वक्तव्य की याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक प्रसन्नता उपलब्ध कराए जाने का प्रयास करना चाहिए। इस बजट का अध्ययन करने के पश्चात आप पायेंगे कि इमसें भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग पर ध्यान दिया गया है। अतः इसे न्यूनतम लागत पर अधिकतम कल्याणकारी बजट माना जा सकता है। इस बजट में क्या नहीं है। उदाहरण के लिए रोजगार का मुद्दा लें। माननीय वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन योजना की घोषणा की है और इसके लिए 4020 करोड़ रुपए परिव्यय को बढ़ाकर 11000 करोड़ रुपए कर दिये अर्थात 173.6 प्रतिशत की निश्चित वृद्धि की गई है। यह बात सुनने में नहीं आयी है और भारत के बजट इतिहास में अभूतपूर्व है। वर्षवार आधार पर किसी योजना में 173.6 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की गई है और बजट से देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की घोषणा अंत्योदय अन्न योजना में और अधिक क्षेत्र को शामिल करना, आईसीडीएस योजना का 1,88,168 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करके विस्तार, मध्याह्न भोजन योजना के लिए और अधिक आबंटन, सर्वशिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक अव्यपतगत होने वाले कोष की स्थापना, पेय जल सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में प्रयास, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का विस्तार, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष और ग्रामीण बुनियादी संसाधन कोष की स्थापना से ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचेगा और ग्रामीण पहल को गति मिलेगी।

भारत निर्माण योजना की शुरूआत सभी दृष्टि से सरकार के द्वारा किया गया एक सराहनीय प्रयास है और पहली बार सरकार यह मान रही है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इससे मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने गांधी जी को उद्धृत बल्कि गलत रूप से उद्धृत किया था और यह कहा था कि विद्यमान सरकार गांधीजी के दर्शन को कुचल रही है। लेकिन भारत निर्माण योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों जहां भारत की आत्मा है का पुनरूद्धार करने का प्रयास कर रही है। अतः भारत की रूग्ण हो चुकी आत्मा में नवीन रक्त का संचार होगा और भारत निर्माण योजना का क्रियान्वयन किए जाने पर यह स्वस्थ रहेगी। यह एक विशिष्ट विशेषता है और हम इसका पट्टलीमाकल काची की और से स्वागत करते हैं।

**सांय 6.58 बजे**

**(श्री पवन कुमार बंसल** *पीठासीन हुए)*

सरकार के बजट का एक अन्य पहलू यह है कि इसने वास्तव में निवेश के महत्व को स्वीकार किया है। निवेश और इससे होने वाले गुणात्मक प्रभाव से अतिरिक्त आय होगी और इससे अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार उपलब्ध होंगा और इससे इस देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का सर्वाधिक विश्वशनीय विकसित होगा। वित्त मंत्री जी ने वास्तव में महसूस किया है कि कृषि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, औद्योगिक क्षेत्र और बुनियादी संसाधन क्षेत्रों में वित्त पोषण किए जाने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ी है। उन्होंने पूंजी व्यय और राजस्व व्यय दोनों में ही वृद्धि की है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उन्होंने माना है कि बुनियादी संसाधन, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, बागवानी और अनुसंधान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। वस्त्र और चीनी उद्योग को अधिक महत्व दिया गया है और यह बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है।

**सभापति महोदय :** कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

**प्रो. एम. रामदास :** मुझे कम से कम 6 मिनट का समय दिया गया था।

**सभापति महोदय :** आप अब तक 8 मिनट तक बोल चुके हैं। अब मैं आपसे अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ।

**प्रो. एम. रामदास :** मुझे अभी और बोलना है।

**सभापति महोदय :** कृपया समाप्त करने का प्रयास करें। हमने विभिन्न राजनीतिक दलों को समय आबंटित किया है।

**प्रो. एम. रामदास :** मैं बजट के केवल महत्वपूर्ण भाग पर बोल रहा हूँ।

**सायं 7.00 बजे**

इस बजट में एक अन्य बात जो मुझे अत्यधिक अच्छी लगती है वह कर संबंधी सुधार है जिसे वर्ष 1991 में माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। अब हमने कर सुधारों को सरल बना दिया है। अब हमने कर दरों में आधुनिकीकरण की व्यवस्था शुरू की है। जिससे और अधिक अनुपालन होता है। हमने कुल राजस्व में कर राजस्व की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया है। जिससे कुल ढांचे में प्रगति को बढ़ावा मिलता है, अप्रत्यक्ष करों का राजस्व पर तटस्थ प्रभाव सुनिश्चित किया गया है और इससे अप्रत्यक्ष करों को भी औचित्यपूर्ण बनाया गया है।

इस बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बारहवें वित्त आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इससे देश में केंद्र–राज्य संबंध के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है। केन्द्र – राज्य संबंधों के मुद्दे पर विचार करने वाले सरकारिया आयोग और विभिन्न अन्य आयोगों ने कहा है कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में संसाधन प्रत्यायोजित नहीं करने का मामला विवादास्पद रहा है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मुझे खेद है कि मैं आपको पुनः टोक रहा हूँ कृपा बात संक्षेप में कहें। आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। आप अपनी बात को संक्षेप में रखें। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**प्रो. एम रामदास** : मैं अपने दल से बोलने वाला एकमात्र वक्ता हूं।

**सभापति महोदय** : मुझे आपको टोकते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है, मुझे बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता है।

**प्रो. एम. रामदास** : यदि मैं कोई अप्रासंगिक बात कहूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं।

**सभापति महोदय** : मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं इसीलिए आपसे अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करना नहीं चाहता हूँ।

**प्रो. एम. रामदास** : हालांकि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा। फिर भी, केंद्र सरकार ने सभी सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। वर्तमान वर्ष में ही सरकार केंद्र से राज्यों को 26000 करोड़ रुपए अंतरित करने जा रही है। जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि सरकार 'सहकारी संघवाद' जिसकी शुरूआत डा. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने पी.एचडी के शोध पत्र में बताई गई थी के सिद्धांतों को अपना रही है। उन्होंने कहा था कि "केन्द्र सभी राज्यों के लिए है और सभी राज्य केन्द्र के लिए है।" अतः सहकारी संघवाद की दिशा में वास्तविक शुरूआत इस बजट द्वारा की गई है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

मैं यह भी कहूँगा कि कतिपय ऐसे प्रश्न है जिनपर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरी पहली चिंता यह है कि कुल निवेश ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी गुणवत्ता अर्थात हमारे द्वारा किए गए निवेश से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा यह है कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके कार्यक्षेत्र में अधिव्याप्ति हो रही है। इन योजनाओं को सुचारू बनाना होगा, ताकि हमें न्यूनतम लागत पर सर्वाधिक लाभ मिल सके।

बजट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों को कुछ रियायत हो गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें अन्य पिछड़े वर्गों जिनका आबादी में लगभग 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने उत्तर देते समय आम पिछड़े वर्ग के लिए भी कतिपय रियायतों की घोषणा करेंगे।

चौथी चिन्ता यह है कि अर्थव्यवस्था में विकास दर 8.3 प्रतिशत की तुलना में अभी मात्र 6.9 प्रतिशत है। यह चिन्ता का एक अन्य विषय है। बजट की अच्छाई कम हो गई है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत अपने वायदे को नहीं पूरा कर सके हैं। आज संशोधित अनुमान से राजस्व घाटा पिछले वर्ष से अधिक है, राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के राजकोषीय घाटे से अधिक है। यदि इन घाटों को जारी रहने दिया गया तो अंत में इस घाटे के कारण मुद्रास्फीति की दर, मुद्रा की आपूर्ति, और बढ़ता व्यापार संतुलन में अंतर अधिक होगा जिससे उसी तरह का विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होगा। जैसा कि हमने 1991 में देखा था।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : प्रो. रामदास, मैं पुनः हस्तक्षेप नहीं करना चाहता किंतु मैं आबंटित समय से बंधा हुआ हूं।

**प्रो. एम रामदास** : चिन्ता का दूसरा विषय यह है कि सरकार पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है।

**सभापति महोदय** : यदि आप अपने भाषण का शेषभाग सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति दे सकता हूं, किंतु मुझे खेद है, मैं आपको भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता।

**प्रो. एम. रामदास** : यदि आप हस्तक्षेप नहीं करते तो मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता।

**सभापति महोदय** : आपकी पार्टी के लिए पांच मिनट का समय आबंटित था किंतु आप तेरह मिनट तक बोल चुके हैं।

**प्रो. एम. रामदास** : यह 13 मिनट नहीं हो सकता है।

**सभापति महोदय** : हमारे पास रिकार्ड हैं।

**प्रो. एम. रामदास** : ठीक है महोदय, मैं आपके साथ विवाद नहीं करना चाहता हूँ। अपितु मैं कुछ और विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

बढ़ते हुए ऋण बोझ का ध्यान रखना होगा।

भारत सरकार लगभग 1,37,444 करोड़ रु. का ब्याज भुगतान करती है। जिसका अर्थ यह है कि भारत प्रतिदिन 376 करोड़ रु. प्रति घंटा 15.6 करोड़ रु. ब्याज का भुगतान करती है जोकि अलाभप्रद है। हम नहीं जानते हैं कि उसका प्रतिलाभ क्या है। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

**सभापति महोदय** : प्रो. रामदास, मुझे खेद है। मैं अब आपको और बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया मेरी स्थिति समझिए। मुझे अगला नाम पुकारना है।

**प्रो. एम. रामदास** : 1 अप्रैल 2005 से वैट के प्रारंभ को इस तथ्य के मद्देनजर देखना होगा कि तमिलनाडु जैसा राज्य विधान लाने के लिए तैयार नहीं है।

**सभापति महोदय** : अब श्री मुन्शी राम अपना भाषण शुरू करेंगे।

**प्रो. राम दास** : स्वसहायता समूह कार्यक्रम और कृषि ऋण कार्यक्रम गरीब लोगों को सच्चे अर्थों में देना होगा।

**सभापति महोदय** : मुझे खेद है प्रो. रामदास।

**प्रो. रामदास** : इनसे हमें सहायता मिलेगी।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं भारती दासन की धरती का हूँ। मुझे क्रांतिकारी कवि भारती दासन की संकल्पना का उल्लेख करके समाप्त करता हूँ:–

"पुदिरदोर उलगम् सेटवोम्
केट्टा पोरिदुम उलगिनै बेरोडु साटपोम्
पोदुदामै कोल्गै दिसे एट्टुम सेरपोम्
एन्गल उइरेन्दु काप्पोम् इदयभेल्लाम
पुनिदमोददै अन्बु नाडियिनिल् ननैप्पोम्
इदु एनदु एनुमोर् कोडुमैयै तविर्पोम्
उणर्वेनुम कानलिदै अयर्विनै एरिप्पोम्
ओरू पोरूल दनै एनुम् मनिदरै सिरिप्पोम
इयल पोरूल् पयन्तर मरूत्दिल पसिप्पोम्
ईवतुमदम एनिल अनैवरूम पुसिप्पोम्।"

**इस कविता का अर्थ यह है**

***हम सबल नए विश्व की रचना करेंगे,
और हम कहीं लड़ाई की ओर झुकाव का जडोन्मूलन कर देंगे,
हम हर दिशा में समाजवादी सिद्धान्त का प्रचार करेंगे।
और अपने प्रिय जीवन की भांति इसे सराहेंगे।
हम अपना हृदय प्रेम से भर देंगे जो घृणा समाप्त कर देंगे।**

**"यह सिर्फ मेरा है"
हम जागरूकता की आग में अपनी अज्ञानता की
भावना को जला देंगे,
और उस पर हंसेंगे जो कहता है कि यह सिर्फ मेरे लिए है
हम भूख मर जाएंगे, यदि उत्पादित वस्तुओं का
विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है,
यदि उपलब्ध कराया जाता है तो हम सब
उसमें हिस्सा बटाएंगे।***

**सभापति महोदय** : प्रो. रामदास, आपने यह सूचना नहीं दी है कि आप तमिल में भी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : मुझे घंटी बजाने में खुशी नहीं है। लेकिन समय की पाबंदी रखनी पड़ेगी। बाकी माननीय सदस्यों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जब घंटी बजे तब वे उसे फालो करें। आपको बोलने के लिए 5 मिनट दिये जाते हैं।

**श्री मुन्शी राम (बिजनौर)** : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय दल चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी की ओर से बजट 2005–06 का समर्थन करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाना एक सराहनीय कदम है। परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है किसी भी योजना का सही उपयोग कराया जाना एक कठिन कार्य है। 11 हजार करोड़ रुपये की इस योजना के माध्यम से 5,400 करोड़ रुपये खाद्यान्न घटत के रूप में 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन रखा गया है, जिसका सही उपयोग नहीं किया जाता। ग्रामीणवासियों को दिया जाने वाला अनुदान चाहें वह अनाज एवं मिट्टी के तेल के माध्यम से दिया जाता हो, जितना अनुदान भारत सरकार देती है, उसका 30 प्रतिशत भाग भी लाभार्थी को नहीं मिल पाता अर्थात् 70 प्रतिशत अनाज का दुरुपयोग होता है। जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे आवास करने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लीटर केरोसीन के स्थान पर 2 लीटर केरोसीन तेल प्रति परिवार ही दिया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक परिवार को केवल मात्र 30 रुपये का अनुदान प्रति माह प्राप्त होता है। इसी प्रकार खाद्यान्न में दिये जाने वाला अनुदान खाद्यान्न भंडारण करना और उसके रख–रखाव, खरीद में अत्याधिक लागत आती है। फिर उसे गरीबी रेखा के नीचे आवास करने वाले लोगों को कम दर यानी दो–तीन रुपये प्रति कि.ग्रा. दर से दिया जाता है। उसके बीच का नुकसान अनुदान के रूप में सरकार को वहन करना पड़ता है। यदि आप इन अनुदानों द्वारा सीधा गरीबी रेखा के नीचे आवास करने वाले एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सहायता देना चाहते हैं तो ये अनुदान सीधे–सीधे भुगतान के माध्यम से दिये जायें। यह एक गरीब परिवार को सीधी मदद पहुंचाना सही उपाय होगा। ढाई करोड़ लोगों को बीपीएल सूची में रखा गया है। यदि प्रत्येक परिवार को 300 रुपये गरीबी अनुदान प्रतिमाह दते है। तो 9 हजार करोड़ रुपये सीधे–सीधे गरीब परिवार को मिलेगा जबकि इस गरीब को 100 रुपये का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। यदि इसे आप 500 रुपये किसी गरीब परिवार को अनुदान के रुप में देते हैं तो 1500 करोड़ रुपये का अनुदान सहायता को सीधे गरीब को देना होगा। इसी प्रकार

---

*......*मूलतः तमिल में उद्धत की गई कविता के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

3010 करोड़ रुपये के माध्यम से मध्याह्न भोजन स्कीम एवं 7156 करोड़ रुपये सरकार सर्व शिक्षा अभियान पर आपके द्वारा खर्च किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मध्यान्ह भोजन एवं सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जिन गरीब परिवार एवं बच्चों की आप मदद करना चाहते हैं, उस मदद का अधिकांश भाग कागजी आंकड़ों पर खर्च होता है। वास्तव में यदि सरकार गरीब परिवार एवं बच्चों की मदद करना चाहती है तो प्रत्येक गांवों में प्राइमरी, जूनियर स्कूल उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार खोले जाने के पश्चात अच्छे शिक्षक नियुक्त किये जाने पर हमें धन का व्यय करना चाहिए।

इसी प्रकार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए हमारे द्वारा प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय खोल रखे हैं जिसमें करोड़ों बेरोजगारों द्वारा पंजीकरण कराने के पश्चात भी सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को रोजगार दिये जाने की कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। इस पर गंभीरता से कार्यान्वयन कराकर किसी भी प्रकार से रोजगार भत्ता या रोजगार दिये जाने का मैं समर्थन करता हूं। मेरे जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में 30,000 बेरोजगार पंजीकृत हैं।

विकास के रुप में भिन्न–भिन्न योजनाओं के तहत हमारे द्वारा धन व्यय किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एकमुश्त विकास योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे हमारी विकास योजनाओं एवं जन प्रतिनिधियों की निधि के माध्यम से धन खर्च किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि कम धन व कम समय में ज्यादा विकास हमारे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को होगा।

पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में पानी की एक–एक बूंद कीमती होगी जहां हम जमीन के ऊपर एवं जमीन के नीचे पानी पर अपना ध्यान रखते हैं। वहीं हमारे द्वारा प्रयोग किया गया पानी उपयोग करने के पश्चात गंदी नालियों एवं सड़कों पर गन्दगी एवं अनुपयोग पानी के रूप में पड़ा रहता है जिसे इकट्ठा करके आसपास के कृषि सिंचित उपयोग में लाया जा सकता है। जो कि पानी के उपयोग एवं सफाई व्यवस्था में एक भारी उपलब्धि होगी।

एआईबीपी किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। हजारों करोड़ों रुपये का प्रस्ताव हम प्रतिवर्ष इस योजना में रखते हैं परन्तु 10–20 वर्षों से एआईबीपी की योजना पूरी नहीं करा पाये जिसके कारण सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के पश्चात भी भारत के किसानों को जो लाभ पहुंचाना चाहती है वह नहीं प्राप्त होता जिसकी प्रगति प्रत्येक तिमाही हमें लेनी चाहिए एवं योजनाओं में समय सीमा तय की जानी चाहिए जिससे देश के किसानों को अतिशीघ्र लाभ मिल सके।

किसानों के द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए स्टाम्प शुल्क को माफ किया जाए। भूमिहीन किसानों को चिन्हित कर देश में पड़ी अनुपयोगी भूमि को आबंटित किया जाए। आबंटन के समय विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी भी भूमिधर को गलत ढंग से भूमि न दी जाए। इसके लिए राजस्व अधिकारियों को कढ़ाई से पालन करने का आदेश दिया जाए। 10,000 रुपये एकल दिवस में निकलने पर 0.1 प्रतिशत कर को वापस लिया जाए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब बच्चों को अधिक से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र के माता–पिता की आय का ही प्रमाण–पत्र मान्य हो न कि अभिभावक का जिससे अपात्र छात्रों का हिस्सा भी गरीब छात्रों को मिल सके।

सहकारी चीनी मिलों को चीनी बिक्री की अनुमति निर्धारित दर पर किये जाने की अनुमति तो दी जाए परन्तु व्यक्ति एवं फर्म विशेष के नाम से अनुमति प्रदान न की जाए जिसके द्वारा व्यक्ति एवं फार्म विशेष को ही लाभ पहुंचता है एवं सहकारी चीनी मिलों को नुकसान होता है जिसका प्रभाव सीधा गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का पुनः समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय** : चालिहा जी, मैं आपको पूरे 10 मिनट दूंगा और 8 मिनट के बाद घंटी बजा दूंगा।

*[अनुवाद]*

**श्री किरिप चालिहा** (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, 1990 के दशक के आरम्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हुआ जब श्री पी वी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में शासन सम्भाला। मैं सौभाग्यशाली था कि मैंने युवा सदस्य के रुप में युगान्तरकारी परिवर्तन जो उस समय देश में हो रहे थे, को देखा।

मैं युवा था और मेरा वामपंथ की ओर झुकाव था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा अनेक नए शब्दों का उल्लेख किया गया। जैसे मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उदारीकरण, परिवर्तन के साथ सततता इत्यादि। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य इन शब्दों को संदेह से देखते थे क्योंकि परिवर्तन हो रहे थे। उस समय ये आशंकाएं थीं। मुझे याद है कि डा. मनमोहन सिंह ने 1991 में अपना पहला बजट पेश करते हुए इसी सभा में यह विश्वास दिलाया था और इस पहला बजट को स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रेरणास्पद स्मृति को समर्पित किया था। आरंभ इसी तरह से किया गया था। मुझे अभी भी याद है कि तत्कालीन वित्त मंत्री आज के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दुःखद स्थिति पर बोलते हुए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने गोएथ का उद्धरण दिया और कहाः

[श्री किरिप चालिहा]

"इस धरती पर कोई भी शक्ति उस विचार जिसका समय आ चुका है को नहीं रोक सकती।"

किंतु संशय का आधिक्य था। उस समय अनेक लोग थे जिन्होंने सोचा कि सुधार प्रक्रिया जिसे उस समय डा. मनमोहन सिंह और कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को बेचना था। उस समय हर जगह संशयवादी थे अर्थात् इस ओर भी और उस ओर भी। किंतु आज, जब मनमोहन सिंह के अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं तो यह पता चलता है कि यह इस देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ और इस मनमोहन अर्थशास्त्र के कारण ही हम भविष्य की ओर विश्वास से देख सकते हैं। कांग्रेस के बाद आने वाली उत्तरवर्ती सरकारें भी अर्थात भाजपा सरकार या संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी सुधार के उसी सिद्धान्त को अपनाया था। उस समय भी श्री पी. चिदंबरम ही वित्त मंत्री थे, और विनिवेश के बारे में सारी आशंकाएं मनगढन्त कल्पनाएं साबित हुई थी।

पिछले छह वर्षों में कुछ मामलों में हमें समझौते करने पड़े परन्तु प्रमुख सिद्धान्त अभी भी अपना अधिपत्य बनाए हुए हैं। आज भी, कुछ समाजवादी सभा में बिल्कुल दाहिने तरफ बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि बाजार अर्थव्यवस्था तक मुक्त पहुँच या केवल बाजार द्वारा निर्देशन ही अच्छा अर्थशास्त्र है। यह माना जाता था कि गरीबों को रियायत, पिछड़े, क्षेत्रों को रियायत, सामान्य लोगों को राहत दिया जाना कोई अच्छा अर्थशास्त्र नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। यही वह कारण है जिसकी वजह से पिछले छह वर्षों में हमारी सोच के बिंदु बदल गए हैं और अमीर और ज्यादा अमीर बन रहे हैं, तथा गरीब को भुला दिया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था को एक बार पुनः सही दिशा में सही फोकस के साथ सही प्राथमिकताओं के निर्धारण और मनमोहन अर्थ शास्त्र (मनमोहनोमिक्स) के सही मूल्य पर जोर देकर वापस लाने के लिए बधाई देता हूं। जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा है इससे इस देश में अत्यधिक लोगों को अत्यधिक फायदा पहुँच रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार की ताकतें मनमोहन अर्थशास्त्र को निर्देश नहीं दे सकतीं। यह भारतीय अर्थशास्त्र हेतु अत्यधिक आर्थिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए एक उपाय था जो विभिन्न कारणों से खतरे में पड़ा हुआ था।

**सायं 7.18 बजे**

**(श्री अजय माकन *पीठासीन* हुए)**

मैं इस बजट के विभिन्न सकारात्मक बिन्दुओं पर प्रकाश डालना नही चाहूँगा। मेरे कई मित्र इस बजट के गरीबों के अनुकूल होने की पहले ही प्रशंसा कर चुके हैं। मैं उन बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहूँगा, परन्तु मैं कहूँगा कि गरीबी पर सीधे आक्रमण; ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने; शिक्षा में नए उपाय करने; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ठोस उपाय, ग्रामीण ऋण और ग्रामीण उधार को सुधारने के लिए उपाय; कृषि क्षेत्र का सुधार, सिंचाई, और इन सबसे बढ़कर "भारत निर्माण" की एक बहुत ही उत्साही परियोजना ने प्राथमिकताों को सही दिशा प्रदान की है। श्री चिदंबरम को इसके लिए हम सभी से बधाई मिलनी चाहिए, और उन्हें यह मिल भी रही है। उन्हें दो बार बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि उनके खिलाफ ऐसे लोगों जिन्हें विपक्ष में होना चाहिए द्वारा की गई सारी आलोचनाओं – में तथात्मकता नहीं थी। यहाँ तक कि श्री मल्होत्रा भी लक्ष्यों का विरोध नहीं कर रहे थे।

मैंने अपने मित्र, श्री लक्ष्मण सिंह को सुना जो ज्यादा पाने पर, ज्यादा किए जाने पर और हम जिसका प्रस्ताव दे रहे हैं उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता पर बल दे रहे थे, और पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में अस्पष्ट वक्तव्य की ओर ध्यान दिला रहे थे। इसके अलावा बजट में उल्लिखित सिद्धांतों में कोई मूल विरोध मैं मुश्किल से ही पाता हूँ। मेरी ओर बैठे मेरे मित्रों के साथ प्रशंसा करने के बाद, मुझे अब उन्हें कुछ क्षेत्रों के बारे में याद दिलाने के अप्रिय कार्य पर आना है जहाँ मुझे लगता है कि अधिक बल दिए जाने, अधिक प्रयास किए जाने, अधिक ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मैं क्षेत्रीय असंतुलनों के बारे में बात कर रहा हूँ।

क्षेत्रीय असंतुलन, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं कहा है, केवल ऐतिहासिक उपेक्षा से नहीं बढ़े थे बल्कि योजना आबंटनों में छेड़छाड़ द्वारा भी बढ़े थे। आपको याद होगा, हमारे राजीवजी क्षेत्रों के बीच और राज्यों के बीच समानता लाने की आवश्यकता के बारे में लगातार कहा करते थे और उस पर जोर देते थे। इसलिए, मैं सीधे ही मामले पर आता हूँ और पूर्वोत्तर और असम, जहाँ मेरा घर है, और जो भारत का ही अंग है के बारे में बात करता हूँ।

महोदय, मैं श्री चिदंबरम को आंकड़े देना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें पूर्वोत्तर की दशा के बारे में बताने की आवश्यकता है। उनका सामना लगातार पूर्वोत्तर से होता रहा हैं परन्तु इतना कहना ही पर्याप्त है कि संयुक्त असम की प्रति व्यक्ति आय 1951 में हुए राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, और आज, यह सूची में सबसे नीचे है। श्री चिदंबरम ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच की बड़ी खाई और उसे पाटने की प्रतिबद्धता के बारे में बात कर रहे थे। मैं श्री चिदंबरम को 'उन्नत राज्यों' और 'कम उन्नत राज्यों' के बारे में अधिक बात करते हुए सुनना चाहता हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि श्री चिदंबरम, वित्त मंत्री जी को लेखाकार होने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, मैं चाहता हूँ कि श्री चिदंबरम को स्वप्नद्रष्टा होना चाहिए, और यदि उनके अंदर का स्वप्नद्रष्टा

इस देश में कई वर्षों से पनप रहे भारी क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक नहीं करता है तो इसे कौन कर पाएगा? क्षेत्रों के बीच अंतर को अवश्य कम किया जाना चाहिए और आर्थिक प्राथमिकताओं को अवश्य ही ठीक किया जाना चाहिए और इसे कार्यसूची में सबसे पहले रखा जाना चाहिए क्योंकि यह न केवल सही अर्थशास्त्र है बल्कि यह अच्छी राजनीति भी है।

राष्ट्रीय बजट का दस प्रतिशत पूर्वोत्तर के विकास के लिए रखा गया है। यह दस प्रतिशत एन एल सी पी आर (अव्यपगत केन्द्रीय आरक्षित निधि) नामक कार्पस फंड में चला जाता है। पिछले कई वर्षों से इस फंड हेतु आबंटन 550 करोड़ रुपए ही है। हमारे यहां एन ई सी है जो पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करता है। पिछले तीन वर्षों से एन ई सी हेतु फंड भी 500 करोड़ रुपए बना हुआ है, और इसमें यहां तक कि मुद्रास्फीति को भी शामिल नहीं किया है। क्या हम पूर्वोत्तर की उपेक्षा की मात्रा को बढ़ा रहे हैं या इसे घटा रहे हैं?

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्री किरिप चालिहा** : आप मुझे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दें।

**सभापति महोदय** : आप अपने साथियों का समय ले रहे हैं। आप एक मिनट में समाप्त करें।

**श्री किरिप चालिहा** : मैं मुख्य बातों का ही उल्लेख करूँगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर के विकास हेतु निर्धारित है। तथापि, क्या आप जानते हैं कि एन एल सी पी आर निधि, कई वर्षों से इतनी ज्यादा जमा हो गई हैं कि 1 अप्रैल, 2003 को मेरी जानकारी अनुसार, यह राशि 3500 करोड़ रुपए के करीब थी। इस निधि के निपटान हेतु कोई योजना नहीं है। यह निधि अभी भी वित्त मंत्रालय में पड़ी हुई है; इसे पूर्वोत्तर के विकास हेतु नहीं दिया गया है। यह उपेक्षा कब तक जारी रहेगी? हमारे यहां सड़कें नहीं हैं, और असम में जो सड़कें बनी हैं वह भी केवल गुवाहाटी में हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न और खादों पर दी जानेवाली 30,000 करोड रुपए की राजसहायता में से पूर्वोत्तर राज्यों को एक प्रतिशत भी नहीं मिलता है? यह उपेक्षा कब तक जारी रहेगी? यह सब कब तक चलता रहेगा? इसे आप कब ठीक करेंगे? आप पूर्वोत्तर के पुनर्निर्माण हेतु बड़े कदम कब उठाएंगे? क्या यह पुनर्निमाण हेतु लंबी छलांग होगी या यह मात्र एक कोरा आश्वासन साबित होगी? मैं श्री चिदम्बरम से यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : श्री चालिहा, हमारे शासन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : श्री मानवेन्द्र सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : श्री स्वाईं, अपने साथी को बोलनें दें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। समय बहुमूल्य है।

...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** : लिखकर दें कि हमने गलत किया है।... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप बैठिये। संदीप जी, आप भी बैठ जाइये।

**श्री मानवेन्द्र सिह** (बाड़मेर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। भारत की परम्परा है कि अपनी संस्कृति और संस्कार में तथा विचारों से गाय की रक्षा करें। हमारा देश सदियों से गऊ रक्षक रहा है और मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने, बिहार में, जो गरीबी पिछले 15 सालों से बढ़ी है, उस पर चर्चा की। मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गरीबी बढ़ना स्वाभाविक है जब प्रदेश में गायों का, पशुओं का चारा चोरी हो तो श्राप तो लगेगा ही। पिछले एक वर्ष में हमने जनादेश के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन मैनडेट शब्द की कहीं चर्चा नहीं हुई कि जनादेश मिला है सत्ता पक्ष में बैठे सभी लोग चुनाव विशेषज्ञ हैं। वे जनादेश शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं वह उन्हीं पर निर्भर है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा सकता। समय कम है, इसलिए मैं आपको पाइंट बता देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना भाषण में कहा था कि वह महिलाओं का, महिला, मतदाताओं का आशीर्वाद चाहते हैं। अतः, इस बजट में लिंग आधारित बजट है।

जेनडर बजट के हैड में कामकाजी महिलाओं के होस्टल्स में कटौती हुई है। प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों के समर्थन में कमी हुई है। स्वावलम्बी योजना में कटौती हुई है। राष्ट्रीय महिला कोष में कमी हुई है।

देह व्यापार की शिकार महिलाओं को बचाने की योजना में कटौती हुई है। आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कमी हुई है। बाल सामाजिक अव्यवस्था के निवारण और नियंत्रण में कटौती हुई है।

*[अनुवाद]*

सत्ता पक्ष यह भी दावा करता है कि अनुसूचित जातियों और

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर उनका एकाधिकार और सिर्फ उनका प्राधिकार है। मैं उनके विचारों का आदर करता हूँ। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सभी पूर्व वक्ताओं ने पर्याप्त सांख्यिकी आंकड़ा प्रस्तुत किया है। मैं केवल स्पष्ट विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुद्रित रूप में मौजूद है जो हमें संसद सदस्य के रूप में मिला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों तथा मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। जनजातीय कार्य मंत्रालय से दिए जाने वाले छात्रावासों इन तीनों हैंड्स में कमी हुई है।

*[हिन्दी]*

के प्लॉन आउट–ले में कमी हुई है। नेशनल और स्टेट एसटी फाइनेंस डैवलपमैंट कार्पोरेशन में कटौती हुई है। विभिन्न प्रदेशों में एसटी डेवलपमैंट कार्पोरेशन के लिए केन्द्र सरकार बजट आबंटित करती है। उसमें भी कटौती हुई है।

*[अनुवाद]*

राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए है। अब, उसके बजट में कटौती की गई है। मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि सत्ता पक्ष यह दावा कैसे करता है कि बजट समाज के कमजोर वर्गों के लिए हैं।

वर्तमान में और भविष्य को लेकर हमें जो बातें चिंतित करती हैं वे पर्यावरण से जुडे मामले हैं और आज की विकास आधारित अर्थव्यवस्था में इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें सभी आंकड़े वृद्धि की और इंगित करने की दृष्टि से ही जुटाये जाते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अब इस क्षेत्र में, और सौर ऊर्जा में कटौती हो रही है, बायोगैस के उपयोग में कटौती हो रही है, पवन ऊर्जा उत्पादन में कटौती हो रही है, समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में कटौती हो रही है। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि इस सघन औद्योगिकीकरण के दौर में जब आप इन सब चीजों में कटौती कर रहे हैं तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार कैसे होगा।

इसी बीच, गृहमंत्री ने अभी आपदा प्रबन्धन के जो उल्लेख किया है उससे पता चलता है कि संप्रग सरकार आपदा प्रबन्धन के कार्य को कितनी गंभीरता से ले रही है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। देश के लिए यह बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन एम एच ए शीर्ष के अंतर्गत, गृह मंत्रालय हेतु जो योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है, उसमें आपदा प्रबन्धन शीर्ष के अन्तर्गत धनराशि में कटौती की गयी है। यह बहुत ही अचम्भे वाली बात है। मैं आशा करता हूं कि इसमें सुधार किया जायेगा।

देश की रक्षा भी हमारे लिए चिंता का एक विषय है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं एक सैनिक रहा हूँ। अपितु इसलिए भी कि मैं इस देश का एक नागरिक भी हूं। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी द्वारा जो योजनाएं शुरू की गयी थीं उनमें से एक योजना भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना थी जिसके तहत देशभर में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उनके द्वारा किये गये छोटे से अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना था। इसमें भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं सहित परिवार के दूसरे आश्रितजन भी शामिल थे। दुर्भाग्य से इस योजना में भी कटौती की गयी है। कई राज्य इस योजना के साथ सामजस्य बिठाकर अपने यहां ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें भी कटौती कर दी गयी है।

जहां तक सेवारत सैनिकों की बात है मैंने योजना परिव्यय की सूची में देखा है कि विवाहित सैनिकों के लिए बड़े आवास उपलब्ध कराने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की कई गैर–सैनिक एजेंसियों हेतु निर्माण शीर्ष का प्रावधान किया गया है। लेकिन उन सेवारत सैनिकों के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया जो अत्यधिक विकट परिस्थितियों में भी निश्चित अवधि से अधिक देरी तक कार्य करते हैं। क्या उन्हें ऐसे अवसर मिल पाते हैं कि वे अपनी तैनाती केन्द्र पर अपने परिवार को ला सकें। वहां अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने परिवार के साथ रह सके। दुर्भाग्य से बजट में इस बात की और ध्यान नहीं दिया गया है।

रक्षा परिव्यय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है–वह यह है कि वायुसेना तथा नौसेना हेतु एअर क्राफ्ट तथा एअरों इंजिन के लिए पूंजी परिव्यय में कटौती कर दी गयी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं वायुसेना तथा नौसेना उच्च हार्डवेयर सघन प्रक्रिया हैं और मशीनरी के आने के पहले एक तरह से निधियों के उपयोग के पूर्व एक 'लीड टाइम' होता है। ऐसी स्थिति में यदि हम इसमें कटौती करते हैं। तो इसे बारे में सर्वाधिक गहन चिंताएं इस बात को लेकर व्यक्त की गयी हैं कि यह कटौती पुराने एअरक्राफ्ट की खरीद हेतु निधियों का उपयोग करने से संबंधित है – अर्थात अब साउथ ब्लाक एरिया में अब इस बात की फुसफुसाहट भी चल रही है। इसी तरह नौसेना डाकयार्ड के मद में भी कटौती की गयी है।

जहां तक राजस्थान का संबंध है जहां का मैं रहने वाला हूँ, वहां सबसे अधिक कटौती 'मारू गऊचर योजना' में की गयी जिसे कुछ समय तक लागू करने के बाद बंद कर दिया गया है। यह एक ऐसी योजना थी जिससे मवेशियों को सबसे अधिक फायदा पहुंचता। हमारा राज्य एक पशुपालन करने वाला राज्य है और यहां मवेशियों की क्षेत्रवार संख्या सबसे अधिक है। इस योजना के अंतर्गत चारागाहों को फिर से बहाल करना था। इस योजना को चालू बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है और इससे पता चलता है कि मवेशियों से संबंधित समस्याओं से केन्द्र सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है।

राजस्थान के लिए चलायी जा रही शिक्षा कर्मी योजना में भी कटौती की गयी है। हमारे लिए यह एक बड़े नुकसान वाली बात है।

यदि यह सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहती है तो फिर शिक्षा कर्मी योजना को समाप्त क्यों किया गया। बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें परिवारों को विद्युत कनेक्शन देन की बात कही गयी है। यह सरकार शहरों में रूचि ले रही है या ग्रामीण क्षेत्रों में यह बजट में किये गये आबंटन से स्पष्ट हो जाता है। बजट में सर्वाधिक वृद्धि ई–गवर्नेन्स के मद में की गई है जबकि सबसे अधिक कटौती ग्रामीण विद्युतीकरण के मद में हुई है। मैं समझता हूं कि इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि बजट की तथा सप्रग सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं।

**श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर) : आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने 50 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह सुधारों और आर्थिक सुधारों की बात करती है। लेकिन जब कभी इसे व्यवहारिक रूप देने की बात आती है तो मेरी समझ से, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है।

आज के समय में मैं श्री चिदम्बरम को सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि वाला मंत्री मानती हूं और मैं उनकी सराहना भी करती हूं। आज हमारे प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में यहां यह बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उसकी तुलना में इस वर्ष का बजट में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है, इस तथ्य के बावजूद इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस स्थिति में बहुत अधिक अंतर है। हमें ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी की कुछ ऐसी मजबूरी जरूर है, उन पर कुछ ऐसा दबाव जरूर है जिसके कारण वह मानवाधिकारों और व्यापार अधिकारों में से किसी एक को चुनने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन दोनों के बीच बहुत अधिक विरोध है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले क्षेत्र को सहारा दिया जाये या फिर व्यापार क्षेत्र को सहारा दिया जाये।

यहां मैं एक और बात जो कहना चाहती हूं। वह उन उपायों के बारे में है जिनकी घोषणा बजट से पूर्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतू और अधिक अधिक उदार नीतियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2005–06 के बजट में शिक्षा के मद में की गयी आबंटन राशि में भी वृद्धि की गयी है। फिर भी अनिवार्य शिक्षा विधेयक अभी भी संसद में पुरः स्थापित नहीं हो सका है। आज छह करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और इसके भी दोगुने बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहती हूं। हम जिन तीन क्षेत्रों पर अधिक बल दे रहे हैं वे हैं–स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास।

कृषि तथा ग्रामीण विकास से संबंधित केन्द्रीय योजना परिव्यय में वर्ष 2004–05 के मूल बजट प्रावधान की तुलना में 47 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर दी गयी है जबकि सामाजिक सेवाओं के मद में 49 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। तथापि, यदि इसकी तुलना वर्ष 2004–05 के संशोधित अनुमान से की जाये तो ये वृद्धियां मामूली ही कही जायेंगी। इससे सभी लाभार्थी लाभान्वित हो सकेंगे, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

मैं इसे इस ढंग से रखना चाहूंगी। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह भारत निर्माण की बात करती है और जब राजग सत्ता में होता है तो वह 'फील गुड' की बात करता है। लेकिन आम आदमी के हित में क्या किया गया। उन्हें यह कैसे एहसास हो कि उन्हें 'भारत निर्माण' की बात पर यकीन कर लेना चाहिए या उन्हें यह मान लेना चाहिए कि उनकी जिन्दगी में फील गुड हो रहा है।

हम अब भी विद्युत उत्पादन और शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम अभी भी विकास की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। ऐसे हम अपने को कैसे सुधार पायेंगे। हम वैश्वीकरण का सामना कैसे कर पायेंगे।

महोदय सरकार ने भारत निर्माण योजना के अंतर्गत पांच वर्षों की समयावधि में एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने, सभी गांवों को सड़क से जोड़ने, गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने, 74,000 आवासों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा 1 लाख 25 हजार नये गांवों में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। सरकार ने जो कुल व्यय दर्शाया है उसको देखते हुए तो यह एक वाक्पटुता मात्र लगती है।

महोदय हमारी आजादी के 57 वर्षों में से हम पर 50 वर्षों तक शासन कांग्रेस सरकारों द्वारा हुआ है फिर भी हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए है। अधिकतर गावों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। जैसा कि सरकार बता रही है वर्ष 2005–06 में सरकार के कुल व्यय में वास्तविक रूप से केवल 1.7 प्रतिशत अर्थात् 8,500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और 5 प्रतिशत मुद्रा स्फीति की घोषणा के बाद इसमें 3 प्रतिशत की कमी आयी है। मुझे इस बात की चिंता है कि सरकार ने भारत निर्माण योजना के अंतर्गत जिन कार्यों को कराने की घोषणा की है वह उन पर खर्च होने वाले धन को कहां से मुहैया करायेगी।

इतना ही नहीं, आज सबसे अधिक निराशा जनक बात कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु आबंटित की गयी धनराशि है। कुछ सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा की गयी है। लेकिन व्यय बजट से पता चलता है कि वर्ष 2004–05 के दौरान ग्रामीण रोजगार पर 6,408 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे और वर्ष 2005–06 में इसमें बढोत्तरी कर इसे 9,000 करोड़ रुपये किया जाना है जिसमे कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम का 5,000 करोड़ रुपये का आबंटन शामिल है।

महोदय, इन्फोसिस सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण

[श्रीमती जयाप्रदा]

मजदूर गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इस बात की बहुत अधिक चिन्ता है।

**सभापति महोदय** : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदय, मैंने अपना भाषण अभी-अभी शुरु किया है। कृपया मुझे कुछ समय दें।

**सभापति महोदय** : महोदय, आप पहले ही पांच मिनट ले चुकी हैं। अब आपको दो मिनट के भीतर भाषण समाप्त करना होगा।

**श्रीमती जयाप्रदा** : मैं कोशिश करूँगी।

महोदय, मैं वास्तव में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में चिंतित हूँ। फिर, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में, उन्होंने केवल 150 जिलों के बारे में योजना बनाई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि उसे तत्काल बनाना होगा और उसमें समस्त जिले शामिल करने चाहिए।

महोदय, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हूँ और मेरा चुनाव-क्षेत्र रामपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ महिलाएं अधिकतर बीड़ी निर्माण के कार्य में लगी हुई हैं। वे उस व्यवसाय पर अधिक निर्भर हैं। परन्तु आज जो भी मजदूरी वे प्राप्त कर रही है, यह पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें भरपेट भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें 1000 बीड़ी बनाने पर 1 रुपया मिलता है।

अतः यह कैसे होगा मैं इस पर सहकारी क्षेत्र से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह उसकी ओर ध्यान दें ओर गाँवों में निर्धनतम महिलाओं को इस प्रकार के कार्यों के लिए सहायता करें। इतना ही नहीं, रामपुर में, हमारे यहां चप्पाकार और जरदोजी लोग हैं। आज वे लोग बेरोजगार हैं क्योंकि वे एक कतिपय क्षेत्र विशेष में बसते हैं। मैं जानती हूँ कि वित्त मंत्री जी बड़े ही दयालू व्यक्ति हैं, जो इसकी और ध्यान दे सकते हैं ताकि महिलाओं को सरकारी सहायता मिल सके।

उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य क्षेत्र है, और वहाँ हम बहुत सारी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आप किसानों को देखो तो आप पायेंगे कि वे बहुत असंतुष्ट हैं। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक और किसान संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव उनकी सहायता करते हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदय, मैं केंद्र सरकार से आश्वासन चाहती हूँ, कि उत्तर प्रदेश राज्य को कुछ अतिरिक्त निधि आबंटित की जा सके।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं फिल्म उद्योग से संबंध रखती हूँ और वहीं से मैं यहाँ आयी हूँ। महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। पिछले बजट में, और इस बजट में भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने फिल्म उद्योग के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। मैं उस परिवार या बिरादरी से संबंध रखती हूँ। मुझे उसके बारे में चिंता है क्योंकि फिल्म उद्योग एक बड़ा उद्योग है और फिल्म उद्योग...*(व्यवधान)*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम):** मैं उस उद्योग में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करूँगा जिन्होंने ठीक ढंग से कर अदा नहीं किया है।

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदय, मैं इस पर आपत्ति करती हूँ। जब मैं राज्य सभा में थी तो इस उद्योग को दिये जाने वाले दर्जे के बारे में बोला करती थी ताकि उद्योग को जीवित रखा जा सके। आज यहाँ चोरी हो रही है और उद्योग का पत्तन हो रहा है।

बहुत सारे परिवार उस व्यवसाय पर निर्भर हैं- दिहाड़ी मजदूर, लाईट बवॉय और कलाकार। एक कलाकार की अवधि बहुत छोटी होती है। जब इसका पतन हो रहा है तो इस उद्योग में पेंशन योजना क्यों नहीं लागू हो सकती? कलाकार पेंशन क्यों नहीं ले पाता है? कलाकार सड़कों पर आ गये हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो रहा है।

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदय, मुझे केवल एक मिनट दें। मैं समाप्त कर दूँगी। मैं एक बात और कहना चाहती हूं और यह बैंकों के बारे में है। एक सप्ताह पहले जब मैंने बैंकरों की एक बैठक में भाग लिया था तो सभी बैंकरों ने आशंकाएं प्रकट की थीं। महोदय, यह बहुत खतरनाक और चिन्ताजनक हैं। सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार बहुत गलत सोच रही है।

**सभापति महोदय** : धन्यवाद, महोदया।

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ मैं अभी समाप्त कर रही हूँ।

**सभापति महोदय** : जी नहीं। अब बस। यह अन्तिम बात थी यह ठीक नहीं है। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

**श्रीमती जयाप्रदा** : महोदय, यदि गरीब लोगों को कर अदा करना पड़ा, यदि बैंक से 10000 रुपए निकालने पड़े तो वह अपनी जिंदगी कैसे जीयेंगे? मैं वित्त मंत्री जी और इस संभा में विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे इसका समर्थन करें और गरीब लोगों पर कर न लगायें।

*[हिन्दी]*

**श्री सीताराम सिंह** (शिवहर) : सभापति महोदय, देर से ही सही परंतु आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको

धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत की कल्पना की है। भारत गांवों का देश है। हमारे देश की अधिकतम आबादी गांवों में रहती है और गांवों के विकास की कल्पना इस बजट में दिखाई पड़ती है। इसलिए न केवल मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं।

महोदय, इस बजट में अंत्योदय कार्यक्रम की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत पहले डेढ़ करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा था और अब यह लाभ दो करोड़ लोगों को मिल रहा है। यह बात सराहनीय है, मगर इसकी सराहना के साथ–साथ मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें बचे हुए परिवारों को भी रेखांकित करके अंत्योदय कार्यक्रम का लाभ उनको देना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात इंदिरा आवास योजना के संबंध में कहना चाहता हूँ। मैं तो पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस मंहगाई के युग में जो मकान 20 हजार रुपये में नहीं बन पा रहा था, यूपीए की सरकार ने उसमें 5000 रुपये बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया और 2500 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर इस बजट में 2700 करोड़ रुपये किया गया है। यह सराहनीय बात है। एक बात मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि होना तो यह चाहिए कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं हैं, जिनके लिए मकान बनाना आवश्यक है, उनको रेखांकित करते हुए एक बार पूरे देश के स्तर पर प्रण करना चाहिए और प्रति वर्ष उसके हिसाब से बजट में व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरी योजना जो गांवों के विकास के लिए बनाई गई वह फूड फॉर वर्क है। वह रोजगार भी दे रही है और उससे गांवों का विकास भी हो रहा है। फूड फॉर वर्क योजना के अंतर्गत 150 जिले इस देश में लिये गये। बिहार में मात्र 15 जिले हैं। मैं समझता हूं कि बिहार काफी पिछड़ा जिला है और गरीब भी है। बिहार का बंटवारा होने के बाद और झारखंड अलग होने के बाद बिहार में न तो रोज़गार है, न संसाधन हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस फूड फॉर वर्क योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार के जिलों को लिया जाए। विशेषकर ऐसे इलाके जो गरीबी से काफी नीचे हैं। जिनमें सीतामढ़ी, मोतिहारी बेतिया आदि जिले हैं, ये सभी जिले इस योजना से वंचित हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से इस बजट सत्र में ही इस पर विचार करें और इन जिलों में भी योजना को लागू करवाएं।

इसके अलावा भी गांवों के विकास के लिए आपने कई योजनाएँ चलाई हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि यूपीए की सरकार को भरा हुआ भंडार मिला। जिन्होंने भरा हुआ भंडार यूपीए की सरकार को सुपुर्द किया और देश की गरीबी को बढ़ाया, अगर भंडार था तो किसने मना किया था कि उसको इस देश के अवाम की सुविधा और कल्याण के लिए खर्च न करें? आप गरीबों के लिए इस राशि को खर्च न करें? माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वही योजना है जो छः वर्ष उस सरकार में चली और अगर यह कहा जाए कि छः वर्ष उस सरकार ने उस योजना को भी बेहतर रूप से लागू नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं कि इस रोने में कुछ नहीं रखा है। जब समय मिलता है उसका उपयोग होना चाहिए और इस देश की जनता के कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि फिर भी गांवों के और सड़कों के विकास के लिए आपने कार्यक्रम चलाया है।

**सभापति महोदय** : आपकी पार्टी को 11 मिनट मिले थे और आपकी पार्टी ने निर्धारित समय से ज्यादा समय ले लिया है। आप दो मिनट में कनक्लूड करें।

**श्री सीताराम सिंह** : महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो धनराशि का प्रावधान किया गया है, वह अच्छी बात है। मेरी समझ से इसमें और भी अधिक धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। एक बात मैं विशेष रूप से साफ कह देना चाहता हूँ कि बिहार के हिस्से को लगातार काटा गया है। किस सरकार ने काटा यदि मैं बोलूंगा तो गदर मच जाएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब से हमारा बिहार बंटा, तब से बिहार के पैसे को काटा गया और हमारी उपेक्षा हो रही हैं मेरे पास इसके आंकड़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें विशेष पैकेज देने के लिए कहा गया था, मगर एक पैसा भी नहीं दिया गया है। आज जो बजट में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, वह पैकेज नहीं है। हमारे हिस्से का वह मामूली हिस्सा है, जो आप सारे राज्यों को देते हैं। इसके लिए और पैसा बढ़ाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण सवाल बिहार के बारे में है। वहां बाढ़ से हमेशा बर्बादी हुई है, क्षति हुई है और सूखे से भी बर्बादी हुई है। सूख के लिए सिंचाई आवश्यक है तो बाढ़ के लिए बाढ़ को नियंत्रित करने की जरूरत है। आज भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करने की जरूरत है। इस बजट में बताया गया है और पैसे का प्रावधान किया गया है तथा यह बताया गया है कि हम कदम उठाएंगे। मगर समय पर योजनाबद्ध कार्यक्रम बना कर एजेंडे में ले कर बाढ़ को नियंत्रण करके स्थायी हल निकालने से ही बिहार का कल्याण हो सकता है। इस संसद में दो तिहाई लोग खेतीबाड़ी करने वाले वर्ग से हैं।

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

**श्री सीताराम सिंह** : मैं अनुशासनहीनता की बात नहीं करूंगा। मैं इस देश के किसानों की बात कहना चाहता हूं। मुझे आप एक मिनट का समय और दीजिए। किसान के लिए इस बजट में जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि यह नही की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बिल्कुल नगण्य है। आप लोग कितना भी दे दीजिए, मगर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं देंगे, तब तक किसानों को लाभ नहीं मिल सकेगा। वह कैसे लोन का रुपया वापिस कर सकेगा?

[श्री सीताराम सिंह]

**सभापति महोदय** : धन्यवाद आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री सीताराम सिंह** : किसानों के फसल बीमा के सवाल पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार देने पर ठोस नीति बने। और अब यूपीए सरकार आ गई है। रोजगार की बात नहीं कही गई है। आपने फूड फॉर वर्क को, मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है मगर पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए रोजगार की बात नहीं कही गई है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी के सवाल पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपने कहा मैं बजट में विधेयक लाऊंगा। आपने बजट में बात रख दी। आप रोजगार की गारंटी दीजिए। आप हर व्यक्ति को काम देंगे। समय बितता जा रहा है, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि हमको जनता में जाना है इसलिए कम से कम समय के अंदर लागू किया जाए। रोजगार के नाम पर बैंकों को आदेश देते हैं। बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? आपने पीएलआरआई योजना लागू की है। एक पैसा भी बेरोजगार को नहीं मिलता है। बैंक वाले मनमानी करते हैं। बैंक का नियंत्रण करने वाले कौन लोग हैं। एक ब्लाक में 10 लोगों को लोन देना है।

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात खत्म कीजिए। धन्यवाद। आप आगे कुछ मत कहिए।

**श्री सीताराम सिंह** : हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते है।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, सभा का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया था। आठ पहले ही बज चुके हैं।

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** : महोदय इसे और आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

**श्री मनोरंजन भक्त** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005–06 के बजट का समर्थन करता हूं। मेरे बहुत सारे साथियों ने बजट के बारे में आंकड़े देकर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की है। मैं पिछले 20–22 वर्षों से लोकसभा का सदस्य रहा हूं।

**रात्रि 8.00 बजे**

सभापति जी, 20–22 साल लोक सभा में रहने के बाद, मैंने ऐसा महसूस किया कि इस समय बजट का सपोर्ट अपोजीशन के सभी पक्ष के लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बजट पर डिसकशन होता है, तो इतनी खाली बैंचें कभी नहीं रहतीं। इससे साबित होता है कि सारे लोगों ने इसे पसन्द किया है, लेकिन चूंकि वे यहां विरोधी पक्ष में हैं इसलिए कुछ तो विरोध करना है। अतः अपनी उसी नीति के तहत इस बजट का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है, जो रिचुअल है।

सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने काफी मेहनत करके इस वर्ष का बजट पेश किया है जिससे सभी वर्ग संतुष्ट है। सिर्फ एक ही आब्जैक्शन है कि बैंक से 10 हजार रुपए के कैश ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए देने का प्रस्ताव किया गया हैं सभी पक्षों के लोग समझते होंगे कि इससे कठिनाई होगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे री-कंसीडर करें और समाप्त करें या इसके स्थान पर कोई और उचित व्यवस्था की जाएँ।

महोदय, सभी क्षेत्र के लोगों ने अपने-अपने एरिया की बातें सुनाई। मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जो अंडमान-निकोबार आइलैंड्स है और सुनामी पीड़ित ऐरिया है। मेरा क्षेत्र केन्द्र शासित प्रदेश है। केन्द्रीय शासन द्वारा वहां का राजकाज चलता है। केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते गृह मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी उस एरिया को डैवलप करने और उसे गुड गवर्नैंस देने की है। हम लोग समय-समय पर बोलते आए हैं कि एक आदमी से यह काम ठीक तरह से नहीं होता। एक आदमी से शासन नहीं चलता, फिर चाहें वह लैफ्टीनेंट गवर्नर हो या कोई और हो। इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी हमारी देश के अन्य प्रान्तों में है। जैसे वहां सरकार चल रही है, जैसे वहां विकास हो रहा है, वहीं व्यवस्था अंडमान-निकोबार में भी होनी चाहिए।

**रात्रि 8.02 बजे**

(**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*)

महोदय, वहां शुरू से बेरोजगार नौजवानों की संख्या काफी तादाद में बढ़ती गई है। एजूकेटेड अनएम्पलाइड नौजवानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हैं वहां किसानों की जो हालत है, उससे उन्हें निकालने और ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन मुझे खेद है कि इस बजट में यूनियन टैरीटरी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। यूनियन टैरीटरीजा के लिए असैम्बली और पार्लियामेंट दोनों यही है। हमारे लिए दूसरी जगह नहीं हैं, जहां हम अपनी बात कह सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें बोलने के लिए कुछ समय भी ज्यादा दिया जाए क्योंकि यह पार्लियामेंट ही हमारे लिए असैम्बली है और पार्लियामेंट भी यही है। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि हमारे केन्द्र शासित प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए क्या कदम

उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में एक पैराग्राफ वित्त मंत्री जी को बजट में अवश्य शामिल करना चाहिए था, जो इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री हैं, वे हमारी कठिनाई को समझेंगे।

सभापति महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को कठिनाई के समय, हमारी तकलीफ के समय, पूरी पार्लियामेंट हमारे साथ खड़ी हो गई और सांसदों ने, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत हमारे पुनर्वास और विकास के लिए पैसा दिया। इसके लिए हम अपने द्वीप वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ–साथ स्पीकर साहब का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि इस संकट की घड़ी में उन्होंने भी हमारी सहायता करने में बहुत रूचि लेकर काम किया। इसके साथ ही मैं देश के हर प्रान्त के, हर धर्म के, हर भाषा और समुदाय के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो संकट के समय हमारे साथ उठकर खड़े हो गए और हमें हर प्रकार से सहायता प्रदान की। मैं देश के हर प्रान्त की हर पालिटिकल पार्टियों का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी हमारी मदद करने में कोई कमी नहीं की। इससे एक बात का मुझे विश्वास हो गया कि भारत एक देश है। हम लोगों में आपस में चाहें कितना विरोध हो, लेकिन संकट के समय, जब एक होने का मौका आता है, तब हम एक होकर काम करते हैं। यह बहुत अच्छी बात हुई है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने अपनी जिन्दगी में सुनामी लहरों को इससे पहले कभी नही देखा और हम उम्मीद भी नहीं करते कि इससे पहले कभी किसी ने देखा हो। जब भूकम्प आता है तो घर हिलते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, यह जो नाम से सुनामी है, लेकिन काम में दुरनामी है। पानी जब समुद्र के किनारे जाएगा तो एक दम 15–16 मीटर ऊपर उठ जाएगा और फिर पीछे उतनी ही स्पीड से जाएगा तो वह जाकर टारगेट को हिट करेगा तथा उनकी सारी सम्पति नष्ट करेगा। उसके बाद जब दोबारा उतनी ही स्पीड से पानी बाहर निकल कर आएगा तो उसकी स्पीड 500–700 कि.मी. हो जाएगी और उस समय उसके सामने जो भी चीज आएगी, वह नष्ट हो जाएगी। उसमें कार–निकोबार एयरफोर्स स्टेशन चकनाचूर हो गया। उनके 106 आफिसर और उनकी सारी फैमिली तबाह हो गई। अंडमान में भूकम्प का असर ज्यादा हुआ, लेकिन वहां भूकम्प से लोग कम मरे, निकोबार में सुनामी के कारण ज्यादा लोग मरे, वहां टेलीफोन व्यवस्था खराब हो गई थी। मशीन के ऊपर सारा खारा पानी चला गया, इस कारण वहां कोई बात नहीं हो पाई। वहां वायरलैस ऑपरेटर की मृत्यु हो गई थी।

**सभापति महोदय** : आप बजट में क्या चाहते हैं, उसके लिए सुझाव दीजिए?

**श्री मनोरंजन भक्त** : महोदय, बजट में इसके लिए जो प्रावधान किया है, उसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि जो सारा व्यापार बंद हो गया है, गोडाउन सारे पानी में बर्बाद हो गए हैं, अगर उन्हें दोबारा जिन्दा करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैकेज देना पड़ेगा। बैंकों से बात करके उनके इंटरस्ट को माफ करना पड़ेगा। रिफैंसिस ऑफ बैंक लॉस, मौरिटोयिम करना पड़ेगा। उन्हें दोबारा लोन भी देना पड़ेगा ताकि वह अपना कारोबार चालू कर सकें। आपने उन्हें पुनर्वास के लिए पैकेज दिया है, लेकिन कुछ जगहों में वह ठीक नहीं हुआ। नारियल के जो पेड़ सुनामी में गिर गए, उनके अगेंस्ट पैकेज में 20 रुपए एक नारियल के पेड़ के लिए कम्पनसेशन बहुत कम है। दो नारियल की बिक्री करने से 20 रुपये मिलते हैं। इसलिए इस तरफ ध्यान दीजिए। हमने इस प्रश्न को उठाया था और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें मदद मिलेगी। धान और सब्जी की जो फसलें हैं, उसमें एक हैक्टेयर पर 2000 रुपएं कम्पनसेशन तय हुआ, जो बहुत कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए। अंडमान में सुनामी का इतना प्रभाव नहीं है, वहां अर्थक्वेक का ज्यादा है, लेकिन वहां जो कंक्रीट मकान हैं उनमें क्रेक आ गए।

महोदय, केन्द्र सरकार ने सहायता दी है, लेकिन इसके लिए अभी और सहायता की आवश्यकता है ताकि दोबारा अंडमान–निकोबार को ठीक किया जा सके। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आप लोगों की उदारता के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** (मंगलदोई) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए वायदे का उल्लेख करना चाहता हूँ, जो कि बजट प्रस्तावों में प्रतिबिम्बित नहीं होता है।

महोदय बजट भाषण के पृष्ठ 10 क्रम सं. 45 पर माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया था कि जुलाई 2004 में विनाशकारी बाढ़ के पश्चात् माननीय प्रधान मंत्री द्वारा गठित कृतिक बल की सिफारिशों के मद्देनजर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ प्रबन्धन और कटाव नियंत्रण के लिए 2005–06 में योजना परिव्यय 180 करोड़ रु. होगा।

किंतु यह विशेषरूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि 180 करोड़ रु. में से असम का क्या हिस्सा होगा। किंतु 2005–06 का व्यय बजट का खंड एक विवरण 17 पृष्ठ 47 पर राज्य योजना देखें तो यह बता चलेगा कि गम्भीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव विरोधी योजना इन ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी" कॉलम में एक भी रुपया का आबंटन नहीं किया गया है? मैं महसूस करता हूं कि बजट भाषण में किया गया वायदा 2005–06 के व्यय बजट में प्रतिबिम्बित नहीं होता है। मैं इस अत्यन्त ही गंभीर चिन्ता को वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूँ क्योंकि पिछले वर्ष विनाशकारी बाढ़

[श्री नारायण चन्द्र वरकटकी]

से लोगों को भारी क्षति हुई थी? यदि टूट गए तटबंधों को तत्काल ठीक नहीं किया जाता है तो निकट भविष्य में फिर से बाढ़ आएगी और अत्यन्त ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

बजट भाषण के पृष्ठ 23 के क्रम सं. 105 पर यह कहा गया है कि योजना परिव्यय 'लाइक–टू–लाइक' आधार पर 1,72,500 करोड़ रु. अनुमानित है। तथापि, बजट में योजना व्यय 1,43,497 करोड़ दिखाया गया है और शेष राशि 29,003 करोड़ रु. राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ऋण के रूप में जुटाया जाएगा। क्या माननीय वित्त मंत्री संबंधित राज्य सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली 29,003 करोड़ रु. की राशि का ब्यौरा स्पष्ट करेंगे?

उपर्युक्त परिस्थितियों में, मैं महसूस करता हूं कि चालू बजट में असम और पूर्वोत्तर राज्यों के हितों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। पिछले वर्ष के दौरान विनाशकारी बाढ़ द्वारा तटबंध टूटने और कटाव का मरम्मत नहीं किया गया तो लोगों की दुर्दशा और कष्ट इस वर्ष और बढ़ जाएगा। वास्तविकता यह है कि बाढ़ से हुई इस तरह की क्षति पर युद्ध स्तर पर नियंत्रण पाना हो यदि वित्त मंत्री ने राज्य सरकार पर ऋण जुटाने और उनके मरम्मत की यह समस्या उन पर छोड़ दी है तो मैं महसूस करता हूँ कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति घोर अन्याय होगा।

यह आम तौर पर महसूस किया जाता है कि पूर्वोत्तर के साथ केन्द्र भेदभावपूर्ण व्यवहार करता हो मैं सामान्य रूप से इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से वित्त मंत्री से इस विषय को देखें और इसे विषय में आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के बाद बजट पारित किया जाए।

बीटीसी समझौतों जिस पर एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान असम सरकार के साथ हस्ताक्षर किया गया था, इस बात पर सहमति हुई थीं कि विकास पैकेज के रुप में पांच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु. आबंटित किया जाएगा। इसके अलावा, बीटीसी क्षेत्रों में लड़कों के शिक्षा देने के लिए तकनीकी संस्थाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था। किंतु बजट में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

असम और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में लगती है। सीमावर्ती सड़कों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 और मेरे चुनाव क्षेत्र में अन्य सड़क जो भूटान जाती है अर्थात मंगलदाइ भूटियाचार सड़क जो भूटान जाता है वास्तव में अत्यन्त ही खराब दशा में है। कम से कम प्रतिरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इन सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर समुचित रूप से निर्माण करना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल बजटीय आबंटन करके इन सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध करानी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के लिये जारी धनराशि पर उचित निगरानी नहीं हो रही है। वास्तव में निचले स्तर पर ग्राम वासियों को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये निर्धारित धनराशि का लाभ नहीं मिल रहा है।

अन्त में, मैं प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय और समस्त सभा से निवेदन करना चाहूंगा कि असम की बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझें। इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित करना चाहिये। अन्यथा केवल राज्य सरकार की धनराशि यह समस्या लोगों की अपेक्षानुसार हल नहीं हो पायेगी। चूंकि आप चाहते हैं कि यह बजट जनता के हित वाला बजट हो, मेरा निवेदन है कि इस बजट में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिये पर्याप्त धनराशि उस क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के लिये उपलब्ध करायी जाये।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : श्री पारसनाथ यादव, आपका समय पांच मिनट है। अगर समय–सीमा का ध्यान रखेंगे तभी और माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

**श्री पारसनाथ यादव** (जौनपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ...*(व्यवधान)* मैं सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

मान्यवर, विद्वान वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट आंकड़ों के जाल से बनाया गया है, जिसमें देश की दिशा और दशा सुधारने की कल्पना की गई है, हम उसका समर्थन करते हैं। जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसके विकास का सपना जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देखा गया। यह सदन देश का सबसे बड़ा सदन है। हम लगातार बैठकर अपने विद्वान साथियों का भाषण सुनते हैं, पक्ष और विपक्ष द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। यह देश जब आजाद हुआ था तब 35 करोड़ की आबादी का देश था और आज एक अरब सात करोड़ आबादी का देश है। हो सकता है कि कुछ मुट्ठीभर लोग आजादी का मकसद समझते हों, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी देश के 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गांवों में रहते हैं और खेती पर अपना जीवन–यापन करते हैं। हमारा दस्तावेज, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसमे भी यह बात लिखी गई थी कि यह कृषि प्रधान देश है और देश के विकास का मुख्य साधन खेती होगा। लेकिन आज हमारे किसान और खेती कहां है। गांधी जी ने कहा था, जब तक हिन्दुस्तान में हर खेत को पानी, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। और विद्वानों ने भी कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत–खलिहान से गुजरता है। डा. लोहिया ने कहा था, जब तक समाजवाद नहीं आएगा, तक तक देश का विकास नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुए प्रति वर्ष लगातार जो बजट बनते हैं, जिन्हें हम वित्तीय आंकड़ा कहते हैं, उनसे हम बाजीगरी कर लें, जादूगरी कर लें, लेकिन जब तक पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति के होठों में मुस्कान नहीं आएगी, जब तक पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति के पत्तल में दो कचौड़ी

नहीं मिलेगी, तब तक असली भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा। शाइनिंग, असली भारत का निर्माण, फील गुड का नारा जरूर दिया गया, लेकिन आज भी यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में एक प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो महानगरों के बड़े-बड़े होटलों की झूठी पत्तलों को चाटकर रात बिताते हैं। तीन प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, सर ढकने के लिए मकान नहीं हैं, पेट की रोटी का इंतजाम नहीं है। जब हमारे विद्वान साथी भाषण करते हैं तो उस पर चिंतन नहीं है, केवल हमने आपके लिए क्या किया, आपने हमारे विरोध में क्या किया, यह कहा जाता है। अगर देश की बड़ी पंचायत में इस पर बहस होगी तो हम समझते हैं कि हमारी बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होगी शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी बुनियादी आवश्यकता है।

अगर हम किसान के विकास की बात देखते हैं, अमेरिका में केवल चार प्रतिशत लोग खेती करते हैं और अमेरिका प्रति वर्ष अपने किसानों को 31 हजार डालर सबसिडी देता है। हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान हमारा भगवान है। हम उसको सबसिडी देना तो दूर, उसके लिए अच्छी खाद, पानी और कीटनाशक दवाओं का इंतजाम नहीं करते। अगर एक महीने सूखा पड़ जाता है तो फसल सींचना तो दूर रहा, पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं कर पाते। अगर तीन दिन मूसलाधार वर्षा हो जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है, तब क्या होता हे, आपको पता है। हम जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर सके। बजट में 9 राज्यों के 16 जनपदों की जल निकासी के प्रबंधन की व्यवस्था करने की बात की गई। लेकिन ऐसा लगता है कि कंगलाई सान पुरोटे धान। हमारे यहां एक किस्सा कहा जाता है कि कंगलाई सान पुरोटे धान नहीं होता। शिक्षा के विकास के लिए हमने जो भी कल्पना की थी, अगर हमने इस देश के लोगों को शिक्षित किया होता, किसान की माली हालत ठीक की होती तो हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता। हमारा कहना है कि शिक्षा के विकास के लिए हम 6 प्रतिशत बजट खर्च करें।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से आता हूं। वहां आदि गंगा-गोमती शहर के मध्य से बहती है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय मुलायम सिह जी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार से 18;230 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मांगा था क्योंकि उनकी नीयत साफ है। लोगों को शिक्षित करना, रोजगार से जोड़ना, गांवों में बिजली और पानी पहुंचना आदि सही नीयत से धन मांगा था। उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है इसलिए इसके विकास के लिए पैसा दिया जाये। लेकिन सरकार की नीयत खराब थी, सरकार ने आज तक वह पैसा नहीं दिया। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते में, उत्तर प्रदेश की प्रगति में माननीय मुलायम सिंह जी लगे हैं, उनकी वह कामना पूरी होगी। क्योंकि लोगों को बिजली देने के लिये वे 4 हजार मेगावाट के बिजली घर का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वे शिक्षा के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं।

**सभापति महोदय :** आपने कहा था कि मैं सीमा का पूरा ध्यान रखूंगा। आप अपना वचन भंग मत करिये।

**श्री पारसनाथ यादव :** मैं अपने क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। जनपद जौनपुर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, उस शहर के मध्य में गोमती नदी बहती है। प्रतिवर्ष उसमें बाढ़ आती है। बाढ़ आने पर केवल शहर ही प्रभावित नहीं होता बल्कि गांव भी प्रभावित होते हैं। बाढ़ से सड़कें इतनी डूब जाती हैं कि वहां नाव चलती है। हमारा वित्त मंत्री जी से प्रस्ताव है कि शहर के बीच से जो नदी बहती है, उसे डायवर्ट करते हुए, खुदाई करवाकर पानी, को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाये तो उससे सिंचाई का भी काम हो जायेगा और बाढ़ से भी हमारा नगर बच जायेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री सन्दीप दीक्षित** (पूर्वी दिल्ली) : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। रात्रि की बेला है और समय बहुत कम है। मैं बड़ी संक्षिप्त में अपनी बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो टिप्पणियां आई, उन पर एक आध बात कहकर अपनी बात कहूंगा।

**सभापति महोदय :** आप पांच मिनट में समाप्त करिये।

**श्री सन्दीप दीक्षित :** आप जितना समय कहेंगे और जब कहेंगे तभी मैं समाप्त कर दूंगा। उन लोगों ने कहा था कि जो योजनाए हैं खासकर यह बजट के माध्यम से, हमारी यूपीए सरकार ने चलाई हैं, उसमें इन्होंने नयापन नहीं देखा है। बहुत सी योजनाएं पुरानी रही हैं, पुराने रूप रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अधिकतम जो योजनाएं पिछली सरकार में चलाई गयी थी, जो कांग्रेस से समर्पित या कांग्रेस को समर्थन करने वाली सरकारें हैं, वे ही उसे पिछले समय में चलाती रही हैं। इनकी जो कुछ मुख्य योजनाएं थीं, चाहें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ग्राम रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना या समन्वित ग्राम योजना जो आईआरडीपी है, इन्हीं के रूप थे। बात यह नहीं है कि आप कौन सी नयी स्कीम ला पाते हैं। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने में कितनी निष्ठा से कोई सरकार लग पाती है। क्या हर व्यक्ति को जिसके लिए वह कार्यक्रम गठित किया जाता है, उसके विकास के लिए सरकार तत्पर रहती है और अपने अधिकारियों द्वारा उनके विकास के लिए वह काम कर पाती है? क्या संदेश वह अपने भाषणों, अपनी नीतियों में देती है, यह महत्वपूर्ण होता है। वित्त मंत्री जी ने इस बार जो अपना भाषण दिया उसमें विशेषकर जो शब्द इस्तेमाल किया, जो शब्दावली इस्तेमाल की, उसमें गरीबी शब्द दोबारा हमें सुनने को मिला। इससे पहले मैं सदन का सदस्य नहीं था लेकिन कई बार जब हम सदन में बजट का भाषण सुनते थे तो पिछले पांच छः साल से गरीबी शब्द ही गायब हो गया था। ऐसा लगता था कि न गरीब पर कोई बात होती थी, न सिंचाई पर बात की जाती थी। बहुत सालों के बाद मैं देश की जनता का आदर करता हूं कि उसने ऐसा जनादेश दिया। जिससे हर व्यक्ति को इसी सदन में बैठकर पुनः गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, गरीब जनता के बारे में दोबारा बात करनी पड़ी। यही जनादेश का सबसे

[श्री सन्दीप दीक्षित]

बड़ा सबक हम लोगों को रहा। इस बजट में मैं इस बात पर सलाम करना चाहता हूँ कि वह जनादेश को लेकर तमाम जितने दल यूपीए में हैं, जो सरकार के सदस्य हैं, जो हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं, सबकी भावनाओं को लेकर यह बजट हमने बनाया है। दो–तीन चीजों पर मैं खास बिन्दु डालना चाहूंगा। हर बार जब बजट बनता है तो उसमें प्रावधान दिये जाते हैं, विकास भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं किसी न किसी दर पर विकास हुआ है। लेकिन विकास सबके लिए तभी समानता बनता है जब विकास से मिलते हुए विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए हर नागरिक में हम शक्ति उत्पन्न करें कि उन विकल्पों का वह इस्तेमाल कर सके। वह तभी आता है जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, जब उसके आसपास के पर्यावरण में, आसपास के वातावरण में शक्तिशाली चीजें ऐसी बनती हैं जो उसको उत्पादन में मदद कर सकें चाहें वह कृषि का हो या गैर कृषि का हो। इस मामले में इस बजट ने काफी कदम उठाए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें इस बजट ने उठाई हैं, वह पानी पर जो उसने पैसा खर्च किया है।

मान्यवर, मैं दिल्ली राज्य का प्रतिनिधि हूं। लेकिन इसके पहले ग्रामीण क्षेत्रों से मेरा संबंध रहा है। अधिकतर सदस्य ग्रामीण अंचलों से आते हैं। पानी पूरे हिन्दुस्तान की जीवन रेखा है। अब पानी पर इस बजट ने जो विशेष ध्यान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस बजट की वही है। अगर हम अपने किसान को पानी दे पाते हैं तो यहां का किसान इतना सक्षम है कि उसे आपसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिन–जिन राज्यों में हमारी सरकारों ने सिंचाई का जाल बिछाया है, उन राज्यों की प्रगति दर, उन राज्यों की खुशहाली और राज्यों की तुलना में हमेशा ज्यादा रही है।

दूसरा बहुत महत्वूपूर्ण कार्य जो इस बजट में किया गया है, वह यह है कि ग्रामीण विकास पर पैसा का जो आबंटन किया है। हम इस बात पर भी माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल आने वाला है। इसलिए तमाम उन पर दबावों के कारण भी उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी तरह का बजट का प्रावधान नहीं किया है। बहुत से मैम्बर्स पूछते हैं कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल जब आएगा, उसके लिए 40 से 50 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उसके प्रावधान के लिए बार–बार वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया है कि जितने भी पैसे की जरूरत होगी, उसका प्रावधान मैं वहां रखूंगा। लेकिन उसके पहले आनन–फानन में तमाम स्कीमों के अंदर पैसा डाल देना मेरे ख्याल से सही बात नहीं होगी। दूसरे, मुझे लगता है कि यह बात भी उनकी बहुत सराहनीय है कि उन्होंने पहली बार यह कदम लिया है कि पायलट बेसिस पर कुछ जिलों में कार्यक्रम बढ़ाया जाए। कार्यक्रम हम हमेशा अगर 476 या 500 जिलों में एक साथ बढ़ा देते हैं तो क्रियान्वयन करने में समस्याएं आती हैं और जिस तरह के अनुभव सरकार को होने चाहिए किसी के क्रियान्वयन को सही रूप में करने के लिए, वे नहीं हो पाते हैं। इस तरह से धीरे रूप से अगर किसी भी कार्यक्रम को हम बढाएं तो ज्यादा बेहतर रूप से हम उसको आगे क्रियान्वयन कर पाएंगे और बेहतर रूप से उसे पूरे देश में चला पाएंगे।

अंत में केवल एक मिनट आपसे लेना चाहूंगा। 35 प्रतिशत हिन्दुस्तान आज शहरों में रहने लगा है। पहले ये आंकड़े 15 से 17 प्रतिशत होते थे। इसलिए आज हिन्दुस्तान शहरों में भी बसता है। यह बात आज का सत्य है। शहर का मैं प्रतिनिधि हूं और मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इन्होंने शहरी रिन्यूअल का कार्यक्रम दिया है। लेकिन आज शहरों की तरफ उन्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शहर अब किसी राज्य की सम्पत्ति नहीं बचे हैं। हर शहर में आज हर शहर का व्यक्ति काम ढूंढने या कोई न कोई विकल्प ढूंढने पहुंचता है। शहरों के विकास का अब हम राष्ट्रीय रूप में विकास योजना के रूप में देखें। शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे एक रूप में करें। आज मुम्बई या दिल्ली महाराष्ट्र या दिल्ली के शहर नहीं रह गये हैं, पूरे हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति के लिए एक सम्पदा के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. सी. गढ़वी** (कच्छ) : महोदय, मैं आपको सामान्य बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं वर्ष 2005–06 के लिए सामान्य बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्री सी पी चन्द्रशेखर ने इस बजट को 'फ्रंट लाइन' दिनांक 25 मार्च 2005 में 'डाउन साइन' और 'गो–ऑफ' बजट कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत को 'ग्लोबलॉइजिंग' अर्थव्यवस्था जिसकी सरकार वित्तीय रूप से प्रबुद्ध हो और लोकतंत्र, गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा के बीच फंसे हुए वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम प्रबद्ध वित्त मंत्री की अपेक्षा लेखा में जोड़ तोड़ करने वाले वित्त मंत्री है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** श्री गढ़वी जी, आपका भाषण जारी रहेगा और आज चूंकि समय समाप्त हो गया। साढ़े आठ बज गए हैं। इसलिए आपका भाषण कल जारी रहेगा।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी. एस. गढ़वी :** धन्यवाद, महोदय।

**सभापति महोदय :** अब सभा कल 17 मार्च 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 8.30 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 17 मार्च 2005/26 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध-I

### *तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रबोध पाण्डा | 181 |
| 2. | श्री शिवराज सिंह चौहान | 182 |
| 3. | श्रीमती मनोरमा माधवराज | 183 |
| 4. | श्री बृज किशोर त्रिपाठी<br>श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल | 184 |
| 5. | श्री संतोष गंगवार | 185 |
| 6. | श्री सुनिल कुमार महतो<br>श्री बीर सिंह महतो | 186 |
| 7. | प्रो. महादेवराव शिवनकर<br>श्रीमती अनुराधा चौधरी | 187 |
| 8. | प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा<br>श्री श्रीपाद येसो नाईक | 188 |
| 9. | श्री गणेश प्रसाद सिंह<br>श्री आलोक कुमार मेहता | 189 |
| 10. | श्री एन. एन. कृष्णदास<br>श्री एस. अजयकुमार | 190 |
| 11. | श्री पी. मोहन | 191 |
| 12. | श्री ए. वी. बेल्लारमिन<br>श्री प्रहलाद जोशी | 192 |
| 13. | श्री बसुदेव आचार्य<br>श्री बी. विनोद कुमार | 193 |
| 14. | श्री उदय सिंह | 194 |
| 15. | श्री भंवर सिंह डांगावास<br>श्री कैलाश मेघवाल | 195 |
| 16. | श्री एम. अंजनकुमार यादव<br>श्री हरिकेवल प्रसाद | 196 |
| 17. | श्री मोहन सिंह | 197 |
| 18. | श्री गुरुदास दासगुप्त | 198 |
| 19. | श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) | 199 |
| 20. | श्री रामदास आठवले | 200 |

### *अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 2097, 2148 |
| 2. | आदित्यनाथ, योगी | 2109 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 2086, 2100, 2150 |
| 4. | अहमद, श्री अतीक | 1976, 2127 |
| 5. | अहीर, श्री हंसराज जी | 1954, 2005 |
| 6. | अजनाला, डा. रतन सिंह | 2024 |
| 7. | अप्पादुरई, श्री एम. | 1982 |
| 8. | अर्गल, श्री अशोक | 1963 |
| 9. | आठवले, श्री रामदास | 1989, 2153 |
| 10. | आजमी, श्री इलियास | 2073 |
| 11. | बादल, श्री सुखबीर सिंह | 2056 |
| 12. | बैठा, श्री कैलाश | 1983 |
| 13. | बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई | 2057, 2126<br>2161, 2180 |
| 14. | बर्मन, श्री हितेन | 2032, 2089 |
| 15. | बखला, श्री जोवाकिम | 1979, 2089 |
| 16. | बेल्लारमिन, श्री ए. वी. | 2096, 2147 |
| 17. | भडाना, श्री अवतार सिंह | 2034 |
| 18. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 1975, 2080<br>2127, 2162 |
| 19. | वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र | 1967 |
| 20. | बोस, श्री सुब्रत | 1980, 2089 |
| 21. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 1969 |
| 22. | बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर | 2152 |
| 23. | चालिहा, श्री किरिप | 2051, 2120, 2159 |
| 24. | चन्देल, श्री सुरेश | 1965 |
| 25. | चन्द्रप्पन, श्री सी. के. | 2015, 2098, 2149 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | चारेनामै, श्री मणि | 2071 |
| 27. | चौरे, श्री बापू हरी | 2040 |
| 28. | चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र | 1959, 2101 |
| 29. | चिन्ता मोहन, डा. | 2090, 2141 |
| 30. | चित्तन, श्री एन. एस. वी. | 1997 |
| 31. | चौधरी, श्रीमती अनुराधा | 2005, 2088 |
| 32. | चौधरी, श्री निखिल कुमार | 2019 |
| 33. | चौहान, श्री शिवराज सिंह | 2092, 2142 |
| 34. | चौधरी, श्री पंकज | 2176 |
| 35. | चौधरी, श्री अधीर | 1956, 2014, 2022<br>2072, 2139 |
| 36. | देशमुख, श्री संतोष सुरेशचंद्र | 2025 |
| 37. | ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह | 2024 |
| 38. | फर्नान्डीज, श्री जार्ज | 2038 |
| 39. | गमांग, श्री गिरिधर | 1981 |
| 40. | गंगवार, श्री संतोष | 2094, 2145 |
| 41. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 2008, 2099 |
| 42. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 1955, 2113 |
| 43. | गोहेन, श्री राजेन | 1988 |
| 44. | गुढ़े, श्री अनंत | 2030, 2103 |
| 45. | गुप्त, श्री श्यामा चरण | 2041 |
| 46. | हमज़ा, श्री टी. के. | 2118 |
| 47. | हर्ष कुमार, श्री जी. वी. | 2064 |
| 48. | हसन, श्री मुनव्वर | 2050 |
| 49. | जगन्नाथ, डा. एम. | 1998, 2123 |
| 50. | जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज) | 1974, 2079 |
| 51. | जटिया, डा. सत्यनारायण | 1977 |
| 52. | जयाप्रदा, श्रीमती | 2021 |
| 53. | झा, श्री रघुनाथ | 2031 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 54. | जोगी, श्री अजीत | 2070, 2137, 2173 |
| 55. | जोशी, श्री प्रहलाद | 2110, 2183 |
| 56. | कलमाड़ी, सुरेश | 1962, 2022, 2083<br>2155 |
| 57. | कनोडीया, श्री महेश | 2012 |
| 58. | करूणाकरन, श्री पी. | 1958 |
| 59. | खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र | 1991, 2082 |
| 60. | खन्ना, श्री विनोद | 2066 |
| 61. | खारवेनथन, श्री एस. के. | 2054, 2124 |
| 62. | कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू | 2013 |
| 63. | कृष्ण, श्री विजय | 2003 |
| 64. | कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार | 2005, 2088<br>2146, 2175 |
| 65. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 2042, 2090<br>2141 |
| 66. | लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु | 2052, 2180 |
| 67. | लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह | 2024 |
| 68. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 1990, 2107 |
| 69. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 2093, 2143 |
| 70. | महाजन, श्रीमती सुमित्रा | 2176 |
| 71. | महाजन, श्री वाई. जी. | 1969, 2101 |
| 72. | महतो, श्री बीर सिंह | 2078 |
| 73. | माहेश्वरी, श्रीमती किरण | 2001, 2109, 2182 |
| 74. | महताब, श्री भर्तृहरि | 2047, 2117, 2157 |
| 75. | मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार | 2095 |
| 76. | मल्लिकार्जुन, श्री एस. | 2065 |
| 77. | मंडल, श्री सनत कुमार | 2067, 2133 |
| 78. | मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा | 2044 |
| 79. | माने, श्रीमती निवेदिता | 2003 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 80. | मनोज, डा. के. एस. | 2036, 2177 |
| 81. | मेघवाल, श्री कैलाश | 2017 |
| 82. | मेहता, श्री आलोक कुमार | 2020 |
| 83. | मैन्या, डा. टोकचोम | 2048 |
| 84. | मोदी, श्री सुशील कुमार | 2002 |
| 85. | मोहले, श्री पुन्नूलाल | 2046 |
| 86. | मुकीम, मो. | 1992 |
| 87. | मो. ताहिर, श्री | 2088 |
| 88. | मोहित, श्री सुबोध | 2053, 2122 |
| 89. | मोल्लाह, श्री हन्नान | 1996, 2066, 2130 |
| 90. | मुंशी राम, श्री | 2088, 2146, 2175 |
| 91. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 1987, 2092, 2114 |
| 92. | मुर्मू, श्री रूपचन्द | 2011, 2091 |
| 93. | नाईक, श्री श्रीपाद येसो | 2095, 2181 |
| 94. | नायर, श्री पी. के. वासुदेवन | 2015 2098, 2149 |
| 95. | नम्बाडन, श्री लोनाप्पन | 2029, 2149 |
| 96. | नायक, श्री अनन्त | 2000 |
| 97. | निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद | 2027 |
| 98. | निखिल कुमार, श्री | 2022, 2055, 2125 |
| 99. | ओराम, श्री जुएल | 2026, 2045, 2115<br>2116, 2168, 2180 |
| 100. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 2143 |
| 101. | पाल, श्री राजाराम | 2027 |
| 102. | पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण | 2023 |
| 103. | पासवान, श्री सुकदेव | 2039, 2105 |
| 104. | पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई | 1978 |
| 105. | पटेल, किसनभाई वी. | 1994, 2138 |
| 106. | पाठक, श्री ब्रजेश | 2035 2092, 2136<br>2171 |
| 107. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 1999, 2085, 2154 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 108. | पाटील, श्री डी. बी. | 2103 |
| 109. | पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी. | 2016 |
| 110. | पाटील, श्री दानवे रावसाहेब | 2019 |
| 111. | प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर | 1968, 2055, 2077<br>2111, 2151 |
| 112. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 2073 |
| 113. | पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. | 2022, 2148 |
| 114. | राधाकृष्णन, श्री वरकला | 2036, 2106 |
| 115. | राजेन्द्रन, श्री पी. | 1985, 2118 |
| 116. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 2086, 2111 |
| 117. | राणा, श्री काशीराम | 1961 |
| 118. | राव, श्री के. एस. | 1993, 2005 |
| 119. | राव, श्री रायापति सांबासिबा | 2087, 2140, 2174 |
| 120. | राव, श्री डी. विट्टल | 2060 |
| 121. | रावत, श्री अशोक कुमार | 2059, 2128 |
| 122. | रावत, श्री धनसिंह | 2017 |
| 123. | रावत, प्रो. रासा सिंह | 1986 |
| 124. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 2037, 2108, 2172 |
| 125. | रेड्डी, श्री एन. जनार्दन | 2069, 2135, 2169 |
| 126. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 1972 |
| 127. | रिजीजू, श्री कीरेन | 2058 |
| 128. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 1957, 2074, 2148,<br>2160 |
| 129. | सरोज, श्री तूफानी | 2026 |
| 130. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 2061, 2157 |
| 131. | सेठी, श्री अर्जुन | 2018 |
| 132. | शाहीन, श्री अब्दुल रशीद | 2063, 2131, 2164 |
| 133. | शैलेन्द्र कुमार, श्री | 1995 |
| 134. | शाक्य, श्री रघुराज सिंह | 1984, 2109, 2081 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 135. | शर्मा, श्री मदन लाल | 2030, 2103 |
| 136. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 1971, 2105, 2111 2144, 2170 |
| 137. | शिवन्ना, श्री एम. | 2007, 2096, 2119 2158 |
| 138. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 2088, 2146 |
| 139. | शुक्ला श्रीमती करूणा | 2005, 2121 |
| 140. | सिद्दीश्वर, श्री जी. एम. | 2062, 2129, 2163 |
| 141. | सिद्धू, श्री नवजोत सिंह | 2010, 2179 |
| 142. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 2049, 2175 |
| 143. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 1973, 2178 |
| 144. | सिंह, श्री दुष्यंत | 2026, 2075, 2164 2166 |
| 145. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 2044 |
| 146. | सिंह, श्री मोहन | 2084, 2143, 2183 |
| 147. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 2068, 2134 |
| 148. | सिंह, श्रीमती प्रतिभा | 2070, 2167 |
| 149. | सिंह, श्री राकेश | 2005, 2009 |
| 150. | सिंह, श्री सुग्रीव | 2006, 2058, 2132 2165 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 151. | सिंह, श्री उदय | 2014 |
| 152. | सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन | 2043, 2112, 2156 |
| 153. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह | 1978, 2028 |
| 154. | सुब्बा, श्री मणी कुमार | 1966 |
| 155. | सुमन, श्री रामजीलाल | 2021 |
| 156. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 1970 |
| 157. | तुम्मर, श्री वी. के. | 1961 |
| 158. | त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि | 2023 |
| 159. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 2086, 2144 |
| 160. | वर्मा, श्री राजेश | 2164, 2171 |
| 161. | विनोद कुमार, श्री बी. | 2104 |
| 162. | यादव, डा. करण सिंह | 2022 |
| 163. | यादव, श्री बालेश्वर | 1960, 2076 |
| 164. | यादव, श्री गिरिधारी | 1964 |
| 165. | यादव, श्री राम कृपाल | 2033, 2105 |
| 166. | यास्खी, श्री मधु गौड | 1993, 2005 |
| 167. | येरननायडु, किन्जरपु | 2004, 2102, 2148 |

## अनुबंध-II

### *तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका*

| | |
|---|---|
| प्रधानमंत्री | |
| कृषि एवं ग्रामीण उद्योग | |
| परमाणु ऊर्जा | |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | 182, 185, 187, 189, 194 |
| विदेश | 200 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 181, 183, 184, 186, 188, 191, 196, 198, 199 |
| महासागर विकास | |
| प्रवासी भारतीय कार्य | 192 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 190 |
| योजना | 195, 197 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | |
| पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग | 193 |
| लघु उद्योग | |
| अंतरिक्ष | |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन | |

### *अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका*

| | |
|---|---|
| प्रधानमंत्री | |
| कृषि एवं ग्रामीण उद्योग | 1967, 2002, 2015, 2104, 2137 |
| परमाणु ऊर्जा | 2164 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | 1957, 1961, 1963, 1964, 1965, 1968, 1971, 1972, 1976, 1981, 1992, 1994, 1998, 2009, 2011, 2014, 2016, 2021, 2026, 2028, 2030, 2032, 2042, 2044, 2046, 2055, 2064, 2067, 2070, 2074, 2076. 2077, 2078, 2088, 2092, 2094, 2095, 2100, 2108, 2111, 2113, 2121, 2122, 2126, 2129, 2140, 2145, 2153, 2156, 2159, 2161, 2167, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177, 2179, 2181 |
| विदेश | 1958, 1999, 2001, 2005, 2024, 2033, 2069, 2080, 2084, 2096, 2109, 2109, 2124, 2130, 2143, 2151, 2169, 2182, 2183 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 1954, 1960, 1962, 1970, 1974, 1975, 1978, |

| | |
|---|---|
| | 1979, 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1996, 1997, 2004, 2010, 2012, 2019, 2022, 2023, 2035, 2037, 2039, 2040, 2049, 2052, 2054, 2059, 2061, 2065, 2066, 2068, 2071, 2073, 2075, 2081, 2089, 2093, 2102, 2103, 2105, 2110, 2114, 2115, 2118, 2125, 2127, 2134, 2135, 2138, 2139, 2142, 2147, 2154, 2158, 2160, 2163, 2166, 2168 |
| महासागर विकास | 1982, 2008, 2123, 2146, 2162, |
| प्रवासी भारतीय कार्य | 2099 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 1973, 1977, 1995, 2000, 2031, 2038, 2048, 2063 |
| योजना | 2013, 2029, 2043, 2051, 2090, 2120, 2136, 2157, 2180 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 1955, 1956, 2025, 2053, 2060, 2072, 2085, 2086, 2097, 2155 |
| पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग | 1959, 1966, 1969, 1983, 1990, 1991, 2018, 2020, 2027, 2034, 2036, 2041, 2045, 2047, 2050, 2056 2058, 2062, 2082, 2091, 2098, 2106, 2112, 2116, 2117, 2119, 2128, 2131, 2132, 2133, 2144, 2148, 2149, 2165, 2170, 2174, 2178 |
| लघु उद्योग | 2006, 2017, 2057, 2087, 2107, 2141, 2152 |
| अंतरिक्ष | 2007, 2079, 2083, 2101 |
| सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यान्वयन | 2003, 2150 |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© [illegible] प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली — 110006 द्वारा मुद्रित।